ekuuh; vkjñ ckueFkh] e[; U;k;kèkh'k ,o vferko dekj xlrk] U;k;efr

कंचन देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 393 of 2013. Decided on 24th July, 2014.

सेवा विधि–सेवा समाप्ति–आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्ति का रद्दकरण–आंगनबाड़ी सेविका को उस गाँव का स्थायी निवासी होना होगा जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थित है–गलत आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी थी–साढ़े चार साल काम करने के बाद डी॰ डी॰ सी॰ द्वारा नियुक्ति रद्द की गयी थी–डी॰ डी॰ सी॰ को ऐसा आदेश जारी करने की अधिकारिता नहीं है–ऐसी शक्ति चयन कमिटि में निहित है–रिट याचिका अनुज्ञात करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट किया गया। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–2001 (1) JLJR 237; 2013 (3) JLJR 497—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Rohit Roy, For the Appellant; Mr. Kumar Sundaram, For the State; Mr. Binod Kumar Dubey, For the Resp. No.8.

अमितव कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति.–वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6261 वर्ष 2011 में पारित दिनांक 21.9.2013 के आदेश एवं निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी सं॰ 8 अर्थात् वर्तमान अपील की कुंती देवी द्वारा दाखिल पूर्वोक्त रिट याचिका अनुज्ञात किया है।

2. रिट याचिका में वर्णित संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि दिनांक 18.1.2007 को आम सभा द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 8 कुंती देवी का चयन किया गया था और बाल विकास प्रोग्राम अधिकारी (सी॰ डी॰ पी॰ ओ॰), इटखोरी, चतरा द्वारा उसको अनंतिम चयन पत्र जारी किया गया था और दिनांक 13.6.2008 को उक्त प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया था; कि दिनांक 20.8.2011 को प्रत्यर्थी सं॰ 8 की नियुक्ति इस आधार पर रद्द कर दी गयी थी कि वह माधवपुर (परिशिष्ट-3) में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए ग्राम लंबोडीह, पृथ्वीपुर और माधवपुर से गठित पोषक क्षेत्र (फीडर एरिया) से नहीं आती थी; कि दिनांक 5.9.2009 को जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, चतरा द्वारा उसको यह स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ जारी किया गया था कि गलत आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसकी नियुक्ति क्यों नहीं रद्द कर दी जाए जिसका उत्तर कुंती देवी ने दिया था किंतु उसके उत्तर पर विचार करते हुए दिनांक 3.3.2010 का नोटिस बाल विकास प्रोग्राम अधिकारी, इटखोरी द्वारा जारी किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में उसने दिनांक 24.5.2010 का उत्तर दिया है, किंतु उसकी नियुक्ति दिनांक 20.8.2011 को रद्द कर दी गयी थी। उक्त आदेश के विरुद्ध उसने पूर्वोक्त रिट दाखिल किया था।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 20.8.2011 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 8 की नियुक्ति के रद्दकरण के बाद नयी आम सभा बुलायी गयी थी और माधवपुर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आम सभा द्वारा अपीलार्थी का आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन किया गया था जिसके लिए दिनांक 27.9.2011 को उसको अनंतिम चयन पत्र (परिशिष्ट-10) जारी किया गया था; बाद में दिनांक 10.1.2012 को अपीलार्थी को नियुक्ति पत्र (परिशिष्ट-12) जारी किया गया था।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि प्रत्यर्थी सं० 8 ने तात्विक तथ्य का दमन किया था कि आवासीय प्रमाण पत्र, जिसे उसको जारी किया गया था, केवल शैक्षणिक प्रयोजन के लिए था और इसे बाल विकास प्रोग्राम अधिकारी, इटखोरी को संबोधित दिनांक 20.12.2008 के पत्र के तहत अंचलाधिकारी, इटखोरी द्वारा सूचित किया गया था। आगे यह तर्क किया गया है कि प्रत्यर्थी सं० 8 ने रिट में यह तथ्य प्रकट नहीं किया था कि वर्तमान अपीलार्थी को पहले ही आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त किया गया था। यह तर्क किया गया है कि प्रत्यर्थी सं० 8 ग्राम लंबोडीह की निवासी नहीं है बल्कि वह ग्राम हलमत्ता की निवासी है और उसने ग्राम लंबोडीह में केवल खटाल निर्मित किया है जिसका निर्माण केवल शैक्षणिक प्रयोजन से प्रमाणपत्र पाने के लिए किया गया था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि सरकारी परिपत्र के मुताबिक आंगनबाड़ी सेविका को ग्राम अथवा टोला का स्थायी निवासी होना होगा; कि स्वीकृत रूप से आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम माधवपुर, जिला चतरा में अवस्थित था और उक्त प्रमाणपत्र अपीलार्थी के अधिकार अभिलेख के आधार पर जारी किया गया था जबकि प्रत्यर्थी सं० 8 का आवासीय प्रमाण पत्र केवल शैक्षणिक प्रयोजन से जारी किया गया था। चूँकि प्रत्यर्थी सं० 8 माधवपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के फीडर एरिया में से एक ग्राम लंबोडीह की स्थायी निवासी नहीं थी, तद्नुसार, अंचलाधिकारी, इटखोरी ने बाल विकास प्रोग्राम अधिकारी (सी० डी० पी० ओ०), इटखोरी को सूचित किया कि प्रत्यर्थी सं० 8 का प्रमाण पत्र केवल शैक्षणिक प्रयोजन से जारी किया गया था। उक्त आधार पर, आवासीय प्रमाण पत्र गलत पाया गया था और सरकारी परिपत्र (पूरक शपथ पत्र का परिशिष्ट-B) के अनुकूल नहीं था। इस प्रकार, कारण बताओ तामील करने के बाद और सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रत्यर्थी सं० 8 की आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्ति विकास उपायुक्त, चतरा द्वारा रद्द कर दी गयी थी और विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य का अधिमूल्यन करने में विफल रहे और रिट आवेदन केवल इस आधार पर अनुज्ञात किया है कि सेवा विकास उपायुक्त, चतरा द्वारा समाप्त की गयी थी जो आंगनबाड़ी सेविका की सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम नहीं है, बल्कि वस्तुतः इस पर विचार और इसका अधिमूल्यन किया जाना चाहिए था कि रिट याची सं० 8 की नियुक्ति सरकारी परिपत्र के उल्लंघन में थी जो आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्ति के लिए मापदंड विहित करता है। उक्त आधार पर तर्क किया गया है कि आक्षेपित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाए और वर्तमान अपील अनुज्ञात की जाए।

6. प्रत्यर्थी सं० 8 अर्थात् रिट याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि उक्त आदेश एवं निर्णय विधि और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप है; कि कुंती देवी ग्राम लंबोडीह की निवासी है और परिशिष्ट 4 के मुताबिक अंचलाधिकारी इटखोरी द्वारा उसको आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया था और पंचायत के मुखिया ने भी कथन किया है कि वह ग्राम लंबोडीह की निवासी है जो माधवपुर में आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए पोषक क्षेत्र (फीडर एरिया) है, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया था। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि दिनांक 18.1.2007 को आम सभा बुलायी गयी थी और प्रत्यर्थी सं० 8 ने अन्य महिला उम्मीदवारों के साथ भाग लिया था और आम सभा द्वारा उसका चयन किया गया था और तद्नुसार, परिशिष्ट-2/1 के मुताबिक बाल विकास प्रोग्राम अधिकारी (सी० डी० पी० ओ०), इटखोरी, जिला चतरा के कार्यालय द्वारा उसको दिनांक 13.6.2008 का नियुक्ति पत्र जारी किया गया था; कि विकास उपायुक्त, चतरा द्वारा नियुक्ति का रद्दकरण विधि के अनुरुप नहीं है और उन्होंने

श्रीमती शारदा देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2001 (1) JLJR 237, और **श्रीमती तारा देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** 2013 (3) JLJR 497, में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है। यह आग्रह किया गया है कि उक्त मामलों में आंगनबाड़ी सेविका को हटाने के आदेश विकास उपायुक्त द्वारा पारित किए गए थे और उक्त आदेश अभिखंडित कर दिए गए थे।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर, यह विवादित नहीं है कि सामाजिक कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 2.6.2006 के परिपत्र द्वारा आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए गए हैं जिसके द्वारा यह विहित किया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका को उस गाँव जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र अवस्थित है का स्थायी निवासी होना होगा और यदि आंगनबाड़ी केंद्र पड़ोस (टोला), में अवस्थित गाँव में अवस्थित है, तब नियुक्ति पाने वाले को उक्त टोला अथवा पड़ोसी गाँव का निवासी होना चाहिए ताकि वह लाभार्थियों के बीच से उपलब्ध हो सके। दिनांक 9.1.2007 का आवासीय प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी, इटखोरी के कार्यालय द्वारा जारी किया गया है जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि प्रत्यर्थी ग्राम लंबोडीह की निवासी है और अधिकार अभिलेख के प्रति भी निर्देश किया गया है। परिशिष्ट–5 के मुताबिक गाँव के मुखिया ने भी प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 8 अपने पति विनोद यादव एवं अपने परिवार के साथ विगत 15-20 वर्षों से रह रही है। यह विवादित नहीं है कि माधवपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए ग्राम लंबोडीह, पृथ्वीपुर और माधवपुर पोषक क्षेत्र (फीडर एरिया) हैं। दिनांक 18.1.2007 को बाल विकास प्रोग्राम अधिकारी (सी॰ डी॰ पी॰ ओ॰) इटखोरी एवं अन्य सदस्यों की उपस्थिति में आम सभा द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 8 का चयन किया गया था और उक्त बैठक के संकल्प पर अनेक गाँववालों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं॰ 8 ने पाँच अन्य के साथ आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था और दस्तावेजों का संवीक्षण करने के बाद प्रत्यर्थी सं॰ 8 का चयन अनंतिम रूप से किया गया था और तत्कालीन बाल विकास प्रोग्राम अधिकारी (सी॰ डी॰ पी॰ ओ॰), इटखोरी के हस्ताक्षर के अधीन उसको दिनांक 18.1.2007 का अनंतिम चयन पत्र जारी किया गया था और तत्पश्चात उसको दिनांक 13.6.2008 का नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। स्वीकृत रूप से, वह वर्ष 2007 से आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत थी। यह गौर किया गया है दिनांक 18.1.2007 के अनंतिम चयन पत्र और दिनांक 13.6.2008 के स्थायी नियुक्ति पत्र जारी करने के बीच डेढ़ वर्ष से अधिक की अवधि थी और गलत आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दिया गया था और वस्तुतः वह वर्ष 2011 तक पद पर कार्य करती रही जो साढ़े चार वर्षों से अधिक है जिसके बाद विकास उपायुक्त, चतरा द्वारा उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गयी थी। इस तथ्य को ध्यान में लेना आवश्यक है कि अपीलार्थी को रिट में विरोधी पक्षकार के रूप में अभियोजित किया गया था और उसको नोटिस जारी किया गया था किंतु केवल उसी को ज्ञात कारण से वह पूर्वोक्त रिट याचिका का प्रतिवाद करने उपस्थित नहीं हुई थी। स्वीकृत रूप से, आम सभा आंगनबाड़ी सेविका का चयन करने वाला प्राधिकारी है और प्रत्यर्थी सं॰ 8 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत **श्रीमती शारदा देवी** एवं **श्रीमती तारा देवी (ऊपर)** के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी शक्ति चयन कमिटी में निहित है केवल जो आदेश जारी कर सकती है और बाल विकास प्रोग्राम अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी सेविका को हटाने के लिए अनुशंसा कर सकती है। विकास उपायुक्त को ऐसा आदेश जारी करने की अधिकारिता नहीं है।

8. इस प्रकार, वर्तमान मामला पूर्वोक्त निर्णय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तद्नुसार, हम वर्तमान अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और वर्तमान अपील एतद् द्वारा खारिज की जाती है और दिनांक 21.9.2013 का आक्षेपित आदेश अभिपुष्ट किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

कार्तिक धीबर

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 4654 of 2013. Decided on 1st September, 2014.

सेवा विधि–अनुकंपा नियुक्ति–यद्यपि योजना के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा सामान्य नियम के अपवाद के रूप में और संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 में अंतर्विष्ट समानता प्रावधान के कारण ग्रहणीय हो सकता है, किंतु याची से असंबंधित तत्कालीन चौकीदार की अनुशंसा के आधार पर अथवा वंश के आधार पर नियुक्ति का दावा संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा हिट होगा–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Kumar Nilesh, For the Petitioner; Mr. Shadab Bin Haque, For the State.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. याची वर्तमान रिट आवेदन में निरसा पुलिस थाना, धनबाद में चौकीदार के रूप में नियुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है जहाँ वह काम पर लगाए जाने और तत्कालीन चौकीदार स्व॰ गुही राम सिंह की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 10 मई, 1990 से लगातार कार्यरत है और यह परिशिष्ट 9 के मुताबिक है जो चौकीदार के रूप में नियुक्ति के लिए अक्टूबर, 2000 में किसी समय दिया गया आवेदन बताया जाता है।

3. याची का मामला यह है कि निरसा पुलिस थाना, धनबाद के प्रभारी अधिकारी ने तत्कालीन चौकीदार द्वारा ऐसे नामांकन पर उसकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा किया और इसलिए दिनांक 6.11.1991 के परिपत्र (परिशिष्ट–1) के निबंधनानुसार याची चौकीदार के रूप में नियुक्त किए जाने का हकदार है।

4. प्रत्यर्थी का मामला यह है कि दिनांक 6.11.1991 का उक्त परिपत्र अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के लिए और चौकीदार की सेवा नियमित करने के लिए निर्देश से संबंधित है। परिपत्र दिनांक 6.11.1991 का है और दाखिल की गयी छाया प्रतिलिपि में ऐसे विचार किए जाने के लिए वहाँ दर्शायी गयी कट–ऑफ तिथि पूर्णत: अपठनीय है। प्रासंगिक तिथि 1.1.... अर्थात् उसका वर्ष अपठनीय है।

5. किंतु, वर्तमान मामले में उक्त कट–ऑफ तिथि अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकती है क्योंकि परिशिष्ट–8 पर दस्तावेज द्वारा भी, जो स्वयं प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 1.1.1990 और इसके आगे से गिनी तैयार की गयी बतायी गयी चौकीदारों की सूची है, याची को काम पर लगाया जाना क्रमांक सं॰ 16 पर दिनांक 10.5.2000 के रूप में दर्शाया गया है। याची द्वारा विश्वास किए गए परिशिष्ट 9 के मुताबिक भी, जैसा पहले उपदर्शित किया गया है, याची का उक्त आवेदन दिनांक 16.10.2000 का है। प्रत्यर्थीगण

ने यह अभिवचन भी किया है कि याची तत्कालीन चौकीदार स्व॰ गुही राम सिंह के साथ संबंधित बिल्कुल नहीं है अभिलेख पर गुही राम सिंह की कोई अनुशंसा नहीं है जिसके स्थान पर याची उसकी अनुशंसा पर नियुक्ति का दावा करता है। अत: एक ओर, याची को काम पर लगाया जाना परिशिष्ट–1 पर दर्शायी गयी तिथि अर्थात् दिनांक 6.11.1991 की तुलना में और भी बाद की है और पूर्वोक्तानुसार तात्विक दस्तावेज एवं तथ्य, जो विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, की भी रिट याचिका में कमी है। अन्यथा भी, योजना के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा सामान्य नियम के अपवाद और भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 में अंतर्विष्ट समानता प्रावधान के रूप में ग्रहणीय हो सकता है, किंतु याची से असंबंधित तत्कालीन चौकीदार की अनुशंसा के आधार पर अथवा वंश के आधार पर नियुक्ति का दावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रावधान से हिट होगा जो राज्य के अधीन किसी पद में नियुक्ति से संबंधित मामले में समस्त नागरिकों को अवसर की समानता से संबंधित है। चौकीदार की नियुक्ति निश्चय ही राज्य के अधीन नियोजन है। अत: इन परिस्थितियों में, वर्तमान याची रिट याचिका में हस्तक्षेप का मामला बनाने में विफल रहा है जिसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

शंभु महतो सं॰ 2 (3813 में)

जगदीश साव (3812 में)

आरती देवी (3815 में)

ज्योति लाल महतो (3816 में)

जीतू महतो (3820 में)

करमी देवी एवं अन्य (3831 में)

गोविंद नपित (3881 में)

चिंता देवी (4196 में)

बिनोद महतो (4197 में)

राजू महतो (4198 में)

cuke

मेसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ एवं अन्य (सभी में)

W.P.(S). Nos. 3813, 3812, 3815, 3816, 3820, 3831, 3881, 4196, 4197 with 4198 of 2005. Decided on 19th September, 2014.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन के मामले में।

श्रम एवं औद्योगिक विधि–सेवा समाप्ति–प्रतिकरात्मक नियुक्ति–प्रतिबद्धता के निबंधनानुसार भूमि सौंपने में विफलता–तथ्यों का संपूर्ण विस्तार वर्ष 1981 में याचीगण अथवा उनके पिता की नियुक्ति की वैधता से संबंधित गंभीर संदेह उत्पन्न करता है–रिट अधिकारिता में, न्यायनिर्णीत के अभिवचन पर कोई विनिश्चयकरण अथवा अस्वीकरण के आदेशों को अभिखंडित करते हुए उत्प्रेषण प्रकृति का कोई रिट जारी करना अथवा उनको सेवा में पुनर्बहाल करना समुचित नहीं होगा–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 22 से 26)

निर्णयज विधि.–(2005)6 SCC 791—Distinguished; AIR 1962 SC 132; 2013 (3) JBCJ 97 (HC); 2008 (1) PLJR 841; 2002 (1) JCR 418 (Jhr)—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s M.M. Pal, For the Petitioner; M/s Anoop Kr. Mehta, Amit Kr. Sinha, For the BCCL; M/s Prabhat Singh, Ajit Kumar, For the State.

अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति.–इन समस्त याचिकाओं पर पक्षों के बीच एक ही आधारों पर तर्क एवं प्रतिवाद किया गया है, अत: उन्हें एक साथ सुना गया है। चूँकि याचीगण की शिकायत एक ही हैं, सुविधा के लाभ के लिए, तथ्यों जिन्हें रिट याचिका सं॰ 3813/2005 के संबंध में अभिवचनित किया गया है, इसमें किए गए विवाद को विनिश्चित करने के प्रयोजन से यहाँ गौर किया जा रहा है।

2. याचीगण का मामला यह है कि वर्ष 1981 में प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के अधीन उनकी नियुक्ति के बाद वे तब तक सेवा में बने रहे जबतक प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 22 दिसंबर, 2003 के पत्र द्वारा वर्ष 2003 में उनकी सेवा को इस आधार पर समाप्त नहीं कर दिया कि उन्होंने अपनी भूमि के बदले इस विनिर्दिष्ट शर्त के साथ नियोजन प्राप्त किया था कि वे खनन प्रयोजन से कंपनी के उपयोग के लिए अपनी भूमि सौंप देंगे किंतु वे अपनी प्रतिबद्धता परिपूर्ण करने में विफल रहे और भूमि का रिक्त कब्जा कंपनी को सौंपा नहीं गया था जिसने उक्त भूमि के विरुद्ध इन याचीगण को नियोजन का लाभ देने के प्रयोजन को ही विफल कर दिया। अत:, उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गयी थी क्योंकि नियोजन की नींव और भूमि का विवाद मुक्त करणीय भौतिक कब्जा सौंपा जाना अपरिपूर्ण बना रहा। याचीगण के अनुसार, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के प्रबंधन ने क्वैरिंग, डी–पिल्लरिंग, सैन्ड स्टोइंज बंकर, आदि के प्रयोजन से सेन्द्रा बसजोरा कोलियरी के लिए आवश्यक 51.93 एकड़ भूमि खरीदने के लिए दिनांक 1 अक्टूबर, 1980 को निर्णय लिया। प्रबंधन ने गरेरी गाँव की संपूर्ण भूमि को अर्जित किया और किसी समुचित तलब और रजिस्ट्रेशन आदेश के बिना प्रश्नगत भूमि के ऊपर खनन संकार्य करने लगा। तत्पश्चात् प्रबंधन ने उक्त गाँव के 61.40 एकड़ भूमि के विरुद्ध पैकेज डील में 32 व्यक्तियों को रोजगार दिया और प्रत्येक परिवार जिसकी भूमि अर्जित की गयी थी को एक नौकरी प्रदान किया। इस प्रकार, इन याचीगण को अन्य के साथ वर्ष 1981 में नियुक्त किया गया था और दिनांक 27 मई, 1981 को उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर में खनन प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अनुसरण में, उन्हें नियुक्त किया गया था और प्रत्यर्थीगण के अधीन कर्तव्य के लिए रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।

3. प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा याचीगण की सेवाएँ संपुष्ट की गयी थी और वर्ष 1987 में सेवा पुस्तिका खोली गयी थी और प्रत्येक याचीगण को सेवा उद्धरण की आपूर्ति की गयी थी जिसने उपदर्शित किया कि उनकी आरंभिक नियुक्ति दिनांक 20 मई, 1981 को की गयी थी और सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ खाता भी खोला गया था। दिनांक 22 दिसंबर, 2003 के आदेश, जिसने पूर्वोक्त आधारों पर याचीगण की सेवा समाप्त किया, जारी किए जाने तक याचीगण वर्ष 1981 से कार्यरत रहे थे। जैसा प्रतीत होता है, यद्यपि 32 व्यक्तियों की सेवाएँ समाप्त की गयी थी, केवल 19 व्यक्ति डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 6145/2004 और डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 6483/2004 में दिनांक 22 दिसंबर, 2003 के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष आए। उक्त अवसर पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 4 फरवरी, 2005 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए रिट याचिकाओं को निपटाया कि कंपनी द्वारा की गयी कार्रवाई पूर्णत: न्यायोचित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। किंतु, दूसरी ओर, याचीगण के अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों पर कि वे उस भूमि का विनिर्दिष्ट विवरण देंगे जिसके विरुद्ध उन्होंने/उनके पिता ने दावा

किया और वर्ष 1981 में नियोजन प्राप्त किया और कंपनी की संतुष्टि की अपनी भूमि का करणीय भौतिक कब्जा भी दिया, कंपनी को आदेश के अनुपालन की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

4. याचीगण के अनुसार, प्रत्येक याचीगण ने अपने अभ्यावेदनों के माध्यम से अर्जित भूमि का विवरण प्रस्तुत किया जिनमें से एक डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3813/2005 का परिशिष्ट 7 है। याचीगण ने अभिवचन किया कि एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 के तहत भूमि अर्जन विभाग द्वारा अर्जित भूमि के विरुद्ध नियुक्ति दी गयी थी और प्रबंधन ने वर्ष 1981 में उक्त भूमि के ऊपर खनन कार्य शुरू किया। याची ने अपने अभ्यावेदन में आगे कथन किया कि उसका पहले ही अर्जित कर ली गयी भूमि के साथ कोई सरोकार नहीं था और किसी ने भी उक्त भूमि के विरुद्ध प्रबंधन के समक्ष किसी सेवा का दावा नहीं किया था और न ही उन्होंने किसी अन्य को भूमि बेचा था। प्रबंधन ने उक्त भूमि के ऊपर कार्य शुरू किया है जो जाँच का मामला है और निरीक्षण इसे स्पष्ट बनाएगा कि भूमि पर काम किया गया है और प्रबंधन ने पहले ही याचीगण की भूमि से कोयला निकाला है। याची ने एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में अधिनिर्णय का छाया प्रतिलिपि संलग्न किया।

तत्पश्चात, प्रत्यर्थी नियोक्ता ने दिनांक 20 मई, 2005 के आदेश (परिशिष्ट 8) द्वारा याची के अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इसने उसमें उपदर्शित भूमि के कुल क्षेत्र पर याची का हिस्सा प्रकट नहीं किया था और चूँकि समस्त एवार्डियों ने इसके पक्ष में अपनी सहमति नहीं दिया है, आवेदक के पिता गिमा महतो द्वारा भूमि एवं घर के विरुद्ध गलत रूप से एवं अवैध रूप से नियुक्ति प्राप्त की गयी थी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जंगिया देवी नियोजन में थी और उसकी मृत्यु के बाद आवेदक सेवा में आया। याची का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उसने भूमि एवं विद्यमान घरों के अन्य एवार्डियों की सहमति की कमी के कारण भूमि का करणीय भौतिक कब्जा नहीं दिया था। अत: याची का नियोजन वापस लिया जाना पूर्णत: न्यायोचित एवं वैध था। अपनी परस्पर रिट याचिकाओं में वर्तमान प्रत्येक याचीगण द्वारा दिया गया ऐसा समरुप अभ्यावेदन भी कमोबेश समरुप आधारों पर प्रत्यर्थीगण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अत: याचीगण अपने अभ्यावेदन के अस्वीकरण के आदेशों, उदाहरणस्वरुप, डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3813/2005 में याची के मामले में दिनांक 20 मई, 2005 का ऐसा आदेश, के विरुद्ध इस न्यायालय के पास आए।

5. याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को दी गयी अपनी चुनौती के समर्थन में निम्नलिखित निवेदन किया है:

कि किसी अनुशासनिक कार्यवाही और दोष के निष्कर्ष के बिना 22 वर्षों की संपुष्ट सेवा के बाद प्रभावी रूप से उनका नियोजन समाप्त करने के विरुद्ध उनके अभ्यावेदन के अस्वीकरण का आदेश विधि में दोषपूर्ण है। भले ही नियोक्ता को भूमि का करणीय भौतिक कब्जा प्रदान करने में विफलता का ऐसा अभिकथन किया गया है, यह अवचार की प्रकृति का हो सकता था जिसकी जाँच उनकी सेवा समाप्त करने के पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन में याचीगण को सम्यक अवसर देने के बाद विभागीय कार्यवाही के माध्यम से से की जानी चाहिए थी। यह अभिकथन कि प्रत्येक याचीगण द्वारा भूमि का करणीय भौतिक कब्जा जिसके बदले उन्हें नियोजन दिया गया था प्रदान नहीं किया गया है, ताथ्यिक रूप से सही नहीं है जैसा स्वयं वर्तमान रिट आवेदन में दिनांक 22 जुलाई, 2011 को पारित इस न्यायालय के आदेशों पर उपायुक्त, धनबाद द्वारा संचालित जाँच से प्रकट होगा। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3813/2005 में याची के संबंध में, स्थल सत्यापन रिपोर्ट उपदर्शित करता है कि भूमि बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के कब्जा

में है। उक्त याची 3.57 एकड़ माप वाले भूमि पर काबिज नहीं है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ 3812/2005 के याची के संबंध में उपायुक्त की दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 की रिपोर्ट कहती है कि उक्त याची प्रश्नगत भूमि पर काबिज नहीं है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3815/2005 के संबंध में उक्त रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि संपूर्ण भूमि अर्थात् 1.05 एवं 1/2 एकड़ भूमि में से केवल .05 डिसमिल भूमि स्वर्गीय सीताराम प्रामाणिक की पत्नी के कब्जा में है और याची एवार्डी की बहु है। जहाँ तक डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3616/2005 के याची का संबंध है, स्थल सत्यापन रिपोर्ट प्रकट करती है कि एवार्डी का पुत्र याची भूमि पर काबिज नहीं है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3820/2005 के याची के संबंध में स्थल सत्यापन दर्शाती है कि केवल 0.6 डिसमिल भूमि इस याची के कब्जा में है और संपूर्ण भूमि बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के कब्जा में है। उक्त याची एवार्डी का पुत्र है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3831/2005 की याची जो एवार्डी की बहु है, उक्त रिपोर्ट के मुताबिक भूमि पर काबिज नहीं है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3881/2005 के याची के संबंध में भी रिपोर्ट दर्शाता है कि वह भूमि पर काबिज नहीं है और वह एवार्डी का भतीजा है। जहाँ तक डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 4196/2005 के याची का संबंध है, वह एवार्डी की बहु है और प्रश्नगत भूमि पर काबिज नहीं है बल्कि यह बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के कब्जा में है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 4197/2005 में याची एवार्डी का पुत्र है और स्थल सत्यापन रिपोर्ट उपदर्शित करता है कि प्रश्नगत भूमि उक्त याची के कब्जा में नहीं है बल्कि बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के अधीन है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 4198/2005 में याची के संबंध में उक्त रिपोर्ट दर्शाता है कि उक्त याची प्रश्नगत भूमि पर काबिज नहीं है बल्कि यह बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के कब्जा में है।

6. अत:, याचीगण के अनुसार, अस्वीकरण का आधार अभिलेख एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए अभिवचन के विपरीत है। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 22 दिसंबर, 2003 के मूल आदेश में, जिसे पूर्व रिट याचिका में चुनौती दी गयी थी, आधार लिया गया था कि भूमि का करणीय भौतिक कब्जा नहीं दिया गया है जबकि अस्वीकरण के आदेश में, वर्तमान रिट याचिकाओं में आक्षेपित एक नया आधार जोड़ा गया है कि एवार्डियों की सहमति याचीगण के पक्ष में नहीं दी गयी है जो उनकी नियुक्ति के लिए पूर्वशर्त भी नहीं था। यह निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के मुख्य अंश का उपयोग बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा खनन प्रयोजन से किया गया है और कुछ भूमि पर कंपनी के कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण भी किया गया है जबकि कुछ भूमि परती अथवा पाधु भूमि बनी हुई है। साथ ही, कुछ भूमि पर मलबा/क्वैरी खदान/तालाब है। अंचल धनबाद, खाता सं॰ 37,8,9 और 1 की मौजा गरारी थाना 6 की संपूर्ण भूमि एल॰ ए॰ सं॰ 30/85-86 के अधीन अर्जित की गयी थी और वे बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के करणीय भौतिक कब्जा के अधीन हैं और अधिकार अभिलेख में बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ का नाम दर्ज किया गया है। बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ ने अपने पक्ष में अधिकार अभिलेख के सृजन के लिए सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम के अधीन वाद भी दाखिल किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र ने भी संपुष्ट किया है कि याची की सेवा पुस्तिका और फॉर्म बी॰ रजिस्टर भी तैयार की गयी थी जो खान अधिनियम के अधीन सांविधिक दस्तावेज हैं और उनका विधिक एवं साक्ष्यिक मूल्य है जहाँ तक नियुक्ति के प्रश्न का संबंध है। यह निवेदन किया गया है कि फॉर्म बी॰ रजिस्टर, जिसे प्रत्यर्थी के दिनांक 6 मार्च, 2014 के पूरक प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है, का परिशीलन दर्शाता है कि उन्हें मूल अभिलेख से सत्यापित किया गया है। याचीगण ने प्रत्यर्थीगण के अभिवचन को आगे चुनौती दिया

है कि इन याचीगण में से किसी का नियुक्ति पत्र अथवा वर्ष 1981-82 का कोई समकालीन दस्तावेज यह दर्शाने के लिए नहीं है कि वैधरूप से उनकी नियुक्ति की गयी थी और कि इन याचीगण ने वैध तरीके से सेवा में प्रवेश किया है। यह निवेदन किया गया है कि प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा यदि इस न्यायालय के निर्देश के बावजूद नियुक्ति की निर्णय लेने वाली प्रक्रिया से संबंधित प्रासंगिक अभिलेखों को प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्वोक्त निवेदन के समर्थन में, **एच॰ डी॰ सिंह बनाम भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य, AIR 1986 SC 132,** मामले में निर्णय पर विश्वास किया गया है। आगे, **रघु हाजरा बनाम मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि॰ एवं अन्य, 2013 (3) JBCJ 97 (HC),** मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास यह निवेदन करने के लिए किया गया है कि सांविधिक फॉर्म बी॰ रजिस्टर को उसके अधीन की गयी प्रविष्टियों के संबंध में एक पक्षीय रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में कि जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अधीन आवश्यक है, प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना याचीगण की सेवा समाप्ति विधि में दोषपूर्ण है, **रामकृष्ण दूबे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 2008 (1) PLJR 841, में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है। आगे, **कारू नोनिया बनाम भारत कोकिंग कोल लि॰ एवं अन्य, 2002 (1) JCR 418 (Jhr.)** मामले में दिए गए निर्णय पर भी विश्वास किया गया है। याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन मामलों, विनिर्दिष्टत: सह-एवार्डियों की सहमति की गैर प्रस्तुति के आधार पर याचीगण के अभ्यावेदन के अस्वीकरण के संबंध में, को बढ़ाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये न्याय निर्णयन के विषय वस्तु नहीं हैं। इसके समर्थन में, **एम॰ पुरन्दर एवं अन्य बनाम महादेशा एस॰ एवं अन्य, (2005)6 SCC 791,** मामले में दिए गए निर्णय पर भी विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया है।

7. प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुमार मेहता के माध्यम से किया गया है। उन्होंने रिट याचिकाओं में की गयी प्रार्थना की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है जहाँ याचीगण के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए और उनको याचीगण को पदग्रहण करने की अनुमति देने के लिए कहते हुए दिनांक 20 मई, 2005 के आदेश को चुनौती दी गयी है; याचीगण ने दिनांक 22 दिसंबर, 2003 के आदेश (परिशिष्ट-5)के स्थगन के लिए कहा है। किंतु, याचीगण की सेवा समाप्ति के एक मूल आदेश को मुकदमे के इस चक्र में चुनौती नहीं दी गयी है।

8. ये समस्त याचीगण पूर्व मामलों अर्थात् डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 6145/2005 और डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 6483/2004 में रिट याचीगण थे। वर्तमान याचीगण में से कुछ पूर्वोक्त दो मामलों में मूल याचीगण के विधिक प्रतिनिधि हैं। विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 4 फरवरी, 2005 की पूर्व रिट याचिका (परिशिष्ट-6) में इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा दिया गया निर्णय प्रस्तुत किया है और निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय ने स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया कि कंपनी की कार्रवाई पूर्णत: न्यायोचित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उक्त निर्णय द्वारा, दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती से संबंधित विवाद्यक अंतिमता प्राप्त कर चुका है क्योंकि तत्पश्चात याचीगण द्वारा अपील दाखिल नहीं की गयी थी। उक्त आदेश के अंतिम होने के नाते याचीगण को अपनी सेवा समाप्ति के मूल आदेश को चुनौती देने के लिए कोई आधार उठाने से अपवर्जित किया गया है क्योंकि यह न्यायनिर्णीत अथवा आन्वयिक न्याय निर्णीत द्वारा वर्जित होगा। पूर्वोक्त विवाद्यक पर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णय पर विश्वास किया है:-

(i) ***AIR 1961 SC 1457*** *ijk 19 ¼nfj;kvk ,o vU; cuke mO çO jkT; ,o vU;½*

(ii) ***1977 (2) SCC 806*** *¼mO çO jkT; cuke uokc glu½*

(iii) ***1998 (4) SCC 361*** *ijk 11 l 14 ¼v'kkd dekj JhokLro cuke u'kuy b';kjl diuh fyO ,o vU;½*

(iv) ***2004 (1) SCC 68*** *ijk 10 ,o 11 ¼ikfMpjh [kknh ,o xkE m|kx ckM cuke ihO dykFkxu ,o ,d vU;½*

9. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण का अभ्यावेदन, उदाहरणस्वरुप डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3813/2005 का परिशिष्ट–7, दर्शाता है कि केवल भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन नोटिस संलग्न की गयी है और उसके साथ विक्रय विलेख, खतियान अथवा लगान रसीदों की प्रति संलग्न नहीं की गयी है। अभ्यावेदन पर, केवल इस टिप्पणी के साथ कि उन्हें अर्जित किया गया है, 3.57 एकड़ वाले कतिपय भूखंड संख्याओं को देते हुए सरल चार्ट संलग्न किया गया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि याचीगण के अभ्यावेदन के परीक्षण पर, यह प्रकट होता है कि अभ्यावेदन के मुख्य भाग में उपदर्शित भूमि के कुल क्षेत्र पर याचीगण के हिस्सा का प्रकटकरण नहीं है। भूमि विवरण और भूमि के कब्जात्मक दर्जा का उक्त प्रयोजन से गठित कमिटी द्वारा सावधानीपूर्वक संवीक्षण किया गया था। अपने अभ्यावेदन में याचीगण ने न तो उक्त भूमि के अर्जन के बारे में उल्लेख किया है और न ही एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में अधिनिर्णय की संख्या अथवा एवार्डियों का नाम उपदर्शित किया गया था। भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया था कि 3.57 एकड़ माप वाली भूमि अधिनिर्णय सं॰ 1, 79, 85 एवं 86 से 91, 9 एवं 10 में एल॰ ए॰ सं॰ 30/85-86 में अर्जित भूमि थी। अधिनिर्णय सं॰ 1 हरकू महतो के नाम मे था किंतु एल॰ ए॰ न्यायाधीश के समक्ष खिरु महतो और काशी महतो द्वारा आपत्ति दाखिल की गयी थी। अत: भुगतान निर्मुक्त नहीं किया गया था। अधिनिर्णय सं॰ 9 मो॰ सादिक के पक्ष में घोषित किया गया था जो याचीगण के समुदाय से आता तक नहीं था। अधिनिर्णय सं॰ 10 सफरुद्दीन अंसारी के नाम में घोषित किया गया था जो भी याचीगण के समुदाय से नहीं आता था। शेष अधिनिर्णयों को भूखंड सं॰ 28, 29 एवं 30 पर घरों के संबंध में आशु महतो एवं विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में घोषित किया गया था। उन्होंने निवेदन किया कि संवीक्षण से प्रकट हुआ कि समस्त एवार्डियों द्वारा उसके पक्ष में सहमति नहीं दी गयी थी और इसलिए, याची के पिता गिमा महतो द्वारा पायी गयी नियुक्ति अवैध और गलत थी और इसलिए, याचीगण की नियुक्ति भी अवैध थी। अत:, प्रबंधन ने अपना निर्णय दिया कि याची भूमि एवं विद्यमान घरों के अन्य एवार्डियों की सहमति की कमी के कारण भूमि का करणीय भौतिक कब्जा देने की अवस्था में नहीं है। अत: गलत रूप से प्राप्त की गयी याची की नियुक्ति की वापसी पूर्णत: न्यायोचित एवं वैध थी। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूर्व रिट याचिका में सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद याचीगण को अपने अभ्यावेदन के अस्वीकारण के आक्षेपित आदेश को अब चुनौती देकर कोई अभिवचन जैसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन, अनुशासनिक कार्यवाही की आवश्यकता, आदि करने से अपवर्जित किया गया है और यह न्याय निर्णीत अथवा आन्वयिक न्यायनिर्णीत के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है। विवाद्यक के पहले ही अंतिमता प्राप्त कर लेने पर इस न्यायालय को याचीगण को ऐसे किसी आधार पर सेवा समाप्ति के आदेश की वैधता से संबंधित ऐसे प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

10. समस्त याचीगण के मामलों को बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक ही आधारों पर चुनौती दी गयी है कि उसमें उठाए गए विवाद्यक तथ्य के विवादित प्रश्नों पर आधारित है जिसे रिट

अधिकारिता के अधीन कार्यवाही में विनिश्चित नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि याचीगण का मामला यह है कि उन्होंने प्रत्यर्थीगण को भूमि का करणीय भौतिक कब्जा परिदान किया है, प्रत्यर्थीगण ने पूर्वोक्त बयानों से स्पष्टत: इनकार किया है कि जो कमिटी के निष्कर्षों द्वारा समर्थित है जिसने पूर्व रिट याचिका में दिनांक 4 फरवरी, 2005 को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के मुताबिक रिट याचीगण पूर्व अभ्यावेदन पर विचार किया।

11. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी राज्य अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 के प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से दाखिल उपायुक्त, धनबाद की रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। उन्होंने वर्ष 1985-86 की भूमि अर्जन कार्यवाही, जिसके अधीन ऐसी भूमि अर्जित की गयी थी, में अंतर्विष्ट दस्तावेजों के आधार पर प्रत्यर्थी राज्य की ओर से दाखिल दिनांक 26 मार्च, 2014 के पूरक प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट आगे प्रस्तुत किया है। उनकी ओर से इंगित किया गया है कि डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3813/2005 में याची के संबंध में दोनों रिपोर्ट कहती है कि वह एवार्डी का पुत्र नहीं है बल्कि एवार्डी का मित्र है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3812/2005 में याची के संबंध में टिप्पणियाँ की गयी हैं कि उसका एवार्डी के साथ कोई संबंध नहीं है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 4198/2005 में याची के संबंध में समरुप टिप्पणी की गयी है कि उसका एवार्डी के साथ संबंध नहीं है। इसी समय पर यह निवेदन किया गया है कि उपायुक्त, धनबाद की नयी रिपोर्ट में, जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेश के अनुसरण में जाँच एवं निरीक्षण के आधार पर तैयार किया गया था, प्रत्येक याचीगण के मामले में एक पंक्ति के बयान कि याचीगण भूखंड पर नहीं रह रहे हैं अथवा कुछ मामलों में रह रहे हैं, के सिवाए कोई विवरण नहीं है। वर्तमान रिपोर्ट रहस्यमय होने के नाते इस पर प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2011 को दाखिल अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से गंभीर रूप से आपत्ति की गयी है जिसमें उन्होंने प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की कमिटी द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट के भौतिक सत्यापन पर दिनांक 31 दिसंबर, 2011 को प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट को भी संलग्न किया है। यह प्रत्येक याचीगण की भूमि के कब्जा के संबंध में गंभीर विवाद उठाता है। उक्त रिपोर्ट स्वयं प्रकट करता है कि यद्यपि कुछ भूमि बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के कब्जा में है, किंतु अधिकांश भूमि बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के कब्जा में नहीं है। अत:, अपनी भूमि का व्यवहारिक भौतिक कब्जा सौंपने के बदले प्रत्येक याचीगण द्वारा प्राप्त की गयी नियुक्ति की वैधता से संबंधित विवाद्यक तथ्य के विवादित प्रश्नों पर आधारित है जिसे रिट अधिकारिता के अधीन कार्यवाही में विनिश्चित नहीं किया जा सकता है। पूर्वोक्त निवेदनों के समर्थन में, **भारत संघ एवं अन्य बनाम घौस मोहम्मद, AIR 1961 SC 1526,** उसका पैरा 7; और **अध्यक्ष, ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि॰ (जी॰ आर॰ आई॰ डी॰ सी॰ ओ॰) एवं अन्य बनाम सुकमनी दास (श्रीमती) एवं एक अन्य, 1999 (7) SCC 298,** उसका पैरा 6 से 8, मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विश्वास किया गया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उक्त के अतिरिक्त, वर्तमान रिट आवेदनों में पहले पारित आदेशों के तहत इस न्यायालय ने प्रत्येक याचीगण के नियुक्ति पत्रों, निर्णय लेने की प्रक्रिया, यदि हो, योजना और अभिलेख, यदि हो, से संबंधित अभिलेख जो नियुक्ति पाने वाले के मामलों को प्रायोजित करने वाले प्रत्येक सह अंशधारियों की सहमति अथवा अनापत्ति अंतर्विष्ट करता है, को प्रस्तुत करने का निर्देश प्रत्यर्थीगण को देकर याची की नियुक्ति की वास्तविकता की जाँच करने

का विनिर्दिष्ट प्रयास किया। यह निवेदन किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सम्मान में प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ ने याचीगण की मूल नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों का पता लगाने के लिए कमिटी गठित करके गंभीर प्रयास किया। किंतु, ऐसा कोई नियुक्ति पत्र नहीं पाया गया है और न ही याचीगण जो वर्ष 1981 में सेवा में प्रवेश करने का दावा करते हैं की नियुक्ति का निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध है। किंतु, यदि सेवा उद्धरण, फॉर्म बी॰ रजिस्टर, आदि जैसे अभिलेख हैं, वे वर्ष 1986-87 में तैयार किए गए पश्चातवर्ती दस्तावेज हैं जो मूल दस्तावेजों की अनुपस्थिति में इन नियुक्ति की वास्तविकता के बारे में संदेह उत्पन्न करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थीगण ने संपूर्ण मामले में निगरानी जाँच के संस्थापन के लिए निर्देश दिया है जिसमें वर्तमान में जाँच की जा रही है। ऐसी निगरानी जाँच प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कृत्य एवं लोप तथा समय के प्रासंगिक बिंदु पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए और उसके बलबूते पर तत्पश्चात सेवा में बने रहने की इन याचीगण की मौनानुकूलता प्रकट कर सकती है। सी॰ बी॰ सी॰ अधिनियम, 2002 के अधीन नियुक्ति मुख्य निगरानी अधिकारिता की अध्यक्षता में निगरानी विभाग को मामले में जाँच करने के लिए कहा गया है जिसे इसे दिनांक 24 जून, 2013 को निर्दिष्ट किया गया है। यह इंगित किया गया है कि राजू महतो एवं करनी देवी जैसे याचीगण में से कुछ मूल कर्मचारियों/याचीगण के विधिक उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने समरुप तरीके से अपनी नियुक्ति प्राप्त किया था। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता इंगित करते हैं कि 32 व्यक्ति थे जिन्हें समरुप और इसी तरीके से नियुक्त किया गया था और जिनकी सेवाएँ दिसंबर, 2003 में समाप्त कर दी गयी थी जिसमें से केवल 10 व्यक्ति अपने अभ्यावेदन के अस्वीकरण के आदेशों को चुनौती देने के लिए रिट आवेदनों के वर्तमान समूह में आगे आए हैं। यह निवेदन किया गया है कि विचित्र रूप से प्रत्येक याचीगण ने वर्ष 1981 में भूमि खोने वाले के रूप में नियोजन पाने का दावा किया किंतु स्वयं प्रश्नगत भूमि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के भाग VII के विशेष प्रावधानों के अधीन प्रत्यर्थी कंपनी के लिए विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, धनबाद के कार्यालय द्वारा आरंभ की गयी कार्यवाही के अधीन अर्जित की गयी है। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने जोरदार निवेदन किया कि कोई रिट अथवा परमादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए जब याचीगण के मामला का संपूर्ण महल तथ्य के विवादित प्रश्नों पर आधारित है। प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि भले ही प्रत्येक याचीगण का नियुक्ति पत्र प्रत्यर्थीगण के पास नहीं हो सकता है, किंतु कम से कम याचीगण को स्वयं अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जिसके अधीन उन्होंने वर्ष 1981 में नियुक्ति पाने का दावा इस आधार पर किया कि उन्होंने अपनी भूमि गवाँ दी थी। इन याचीगण में से किसी ने ऐसा नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जो स्वयं संपूर्ण नियुक्ति की वास्तविकता के बारे में संदेह सृजित करता हो जिसे सही प्रकार से निगरानी जाँच के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

12. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेशों पर उपायुक्त, धनबाद ने भूमि अर्जन अधिकारी, धनबाद की मदद से अर्जित भूमि के संबंध में वास्तविक कार्यकलापों से संबंधित जाँच किया और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 के शपथपत्र के माध्यम से दाखिल किया गया है। दिनांक 11 दिसंबर 2013 को आगे दाखिल शपथ पत्र में यह भी उपदर्शित किया गया है कि ग्राम गररिया, झरिया में 46.55 एकड़ भूमि के संबंध में स्वामित्व प्रमाण पत्र बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को वर्ष 1993 में सौंपा गया था। यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 15 मई, 1993 को प्रत्यर्थी राज्य की ओर से एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 के माध्यम से भूमि अर्जित की गयी थी और इसे स्वामित्व प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को सौंपा गया था। प्रत्यर्थी

राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि भूमि अर्जन कार्यवाही के अभिलेख में प्रत्येक याचीगण के विवरण को दिनांक 26 मार्च, 2014 के शपथपत्र के परिशिष्ट S-I-A के रूप में चार्ट के जरिए भी प्रस्तुत किया गया है जो स्वयं सिद्ध है।

13. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में निवेदन दोहराया है कि सांविधिक अभिलेख, जैसे फॉर्म बी॰ रजिस्टर और वर्ष 1987 के सेवा उद्धरणों, को वर्ष 1981 से 22 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के नियोजन के अधीन याचीगण की सेवा को संपुष्ट करते हुए उसमें उपदर्शित मूल के आधार पर तैयार किया गया है। प्रत्यर्थीगण ने पूर्णत: असंपोषणीय आधारों पर उनका नियोजन समाप्त करना चुना है कि उन्होंने भूमि का वास्तविक व्यवहारिक भौतिक कब्जा सौंपे बिना अपना नियोजन प्राप्त किया। उन्होंने प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा दाखिल 26 जून, 2014 के प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–A पर विश्वास किया है जिसके मुताबिक महाप्रबंधक, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ ने इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेशों के बाद की गयी जाँच के दौरान इस तथ्य को ध्यान में लिया है कि भूमि गँवाने वाले 30-40 लोगों को भविष्यलक्षी प्रभाव से नियोजन दिया जाएगा। यह उपदर्शित करता है कि यद्यपि वास्तविक भूमि अर्जन शायद बाद में किया गया था, भूमि खोने वालो, जिनकी भूमि का उपयोग बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा वर्ष 1980-81 से और इसके आगे किया जा रहा था, को इसके बदले नियोजन दिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि वर्ष 1981 के दस्तावेजों की धुंधली प्रति को निर्दिष्ट किया गया है किंतु प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष सृजित करेगा। आगे यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान रिट आवेदनों में न्याय निर्णीत के आधार नहीं बनाए गए हैं क्योंकि पूर्व रिट याचिका में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय ने अंतिम रूप से विवाद्यक विनिश्चित नहीं किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मत देने के बाद कि प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई पूर्णत: न्यायोचित थी, याचीगण को भूमि जिसे नियोजन के बदले प्रत्यर्थीगण को सौंपा गया था का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी और उस पर प्रत्यर्थीगण को याचीगण के दावा पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। अत:, पूर्विक रिट याचिका को अंतिम रूप से विवाद्यक विनिश्चित करता हुआ नहीं कहा जा सकता है और न ही उक्त रिट याचिका खारिज की गयी थी बल्कि निपटायी गयी थी। याचीगण ने अपने पूर्वोक्त प्रतिवाद के समर्थन में **बैजनाथ शर्मा बनाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं एक अन्य, 1998 (7) SCC 44,** उसका पैरा 5, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है कि जब अभ्यावेदन को निपटाए जाने का निर्देश दिया गया है, इसका अस्वीकरण नयी रिट याचिका दाखिल करने में याचीगण के लिए न्यायनिर्णीत के आधार पर वर्जना के रूप में कृत्य करता नहीं कहा जा सकता है। **मथुरा प्रसाद बाजू जायसवाल एवं अन्य बनाम दोएसीबाई एन॰ बी॰ बी॰ जीजीभाय, (1970)1 SCC 613,** मामले में निर्णय पर भी विश्वास किया गया है कि विधि के शुद्ध प्रश्न पर जिसे अपनी नियुक्ति की अवैध रूप से समाप्ति के संबंध में याचीगण द्वारा उठाया जा रहा है, इसे न्यायनिर्णीत के सिद्धांतों पर वर्जित नहीं कहा जा सकता है। आक्षेपित आदेश याचीगण को भिन्न वाद हेतुक देता है जिसे न्यायनिर्णीत द्वारा वर्जित नहीं किया जा सकता है।

14. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के नए आधार का विरोध करने के बिंदु पर अपने निवेदनों को दोहराया है कि याचीगण ने नियोजन प्राप्त करते हुए सह–एवार्डियों की सहमति दाखिल नहीं किया था यद्यपि सेवा समाप्ति के मूल आदेश में लिया गया एकमात्र आधार यह था कि संबंधित याचीगण द्वारा प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को भूमि का वास्तविक व्यवहारिक

कब्जा सौंपा नहीं गया था। ऐसा भूमि जिसे अर्जित किया गया है और जिसके संबंध में स्वयं वर्ष 1993 में भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा उनको स्वामित्व प्रमाण पत्र भी सौंपा गया है, के ऊपर ऐसे किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए विधि के अनुरुप कदम उठाना प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ का काम है। याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने दिनांक 11 फरवरी, 2009 के पूर्व आदेशों को निर्दिष्ट किया है जो उपदर्शित करेगा कि पूर्व रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिव्यक्त मत विवाद्यक पर अंतिम न्याय-निर्णयन के तुल्य नहीं था। तत्पश्चात्, दिनांक 27 जुलाई, 2001 के आदेश सं॰ 8 सहित वर्तमान रिट आवेदनों में अनेक आदेश पारित किए गए हैं जिसके द्वारा उपायुक्त, धनबाद को जाँच करने का निर्देश दिया गया था। अत:, मामले को पूर्विक निर्णय की दृष्टि में अंतिमता प्राप्त करता नहीं कहा जा सकता है और यह न्याय-निर्णीत अथवा आन्वयिक न्यायनिर्णीत द्वारा वर्जित नहीं है। याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि वर्तमान प्रश्न उन आधारों तक सीमित है जिन पर प्रत्यर्थीगण द्वारा याचीगण की सेवा समाप्त की गयी है और विवाद्यक जो इस न्यायालय के समक्ष नहीं है को रिट कार्यवाही के विस्तार में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। **एम॰ पुरन्दर एवं अन्य बनाम महादेशा एस॰ एवं अन्य, (2005)6 SCC 791,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास किया गया है। अंत में, उनकी ओर से यह निवेदन किया गया है कि अवचार के आरोप के प्रमाण की ओर ले जाने वाली किसी अनुशासनिक जाँच के बिना 22 वर्षों बाद याचीगण की सेवा समाप्त करने के लिए प्रत्यर्थीगण के पास औचित्य नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी नियोक्ता कृत्यों अथवा लोपों का पता लगाने के लिए निगरानी जाँच करने का हकदार हो सकता है यदि याचीगण की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों को विनष्ट कर दिया गया है अथवा उनके कार्यालय में नहीं पाया गया है। किंतु, प्रत्यर्थीगण की ओर से याचीगण की नियुक्ति की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अत: रिट याचीगण ने वर्ष 2003 से सेवा से बाहर होने के नाते आक्षेपित आदेश के अभिखंडन के लिए निर्देश और उनको अपनी सेवा ग्रहण करने की अनुमति के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश इप्सित किया है।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन करने के बाद प्रथम प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, न्यायनिर्णीत और आन्वयिक न्यायनिर्णीत के आधारों पर रिट याचिका की पोषणीयता से संबंधित है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 6145/2004 और 6483/2004 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश पदों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर दिनांक 4 फरवरी, 2005 के निर्णय के तहत इस निश्चित निष्कर्ष पर आए कि कंपनी द्वारा की गयी कार्रवाई पूर्णत: न्यायोचित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यायालय के मत में याचीगण अपने पिता द्वारा कंपनी को दिए गए वचन जिसके अधीन उन्होंने नियोजन पाया था, द्वारा बाध्य थे। याचीगण की नियुक्ति इस आधार पर समाप्त की गयी थी कि उन्होंने विनिर्दिष्ट शर्त कि वे खनन प्रयोजन से कंपनी के उपयोग के लिए भूमि सौंपेंगे, के साथ अपनी भूमि के बदले नियोजन प्राप्त किया था किंतु वे अपनी प्रतिबद्धता परिपूर्ण करने में विफल रहे। किंतु, तत्पश्चात विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचीगण को अपनी भूमि का विनिर्दिष्ट विवरण देने और निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर भूमि का व्यवहारिक भौतिक कब्जा सौंपने (यदि इसे पहले ही कंपनी के संतोषानुसार नहीं दिया गया है) की अनुमति दी जिसके विरुद्ध उन्होंने/उनके पिता ने वर्ष 1981 में नियोजन पाया। पूर्वोक्त शर्तों के अनुपालन पर कंपनी को किसी विलंब के बिना कमिटी की अनुशंसा पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। अत:, प्रकटत: यह प्रतीत होता है कि यद्यपि विद्वान न्यायालय ने सेवा समाप्ति के आदेश में

हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया था किंतु इसने भूमि का कब्जा सौंपने से संबंधित विवाद्यक को एक बार फिर विनिर्दिष्ट विवरण देकर स्थापित किया जाना याचीगण पर छोड़ दिया जिस पर प्रत्यर्थी कंपनी को कमिटी की अनुशंसा पर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया गया था।

16. यद्यपि याचीगण ने उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दाखिल नहीं किया था किंतु उन्होंने अर्जित की गयी बतायी गयी भूमि, जिसका व्यवहारिक कब्जा सौंप देने का दावा उन्होंने किया था, का विवरण देते हुए अभ्यावेदन दाखिल किया। पूर्व अवसर पर, यद्यपि याचीगण ने यह अभिवचन भी किया था कि नोटिस जारी किए बिना और विभागीय कार्यवाही के बिना सेवा समाप्ति के आदेश पारित किए गए थे, विद्वान न्यायालय ने पक्षों के परस्पर निवेदनों पर विचार करने पर स्पष्टत: संप्रेक्षित किया था कि कंपनी द्वारा की गयी कार्रवाई न्यायोचित थी और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। अत: यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल उस भूमि, जिसके अधीन याचीगण ने नियोजन पाया और अपनी भूमि का व्यवहारिक कब्जा भी सौंपा था, के विनिर्दिष्ट विवरण के संबंध में विवाद्यक आगे परीक्षण किए जाने के लिए छोड़ दिया। याचीगण के अभ्यावेदन पर कमिटी द्वारा विवाद्यक का परीक्षण किया गया था जिसकी अनुशंसा पर (आक्षेपित) अस्वीकरण आदेशों को इस आधार पर पारित किया गया है कि एवार्डियों ने प्रत्येक याचीगण अथवा उनके पिता के पक्ष में सहमति नहीं दिया था और इसलिए नियुक्ति गलत रूप से एवं अवैध रूप से प्राप्त की गयी थी। वर्तमान रिट आवेदन में प्रत्यर्थीगण की ओर से न्यायनिर्णीत का अभिवचन भी किया गया था जैसा दिनांक 11 दिसंबर, 2009 के आदेश में परिलक्षित है। उक्त आदेश के अनुसरण में, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया था जिन्होंने पहले याचीगण के मामले में दिनांक 4 फरवरी, 2005 का निर्णय दिया था। तत्पश्चात, दिनांक 22 जुलाई, 2011 को पारित आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि एवार्डियों द्वारा बी० सी० सी० एल० को भूमि का कब्जा सौंपे जाने के प्रश्न पर उपायुक्त, धनबाद से एल० ए० केस सं० 30/85-86 के संबंध में बी० सी० सी० एल० द्वारा अर्जित 46.55 एकड़ भूमि सहित 61.04 एकड़ माप वाली उक्त भूमि के संबंध में वास्तविक कार्यकलाप की स्थिति के संबंध में याचीगण अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निजी बातचीत द्वारा भूमि अर्जन अधिकारी, धनबाद, संबंधित क्षेत्र के अंचलाधिकारी, और संपदा अधिकारी, सिजुआ क्षेत्र, बी० सी० सी० एल०, धनबाद की मदद से जाँच करने का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात, उपायुक्त, धनबाद द्वारा मामले की जाँच की गयी थी और रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया है जैसा पहले परस्पर विरोधी पक्षों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अत: यह स्पष्ट है कि यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूर्व अवसर पर अभिनिर्धारित किया था कि कंपनी की कार्रवाई पूर्णत: न्यायोचित थी और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी किंतु उसी निर्णय में किए गए विनिर्दिष्ट संप्रेक्षण की दृष्टि में विवाद समाप्त नहीं हुआ था। वर्तमान मामले में पहले पारित पश्चातवर्ती आदेशों ने भी उपदर्शित किया कि याचीगण की सेवा समाप्ति से संबंधित प्रश्न में आगे जाँच की गयी है। तथ्यों के पूर्वोक्त पृष्ठभूमि के समेकित अधिमूल्यन पर यह न्यायालय प्रत्यर्थीगण के इस अभिवचन को स्वीकार करने में अनिच्छुक होगा कि याचीगण की सेवा की समाप्ति का विवाद्यक अंतिमता प्राप्त कर चुका है और यह न्यायनिर्णीत अथवा आन्वयिक न्यायानिर्णीत के अधिकार द्वारा वर्जित है। न्याय निर्णीत अथवा आन्वयिक न्यायनिर्णीत का अभिवचन, जैसा पक्षों द्वारा विश्वास किए गए निर्णय द्वारा काढ़ कर निकाला गया है, दो विधिक सूक्तियों के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात् (i) राज्य का हित इस बात में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो और (ii) किसी व्यक्ति को एक ही हेतुक के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। पूर्वोक्त सूक्तियों पर आधारित इस सिद्धांत को उस मामले के

प्रति समझा और लागू किया जाना चाहिए जब वही प्रश्न जिसे पहले ही न्यायिक रूप से विनिश्चित कर दिया गया है, पुन: उन्हीं पक्षों के बीच उठाया जाता है। ऐसे मामले में, यदि पूर्व निर्णय द्वारा विनिश्चित मामला पक्षों के बीच अंतिम है, उस मामले को पुन: खोलने के प्रयास को हतोत्साहित करना होगा। विधि का सिद्धांत, जैसा **दारयाओ एवं अन्य बनाम उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य, AIR 1961 SC 1457-पैरा 19; उ॰ प्र॰ राज्य बनाम नवाब हुसैन, 1977 (2) SCC 806; अशोक कुमार श्रीवास्तव बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि॰ एवं अन्य, 1998 (4) SCC 361 पैरा 11 से 14;** और **पांडिचेरी खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड बनाम पी॰ कुलोथंगम एवं एक अन्य, 2004 (1) SCC 68,** पैरा 10 एवं 11 मामलों में न्यायनिर्णीत एवं आन्वयिक न्यायनिर्णीत के प्रश्न पर निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित किया गया है और जिस पर प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया है, जब वर्तमान मामले के पूर्वोक्त तथ्यों पर लागू किया जाता है, यह न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए आश्वस्त नहीं करता है कि विवाद्यक ने पूर्व निर्णय द्वारा अंतिमता प्राप्त कर लिया है। अत: यह न्यायालय न्यायनिर्णीत अथवा आन्वयिक न्यायनिर्णीत के आधार पर याचीगण के लिए दरवाजा बंद करने के बजाए गुणागुण पर विवाद्यक विनिश्चित करने का सुरक्षित रास्ता अपनाना पसंद करेगा।

17. वर्तमान रिट याचिकाओं की कार्यवाही के दौरान इस न्यायालय का सामना मामलों के दो सुभिन्न पहलूओं से हुआ था जिसका निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता थी कि क्या याचीगण प्रार्थना किए गए अनुतोष के हकदार थे या नहीं? याचीगण की सेवा की समाप्ति और रिट याचिकाओं को दो चक्रों में मुकदमों से उद्‌भूत होने वाले आधारपूर्ण तथ्यों से सामने आने वाला प्रथम विवाद्यक यह है कि क्या इन याचीगण ने अपने अथवा अपने पिता द्वारा वर्ष 1980-81 में गवाँयी गयी भूमि के बदले वस्तुत: नियोजन प्राप्त किया था? दूसरा पहलू जो प्रथम विवाद्यक के परीक्षण पर स्वाभाविक उपपरिणाम के रूप में सामने आता है यह है कि क्या याचीगण को प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्ष 1981 में समय के प्रासंगिक बिंदु पर वैध एवं विधिक रूप से नियुक्त किया गया था अथवा उनकी मूल नियुक्ति स्वयं ही पवित्रताहीन है। यदि वर्ष 1981 से नियोजन में बने रहने के उनके दावा का संपूर्ण आधार किसी विधिक एवं वैध नियुक्ति पर आधारित नहीं है, तब इस आधार पर कि वे तत्पश्चात बाइस वर्षों तक सेवा में बने रहे थे, निर्मित संपूर्ण संरचना ढह जाएगी।

18. मामले के प्रथम पहलू पर विचार करते हुए, इस निष्कर्ष पर आने के लिए कि क्या याचीगण ने कंपनी को भूमि का व्यवहारिक कब्जा सौंपा था जिसके बदले में उन्होंने अपना नियोजन पाया था, आनुषंगिक तात्विक तथ्यों का परीक्षण किया जाना है। यह वह विवाद्यक था जिसका परीक्षण किया जाना छोड़ दिया गया था जब इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुकदमा के पहले चक्र में याचीगण की सेवा समाप्त करने वाले प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया था। याचीगण में से प्रत्येक का अभ्यावेदन दस्तावेज द्वारा समर्थित था जो भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन नोटिस की प्रकृति का था जैसा उक्त अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3818/2005 के मामले में है। प्रत्यर्थी द्वारा गठित कमिटी ने इन याचीगण में से प्रत्येक के अभ्यावेदन का परीक्षण किया और निश्चित निष्कर्ष पर आया जिसे आक्षेपित आदेशों में परिलक्षित किया गया है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3813/2005 में कमिटी ने पाया कि याचीगण ने अपने अभ्यावेदन में न तो अर्जित की गयी अपनी भूमि के विवरण के बारे में उल्लेख किया था और न ही एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में एवार्डियों के नाम अथवा अधिनिर्णय की संख्या उपदर्शित किया था। भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया था कि 3.57 एकड़ माप वाली भूमि एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में अधिनिर्णय सं॰ 1, 79, 85, 86

से 91, 9 एवं 10 में अर्जित भूमि थी; अधिनिर्णय सं॰ 1 हरकू महतो के नाम में था किंतु एल॰ ए॰ न्यायाधीश के समक्ष आपत्ति किसी खीरु महतो द्वारा दाखिल की गयी थी और उनके भुगतानों को निर्मुक्त नहीं किया गया था; अधिनिर्णय सं॰ 9 मो॰ सादिक के पक्ष में घोषित किया गया था जो याचीगण के समुदाय से आता भी नहीं था; अधिनिर्णय सं॰ 10 मो॰ सफरुद्दीन अंसारी के पक्ष में घोषित किया गया था जो भी याचीगण के समुदाय से नहीं आता था; शेष अधिनिर्णयों को भूखंड सं॰ 28, 29 एवं 30 पर घरों के संबंध में आशु महतो एवं विभिन्न व्यक्तियों के नाम में घोषित किया गया था। जाँच रिपोर्ट से प्रकट हुआ कि यद्यपि अधिनिर्णय विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में थे किंतु समस्त एवार्डियों द्वारा याचीगण के पक्ष में सहमति नहीं दी गयी थी और इसलिए, याचीगण के पिताओं द्वारा प्राप्त की गयी नियुक्ति अवैध एवं गलत थी और भूमि तथा घरों का कब्जा सौंपने के बहाना पर संदेहास्पद साधनों के माध्यम से प्राप्त की गयी थी, याचीगण में से प्रत्येक के अभ्यावेदनों के संबंध में कमिटी का समरुप निष्कर्ष, जैसा अस्वीकरण के आक्षेपित आदेश में अंतर्विष्ट है, चार्ट के रूप में यहाँ नीचे दिया जा रहा है:

केस सं॰	कमिटी का निष्कर्ष	प्रासंगिक परिशिष्ट
WPS 3813/05	श्री महतो ने अपने अभ्यावेदन में भूमि के संबंध में एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में उक्त भूमि के अर्जन के बारे में न तो प्रक्षेपित किया और न ही अधिनिर्णय की संख्या अथवा एवार्डियों का नाम उपदर्शित किया। भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया है कि एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में अधिनिर्णय सं॰ 1, 79, 85, 86 से 91, 9 एवं 10 में अर्जित की गयी है। अधिनिर्णय सं॰ 1 हरकू महतो के नाम में है और एल॰ ए॰ न्यायाधीश के समक्ष खीरु महतो एवं काशी महतो द्वारा आपत्ति दाखिल की गयी है। भुगतान निर्मुक्त नहीं किया गया। अधिनिर्णय सं॰ 9 मो॰ सादिक के पक्ष में घोषित किया गया। एवार्ड सं॰ 10 भी सरफुद्दीन अंसारी के नाम में घोषित किया गया। शेष अधिनिर्णय भूखंड सं॰ 28, 29 एवं 30 के ऊपर घरों के संबंध में श्री आशु महतो एवं विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में घोषित किए गए हैं। चूँकि समस्त एवार्डियों ने उसके पक्ष में सहमति नहीं दिया है। अत:, यह सिद्ध किया गया है कि संबंधित भूमि एवं घर के विरुद्ध आवेदक के पिता श्री गिमा महतो द्वारा गलत रूप से एवं अवैध रूप से नियुक्ति प्राप्त की गयी थी और गिमा महतो की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी गंगिया महताइन नियोजन में थी और उसकी मृत्यु के बाद आवेदक सेवा में है।	परिशष्ट–8
WPS 3812/05	भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया है कि एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में अर्जित 0.715 एकड़ क्षेत्रफल मापवाले भूखंड सं॰ 238, 27 एवं अन्य में अधिनिर्णय सं॰ 41 में पहले श्री जादू महतो एवं अन्य के नामों में अधिनिर्णीत की गयी	परिशिष्ट–8

	थी और बाद में एल॰ ए॰ निर्देश केस सं॰ 23/99 में श्रीमती जानकी देवी के नाम में अधिनिर्णीत की गयी थी। पीर मोहम्मद, महादेव सिंह एवं अन्य के नामों में क्रमश: एवार्ड सं॰ 189 एवं 190 में अधिनिर्णीत भूखंड सं॰ 671 एवं 672 पर घर हैं। इसके अतिरिक्त 0.26 एकड़ माप वाले भूखंड सं॰ 671 के संबंध में एवार्ड सं॰ 59 एवं 60 ईस्माइल अंसारी एवं अन्य, खातून बीबी के नामों में अधिनिर्णीत की गयी है। चूँकि समस्त एवार्डियों ने उसके पक्ष में सहमति नहीं दिया है, अत:, यह सिद्ध किया गया है कि संबंधित भूमि एवं घर के विरुद्ध श्री साह द्वारा गलत रूप से एवं अवैध रूप से नियुक्ति प्राप्त की गयी थी।	
WPS 3815/05	श्री प्रामाणिक ने एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में उक्त भूमि के अर्जन के बारे में न तो प्रक्षेपित किया और न ही एवार्ड की संख्या अथवा एवार्डियों का नाम उपदर्शित किया। भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया है कि एवार्ड सं॰ 52 में भूखंड सं॰ 614, 447, 648 और एवार्ड सं॰ 42 एवं 52 के अधीन अर्जित भूखंड सं॰ 615 और एवार्ड सं॰ 38 में अर्जित भूखंड सं॰ 228 एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में अर्जित की गयी थी। एवार्ड सं॰ 52 मंशु नापित, महावीर नापित एवं पंचु नापित के नामों में अधिनिर्णीत किया गया है। एवार्ड सं॰ 155 में 157 में अधिनिर्णीत भूखंड सं॰ 648 पर घर हैं। अन्य भूखंड भूतपूर्व कोलियरी स्वामी के उपयोग और अधिभोग में है और कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के फलस्वरुप मेसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ में निहित किया गया है। केवल एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में तैयार एवार्ड सं॰ 52 के संबंध में आवेदक का पिता मंशु नापित सह-एवार्डी है। चूँकि अन्य सह-एवार्डियों ने अपनी सहमति नहीं दी है, अत: यह सिद्ध किया गया है कि संबंधित भूमि एवं घर के विरुद्ध श्री सीताराम प्रामाणिक द्वारा गलत एवं अवैध रूप से नियुक्ति प्राप्त की गयी थी।	परिशिष्ट-8
WPS 3816/05	एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में उक्त भूमि के अर्जन के बारे में श्री महतो ने आइटम सं॰ 1, 3 एवं 4 के अधीन भूमि के संबंध में प्रक्षेपित किया किंतु एवार्ड की संख्या और एवार्डियों का नाम उपदर्शित नहीं किया। भूमि के भूखंड वार परीक्षण पर यह गौर किया गया है कि क्रमांक 1 में से भूखंड सं॰ 202 और क्रमांक 2 एवं 3 के अधीन भूखंड एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में तैयार किए गए एवार्ड सं॰ 6 के संबंध में है और उक्त एवार्ड जुगल महतो, फकीर महतो, ठाकुर महतो जैसे अनेक व्यक्तियों के नाम में तैयार किया गया है और उन्होंने अधिनिर्णीत राशि निकाल लिया है।	परिशिष्ट-8

	भूखंड सं॰ 204 लिलू महतो एवं अन्य के नाम में तैयार एवार्ड सं॰ 35 के अधीन है। संबंधित ज्योति लाल महतो न तो अर्जित भूमि का एवार्डी है और न ही एवार्ड सं॰ 6 एवं 31 के विरुद्ध भूमि के संबंध में उसको नियोजन देने के लिए भूमि गँवाने वाले एवार्डियों द्वारा नामांकित किया गया है। याची का पिता राम किशुन महतो एवार्ड सं॰ 35 एवं 49 में केवल सह-एवार्डी है। अन्य सह-एवार्डियों ने उसके पक्ष में सहमति नहीं दिया है। अतः, यह सिद्ध किया गया है कि संबंधित भूमि के विरुद्ध श्री महतो द्वारा गलत एवं अवैध रूप से नियुक्ति प्राप्त की गयी थी। आगे, गठित कमिटी द्वारा स्थल सत्यापन पर यह गौर किया गया है कि भूखंड सं॰ 650 एवं 661 के अधीन संबंधित भूमि पर निर्माण हुए हैं। एवार्ड सं॰ 158 से 167 एवं 173 में घरों को अभी भी खाली किया जाना है।	
WPS 3820/05	श्री महतो ने अपने अभ्यावेदन में भूमि के संबंध में एल॰ ए॰/केस सं॰ 30/85-86 में उक्त भूमि के अर्जन के बारे में न तो प्रक्षेपित किया और न ही एवार्ड की संख्या अथवा एवार्डियों का नाम उपदर्शित किया। भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया है कि भूखंड सं॰ 36 से 39, 61 से 63, 65 से 69, 71, 72, 74, 94, 95, 265, 660 में एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में एवार्ड सं॰ 11, 12, 13, 21, 22 एवं 24 में 1.84 एकड़ माप वाली भूमि श्री राम प्रसाद महतो एवं 15 अन्य, तिलक प्रसाद महतो और जीतू महतो की माता के नाम में अर्जित की गयी थी। मेधा महतो एवं अन्य व्यक्तियों के नाम में अधिनिर्णीत भूखंड सं॰ 37, 38, 39, 71 एवं 72 पर घर हैं। कुछ अन्य भूखंड भूतपूर्व कोलियरी स्वामी के उपयोग एवं अधिभोग में है और कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के फलस्वरुप मेसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ में निहित की गयी है। आवेदक की माता केवल एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में तैयार एवार्ड सं॰ 22 एवं 24 के संबंध में सह-एवार्डी है। चूँकि अन्य एवार्डियों ने उसके पक्ष में सहमति नहीं दिया है, अतः, यह सिद्ध किया गया है कि संबंधित भूमि एवं घर के विरुद्ध श्री जीतू द्वारा नियुक्ति गलत एवं अवैध रूप से प्राप्त की गयी थी।	परिशिष्ट-8
WPS 3831/05	श्री महतो ने आइटम सं॰ 1, 3 एवं 4 के अधीन भूमि के संबंध में एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में उक्त भूमि के अर्जन के बारे में प्रक्षेपित किया किंतु एवार्ड की संख्या अथवा एवार्डियों का नाम उपदर्शित नहीं किया। भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया है कि क्रमांक 1 में से भूखंड सं॰ 202 और क्रमांक 2 एवं 3 के अधीन भूखंड	परिशिष्ट-8

	एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में तैयार किए गए एवार्ड सं॰ 6 के संबंध में है और उक्त एवार्ड जुगल महतो, फकीर महतो, ठाकुर महतो जैसे अनेक व्यक्तियों के नाम में तैयार किया गया है और उन्होंने अधिनिर्णीत राशि निकाल लिया है। भूखंड सं॰ 204 लिलू महतो एवं अन्य के नाम में तैयार किए गए एवार्ड सं॰ 35 के अधीन है। संबंधित भोला महतो एवार्ड सं॰ 6 एवं 49 के विरुद्ध भूमि के संबंध में न तो अर्जित भूमि का एवार्डी है और न ही उसको नियुक्ति देने के लिए एवार्डी अथवा भूमि गवाँने वालों द्वारा नार्मांकित किया गया है। अत: यह सिद्ध किया गया है कि संबंधित भूमि के विरुद्ध श्री भोला महतो द्वारा गलत रूप से एवं अवैध रूप से नियुक्ति प्राप्त की गयी थी। गठित कमिटी द्वारा आगे स्थल सत्यापन पर यह गौर किया गया है कि भूखंड सं॰ 656 एवं 661 के अधीन संबंधित भूमि पर निर्माण हुए हैं।	
WPS 4196/05	श्री महतो ने आइटम सं॰ 1, 3 एवं 4 के अधीन भूमि के संबंध में एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में उक्त भूमि के अर्जन के बारे में प्रक्षेपित किया किंतु एवार्ड की संख्या अथवा एवार्डियों का नाम उपदर्शित नहीं किया। भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया है कि क्रमांक 1 में से भूखंड सं॰ 202 और क्रमांक 2 एवं 3 के अधीन भूखंड एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में तैयार किए गए एवार्ड सं॰ 06 के संबंध में है और उक्त एवार्ड जुगल महतो, फकीर महतो, ठाकुर महतो जैसे व्यक्तियों के नाम में तैयार किया गया है और उन्होंने अधिनिर्णीत राशि निकाल लिया है। भूखंड सं॰ 204 लिलू महतो एवं अन्य के नाम में तैयार एवार्ड सं॰ 35 के अधीन है। संबंधित देव कुमार महतो एवार्ड सं॰ 6 एवं 31 के विरुद्ध भूमि के संबंध में न तो अर्जित भूमि का एवार्डी है और न ही उसको नियोजन देने के लिए एवार्डियों अथवा भूमि खोने वालों द्वारा नामांकित किया गया है। याची का पिता तेजू महतो केवल एवार्ड सं॰ 35 एवं 49 में सह-एवार्डी है। अन्य सह-एवार्डियों ने उसके पक्ष में सहमति नहीं दिया है। अत:, यह सिद्ध किया गया है कि संबंधित भूमि के विरुद्ध श्री देव कुमार महतो द्वारा नियुक्ति गलत एवं अवैध रूप से प्राप्त की गयी थी।	परिशिष्ट-8

	गठित कमिटी द्वारा आगे स्थल सत्यापन पर यह गौर किया गया है कि भूखंड सं॰ 656 एवं 661 के अधीन संबंधित भूमि पर अन्य लोगों के निर्माण हुए हैं। एवार्ड सं॰ 158 से 167 और 173 से 176 में घरों को अभी भी खाली किया जाना है।	
WPS 4197/05	श्री महतो ने आइटम सं॰ 1, 3 एवं 4 के अधीन भूमि के संबंध में न तो एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में उक्त भूमि के अर्जन के बारे में प्रक्षेपित किया और न ही एवार्ड की संख्या अथवा एवार्डियों का नाम उपदर्शित किया। भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया है कि एवार्ड सं॰ 7 में एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में भूखंड सं॰ 20 एवं ग्यारह अन्य में 1.36 एकड़ हीरा महतो, किशुन महतो, परमेश्वर महतो एवं बीरा महतो के नाम में घोषित की गयी है। कुछ अन्य भूखंड भूतपूर्व कोलियरी स्वामी के उपयोग एवं अधिभोग में है और कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के फलस्वरुप मेसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ में निहित की गयी है। आवेदक का पिता हीरा महतो केवल एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में तैयार एवार्ड सं॰ 7 के संबंध में सह-एवार्डी है। चूँकि अन्य सह-एवार्डियों ने उसके पक्ष में सहमति नहीं दिया है, अत:, यह सिद्ध किया गया है कि संबंधित भूमि एवं घर के विरुद्ध श्री विनोद महतो द्वारा नियुक्ति गलत एवं अवैध रूप से प्राप्त की गयी थी।	परिशिष्ट-8
WPS 4198/05	श्री महतो का नाम आइटम सं॰ 1, 3 एवं 4 के अधीन भूमि के संबंध में एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में उक्त भूमि के अर्जन के बारे में प्रक्षेपित किया गया है पर एवार्ड की संख्या अथवा एवार्डियों का नाम उपदर्शित नहीं किया गया है। भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया है कि क्रमांक सं॰ 1 में से भूखंड सं॰ 202 और क्रमांक 2 एवं 3 के अधीन भूखंड एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में तैयार एवार्ड सं॰ 6 के संबंध में है और उक्त एवार्ड जुगल महतो, फकीर महतो, ठाकुर महतो जैसे अनेक व्यक्तियों के नाम में तैयार किया गया है और उन्होंने अधिनिर्णीत राशि निकाल लिया है। भूखंड सं॰ 204 लिलू महतो के नाम में तैयार एवार्ड सं॰ 35 के अधीन है। संबंधित राजू महतो एवार्ड सं॰ 6 एवं 31 के विरुद्ध भूमि के संबंध में न तो अर्जित भूमि का एवार्डी है और न ही एवार्डियों अथवा भूमि खोने वालों द्वारा नामांकित किया गया है। याची का पिता	परिशिष्ट-8

	मधुसूदन महतो केवल एवार्ड सं॰ 35 एवं 49 में सह-एवार्डी है। अन्य सह एवार्डियों ने उसके पक्ष में सहमति नहीं दिया है। अत:, यह सिद्ध किया गया है कि संबंधित भूमि के विरुद्ध श्री मधुसूदन महतो द्वारा नियुक्ति गलत एवं अवैध रूप से प्राप्त की गयी थी। उसकी मृत्यु के बाद राजू महतो ने आश्रित के रूप में नियोजन पाया। आगे गठित कमिटी द्वारा स्थल सत्यापन पर यह गौर किया गया है कि भूखंड सं॰ 656 एवं 661 के अधीन संबंधित भूमि पर निर्माण हुए हैं। एवार्ड सं॰ 158 से 167 और 173 से 176 में घरों को अभी भी खाली किया जाना है।	
WPS 3881/05	श्री नापित ने भूमि के संबंध में एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में न तो उक्त भूमि के अर्जन के बारे में प्रक्षेपित किया है और न ही एवार्ड की संख्या अथवा एवार्डियों का नाम उपदर्शित किया है। भूमि के भूखंडवार परीक्षण पर यह गौर किया गया है कि 0.17 एकड़ मापवाले भूखंड सं॰ 107 एवं 108 भूतपूर्व कोलियरी स्वामी के उपयोग एवं अधिभोग में हैं और कोयला खाना राष्ट्रीयकरण अधिनियम के फलस्वरुप मेसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ में निहित किए गए हैं। श्री मंगु नापित, श्री महावीर नापित एवं श्री गोविन्द नापित के नामों में एवार्ड सं॰ 52 के अधीन एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में भूखंड सं॰ 614, 647 एवं 615 अर्जित की गयी है। इसके अतिरिक्त, भूखंड सं॰ 615 में 50% हिस्सा 0.555 एकड़ एवार्ड सं॰ 42 के अधीन लाखी नपिताइन के नाम में अधिनिर्णीत है। आवेदक एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 में तैयार एवार्ड सं॰ 52 के संबंध में सह-एवार्डी है और एवार्ड सं॰ 155 से 157 विभिन्न व्यक्तियों के नामों में भूखंड सं॰ 648 के ऊपर खड़े घरों के संबंध में घोषित किया गया है। चूँकि अन्य सह-एवार्डियों ने उसके पक्ष में सहमति नहीं दिया है, अत:, यह सिद्ध किया गया है कि संबंधित भूमि के विरुद्ध श्री नापित द्वारा नियुक्ति गलत एवं अवैध रूप से प्राप्त की गयी थी। तद्नुसार, यह स्थापित किया जाता है कि श्री गोविन्द नापित ने भूमि एवं घर का कब्जा सौंपने के बहाना पर संदेहास्पद साधनों द्वारा संबंधित भूमि के विरुद्ध नियोजन प्राप्त किया था। अत:, उसका अभ्यावेदन गुणागुणरहित है।	परिशिष्ट-8

कमिटी द्वारा दर्ज इन निष्कर्षों का परिशीलन उपदर्शित करता है कि (i) अर्जित भूमि संपूर्ण रूप से याचीगण अथवा उनके पिता की नहीं थी और अनेक मामलों में एवार्ड भिन्न समुदाय के व्यक्तियों के नाम में भी थे; (ii) सह-एवार्डियों की सहमति को यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था कि शेष एवार्डियों को संबंधित याचीगण के नियोजन के प्रति कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ यह कथन करना प्रासंगिक

है कि भूमि गवाँने के बदले नियोजन प्रचलित पुनर्वास योजना अथवा भूमि के क्षेत्र विशेष अर्थात् कुछ मामलों में दो एकड़ और/अथवा कुछ मामलों में उससे भी अधिक के विरुद्ध भूमि गवाँने वाले के साथ हुए करार के मुताबिक प्रत्यर्थी कोयला कंपनी के अधीन दिया गया है।

किसी भी सूरत में, मामले की कार्यवाही के दौरान उपायुक्त, धनबाद ने निर्देश दिए जाने पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जो डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ केस सं॰ 3813/05 में दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 को दाखिल प्रत्यर्थी उपायुक्त, धनबाद के प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट-A पर है। रिपोर्ट का परिशीलन उपदर्शित करता है कि प्रत्येक याची के नाम के सामने विभिन्न क्षेत्रफल वाले अनेक भूखंड संख्या और टिप्पणी कॉलम में दर्ज करते हुए विभिन्न एकड़ों का कुल निम्नलिखित रूप से उपदर्शित किया गया है: डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3813/05 में, ''निवास नहीं करता है; याची एवार्डी के मित्र का पुत्र है; डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3812/05, में वही टिप्पणी, वह निवास नहीं करता है और कि एवार्डी खरीदार से संबंधित है। डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3815/05 में याची एवार्डी की बहु है और भूखंड सं॰ 646, 647 एवं 648 पर कतिपय घरों का अस्तित्व पाया गया है; एक अन्य भूखंड के संबंध में यह प्रतीत होता है कि यह एवार्डी के नाम में नहीं है और इसके ऊपर भी घर है; डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3816/05 में इस टिप्पणी के साथ कि याची एवार्डी का पुत्र है और वहाँ निवास नहीं करता है, अनेक व्यक्तियों के नाम में एवार्ड दर्शाया गया है; पुनः डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 3820/05 में इस टिप्पणी के साथ कि याची वहाँ रह रहा है, भिन्न व्यक्ति के नाम में एवार्ड दर्शाया गया है; भूखंड सं॰ 37 के संबंध में अन्य याचीगण के नाम के सामने समरुप टिप्पणी की गयी है यद्यपि प्रत्येक निजी मामलों में भूखंड की संख्या और प्रत्येक भूखंड के संबंध में एवार्डियों की संख्या भी दर्शायी गयी है।

19. वर्तमान निरीक्षण रिपोर्ट गंभीर रूप से प्रत्यर्थी द्वारा विवादित किया गया है जिसने दिनांक 6 जनवरी, 2012 को उपायुक्त, धनबाद के शपथ पत्र के प्रति प्रत्युत्तर दाखिल किया है जो परिशिष्ट R/A है। यह प्रत्यर्थी कंपनी के अधिकारी द्वारा किया गया भूमि के स्थल सत्यापन पर रिपोर्ट अंतर्विष्ट करता है जो पुनः व्यक्तिगत याचीगण के प्रत्येक नाम के सामने भिन्न क्षेत्रफल वाले अनेक भूखंड संख्याओं एवं विभिन्न अधिभोगियों के नाम दर्शाता है। कुछ भूखंडों को बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के कब्जा में दर्शाया गया है जबकि ऐसे अनेक भूखंड बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के कब्जा में नहीं हैं। मामले की कार्यवाही के दौरान जिला भूमि अर्जन अधिकारी, धनबाद को मौजा गरेरी, जिला धनबाद की भूमि अर्जन कार्यवाही से संबंधित अभिलेखों के सत्यापन पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात दाखिल रिपोर्ट, जो जिला भूमि अर्जन अधिकारी, धनबाद द्वारा दाखिल दिनांक 8 जुलाई, 2013 के पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट SCA-1 पर है, भी उसी तरीके में है जैसा समरुप वर्णन के साथ उपायुक्त, धनबाद का रिपोर्ट है। एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 की कार्यवाही भी संलग्न की गयी है जो पुनः अनेक व्यक्तियों की भूमि का विवरण दर्शाता है जो अर्जित भूमि के कुल क्षेत्र में याचीगण भी नहीं थे। उपायुक्त, धनबाद, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ और भूमि अर्जन अधिकारी, धनबाद के रिपोर्ट में अंतर्विष्ट निष्कर्षों की तुलना दर्शाती है कि व्यक्तिगत याचीगण के दावा से संबंधित तथ्यों के विवादित प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं। यद्यपि भूमि के क्षेत्र विशेष के विरुद्ध नियुक्ति प्राप्त की गयी दर्शायी गयी है किंतु अधिनिर्णयों के अधीन अर्जित भूमि न तो केवल याचीगण अथवा उनके पिता की है और न ही अन्य सह-एवार्डियों की कोई सहमति प्रस्तुत की गयी थी और भूमि जिसे अर्जित किया गया था के बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा वास्तविक भौतिक कब्जा के बारे में गंभीर विवाद भी है। कमिटी के निष्कर्षों, जो याचीगण के व्यक्तिगत अभ्यावेदन के अस्वीकरण का आधार

निर्मित करता है, के साथ तुलना किए जाने पर विभिन्न रिपोर्टों में निष्कर्षों का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि भूमि जिसके बदले में नियोजन प्राप्त किया गया था का वास्तविक व्यवहारिक भौतिक कब्जा प्रत्यर्थी कंपनी को सौंपे जाने पर याचीगण के दावा से संबंधित गंभीर विवाद है। अत: प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के अधिवक्ता अपने निवेदन में सही हैं कि तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर आधारित ऐसे विवाद्यकों का विनिश्चयकरण इस न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है।

20. इस न्यायालय ने वर्तमान मामले की कार्यवाही के दौरान पाया कि मूल नियुक्ति पाने वालों, जिन्होंने वर्ष 1981 में किसी समय नियुक्ति पाने का दावा किया, का नियुक्ति पत्र नहीं है। एक या दूसरे याचीगण की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में एक या दो नियुक्ति पत्र हैं जिन्हें मूल नियुक्ति पाने वाले अथवा उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद प्राप्त किया गया था, उदाहरणस्वरुप, चिंता देवी (डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 4196/05) और राजू महतो (डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 4198/05) का मामला जो दिनांक 26.3.2014 के द्वितीय पूरक प्रतिशपथ पत्र का क्रमश: परिशिष्ट C एवं D है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने दिनांक 23 जनवरी, 2014 को संप्रेक्षित किया कि मूल नियुक्ति पत्र, प्रासंगिक अभिलेख जो व्यक्तिगत याचीगण की नियुक्ति की निर्णय लेने वाली प्रक्रिया अथवा मंजूरी से संबंधित है, योजना और अभिलेख, यदि हो, जो याचीगण/नियुक्ति पाने वाले के मामलों को प्रायोजित करने वाले व्यक्तिगत सह-अंशधारी द्वारा सहमति अथवा अनापत्ति अंतर्विष्ट करते हैं, वर्तमान में उठाए गए विवाद्यक का परीक्षण करने के लिए आवश्यक एवं तात्विक हैं। व्यक्तिगत याचीगण/नियुक्ति पाने वालों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुमार मेहता को प्रासंगिक अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

21. प्रत्यर्थी ने तत्पश्चात दिनांक 26 मार्च, 2014 को दाखिल अपने पूरक शपथ पत्र के माध्यम से कथन किया कि मूल नियुक्ति पाने वालों के नियुक्ति पत्र का पता नहीं लगाया जा सका था, यद्यपि मूल कर्मचारियों की मृत्यु पर अनुकंपा आधार पर किए गए पश्चातवर्ती नियुक्ति के दो नियुक्ति पत्र निदेशक (कार्मिक), बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के सेन्द्रा बासजोरा कोलियरी के अधीन मौजा गरारी में भूमि के बदले नियोजन से संबंधित मामले में विभिन्न चरणों पर की गयी प्रथम दृष्टया अवैधता/अनियमितता पाया है। अत:, उन्होंने गलती करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्होंने कपटपूर्वक सेन्द्रा बासजोरा कोलियरी में नियोजन पाया था के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने भी जाँच के लिए मामले को निगरानी विभाग को निर्दिष्ट करते हुए आवश्यक आदेश पारित किया है। बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के निगरानी विभाग की अध्यक्षता केंद्रीय निगरानी आयोग अधिनियम, 2003 के अधीन नियुक्त मुख्य निगरानी अधिकारी द्वारा की जाती है। दिनांक 24.6.2014 के निर्देश सं॰ 181/F (IR/L) जो उक्त शपथ पत्र का परिशिष्ट-B है, के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई के लिए मामला सी॰ वी॰ ओ॰, धनबाद को निर्दिष्ट किया गया है। प्रत्यर्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष निगरानी जाँच के निष्कर्ष को प्रस्तुत करने के लिए समय इप्सित किया है। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ को इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्र आरंभ की गयी जाँच को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। निगरानी जाँच के निष्कर्षों के आधार पर विधि के अनुरुप आगे कार्रवाई की जा सकती है।

22. अत: तथ्यों का संपूर्ण विस्तार, जैसा पूर्वोक्त मामले के संबंध में पाया गया है, भी वर्ष 1981 में इन याचीगण अथवा उनके पिता की नियुक्ति की विधिकता एवं वैधता से संबंधित गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। अत: पूर्वोक्त संप्रेक्षण अर्जित भूमि के व्यवहारिक भौतिक कब्जा सौंपने के बदले प्राप्त किए गए मूल नियुक्ति की विधिकता एवं वैधता के प्रश्न से संबंधित न्यायालय द्वारा विरचित द्वितीय प्रश्न का उत्तर देता है। एक अन्य अत्यन्त दिलचस्प पहलू, जिसे यहाँ उपदर्शित करने की आवश्यकता है, यह है कि यद्यपि याचीगण वर्ष 1981 में प्रत्यर्थी कंपनी को खनन प्रयोजन से दी गयी भूमि के बदले नियुक्ति पाने का दावा करते हैं, किंतु सेन्द्रा बासजोरा कोलियरी के प्रयोजन से उक्त ग्राम गरारी के संबंध में भूमि अर्जन कार्यवाही एल॰ ए॰ केस सं॰ 30/85-86 के अधीन आरंभ की गयी थी। इसी कारण से, न्यायालय ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि वर्ष 1981 में उस समय पर क्या हुआ था जब याचीगण ने प्रत्यर्थीगण के अधीन नियुक्त किए जाने का दावा किया; समय के प्रासंगिक बिंदु पर प्रचलित योजना क्या थी; उनकी नियुक्ति से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या थी और क्या याचीगण/नियुक्ति पाने वालों के मामलों को प्रायोजित करने वाले प्रत्येक सह-अंशधारी द्वारा किसी सहमति अथवा अनापत्ति का कोई प्रमाण था। आश्चर्यजनक रूप से, प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के पास ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अत: प्रत्यर्थी बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा मामला मुख्य निगरानी अधिकारी, धनबाद को निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि यह समय के प्रासंगिक बिंदु पर किए गए नियुक्तियों के संपूर्ण कार्य-कलाप के प्रति गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। इस संबंध में, यह संप्रेक्षित किया जाना है कि यदि वर्ष 1981 में उनकी मूल नियुक्ति पर आधारित याचीगण के मामले का संपूर्ण आधार ढह जाता है, तब कोई विधिपूर्ण परिणाम प्रवाहित नहीं होंगे भले ही याचीगण तत्पश्चात बाईस वर्षों तक सेवा में बने हुए थे और भले ही उनकी सेवा संपुष्ट की गयी थी और सेवा अभिलेख तत्पश्चात तैयार किया गया था। **देवेन्द्र कुमार बनाम उत्तरांचल राज्य, (2013)9 SCC 363,** उसका पैरा 25, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति निर्देश किया जा सकता है जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"25. bld vfrjDr] ;fn vkjfHkd dkjokb fofèk d vudy ugh g] i{k dk i'pkrorh vkpj.k bl ifo= ugh cuk ldrk gA sublato fundamento cadit opus uho gVk, tku ij vfèkljpuk fxj tkrh gA* dkb 0;fDr xyrh dju ij Lo; viuh xyrh dk ykHk ugh y ldrk g vkj l{ke U;k;ky; }kjk fofèki.k fopkj.k dk foQy dju d fy, fdlh fofèk dh otuk dk vfHkopu ugh dj ldrk gA , l ekey e] fofèkd lfDr nullus commodum capere potest de injuria sua propria ykx gkrh gA fofèk dk mYy?ku dju oky 0;fDr dk ;g vkxg dju dh vuefr ugh nh tk ldrh g fd mud vijkèk dk tkp] fopkj.k vFkok vUo"k.k d vè;èkhu ugh fd;k tk ldrk gA***

23. तथ्यों के विवादित प्रश्नों की पूर्वोक्त अवस्था में, प्रत्यर्थी द्वारा किए गए न्याय निर्णीत और आन्वयिक न्यायनिर्णीत के अभिवचन को खारिज करने के बाद गुणागुण पर इस न्यायालय द्वारा परीक्षण किए गए दोनों विवाद्यकों के संबंध में एकमात्र निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है यह है कि रिट अधिकारिता के अधीन कार्यवाही में उस पर कोई विनिश्चयकरण करना और/अथवा निजी मामलों में आक्षेपित अस्वीकरण के आदेशों को अभिखंडित करते हुए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट जारी करना अथवा उनको सेवा में पुनर्बहाल करना समुचित नहीं होगा। किंतु याचीगण को औद्योगिक अधिकरण सहित समुचित फोरम के समक्ष अपनी शिकायत करने की स्वतंत्रता हो सकती है जहाँ तथ्य के ऐसे विवादित प्रश्नों को विनिश्चित किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचीगण ऐसा करते हैं, संबंधित न्यायालय अथवा

फोरम वर्तमान मामले में किए गए संप्रेक्षणों से प्रभावित हुए बिना न्यायनिर्णयन करेगा। याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता का अभिवचन कि याचीगण के नियुक्ति पत्रों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को प्रस्तुत करने में विफलता के लिए प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तथ्यों की पूर्वोक्त अवस्था में याचीगण के मामला को नहीं सुधारेगा जब इस न्यायालय ने पाया है कि स्वयं याचीगण मूल नियुक्ति पत्र को भी प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं जिसके अधीन उन्होंने वर्ष 1981 में नियुक्ति पाने का दावा किया था। इसके अतिरिक्त, भूमि जिसके बदले में प्रत्येक याचीगण द्वारा वर्ष 1981 में ऐसा नियोजन प्राप्त किया गया था का व्यवहारिक भौतिक कब्जा प्रत्यर्थीगण के पक्ष में सौंपने से संबंधित विवाद्यक पर तथ्य के विवादित प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं।

24. एम॰ पुरन्दर एवं अन्य (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय का निर्णयाधार कि चुनौती के अधीन विषय वस्तु में विवाद्यक को इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही तक बढ़ाया नहीं जा सकता है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। उक्त मामले में, जैसा पाया गया है, रिट याची ने व्यक्तियों के चयन को चुनौती नहीं दिया था जो उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश द्वारा प्रभावित हुए थे। वे अधिकरण के समक्ष आवेदक नहीं थे। ऐसे ताथ्यिक परिदृश्य में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन का विषय वस्तु रिट याची की प्रेरणा पर उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों का विस्तारपूर्ण परिवर्णन दर्शाता है कि याचीगण ने अपनी सेवा समाप्ति का विरोध इन आधारों पर किया था कि वर्ष 1981 से 22 वर्षों तक काम पर लगाए जाने के बाद सम्यक रूप से गठित विभागीय कार्यवाही में उनके विरुद्ध अवचार के निष्कर्ष की अनुपस्थिति में यह समुचित नहीं था। अंतर्ग्रस्त तथ्यों के संपूर्ण विस्तार पर विचार करने पर यह पाया गया है कि न केवल याचीगण का दावा कि उन्होंने अपने द्वारा गवाँयी गयी भूमि का व्यवहारिक भौतिक कब्जा सौंपने के बदले नियोजन पाया था, तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर आधारित है बल्कि उनकी नियुक्ति की उत्पत्ति तक संदेहास्पद पायी गयी है क्योंकि न तो याचीगण कोई नियुक्ति पत्र अथवा दस्तावेज, जो वर्ष 1981 में उनकी नियुक्ति का आधार निर्मित करता है, दर्शाने में सक्षम हुए हैं और न ही याचीगण की नियुक्ति के संबंध में प्रत्यर्थीगण के कार्यालय में कोई समकालीन दस्तावेज है। अत:, अपनी सेवा समाप्ति के संबंध में याचीगण द्वारा दी गयी चुनौती के आधारों को तथ्य के विवादित प्रश्नों पर आधारित पाया गया है जिस पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग में रिट या निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

25. रामकृष्ण दूबे (ऊपर) मामले में, पटना उच्च न्यायालय की विद्वान खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी जिसे अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और स्थायी रूप से आमेलित किया गया था की सेवा समाप्ति स्थायी कर्मचारियों को हटाने के लिए नियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना और संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अधीन कल्पित प्रक्रिया के अनुरुप नहीं की जा सकती थी। उक्त मामले में, विद्वान खंडपीठ ने पाया है कि कहीं भी पदधारी से अभिकथित रूप से किया गया अवचार अथवा कपट नहीं पाया गया था। अत: वर्तमान मामले के तथ्य सुभिन्न किए जाने योग्य हैं। जैसा पहले ही यहाँ संप्रेक्षित किया गया है, न केवल वर्ष 1981 में भूमि का व्यवहारिक भौतिक कब्जा सौंपने पर आधारित उनके नियोजन से संबंधित प्रश्न तथ्य के विवादित प्रश्नों पर आधारित है बल्कि

याचीगण द्वारा प्रस्तुत कोई नियुक्ति पत्र अथवा इससे संबंधित कोई आधिकारिक अभिलेख है। वस्तुतः, याचीगण की मूल नियुक्ति का संपूर्ण विवाद्यक प्रत्यर्थीगण द्वारा निगरानी जाँच के लिए निर्दिष्ट किया गया है जैसा निर्णय के आरंभिक भाग में गौर किया गया है। अतः इसी विवाद्यक पर पूर्वोक्त निर्णय और अन्य निर्णयों पर याचीगण का विश्वास भ्रामक है।

26. यहाँ ऊपर निर्दिष्ट तथ्यों, कारणों एवं विधि के सिद्धांतों के समेकित प्रभाव की दृष्टि में रिट याचिकाएँ विफल होती हैं और तद्नुसार खारिज की जाती है। किंतु व्यय को लेकर आदेश नहीं होगा।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 5225 of 2014. Decided on 7th November, 2014.

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957—धारा 31—खनन पट्टा का प्रदान–नियमों का शिथिलीकरण–खनन पट्टा के निष्पादन के लिए राज्य द्वारा अधिरोपित शर्तों के विधि, एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली तथा संवैधानिक प्रावधानों की वृहत्तर योजना के साथ संगत होने की उम्मीद की जाती है–ऐसी शर्तें विधिक ढाँचे के अंतर्गत हो सकती है या नहीं, यह व्यथित व्यक्ति द्वारा उठाए जाने पर न्याय निर्णयन का विषय वस्तु हो सकता है–ई॰ सी॰ आई॰ द्वारा आचार संहिता का प्रवर्तन न्यायोचित है। (पैराएँ 3 एवं 4)

अधिवक्तागण.–M/s Binod Kanth, Gopal Jain, Devina Sehgal, Injrajit Sinha, Ganesh Pathak, For the Petitioner; Mr. Ajit Kumar, For the Respondents.

आदेश

दिनांक 21.10.2014 के अंतिम आदेश के बाद याची ने खान एवं भूगर्भ-शास्त्र विभाग, झारखंड राज्य के दिनांक 20.10.2014 के पत्र में अंतर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों के प्रति अपनी सहमति दिया है किंतु अभिव्यक्ति ''विधि के अधीन हमारे अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना'' का उपयोग करते हुए। तत्पश्चात, दिनांक 5.11.2014 को दिनांक 1.11.2014 का उक्त पत्र (परिशिष्ट-24) संलग्न करते हुए याची द्वारा पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया है। कतिपय शर्तों के शिथिलीकरण के प्रश्न पर खान विभाग, झारखंड सरकार और खान मंत्रालय, भारत सरकार के बीच पत्राचार भी उक्त शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि अब सहमति देने के बाद राज्य सरकार निर्णय लेने एवं खनन पुनः चालू करने की अनुमति देने तथा खनन पट्टा निष्पादित करने के लिए भी बाध्य है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अभिव्यक्ति ''विधि के अधीन हमारे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना'' का उपयोग करके दी गयी सहमति पर राज्य सरकार द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकती है। याची को किसी निबंधन एवं शर्त, जो विधि एवं संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो सकता है, के संबंध में अपनी शिकायत करने का अधिकार है। आगे यह निवेदन किया गया है कि खान मंत्रालय, भारत सरकार ने भी दिनांक 3.11.2014 के अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 31 के अधीन शक्ति के प्रयोग में भारत सरकार द्वारा नियमों का

शिथिलीकरण प्रदान करने का प्रश्न ही उद्‌भूत नहीं होता है। अत: अब राज्य सरकार को खनन पुन: चालू करने और खनन पट्‌टा निष्पादित करने के औपचारिक आदेशों को जारी करना है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि याची झारखंड सरकार द्वारा जारी दिनांक 4.9.2014 के पत्र के माध्यम से खनन कार्य रोके जाने से पीड़ित है। अत:, उन्होंने प्रार्थना किया है कि प्रत्यर्थी राज्य को खनन पुन: चालू करने का औपचारिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाए। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि नवीकरण प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेशों के कारण राज्य ने निर्णय भी लिया है जैसा उनके दिनांक 20.10.2014 के पत्र में अंतर्विष्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग से अनुमति इप्सित करने का प्रश्न नहीं है जैसा प्रत्यर्थी राज्य द्वारा मामला बनाया गया है।

2. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ श्री अजित कुमार निवेदन करते हैं कि याची ने अपनी सहमति दिया है जो शर्तहीन नहीं है जैसा राज्य सरकार ने आवश्यक बनाया है। उन्होंने खान विभाग, झारखण्ड सरकार एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार के बीच पत्राचार को भी निर्दिष्ट किया है जैसा क्रमश: दिनांक 22.10.2014 और दिनांक 3.11.2014 के पत्र में अंतर्विष्ट है। किंतु, वह निवेदन करते हैं कि होने वाले विधान सभा चुनाव की दृष्टि में आचार संहिता दिनांक 25.10.2014 से प्रभाव में आयी है और इसलिए, चुनाव आयोग से आवश्यक अनुमति की आवश्यकता होगी और केवल ऐसी अनुमति के बाद प्रत्यर्थी राज्य नवीकरण के लिए औपचारिक आदेशों को जारी करने में सक्षम होगा। अत:, ऐसे कार्य में कुछ और समय लगेगा। पूर्वोक्त घटनाक्रम की दृष्टि में, एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 8 (3) के अधीन औपचारिक आदेश जारी करने के लिए उनको कुछ और समय की अनुमति देने के लिए प्रत्यर्थी राज्य द्वारा अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 5695 वर्ष 2014 दाखिल किया गया है।

3. पूर्वोक्त विवाद्यकों पर पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार करने पर इस न्यायालय का मत है कि प्रत्यर्थीगण याची द्वारा अभिव्यक्ति ''विधि के अधीन हमारे अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना'' का उपयोग करके दी गयी सहमति के प्रति आपत्ति करने में न्यायोचित नहीं हैं। खनन पट्‌टा के निष्पादन के लिए प्रत्यर्थी राज्य द्वारा अधिरोपित शर्तों के विधि, एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम एवं उसके अधीन विरचित नियमावली तथा संवैधानिक प्रावधानों की वृहत्त योजना के साथ संगत होने की उम्मीद की जाती है। ऐसी शर्तें विधिक ढाँचे के अंतर्गत होती हैं या नहीं, यह व्यथित व्यक्ति द्वारा उठाए जाने पर न्याय-निर्णयन का विषयवस्तु हो सकता है।

4. किंतु झारखण्ड राज्य में होने वाले विधान सभा चुनाव के कारण भारत के चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के प्रवर्तन से संबंधित द्वितीय विवाद्यक न्यायोचित प्रतीत होता है। राज्य सरकार ने वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से चुनाव आयोग से अनुमति इप्सित करने तथा केवल तत्पश्चात नवीकरण के औपचारिक आदेशों को जारी करने के लिए कुछ और समय की प्रार्थना किया है।

5. जैसा प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गयी है, मामला दिनांक 18.11.2014 को लाया जाए ताकि राज्य सरकार चुनाव आयोग से अनुमति इप्सित करने का कार्य कर सके।

6. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर इस आदेश की प्रति उनको सौंपी जाए।

ekuuh; ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

पंकज कुमार एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 2555 of 2013. Decided on 17th November, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—संज्ञान आदेश का अभिखंडन–प्राथमिकी के साथ अभिग्रहण सूची संलग्न की गयी, किंतु रीफिल मशीन बाद में संबंधित आई॰ ओ॰ द्वारा जोड़ा गया था, यद्यपि यह वहाँ नहीं था जब गोदाम मुहरबंद किया गया था–संज्ञान आदेश रिपोर्ट जिसे दिनांक 8.5.2013 के आदेश के तहत मंगाया गया था की प्रतीक्षा किए बिना पारित किया गया–संज्ञान आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया गया, मामला नए सिरे से विचार किए जाने के लिए अवर न्यायालय को भेजा गया–याचिका आंशिक रूप से अनुज्ञात की गयी।

(पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.–M/s Pandey Neeraj Rai, Rohit Ranjan Sinha, For the Petitioner; APP, For the State.

आदेश

वर्तमान दांडिक विविध याचिका अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोडरमा के न्यायालय में लंबित भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420/467/468/34 के अधीन और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन भी दंडनीय अभिकथित अपराधों के लिए कोडरमा पी॰ एस॰ केस सं॰ 324 वर्ष 2012, जी॰ आर॰ सं॰ 1086 वर्ष 2012 के तत्सम, के संबंध में दिनांक 24.6.2013 के संज्ञान लेने वाले आदेश (परिशिष्ट–8) सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन दाखिल की गयी है।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने ऑर्डरशीट (परिशिष्ट–8) और अधिक विशेषत: दिनांक 8.5.2013 के आदेश को निर्दिष्ट करते हुए इंगित किया कि अधिग्रहण सूची नए सिरे से तैयार किया जाना और उसकी रिपोर्ट विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मंगवाई गयी थी किंतु उक्त रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना दिनांक 24.6.2013 के आदेश के तहत याचीगण के विरुद्ध अभिकथित अपराधों का संज्ञान लिया गया था।

3. मामले की पृष्ठभूमि का विवरण देते हुए याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभिग्रहण सूची को भी निर्दिष्ट किया, जिसे दिनांक 3.11.2012 की प्राथमिकी के पृष्ठ 41 पर संलग्न किया गया था, किंतु रीफिल मशीन बाद में संबंधित आई॰ ओ॰ द्वारा जोड़ी गयी थी, यद्यपि यह वहाँ नहीं था जब गोदाम मुहरबंद किया गया था।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, संबंधित आई॰ ओ॰ द्वारा छल साधन किया गया था और दिनांक 8.5.2013 के आदेश की दृष्टि में साइट पर प्रचलित वास्तविक एवं सही अवस्था परिलक्षित करते हुए एक अन्य नयी अभिग्रहण सूची तैयार की गयी थी।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि इस मोड़ पर वह अपनी प्रार्थना संज्ञान लेने वाले आदेश के अभिखंडन के संबंध में सिमित कर रहे हैं क्योंकि इसे रिपोर्ट जिसे दिनांक 8.5.2013 के आदेश के तहत मंगाया गया था की प्रतीक्षा किए बिना पारित किया गया था और जहाँ तक संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के संबंध में प्रार्थना का संबंध है, इस पर, जोर नहीं दिया गया है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने अत्यन्त निष्पक्षत: निवेदन किया कि आदेश से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने रिपोर्ट जिसे दिनांक 8.5.2013 के आदेश के तहत मंगाया गया था की प्रतीक्षा किए बिना संज्ञान लिया है और इसलिए, दिनांक

24.6.2013 का संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाए और नए सिरे से विचार करने के लिए मामला विद्वान अवर न्यायालय को वापस भेजा जाए।

7. उक्त निवेदन की दृष्टि में, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420/467/468/34 के अधीन और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन भी दंडनीय अभिकथित अपराधों के लिए अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कोडरमा के न्यायालय में लंबित कोडरमा पी॰ एस॰ केस सं॰ 324 वर्ष 2012, जी॰ आर॰ सं॰ 1086 वर्ष 2012 के तत्सम, के संबंध में दिनांक 24.6.2013 का संज्ञान लेने वाला आदेश (परिशिष्ट 8) एतद् द्वारा अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और तद्नुसार, मामला नए सिरे से विचार किए जाने के लिए विद्वान अवर न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

8. पूर्वोक्त संप्रेक्षण एवं निर्देश के साथ इस दांडिक विविध याचिका को आंशिक रूप से अनुज्ञात किया जाता है।

9. इस आदेश को याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले व्यय पर संबंधित न्यायालय को फैक्स के माध्यम से संसूचित किया जाए।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

सैमुअल लिंडा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

WP(S) No. 2104 of 2008. Decided on 26th November, 2014.

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995—धाराएँ 47 एवं 72—याची अचानक दिनांक 9.11.2005 को मानसिक रूप से बीमार हो गया और अपनी चेतना गवाँ बैठा और कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहा, दिनांक 12.11.2005 को मानसिक बीमारी के इलाज के लिए काँके मानसिक रोग अस्पताल में भर्त्ती किया गया, दिनांक 9.9.2006 तक इलाज हुआ और उसके बाद उसे स्वस्थ घोषित किया गया था—याची ने चिकित्सा नुस्खे एवं स्वस्थता के चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 14.9.2006 को अपना पदग्रहण किया—जब याची इलाज के अधीन था, उसे दिनांक 12.8.2006 को आरोप मेमो जारी किया गया था कि वह फरार हो गया था और अनियमितता किया था जिसके विरुद्ध उसने सम्यक उत्तर दिया कि वह मानसिक रोग से पीड़ित था, अत: वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं था—याची के उत्तर पर विचार किए बिना अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप सिद्ध किया गया पाया गया था और बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया गया था—याची ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धाराओं 47 एवं 72 के अधीन संरक्षण इप्सित किया—अभिनिर्धारित, जाँच अधिकारी द्वारा याची की मानसिक बीमारी से संबंधित बचाव उत्तर पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया है, जाँच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष विकृत प्रकृति का था—जाँच अधिकारी द्वारा और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा भी विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है—बर्खास्तगी आदेश अभिखंडित किया गया, मामला केवल अभिलेख पर पहले से ही मौजूद दस्तावेजों के आधार पर विचार किए जाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी को वापस भेजा गया। (पैराएँ 9, 10, 12 से 14)

निर्णयज विधि.—1993 (4) SCC 727; 2006 (5) SCC 88—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. K.K. Singh, For the Petitioner; Mr. J.C. to A.G., For the Respondents.

आदेश

याची ने कमांडेन्ट, झारखंड सशस्त्र पुलिस बल, बोकारो के हस्ताक्षर के अधीन जारी मेमो सं॰ 2568 में अंतर्विष्ट दिनांक 1.10.2007 के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दिया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दिए गए तर्कों के मुताबिक मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची अचानक दिनांक 9.11.2005 को मानसिक रूप से बीमार हो गया और उस कारण अपनी चेतना गवाँ बैठा और राज्यपाल के निवास स्थान पर अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहा और दिनांक 12.11.2005 को मानसिक रोग के इलाज के लिए काँके मेंटल अस्पताल में भरती किया गया।

3. मानसिक रोग के क्रम में जब वह इलाज के अधीन था, प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने उसमें यह अभिकथित करते हुए दिनांक 12.8.2006 के मेमो सं॰ 2098 के तहत आरोप मेमो जारी किया है कि याची सुरक्षा प्रहरी के रूप में प्रतिनियुक्ति के क्रम में राज्यपाल के निवास स्थान से प्रभारी प्रहरी की अनुमति के बिना फरार रहा है। डॉक्टर यू॰ एन॰ चौधरी, चिकित्सा अधिकारी, आर॰ एम॰ ए॰ काँके, राँची के सलाह के अधीन दिनांक 12.11.2005 से दिनांक 9.9.2006 तक काँके मेन्टल अस्पताल में याची का इलाज किया गया था और दिनांक 9.9.2006 को अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने के लिए स्वस्थ घोषित किया गया था और तत्पश्चात, उसने उक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा नुस्खे एवं स्वस्थता के चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 14.9.2006 को अपना पदग्रहण किया किंतु दिनांक 12.8.2006 को उसमें यह अभिकथन करते हुए आरोप मेमो जारी किया गया है कि याची कार्यालय से फरार रहा है और इस प्रकार उसने अनियमितता किया है जिसके विरुद्ध उसने उसमें यह कथन करते हुए सम्यक उत्तर दिया है कि चूँकि वह मानसिक रोग से पीड़ित था, वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में सक्षम नहीं था किंतु उसके उत्तर पर विचार किए बिना आरोपों को सिद्ध किया गया पाया गया है और तत्पश्चात अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 1.10.2007 के आदेश के तहत याची पर बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया है।

4. याची ने दिनांक 1.10.2007 के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने के लिए दो अभिवचन किया है:–

(i) og fu%'kDr 0;fDr (leku volj] vfèkdkj lj{k.k ,o i.k Hkkxhnkjh) vfèkfu;e] 1995 (ble bld ckn vfèkfu;e] 1995 d :i e fufn"V) dh èkkjkvk 47 ,o 72 d vèkhu ljf{kr fd, tku dk gdnkj g D;kfd ;kph ekufld :i l chekj Fkk vkj ,lh n'kk e vfèkfu;e] 1995 dh èkkjk 47 d vèkhu çnku fd, x, lj{k.k dh nf"V e mldh lok vfHkekfpr ugh dh tk ldrh gA

(ii) tkp vfèkdkjh }kjk ;kph d cpko ij fcYdy fopkj ugh fd;k x;k g] vr% tkp fjikV foÑr g vkj pfd c[kkLrxh vkn'k foÑr tkp fjikV ij vkèkkfjr g] ;g fofèk dh nf"V e lik"k.kh; ugh gA

5. जहाँ तक प्रथम बिंदु अर्थात् अधिनियम, 1995 की धारा 47 का लाभ दिए जाने का संबंध है, अधिनियम, 1995 की धारा 47 उद्धृत करना आवश्यक है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*^^èkkjk 47. **ljdkjh fu;ktuk e HknHkko ghurk**-&(1) dkb LFkkiu fdlh depkjh dk vfHkekfpr ugh djxk vFkok J.kh e ugh ?kVk,xk tk viuh lok d nkjku fu%'kDrrk vftr djrk g%*

ijUr ;g fd ;fn dkb depkjh fu%'kDrrk vftr dju d ckn in ftl og èkkj.k dj jgk Fkk d fy, mi;Dr ugh g] ml mlh orueku ,o lok ykHkk d lkFk fdlh vU; in ij Hktk tk ldrk Fkk%

ijUr vkx ;g fd ;fn depkjh dk fdlh in d fo#) lek;kft r djuk lHko ugh g] ml vfèkl[; in ij mi;Dr in miyCèk gku rd vFkok vfèkof"krk dh vk; çkIr dju rd] tk Hkh igy gk] j[kk tk ldrk gA

(2) fdlh 0;fDr dk ek= fu%'kDrrk d vkèkkj ij çkUufr l budkj ugh fd;k tkuk pkfg,%

*ijUr ;g fd lefpr ljdkj fdlh LFkkiu e fd, tk jg dke d çdkj dk è;ku e j[kdj] vfèkIpuk }kjk vkj ,lh 'krk] ;fn gk] tk ,lh vfèkIpuk e fofufn"V dh tk ldrh g] d vè;èkhu fdlh LFkkiu dk bl èkkjk d çkoèkkuk l NV n ldrk gA***

6. इस निष्कर्ष पर आने के पहले कि क्या याची अधिनियम, 1995 की धारा 47 का लाभ पाने का हकदार है, नि:शक्तता अधिनियम, 1995 की धारा 2 (t) के अधीन दी गयी परिभाषा के मुताबिक नि:शक्त व्यक्ति की परिभाषा को देखना आवश्यक है जो निम्नलिखित कहती है:–

*^^fu%'kDr 0;fDr** l vfHkçr g fdlh fu%'kDrrk d pkyhl çfr'kr l vU;u fu%'kDrrk l ihfMr 0;fDr t lk fpfdRlh; çkfèkdkjh }kjk çek.k if=r fd;k x;k gA***

7. स्वीकृत रूप से, याची ने अपनी मानसिक अस्वस्थता से संबंधित कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र अभिलेख पर नहीं लाया है ताकि वह नि:शक्त व्यक्ति की परिभाषा जैसा अधिनियम की धारा 2(t) के अधीन परिभाषित किया गया है के अधीन और आगे नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1996 की धाराओं 3 एवं 4 के अधीन आ सके जो नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने तथा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन पर विचार करती हैं बल्कि याची ने अधिनियम, 1995 की धारा 47 का लाभ पाने के लिए केवल चिकित्सा नुस्खों पर विश्वास किया है।

8. याची का निवेदन इस तथ्य की दृष्टि में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याची ने अधिनियम, 1995 की धारा 2 (t) के अधीन दी गयी परिभाषा के मुताबिक मानसिक रोग की अपनी नि:शक्तता के समर्थन में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र अभिलेख पर नहीं लाया है।

9. अत:, याची का अभिवचन मामले के तथ्यों पर और अधिनियम, 1995 अथवा नियमावली, 1996 के अधीन विधिक प्रतिपादनाओं के आधार पर अस्वीकार किया जाता है।

10. जहाँ तक द्वितीय प्रतिवाद कि याची मानसिक रूप से बीमार था और याची द्वारा इस विनिर्दिष्ट बिंदु को जाँच अधिकारी के समक्ष उठाया गया है, का संबंध है, उसने रिट याचिका में विनिर्दिष्टत: अभिवचन नहीं किया है बल्कि रिट याचिका के पृष्ठ 38 को निर्दिष्ट करके न्यायालय के समक्ष इंगित किया है जो जाँच रिपोर्ट का भाग है जिसमें याची के बचाव उत्तर पर जाँच अधिकारी द्वारा चर्चा की गयी है जिसमें याची का विनिर्दिष्ट अभिवचन है कि उसका उसके मानसिक रोग के लिए दिनांक 12.11.2005 से इलाज किया जा रहा था और बीमारी से अच्छा होने के बाद उसने दिनांक 14.9.2006 को अपना पदग्रहण किया।

11. आगे उसने जाँच अधिकारी के मत के संबंध में इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें उसने बीमारी का विनिर्दिष्ट अभिवचन किया है, जिस पर जाँच अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है, अत: यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि जाँच रिपोर्ट विकृत है और उक्त जाँच रिपोर्ट पर आधारित दंड का आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है।

12. दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दंड के आदेश में दुर्बलता नहीं है क्योंकि इसे सम्यक प्रक्रिया के बाद पारित किया गया है और अनुशासनिक प्राधिकारी ने समस्त तथ्यों को विचार में लेने के बाद आदेश पारित किया है।

13. मेरे दृष्टिकोण में प्रत्यर्थीगण का यह अभिवचन इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि याची ने अभिवचन किया है कि वह मानसिक रूप से बीमार था और उसने उस प्रभाव के डॉक्टरों के अनेक चिकित्सा नुस्खों को संलग्न किया है जो पृष्ठ 22 से 32 तक संलग्न हैं और इस तथ्य को शीर्षक याची के ''बचाव उत्तर'' के अधीन दर्ज किया गया है किंतु, जाँच अधिकारी द्वारा दिए गए शीर्षक ''मत'' के अधीन मानसिक बीमारी के अभिवचन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए ऐसा निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है।

14. जाँच रिपोर्ट के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि याची की मानसिक बीमारी से संबंधित बचाव उत्तर पर जाँच अधिकारी द्वारा बिल्कुल विचार नहीं किया गया है, अत: जाँच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष विकृत प्रकृति का है। यहाँ इस संबंध में **प्रबंध निदेशक, ई॰ सी॰ आई॰ एल॰, हैदराबाद एवं अन्य बनाम बी॰ करुणाकर एवं अन्य, 1993 (4) SCC 727** में निर्णय को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जिसमें पैरा 28 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *^^vuPNn 311 (2) dgrk g fd depkjh dk ^^mld fo#) vkjkik d lcèk e luokb dk ;fDr;Dr volj** fn;k tkuk pkfg,A tkp vfèkdkjh tl rhlj 0;fDr }kjk vkjkik ij fn, x, fu"d"k] fo'k"krk tc o lk{; }kjk fl) fd, x, g vFkok lk{; dk vun[kk djd vFkok bldk xyr vFk yxkdj ikIr fd, x, g] Lo; e u, vuif{kr ykNu xfBr djr gA vkx tk g og ;g g fd tc mDr vuPNn dk ijUrd dFku djrk g fd ^^tgk ,lh tkp d ckn ml ij ,lk dkb nM vfèkjkfir dju dk çLrko fn;k tkrk g] ,lk nM ,lh tkp d nkjku fn, x, lk{; d vkèkkj ij vfèkjkfir fd;k tk ldrk g rFkk ,l 0;fDr dk iLrkfor nM ij vH;konu nu dk dkb volj nuk vfuok; ugh gkxk] ;g çHkko e fofHkUu foLrkj d nk mÙkjorh pj.kk dk Lohdkj djrk gA pfd nM tkp d ckn çLrkfor fd;k tkuk g] ftl tkp dk çHkko e vu'kkIfud çkfèkdkjh }kjk fd;k tkuk g (tkp vfèkdkjh d doy tkp dju ,o mldh lgk;rk dju d fy, fu;Dr mldk MyhxV gku d dkj.k)] tkp vfèkdkjh d fjikV d çfr depkjh dk mÙkj vkj vu'kkIfud çkfèkdkjh }kjk ,l mÙkj ij fopkj ,lh tkp dk v[kfMr Hkkx xfBr djrk gA f}rh; pj.k bl çdkj dh x;h tkp dk vulj.k djrk g vkj ;g çLrkfor nM d fo#) dkj.k crkvk ukfVl tkjh fd, tku vkj ukfVl d mÙkj ij fopkj fd, tku ,o nM fofuf'pr dju l xfBr gkrk gA**

एम॰ वी॰ बिजलानी बनाम भारत संघ, 2006 (5) SCC 88, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"25. ;g lR; g fd U;kf;d iufoykdu e U;k;ky; dh vfèkdkfjrk lhfer gA fdr] vu'kkIfud dk;okgh d nkfMd In'k gku d ukr vkjki fl) dju d fy, dN lk{; gkuk pkfg,A ;|fi foHkkxh; dk;okgh e vkjkik dk nkfMd fopkj.k dh rjg fl) dju dh vko';drk ugh g vFkkr leLr ;fDr;Dr Ing d ij] ge bl rF; dk utj vnkt ugh dj ldr g fd tkp vfèkdkjh U;kf;d dYi dk; dk ikyu djrk g ftl nLrkotk dk fo'y"k.k dju ij bl fu"d"k ij vkuk gkxk fd vfHky[k ij ektn lkexh d vkèkkj ij vkjkik dk fl) dju d fy,*

*vfèklHkkO;rk dh cgyrk FkhA ,lk djrs g,] og fdlh vçklfxd rF; dk fopkj e ugh y ldrk gA og çklfxd rF;k ij fopkj dju l budkj ugh dj ldrk gA og çek.k dk Hkkj f'k¶V ugh dj ldrk gA og doy vuekuk ,o vVdyk d vkèkkj ij xokgk dk çklfxd ifjlk{; vLohdkj ugh dj ldrk gA og mu vfHkdFkuk e tkp ugh dj ldrk g ftldk vkjki vipkjh vfèkdkjh ij ugh yxk;k x;k gA***

15. यहाँ ऊपर कथन किए गए तथ्यों की दृष्टि में, चूँकि जाँच अधिकारी द्वारा तथा साथ ही अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा भी विवेक का शुद्धत: गैर-इस्तेमाल हुआ है, अत: दिनांक 1.10.2007 का बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है, मामला अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष वापस भेजा जाता है जो प्राथमिकत: इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से 16 सप्ताह की अवधि के भीतर युक्तियुक्त अवधि के भीतर याची के बचाव उत्तर जिसे उसने पहले ही जाँच अधिकारी के समक्ष दाखिल किया है पर विचार करेंगे और याची को सुनवाई का अवसर देने के बाद गुणागुण पर मामले को नए सिरे से विनिश्चित करेंगे और इसे याची को संसूचित करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को केवल पहले से ही अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। याची को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष अभिलेख पर आगे कोई सामग्री प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

तद्नुसार, यह रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

डॉ॰ बिनोद प्रसाद गुप्ता

cuke

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य

W.P. (S) No. 2742 of 2005. Decided on 7th November, 2014.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक आवेदन

(क) भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—परमादेश–सेवा विधि–नियुक्ति–एम॰ एस॰ सी॰ (रसायन शास्त्र) में प्रथम श्रेणी एवं रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की अर्हता रखने वाले याची ने सहायक प्रोफेसर-सह-कनीय वैज्ञानिक (रसायन शास्त्र), मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र विभाग के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय को निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की क्योंकि उसने वर्ष 1989 से प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय में मृदा नमूनों के टेबुलेशन एवं सांख्यिकी डाटा के संबंध में रुटीन विश्लेषक के पद पर काम किया है और वह समेकित मजदूरी पर काम पर लगाया था–याची का प्रतिवाद यह है कि उक्त पद विज्ञापन सं॰ 4/1995 के अधीन विज्ञापित किया गया था और रिक्त बना रहा है यद्यपि उसे उक्त विज्ञापन के विरुद्ध साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और वह उसके अधीन उपस्थित भी हुआ था–उक्त विज्ञापन आगे विज्ञापन सं॰ 1/2000 और 1/2003 के माध्यम से अधिक्रांत किया गया था और याची ने भाग लिया था किंतु वह इच्छित अर्हता परिपूर्ण करने में विफल होने के कारण सफल नहीं हुआ था–अभिनिर्धारित, प्रथम प्रार्थना पर याची को अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। (पैराएँ 7 एवं 8)

(ख) सेवा विधि–नियुक्ति–प्रत्यर्थी सं॰ 7 की नियुक्ति और उक्त प्रत्यर्थी का वरीय वैज्ञानिक, कृषि भौतिक शास्त्र के पद पर स्थानांतरण को चुनौती दी गयी–समय के प्रासंगिक बिंदु पर जब भरती किया गया था, प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय ने मृदा विज्ञान विषय में सहायक प्रोफेसर-सह-कनीय वैज्ञानिक के पद पर प्रत्यर्थी सं॰ 7 को नियुक्त किया जिस पद के विरुद्ध उसने इस दावा के बूते पर आवेदन दिया था कि वह कृषि भौतिक शास्त्र में मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र के लघु विषय के साथ स्नातकोत्तर की अर्हता रखता था जिसे उसी विषय में कनीय वैज्ञानिक-सह-सहायक प्रोफेसर के उसी पद पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है–अभिनिर्धारित, प्रत्यर्थी सं॰ 7 को उसी अर्हता के बूते पर नियुक्त किया गया और वह आज की तिथि तक वर्ष 2004 से बना रहा–इस बीच उक्त नियुक्ति के कारण उसको अधिकार प्रोद्भूत हुआ जिसे लापरवाही भरे तरीके से अस्त-व्यस्त नहीं किया जा सकता है–यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या वर्ष 2004 में उक्त अर्हता के बूते पर प्रत्यर्थी सं॰ 7 की नियुक्ति विधि की दृष्टि में समुचित थी और क्या यह प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय में अध्यापन का हित पूरा करता है, प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय को विशेषज्ञ कमिटी गठित करने का निर्देश दिया गया–यदि ऐसे विकल्प पर उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है, उसे अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए–रिट याचिका अंशतः अनुज्ञात की गयी, आई॰ ए॰ निपटाया/बंद किया गया।

(पैराएँ 11 से 14)

निर्णयज विधि.–M/s Sohail Anwar, Afaque Ahmad, For the Petitioner; M/s A. Allam, Nehala Sharmin, For Birsa Agricultural University, Ranchi; M/s Rajiv Ranjan, Shresh Gautam and Piyush Chitresh, For the Resp. No. 7.

न्यायालय द्वारा.–याची, प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय एवं प्रत्यर्थी सं॰ 7 के विद्वान वरीय अधिवक्ता सुने गए।

2. यह गौर किया जाना है कि यद्यपि आरंभ में कतिपय अन्य व्यक्तियों को प्राइवेट प्रत्यर्थी सं॰ 4, 8 से 11 के रूप में पक्षकार बनाया गया था किंतु आई॰ ए॰ सं॰ 1516 वर्ष 2008 में दिनांक 27 अगस्त, 2009 को पारित आदेश द्वारा उन्हें विलोपित कर दिया गया है।

3. आरंभ में याची ने मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर-सह-कनीय वैज्ञानिक (रसायन शास्त्र) के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय को निर्देश देने की प्रार्थना किया था। तत्पश्चात् सहायक प्रोफेसर-सह-कनीय वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान) के पद पर प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिनांक 16 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं॰ 382, उक्त आई॰ ए॰ का परिशिष्ट-17, के माध्यम से प्रत्यर्थी से प्रत्यर्थी सं॰ 7 की नियुक्ति को चुनौती इप्सित करते हुए आई॰ ए॰ सं॰ 1125 वर्ष 2006 दाखिल किया गया था। दिनांक 4 जुलाई, 2006 के आदेश द्वारा यह संप्रेक्षित किया गया था कि ग्रहण के चरण पर इस रिट याचिका की सुनवाई के समय पर आई॰ ए॰ याचिका पर विचार किया जाएगा। उक्त प्रत्यर्थी नोटिस पर उपस्थित हुआ और प्रतिशपथ पत्र दाखिल करके मामले का प्रतिवाद भी किया। बाद में, रिट याची ने पुनः प्रत्यर्थी सं॰ 7 के स्थानांतरण को चुनौती इप्सित करते हुए आई॰ ए॰ सं॰ 2432 वर्ष 2006 दाखिल किया। रिट आवेदन में उक्त संशोधन पुरःस्थापित करने की अनुमति याची को देते हुए उक्त आई॰ ए॰ निपटाया गया था। उसमें दिनांक 29 अगस्त, 2006 के मेमो सं॰ 3589 को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गयी थी जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 7 को वरीय वैज्ञानिक (कृषि भौतिक शास्त्र) को रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया था और वरीय वैज्ञानिक, ड्राइलैन्ड, आई॰ सी॰ ए॰ आर॰ के पद के विरुद्ध अपना वेतन पाने की अनुमति दी गयी थी।

4. याची एम॰ एस॰ सी॰ (रसायन शास्त्र) में प्रथम श्रेणी और रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की अर्हता रखता है। याची के अनुसार, उसने वर्ष 1989 से प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय में रुटीन विश्लेषक के पद पर काम किया है जहाँ उसने मृदा नमूनों के टेबुलेशन एवं सांख्यिकी डाटा के संबंध में काम किया है। उसे समेकित मजदूरी पर काम पर लगाया गया था।

5. उसकी ओर से इस रिट याचिका को दाखिल करने का कारण यह है कि उसने कनीय वैज्ञानिक-सह-सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन सं॰ 04/1995 के अधीन आवेदन दिया था किंतु उसे इस तथ्य के बावजूद कि वह रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री की अर्हता रखता था जिसे प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन के मुताबिक आवश्यक बनाया गया था, कनीय वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है।

6. विवाद संक्षिप्त करने के लिए आरंभ में यह उपदर्शित किया जाना है कि विज्ञापन सं॰ 4/1995 और दिनांक 10 दिसंबर, 1995 को जारी इसके भूल सुधार के अधीन नियुक्ति नहीं की गयी थी। यह भी विवादित नहीं है कि उक्त पद के लिए अधिकथित अर्हता कृषि रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर के रूप में भूल सुधार में आगे विनिर्दिष्ट की गयी थी। बाद में 1/2000 एवं 1/2003 संख्यावाले विज्ञापन भी जारी किए गए थे जो इसमें इसके बाद निर्दिष्ट किए जाने के लिए प्रासंगिक है। यद्यपि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा एक अन्य विज्ञापन सं॰ 3/2004 पुनः जारी की गयी थी, विरोधी पक्षों के निवेदनों से प्रतीत होता है कि विज्ञापन सं॰ 1/2000 और विज्ञापन सं॰ 1/2003 के अधीन नियुक्ति प्रक्रिया की गयी थी। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि विज्ञापन सं॰ 4/1995 के प्रति जारी भूल सुधार ने विनिर्दिष्ट किया कि उसके अधीन उन उम्मीदवारों द्वारा नया आवेदन नहीं दिया जाना है जिन्होंने पहले ही विज्ञापन सं॰ 4/1995 के अधीन आवेदन दिया था किंतु पश्चातवर्ती विज्ञापन सं॰ 1/2000 एवं 1/2003 से प्रतीत होता है कि इन विज्ञापनों में कोई अनुबंध अंतर्विष्ट नहीं था कि व्यक्तियों जिन्होंने पहले विज्ञापन सं॰ 4/1995 के अधीन आवेदन दिया था को आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

7. चाहे जो भी हो, याची एवं प्रत्यर्थी सं॰ 7 दोनों को साक्षात्कार पत्र जारी किए गए थे जो विज्ञापन सं॰ 1/2000 एवं 1/2003 दोनों के लिए जारी किए गए प्रतीत होते हैं। यद्यपि एक अन्य विज्ञापन सं॰ 1/2000 द्वारा कनीय वैज्ञानिक-सह-सहायक प्रोफेसर का पद विज्ञापित किया गया था, किंतु कृषि रसायन शास्त्र के विषय के लिए नहीं बल्कि मृदा विज्ञान के लिए पद विज्ञापित किया गया था। पश्चातवर्ती विज्ञापन सं॰ 1/2003 में उसी पद अर्थात् कनीय वैज्ञानिक-सह-सहायक प्रोफेसर मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र के पद के लिए संबंधित विषय में उच्च द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समतुल्य स्नातकोत्तर डिग्री की अर्हता को अध्यापन/शोध/विस्तारण में दो वर्ष का अनुभव एवं उक्त पद के लिए बुनियादी प्रोफेशनल डिग्री की अतिरिक्त आवश्यकता को साथ आवश्यक बनाते हुए पदों को विज्ञापित किया गया था। वैसे उम्मीदवारों जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री थी को प्राथमिकता दी जानी थी। अतः, पूर्वोक्त विश्लेषण से निकाले गए सार से यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि याची एवं प्रत्यर्थी सं॰ 7 दोनों पर विज्ञापन सं॰ 1/2000 एवं 1/2003 के अधीन विज्ञापित पद के लिए विचार किया गया था। उन दोनों का कनीय वैज्ञानिक-सह-सहायक प्रोफेसर, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र, के पद पर नियुक्ति के लिए दावा था। जैसा प्रतीत होगा, याची के पास रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट दोनों की अर्हता थी। किंतु, उसके पास मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र

में स्नातकोत्तर की कोई अर्हता नहीं थी। अत:, विज्ञापित पद के लिए अर्हता की कमी की दृष्टि में याची को विज्ञापन सं॰ 1/2000 एवं विज्ञापन सं॰ 1/2003 के अधीन मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र के विषय के लिए कनीय वैज्ञानिक-सह-सहायक प्रोफेसर के पद के विरुद्ध नियुक्ति किए जाने का दावा याची नहीं कर सकता है।

8. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मामले की कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय ने पूछे जाने पर प्रकट किया है कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र विषय में कनीय वैज्ञानिक-सह-सहायक प्रोफेसर का पद रिक्त है। याची का प्रतिवाद यह है कि उक्त पद विज्ञापन सं॰ 4/1995 के अधीन विज्ञापित किया गया था और रिक्त बना रहा है यद्यपि उक्त विज्ञापन के विरुद्ध याची को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और वह उसके अधीन उपस्थित भी हुआ था। किंतु, इस चरण पर यह प्रतीत होता है कि उक्त दावा इस तथ्य की दृष्टि में कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त विज्ञापन के अधीन कोई नियुक्ति नहीं की गयी थी, न केवल बासी है बल्कि अमान्य भी है। उक्त विज्ञापन को आगे विज्ञापन सं॰ 1/2000 एवं 1/2003 के माध्यम से अधिक्रांत भी किया गया था जिसमें याची ने भाग लिया था किंतु प्रकटत: इच्छित अर्हता परिपूर्ण करने में विफल होने के कारण सफल नहीं हुआ था। अत: याची की पहली प्रार्थना पर अनुतोष प्रदान किया जा सकता है।

9. जहाँ तक आई॰ ए॰ सं॰ 1125 वर्ष 2006 के माध्यम से प्रत्यर्थी सं॰ 7 की नियुक्ति और आई॰ ए॰ सं॰ 2432 वर्ष 2006 के माध्यम से दिनांक 29 अगस्त, 2006 के एक अन्य कार्यालय आदेश द्वारा वरीय वैज्ञानिक, कृषि भौतिक शास्त्र, के पद पर उक्त प्रत्यर्थी के स्थानांतरण को चुनौती का संबंध है, विवाद्यक पर पृथक रूप से विचार किया जा रहा है। अपने प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से उक्त प्रत्यर्थी सं॰ 7 द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से प्रतीत होता है कि वह मुख्य विषय के रूप में कृषि भौतिक शास्त्र में और मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र के लघु विषय में स्नातकोत्तर की अर्हता रखता था। यह दिनांक 20 अगस्त 2014 के प्रतिशपथ पत्र के प्रति भारतीय कृषि शोध संस्थान, नई दिल्ली के स्नातकोत्तर विद्यालय के डीन द्वारा प्रस्तुत एम॰ एस॰ सी॰ ट्रांसक्रिप्ट (परिशिष्ट-5/2) के माध्यम से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी सं॰ 7 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2001 को जारी लेक्चररशिप/सहायक प्रोफेसरशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-S/3) पर भी यह दर्शाने के लिए विश्वास किया गया है कि वह मृदा विज्ञान, मृदा भौतिक शास्त्र एवं मृदा तथा जल संरक्षण के प्रोफेशनल विषय में दिसंबर, 1999 में उक्त परीक्षा में अर्हित हुआ था। इस प्रत्यर्थी को सहायक प्रोफेसर-सह-कनीय वैज्ञानिक (मृदा विज्ञान) के पद के लिए विज्ञापन सं॰ 01/2000 एवं 1/2003 के अधीन उपस्थित होने के लिए बुलाया भी गया था। उसका नियुक्ति पत्र दर्शाता है कि उसे उक्त पद पर 8000-13,500/- रुपयों के वेतनमान में दिनांक 16 जुलाई, 2004 को नियुक्त, (परिशिष्ट-S/5) किया गया है। अत: प्रत्यर्थी सं॰ 7 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि जब एक बार याची स्वयं पूर्वोक्त पद पर नियुक्त किए जाने का अपात्र था, प्रत्यर्थी सं॰ 7 की नियुक्ति को चुनौती देना उसको शोभा नहीं देता है। आगे यह तर्क किया गया है कि मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र के विषय भी स्नातकोत्तर में लघु विषय थे जिन्हें प्रत्यर्थी सं॰ 7 ने पूरा किया था और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। उसने कृषि भौतिक शास्त्र के विषय में भी पी॰ एच॰ डी॰ पाठ्यक्रम पूरा किया था।

10. किंतु प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से दिनांक 25 जुलाई, 2013 को दाखिल पूरक प्रतिशपथ पत्र एवं कारण बताओ के माध्यम से प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से

प्रतीत होता है कि विषय जिसमें विज्ञापित पद के लिए स्नातकोत्तर की आवश्यकता है, वह मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र है क्योंकि संबंधित शिक्षक को मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र पढ़ाना था। कारण बताओ में आगे यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी इस अर्थ में प्रत्यर्थी सं॰ 7 के दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन नहीं करता है कि वह कृषि रसायन शास्त्र में एम॰ एस॰ सी॰ नहीं था बल्कि कृषि भौतिक शास्त्र में एम॰ एस॰ सी॰ था। किंतु उसने एम॰ एस॰ सी॰ में कुछ लघु विषयों का अध्ययन किया था जो कृषि एवं मृदा विज्ञान से संबंधित थे। यह प्रतीत होता है कि पहले दाखिल प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय ने मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र के विषय में कनीय वैज्ञानिक-सह-सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 7 की अर्हता का समर्थन किया था। किंतु बाद में ऐसा दृष्टिकोण मामले की कार्यवाही के दौरान दाखिल कारण बताओ के जरिए सही किया जाना इप्सित किया गया था। कारण बताओ यह भी उपदर्शित करता है कि विश्वविद्यालय में जो विषय पढ़ाया जा रहा है, वह मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र है और शिक्षकों जिनको नियुक्त किया जाना था को मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र में और न कि किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करना चाहिए था। उन्होंने उपदर्शित किया है कि वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि ऐसा शिक्षक आवश्यक अर्हता नहीं रखता है।

11. किंतु यह प्रतीत होता है कि समय के प्रासंगिक बिंदु पर जब भरती किया गया था, प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय ने प्रत्यर्थी सं॰ 7 को मृदा विज्ञान के विषय में सहायक प्रोफेसर-सह-कनीय वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त किया था जिस पद के विरुद्ध उसने अपने इस दावा के बूते पर आवेदन दिया था कि वह मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र के लघु विषय के साथ कृषि भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की अर्हता रखता था। क्या मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र अर्थात् लघु विषय में अर्हता विज्ञापित पद जिसके अधीन उसे नियुक्त किया गया है की आवश्यकता परिपूर्ण करते हैं, यह विशेषज्ञ के मत का विषय वस्तु है। प्रकटत: जैसा अब प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से प्रतीत होता है, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र का विषय विश्वविद्यालय में उस व्यक्ति द्वारा पढ़ाया जा रहा है जिसे उक्त विषय में कनीय वैज्ञानिक-सह-सहायक प्रोफेसर के उसी पद पर नियुक्त किया गया है। किंतु प्रत्यर्थी सं॰ 7 को उसी अर्हता के बूते पर नियुक्त किया गया है और वह वर्ष 2004 से आज की तिथि तक बना हुआ है। इस बीच उक्त नियुक्ति के कारण उसको अधिकार उद्भूत हो सकता था जिसे लापरवाही से अस्त व्यस्त नहीं किया जा सकता है।

12. ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या वर्ष 2004 में उक्त अर्हता के बूते पर प्रत्यर्थी सं॰ 7 की नियुक्ति विधि की दृष्टि में समुचित थी और क्या प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय में अध्यापन का हित पूरा करती है, विशेषज्ञ कमिटी गठित करने का निर्देश प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय को देना समुचित मानती है। यह कहना अनावश्यक है कि चूँकि प्रत्यर्थी सं॰ 7 पर्याप्त लंबे समय से बना हुआ है, यदि ऐसे मत पर उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जाता है, उसे अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

13. किंतु यहाँ ऊपर दर्ज किए गए पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निष्कर्षों की दृष्टि में, इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि याची मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन शास्त्र के विषय के विरुद्ध प्रश्नगत विज्ञापन के अधीन कनीय वैज्ञानिक-सह-सहायक प्रोफेसर के पद पर उसको नियुक्त करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश जारी किए जाने के लिए मामला बनाने में विफल रहा है। जहाँ तक उक्त प्रार्थना का संबंध है,

रिट याचिका विफल होती है। किंतु, जैसा यहाँ ऊपर निर्देश दिया गया है, प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय प्राथमिकत: इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से 16 सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी सं॰ 7 की नियुक्ति के संबंध में युक्तियुक्त समय के भीतर पूर्वोक्त कार्य करेगा।

14. तद्नुसार, यहाँ ऊपर उपदर्शित तरीके से एवं सीमा तक रिट याचिका अंशत: अनुज्ञात की जाती है। परिणामस्वरुप, आई॰ ए॰ सं॰ 1125 वर्ष 2006 निपटायी जाती है और आई॰ ए॰ सं॰ 1516 वर्ष 2008 बंद की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

मुची राम महतो एवं एक अन्य

cuke

सतीश महतो एवं अन्य

S.A. No. 182 of 2008. Decided on 8th October, 2014.

(क) छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धाराएँ 83 एवं 89—वादीगण (प्रत्यर्थीगण) ने वाद संपत्ति में वादी सं॰ 3 के पक्ष में एक तिहाई हिस्से और प्रतिवादीगण के पक्ष में शेष एक तिहाई हिस्से का दावा करते हुए मुंसिफ के न्यायालय में बँटवारा वाद दाखिल किया–दोनों अवर न्यायालयों ने प्रतिवादीगण के पिता के पक्ष में अभिकथित रूप से प्रदान किए गए हुकुमनामा पर अविश्वास किया और इसे कूटरचित एवं मनगढ़ंत माना–हुकुमनामा जारी किए जाने के पहले जारी किए गए लगान रसीदों पर अविश्वास किया गया–उपायुक्त की अनुमति की अनुपस्थिति में दिनांक 26.9.1945 के हुकुमनामा का प्रदान वैध दस्तावेज नहीं है–अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि से उद्भूत विवाद पर सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धाराओं 83 एवं 89 के अधीन विचार किया गया था और अंतत: वाद के पक्षों के पक्ष में विनिश्चित किया गया था–प्रतिवादीगण राजस्व न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पक्ष थे किंतु उन्होंने दिनांक 26.9.1945 को लक्ष्मण महतो के पक्ष में अभिकथित रूप से प्रदान किए गए हुकुमनामा के आधार पर वाद भूमि के ऊपर अपना दावा कभी नहीं किया था–उन्होंने दिनांक 10.2.1945 के हुकुमनामा का अस्तित्व स्पष्टत: स्वीकार किया है। (पैराएँ 9 एवं 10)

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 100—द्वितीय अपील–दोनों अवर न्यायालयों के निष्कर्ष ठोस तर्क और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं दस्तावेज पर समुचित चर्चा पर आधारित हैं–अभिनिर्धारित, द्वितीय अपील में विनिश्चित किए जाने के लिए विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है–अपील खारिज की गयी। (पैरा 11)

अधिवक्तागण.–Mr. Lalit Kumar Lal, For the Appellant; None, For the Respondents.

आदेश

पक्ष सुने गए।

2. यह अपील अभिधान अपील सं॰ 65/2004 के संबंध में अपर न्यायिक आयुक्त, फास्ट ट्रैक कोर्ट, खूँटी द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित क्रमश: दिनांक 19.8.2008 और दिनांक 30.8.2008 के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अभिधान बँटवारा वाद सं॰ 19 वर्ष 1999 के संबंध में विद्वान मुंसिफ द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 24.7.2004 का निर्णय एवं दिनांक 6.8.2004 की डिक्री अभिपुष्ट की गयी है और अपील खारिज कर दी गयी थी।

3. अपीलार्थीगण (इसमें इसके बाद प्रतिवादीगण के रूप में निर्दिष्ट) मूल अभिधान बँटवारा सं॰ 19 वर्ष 1999 में प्रतिवादीगण थे जबकि प्रत्यर्थीगण (इसमें इसके बाद वादीगण के रूप में निर्दिष्ट) मुंसिफ के न्यायालय, खूँटी में दाखिल उक्त अभिधान बँटवारा वाद में वादीगण थे। यह प्रतीत होता है कि वादीगण ने वाद संपत्ति में वादी सं॰ 1 एवं 2 के पक्ष में एक-तिहाई हिस्सा, वादी सं॰ 3 के पक्ष में एक-तिहाई हिस्सा और प्रतिवादीगण के पक्ष में एक-तिहाई हिस्सा का दावा करते हुए मुंसिफ के न्यायालय में वाद दाखिल किया था।

4. वादीगण का मामला यह है कि ग्राम जानुमपीरी के आर॰ एस॰ भूखंड सं॰ 626 में से 3.69 एकड़ क्षेत्र माप वाली भूमि मंकी खेत्रों मोहन सिंह द्वारा दिनांक 10.2.1945 के हुकुमनामा के फलस्वरुप बंदोबस्त की गयी थी। वादीगण का आगे मामला यह है कि उन्होंने अपनी बंदोबस्त भूमि के निकट पार्श्व भूखंड को पुनर्जीवित किया और कोरकर के रूप में खेती के लिए इसे तैयार किया और इसके बाद वे 5.45 एकड़ के कुल क्षेत्रफल पर काबिज हुए। नवीनतम सर्वे जो प्रगति में था या जमीन्दार मनकी फनीभूषण सिंह वाद भूमि को गैर-मजरूआ के रूप में अपने खाता में येन-केन दर्ज करवाने में सफल हुआ। जब वाद के पक्षों को इस प्रकार दर्ज की गयी प्रविष्टि के बारे में पता चला, उन्होंने आपत्ति दाखिल किया और छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 83 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी। राजस्व अधिकारी ने दर्ज किया कि वाद भूमि में अभिधान की एकता है और अपने आदेश में अभिनिर्धारित किया कि संपत्ति में मुची राम महतो एवं हरिपदो (दोनों लक्ष्मण महतो के पुत्र) का एक हिस्सा होगा। दूती महतो एवं मोतीलाल, दोनों सिदम महतो के पुत्र, (वादी सं॰ 1 एवं 2) का एक हिस्सा होगा और चैता महतो के पुत्र दिलीप महतो का एक हिस्सा होगा।

5. छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम (इसमें इसके बाद सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 83 के अधीन पारित राजस्व अधिकारी के आदेशों से व्यथित होकर मुची राम एवं अन्य ने बंदोबस्ती अधिकारी के समक्ष सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 89 के अधीन पुनरीक्षण दाखिल किया और वहाँ भी बंदोबस्ती अधिकारी ने आदेश दिया कि पक्षों के नामों को उनके हिस्सा के मुताबिक नवीनतम खाता में उल्लिखित किया जाए। अमीन की रिपोर्ट भी इस तथ्य को उपदर्शित कर रही थी कि उक्त भूमि के संबंध में पक्षों के बीच अभिधान की एकता है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादीगण ने दावा किया है कि 3.69 एकड़ माप वाली भूमि दिनांक 26.9.1945 को महाप्रबंधक, विल्लंगम संपदा, राँची द्वारा प्रदान किए गए हुकुमनामा (प्रदर्श C) के फलस्वरुप उनके पिता लक्ष्मण महतो के नाम में बंदोबस्त की गयी थी। प्रतिवादीगण द्वारा इन भूमि के लगान का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा था। वाद भूमि के भाग में सिंचाई सुविधा थी और संबंधित विभाग द्वारा लचू उर्फ लक्ष्मण महतो के नाम में नहर पर्चा नियमित रूप से जारी किया गया है और प्रतिवादीगण द्वारा जलकर का भुगतान भी किया गया था। यद्यपि 3.69 एकड़ भूमि के लिए हुकुमनामा प्रदान किया गया था किंतु प्रतिवादीगण ने किसी के विरोध/आपत्ति के बिना कमोबेश 5.45 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित किया और खेती एवं कब्जा का उपभोग करते हुए इसे अपने स्वामित्व के अधीन लाया। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादीगण का आगे मामला यह है कि उन्होंने अपने पिता के पक्ष में अभिनिर्धारित उक्त बंदोबस्ती के कारण अच्छा एवं वैध अभिधान अर्जित किया था। उन्होंने 50 वर्षों से अधिक से वादीगण और उनके हितपूर्वाधिकारी सहित समस्त की जानकारी में खुले रूप से और प्रतिकूल रूप से अपने प्रतिकूल कब्जा द्वारा अपना अभिधान पुख्ता बनाया है।

7. प्रतिवादीगण ने मामला बनाया है कि वादपत्र की अनुसूची ए॰ में दी गयी तथा कथित Settlees की वंशावली अपूर्ण है क्योंकि लाल महतो के पाँच पुत्र थे। उक्त भूमि किसी हुकुमनामा द्वारा सिदम एवं चैता के पक्ष में बंदोबस्त कभी नहीं की गयी थी बल्कि इसे लक्ष्मण महतो उर्फ लघु (प्रतिवादीगण के पिता) के नाम में बंदोबस्त किया गया था।

8. विद्वान मुंसिफ ने पक्षों द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अभिनिर्धारित किया है कि वादभूमि के लिए अभिधान की एकता एवं कब्जा है और प्रतिवादीगण के पक्ष में संयुक्त रूप से वाद भूमि से एक तिहाई हिस्सा काढ़कर निकालने का निर्देश देते हुए वाद डिक्री किया।

9. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, प्रतिवादीगण ने अवर अपीलीय न्यायालय के समक्ष अभिधान अपील सं॰ 65/2004 दाखिल किया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री अभिपुष्ट किया गया है। अंतर्ग्रस्त विवाद्यकों पर दोनों अवर न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं।

10. मैंने अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का परिशीलन किया है जिनसे यह प्रतीत होता है कि अंतर्ग्रस्त एवं विरचित विवाद्यकों पर सही प्रकार से विचार किया गया है और दोनों न्यायालयों ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर समुचित रूप से चर्चा किया है। दोनों अवर न्यायालयों ने दिनांक 26.9.1945 को लघु उर्फ लक्षमण महतो (प्रतिवादीगण के पिता) के पक्ष में अभिकथित रूप से प्रदान किए गए हुकुमनामा पर अविश्वास किया है और इसे कूटरचित एवं मनगढ़ंत माना है और उसके लिए दोनों न्यायालयों द्वारा समुचित तर्क दिए गए हैं। यह चर्चा की गयी है कि लक्ष्मण महतो के पक्ष में हुकुमनामा जारी किए जाने के पहले लगान रसीदों को जारी किया था और इसलिए, उन लगान रसीदों पर अविश्वास किया गया था। विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त ने विस्तारपूर्वक चर्चा किया है कि उपायुक्त की अनुमति की अनुपस्थिति में महाप्रबंधक, विल्लंगम संपदा, राँची द्वारा लक्ष्मण महतो के पक्ष में हुकुमनामा का प्रदान वैध दस्तावेज नहीं था और वह ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे। प्रबंधक को छोटानागपुर विल्लंगम संपदा अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया था और अधिनियम की धारा 17 के अधीन पट्टा प्रदान करने की प्रबंधक की शक्ति संपूर्ण शक्ति नहीं है बल्कि अधिनियम की धारा 19 के अधीन विरचित नियमावली द्वारा अधिरोपित परिसीमा के अध्यधीन है। धारा 19 के अधीन विरचित नियम 16 पट्टा प्रदान करने के लिए प्रबंधक की अधिकारिता के प्रयोग के प्रति आरंभिक शर्त अधिरोपित करता है और नियम 16 के अल्पीकरण में प्रबंधक द्वारा की गयी कोई बंदोबस्ती शून्य एवं अधिकारिताहीन होगी।

11. दोनों अवर न्यायालयों द्वारा विचार किया गया अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धाराओं 83 एवं 89 के अधीन राजस्व अधिकारी के समक्ष कार्यवाही थी क्योंकि मनकी खेत्रो मोहन सिंह के पौत्र प्रेमानन्द सिंह ने विवाद उठाया था और इसलिए सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धाराओं 83 एवं 89 के अधीन मामला ग्रहण किया गया था। अधिकार अभिलेख में की गयी प्रविष्टि से उद्भूत् विवाद पर सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धाराओं 83 एवं 89 के अधीन विचार किया गया था और अंतत: वाद के पक्षों के पक्ष में विनिश्चित किया गया था। प्रतिवादीगण राजस्व न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के पक्ष थे किंतु उन्होंने दिनांक 26.9.1945 को लक्ष्मण महतो उर्फ लछू के पक्ष में अभिकथित रूप से प्रदान किए गए हुकुमनामा के आधार पर वाद भूमि के ऊपर अपना दावा कभी नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से दिनांक 10.2.1945 के हुकुमनामा का अस्तित्व और वाद भूमि के ऊपर पक्षों का कब्जा स्वीकार किया है।

12. चूँकि दोनों अवर न्यायालयों के निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर समुचित चर्चा के बाद ठोस तर्क पर आधारित हैं मैं इस द्वितीय अपील में विनिश्चित किए जाने के लिए विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं पाता हूँ।

13. मामले के उस दृष्टिकोण में, मैं अपील में गुणागुण नहीं पाता हूँ और इसे खारिज किया जाता है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

सुशील कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 6604 of 2011. Decided on 13th November, 2014.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—उत्प्रेषण–सेवा विधि–पेंशन–याची वर्ष 1979 से नियमित स्थापन में लिए जाने तक निर्धारित कर्म स्थापन में बना रहा–प्रत्यर्थी ने वर्ष 1994 के बाद भी याची से काम लिया था जब उसका वेतन रोक दिया गया था–निर्धारित कर्म स्थापन में किए गए उसके काम से संबंधित याची का प्रतिवाद बी॰ डी॰ ओ॰ की संसूचना द्वारा समर्थित है और प्रतिशपथ पत्र के पैरा 10 में दिए गए बयान द्वारा भी संपुष्ट किया गया है–अभिनिर्धारित, याची के वर्ष 1979 में आरंभिक काम में लगाए जाने से 30 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यर्थी राज्य को सेवा देने का पूर्ण पीठ द्वारा अधिकथित विधि के मुताबिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया–रिट याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–2005(3) JCR 9 (Jhr.)(FB)—Followed.

अधिवक्तागण.–M/s Ritu Kumar, Samavesh Bhanj Deo, Vikash Kumar, For the Petitioner; J.C. to A.A.G., Mrs. Richa Sanchita, For the Respondents.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

वर्तमान अंतर्ग्रस्त विवाद्यक यह है कि क्या याची जिला बोकारो में प्रखंड विकास अधिकारी, बेरमो के कार्यालय के अधीन रात्रि प्रहरी के पद पर सेवा से अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन का हकदार है? किंतु प्रत्यर्थी सं॰ 3, अपर समाहर्ता–सह–नोडल अधिकारी, सेवानिवृत्ति शिकायत कोष्ठ, बोकारो ने दिनांक 17.5.2010 के मेमो सं॰ 668 वाले आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–7) द्वारा याची का दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि उसने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 31.7.2009 को सेवा का केवल 8 वर्ष 6 माह 20 दिन पूरा किया है और सेवा के आज्ञापक 10 वर्षों को पूरा नहीं किया है जैसा पेंशन नियमावली के अधीन आवश्यक है।

3. मामले के कुछ प्रासंगिक तथ्य जिनको ध्यान में लेने की आवश्यकता है को यहाँ नीचे उपदर्शित किया जाता है:–

याची पहले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन धोरी डाकबंगला में रात्रि प्रहरी के रूप में कार्यरत था। दिनांक 11.10.1979 को उसकी सेवा समाप्त की गयी थी चूँकि तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा डाकबंगला का कब्जा ले लिया गया था। याची ने विकास उपायुक्त, बोकारो को संबोधित प्रखंड विकास अधिकारी, बेरमो द्वारा जारी दिनांक 13.9.1999 के पत्र सं॰ 573 द्वारा समर्थित रिट याचिका के पैरा 5 एवं 7 में विनिर्दिष्ट मामला बनाया है कि वह दिनांक 13.10.1979 से वर्ष 1994 तक लगातार रात्रि प्रहरी के पद पर निर्धारित कर्म स्थापन में कार्यरत था। परिशिष्ट–2 यह भी उपदर्शित करता है कि उसे वर्ष 1979 से फरवरी, 1994 तक दर विशेष पर प्रतिमाह मजदूरी का और कार्यभारित कर्मचारी के

रूप में बोनस का भी भुगतान किया गया था। वर्ष 1994 से मजदूरी रोक दी गयी थी। याची का ऐसा प्रतिवाद प्रत्यर्थी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया था जैसा दिनांक 11.1.2012 को दाखिल प्रतिशपथ पत्र के पैरा 10 से प्रतीत होगा जिसको यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*^^ijk 10. fd fjV vkonu d ijk 5 l 7 e fn, x, c;ku d lcèk e ;g dFku ,o fuonu fd;k tkrk g fd ;kph u fuèkkfjr de (jkf= çgjh) d :i e dke fd;k Fkk vkj mlu fuèkkfjr de depkjh d :i e Qojh] 1994 rd ckul d lkFk etnjh ik;k FkkA***

4. ऐसा बयान दिनांक 4.3.2013 को दाखिल याची के प्रत्युत्तर के प्रति प्रत्यर्थीगण के उत्तर के पैरा 10 में दिए गए बयान द्वारा आगे संपुष्ट किया गया है। आनुषंगिक रूप से याची अपने दावा के बूते पर कि उसने वर्ष 1979 से धोरी डाक बंगला में रात्रि प्रहरी के रूप में काम किया था, चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी के के रूप में उसको नियुक्त करने के लिए और समुचित वेतनमान का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3483 वर्ष 1997 (आर॰) में पटना उच्च न्यायालय के पास आया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 6.7.1999 के निर्णय, परिशिष्ट–1, द्वारा रिट याचिका अनुज्ञात किया और प्रत्यर्थीगण, विशेषत: प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 3 को मुख्यत: आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर याची की सेवा को तुरन्त नियमित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी राज्य द्वारा दाखिल लेटर्स पेटेन्ट अपील एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 546 वर्ष 1999 (आर॰) में दिनांक 11.7.2000 के निर्णय, परिशिष्ट–4, के तहत पटना उच्च न्यायालय, राँची पीठ की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दी गयी थी। याची को दिनांक 6.1.2001 के मेमो सं॰ 5 वाले उपायुक्त, बोकारो द्वारा जारी आदेश, परिशिष्ट–5 द्वारा नियमित स्थापन में लिया गया था।

5. इन तथ्यों पर याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि (i) याची वर्ष 1979 से निर्धारित कर्म स्थापन में और तत्पश्चात दिनांक 6.1.2001 से दिनांक 31.7.2009 को अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि तक नियमित स्थापन में बना रहा; (ii) यद्यपि दिनांक 6.7.1999 के निर्णय द्वारा याची की सेवा को तुरन्त नियमित करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था किंतु प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 6.1.2001 को नियमितिकरण का आदेश जारी किए जाने तक निर्णय विलंबित किया। अत:, यदि निर्णय की तिथि से भी 10 वर्षों की अवधि की गणना की जानी है, उसने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पहले आज्ञापक अवधि पूरा कर लिया होता; (iii) यह निवेदन किया गया है कि अन्यथा भी याची निर्धारित कर्म स्थापन में बने रहने पर **राम प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, 2005 (3) JCR 9 (Jhr.) (F.B.),** मामले में इस न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की दृष्टि में पेंशन, उपदान, अवकाश नगदीकरण, जी॰ पी॰ एफ॰ एवं सामूहिक बीमा राशि का दावा करने का हकदार है यदि उसने निर्धारित कर्म स्थापन में काम किया था। उक्त निर्णय के पैरा–17 में अधिकथित निर्णयाधार के प्रति निर्देश किया गया है जिसमें यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्धारित कर्म कर्मचारी, जिसने निर्धारित कर्म स्थापन में एक पद के विरुद्ध पाँच वर्ष से अधिक का लगातार सेवा पूरा किया था और अन्यथा पात्र है, को नियुक्ति की तिथि ध्यान में लिए बिना स्थायी (नियमित) स्थापन में सेवा देने के लिए अपने मामले पर पुनर्विचार करवाने का अधिकार है। यह निवेदन किया गया है कि अन्यथा भी, जैसा पैरा 17 (iii) में अभिनिर्धारित किया गया है, याची पेंशन का हकदार था यदि उसे निर्धारित कर्म स्थापन से नियमित स्थापन में नहीं लिया गया था। अत: यह निवेदन किया गया है कि जब एक बार प्रत्यर्थी विवादित नहीं करता है कि याची पूरे समय तक वर्ष 2001 तक निर्धारित कर्म स्थापन में बना रहा है, प्रत्यर्थीगण द्वारा पेंशन से इनकार करने का आधार विधि में और तथ्यों पर अमान्य है।

6. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया है और निवेदन किया है कि राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं यदि उसने नियमित सेवा के 10 वर्षों की आज्ञापक अवधि को पूरा किया है। याची के मामले में, उसने केवल 8 वर्ष 6 माह 20 दिन तक काम किया था जब उसे नियमित स्थापन में लिया गया था। अत:, आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो विधि की दृष्टि में समुचित है।

7. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और याची द्वारा विश्वास किए गए निर्णय के आधार पर वर्तमान अंतर्ग्रस्त विवाद्यक पर विचार किया है। यह तथ्य कि याची नियमित स्थापन में लिए जाने तक वर्ष 1979 से निर्धारित कर्म स्थापन में बना रहा है, विवादित मामला नहीं है जैसा यहाँ ऊपर संप्रेक्षित भी किया गया है। याची के मामले में दिए गए निर्णय परिशिष्ट–1 से भी उसके पैरा 6 से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण ने वर्ष 1994 के बाद भी याची से काम लिया था जब याची का वेतन रोक दिया गया था। दिनांक 13.9.1999 की प्रखंड विकास अधिकारी, बेरमो की संसूचना, परिशिष्ट–2 भी निर्धारित कर्म स्थापन में किए गए उसके काम से संबंधित याची के प्रतिवाद का समर्थन भी करता है और प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र के पैरा 10 में दिए गए बयान और याची के प्रत्युत्तर के प्रति उनके उत्तर द्वारा भी संपुष्ट किया गया है जो इसमें इसके ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। एक ओर, यदि याची को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की तिथि से उसमें उनके द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देश के मुताबिक याची नियमित किया जाता, वह निश्चय ही दिनांक 31.7.2009 को अपनी सेवानिवृत्ति के पहले नियमित सेवा में सेवा को 10 वर्षों को पूरा किया होता। अन्यथा भी, यदि नियमित सेवा की उक्त अवधि की गणना नहीं की जाती है, तब भी याची प्रत्यर्थीगण के अधीन निर्धारित कर्म स्थापन में 21 वर्ष से अधिक तक बना रहा है। अत: पेंशन के लिए याची का दावा **राम प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (ऊपर)** में पूर्णपीठ के निर्णय द्वारा अधिकथित निर्णयाधार के आधार पर आच्छादित है जिसके पैरा 17 को विनिर्दिष्टत: यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

^^ijk 17:-vr% e vfHkfuèkkfjr djrk g fd%

(i) fuèkkfjr de depkjhx.k ftUgku fuèkkfjr de LFkkiu e ,d in d fo#) ikp o"kk l vfèkd yxkrkj lok ijk fd;k g vkj vU;Fkk ik= g] d ikl viuh fu;fDr dh frFk;k dk è;ku e fy, fcuk LFkk;h (fu;fer) LFkkiu e mudh lok fy, tku d fy, mud ekeyk ij fopkj djoku dk vfèkdkj gA

fdr fdlh in dk èkkfjr ugh dju oky nfud etnjh ij dk;jr fuèkkfjr de depkjhx.k bld gdnkj ugh gA

(ii) fuèkkfjr de depkfj;k d vkfJr vudik d vkèkkj ij fu;fDr dk nkok dju dk gdnkj ugh g(vkj

*(iii) fu;fer orueku e in d fo#) dk;jr fuèkkfjr de depkjhx.k] ;fn o vU;Fkk i'ku] minku] vodk'k uxnhdj.k vftr dju d fy, vè; if{kr vgd vofèk ifji.k djr g] mudh lok fuofÙk ij vkj mudh eR; d ckn mud mÙkjkfèkdkjh@vkfJr i'ku@ikfjokfjd i'ku] minku] vodk'k uxnhdj.k] vkfn d vfrfjDr th0 ih0] ,Q0 vkj lkefgd chek jkf'k t l eR;&lg&lokfuofÙk ykHkk dk nkok dju d gdnkj gA***

8. इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद भी कि वह वर्ष 1979 से वर्ष 2001 में नियमित स्थापन में लिए जाने तक निर्धारित कर्म स्थापन में बना रहा था और अपनी सेवानिवृत्ति तक इस दशा में नियमित स्थापन में बना रहा; याची को पेंशन से इनकार करने के लिए प्रत्यर्थीगण का दृष्टिकोण असाम्यापूर्ण भी प्रतीत होता है। अत: याची को वर्ष 1979 में सेवा में लगाए जाने के आरंभ से 30 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यर्थी राज्य को सेवा देने पर **राम प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य (ऊपर)** में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अधिकथित विधि के मुताबिक, जिसे यहाँ ऊपर उद्धृत किया गया है, पेंशन का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

9. इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में, दिनांक 17.5.2010 का आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट–7) विधि की दृष्टि में एवं तथ्यों पर संपोषित नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार अभिखंडित किया जाता है। प्रत्यर्थीगण को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याची को ग्राह्य पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vkjh vkjh çlkn ,o jkxku e[kkikè;k;] U;k;efrx.k

मांझी टुडु उर्फ धेना टुडु एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 2034 of 2004. Decided on 15th October, 2014.

सत्र मामला सं॰ 79 वर्ष 2004 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 17.9.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

दांडिक विचारण–साक्ष्य का अधिमूल्यन–बाल गवाह–बाल गवाह ने इस प्रभाव का परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थीगण ने मृतक पर गैता एवं लाठी से प्रहार किया–उसके द्वारा ऐसे प्रकटीकरण पर सूचक अन्य अ॰ सा॰ के साथ मृतक के घर आया और उसे खून से लथपथ दरी पर पड़ा पाया–परिसाक्ष्य आई॰ ओ॰ के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से संपुष्टि पाता है और चिकित्सीय साक्ष्य से भी पुष्टि पाता है जिसके द्वारा डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर अनेक उपहतियों को ध्यान में लिया जो उनके अनुसार भारी कड़े भोथड़े पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी–बाल गवाह के परिसाक्ष्य को त्यक्त करने का कारण नहीं है–अपील खारिज। (पैरा 11)

अधिवक्तागण.–Mr. K.K. Ojha, For the Appellants; Mr. M.B. Lal, For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील सत्र मामला सं॰ 79 वर्ष 2004 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 17.9.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को श्यामलाल हेम्ब्रम की हत्या करने का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भुगतने का दंड दिया गया है और आगे 5000/- रुपयों का जुर्माना का भुगतान करने का और व्यतिक्रम में एक वर्ष का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 18/19 मार्च, 2004 को रात्रि लगभग 11 बजे अपीलार्थी सं॰ 1 मांझी टुडु दुलार हेम्ब्रम, सूचक (अ॰ सा॰ 7) के घर मृतक श्यामलाल हेम्ब्रम के पुत्रों पटल हेम्ब्रम (अ॰ सा॰ 2) और कारला हेम्ब्रम के साथ आया। जब सूचक ने मांझी टुडु से श्यामलाल हेम्ब्रम के अता-पता के बारे में पूछा, उसने उसको बताया कि वह वहाँ नहीं है और तब घर से चला गया। तब मृतक के पुत्र पटल हेम्ब्रम (अ॰ सा॰ 2) ने सूचक (अ॰ सा॰ 7) को बताया कि उसके ममेरे दादा (अपीलार्थी सं॰ 1 माँझी टुडु) और मामाओं अपीलार्थी सं॰ 2 एवं 3 रामेश्वर टुडु तथा देने टुडु ने गैता एवं डंडा जो घर में है से प्रहार करके उसके पिता की हत्या कर दी है। यह जानने पर, अ॰ सा॰ 7, ग्राम प्रधान लिखन किस्कू (अ॰ सा॰ 1), प्रामाणिक और धर्मनाथ किस्कू (अ॰ सा॰ 3) के साथ मृतक श्यामलाल हेम्ब्रम के घर आया जहाँ उन्होंने मृत शरीर को जमीन पर पड़ा पाया। वहाँ उन्होंने खून से सना गैता एवं डंडा भी पाया। इसके अतिरिक्त, चटाई जिस पर मृत शरीर पड़ा हुआ था भी खून से सना था। यह ध्यान में लेने के बाद अ॰ सा॰ 1 पुलिस को घटना के बारे में सूचित करने के लिए पुलिस थाना आया। सूचना पाने पर, आई॰ ओ॰ (अ॰ सा॰ 7) प्रभारी-अधिकारी के साथ घटनास्थल पर आया जहाँ अमरापारा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी अर्थात् एस॰ एस॰ तिवारी ने सूचक (अ॰ सा॰ 7) का फर्दबयान (प्रदर्श 3) दर्ज किया जिसने वही विवरण दिया जिसका कथन ऊपर किया गया है और घटना के हेतु के बारे में भी कथन किया जिसमें सूचक ने कथन किया कि मृतक अपीलार्थी सं॰ 2 रामेश्वर टुडु के साथ मांस बेचने हाट गया था। वहाँ मृतक ने किसी को कीमत लिए बिना मांस बेचा। इससे रामेश्वर टुडु चिढ़ गया और चिढ़ के कारण उसने मृतक पर प्रहार किया। जब मृतक घर आया, उसने अपनी पत्नी को अपना गुस्सा जताया और उससे कहा कि वह उसकी और उसके भाई रामेश्वर टुडु की भी हत्या कर देगा।

3. तब आई॰ ओ॰ ने मामले का अन्वेषण शुरू करने के बाद अधिग्रहण सूची (प्रदर्श 5) के अधीन खून से सना गैता एवं लाठी जब्त किया। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 4) तैयार किया गया था। तत्पश्चात, मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ एल॰ के॰ भगत (अ॰ सा॰ 5) द्वारा किया गया था। डॉक्टर ने निम्नलिखित बाह्य उपहतियों को पाया:-

(i) xkyh d Bhd uhp Åijh xnu d Åij 2" x 1/2" x 1/2" dk ,d fonh.k t[e

(ii) eg d Bhd nk;h vkj 2" x ½" x ½" vkdkj dk fonh.k t[eA

(iii) nk,j dku d fudV 2" x 1/2" x 1/2" dk ,d fonh.k t[eA

(iv) nk,j ijkbVy {k= ij flj dh [kky d Åij 2" x 1/2" x 1/2" dk ,d fonh.k t[eA

(v) nk,j vkDlhihVy {k= ij flj dh [kky d Åij 2" x 1/2" x 1/2" dk ,d fonh.k t[e

चीर-फाड़ करने पर-

(I) eLrd ,o xnu% flj dh [kky [kyu ij ijkbVy ,o vkDlhihVy {k= ij cu dk migfr ik;k x;k FkkA xnu d Åijh Hkkx e] xnu] jDr ufydkvk ,o ul dh migfr ik;h x;h FkhA

(II) FkkjDl% FkkjDl [kkyu ij nkuk QQMk ,o ân; dk fuLrt ik;k x;k FkkA

(III) iV% iV [kkyu ij vip [kk| ik;k x;k FkkA eR;j d le; l chrk le; 18-24 ?kVk d Hkhrj FkkA

डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार किया कि मृत्यु भारी कड़े भोथरे पदार्थ द्वारा ब्रेन की उपहति द्वारा कारित हेमरेज एवं आघात के कारण कारित की गयी थी।

4. अन्वेषण पूरा करने पर, समस्त तीनों अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। तद्नुसार, अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ अपीलार्थीगण का विचारण किया गया था जिसके दौरान अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 लिखन किस्कू एवं अ॰ सा॰ 3 धर्मनाथ किस्कू ने परिसाक्ष्य दिया है कि जब सूचक (अ॰ सा॰ 7) ने उनको घटना के बारे में सूचित किया, वे घटना स्थल पर आए और चटाई पर मृत शरीर पड़ा पाया जो खून से सना था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने खून से सना गैता एवं लाठी भी देखा। अ॰ सा॰ 1 के अनुसार, उसने पुलिस थाना को सूचित किया। पुलिस घटना स्थल पर आयी और सूचक का फर्दबयान दर्ज किया। अ॰ सा॰ 4 बरसन किस्कू ने परिसाक्ष्य दिया है कि सूचक ने उसको रात में मृतक के घर रुकने के लिए कहा था अ॰ सा॰ 6 देबी लाल हेम्ब्रम अनुश्रुत गवाह है। उसके अनुसार, चूतर हेम्ब्रम जो मृतक का पुत्र बताया जाता है ने उसको प्रकट किया कि अपीलार्थीगण ने मृतक की हत्या की थी। अ॰ सा॰ 7 (सूचक) ने भी इसी तरीके का परिसाक्ष्य दिया है जैसा उसने अपने फर्दबयान में दिया था। मृतक का पुत्र अ॰ सा॰ 2 पटल हेम्ब्रम एकमात्र चश्मदीद गवाह है। उसके अनुसार, अपीलार्थीगण ने ही उसके मृतक पिता पर गैता एवं लाठी से प्रहार किया था जिस कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

5. अभियोजन मामला बंद करने के बाद अपीलार्थीगण के विरुद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसाने वाले साक्ष्यों को उनको दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन स्पष्ट किया गया था जिससे उन्होंने इनकार किया।

6. विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 2 का परिसाक्ष्य जो चिकित्सीय साक्ष्य से और वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से भी संपुष्टि पा रहा था, विश्वसनीय पाने पर पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज किया।

7. उस आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण द्वारा इस अपील को दाखिल किया गया है।

8. अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ के॰ ओझा निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से मृतक के पुत्र अ॰ सा॰ 2 बाल गवाह है और बाल गवाह को सिखाना पढ़ाना आसान है और तद्द्वारा, किसी अन्य गवाह से किसी संपुष्टि की अनुपस्थिति में न्यायालय को अ॰ सा॰ 2 के परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। आगे यह निवेदन किया गया था कि अ॰ सा॰ 1 के अनुसार उसने पुलिस के समक्ष मामले का रिपोर्ट किया था जिसे उसके अनुसार पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और उसने बाएँ अंगूठे का निशान भी इस पर लगाया था किंतु दस्तावेज का वह टुकड़ा शायद इस कारण से अभियोजन द्वारा नहीं लाया गया है कि इसने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया होता और तद्द्वारा, अभियोजन के मामले के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाए और इन परिस्थितियों के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

9. इसके विरुद्ध राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चश्मदीद गवाह से कुछ भी नहीं निकाला गया है ताकि अ॰ सा॰ 2 का परिसाक्ष्य त्यक्त किया जा सके जो यद्यपि बाल गवाह

है, किंतु यह स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसने पट्टी पढ़ाए जाने पर न्यायालय में परिसाक्ष्य दिया है और, तद्द्वारा न्यायालय ने सही प्रकार से इस पर विश्वास किया है।

10. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अ॰ सा॰ 2 को पट्टी पढ़ाए जाने का प्रश्न कभी नहीं उद्भूत होता है। घटना के तुरन्त बाद जब उसे अपीलार्थीगण में से एक ममेरे दादा द्वारा अ॰ सा॰ 7 के घर लाया गया था, अ॰ सा॰ 2 ने सूचक (अ॰ सा॰ 7) को प्रकट किया कि अपीलार्थीगण ने उसके पिता की हत्या की है जिस तथ्य का परिसाक्ष्य अ॰ सा॰ 7 द्वारा भी दिया गया है और यह उसके फर्दबयान में भी है।

11. अ॰ सा॰ 2 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने इस प्रभाव का परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थीगण ने गैता एवं लाठी से मृतक पर प्रहार किया था। अ॰ सा॰ 2 द्वारा ऐसा प्रकटीकरण किए जाने पर सूचक अ॰ सा॰ 7 अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 3 के साथ मृतक के घर आया जहाँ उन्होंने मृतक को गद्दे पर पड़ा पाया जो खून से सना था। वहाँ उन्होंने खून से सना गैता एवं लाठी भी पाया और इन्हें आई॰ ओ॰ द्वारा जब्त किया गया है। गद्दा जिस पर मृतक मृत पड़ा था भी खून से सना हुआ था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अ॰ सा॰ 2 का परिसाक्ष्य आई॰ ओ॰ के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष से संपुष्टि पाता है। केवल यही नहीं, अ॰ सा॰ 2 का परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी संपुष्टि पाता है जिसके द्वारा डॉक्टर ने मृतक के शरीर पर अनेक उपहतियों को ध्यान में लिया था जो डॉक्टर अ॰ सा॰ 5 के अनुसार भारी कड़े भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी हैं और इन परिस्थितियों के अधीन बाल गवाह के परिसाक्ष्य को त्यक्त करने का कारण नहीं है।

12. यह कथन किया जाए कि अ॰ सा॰ 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना जानने पर उसने पुलिस थाना को सूचित किया, जिसे पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था किंतु अ॰ सा॰ 8 आई॰ ओ॰ ने इस तथ्य से इनकार किया है जिसमें उसने परिसाक्ष्य दिया है कि यह कहना सही नहीं है कि अ॰ सा॰ 1 द्वारा दिए गए बयान को लेखबद्ध किया गया था जो सुझाता है कि अ॰ सा॰ 1 ने पुलिस थाना को सूचना दिया होगा और केवल ऐसी सूचना पाने पर पुलिस घटनास्थल पहुँची।

13. इन परिस्थितियों के अधीन, अ॰ सा॰ 1 का इस प्रभाव का परिसाक्ष्य, जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है, का अभियोजन मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कभी नहीं होगा।

14. तद्नुसार, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अपीलार्थीगण के विरुद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश दर्ज किया है और इसलिए, इसे अभिपुष्ट किया जाता है।

15. चूँकि अपीलार्थी सं॰ 1 जमानत पर है, उसका जमानत बंधपत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है और दंडादेश पूरा करने के लिए उसे तुरन्त अभिरक्षा में लेने का निर्देश दिया जाता है।

16. परिणामस्वरुप, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn] U;k;efr

अजय कुमार

cuke

झारखंड राज्य, सी॰ बी॰ आई॰ के माध्यम से

Cr. M.P. No. 1643 of 2011. Decided on 14th November, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 420, 468, 471 के अधीन और पी॰ सी॰ अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13 (1) (d) के अधीन पारित संज्ञान के आदेश का अभिखंडन–याची ने वरीय प्रबंधक, कच्ची सामग्री विभाग, के रूप में 1.5 प्रतिशत से अधिक सिलिका मात्रा वाला डोलोमाइट प्राप्त किया और भुगतान अनुशंसित किया–आर॰ एवं सी॰ ने अनेक नमूनों की परीक्षा किया और सिलिका की मात्रा 2.15% एवं 4.4% के बीच पाया–जिसकी जानकारी याची को थी, फिर भी उसने आपूर्ति आदेश के निबंधनानुसार कोई दंड अधिरोपित नहीं किया–अभिनिर्धारित किया गया, आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं है–मामला खारिज। (पैराएँ 9 एवं 10)

अधिवक्तागण.–M/s. Pandey Neeraj Rai, R.R. Sinha; For the Petitioner M/s Mokhtar Khan, Niranjan Kumar, For the CBI.

आदेश

यह आवेदन आर॰ सी॰–6ए॰/09/ई॰ में विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰–सह–ए॰ डी॰ जे॰–I, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 29.6.2010 के आदेश के अभिखंडन के लिए दाखिल किया गया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 120B सह–पठित धाराएँ 420/468/471 के अधीन तथा साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान याची के विरुद्ध लिया गया है।

2. अभियोजन का मामला यह है कि वर्ष 2008 के दौरान मेसर्स बोकारो स्टील प्लान्ट लिमिटेड (बी॰ एस॰ एल॰) ने मेसर्स डोलोमाइट खनन निगम बारादार, छत्तीसगढ़ (मेसर्स डी॰ एम॰ सी॰) से अत्यधिक दर पर दिनांक 30.1.2008 के खरीद आदेश के तहत सिलिका मात्रा के साथ 1,69,000 एम॰ टी॰ डोलोमाइट खरीदा था। आगे, यह अभिकथित किया गया है कि मेसर्स डी॰ एम॰ सी॰ ने बोकारो स्टील प्लान्ट के अज्ञात अधिकारियों एवं लोक विश्लेषक (मेसर्स सुपर इंटेन्डेन्स कंपनी इंडिया (प्रा॰) लि॰, कटनी) की मौनानुकूलता के साथ गैर ईमानदार रूप से एवं कपटपूर्वक मेसर्स सुपर इन्टेन्डेन्स कंपनी इंडिया (प्रा॰) लि॰ की रिपोर्ट के आधार पर उसमें सिलिका मात्रा के 1.5% सीमा के भीतर होने का दावा झूठे रूप से करते हुए डोलोमाइट का आपूर्ति किया जबकि शोध एवं नियंत्रण प्रयोगशाला (आर एवं सी॰ लैब) द्वारा संचालित परीक्षा सिलिका की मात्रा 1.5% से अधिक दर्शाती थी। इस प्रकार, यह अभिकथित किया गया था कि बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों ने गैर ईमानदार रूप से एवं जानबूझकर डोलोमाइट की निम्न–स्तरीय गुणवत्ता स्वीकार किया था और अपने आधिकारिक हैसियत का दुरुपयोग करके आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने की अनुमति दिया जिसने मेसर्स बोकारो स्टील प्लांट लि॰ को भारी हानि कारित किया।

3. ऐसे अभिकथन पर, मामला दर्ज किया गया था और मामले का अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के दौरान, यह पाया गया था कि डोलोमाइट की आपूर्ति के लिए निविदा दिए जाने पर अनेक बोली लगाने वालों ने इसका प्रत्युत्तर दिया और अपना कोटेशन दिया। मेसर्स डी॰ एम॰ सी॰ को एल॰–1 पाया गया था। तद्नुसार, 1,69,000 एम॰ टी॰ डोलोमाइट की आपूर्ति के लिए दिनांक 30.1.2008 का खरीद आदेश अन्य बातों के साथ इस अनुबंध के साथ मेसर्स डी॰ एम॰ सी॰ को दिया गया था कि सिलिका (SiO_2) की मात्रा 1.5% होगी जो महत्तम 2% के साथ दंड के साथ स्वीकार्य होगी। उस खरीद आदेश के प्रत्युत्तर में, मेसर्स डी॰ एम॰ सी॰ ने खरीद नमूना के साथ 1,29,980 एम॰ टी॰ डोलोमाइट का आपूर्ति किया जिसकी परीक्षा मेसर्स बोकारो स्टील प्लांट लिमिटेड द्वारा डोलोमाइट में सिलिका की मात्रा विनिश्चित करने के लिए आर॰ एवं सी॰ लैब में की गयी थी। अनेक नमूनों पर, जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया था जब डोलोमाइट की आपूर्ति की गयी थी, आर॰ एवं सी॰ लैब द्वारा परीक्षा किए जाने पर यह पाया गया था कि सिलिका की मात्रा 0.52% एवं 1.68% के बीच थी, जबकि लोक विश्लेषक (मेसर्स सुपरइंटेंडेंस कंपनी इंडिया (प्रा॰) लि॰) के रिपोर्ट में सिलिका 1.4% (औसत) दर्शाया गया है और तद्द्वारा

यह पाया गया था कि लोक विश्लेषक (मेसर्स सुपरइंटेंडेंस कंपनी इंडिया (प्रा॰) लि॰ का रिपोर्ट छल साधित किया गया था।

4. अन्वेषण के दौरान, आगे यह पाया गया था कि ज्योंही मेसर्स बोकारो स्टील प्लांट लि॰ द्वारा डिसपैच सामग्री प्राप्त की गयी थी, सिलिका की मात्रा की सीमा विनिश्चित करने के लिए मेसर्स बोकारो स्टील प्लांट लि॰ के आर॰ सी॰ लैब द्वारा इसके नमूनों को लिया गया था और परीक्षा की गयी थी। उक्त नमूनों की परीक्षा करने पर यह पाया गया था कि डोलोमाइट में सिलिका की मात्रा 2.15% और 4.4% के बीच थी। उक्त रिपोर्ट तत्कालीन वरीय प्रबंधक (कच्ची सामग्री विभाग) याची अजय कुमार की जानकारी में थी, फिर भी उन्होंने खरीद आदेश के दंड खंड के निबंधनानुसार, जिसमें यह अनुबंधित किया गया था कि सिलिका की प्रत्येक 0.1% वृद्धि के लिए 2% की दर पर दंड अधिरोपित किया जाए यदि सिलिका की मात्रा 1.5% से अधिक 2% तक है, कोई दंड अधिरोपित किए बिना भुगतान करने के लिए वित्त विभाग को एडवाइस नोट जारी किया। इस प्रकार, यह पाया गया था कि मेसर्स बोकारो स्टील प्लांट लि॰ ने 1,27,560.67 एम॰ टी॰ डोलोमाइट की आपूर्ति के लिए मेसर्स डी॰ एम॰ सी॰ को भुगतान किया था यद्यपि सिलिका की मात्रा 1.5% से अधिक थी जो खरीद आदेश में दिए गए अनुबंध के विरुद्ध था। अन्वेषण पूरा करने के बाद, याची एवं अन्य के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था जिस पर दिनांक 29.6.2010 के आदेश के तहत याची के विरुद्ध पूर्वोक्तानुसार अपराध का संज्ञान लिया गया था जो चुनौती के अधीन है।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे नीरज राय निवेदन करते हैं कि याची को इस आरोप पर अभियोजित किया जा रहा है कि जब वह वरीय प्रबंधक (कच्ची सामग्री विभाग) के रूप में पद स्थापित था, उसने डोलोमाइट प्राप्त किया जिसकी सिलिका की मात्रा 1.5% से अधिक थी, फिर भी उसने इसके भुगतान के लिए बिल अग्रसारित किया किंतु यह आरोप आपूर्ति आदेश के निबंधनों एवं शर्तों में कोई दांडिक कृत्य गठित नहीं करता है क्योंकि आपूर्ति आदेश के निबंधनों एवं शर्तों में याची से प्राप्ति पर किए गए लोक विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें रिपोर्ट किया गया था कि यह 1.5% से अधिक सिलिका की मात्रा अंतर्विष्ट करता है, भुगतान रोकने की उम्मीद नहीं की जाती है, बल्कि भुगतान केवल तब रोका जा सकता है जब लोक विश्लेषक लादे जाने के बिंदु पर रिपोर्ट करता है कि यह 1.5% से अधिक सिलिका की मात्रा अंतर्विष्ट करता है जो अभियोजन का मामला कभी नहीं है बल्कि अभियोजन का मामला यह है कि जब लोक विश्लेषक ने प्राप्ति पर प्राप्त किए गए डोलोमाइट का यादृच्छिक विश्लेषण किया, उसने पाया कि यहाँ 5% से अधिक सिलिका अंतर्विष्ट करता है जो, जैसा कथन ऊपर किया गया है, अभियोजन का विषय वस्तु नहीं हो सकता है और तद्द्वारा संज्ञान लेने वाला आदेश दोषपूर्ण होने के नाते अपास्त किए जाने योग्य है।

6. इसके विरुद्ध, सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता श्री मोख्तार खान निवेदन करते हैं कि याची ने डोलोमाइट, जिसकी आपूर्ति की गयी थी यद्यपि यह 1.5% से अधिक सिलिका मात्रा अंतर्विष्ट करता था, के भुगतान के लिए अनुशंसा किया था जबकि दूसरे मामले में उसने दंड अधिरोपित करने के लिए अनुशंसा किया जब डोलोमाइट में सिलिका की मात्रा 1.5% से अधिक पायी गयी थी।

7. आगे यह निवेदन किया गया है कि डोलोमाइट की आपूर्ति पर जब अनेक नमूने लिए गए थे, बोकारो में आर॰ एन्ड सी॰ लैब में परीक्षा की गयी थी, सिलिका की मात्रा 2.15% और 4.4% के सीमा के बीच पायी गयी थी जिसकी जानकारी याची को थी फिर भी उसने कोई दंड अधिरोपित नहीं किया यद्यपि आपूर्ति आदेश के खंड के निबंधनानुसार याची को दंड अधिरोपित करना चाहिए था।

8. निवेदन के संदर्भ में, प्रासंगिक अनुबंध जिसे खरीद आदेश में दिया गया है को ध्यान में लेने की आवश्यकता है। ऐसा एक खंड नमूना एवं विश्लेषण से संबंधित है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

"(i) ueuk yuk ,o fo'y"k.k [kjhnkj }kjk fn, x, iuy l ykd fo'y"kd }kjk ykn tku d fcn ij lpkfyr fd;k tk,xkA ueuk yu ,o fo'y"k.k dk [kp foØrk }kjk ogu fd;k tkuk gA

(ii) [kjhnkj ykn tku d fcn ij ueuk yu ,o fo'y"k.k d vofèkdkfyd tkp lpkfyr dju dk vfèkdkj ljf{kr j[kxkA ueuk yuk ,o fo'y"k.k Hkkjrh; ekud d erkfcd fd;k tk,xkA ih0 vk0 fofun'k d erkfcd fo'y"k.k dju d fy, oxuk e ykn tku d igy 250 ,e0 Vh0 vFkok de vFkok 5 oxu vFkok de rd çR;d ykV d fy, ,d dikftV ueuk fy;k tk,xkA

(iii) fy, x, ueuk dk rhu Hkkxk e ckVk tk,xk vkj iFkd :i l egjcn fd;k tk,xkA çFke Hkkx ykd fo'y"kd }kjk fo'y"k.k dju d fy, fy;k tk,xk ft l vfre ekuk tk,xk tc rd vik;j fo'y"k.k dk lgkjk ugh fy;k tkrk gA f}rh; Hkkx foØrk }kjk viuh vkj l ijh{kk dju d fy, [kjhnkj dk Hktk tk,xkA rrh; Hkkx vik;j fo'y"k.k d fy, ueuk yu dh frFk l 90 fnuk d fy, ykd fo'y"kd dh ljf{kr vfHkj{kk e ljf{kr fd;k tk,xkA

(iv) ckdkjk LVhy lykV e çkIr fd, tku ij lkexh dh ;knfPNd tkp dh tk,xhA ,l h tkp ykd fo'y"kd dh mifLFkfr e dh tk,x vkj ,l h tkp d ifj.kke ij mud lkFk ppk dh tk,xhA ,l h tkp d ifj.kke ij Hkxrku d vLohdj.k vFkok jkd tku d fy, fopkj ugh fd;k tk,xkA

(v) fdr] lykV Lrjh; tkp ,o fo'y"k.k ij fujrj vlrk"k tud fjikV dh fLFkfr gku ij vkj@vFkok ykn tku d fcn ij fd, x, vofèkdkfyd tkpk dh çfrdy fjikV dh fLFkfr e] bMfVx foHkkx }kjk dh x;h vu'kIk d vkèkkj ij ih0 vk0 'kkVDyk t fd;k tk,xkA

खंडों में से एक भुगतान निबंधन से संबंधित है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

Hkxrku fucèku%

(d) lkexh d fy,&, l0 ,0 vkb0 ,y0@ckdkjk LVhy lykV e lkexh dh lrk"k tud çkfIr ij 30 fnuk d Hkhrj 100% Hkxrku fd;k tk,xkA

,d vU; [kM fofun'k ,o nM d ckj e dgrk g%&

fofun'k CaO-28 l 32% U;ure

MgO - 20% U;ure

SiO_2- 1.5% egÙke

SiO_2-1.5% l ,o 2% rd çR;d 0.1% of) vFkok ml d Hkkx d fy, 2% dh nj ij nM

9. विद्वान अधिवक्ता प्राप्ति पर यादृच्छिक जाँच से संबंधित ऊपर उल्लिखित खंडों में से एक को निर्दिष्ट करके निवेदन करते हैं कि यादृच्छिक जाँच का परिणाम भले ही सिलिका की मात्रा 1.5% से अधिक दर्शाता है, भुगतान नहीं रोका जा सकता है अथवा आपूर्ति की गयी सामग्री अस्वीकार नहीं की जा सकती है किंतु तथ्य जो अन्वेषण के दौरान सामने आया है यह है कि इसके नमूने के साथ डोलोमाइट

की आपूर्ति की गयी थी और 1.5% से न्यून सिलिका की मात्रा दर्शाने वाले लोक विश्लेषक (मेसर्स सुपरइंटेंडेंस कंपनी इंडिया (प्रा॰) लि॰ की रिपोर्ट भी दी गयी थी किंतु जब उक्त नमूनों जिन्हें आपूर्ति की गयी सामग्री के साथ भेजा गया था की परीक्षा बोकारो में प्राप्ति पर की गयी थी, सिलिका की मात्रा 0.52% और 1.68% के बीच पायी गयी थी। किंतु, जब आपूर्ति किए गए सामग्री से नमूना संग्रहित किया गया था और आर॰ एण्ड सी॰ लैब द्वारा इसकी परीक्षा की गयी थी, सिलिका की मात्रा 2.15% और 4.4% पायी गयी थी जबकि विनिर्देश के मुताबिक सिलिका की महत्तम मात्रा 1.5% होनी चाहिए थी यद्यपि यह स्वीकार्य था यदि डोलोमाइट 2% तक सिलिका अंतर्विष्ट करता है किंतु पुनः खरीद आदेश में दिए गए अनुबंध के मुताबिक यदि सिलिका की मात्रा 1.5% से अधिक होती है, तब दंड अधिरोपित किया जाना था जिसे वर्तमान मामले में अधिरोपित नहीं किया गया है जबकि याची को, सी॰ बी॰ आई॰ के मामले के मुताबिक, जानकारी थी कि रिपोर्ट दर्शाता है कि सिलिका की मात्रा 2.15% से 4.4% की सीमा के भीतर है।

10. उस स्थिति में, याची की ओर से किया गया इस प्रभाव का निवेदन कि भले ही प्राप्ति पर विश्लेषक का रिपोर्ट सिलिका की मात्रा 1.5% से अधिक दर्शाता है, भुगतान रोकने की आवश्यकता कभी नहीं थी अथवा दंड अधिरोपित नहीं किया जाना था, स्वीकार किया जाता है, यह ऊपर उल्लिखित पूर्वोक्त खंड को नकारात्मक बना देगा। अतः, प्रतिपादना जिसे याची की ओर से दिया गया है स्वीकार्य नहीं है।

11. इन परिस्थितियों के अधीन, मैं आक्षेपित आदेश में अवैधता नहीं पाता हूँ। अतः, यह आवेदन खारिज किया जाता है।

12. किंतु, इस आदेश से अलग होने के पहले यह संप्रेक्षित किया जाए कि इस मामले के निपटान के प्रयोजन से यहाँ ऊपर किया गया कोई संप्रेक्षण याची के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं कारित करेगा।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स इंडसइंड बैंक लि॰

cuke

दयानन्द चौरसिया एवं अन्य

W.P. (C) No. 5757 of 2013. Decided on 10th November, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धाराएँ 15, 25, 38, 39, आदेश 21 नियम 6 एवं 8—माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996—धारा 36—याची कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय कोलकाता में और क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद में है—माध्यस्थम कार्यवाही कोलकाता में आरंभ की गयी और मध्यस्थ अधिनिर्णय कोलकाता में पारित एवं हस्ताक्षरित किया गया—याची की निष्पादन याचिका विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी—याची का अभिवचन कि निष्पादन मामला मध्यस्थ अधिनिर्णय के लिए दाखिल किया गया था और चूँकि निर्णीत ऋणी हजारीबाग के स्थानीय सीमा के अंतर्गत निवास करता है और व्यवसाय करता है और अचल संपत्ति रखता है, विचारण न्यायालय ने अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार कर दिया—अभिनिर्धारित, मध्यस्थ अधिनिर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रावधानित तरीके में निष्पादित करना होगा मानो यह न्यायालय की डिक्री थी जिसकी

अधिकारिता के स्थानीय सीमा के अंतर्गत प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी निवास करता है अथवा वाद संपत्ति अवस्थित है–याचिका खारिज। (पैराएँ 5 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Kalyan Banerjee, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

निष्पादन मामला सं॰ 12 वर्ष 2012 में 4.2.2013 के आदेश, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने निष्पादन मामला सं॰ 12 वर्ष 2012 ग्रहण करने से इनकार कर दिया और डिक्री धारक को सक्षम अधिकारिता के न्यायालय में मामला संस्थित करने का निर्देश दिया, का अभिखंडन इप्सित करते हुए मेसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची बैंकिंग कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन रजिस्टर्ड है जिसका क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, झारखंड राज्य में है। मोटर वाहन AL-HYWA खरीदने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 1 को दिनांक 15.11.2005 के कर्ज–सह–हाइपोथिकेशन करार सं॰ BHOOO 507H के तहत 13,30,000/- रुपयों का कर्ज प्रदान किया गया था। जब प्रत्यर्थी सं॰ 1 कर्ज राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहा, कोलकाता में माध्यस्थम कार्यवाही आरंभ की गयी थी और विद्वान मध्यस्थ ने माध्यस्थम केस सं॰ AR/IBL/639/09 में दिनांक 27.11.2009 का अधिनिर्णय पारित किया। याची डिक्री धारक ने सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिविजन–I के न्यायालय, हजारीबाग में निष्पादन केस सं॰ 12 वर्ष 2012 दाखिल किया जिसमें दिनांक 4.2.2013 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि निष्पादन मामला माध्यस्थम अधिनिर्णय के निष्पादन के लिए दाखिल किया गया था और चूँकि निर्णीत ऋणी हजारीबाग न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अचल संपत्ति रखता है और निवास करता है और व्यवसाय चलाता है, उक्त न्यायालय को अधिनिर्णय निष्पादित करने की अधिकारिता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की दृष्टि में भी माध्यस्थम अधिनिर्णय उस स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है जहाँ प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी निवास करता है अथवा व्यवसाय करता है किंतु, विचारण न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है और इस प्रकार, दिनांक 4.2.2013 का आक्षेपित आदेश विधि में गंभीर त्रुटि से पीड़ित है क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है।

4. मैंने याची की ओर से किए गए निवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

5. मामले के अभिलेख से सामने आने वाले तथ्य ये हैं कि याची कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित है जिसका कार्यालय कोलकाता में और क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद में है। माध्यस्थम कार्यवाही कोलकाता में आरंभ हुई और माध्यस्थम अधिनिर्णय कोलकाता में पारित एवं हस्ताक्षरित किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 से धारा 25 ''वाद करने के स्थान'' पर विचार करती है। सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 16 प्रावधानित करती है कि धनीय अथवा अन्य परिसीमा के अध्यधीन वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंतर्गत संपत्ति अवस्थित है। धारा 20 धाराओं 16, 17, 18 एवं 19 के अधीन आच्छादित न होने वाले मामलों पर विचार करती है और यह प्रावधानित करती है कि वाद उस न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंतर्गत प्रतिवादी वस्तुतः और स्वेच्छापूर्वक निवास करता है अथवा लाभ के लिए व्यवसाय अथवा निजी काम करता है अथवा जहाँ वाद हेतुक पूर्णतः अथवा अंशतः उद्भूत होता है।

6. सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 20 सी॰ पी॰ सी॰ की धाराओं 16 से 19 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अध्यधीन है और इस प्रकार, केवल तब जब मामला सी॰ पी॰ सी॰ की धाराओं 16-19 के प्रावधानों के अधीन

आच्छादित नहीं है, सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 20 की भूमिका आरंभ होती है। सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 38 प्रावधानित करती है कि डिक्री या तो उस न्यायालय जिसने इसे पारित किया है द्वारा निष्पादित की जा सकती है अथवा उस न्यायालय द्वारा जिसे इसे निष्पादन के लिए भेजा गया है। धारा 39 प्रावधानित करती है कि न्यायालय डिक्री धारक के आवेदन पर सक्षम अधिकारिता के एक अन्य न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए भेज सकता है। आदेश 21 नियम 6 दूसरे न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की प्रक्रिया प्रावधानित करता है।

7. डब्ल्यू॰ पी॰ सं॰ 19828 वर्ष 2012 (GM-CPC) में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि माध्यस्थम अधिनिर्णय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री नहीं है और इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 38 लागू नहीं होगी, बल्कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 की दृष्टि में माध्यस्थम अधिनिर्णय उस स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है जहाँ निर्णीत ऋणी निवास अथवा व्यवसाय करता है।

8. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 का कोरा पठन यह स्पष्ट करता है कि माध्यस्थम अधिनिर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रावधानित तरीके से करना होगा, मानो यह न्यायालय की डिक्री हो। तरीका जिसमें न्यायालय की डिक्री निष्पादित की जाएगी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराओं 38 एवं 39 एवं आदेश 21 नियम 6 तथा नियम 8 के अधीन प्रावधानित की गयी है।

9. मैं इस प्रतिवाद में कोई सार नहीं पाता हूँ कि चूँकि माध्यस्थम अधिनिर्णय केवल डीम्ड डिक्री है और न्यायालय की डिक्री नहीं है, इसे उस न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत प्रतिवादी/निर्णीत ऋणी निवास करता है अथवा वाद संपत्ति अवस्थित है। सी॰ पी॰ सी॰ की धाराओं 38-39 के अधीन प्रावधान उस स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें वाद संपत्ति उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के बाहर अवस्थित है जिसने डिक्री पारित किया है। नि:संदेह, धारा 36 माध्यस्थम अधिनिर्णय को डीम्ड डिक्री बनाती है किंतु यह पर्याप्त रूप से यह भी स्पष्ट करती है कि माध्यस्थम अधिनिर्णय को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन प्रवर्तित करना होगा। सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 20, जो उस न्यायालय जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंतर्गत प्रतिवादी निवास करता है अथवा वाद हेतुक पूर्णत: या अंशत: उद्भूत होता है में वाद का दाखिल किया जाना प्रावधानित करती है, सी॰ पी॰ सी॰ की धाराओं 16 से 19 में अंतर्विष्ट सामान्य नियम के प्रति अपवाद बनाती है।

10. मैं रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

राज किशोर प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

WP(S) No. 6342 of 2009. Decided on 26th November, 2014.

सेवा विधि–प्रोन्नति–प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति–बिहार पेंशन नियमावली, 1950—नियम 43 (b)—याची दिनांक 31.12.1999 को सेवानिवृत्त हुआ, उसकी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति दिनांक 28.5.2002 को रद्द की गयी थी और प्रत्यर्थी ने आधिक्य राशि की वसूली का आदेश दिया–कोई अयोध्या प्रसाद सिंह भी दिनांक 28.5.2002 के इसी आदेश से प्रभावित था जिसे अभिखंडित किया गया था–याची के पूर्व रिट में संप्रेक्षण कि दिनांक 28.5.2002 का आदेश अवैध था और

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के उल्लंघन में था–याची ने प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के रद्दकरण के उक्त आदेश के अभिखंडन पर दिनांक 31.12.1999 के प्रभाव से अपनी अधिवर्षिता के सही वेतनमान में अपने अंतिम पेंशन की निर्मुक्ति एवं नियतिकरण के लिए और ब्याज के साथ इसके समस्त बकायों का भुगतान करने के लिए आगे प्रार्थना किया–अभिनिर्धारित, याची का मामला अयोध्या प्रसाद सिंह के मामले के समान आधार पर खड़ा है–पहले प्रदान की गयी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के रद्दकरण के पहले कोई कारण बताओ जारी नहीं किया गया–पूर्व रिट याचिका में मामले के गुणागुण पर विनिश्चयकरण नहीं था यद्यपि दिनांक 28.5.2002 के उसी आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गयी थी जो उसके सेवानिवृत्ति लाभों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है–याची से संबंधित दिनांक 28.5.2002 का आदेश भी अभिखंडित।

(पैराएँ 5 एवं 6)

निर्णयज विधि.–2008(1) JCR 381—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Rajeeva Sharma, Vishwanath Roy, For the Petitioner; JC to SC-III, For the Respondents; Mr. S.P. Roy, For the State of Bihar; Mr. S. Shrivastava, For the Accountant General.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची को पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार के अधीन गुणवत्ता नियंत्रण सब-डिविजन कोडरमा के अधीन शोध सहायक के पद से 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद दिनांक 31.12.1999 को सेवानिवृत्त हुआ बताया जाता है। उसकी सेवा निवृत्ति के बाद, मुख्य अभियंता, केंद्रीय डिजाइन संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना ने दिनांक 28.5.2002 के कार्यालय आदेश के तहत उसको पहले दिनांक 14.8.1991 के कार्यालय आदेश सं॰ 864 के तहत दिए गए प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के प्रदान को रद्द कर दिया तथा अधिक भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली करने का निर्देश दिया। तत्पश्चात, याची ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3368 वर्ष 2002 दाखिल किया और अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से दिनांक 28.5.2002 के उक्त आदेश को चुनौती इप्सित किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 3.7.2008 के आदेश के तहत प्रथम दृष्टया संप्रेक्षण किया कि दिनांक 28.5.2002 का आदेश अवैध है और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के उल्लंघन में है। किंतु उक्त अंतर्वर्ती आवेदन के प्रति प्रत्यर्थी के उत्तर पर विचार करने पर विद्वान न्यायालय ने मामले के गुणागुणों पर विचार किए बिना याची को अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी और अनुबंधित अवधि के भीतर उक्त अभ्यावेदन निपटाने का निर्देश प्रत्यर्थीगण को दिया।

3. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता के निवेदनों के मुताबिक, तत्पश्चात प्रत्यर्थीगण द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया था। इस बीच, एक अन्य व्यक्ति अयोध्या प्रसाद सिंह, जिसका भी प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति दिनांक 28.5.2002 के उसी आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट-7, के अधीन रद्द कर दिया गया था, ने रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3145 वर्ष 2003 दाखिल किया। उक्त रिट याचिका अनुज्ञात की गयी थी और दिनांक 12.10.2009 के निर्णय के तहत इस न्यायालय की विद्वान पीठ द्वारा दिनांक 28.5.2002 का आदेश अभिखंडित कर दिया गया था। उक्त व्यक्ति को भी दिनांक 8.12.1993 के आदेश के तहत प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया गया था और वह बाद में दिनांक 31.1.2001 को पथ निर्माण विभाग, कोडरमा में सेवारत रहते हुए शोध सहायक के रूप में सेवानिवृत हुआ। विद्वान एकल न्यायाधीश ने **श्रीमती नोर्मी टोपनो बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, (2008)1 JCR 381,** में इस

न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया जिसके मुताबिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद प्रोन्नति के परिणामस्वरुप भुगतान की गयी अभिकथित राशि आधिक्य की वसूली ऐसे कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ से नहीं की जा सकती है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) को भी ध्यान में लिया गया था। वर्तमान मामले में भी, यह तर्क किया गया है कि आक्षेपित आदेश बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) की प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना जारी किया गया है। याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याचिका दाखिल करने के बाद दिनांक 29.4.2011 को पेंशन बकाया का भुगतान किया गया है। किंतु यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण ने आक्षेपित आदेश द्वारा याची के प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के रद्दकरण को न्यायोचित ठहराना चुना है।

4. अत: याची ने अपने प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के रद्दकरण के आदेश के अभिखंडन पर दिनांक 31.12.1999 के प्रभाव से अपनी अधिवर्षिता पर सही वेतनमान में अपने अंतिम पेंशन की निर्मुक्ति एवं नियतिकरण के लिए और ब्याज के साथ इसके समस्त देयों के भुगतान के लिए प्रार्थना किया है।

5. प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश जिसके अधीन याची की प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति रद्द कर दी गयी थी का बचाव करते हुए प्रत्युत्तर में शपथ पत्र दाखिल किया है। प्रासंगिक पैराग्राफों पर यह कथन भी किया गया है कि कर्मचारी का पेंशन आदि नियत किया गया है और पी॰ पी॰ ओ॰ तथा जी॰ पी॰ ओ॰ भुगतान के लिए ट्रेजरी को जारी किया गया है। प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के आदेश के रद्दकरण को न्यायोचित ठहराने के लिए वित्त विभाग, बिहार के दिनांक 24.1.2001 के आदेश पर भी विश्वास किया गया है।

6. पक्षों के परस्पर विरोधी निवेदनों और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों तथा **अयोध्या प्रसाद सिंह मामले (ऊपर)** में इस न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार करने पर इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि वर्तमान याची का मामला अयोध्या प्रसाद सिंह के मामले के समान आधार पर खड़ा है। वर्तमान याची भी दिनांक 31.12.1999 को सेवानिवृत्त हुआ था और स्वयं दिनांक 14.8.1991 के कार्यालय आदेश के तहत उसे प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया गया था जिसे दिनांक 28.5.2002 के आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट–2, जिसे मुख्य अभियंता, बिहार, पटना द्वारा जारी किया गया था, के तहत रद्द किया गया था। वर्तमान मामले में भी यह प्रतीत होता है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन कार्यवाही का अनुसरण नहीं किया गया था और न ही याची को पहले प्रदान किए गए उक्त प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के रद्दकरण के पहले कोई कारण बताओ जारी किया गया था। **अयोध्या प्रसाद सिंह (ऊपर)** के मामले में पारित निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *^^çfr'kiFk i= e dgh Hkh ;g dFku ugh fd;k x;k g fd dkb tkp dh x;h Fkh tlk fcgkj@>kj[kM lok lfgrk d fu;e 43 (b) d vèkhu çkoèkkfur fd;k x;k g vkj u gh ;g dFku fd;k x;k g fd ,lh nMkRed çÑfr dk vkn'k tkjh dju d igy ;kph dk dkb dkj.k crkvk dk dkb ukfVl vFkok luokb dk volj fn;k x;k FkkA*
>
> *Jherh ukjeh Vkiuk (Åij) d ekey e bl U;k;ky; dh i.kihB u vfHkfuèkkfjr fd;k g fd lok fuofÙk d ckn fu;kDrk&depkjh dk lcèk ugh jg tkrk g vkj ,lh n'kk e fofèk dh çfØ;k dk vulj.k fd, fcuk lokfuofÙk ykHkk l dkb olyh ugh dh tk ldrh g tlk fcgkj i'ku fu;ekoyh d fu;e 43 (b) d vèkhu 'kr ifjí.k fd, fcuk vkj l{ke çkfèkdkjh }kjk tkp d ckn çkUufr dk vkn'k jí fd, fcuk i'ku ,o vU; lok fuofÙk ykHkk dk oly ugh fd;k tk ldrk g] vkj og Hkh lok fuoÙk depkjh dk volj fn, fcuk vkj lcfèkr depkjh dh vkj l n0;in'ku vFkok vopkj d çfr fun'k e dkb fu"d"k fn, fcukA*

*vr%] ej nf"Vdk.k e oreku ekeyk bl U;k;ky; dh i.kihB d iokDr fu.k; l ijh rjg vkPNkfnr gA rnulkj] ;g fjV ;kfpdk vuKkr dh tkrh gA e[; vfHk;rk] ykd fuek.k foHkkx] iFk fuek.k] iVuk }kjk ikfjr fjV ;kfpdk d ifjf'k"V&1 e vrfo"V fnukd 28.5.2002 dk vkn'k ,rn}kjk vfHk[kfMr fd;k tkrk gA***

7. आगे यह प्रतीत होता है कि पूर्व रिट याचिका में, जिसे याची द्वारा दाखिल किया गया था, मामले के गुणागुण पर विनिश्चयकरण नहीं किया गया था यद्यपि दिनांक 28.5.2002 के उसी आक्षेपित आदेश को चुनौती दी गयी थी। अत: याची को दिनांक 28.5.2002 के उक्त आदेश, जिसने प्रतिकूल रूप से उसकी सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों को प्रभावित किया, को चुनौती देने के लिए इस रिट याचिका में वादहीन नहीं बनाया जा सकता है। तद्नुसार, दिनांक 28.5.2002 का आदेश, जहाँ तक यह याची से संबंधित है, भी अभिखंडित किया जाता है। प्रत्यर्थीगण को उसके परिणामस्वरुप सही वेतनमान में याची के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति देयों को नियत करना होगा एवं अंतिम रूप देना होगा और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दस सप्ताह की अवधि के भीतर 6% वार्षिक दर पर ब्याज के साथ उससे उद्भूत बकाया का भुगतान करना होगा।

8. यहाँ ऊपर उपदर्शित तरीके से और सीमा तक रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

सुनील कुमार चौरसिया

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 2992 of 2013. Decided on 19th November, 2014.

(क) पूर्व निर्णय–सामर्थ्यकारी प्रावधान की अनुपस्थिति में कार्यवाही दाखिल करने में अथवा आवेदन देने में विलंब माफ करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी/सांविधिक प्राधिकारी में अंतर्निहित शक्ति नहीं है। (पैरा 4)

(ख) झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004—नियम 23—परिसीमा अधिनियम, 1963—धारा 5—याची को खनन पट्टा प्रदान किया गया और 10 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 10.6.1999 को पट्टा विलेख रजिस्टर्ड किया गया–पट्टाधृत भूमि का बड़ा भाग नवोदय विद्यालय द्वारा अतिक्रमित किया गया–याची ने दिनांक 14.9.2005 को परिवाद दाखिल किया–इस बीच याची बीमार हो गया और शय्याग्रस्त था, अत: अनुबंधित समय के भीतर पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं दे सका था–नवीकरण आवेदन दाखिल करने में 216 दिनों का विलंब नियंत्रण के परे कारणों से हुआ था–खनन पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन दिनांक 16.10.2009 को दाखिल किया गया–जिला खनन अधिकारी ने कोई नोटिस जारी किए बिना अथवा सुनवाई का अवसर दिए बिना नवीकरण आवेदन अस्वीकार कर दिया–आवेदक द्वारा दाखिल पुनरीक्षण अस्वीकार कर दिया गया–अभिनिर्धारित, जिला खनन अधिकारी जिसके समक्ष नवीकरण के प्रदान के लिए आवेदन दिया गया था ''न्यायालय'' अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी नहीं है–भले ही झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के अधीन गठित प्राधिकारी को ''न्यायालय'' समझा जाता है, उन्हें सीमित एवं विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सृजित

किया गया है–विलंब माफ करने की अंतर्निहित शक्ति को न्यायालय/प्राधिकारी में उपधारित नहीं किया जा सकता है जब तक विधि इसे आवश्यक नहीं बनाता है और इसकी अनुमति नहीं देता है–जिला खनन अधिकारी और खान आयुक्त सांविधिक प्राधिकारी हैं और उक्त नियमावली की योजना उपदर्शित नहीं करती है कि इन प्राधिकारियों में विलंब माफ करने की शक्ति निहित की गयी है–परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के सदृश प्रावधान की अनुपस्थिति में परिसीमा अवधि के परे दाखिल याची के नवीकरण आवेदन को सही प्रकार से जिला खनन अधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया गया है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 4 से 6)

निर्णयज विधि.–(1976)1 SCC 392; (1985)3 SCC 590; (1999) 6 SCC 627; (1995)2 SCC 493—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Prashant Pallav, For the Petitioner; JC to AG., For the State.

आदेश

पुनरीक्षण मामला सं॰ 86 वर्ष 2009 में खान आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 12.1.2010 के आदेश और जिला खनन अधिकारी, देवघर द्वारा पारित दिनांक 8.10.2009 के आदेश जिसके द्वारा पट्टा के नवीकरण की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है का अभिखंडन इप्सित करते हुए और याची के पक्ष में पट्टा नवीकृत करने के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकारी को निर्देश इप्सित करते हुए आगे प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि खनन पट्टा के प्रदान के लिए विहित फॉर्म में वर्ष 1999 में याची द्वारा दाखिल आवेदन पर हल्का कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा जाँच की गयी थी और उक्त रिपोर्ट दिनांक 3.2.1999 के मेमो के तहत जिला खनन अधिकारी, देवघर को अग्रसारित किया गया था। सम्यक तत्परता के बाद मौजा सूर्या, पी॰ एस॰ मोहनपुर, जिला देवघर के अंतर्गत जमाबंदी सं॰ 13 में भूखंड सं॰ 74/P एवं भूखंड सं॰ 75 में पत्थर तोड़ने के लिए भूमि के 5 एकड़ के संबंध में पट्टा याची के पक्ष में प्रदान किया गया था और सामान्य किराया एवं रॉयल्टी के अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में 15,000/- रुपयों के प्रतिफल के लिए नवीकरण के अधिकार के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 10.6.1999 को पट्टा विलेख रजिस्टर्ड किया गया था। नवंबर, 2003 में झारखंड सरकार ने सूर्या मौजा के अंतर्गत भूखंड सं॰ 74/P एवं भूखंड सं॰ 75 के अधीन 17 एकड़ भूमि को नवोदय विद्यालय समिति को सौंपने का निर्णय किया। जब पट्टाधृत भूमि का बड़ा भाग नवोदय विद्यालय द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया था, याची ने उपायुक्त, देवघर के समक्ष परिवाद दाखिल किया, जिन्होंने अंचलाधिकारी द्वारा जाँच करने का आदेश दिया। याची ने दिनांक 14.9.2005 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय, देवघर में परिवाद दाखिल किया। अंचलाधिकारी ने अपने रिपोर्ट में नवोदय विद्यालय द्वारा 1.87 एकड़ भूमि अतिक्रमित किया गया पाया। इस बीच याची बीमार हो गया और शय्याग्रस्त हो गया, अत: वह अनुबंधित समय के भीतर खनन पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं दे सका था। इस प्रकार, नवीकरण आवेदन देने में 216 दिनों का विलंब याची के नियंत्रण के परे कारणों से हुआ था। याची ने दिनांक 16.10.2009 को झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के नियम 23 के अधीन समस्त अध्यपेक्षित दस्तावेजों के साथ खनन पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन दिया। किंतु, जिला खनन अधिकारी ने कोई नोटिस जारी किए बिना अथवा सुनवाई का अवसर दिए बिना नवीकरण आवेदन अस्वीकार कर दिया और दिनांक 15.10.2009 को याची को पट्टाधृत भूमि सौंपने का निर्देश दिया। व्यथित होकर याची ने पुनरीक्षण मामला सं॰ 86 वर्ष 2009 दाखिल किया जिसे भी दिनांक 12.1.2010 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया था।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत पल्लव निवेदन करते हैं कि नवीकरण आवेदन दाखिल करने में 216 दिनों का विलंब याची के नियंत्रण के परे कारणों से हुआ। यदि याची को सुनवाई का अवसर दिया जाता, उसने विलंब की माफी के लिए पर्याप्त कारण दिया होता। आगे यह निवेदन किया गया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 पर प्रयोज्य है और इसलिए, नवीकरण आवेदन दाखिल करने में विलंब माफ किया जाना चाहिए था। यद्यपि पुनरीक्षण प्राधिकारी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र को ध्यान में लिया जिसकी सत्यता पर संदेह नहीं किया गया है, फिर भी पुनरीक्षण मामला सं॰ 86 वर्ष 2009 याची की लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने **''मंगू राम बनाम दिल्ली नगर निगम'', (1976)1 SCC 392,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है।

4. आक्षेपित आदेशों को दी गयी चुनौती पर आने के पहले यह परीक्षण करना आवश्यक है कि क्या झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के अधीन सांविधिक प्राधिकारी को नवीकरण आवेदन दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करने की शक्ति है। निर्णयों की श्रृंखला में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सामर्थ्यकारी प्रावधान की अनुपस्थिति में, कार्यवाही दाखिल करने में अथवा आवेदन देने में हुए विलंब को माफ करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारी/सांविधिक प्राधिकारी में शक्ति अंतर्निहित नहीं है। जिला खनन अधिकारी जिसके समक्ष नवीकरण के प्रदान के लिए आवेदन दिया गया है ''न्यायालय'' अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी नहीं है जिसके समक्ष याची द्वारा पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया था। भले ही, झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 के अधीन गठित प्राधिकारी को ''न्यायालय'' समझा जाता है, उन्हें सीमित और विनिर्दिष्ट प्रयोजन से सृजित किया गया है। विलंब माफ करने की अंतर्निहित शक्ति न्यायालय/प्राधिकारी में उपधारित नहीं की जा सकती है, जब तक विधि इसे आवश्यक नहीं बनाती है और इसकी अनुमति नहीं देती है।

5. ''सकुरु बनाम तानाजी'', (1985)3 SCC 590, में इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या समाहर्ता, जो आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) अभिधृति एवं कृषि भूमि अधिनियम, 1950 की धारा 90 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी था, ''न्यायालय'' था और क्या परिसीमा अधिनियम, 1963 अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दाखिल अपीलों पर प्रयोज्य होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 समाहर्ता के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। **''बिरला सीमेन्ट वर्क्स बनाम जी॰ एम॰, पश्चिम रेलवे एवं एक अन्य'', (1995)2 SCC 493,** में विवाद्यक यह था कि क्या रेलवे अधिनियम, 1890 की धारा 78B के अधीन गठित रेलवे दावा अधिकरण सिविल न्यायालय था और क्या परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17 (1) (c) की कोई प्रयोज्यता थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद्यक का नकारात्मक उत्तर दिया। **''फ्रांस बी॰ मार्टिन एवं एक अन्य बनाम मफलदा मारिया टेरेसा रोड्रीग्स'', (1999)6 SCC 627,** ऐसा मामला जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के आधार पर विनिश्चित किया गया था जैसा यह धारा 24A के अंत:स्थापन द्वारा प्रभावित संशोधनों के पहले था, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिनियम के अधीन दाखिल परिवाद न तो वाद था और न ही परिसीमा अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत आवेदन था और इस प्रकार, परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता नहीं थी।

6. वर्तमान मामले में, जिला खनन अधिकारी एवं खान आयुक्त सांविधिक प्राधिकारी हैं और झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 की योजना उपदर्शित नहीं करती है कि इन प्राधिकारियों

में विलंब माफ करने की शक्ति निहित की गयी है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के सदृश प्रावधान की अनुपस्थिति में याची द्वारा परिसीमा की अवधि के परे दाखिल नवीकरण आवेदन सही प्रकार से जिला खनन अधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया गया है।

7. मैं वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित आदेशों में कोई गलती नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ohjUn flg] e[; U;k;kèkh'k ,o Mhñ ,uñ iVy] U;k;efr

मिलन कुमार

cuke

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

LPA No. 44 of 2009. Decided on 13th November, 2014.

सेवा विधि–अनुकंपा पर नियुक्ति–अपीलार्थी के पिता की मृत्यु सेवारत रहते हुए दिनांक 15.10.2002 को हो गयी–अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए भाई का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह अधिक आयु का था–अपीलार्थी ने दिनांक 27.11.2003 को अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया–उक्त याचिका विनिश्चित करने में प्रत्यर्थीगण द्वारा चार वर्ष के विलंब ने अपीलार्थी को रिट दाखिल करने के लिए मजबूर किया–रिट याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गयी कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन एक वर्ष से अधिक बाद दिया गया था–अभिनिर्धारित, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का इस आधार पर अस्वीकरण कि इसे एक वर्ष से अधिक बाद दिया गया था, प्रत्यर्थी द्वारा जारी दिनांक 19.6.2003 के परिपत्र सं॰ PD/MP/9.3.2/ परिपत्र/03 के विपरीत था–आक्षेपित निर्णय/आदेश अपास्त।

(पैराएँ 2, 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Bishwambhar Shastri, For the Appellant; Mr. Ananda Sen, For the Respondents.

विरेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–अपीलार्थी रिट याची (इसमें इसके बाद केवल 'रिट याची' के रूप में निर्दिष्ट) है। उसका पिता अर्थात् सेबत रात, जो प्रत्यर्थीगण के साथ कोयला कटर कोटि IX के रूप में नियोजित था, की मृत्यु सेवारत रहते हुए दिनांक 15.10.2002 को हो गयी। अपने पिता की मृत्यु के बाद, उसके सगे भाई ने जनवरी, 2003 में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया किंतु इसे अधिक आयु के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। तत्पश्चात् याची ने दिनांक 27.11.2003 को अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन दिया जिस पर चार वर्षों तक प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था, जिसने उसको डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 4374 वर्ष 2007 के माध्यम से प्रत्यर्थीगण को अनुकंपा के आधार पर उसे नियुक्त करने का निर्देश इप्सित करते हुए रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया और प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र में अन्य बातों के साथ उसके अभिवचन का प्रतिरोध इस आधार पर किया गया था कि उसका दावा काफी पहले दिनांक 16.3.2004 को एक वर्ष से अधिक बाद दाखिल किए जाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था और कि रजिस्टर्ड डाक ए॰/डी॰ के साथ द्वारा उसको आदेश संसूचित किया गया था। विद्वान रिट न्यायालय ने दिनांक 26.2.2008 के निर्णय/आदेश के तहत रिट याचिका प्रत्यर्थीगण द्वारा उसके दावा के अस्वीकरण के मुकाबले तथ्य के दमन के आधार पर खारिज कर दिया है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर याची वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील के माध्यम से इस न्यायालय के पास आया है जिसमें 305 दिनों का विलंब हुआ था जिसे पहले ही माफ कर दिया गया है।

2. जब ग्रहण के लिए मामला दिनांक 11 नवंबर, 2014 को लिया गया था, याची के विद्वान अधिवक्ता श्री शास्त्री ने न्यायालय का ध्यान प्रत्यर्थी द्वारा जारी दिनांक 19 जून, 2003 के परिपत्र सं॰ PD/

MP/9.3.2/परिपत्र/03 (अभिलेख पर लिए गए पूरक शपथ पत्र के साथ परिशिष्ट 5 के रूप में संलग्न) की ओर आकृष्ट किया है जिसके अनुसार अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने की समय सीमा एक वर्ष से डेढ़ वर्ष तक बढ़ा दी गयी है और यह दिनांक 27.11.2002 से प्रभावी होगा। पूर्वोक्त परिपत्र के बूते पर श्री शास्त्री ने कथन किया कि दिनांक 16.3.2004 को याची के आवेदन का इस आधार पर अस्वीकरण कि इसे एक वर्ष बाद दिया गया था, प्रत्यर्थी द्वारा जारी परिपत्र के विपरीत था।

3. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंदा सेन से विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि क्या अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए रिट याची का मामला मात्र परिसीमा के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर भी अस्वीकार कर दिया गया था, श्री सेन ने इस संबंध में स्पष्ट कथन करने के पहले अभिलेख का परिशीलन करने के लिए समय इप्सित किया जो सुनवाई की विगत तिथि पर अर्थात् दिनांक 11.11.2014 को उनको उपलब्ध नहीं था और इस दशा में वर्तमान अपील पर विचार आस्थगित कर दिया गया था और आज के दिन इसकी सुनवाई की गयी थी।

4. श्री सेन ने तथ्यों को सत्यापित करने के बाद कथन किया कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए याची का आवेदन केवल विलंब के आधार पर अस्वीकार किया गया था। जब उनका सामना स्वयं उनके अपने दिनांक 19.6.2003 के परिपत्र से करवाया गया जिसके द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए आश्रितों के आवेदन देने की समय सीमा एक वर्ष से डेढ़ वर्ष तक बढ़ा दी गयी थी, वह उससे बच कर निकलने में अक्षम रहे। वर्तमान मामले की तथ्यपरक स्थिति ऐसी होने के कारण हमें प्रतीत होता है कि रिट याची की नियुक्ति के अस्वीकरण का दिनांक 16.3.2004 का आदेश संपोषणीय नहीं है।

5. हम इस तथ्य के प्रति जागरुक हैं कि याची को उसके आवेदन के अस्वीकरण की जानकारी दी गयी थी जो दृष्टिकोण प्रत्यर्थी का अपने प्रतिशपथपत्र में है जिस तथ्य को स्वीकृत रूप से रिट याचिका में उल्लिखित नहीं किया गया है और उसने दिनांक 27.11.2003 को उसके द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करने में विलंब का अभिवचन करते हुए अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए निर्देश इप्सित किया किंतु ये समस्त तथ्य इस कारण से महत्वहीन बन जाते हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन के अस्वीकरण का आधार यहाँ ऊपर निर्दिष्ट किए गए स्वयं उनके अपने परिपत्र के निबंधनानुसार प्रत्यर्थी को उपलब्ध नहीं था। यदि प्रत्यर्थी ने अन्य आधारों पर भी याची का मामला अस्वीकार किया होता, हमने वर्तमान अपील के प्रति सद्भाव नहीं दर्शाया होता। अत:, यदि प्रत्यर्थी द्वारा याची के मामले पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है, यह उस पर गंभीर प्रतिकूलता कारित करेगा।

6. वर्तमान मामले के पूर्वोक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए हम विद्वान रिट न्यायालय के आक्षेपित निर्णय/आदेश को एतद् द्वारा अपास्त करते हैं और नि:संदेह प्रचलित नियमावली के मापदंडों के अंतर्गत अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए काफी पहले दिनांक 27.11.2003 को उसके द्वारा दिए गए याची के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश प्रत्यर्थी को देते हैं।

7. चूँकि मामले में पहले ही काफी विलंब हो चुका है इस आदेश की प्रति को प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर, जो मुख्यत: याची की जिम्मेदारी होगी इस कार्य को पूरा किया जाए। श्री सेन भी किसी विलंब के बिना आदेश संसूचित करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आगे आए हैं।

पूर्वोक्त निबंधनों में निपटाया गया।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

बबन सिंह (7640 में)

दामोदर दास एवं अन्य (3777 में)

जगेश्वर प्रसाद (390 में)

cuke

कोयला खान भविष्य निधि, धनबाद अपने आयुक्त के माध्यम से एवं अन्य (सभी में)

W.P. (C) No. 7640, 3777 of 2012 with 390 of 2013. Decided on 12th November, 2014.

सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971—धारा 4—याचीगण जो सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ के कर्मचारी थे को 1980 में विभिन्न तिथियों पर उनके नियोक्ता द्वारा क्वार्टर आवंटित किया गया था–सेवा से याचीगण की अधिवर्षिता के बाद उनको आवंटित क्वार्टरों को अपने पास रखने की अनुमति उनको देते हुए कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, अभिलेख पर यह नहीं लाया गया है कि याचीगण ने कभी भी सामान्य किराया के भुगतान पर क्वार्टर अपने पास रखने के लिए प्रत्यर्थी से कभी कोई अनुमति इप्सित किया–याचीगण को सेवा से उनकी अधिवर्षिता के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे–आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं है–याचिका खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–M/s P. Gangopad-hyay, Shailendra Kr. Singh, For the Petitioner; Mr. LCN Shahdeo, For the Resp.-CMPF; Mr. Rishi Pallava, For the Resp.-JSHB.

आदेश

पी॰ पी॰ केस सं॰ सी॰ पी॰ एफ॰/1 (i) संपदा/बेदखली/आर॰ 1/राँची में संपदा अधिकारी-सह-क्षेत्रीय आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि (सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰), आर॰ 1, राँची द्वारा पारित (समस्त मामलों में) दिनांक 17.07.2009 के आदेश और विविध अपील सं॰ 16 वर्ष 2009 (डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 7640 वर्ष 2012) में दिनांक 31.8.2012 के आदेश, विविध अपील सं॰ 13/2009, 14/2009, 15/2009, 17/2009, 18/2009, 19/2009, 20/2009, 21/2009 और 22/2009 (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3777 वर्ष 2012 में) में दिनांक 8.5.2012 के आदेश और विविध अपील सं॰ 11 वर्ष 2009 (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 390 वर्ष 2013 में) दिनांक 31.8.2012 के आदेश से व्यथित होकर याचीगण इस न्यायालय के पास आए हैं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याचीगण राँची में कोयला खान भविष्य निधि (सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰) के कर्मचारी थे और उनको विभिन्न तिथियों पर क्वार्टर आवंटित किए गए थे। हरमू हाऊसिंग कॉलोनी में लगभग 44 क्वार्टरों को सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ को राँची क्षेत्रीय कार्यालय में इसके कर्मचारियों के लिए पट्टा पर दिया गया था। यह निर्णय करने के लिए कमिटी गठित की गयी थी कि क्या सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ द्वारा उन 44 क्वार्टरों को अपने पास रखा जाना चाहिए अथवा क्या उन क्वार्टरों को लंबी अवधि के आधार पर पट्टा पर अपने कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए अथवा इन्हें बेच दिया जाना चाहिए। दिनांक 29.7.2004 को की गयी बैठक में आइटम सं॰ VI के रूप में मामले पर चर्चा की गयी थी जिसमें दो विकल्पों पर विचार किया गया था अर्थात् (i) उन क्वार्टरों को भंजित कर देना चाहिए और नए घरों का निर्माण करना चाहिए और (ii) क्वार्टरों को भूतपूर्व कर्मचारियों को लंबी अवधि के आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए। चूँकि क्वार्टरों को औपचारिक रूप से सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ के नाम में दर्ज नहीं किया गया था, मामला आस्थगित कर दिया गया था और मामले में आवश्यक कदम उठाने का निर्णय किया गया था।

3. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि वे क्वार्टर जीर्ण-शीर्ण दशा में थे, सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ ने उन क्वार्टरों के रख-रखाव अथवा मरम्मती नहीं करना चाहा और

कर्मचारियों को क्वार्टरों का रख-रखाव करने का विकल्प दिया गया था। सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ के कर्मचारियों को लंबी अवधि के आधार पर उन क्वार्टरों को आवंटित/बेचने का प्रस्ताव दिया गया था। मात्र इसलिए कि बोर्ड ने अंतत: याचीगण को क्वार्टरों को आवंटित नहीं करने का निर्णय किया, याचीगण को अप्राधिकृत अभिभोगियों के रूप में माना गया है और सरकारी परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 के अधीन कार्यवाही दिनांक 2.3.2009 का नोटिस जारी करके आरंभ की गयी है। संपदा अधिकारी के समक्ष उत्तर दाखिल करके याचीगण द्वारा उक्त तथ्यों का विवरण दिया गया था, किंतु संपदा अधिकारी ने गलत धारणा पर कि याचीगण सरकारी स्थान के अप्राधिकृत अधिभोगी हैं, याचीगण की बेदखली का आदेश दिया। विविध अपील सं॰ 16 वर्ष 2009 के तहत याचीगण द्वारा दाखिल अपील एवं बैच मामलों को भी यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया था कि याचीगण सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ के क्वार्टरों के अप्राधिकृत अधिभोगी थे। इन तथ्यों में, यह निवेदन किया गया है कि याचीगण, जिन्हें उनके नियोक्ता द्वारा काफी पहले वर्ष 1980 में क्वार्टरों को आवंटित किया गया था, को पश्चातवर्ती घटनाक्रम, जिसके द्वारा याचीगण के पक्ष में क्वार्टरों को आवंटित किया गया था, की दृष्टि में अप्राधिकृत अधिभोगियों के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसलिए, वर्तमान कार्यवाही में आपेक्षित आदेश अभिखंडित किए जाने के दायी हैं।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि यद्यपि सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ के कर्मचारियों को 44 क्वार्टरों के आवंटन/विक्रय का प्रस्ताव दिया गया था, सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ बोर्ड ने अपनी 142वीं बैठक में प्रस्ताव ठुकरा दिया। अधिकारिक संसूचनाएँ यह दावा उठाने के लिए याचीगण पर कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेंगी कि वे क्वार्टरों के आवंटन की उम्मीद में उनको आवंटित क्वार्टरों में सेवा से अपनी अधिवर्षिता के बाद भी बने रहे।

5. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य हाऊसिंग बोर्ड के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी (समस्त मामलों में) दिनांक 17.7.2009 के आदेश, दिनांक 31.8.2012 के आदेश (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7640 वर्ष 2012 और डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 390 वर्ष 2013 में) और दिनांक 8.5.2012 के आदेश (डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 3777 वर्ष 2012 में) का समर्थन किया है।

6. मैंने सावधानीपूर्वक पक्षों की ओर से किए गए निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज का परिशीलन किया है।

7. याचीगण ने दावा किया है कि उन्हें उनके नियोक्ता सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ द्वारा वर्ष 1980 में क्वार्टरों को आवंटित किया गया था किंतु, मैं पाता हूँ कि सेवा से याचीगण की अधिवर्षिता के बाद याचीगण को उनको आवंटित क्वार्टरों को अपने पास रखने की अनुमति देते हुए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अभिलेख पर यह भी नहीं लाया गया है कि याचीगण ने सामान्य किराया के भुगतान पर क्वार्टरों को अपने पास रखने के लिए प्रत्यर्थी सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ से कभी कोई अनुमति इप्सित किया। तत्कालीन बिहार राज्य आवासीय बोर्ड से अर्जित क्वार्टरों को अपने कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए दिया गया प्रस्ताव अंतत: प्रत्यर्थी सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट संसूचनाएँ उपदर्शित करती हैं कि प्रस्ताव विनिर्दिष्टत: ठुकरा दिया गया था और भूतपूर्व कर्मचारियों को क्वार्टरों को आवंटित नहीं करने अथवा नहीं बेचने अथवा झारखंड राज्य आवासीय बोर्ड को घर वापस नहीं लौटाने का निर्णय किया गया था। याचीगण को सेवा से उनकी अधिवर्षिता के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। याचीगण ने यह उपदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कोई दस्तावेज नहीं लाया है कि उन्हें सेवा से उनकी अधिवर्षिता के बाद उनको आवंटित क्वार्टरों को अपने पास रखने की अनुमति दी गयी थी।

8. मैं वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित आदेशों में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ और इसलिए, रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। किंतु, मैं पाता हूँ कि याचीगण तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी थे जो काफी पहले सेवा से अधिवर्षित हो गए हैं और इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्यर्थी सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ याचीगण पर उनके द्वारा क्वार्टरों के अधिभोग के लिए कोई शास्तिक दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

महादेव शरण सिंह उर्फ एम॰ एस॰ सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 2755 of 2013. Decided on 14th October, 2014.

(क) छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908—धारा 87—धारा 87 प्रावधानित करती है कि राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति तीन माह के भीतर वाद दाखिल कर सकता है–किराया नियतिकरण मामले में कार्यवाही अवैध एवं गलत थी, उक्त कार्यवाही में पारित आदेश राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है–जब रिपोर्ट प्राप्त किया गया था, अपर समाहर्ता ने मामले में आवश्यक कदम उठाने का और सहायक व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के रद्दकरण का निर्देश दिया। (पैराएँ 5 एवं 6)

(ख) भूमि विधि–किराया का नियतिकरण–प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेख में राज्य के नाम में है, प्रश्नगत भूमि के संबंध में याची का अधिकार घोषित करते हुए सक्षम अधिकारिता के सिविल न्यायालय द्वारा कोई डिक्री अथवा आदेश पारित नहीं किया गया है–किराया नियतिकरण मामले में अपनायी गयी प्रक्रिया गलत थी और विधि के विपरीत थी–सरकार अपने अधिकारी के अप्राधिकृत कृत्य द्वारा बाध्य नहीं है–याची ने दावा किया कि वह वर्ष 1947 से प्रश्नगत संपत्ति पर काबिज था, उसने केवल वर्ष 2009 में किराया के नियतिकरण के लिए आवेदन दिया था–स्वीकृत रूप से, याची वाद भूमि के ऊपर अवैध कब्जा के सिवाए किसी अधिकार, अभिधान अथवा हित का दावा नहीं कर रहा है–राज्य ने किराया नियतिकरण मामले में पारित आदेश को चुनौती देने के लिए विधिक रास्ता अपनाने का निर्णय किया–अभिनिर्धारित, याची न्यायालय को राज्य को विधि में उपलब्ध विधिक उपचार इप्सित नहीं करने का निर्देश देने के लिए नहीं कह सकता है–अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन का अधिकार सांविधिक अधिकार है जिसे न्यायालय द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 3 एवं 7)

निर्णयज विधि.–—2014(1) JBCJ 155 (HC)—Relied Upon.

अधिवक्तागण.–Mr. V. Shivnath, For the Petitioner; M/s Arvind Kumar Mehta, Bhupal Krishna Pd., For the State.

आदेश

अपर समाहर्ता द्वारा जारी दिनांक 27.1.2011 के आदेश से व्यथित होकर और जुगसलाई नगरपालिका, खाता सं॰ 158, भूखंड सं॰ 850, 871 एवं 872 के 0.06.94 हेक्टेयर मापवाले कुल क्षेत्रफल के अधीन वार्ड सं॰ 2 के संबंध में किराया स्वीकार करने के लिए और किराया के नियतिकरण के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिए जाने के लिए याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. रिट याची ने निम्नलिखित कथन किया है:

कोई गौरी शंकर सिंह एवं अन्य खाता सं॰ 158, भूखंड सं॰ 850, 871 एवं 872 में मौजा जुगसलाई, वार्ड सं॰ 2, पुरानी बस्ती के संबंध में 0.06.94 हेक्टेयर (माप वाले कुल क्षेत्रफल वाले संपत्ति पर काबिज थे और अधिकार अभिलेख में इसे ''अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार'' के रूप में दर्ज किया गया है। वे वर्ष 1947 से वाद भूमि पर काबिज थे और उन्होंने अपने अधिभोग में भूखंड के ऊपर घर निर्मित किया है। दिनांक 12.1.1973 को अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया गया था। छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 85 (2) के अधीन किराया के भुगतान के प्रयोजन से आवेदन दाखिल किया गया था और किराया नियतिकरण मामला सं॰ 8 वर्ष 2009 दर्ज किया गया था। मामले की जाँच की गयी थी और राजस्व प्राधिकारियों ने याची को प्रश्नगत भूमि पर काबिज पाया था। तद्नुसार, सहायक व्यवस्थापन अधिकारी ने 40.47 वर्गफीट के लिए 10/- रुपए की दर पर किराया और 171/- रुपए का उपकर नियत किया और राज्य को किराया के भुगतान के लिए पृथक जमाबंदी खोलने का आदेश दिया गया था। यह कथन करते हुए कि खाता सं॰ 158, भूखंड सं॰ 850, 871 एवं 872 में 0.06.94 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल का मौजा जुगसलाई, वार्ड सं॰ 2, पुरानी बस्ती से गठित भूमि याची एवं अन्य के अवैध कब्जा में थी, दिनांक 3.1.2009 के पत्र के तहत सब-डिविजनल अधिकारी, दालभूम, जमशेदपुर को बाद में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 27.1.2011 के आक्षेपित पत्र के तहत अपर समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम ने सबडिविजनल अधिकारी, दालभूम, जमशेदपुर को किराया नियतिकरण मामला सं॰ 2 वर्ष 2009-2010 में पारित आदेश के रद्दकरण के लिए एवं मामले में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। व्यथित होकर रिट याची ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 3, 4 एवं 6 की ओर से यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेख में राज्य के नाम में है और प्रश्नगत भूमि के संबंध में याची के अधिकार को घोषित करते हुए सक्षम अधिकारिता के सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री अथवा आदेश पारित नहीं किया गया है। किराया नियतिकरण मामला सं॰ 2 वर्ष 2009-10 में अपनायी गयी प्रक्रिया गलत थी और विधि के विपरीत थी और इसलिए, सरकार अपने अधिकारी के अप्राधिकृत कृत्य द्वारा बाध्य नहीं है। प्रश्नगत भूमि का अंतिम प्रकाशन वर्ष 1973 में किया गया था और सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 85 प्रावधानित करती है कि भूस्वामी अथवा अभिधारी अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के तीन माह के भीतर उचित किराया के व्यवस्थापन के लिए आवेदन दे सकता है। याची न तो भूस्वामी है और न ही अभिधारी बल्कि वह सरकारी भूमि का अप्राधिकृत अधिभोगी है। सरकारी भूमि का अवैध कब्जा मात्र सरकारी भूमि के संबंध में किराया के नियतिकरण के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है। याची अवैध के आधार पर किराया के नियतिकरण का हकदार नहीं है और किराया नियतिकरण मामले में सहायक व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया विधि के विपरीत थी और इसलिए, दिनांक 25.8.2009 का आदेश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 85 (4) अपील प्रावधानित करती है और सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 89 के अधीन पुनरीक्षण का प्रावधान है। याची वैकल्पिक उपचार का सहारा लिए बिना इस न्यायालय के पास आया है और इसलिए, रिट याचिका खारिज किए जाने की दायी है।

4. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री बी॰ शिवनाथ ने निवेदन किया है कि स्वीकृत रूप से याची वाद भूमि पर काबिज है जो अवैध है किंतु, यह स्वयं में किराया नियतिकरण मामला सं॰ 2 वर्ष 2009-2010 में पारित आदेश निरसित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 किराया नियतिकरण आदेश को चुनौती देने के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया प्रावधानित करता

है। अधिनियम की धारा 87 प्रावधानित करती है कि राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति तीन माह के भीतर वाद दाखिल कर सकता है और चूँकि, किराया नियतिकरण आदेश के विरुद्ध वाद दाखिल नहीं किया गया है, दिनांक 27.1.2011 के आक्षेपित आदेश में अंतर्विष्ट आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि भले ही अंतिम प्रकाशन में याची का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया था और इस प्रकार, यह माना गया है कि याची वाद संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज था, राज्य सरकार को वाद दाखिल करने की छूट थी जैसा छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 87 के अधीन अनुध्यात किया गया है किंतु, वाद दाखिल किए बिना किराया नियतिकरण आदेश रद्द नहीं किया जा सकता है।

6. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी सं॰ 3, 4 एवं 6 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र में अपनाया गया दृष्टिकोण दोहराया है और निवेदन किया है कि चूँकि किराया नियतिकरण मामला सं॰ 2 वर्ष 2009-2010 में कार्यवाही अवैध और गलत थी, उक्त कार्यवाही में पारित आदेश राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। जब रिपोर्ट प्राप्त किया गया था, अपर समाहर्ता ने दिनांक 27.1.2011 के पत्र के तहत मामले में आवश्यक कदम उठाने के लिए और सहायक व्यवस्थापन अधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित आदेश के रद्दकरण के लिए निर्देश पारित किया। प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **''झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम टॉरियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा॰ लि॰, 2014 (1) JBCJ 155 (HC)** में इस न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है।

7. विद्वान वरीय अधिवक्ता के प्रतिवाद कि राज्य को छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम की धारा 87 के अधीन आवेदन दाखिल करना चाहिए था, को निर्दिष्ट करते हुए मैं पाता हूँ कि उपायुक्त ने सटीक रूप से यही निर्देश दिया है और उपायुक्त का निर्देश दिनांक 27.1.2011 के पत्र के तहत सब डिविजनल अधिकारी को संसूचित किया गया है। उपायुक्त ने आदेश दिया है कि आवश्यक विधिक मत लेने के बाद सहायक व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए कदम उठाना चाहिए। स्वीकृत रूप से, वर्तमान मामले में याची अभिलिखित अभिधारी नहीं है। किराया नियतिकरण मामला सं॰ 2 वर्ष 2009-2010 की कार्यवाही में किराया का नियतिकरण वह आदेश है जिससे प्रत्यर्थी झारखंड राज्य व्यथित है और जब रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी कि सहायक व्यवस्थापन अधिकारी, जमशेदपुर ने किराया नियतिकरण सं॰ 2 वर्ष 2009-2010 में अवैध रूप से आदेश पारित किया है, जाँच की गयी थी और उपायुक्त की प्रेरणा पर अपर समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने दिनांक 27.1.2011 का आक्षेपित पत्र जारी किया है। परिशिष्ट 3 के तहत भी अंचलाधिकारी की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि याची प्रश्नगत भूमि पर अवैध रूप से काबिज है। याची ने दावा किया है कि वह वर्ष 1947 से प्रश्नगत संपत्ति पर काबिज है किंतु, उसने केवल वर्ष 2009 में किराया के नियतिकरण के लिए आवेदन दिया। स्वीकृत रूप से, याची वाद भूमि पर अवैध कब्जा के सिवाए किसी अधिकार, हित अथवा अभिधान का दावा नहीं कर रहा है। इन तथ्यों में, यदि राज्य ने किराया नियतिकरण मामला सं॰ 2 वर्ष 2009-2010 में पारित आदेश को चुनौती देने के लिए विधिक रास्ता अपनाने का निर्णय किया है, याची न्यायालय को राज्य को विधि में उपलब्ध विधिक उपचार इप्सित नहीं करने का निर्देश देने के लिए नहीं कह सकता है। अपील/पुनरीक्षण/पुनर्विलोकन का अधिकार सांविधिक अधिकार है जिसे न्यायालय द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है।

8. इन तथ्यों में, मैं दिनांक 27.1.2011 के आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o jkxku e[kkikè;k;] U;k;efrx.k

झारखंड राज्य (2 में)

बंगाली यादव (233 में)

cuke

बंगाली यादव (2 में)

झारखंड राज्य (233 में)

Death Ref. No. 2 of 2013 with Criminal Appeal (DB) No. 233 of 2013. Decided on 15th October, 2014.

सत्र विचारण सं॰ 252 वर्ष 2010 में अपर सत्र न्यायाधीश–I, पलामू, डालटेनगंज द्वारा निर्दिष्ट दिनांक 8 मार्च, 2013 के पत्र सं॰ 132/13 के तहत संदर्भ के विषय में। (2 वर्ष 2013)

सत्र विचारण सं॰ 252 वर्ष 2010 में अपर सत्र न्यायाधीश–I, पलामू डालटेनगंज द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 26.2.2013 तथा 7.3.2013 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश के विरूद्ध। (233 वर्ष 2013)

दांडिक विचारण–साक्ष्य का अधिमूल्यन–गवाह का आचरण–दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दांडिक अपील दाखिल की गयी जबकि न्यायालय ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 374 के अधीन आदेश की संपुष्टि के लिए मामला निर्दिष्ट किया–गवाहों के आचरण अस्वाभाविक है क्योंकि मृतक की हत्या करते हुए अपीलार्थी को अभिकथित रूप से देखने का दावा करते हुए गवाहों का स्वाभाविक आचरण शोर मचाना होता क्योंकि विद्यालय के निकट अनेक घर थे–जब दो व्यक्ति वहाँ थे और अभियुक्तगण वहाँ नहीं थे, गवाहों के भयभीत होने का प्रश्न ही उद्‌भूत नहीं होता है विशेषतः जब घटनास्थल इतने सारे घरों से घिरा हुआ था–उस स्थिति में, गवाहों का स्वाभाविक आचरण लोगों को सूचित करना अथवा शोर मचाना और सूचक जिसका घर निकट में था को सूचित करना होता–प्रातः 10 बजे तक घर में सोए रहने का अ॰ सा॰ 1 का आचरण अस्वाभाविक प्रतीत होता है–गवाहों का आचरण बिल्कुल संदेहास्पद है जो डॉक्टर के साक्ष्य की दृष्टि में कुछ अन्यथा सुझाता है–प्रकाश के किसी स्रोत की अनुपस्थिति में गहरी रात्रि में अभियुक्त की पहचान करने वाला गवाहों का परिसाक्ष्य स्वीकार करने योग्य नहीं है–अपीलार्थी का आचरण उसकी निर्दोषिता दर्शाता है जब मृत शरीर को विद्यालय के छत से पुलिस थाना लाया गया था, वह भी पुलिस थाना गया था जिसकी उम्मीद सामान्य स्थिति में अभियुक्त से नहीं की जा सकती है, उसे फरार होता कभी नहीं पाया गया था–अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जाता है और पूरी तरह अस्वीकार किया जाता है–विचारण न्यायालय का दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश अपास्त किया गया–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 10 एवं 15)

अधिवक्तागण.–Mr. Kaushik Sarkhel, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the State

न्यायालय द्वारा.–भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय सामान्य आशय को अग्रसर करके किसी कृष्णा यादव की हत्या करने के आरोप पर सत्र विचारण सं॰ 252 वर्ष 2010 में अपीलार्थी बंगाली यादव का विचारण किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश–I पलामू, डालटेनगंज ने दिनांक

26.2.2013 के निर्णय के तहत अपीलार्थी को आरोप का दोषी पाने पर दिनांक 7.3.2013 के आदेश के तहत अपीलार्थी को मृत्यु दंडादेश अधिनिर्णीत किया।

दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर दांडिक अपील दाखिल की गयी है जबकि न्यायालय ने आदेश की संपुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन मामला निर्दिष्ट किया है जिस पर मृत्यु निर्देश सं॰ 2 वर्ष 2013 दर्ज किया गया है। दोनों साथ सुने गए हैं।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 13.6.2009 एवं दिनांक 14.6.2009 की मध्यक्षेपी रात्रि में सूचक यशोदा देवी (अ॰ सा॰ 4) का पुत्र मृतक कृष्णा यादव तारुदग टोला दिरही अवस्थित प्राथमिक विद्यालय की छत पर नागेन्द्र कुमार परहिया (अ॰ सा॰ 1) और अरविन्द परहिया (अ॰ सा॰ 2) के साथ सोया हुआ था। अपीलार्थी बंगाली यादव आया और टांगी से कृष्णा यादव को काटा और गामा परहिया, भोला परहिया एवं बलदेव परहिया के साथ भाग गया जिन्हें गवाह नगेन्द्र परहिया द्वारा पहचाना गया था।

अगली सुबह जब सूचक अपने पति के साथ बाजार जा रही थी, उन्हें बाली यादव के पुत्र द्वारा बताया गया था कि उनके पुत्र की हत्या कर दी गयी है। यह सुनने पर, सूचक घर लौटी जहाँ उसकी पुत्री सविता कुमारी ने कहा कि नगेन्द्र परहिया आया था और प्रकट किया था कि अपीलार्थी बंगाली यादव ने कृष्णा यादव की हत्या की है जब वह उसके एवं अरविन्द (अ॰ सा॰ 2) के साथ सो रहा था। यह सूचना पाने पर, वह अन्य के साथ घटनास्थल पर आयी और अपने पुत्र को मृत पाया।

3. आई॰ ओ॰ कमलेश पासवान (अ॰ सा॰ 9) दूरभाष पर कृष्णा यादव की हत्या की सूचना पाने पर वहाँ आया जिसको उसने अपना फर्दबयान (प्रदर्श 4) दिया जिस पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 3) दर्ज की गयी थी और अपीलार्थी एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन छतरपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 69 वर्ष 2009 संस्थित किया गया था। सूचक अ॰ सा॰ 4 के अनुसार, अपीलार्थी ने हत्या किया था क्योंकि अपीलार्थी के साथ भूमि विवाद था।

4. आई॰ ओ॰ ने अन्वेषण अपने हाथ में लेने पर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृत शरीर का चालान तैयार करने के बाद, मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ विजय कुमार सिंह (अ॰ सा॰ 5) द्वारा किया गया था। दिनांक 15.6.2009 को शव-परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ने निम्नलिखित का उपहतियों को पाया था:-

"(i) xnu dh ufydkvk ,o xnu dh ekl i'kh rd dkVr g, 8cm x 3cm ,o vfLFk xgjk vkdkj dk xnu d ck, fgLl ij dVu dk t[eA

*(ii) xnu dh ukfydk ,o xnu dh ekl i'kh ,o fupy tcM dh gMMh dkVrk gvk 6cm x 3cm ,o vfLFk rd xgjk vkdkj dk xnu d ck, fgLl ij dVu dk t[eA***

डॉक्टर के अनुसार, दोनों उपहतियाँ मृत्युपूर्व प्रकृति की थी और तेज धार वाले एवं भारी हथियार द्वारा कारित की गयी थी। मृत्यु पूर्वोक्त उपहतियों द्वारा कारित हेमरेज एवं आघात के कारण कारित हुई थी।

5. अन्वेषण पूरा करने के बाद अपीलार्थी एवं गामा परहिया, भोला परहिया एवं बलदेव परहिया के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। भोला परहिया एवं बलदेव परहिया को फरार दर्शाया गया था। तद्नुसार, अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। अन्य

अभियुक्त गामा परहिया फरार प्रतीत होता है और इसलिए, उसका मामला अलग किया गया था और केवल अपीलार्थी का विचारण किया गया था जिसके दौरान 10 गवाहों का परीक्षण किया गया था जिनमें से अ॰ सा॰ 1 नगेन्द्र कुमार परहिया ने अपीलार्थी को कृष्णा यादव की गर्दन काटता देखने का दावा किया। किंतु, प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने अपीलार्थी को देखा था जब वह छत से कूदने वाला था। अ॰ सा॰ 2 अरविन्द परहिया के अनुसार, इस अपीलार्थी ने कर्दन काटा और गर्दन काटने के बाद जब वह भाग रहा था, उसने उसका पीछा किया था। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने अभिसाक्ष्य दिया कि अ॰ सा॰ 1 ने उसे बताया था कि अपीलार्थी ने कृष्णा यादव की हत्या की है। अ॰ सा॰ 3 सविता देवी अनुश्रुत गवाह है जिसे अरविन्द परहिया एवं गामा परहिया से घटना का पता चला। अ॰ सा॰ 4 सूचक भी अनुश्रुत गवाह प्रतीत होती है जिसने अरविन्द परहिया से अपने पुत्र की हत्या की सूचना पायी। अ॰ सा॰ 6 विरेन्द्र परहिया एवं अ॰ सा॰ 7 शंभु परहिया मृत्यु समीक्षा के गवाह हैं, जबकि अ॰ सा॰ 8 एवं 9 औपचारिक गवाह हैं।

6. अभियोजन मामला बंद करने के बाद जब अपीलार्थी के विरुद्ध सामने आने वाली अपराध में फँसाने वाली सामग्री को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन स्पष्ट किया गया था, अपीलार्थी द्वारा इनकार किया गया था।

7. न्यायालय ने अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के परिसाक्ष्य पर विश्वास करके दोषसिद्धि दर्ज किया एवं मृत्यु दंडादेश अधिनिर्णीत किया।

8. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के॰ सरखेल निवेदन करते हैं कि यद्यपि अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 ने अपीलार्थी को मृतक की हत्या करते देखने का दावा किया है, किंतु उनका आचरण ऐसा है कि उनका परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह अस्वीकार किए जाने योग्य है। इस संबंध में, यह निवेदन किया गया था कि दोनों गवाहों ने घटना देखने का और अपीलार्थी को भागते देखने का दावा किया है, किंतु उन्होंने सूचक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सूचित नहीं किया था, जिनके घर वहाँ थे बल्कि वे, उनके साक्ष्य के अनुसार, विद्यालय से चले गए और दूसरे घर में सो गए और प्रातः 5 बजे अपने घर आए और पुनः सो गए। केवल घटना के अगले दिन प्रातः 10 बजे अ॰ सा॰ 1 ने सूचक की पुत्री को घटना के बारे में सूचित किया, जबकि सामान्य विवेक का व्यक्ति ने भी तुरन्त शोर किया होता और सूचक सहित अन्य को सूचित किया होता जिनके घर विद्यालय के निकट थे। स्वीकृत रुप से, उन्होंने उनमें से किसी को तुरन्त सूचित नहीं किया। अन्य परिस्थितियों के साथ तुरन्त सूचित नहीं करने का यह तथ्य दर्शाएगा कि गवाहों अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 ने ही मृतक की हत्या की, किंतु अवर न्यायालय ने मामले के इन समस्त पहलुओं पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किए बिना दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया और विचित्र रूप से मृत्यु दंडादेश अधिनिर्णीत किया जबकि मामले के किसी दृष्टिकोण में वर्तमान मामला विरल मामलों में विरलतम श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अभिखंडित किए जाने योग्य है।

9. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि गवाहों का आचरण कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होता है, किंतु तथ्य यह है कि उन्होंने अपीलार्थी को हत्या करते देखा था और इस प्रभाव का उनका परिसाक्ष्य दृढ़ बना हुआ है और इसलिए, अवर न्यायालय ने सही प्रकार से दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया है।

10. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख के परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि अ॰ सा॰ 1 नागेन्द्र पहरिया एवं अ॰ सा॰ 2 अरविन्द पहरिया ने घटना की रात्रि में विद्यालय की छत पर मृतक के साथ सोने का दावा किया है। अ॰ सा॰ 1 के अनुसार, जब वे सोए थे, अपीलार्थी आया और टांगी से कृष्णा यादव को काट दिया। समय के उस बिंदु पर वह उठ गया और उसको पहचान लिया। तब उसने अरविंद परहिया (अ॰ सा॰ 2) को जगाया। किंतु प्रतिपरीक्षण में, उसने परिसाक्ष्य दिया है कि जब बंगाली छत से कूदा, उसने उसको पहचाना था। इसी साँस में उसने कहा कि उसने बंगाली को पहचाना जब वह छत पर था। अ॰ सा॰ 2 के अनुसार, जैसा मुख्य परीक्षण में परिसाक्ष्य दिया गया है, जब अपीलार्थी ने मृतक को काटा, उसने अ॰ सा॰ 1 के साथ उसका पीछा किया जिस दौरान अपीलार्थी ने उसको धमकी दिया, किंतु यह तथ्य अ॰ सा॰ 1 द्वारा कभी समर्थित नहीं किया गया है और यह प्रतिपरीक्षण में दिए गए परिसाक्ष्य से भी झूठा हो जाता है जिसमें उसने परिसाक्ष्य दिया था कि जब वह जागा, उसे अ॰ सा॰ 1 से पता चला कि अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की है। इस पर वे छत से नीचे उतरे, अपने घर आए और सो गए। केवल सुबह में उसने गाँववालों को घटना बताया।

इस बिंदु पर कमोबेश अ॰ सा॰ 1 का परिसाक्ष्य समरुप है जहाँ उसने परिसाक्ष्य दिया है कि घटना के बाद वह छत से नीचे उतरा और विद्यालय के बगल में अवस्थित घर में सो गया। वह प्रातः 5 बजे जागा और अपने घर आया जहाँ वह पुनः प्रातः 10 बजे तक सोता रहा। केवल तत्पश्चात, उसने मृतक की बहन को घटना के बारे में सूचित किया।

11. गवाहों का आचरण निश्चय ही अस्वाभाविक प्रतीत होता है क्योंकि मृतक की हत्या करते हुए अपीलार्थी को अभिकथित रूप से देखने का दावा करने वाले गवाहों का स्वाभाविक आचरण शोर मचाना होता क्योंकि अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 8 के साक्ष्य के मुताबिक विद्यालय के निकट अनेक घर थे। केवल यही नहीं, उसके परिसाक्ष्य के मुताबिक सूचक का घर भी विद्यालय से 20 क्यूबिट की दूरी पर था। अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के मुताबिक, गवाहों के घर भी घटनास्थल से 20 क्यूबिट दूर थे। इसके अतिरिक्त, जब दो व्यक्ति वहाँ थे और अभियुक्त वहाँ नहीं था, गवाहों के भयभीत होने का प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है विशेषतः जब घटनास्थल अनेक घरों से घिरा था। उस स्थिति में, गवाहों का स्वाभाविक आचरण व्यक्तियों को सूचित करना अथवा शोर मचाना और सूचक को भी सूचित करना होता जिसका घर निकट में था। आगे, घर में प्रातः 10 बजे तक अ॰ सा॰ 1 का सोने का आचरण भी अस्वाभाविक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, डॉक्टर के साक्ष्य जहाँ उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया है कि विंड पाइप (ट्रेचिया) को कटा नहीं पाया गया था और उस स्थिति में मृतक कुछ बोलने की अवस्था में था और उसे बचाया जा सकता था यदि समय पर उसका इलाज किया गया होता, की दृष्टि में गवाहों का आचरण कुछ अन्यथा सुझाता बिल्कुल संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके बावजूद गवाह मृतक को पीछे छोड़ते हुए चले गए, जिसकी डॉक्टर के साक्ष्य की दृष्टि में उस समय तक मृत्यु नहीं हुई होगी और वे अपने घर आ गए और प्रातः 10 बजे तक सोते रहे। इसके अतिरिक्त, प्रकाश के किसी स्रोत की अनुपस्थिति में गहरी रात्रि में अभियुक्त को पहचानने का गवाहों का परिसाक्ष्य स्वीकार करने योग्य नहीं है।

दूसरी ओर, अपीलार्थी का आचरण उसकी निर्दोषिता दर्शाता है क्योंकि अ॰ सा॰ 6 एवं 7 के साक्ष्य से प्रतीत होता है कि जब मृत शरीर विद्यालय की छत से पुलिस थाना लाया गया था, यह अपीलार्थी भी

साथ में पुलिस थाना गया था, जिसकी उम्मीद सामान्य स्थिति में अभियुक्त से नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी को घटना के बाद फरार नहीं पाया गया था बल्कि आई॰ ओ॰ के साक्ष्य के मुताबिक अपीलार्थी अपने घर में था जब उसे गिरफ्तार किया गया था।

12. इस प्रकार, उक्त कथित परिस्थितियों में अ॰ सा॰ 1 एवं 2 का परिसाक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता है बल्कि गवाहों का आचरण ऐसा है कि उनका परिसाक्ष्य बिल्कुल अस्वीकार किए जाने का दायी है।

13. इन परिस्थितियों के अधीन, विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता करता प्रतीत होता है और इसलिए, एतद् द्वारा इसे अपास्त किया जाता है।

14. इस प्रकार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। अपीलार्थी को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

15. तद्नुसार, मृत्यु निर्देश का उत्तर दिया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 4991 of 2014. Decided on 28th November, 2014.

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957—धारा 8 (3)—याची ने सुर्दा कॉपर खानों का तृतीय नवीकरण इप्सित करते हुए आवेदन दिया और खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 26 (3) के निबंधनानुसार राज्य सरकार को इसे दस्तावेज जो नवीकरण आवेदन पर विचार किए जाने के लिए आवश्यक थे की आपूर्ति का निर्देश देते हुए अपीलार्थी/पट्टाधारी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी–नियम 26 (3) के अधीन याची को नोटिस जारी नहीं किया गया–प्रत्यर्थी राज्य ने प्रतिशपथ पत्र में पहली बार अभिवचन किया कि खनन पट्टा के तृतीय नवीकरण के लिए आवेदन अपूर्ण था–इसपर कोई विवाद नहीं है कि सुर्दा कॉपर खानों के लिए खनन पट्टा का नवीकरण गैर वनीय प्रयोजन से इप्सित किया गया है–पट्टा पर दिया गया क्षेत्र आरक्षित वन के भीतर आता है–पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के बिना खनन पट्टा का प्रदान बिल्कुल प्रतिषिद्ध है निर्देश दिया गया कि जब एक बार याची आवश्यक पर्यावरण अनापत्ति प्रस्तुत करता है, एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम, 1957 के निबंधनानुसार राज्य सरकार द्वारा दो सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा–मामला निपटाया गया। (पैराएँ 12 से 15)

निर्णयज विधि.–(2004) 12 SCC 118; (1996)6 SCC 442—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s R. Venkat-ramani, A.K. Mehta, Alok Kumar, For the Petitioner; Mr. Ajit Kumar, For the Respondents; Mr. Indrajit Sinha, For the Intervenor.

आदेश

दिनांक 3.9.2014 एवं दिनांक 6.9.2014 के आदेशों को चुनौती देते हुए और कम से कम एक वर्ष अथवा किसी न्यून अवधि के लिए, जिसके भीतर खनन पट्टा का नवीकरण याची के पक्ष में निष्पादित

किया जा सकता है, खानों में काम करने की अनुमति याची को देते हुए तुरन्त विस्तारण प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश इप्सित करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. याची सुरदा कॉपर खानों से तांबा अयस्क निकालने के काम में लगा हुआ है जिसके संबंध में याची के हितपूर्वाधिकारी को दिनांक 16.6.1939 को मोसाबनी में खनन पट्टा प्रदान किया गया था। भारतीय कॉपर निगम (प्रबंधन ग्रहण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 (1) के अधीन भारतीय ताम्र निगम लिमिटेड का प्रबंध एवं उपक्रम ग्रहण किया गया था और यह दिनांक 21.9.1972 के प्रभाव से केंद्र सरकार को अंतरित एवं इसमें निहित हुआ। दिनांक 25.9.1972 की गजट अधिसूचना के तहत समस्त संपत्तियाँ, आस्तियाँ/दायित्व एवं बाध्यताएँ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में निहित हो गए। सुर्दा कॉपर खान का प्रथम नवीकरण दिनांक 16.6.1984 के प्रभाव से 20 वर्ष की अवधि के लिए था। दिनांक 5.6.2004 को याची ने खनन पट्टा के द्वितीय नवीकरण के लिए आवेदन दिया जिसे दिनांक 16.6.2004 के प्रभाव से 10 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 22.2.2007 का औपचारिक पट्टा निष्पादित करके प्रदान किया गया था। याची ने ''चलाने की सहमति'' के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन आवेदन दिया जिसे सम्यक रूप से प्रदान किया गया था। सुर्दा कॉपर खान का तृतीय नवीकरण दिनांक 16.6.2014 को बकाया होने के दो वर्ष पहले याची ने दिनांक 18.3.2013 का आवेदन दिया। उसके पहले दिनांक 21.6.2012 को याची ने क्षमता विस्तारण एवं पट्टा नवीकरण के लिए विशेषज्ञ प्राकलन कमिटी के समक्ष अपना पुनरीक्षित फॉर्म-I जमा किया और विशेषज्ञ प्राक्कलन कमिटी की 28वीं बैठक में विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव लिया गया था। विशेषज्ञ प्राक्कलन कमिटी की दिनांक 21.6.2012 की 28वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 21.7.2012 के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया था। याची द्वारा मेकॉन से प्रारुप पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट तैयार करवाया गया था। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने याची को दिनांक 30.4.2013 को अपना तकनीकी प्रस्तुतीकरण देने का निर्देश दिया और तद्नुसार, याची ने सुर्दा खनन पट्टा के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण योजना का तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिया। पुन: याची कंपनी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पास सुर्दा कॉपर खान के क्षमता विस्तारण के लिए पर्यावरण अनापत्ति के लिए टी॰ ओ॰ आर॰ विहित करने के लिए दिनांक 2.1.2014 एवं दिनांक 12.3.2014 के पत्र के तहत गयी।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 1 से 3 की ओर से यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि सुर्दा कॉपर खान के खनन पट्टा के तृतीय नवीकरण के लिए आवेदन दिनांक 18.3.2013 को दिया गया था जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 24 (6) में संशोधन की दृष्टि में याची को खनन कार्य रोकने का निर्देश जारी किया गया था। याची द्वारा दाखिल आवेदन के साथ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन अनुमति और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची से ''चलाने की सहमति'' की प्रतियाँ संलग्न नहीं थी। पूरक प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थी झारखण्ड राज्य ने इंगित किया है कि याची की परियोजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा डीलिस्ट कर दी गयी है और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ''चलाने की सहमति'' आदेश को नवीकृत करने से इनकार कर दिया है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री आर॰ वेंकटरमनी ने निवेदन किया कि यद्यपि याची ने समय के बिल्कुल भीतर खनन पट्टा के तृतीय नवीकरण के लिए आवेदन दिया था और इस बीच भारतीय खान ब्यूरो से अनुकूल रिपोर्ट भी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गयी है, प्रत्यर्थी झारखंड राज्य द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 (3) के निबंधनानुसार आदेश जारी नहीं किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 सहित किसी अन्य अधिनियम के अधीन आवश्यकता को एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम, 1957 की धारा 8 (9) के अधीन आवेदन पर निर्णय लेने के लिए पूर्व शर्त नहीं बनाया जा सकता है।

6. विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री अजित कुमार ने निवेदन किया कि **''एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ,'' (2004)12 SCC 118,** में निर्णय की दृष्टि में खनन पट्टा का नवीकरण प्रदान किए जाने के पहले पट्टाधारी को पूर्व पर्यावरण अनापत्ति इप्सित करने की आवश्यकता है। याची कंपनी द्वारा दाखिल आवेदन के साथ पर्यावरण अनापत्ति संलग्न नहीं है और इसलिए, सुर्दा कॉपर खान का तृतीय नवीकरण इप्सित करने वाले आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

7. उत्तर में, याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जब एक बार यह उपदर्शित करते हुए कि याची के पक्ष में खनन पट्टा का नवीकरण प्रदान करना खनिज विकास के हित में होगा, भारतीय खान ब्यूरो से अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, केवल यह करने की आवश्यकता है कि राज्य सरकार खनन पट्टा के नवीकरण का प्रदान प्राधिकृत करने वाला अभिव्यक्त आदेश जारी करेगी। चूँकि एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम एवं उसके अधीन नियमावली की योजना सिवाए जैसा अधिनियम एवं नियमावली में अंतर्विष्ट है, को पुरोभाव्य शर्त प्रतिपादित नहीं करती है, पर्यावरण अनापत्ति एवं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ''चलाने की सहमति'' आदेश प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी झारखंड राज्य का जोर एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन राज्य सरकार पर प्रदत्त शक्ति के परे है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

9. परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर आने के पहले **''भारत का इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,'' शीर्षक डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5368 वर्ष 2014** में पारित आदेश, जिसमें एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम एवं एम॰ सी॰ नियमावली की योजना पर चर्चा की गयी है, को लाभदायी रूप से ध्यान में लिया जा सकता है। उक्त मामले में अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"10. .....èkkjk 8 (3), fu;e 24A ,o ,e0 ,e0 Mh0 vkj0 vfèkfu;e] 1957 dh ;ktuk d foèkk;h vk'k; dk l;Dr iBu fdlh çdkj dk Ing ugh NkMrk g fd tc ,d ckj jkT; ljdkj er fufer djrh g fd ;g [kfut fodkl d fgr e g fd fo|eku [kuu iVVk uohÑr fd;k tkuk pkfg,] jkT; ljdkj ,e0 ,e0 Mh0 vkj0 vfèkfu;e] 1957 dh èkkjk 8 (3) d vèkhu vfHk0;Dr vkn'k ikfjr dju d fy, lkfofèkd dr0; d vèkhu gkxh--------***

10. याची ने सुर्दा कॉपर खान का तृतीय नवीकरण इप्सित करते हुए अपना आवेदन दिया और खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 26 (3) के निबंधनानुसार राज्य सरकार को दस्तावेज के लोप अथवा प्रस्तुति की आपूर्ति, जो नवीकरण आवेदन पर विचार किए जाने के लिए आवश्यक था, करने का निर्देश आवेदक को देते हुए आवेदक को पट्टाधारी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता थी किंतु नियम

26 (3) के अधीन अनुध्यात नोटिस याची को जारी नहीं किया गया था। पहली बार, वर्तमान कार्यवाही में दाखिल प्रतिशपथ पत्र में प्रत्यर्थी झारखण्ड राज्य ने अभिवचन किया है कि खनन पट्टा के तृतीय नवीकरण के लिए आवेदन अपूर्ण है। इस स्थिति से सामना करने पर प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने एम॰ सी॰ मेहता मामले के पैराग्राफ सं॰ 76 एवं 77 पर विश्वास किया जिसे नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"76. vfcdk Dojh oDl e vfHk0;Dr nf"Vdk.kk d lkFk lger gkr g, xkeh.k okn ,o gdnkjh dn cuke m0 ç0 jkT; e ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd ,Q0 lh0 vfèkfu;e uohdj.kk ij Hkh ykx gkrk g vkj Hky gh iVVkèkkjh d fodYi d ç;kx ij iVVk djkj e uohdj.k dk çkoèkku Fkk] ,l uohdj.k çnku fd, tku d igy vfèkfu;e dh vko';drk dk lr"V fd;k tkuk FkkA e0 ç0 jkT; cuke Ñ".kknkl Vhdkjke e bu nk fu.k;k ij fo'okl fd;k x;k Fkk vkj ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd dn ljdkj dh io lgefr d fcuk iVVk dk uohdj.k Hkh çnku ugh fd;k tk ldrk gA ;g lfuf'pr fofèk g fd uohdj.k dk çnku u;k çnku g vkj bl fofèk d lkFk lxr gkuk gkxkA

*77. ge bl çfrokn dk Lohdkj dju e v{ke g fd fnukd 27.1.1994 dh vfèklpuk mu iVVk ij ykx ugh gkxh tk vfèklpuk fuxr gku d mijkr uohdj.k d fy, fopkj dju d fy, vk;k FkkA vfèklpuk vkKk nrh g fd Hkkjr d fdlh Hkkx e [kuu dk; ugh fd;k tk,xk tc rd dn ljdkj }kjk i;koj.k vukifÙk ugh nh tkrh gA vfèklpuk d vèkhu vukifÙk ikp o"kk dh vofèk d fy, oèk gA iVVk e l fdlh e vfèklpuk dh vko';drkvk dk [kuu iVVk d vkjfHkd çnku d pj.k ij vFkok uohdj.k d pj.k ij vuikyu ugh fd;k x;k FkkA iVVk e l dN vfèklpuk tkjh fd, tku d ckn çnku fd, x, u, iVV FkA vfèklpuk d fucèkuku lkj i;koj.k çHkko fuèkkj.k çkIr fd, fcuk dkb [kuu dk; vkjHk ugh fd;k tk ldrk gA***

11. पैराग्राफ 77 का पठन यह स्पष्ट करता है कि दिनांक 27.1.1994 की अधिसूचना, जिसे वर्ष 2006 की अधिसूचना द्वारा अधिक्रांत किया गया था, के निबंधनानुसार पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राप्त किए बिना ''कोई खनन कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है।'' दिनांक 14.9.2006 की अधिसूचना प्रावधानित करती है कि केवल केंद्र सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकारी से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के बाद नयी परियोजनाओं का निर्माण अथवा गतिविधि अथवा विद्यमान परियोजनाओं अथवा गतिविधि का विस्तारण या आधुनिकीकरण भारत के किसी भाग में ''किया'' जाएगा। दिनांक 14.9.2006 की अधिसूचना के अधीन आवश्यकता एम॰ सी॰ मेहता मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप प्रतीत होती है। यद्यपि, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पर्यावरण अनापत्ति इप्सित करने की आवश्यकता खनन पट्टा के नवीकरण के मामले में प्रयोज्य है किंतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पठन से एवं वर्ष 2006 की अधिसूचना की भाषा से यह प्रतीत होता है कि पट्टाधारी को ''अपना काम आरंभ करने'' के पहले आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है। नि:संदेह, खनन पट्टा के नवीकरण के प्रदान के लिए ''पूर्व'' पर्यावरण अनापत्ति इप्सित करने के लिए एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन कोई अभिव्यक्त आवश्यकता नहीं है, यह स्वीकृत अवस्था है कि ''पूर्व'' पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किए बिना खनन कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम, 1957 की धारा 8 (3) के निबंधनानुसार आदेश

खनन पट्टा के नवीकरण के प्रदान के लिए पूर्व शर्त है और दो चरणों के बीच जीवित संबंध है। तकनीकी रूप से, एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 8 (3) के अधीन आदेश जारी करने के चरण पर पूर्व पर्यावरण अनापत्ति इप्सित करने की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है किंतु एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 8 (3) के निबंधनानुसार खनन पट्टा का नवीकरण प्राधिकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिव्यक्त आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है और पर्यावरण अनापत्ति के पूर्वानुमोदन के बिना खनन पट्टा नवीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका स्वाभाविक सहपरिणाम यह होगा कि पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के बिना एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 8 (3) के अधीन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। चूँकि पट्टाधारी को प्रदान किए गए पर्यावरण अनापत्ति की अनुपस्थिति में खनन पट्टा नवीकृत नहीं किया जा सकता है, एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 8 (3) के अधीन आदेश शून्यता में अथवा पर्यावरण अनापत्ति प्रदान किए जाने की प्रत्याशा में जारी नहीं किया जा सकता है। जैसा ऊपर गौर किया गया है कि एम॰ सी॰ मेहता मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पट्टा के नवीकरण के समय पर केंद्र सरकार की पूर्व सहमति आज्ञापक है। **''अंबिका क्वैरी वर्क्स, आदि बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, AIR 1987 SC 1073,** में पट्टा के नवीकरण से इस आधार पर इनकार किया गया था कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभाव में आने के बाद केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

> *^^tgk jkT; ljdkj u [kuu iVVk d uohdj.k d fy, vfèkfu;e d çHkko e vku d ckn fn;k x;k vkonu vLohdkj dj fn;k gk] vLohdkj d vfèkfu;e d ç;ktu d lkFk lxfr e gku d ukr] bl bl rF; d ckotn pukrh nu dh NV ugh Fkh fd xtjkr y?k [kfut fu;ekoyh] 1966 dk fu;e 18 (b) (i) iVVk dk uohdj.k çkoèkkfur djrk FkkA***

12. ''डिविजनल वन अधिकारी एवं अन्य बनाम एस॰ नागेश्वरम्मा, (1996)6 SCC 442, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 खनन कार्य प्रतिषिद्ध करती है यदि खान वन क्षेत्र के भीतर अवस्थित है। इसपर कोई विवाद नहीं है कि सुर्दा कॉपर खान के खनन पट्टा का नवीकरण गैर–वनीय प्रयोजन से इप्सित किया गया है। यह स्वीकृत अवस्था है कि पट्टा पर दिया गया क्षेत्र आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के बिना खनन पट्टा का प्रदान बिल्कुल प्रतिषिद्ध है।

13. आगे मैं पाता हूँ कि यद्यपि राज्य सरकार द्वारा आई॰ बी॰ एम॰ से अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त की गयी है किंतु जैसा यहाँ ऊपर गौर किया गया है, राज्य सरकार को मत निर्मित करने की आवश्यकता है कि यह खनिज विकास के हित में है और ऐसा करना आवश्यक है, केवल तब राज्य सरकार खनन पट्टा के द्वितीय एवं पश्चातवर्ती नवीकरण के लिए प्राधिकृत कर सकती है। सुर्दा कॉपर खान के खनन पट्टा का तृतीय नवीकरण इप्सित करते हुए याची द्वारा दाखिल आवेदन पर एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम, 1957 की धारा 8 (3) के निबंधनानुसार निर्णय लेने के लिए प्रत्यर्थी झारखंड राज्य को निर्देश देने के लिए रिट याचिका में प्रार्थना नहीं की है।

14. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में इस चरण पर याची की प्रार्थना प्रदान नहीं की जा सकती है। याची ने दावा किया है कि यह भारत में ताम्र अयस्क रिजर्व के लिए समस्त विद्यमान खनन पट्टा रखता है और भारत में यही एकमात्र ताम्र खनन कंपनी है। यह ''शून्य कर्ज'' लोक क्षेत्र कंपनी है जिसमें केंद्र सरकार का होल्डिंग 90% है। सुर्दा खान भूमिगत खान है और कैप्टिव उपभोग के लिए खनन किया जाता है। यह प्राख्यान किया गया है कि सुर्दा खान में काम रोका जाना कंसनट्रेटर प्लांट को रोक देगा और

समेल्टर प्लांट के कार्य को प्रभावित करेगा। जहाँ तक सुर्दा कॉपर खान में याची द्वारा खनन का संबंध है, यह भारत में एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड खान है, अत: यह भिन्न आधार पर टिका है। खनन कार्य भूमि के नीचे सतह क्षेत्र के नीचे लगभग 470 मीटर तक किया जाता है। खान को अचानक यकायक बंद किया जाना घातक होगा जब एक बार भूमिगत खान में पानी भर जाता है।

15. मामले के विचित्र तथ्यों की दृष्टि में, मेरा मत है कि यह न्याय का उद्देश्य पूरा करेगा यदि निर्देश जारी किया जाता है कि जब एक बार याची आवश्यक पर्यावरण अनापत्ति प्रस्तुत करता है, एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 18 (3) के निबंधनानुसार राज्य सरकार द्वारा दो सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

16. पूर्वोक्त निबंधन में रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

अर्जुन प्रसाद सिन्हा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

WP(S) No. 4676 of 2007. Decided on 26th November, 2014.

(क) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930—नियम 55—याची एल॰ डी॰ सी॰ है और हिंदी अनुदेशक के रूप में अपने मूल कर्तव्य के अतिरिक्त आयुध एवं विस्फोटक का प्रभारी है–निलंबित किया गया, अभियोजन आरंभ किया गया–याची ने अभिकथनों का विवरण, प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियाँ मांगा–सेवा से हटाए जाने के पहले उसे दांडिक आरोपों से दोषमुक्त किया गया था–याची का हटाया जाना अपास्त किया गया और उसके द्वारा मांगे गए संपूर्ण प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति करने के बाद नयी कार्यवाही आरंभ करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष मामला वापस भेजा गया, प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गयी–जाँच अधिकारी द्वारा दस्तावेजों को नहीं दिया गया, आरोप सिद्ध पाया गया, बर्खास्तगी की अनुशंसा की गयी–दस्तावेजों के आधार पर विरचित आरोप कार्यवाही के अभिन्न अंग नहीं हैं–प्रत्यर्थी ने बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली की धारा 168 (D) के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जो अस्थायी सरकारी सेवक के उन्मोचन के आरोप पर विचार करती है–प्रत्यर्थी के अभिवचन में ऐसा अभिवचन नहीं है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया–यह भी निर्धारित किया गया, चूँकि याची पहले ही अधिवर्षित हो चुका है, मध्यक्षेपी अवधि, जिसके दौरान वह सेवा से बाहर था, की गणना पेंशन के प्रयोजन से की जाएगी।

(पैराएँ 12, 14, 19, 22 से 28)

(ख) सेवा विधि–विभागीय कार्यवाही–पुनर्बहाली–यह विधि का प्रमुख सिद्धांत है कि अपने कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करना अनुशासनिक प्राधिकारी का अधिकार है यदि उसके विरुद्ध अवचार से संबंधित कुछ पाया गया है और उसके लिए संविधि के अधीन प्रावधान बनाया गया है जिसमें यह प्रावधानित किया गया है कि अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद दंड आदेश पारित। (पैरा 19)

निर्णयज विधि.–(1967)1 SLR 759; (2010)2 SCC 772—Relied; 197 L.Ed. 956—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Prakash Chandra, For the Petitioner.

आदेश

याची ने उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा जारी मेमो सं॰ 907 में अंतर्विष्ट दिनांक 21.9.2005 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन पहले पारित किया गया हटाए जाने का आदेश उसी प्रकार रखा गया है जैसा यह था। याची ने समस्त पारिणामिक लाभों के साथ पुनर्बहाली की प्रार्थना भी की है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची ने वर्ष 1961 में हजारीबाग समाहरणालय में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में अपनी सेवा ग्रहण किया है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापित किए जाने के बाद उसे वर्ष 1971 में जिला हिंदी अनुदेशक के रूप में उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय में पदस्थापित किया गया था जिसमें वह हिंदी अनुदेशक के रूप में अपने मूल कर्तव्य के अतिरिक्त हजारीबाग समाहरणालय में आयुध एवं विस्फोटक खंड के प्रभारी के रूप में पदस्थापित था।

3. दिनांक 6.4.1975 को याची को केरेदारी अंचल में स्थानान्तरित किया गया था और उसे उपायुक्त, हजारीबाग के आदेश के मुताबिक किसी श्री एम॰ तिवारी, निम्न श्रेणी लिपिक के पक्ष में हिंदी खंड का प्रभार और किसी श्री लखन दास के पक्ष में आयुध एवं विस्फोटक खंड के कार्यालय का प्रभार सौंपने के लिए कहा गया था और ऐसा करने के बाद याची ने पद का प्रभार सौंपने के बाद केरेदारी अंचल में अपना नया पद ग्रहण किया।

4. याची द्वारा निवेदन किया गया है कि केरेदारी अंचल में अपना नया पद ग्रहण करने के तुरन्त बाद उसे उपायुक्त, हजारीबाग के हस्ताक्षर के अधीन दिनांक 9.7.1975 का मेमो सं॰ 3130/g तामील किया गया था जिसके द्वारा याची को तुरन्त के प्रभाव से निलंबन के अधीन रखा गया था।

5. याची द्वारा निवेदन किया गया है कि दिनांक 2.8.1975 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467 एवं 468 के अधीन अपराध के लिए उसके विरुद्ध दांडिक मामला जी॰ आर॰ केस सं॰ 2210/1975 संस्थित किया गया था।

6. याची द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि दिनांक 30.9.1975 के आदेश के तहत याची को एक आरोप ज्ञापन के साथ जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था जिसमें याची के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाए गए थे:–

(i) ;kph u ,Dl vkEl Dyd dk in èkkj.k djr g, fty vk;èk nMkfèkdkjh Jh vkj0 ih0 e[kth dk gLrk{kj dVjfpr dju d ckn l{ke çkfèkdkjh d vkn'k d fcuk Jh ijekuUn mikè;k; dk tu ykbl l 10 8/75 tkjh fd;kA

(ii) ;kph u vk;èk jftLVj okY;e 1d i"B 92 d dkye 5e dN çfof"V djd vr%{ki.k fd;k vkj fty vk;èk nMkfèkdkjh dk gLrk{kj dVjfpr fd;kA

(iii) ;kph vk;èk fyfid d :i e leLr vk;èk vfHky[kk] jftLVjk] vkfn dk vfHkj{kd FkkA mlu djnkjh LFkkukrfjr fd, tku d ckn mDr ykbl l 10 276/74 d ekeyk vfHky[kk dk çHkkj ugh fn;k FkkA fnukd 23.6.75 dk tc og gtkjhckx e b0 ,y0 dk ykHk y jgk Fkk] ml cyk;k x;k Fkk vkj ç'uxr vfHky[k dk irk yxku dk vkn'k fn;k x;k Fkk fdr og ç'uxr vfHky[k dk irk ugh yxk ldk FkkA vr% ;g vfHkdfFkr fd;k x;k Fkk fd ;kph u tkuc>dj

ç'uxr vfHky[k dk Nik;k Fkk D;kfd mlu l{ke çkfèkdkjh dk vkn'k çkIr fd, fcuk udyh ykbl l tkjh fd;k FkkA

(iv) fnukd 18.1.75 dk ftyk vk;èk nMkfèkdkjh d gLrk{kj d fy, ykbl l jftLVj okY;e 1e vud vk;èk ykbll j[k x, Fk ftu ij ftyk vk;èk nMkfèkdkjh }kjk gLrk{kj fd;k x;k Fkk vkj dk;ky; dk ykVk;k x;k FkkA ;kph ckn e Jh ijekuUn mikè;k; dk dVjfpr ykbl l çfo"V djd ykbl l jftLVj d i"B 92 d dkye 8e ftyk vk;èk nMkfèkdkjh dk gLrk{kj iku e dke;kc jgkA rn}kjk mlu ftyk vk;èk nMkfèkdkjh dk fnXHkfer fd;k vkj mDr jftLVj e diViod mudk gLrk{kj çkIr fd;kA

(v) ;kph u Øekd 276/74 d fo#) vk;èk vfèkfu;e jftLVj e >Bk çfof"V fd;k tc mik;Dr] gtkjhckx dk ,l k dkb vkn'k ugh FkkA

7. याची द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि आरोप ज्ञापन प्राप्त करने के बाद याची जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ है और अभिकथनों के विवरण, प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियों की मांग की है। किंतु विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना याची को दिनांक 12.8.1983 के आदेश के तहत सेवा से हटा दिया गया था। हटाने के आदेश के पहले याची को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 16.4.1983 के निर्णय एवं आदेश के तहत दांडिक आरोपों के दायित्व से दोषमुक्त कर दिया गया है और यह निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण–प्राधिकारीगण द्वारा कोई अपील दाखिल नहीं की गयी है।

8. याची ने निवेदन किया कि दिनांक 12.8.1983 के हटाए जाने के आदेश के विरुद्ध उसने माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1422 वर्ष 1955 दाखिल किया है और इस तथ्य को विचार में लेने के बाद कि याची को अपने मामले का बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है और कोई प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान किए बिना दिनांक 12.8.1983 का हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है, इस न्यायालय की पीठ ने दिनांक 23.2.2004 को उद्घोषित निर्णय के तहत हटाए जाने का आदेश अपास्त कर दिया है और याची द्वारा मांगे गए संपूर्ण प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति के बाद नयी कार्यवाही आरंभ करने के लिए मामला अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष वापस भेजा गया है। उस आदेश को रिट याचिका के परिशिष्ट–4 के रूप में संलग्न किया गया है।

9. रिट याची द्वारा यह निवेदन किया गया है कि तत्पश्चात नयी कार्यवाही आरंभ की गयी है और याची ने मामले की पृष्ठभूमि से संबंधित तथ्यों का कथन करते हुए दिनांक 16.4.2004 का विनिर्दिष्ट आवेदन (रिट याचिका का परिशिष्ट 7) दाखिल किया है और उसमें यह कथन भी करते हुए कि दस्तावेजों, जैसा उसके द्वारा दिनांक 9.10.1975 के अपने आवेदन (रिट याचिका का परिशिष्ट–1) द्वारा मांगा गया था, की आपूर्ति उसको अपना बचाव करने के लिए की जाए।

10. याची के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि जाँच अधिकारी ने सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 (इसमें इसके बाद सी॰ एस॰ नियमावली के रूप में निर्दिष्ट) के नियम 55 के पैरा 2 में अंतर्विष्ट प्रावधान की ओट में दस्तावेज प्रदान नहीं किया है और याची के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध पाया और याची को सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की और तत्पश्चात हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है जिसका विरोध निम्नलिखित आधारों पर याची के अधिवक्ता द्वारा किया गया है:–

(i) ;kph d fo#) fnukd 30.9.1975 dk bl lcèk e tkjh vkjki Kkiu d rgr fu;fer foHkkxh; dk;okgh vkjHk djd vxlj gvk g ftld }kjk lh0

MCY;O t0 lh0 l0 1422 o"k 1995 d rgr pukrh nh x;h g ft l fnukd 12.8.1983 d gVk, tku d igy vkn'k dk vfHk[kfMr djd vuKkr fd;k x;k g vkj vu'kkIfud çkfèkdkjh dk ;kph }kjk ekx x, li.k çkIfxd nLrkotk dh vkifr dju d ckn u;h dk;okgh vkjHk dju dk fofufn"V fun'k fn;k x;k g fdr vR;Ur vk'p;tud :i l ;|fi u;h dk;okgh vkjHk dh x;h g fdr lh0 MCY;O t0 lh0 l0 1422 o"k 1995 e ikfjr fnukd 23.2.2004 d vkn'k d fucèkukuIkj ;kph }kjk dh x;h fofufn"V ekx d ckotn çkIfxd nLrkotk dh vkifr ugh dh x;h g vkj ;kph d fo#) fd, x, vfHkdFkuk d Icèk e fu"d"k ij vku d fy, vfHky[k ij gLry[ku fo'k"kK dh fjikV Hkh ugh yk;h x;h gA

(ii) tkp vfèkdkjh u xyr :i l lh0 ,l0 fu;ekoyh 1930 d fu;e 55 d ijk 2 ij fo'okI fd;k g ft Id vkèkkj ij ;kph dk nLrkotk dh vkifr ugh dh x;h gA

(iii) tkp vfèkdkjh u nM vfèkjkfir dju dh vu'kIk djd viuh vfèkdkfjrk d ij x;k g D;kfd tkp vfèkdkjh dk doy vkjki fl) vFkok vfl) fd, tku d Icèk e fu"d"k nuk g vkj ml nM dh çÑfr d Icèk e dkb vu'kIk ugh djuh gA

11. इसके विरुद्ध, प्रत्यर्थीगण ने याची के दावा को विवादित करते हुए विस्तृत प्रतिशपथ पत्र मुख्यत: इस आधार पर दाखिल किया है कि याची सी॰ एस॰ नियमावली, 1930 के नियम 55 के पैराग्राफ 2 के मुताबिक प्रासंगिक दस्तावेज पाने का हकदार नहीं है। हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई दुर्बलता नहीं है और इस दशा में प्रत्यर्थीगण–प्राधिकारीगण की ओर से तर्क किया गया है कि याची कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है जैसी प्रार्थना रिट याचिकाओं में की गयी है।

12. पक्षों के अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद स्वीकृत तथ्य निम्नलिखित हैं:–

(a) LohÑr :i l] fnukd 30.9.1975 dk ;kph d fo#) foHkkxh; dk;okgh vkjHk dh x;h Fkh vkj mDr vkjki Kkiu d vkèkkj ij ;kph dk fnukd 12.8.1983 dk lok l gVk;k x;k Fkk ft l fnukd 23.2.2004 d vkn'k d rgr bl vkèkkj ij vuKkr fd;k x;k g fd ;kph dk luokb dk i;kIr volj ugh fn;k x;k g pfd çkIfxd nLrkotk dh vkifr ugh dh x;h g vkj bl fu"d"k ij vku d ckn fd çFke tkp vfèkdkjh u bl çHkko dk viuk fjikV çLrr fd;k fd dk;okgh dk HkkX; gLry[ku fo'k"kK dh fjikV ij fuHkj djrk g tk ugh fn;k x;k Fkk vkj ml dkj.k og ;kph d fo#) yxk, x, vkjkik d Icèk e fu"d"k ij vku e v{ke FkkA fdr] vu'kIfud çkfèkdkjh mDr fjikV l lger ugh gvk vkj ,d vU; vfèkdkjh dk tkp vfèkdkjh d :i e fu;Dr fd;k vkj rRi'pkr ;kph u xu ykbl l tk vfHkdfFkr :i l dVjfpr gLrk{kj vrfo"V djrk g lfgr Icfèkr dkxtkrk dh çfr;k d fy, vujkèk fd;k fdr bUg vuiyCèkrk d dkj.k çLrr ugh fd;k tk ldk Fkk vkj ml dh vuifLFkfr e tkp vfèkdkjh u ;g vfHkfuèkkfjr djr g, fjikV nkf[ky fd;k fd dN vkjki fl) fd, x, g vkj mDr fjikV d vkèkkj ij vu'kIfud çkfèkdkjh u lok l gVk, tku dk vk{kfir

vkn'k ikfjr fd;kA vihyh; çkfèkdkjh vFkkr mik;Dr u vu'kkLfud çkfèkdkjh d vkn'k dk vfHki"V fd;k fdr ik;k fd ;kph dk çkLfxd nLrkotk dh vkifr ugh dh x;h gA vr% mUgku viu vkn'k e fuEufyf[kr lçf{kr fd;k%

^^eu vihykFkh d fo}ku vfèkoDrk ,o ljdkjh vfèkoDrk dk luk gA ijh{k.k fd;k tku okyk çFke fcn ;g gS fd D;k leLr çkLfxd nLrkotk dh çfr;k dh vkifr ;kph dk dh x;h Fkh ;k ugh vkj ml viuk cpko dju dk ;fDr;Dr volj fn;k x;k Fkk ;k ughA vfHky[k l ;g çrhr gkrk g fd vihykFkh u dkQh igy tuojh] 1978 e mldk ey ykbZl n'kku dk vujkèk fd;k FkkA tkp vfèkdkjh ,oftyk ç'kklu }kjk vud ç;kl fd, x, Fk fdr mldk bZdh vkifr ugh dh tk ldh FkhA ml bZd fcuk viuk dkj.k crkvk nkf[ky dju d fy, etcj fd;k x;k FkkA ;g n'kku d fy, vfHky[k ij dN Hkh ugh g fd vihykFkh u vU; nLrkotk dk Hkh ekxk Fkk ftldh vkifr ml ugh dh x;h FkhA ey ykbZl dk xj&çLrrhdj.k viu cpko d fy, lefpr volj l budkj fd, tku d rY; ugh gA

rc iu% e ikrk g fd rRdkyhu vk;èk nMkfèkdkjh Jh vkj0 ih0 e[kth bl ekey e rkfRod xokg Fk fdr mudk ijh{k.k vFkok çfr ijh{k.k ugh fd;k x;k FkkA blu vihykFkh d ekey ij çfrdy çHkko Mkyk gkxkA fdr mlu vfHky[k d erkfcd bl ij dHkh tkj ugh fn;kA

*rrh;r% vkjkik e l ,d vr%{ki.k ,o dVjpuk l lcfèkr gA bl vkjki dk fl) dju d fy, gLry[ku fo'k"kK dk er çkIr djuk vko';d FkkA fdr pfd vfHky[k xk;c gk x;k Fkk] ;g lHko ugh FkkA***

किंतु अपीलीय प्राधिकारी ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि:–

*^^vr%{ki.k ,o dVjpuk d vkjki d lcèk e] bUg lng d ij fl) ugh fd;k tk ldk Fkk D;kfd vfHky[k xk;c gk x, FkA fo}ku mik;Dr ;g fu"d"k fudkyu e U;k;kfpr Fk fd vihykFkh Lo; dk cpku dh nf"V l budk xk;c gku e lgk;d FkkA***

13. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याची द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था और तात्विक गवाह अर्थात् आयुध दंडाधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया था जिसने अपीलीय प्राधिकारी के अनुसार याची के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और इन तथ्यों के आधार पर हटाए जाने का आदेश अभिखंडित किया गया है और सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 1422 वर्ष 1995 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा याची द्वारा मांगे गए संपूर्ण प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति करने के बाद नए सिरे से अग्रसर होने के लिए मामला अनुशासनिक प्राधिकारी के पास वापस भेजा गया था।

14. आगे यह प्रतीत होता है कि नयी जाँच के पहले याची ने पुन: दिनांक 16.4.2004 के आवेदन के तहत दस्तावेज की मांग की है जिसे रिट याचिका के परिशिष्ट 7 के रूप में संलग्न किया गया है और प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र में इससे इनकार नहीं किया गया है और प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 51 में केवल यह कथन किया गया है जो निम्नलिखित है:–

*"51. mDr fjV vkonu d ijkxkQk 38 l 40 d mÙkj e ;g dFku fd;k x;k g fd mle fn, x, fooj.k vfHky[k d ekey gA***

15. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याची ने सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं० 1422/1995 में पारित आदेश के निबंधनानुसार पुन: प्रासंगिक दस्तावेजों को मांगा है।

16. आगे, यह प्रतीत होता है कि जाँच अधिकारी ने सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1422 वर्ष 1995 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अधिमूल्यन किए बिना सी॰ एस॰ नियमावली, 1930 के नियम 55 के पैरा 2 में अंतर्विष्ट प्रावधान की दृष्टि में प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति करने से इनकार किया है।

17. आगे यह प्रतीत होता है कि आरोप सिद्ध करते हुए जाँच अधिकारी ने याची के विरुद्ध सेवा से हटाए जाने का दंड अधिरोपित करने की अनुशंसा भी की है।

18. उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 168 (D) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दिनांक 21.9.2005 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है और तद्द्वारा याची को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

19. यह विधि का प्रमुख सिद्धांत है कि अपने कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ करने का अधिकार अनुशासनिक प्राधिकारी को है यदि अवचार से संबंधित उसके विरुद्ध कुछ पाया जाता है और उसके लिए संविधि के अधीन प्रावधान बनाया गया है जिसमें यह प्रावधानित किया गया है कि अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद दंड आदेश पारित करना होगा।

20. याची जिसके विरुद्ध दिनांक 30.9.1975 को विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी है, वह कार्यवाही दिनांक 12.8.1983 तक जारी रही है जो हटाए जाने के प्रथम आदेश की तिथि है, जिसे याची द्वारा चुनौती दी गयी है और अंततः इसे इस आधार पर अपास्त किया गया है कि प्रासंगिक दस्तावेज की आपूर्ति नहीं करके याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी संप्रेक्षित किया गया है।

21. किंतु, जाँच अधिकारी द्वारा याची के दावा से इनकार करते हुए आधार लिया गया है कि नियम 55 के पैरा 2 की दृष्टि में याची प्रासंगिक दस्तावेजों को पाने का हकदार नहीं है, और इस दशा में सी॰ एस॰ नियमावली, 1930 के नियम 55 के पैरा 12 पर विचार करना आवश्यक है:–

> *^^;g fu;e ugh ykx gksxk tgk lcfèkr 0;fDr Qjkj g vFkok tgk vU; dkj.kk l mldk lIpuk nuk v0;ogkfjd gA fu;e d leLr vFkok fdlh çkoèkkuk dh vkiokfnd ekeyk e] fyf[kr e nt fd, tku oky fo'k"k ,o i;kIr dkj.kk l vfèkR;Dr fd;k tk ldrk g] tgk fu;e dh vko';drk dk Bhd&Bhd ikyu dju e ef'dy g vkj mu vko';drkvk dk vkjkfir 0;fDr d lkFk vU;k; fd, fcuk vfèkR;Dr fd;k tk ldrk gA***

22. सी॰ एस॰ नियमावली, 1930 के नियम 55 के पैराग्राफ 2 के परिशीलन से यह प्रकट है कि यह प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान नहीं करने के संबंध में नहीं कहती है। यदि नियम 55 के प्रावधानों को विचार में लिया जाता है, यह अत्यन्त स्पष्ट है कि मुख्य दंड पारित करने के पहले अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने की आवश्यकता होगी जो प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति सम्मिलित करता है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **त्रिलोक नाथ बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1967)1 SLR 759,** में अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^ge oreku d fy, ekux fd fIfoy lok (oxhdj.k] fu;=.k ,o vihy) fu;ekoyh dk fu;e 55 bl ekey ij ykx gkrk gA fdr ;g fu;e vko';d cukrk g fd lcfèkr ykd lod dk viuk cpko dju d fy, i;kIr volj nuk*

*gkxkA blh dkj.k ls tkp vf/kdkjh ij cktè;dkjh gS fd lcfêkr ykd lod dk mlds fo#) yxk, x, vkjki dh çfr] vkèkkj ftu ij o vkjki vkèkkfjr gS vkj ifjfLFkfr;k ftu ij mlds fo#) dkjokbZ fd, tku dk çLrko fn;k x;k g] dh çfr nh tk,A vkx] ;fn ykd lod viu cpko ds fy, vko';d ikrk g] mls leLr çklfxd nLrkotk dh çfr nuh gkxhA**

23. आगे, **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा, (2010)2 SCC 772,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 28, 29 एवं 33 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

^^28. U;kf;d dYi çkfèkdkj e ÑR; dju okyk tkp vfèkdkjh Lor= U;k; fu.kk;d dh voLFkk e gkrk gA mlls foHkkxh@vu'kklfud çkfèkdkjh@ljdkj dk çfrfufèk gku dh mEehn ugh dh tkrh gA mldk dk;Z foHkkx }kjk çLrr lk{; dk ijh{k.k djuk g] vipkjh vfèkdkjh dh vuifLFkfr e Hkh ;g n[kuk g fd D;k v[kfMr lk{; ;g vfHkfuèkkfjr dju d fy, i;kIr g fd vkjki fl) fd, x, gA orekU ekey e iokDr çfØ;k dk ikyu ugh fd;k x;k gA pfd fdlh ekf[kd lk{; dk ijh{k.k ugh fd;k x;k g] nLrkotk dk fl) ugh fd;k x;k g vkj og fu"df"kr dju d fy, fopkj e ugh fy;k tk ldrk Fkk fd çR;Fkhx.k d fo#) vkjki fl) fd, x, gA

29. mDr d vfrfjDr] Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 311 (2) d QyLo#i foHkkxh; tkp dk ulfxd U;k; d fl)kr d vu#i lpkfyr djuk gkxkA ulfxd U;k; d fl)kr dh ey vko';drk ;g g fd fdlh dk;okgh tk depkjh ij nM vfèkjkfir fd, tku e lekIr gk ldrh g e depkjh dk luokbZ dk i;kIr volj fn;k tk,A

*33. tlk oreku ekey e igy xkj fd;k x;k g] u doy çR;Fkh dk mld fo#) fo'okl fd, tku d fy, bfllr nLrkotk rd igp l budkj fd;k x;k g] cfYd mldk fcuk lu nM fn;k x;k g D;kfd tkp vfèkdkjh tkp lpkfyr dju d fy, dkbZ frfFk fu;r dju e foQy jgkA nlj 'kCnk e] çR;Fkh d fo#) yxk, x, vkjki d leFku e ,d Hkh xokg dk ijh{k.k ugh fd;k x;k gA vr%] mPp U;k;ky; u lgh çdkj ls lçf{kr fd;k g fd ulfxd U;k; d fl)kr d i.k mYy?ku vkj fu"i{krk dh i.k mi{kk e lpkfyr fd, tku d dkj.k ls i.k dk;okgh nf"kr gk x;h gA çR;Fkh d ikl vkjki&i= e fd, x, vfHkdFkuk d fo#) Li"Vhdj.k nu d fy, dk;okgh d fdlh pj.k ij dkbZ volj ugh FkkA**

24. याची के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि आरोप आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित हैं और इस प्रकार, दस्तावेजों के आधार पर आरोपों को विरचित किया गया है किंतु आश्चर्यजनक रूप से उक्त दस्तावेज कार्यवाही के अभिन्न अंग नहीं हैं।

25. इस प्रकार, विभागीय कार्यवाही में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता एवं नियमितता स्वतंत्रता के अपरिहार्य सार हैं। कठोर मुख्य विधियों को सहा जा सकता है यदि उनहें उचित रूप से एवं निष्पक्षत: लागू किया जाता है जैसा **शॉघनेस्सी बनाम संयुक्त राज्य, 197 L Ed 956,** में कहा गया है।

26. प्रासंगिक दस्तावेजों के गैर प्रकटीकरण के प्रभाव को डी० स्मिथ, वूल्फ एवं जॉवेल द्वारा रचित प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायिक पुनर्विलोकन, पाँचवाँ संस्करण, पृष्ठ 442 में कथित किया गया है:–

*^^;fn çkIfxd lkf{;d lkexh dk mI i{k dk fcYdy çdV ugh fd;k tkrk g ftI ij bId }kjk çfrdy çHkko iMu dh lHkkouk g] ;g luokb dk è;ku e fy, fcuk çFke n"V;k vufprrk gA bI çfriknuk dk ç'kkIfud vfèkdj.kk ,o vU; U;k;fu.k;.kdkjh fudk;k }kjk vçdV fjikVk dk mi;kx vrxLr dju oky vud vkèkkfud ekeyk }kjk fpf=r fd;k tk Idrk gA ;fn fofuf'pr djuoky fudk; d ikI U;kf;d vfèkdj.k dh 'kfDr;k g] vkj ;g ,di{kh; :i I lk{; ftI i.krk çdV ugh fd;k x;k g] çkIr djrk g vFkok çkIr djrk çrhr gkrk g vFkok luokb d nkjku vFkok bId lekiu d ckn ,di{kh; fujh{k.k djrk g] fu.k; dk vikLr fd, tku dk ekeyk Li"Vr% vR;Ur etcr g(IfDr fd U;k; fd;k tkrk n'kk;k tkuk gkxk dk voyc vkIkuh I fy;k tk Idrk gA***

27. इस प्रकार, उक्त न्यायिक उद्घोषणा के आधार पर और सेवा विधिशास्त्र के मूल सिद्धांत के आधार पर अपचारी कर्मचारी सुनवाई का पर्याप्त अवसर पाने का हकदार है। स्वीकृत रूप से, वर्तमान मामले में दिनांक 12.8.1983 का पूर्व आदेश इस आधार पर अभिखंडित किया गया है कि याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है और उसको प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए हैं बल्कि पुनः प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा यही चीज दोहरायी गयी है। किंतु, उन्होंने सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1422 वर्ष 1995 में पारित आदेश को चुनौती नहीं दिया है और तद्द्वारा आदेश जिसे दिनांक 12.8.1983 को पारित किया गया है को आक्षेपित आदेश में वैसा ही बने रहने का निर्देश दिया गया है। किंतु, प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 168 (D) के अधीन शक्ति का प्रयोग किया है, पर उक्त नियम याची के संबंध में प्रयोज्य नहीं है क्योंकि यह अस्थायी सरकारी सेवक के उन्मोचन के आरोप पर विचार करता है। संपूर्ण अभिवचन में प्रत्यर्थी प्राधिकारी ने यह अभिवचन नहीं किया है कि याची अस्थायी सरकारी सेवक था।

28. यहाँ ऊपर कथन किए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में दिनांक 21.9.2005 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है और इसे अभिखंडित किया जाता है। चूँकि याची पहले ही सेवा से अधिवर्षित हो गया है, उसकी पुनर्बहाली का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। किंतु, मध्यक्षेपी अवधि जिसके दौरान याची सेवा से बाहर था की गणना पेंशन के प्रयोजन से की जाएगी।

जहाँ तक पिछली मजदूरी का संबंध है, राजकोष पर इस संबंध में निर्देश पारित करने के लिए भार नहीं डाला जा सकता है, किंतु इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याची को इतनी लंबी अवधि के लिए अनावश्यक परेशानी के अधीन किया गया है और उसे सामान्य अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया है, अतः इस मामले के विचित्र तथ्यों में प्रत्यर्थीगण को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से चार माह के भीतर याची को दो लाख रुपयों की एकमुश्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o vferko dekj xIrk] U;k;efrx.k

सबीर आलम

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 959 of 2007. Decided on 21st September, 2014.

सत्र विचारण सं॰ 343 वर्ष 2002/11 (A) वर्ष 2005 में श्री रमाशंकर शुक्ला, षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ॰ टी॰ सी॰) धनबाद द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 1.6.2007 एवं दिनांक 4.6.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

(क) दांडिक विचारण–अन्यत्र होने का अभिवचन–विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्य जो चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्ट हुआ पर विश्वास करते हुए और बचाव साक्षियों पर अविश्वास करते हुए अभियुक्त को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/149 एवं 148 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध किया–बचाव अभिवचन अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य में विसंगति पर आधारित है–चश्मदीद गवाहों का विवरण इस आधार पर संदेह से घिरे होने का दावा किया गया कि गवाहों का मौखिक परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि नहीं पाता है–यदि न्यायालय किसी प्रकार पाता है कि अभियोजन अपना मामला स्थापित करने में सक्षम हुआ है, तब न्यायालय को अन्यत्र होने के अभिवचन पर विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और अन्यत्र होने का अभिवचन सिद्ध करने के लिए परीक्षित गवाह उन गवाहों जिन्होंने अभियोजन की ओर से साक्ष्य दिया है के समान व्यवहार एवं समान सम्मान पाने के हकदार हैं–यदि अभियुक्तगण द्वारा दिया गया साक्ष्य ऐसी गुणवत्ता और ऐसे स्तर का है कि न्यायालय घटना के स्थान एवं समय पर उसकी उपस्थिति के संबंध में कुछ युक्तियुक्त संदेह कर सकता है, न्यायालय यह देखने के लिए अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करेगा कि क्या अभियोजन की ओर से दिया गया साक्ष्य उसमें अन्यत्र होने का अभिवचन समाने के लिए कोई जगह खाली छोड़ता है। (पैराएँ 9 से 17)

(ख) दांडिक विचारण–हितबद्ध गवाह–स्वीकृत रूप से, अभियोजन ने अ॰ सा॰ 1 एवं 4 सूचक, को एक-दूसरे से संबंधित और मृतक से भी संबंधित चश्मदीद गवाह के रूप में प्रक्षेपित किया है क्योंकि अ॰ सा॰ 4 मृतक का पुत्र/सौतेला पुत्र है जबकि अ॰ सा॰ 1 अ॰ सा॰ 4 का साला/बहनोई है–मात्र इस कारण से कि गवाह मृतक से संबंधित हैं, उन गवाहों के परिसाक्ष्य को बिल्कुल त्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सुनिश्चित सिद्धांत यह है कि न्यायालय को उनका परिसाक्ष्य स्वीकार करने के पहले उनके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक एवं सतर्कतापूर्वक संवीक्षण करना चाहिए–चीजें भिन्न तरीके से घटित हो सकती हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है जो अन्य को ज्ञात नहीं हो सकते हैं और इसलिए, कोई यह कहने में सही नहीं होगा कि चीज विशेष तरीके से घटित हुई–यह स्पष्ट है कि समस्त चारों व्यक्ति एक-दूसरे के पड़ोस में एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, उस स्थिति में यह अनधिसंभाव्य कभी प्रतीत नहीं होता है कि वे साथ एकत्रित हुए हैं और तब सब्जी खरीदने के लिए साथ बाजार जाना चाहा–सब्जी खरीदने के लिए चार व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होकर बाजार जाना अनधिसंभाव्यताओं की स्थिति नहीं कही जा सकती है। (पैरा 11)

(ग) दांडिक विचारण–साक्ष्य का अधिमूल्यन–असंगतियाँ–अंतर–घटना के समय के संबंध में अ॰ सा॰ 1 का साक्ष्य अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के साथ संगत नहीं है–अभिनिर्धारित, यह सत्य है कि ऐसे अंतर विद्यमान हैं किंतु इन्हें शायद ही एक-दूसरे के साथ असंगत के रूप में लिया जा सकता है क्योंकि सामान्यतः यदि कोई समय के बारे में कहता है, वह ऐसा कहने में इतना विस्तारपूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि मामले में सामने आने वाली परिस्थितियों में कोई अनुमान द्वारा समय के बारे में कहेगा। (पैरा 12)

(घ) दांडिक विचारण–साक्ष्य का अधिमूल्यन–असंगति–आई॰ ओ॰ द्वारा घटनास्थल का खाका नहीं खींचा गया–दूर-दूर तक यह सुझाने के लिए चश्मदीद गवाहों से कुछ भी निकाला नहीं जा सका है कि घटना स्थल पान पराग गुमटी से दृष्टव्य नहीं था–इन परिस्थितियों के अधीन आई॰ ओ॰ द्वारा नक्शा का खाका नहीं खींचा जाना शायद ही अभियोजन मामले को प्रभावित करता है। (पैराएँ 14 एवं 15)

(ङ) दांडिक विचारण–साक्ष्य का अधिमूल्यन–चश्मदीद गवाह–चिकित्सीय साक्ष्य–अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी संपुष्टि पाते हैं जिसके द्वारा डॉक्टर ने मृतक पर बंदूक की गोली से हुई एक उपहति पाया, बायीं आँख के बाहरी कोण के ऊपर भी एक खरोंच पायी गयी है–जख्म की प्रविष्टि एवं जख्म का निकास की अवस्था ऐसी है जो सुझाती है कि यह शरीर से बाहर आते समय बुलेट द्वारा अथवा जमीन पर गिरने के कारण भी कारित की जा सकती है–अभिनिर्धारित, अ॰ सा॰ 1 तथा 4 दोनों चश्मदीद गवाह विश्वसनीय हैं। (पैरा 16)

(च) दांडिक विचारण–प्रथा एवं प्रक्रिया–संदेह का लाभ–एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े अभियोजन मामला एवं बचाव मामला का मूल्यांकन करते हुए यदि संतुलन अभियुक्त के पक्ष में झुकता है, अभियोजन विफल होगा और अभियुक्त युक्तियुक्त संदेह जो न्यायालय के दिमाग में आएगा के लाभ का हकदार होगा। (पैराएँ 17)

(छ) दांडिक विचारण–अन्यत्र होने का अभिवचन–अभियुक्त का बचाव यह है कि वह घटना के दिन धनबाद में उपस्थित नहीं था, बल्कि किसी मामले की सुनवाई के संबंध में अपने अंग-रक्षक के साथ राँची उच्च न्यायालय आया था जहाँ उसे उल्टी के साथ पेट का दर्द हुआ था और इस दशा में वह इलाज के लिए सदर अस्पताल, राँची आया था जहाँ उसे शाम में घटना के दिन भरती किया गया था और अगले दिन सुबह छोड़ा गया था–अभियुक्त ने अपने बचाव में पाँच गवाहों का परीक्षण किया–अभिनिर्धारित, बचाव अन्यत्र होने का अपना मामला सिद्ध करने में विफल रहा, जबकि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है–अपील खारिज। (पैराएँ 19 से 26)

निर्णयज विधि.–(2002) 2 SCC 426; (2014)5 SCC 108—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Reyaz, For the Appellant; Mr. APP., For the State.

आर॰ आर॰ प्रसाद, न्यायमूर्ति.–यह अपील सत्र विचारण सं॰ 343 वर्ष 2002/11A वर्ष 2005 में पारित क्रमशः दिनांक 1.6.2007 एवं दिनांक 4.6.2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी को नजमा खातुन एवं शहनाज खातुन की हत्या करने का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/149 एवं 148 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और तद्द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास भुगतने एवं 10,000/- रुपया जुर्माना का भुगतान करने का और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में दो वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। आगे उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए क्रमशः दो वर्ष एवं तीन वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया था।

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 18.10.2001 को दोपहर 12.30 बजे सूचक शेर खान (अ॰ सा॰ 4), उसका साला/बहनोई इमदाद उर्फ गुड्डू (अ॰ सा॰ 1) उसकी माता नजमा खातुन और मौसी (माता की बहन) शहनाज खातुन खरीदारी करने के लिए सब्जी पट्टी पुराना बाजार जाने के लिए घर से निकले। सब्जी खरीदने के बाद जब वे घर लौट रहे थे और डायमंड चौराहा के निकट पहुँचे, सूचक (अ॰ सा॰ 4) एवं इमदाद उर्फ गुड्डु (अ॰ सा॰ 1) पान पराग खरीदने के लिए गुमटी पर रूके। उन्होंने नजमा खातुन एवं शहनाज खातुन (दोनों मृतकाओं) को आगे जाने के लिए कहा और वे पान पराग खाने के बाद उनके पीछे आएँगे। पान पराग खरीदने के बाद उन्होंने अचानक भुली मोड़ डायमंड रेलवे गुमटी के बगल से इस अपीलार्थी सबीर आलम सहित आठ अभियुक्तगण को आते देखा। आग्नेयास्त्रों से लैस उन सबों ने नजमा खातुन एवं शहनाज खातुन को घेर लिया। तुरन्त तत्पश्चात अपीलार्थी ने सूचक की माता नजमा खातुन पर गोली दागा जबकि अभियुक्त बाबू आलम ने उसकी मौसी शहनाज खातुन पर गोली दागा जिसके परिणामस्वरुप दोनों जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात अपीलार्थी एवं प्राथमिकी में नामित चार अन्य अभियुक्तगण रजिस्ट्रेशन सं॰ BR 17K 2188 वाले मारुति वैन पर चढ़े और डायमंड चौराहा भूली रोड की ओर भाग गए। दो अन्य अभियुक्तगण जिन्हें भी प्राथमिकी में नामित किया गया है हीरो होण्डा मोटरसाइकिल से भागे और कोई मिन्हाज दो–तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ वहाँ से पैदल भाग गए। इस पर सूचक (अ॰ सा॰ 4) एवं उसका साला/बहनोई इमदाद (अ॰ सा॰ 1) वहाँ आए जहाँ उन्होंने उन दोनों को मृत देखा।

3. जब सूचक एवं उसका साला/बहनोई इमदाद घटना स्थल पर थे, बैंक मोड़ पुलिस थाना में पदस्थापित प्रभारी–अधिकारी गोपीनाथ तिवारी (अ॰ सा॰ 9) सूचना मिलने पर पुलिस दल के साथ घटना स्थल पर आया। उसने दोपहर 2.45 बजे फर्दबयान (प्रदर्श 7) दर्ज किया जिसे मामला के दर्जकरण के लिए पुलिस थाना भेजा गया था। उक्त फर्दबयान के आधार पर, धनबाद बैंक मोड़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 564 वर्ष 2001 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 341, 342, 324 एवं 302 के अधीन इस अपीलार्थी सहित आठ अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज किया गया था। इस बीच, उसने मामले का अन्वेषण शुरू किया। उस क्रम में उसने नजमा खातुन एवं शहनाज खातुन के मृत शरीरों का मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 3 एवं 3/1) तैयार किया। अन्वेषण अधिकारी ने दागे गए खाली कारतूस और एक जीवित कारतूस के साथ देसी पिस्तौल, लेडिज स्लीपर्स का दो जोड़ा और रक्त रंजित मिट्टी जब्त किया। अधिग्रहण सूची तैयार की गयी थी। इस पर, अन्वेषण अधिकारी ने मृत शरीर चालानों (प्रदर्श 3/4 एवं 3/5) को तैयार करने के बाद मृत शरीरों को शव परीक्षण के लिए भेजा। मृत शरीर प्राप्त करने पर पी॰ एम॰ सी॰ एच॰, धनबाद में पदस्थापित डॉ॰ चंद्रशेखर प्रसाद (अ॰ सा॰ 6) ने नजमा खातुन के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों को पाया:–

> *"(i) io'k dk vkXu;kL= t[e buoVM ekftu d lkFk 1/4"x 1/4"0;kl vkj nk, dku d fiUuk d Bhd Åij nk, VEikjy Hkkx ij vofLFkr ekftu d bn&fxn iryk ,cMM jxA migfr d iVy ij tyu] >ylu vFkok dkyk iMu dk lk{; ugh ik;k x;k Fkk fdr ij nk, duiVh ij VVbx mifLFkr FkkA (ii) ck, vk[k d ckgjh dk.k ij vofLFkr ,oVM fonh.k ekftu d lkFk 1/2"0;kl dk vkXu;kL= t[eA li.k ck;h vk[k fonh.k ik;h x;h FkhA tyu] >ylu vkj VVbx vFkok ,cMM jx dk lk{; ugh ik;k x;k FkkA*

(2) [kjkp&ck;h vk[k d ckgjh dk.k d Bhd ckgj 1" x 1" vkdkj dk

*(3) foPNnu dju ij ;g ik;k x;k Fkk fd cyV migfr lO (i) vFkkr çoºk d vkXu;kL= t[e d ekè;e l Øfu;y dfoVh e çoºk fd;kA bll fodfjr gku oky vud fyfu;j ÝDpj d lkFk 1" x 1/4" vkdkj d nk, VEikjy gMMh e Nn Fkk vkj nk, ijkbVy ,feul d vkj&ikj xtjrk gvk yxHkx lk< rhu bp dk nk, ijkbVy vfLFk dk lcl yck fyfu;j ÝDpj FkkA cyV u cu dk fonh.k fd;k vkj efutl u ck, vkfcVy lyV dk ijh rjg rkM fn;k vkj migfr lO (ii) vFkkr fudkl d vkXu;kL= t[e d ekè;e l Øfu;y dfoVh l ckgj vk;k ftlu ck, vkfcV e fudkl d n';iVy l fodflr gkrk ck, vkj ÝVy vfLFk dk vud] ÝDpj mRiUu fd;kA***

डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) तैयार किया कि मस्तक एवं ब्रेन की पूर्वोल्लिखित उपहति के कारण तुरन्त मृत्यु हुई उनके अनुसार, मृत्यु से बीता समय छह घंटे के भीतर था।

4. डॉक्टर ने शहनाज खातुन के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और उसके शरीर पर निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहतियों को पाया:–

^^çoºk dk vkXu;kL= t[e% xnu d nk, fgLl d fupy Hkkx d ihN vofLFkr pkjk vkj ekftu iry ,cMM jx ,o buoVM ekftu d lkFk 1/4" 0;kl dk tyu] >ylu ,o VVbx dk lk{; ugh ik;k x;k FkkA

(ii) fudkl dk vkXu;kL= t[e&xnu d ck, fgLl d eè; Hkkx ij lkeu vofLFkr ,oVM fonh.k ekftu d lkFk 3/4" x 1/2" vkdkj dkA ,cMM jx] tyu] >ylu] dkyk iMu vkj VVbx dk lk{; ugh ik;k x;k FkkA

(2) ck;h NkVh mxyh d tM ij tyu d lk{; d lkFk 1/2" x 1/2" vkdkj rd vfLFk dk xgjk fonh.k t[eA

foPNnu dju ij ;g ik;k x;k Fkk fd cyV u igy ck, gkFk dh NkVh mxyh dk ?kk;y fd;k vkj rc migfr lO (i) vFkkr çoºk d vkXu;kL= t[e d ekè;e l xnu e çoºk fd;kA migfr minf'kr djrh g fd çgkj d le; ij erdk u cpko d ç;ktu l xnu d nk, fgLl ij viuk ck;k gkFk j[kk FkkA cyV u djkfVM vkVjh vkj ck, fgLl ij Fkk;jk;M d lkFk xnu d eyk;e fV'k dk fonh.k fd;k vkj rc migfr lO (ii) vFkkr fudkl d vkXu;kL= t[e d ekè;e l tkr g, lkro lfody ,o igy Fkkjfld oVhck dk Hkh rkM fn;k vkj bl çfØ;k e e#nM Hkh fonh.k gk x;k FkkA

डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2/1) जारी किया कि मृत्यु गर्दन के पूर्वोल्लिखित क्लोज शॉट बुलेट उपहति के कारण कारित हुई थी।

5. अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण पूरा करने के बाद आठ नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया जिस पर अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। आरोप विरचित किए जाने के लिए मामला नियत किया गया था, किंतु छह अभियुक्तगण उपस्थित नहीं हुए थे और, इसलिए, उनका मामला इस अपीलार्थी एवं किसी जावेद आलम के मामले से अलग किया गया था जिनके विरुद्ध आरोप–विरचित किए गए थे। बाद में, जावेद आलम जमानत से भाग गया जब निर्णय नियत किया गया था।

6. विचारण के क्रम में, अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया जिनमें से अ॰ सा॰ 1 इमदाद अहमद और अ॰ सा॰ 4 शेर खान सूचक चश्मदीद गवाह हैं जबकि अ॰ सा॰ 2 मो॰ सोनू खान,

अ॰ सा॰ 3 मो॰ बसीर उर्फ मजनू और अ॰ सा॰ 5, मो॰ इशाद आलम अनुश्रुत गवाह है, जिन्हें अ॰ सा॰ 4 से घटना की सूचना मिली। अ॰ सा॰ 5, 7 एवं 8 मृत्यु समीक्षा के गवाह हैं। अभियोजन मामला बंद करने पर, अपीलार्थी के विरुद्ध सामने आने वाले अपराध में फँसाने वाले सामग्री के संबंध में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछा गया था जिससे अपीलार्थी ने इनकार किया। किंतु इसी समय पर, उसके बचाव में कथन किया गया था कि घटना के दिन अर्थात् दिनांक 18.10.2001 को वह धनबाद में उपस्थित नहीं था बल्कि किसी मामले की सुनवाई के संबंध में अपने अंगरक्षक के साथ राँची उच्च न्यायालय गया था जहाँ उसे उल्टी के साथ पेट दर्द हुआ था और इस दशा में वह इलाज के लिए सदर अस्पताल, राँची आया था जहाँ उसे दिनांक 18.10.2001 को संध्या 4.45 बजे भरती किया गया था और दिनांक 19.10.2001 को प्रातः 10.45 बजे छोड़ा गया था।

बचाव में लिए गए मामले को स्थापित करने के लिए पाँच गवाहों का परीक्षण किया गया था। ब॰ सा॰ 1 अंगरक्षक है जिसने उसी तरीके से परिसाक्ष्य दिया है जैसा ऊपर कथन किया गया है। ब॰ सा॰ 2 वकील है। उसके अनुसार, दिनांक 18.10.2001 को सायं 3.30 से 3.45 बजे जब वह उच्च न्यायालय में काम करने के बाद घर जा रहा था, उसने एक व्यक्ति को उल्टी करते देखा और उसके साथ एक कॉंस्टेबल वहाँ था जिसको उसने उसको अस्पताल ले जाने का सलाह दिया और उनके अनुरोध पर वह भी उनके साथ अस्पताल गया जहाँ उक्त व्यक्ति का इलाज पहले आपातकालीन वार्ड में किया गया था और तब उसे भरती किया गया था। ब॰ सा॰ 5 डॉ॰ संतोष कुमार श्रीवास्तव ने अस्पताल में भरती किए जाते समय क्रमशः सं॰ 330 पर मो॰ सबीर का नाम दर्शाने वाले प्रदर्श E के रूप में भरती रजिस्टर की प्रविष्टि सिद्ध किया है। उसने दिनांक 19.10.2001 को प्रातः 10.45 बजे डिस्चार्ज की तिथि दर्शाने वाले प्रदर्श E के रूप में अपने हस्तलेखन में डिस्चार्ज पर्ची सिद्ध किया है। ब॰ सा॰ 4 हस्तलेखन विशेषज्ञ है। उसके अनुसार, जब उसने फर्दबयान की छाया प्रतिलिपि और अधिग्रहण सूची पर किए गए शेर खान सूचक (अ॰ सा॰ 4) के हस्ताक्षर की तुलना की, उसने पाया कि हस्ताक्षर मेल नहीं खा रहे थे। ब॰ सा॰ 3 हरिलाल यादव जो समय के प्रासंगिक बिंदु पर सी॰ आई॰ डी॰ में सब-इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित था ने परिसाक्ष्य दिया है कि किसी इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने भी अपर महानिरीक्षक के निर्देश के अधीन मामले का जाँच किया था और उनको अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जिसकी अनिल कुमार के हस्ताक्षर को अंतर्विष्ट करने वाली प्रति वहाँ है जिसे सिद्ध किया गया है।

7. विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के परिसाक्ष्यों जो उनके अनुसार चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि पाता है पर विश्वास करते हुए और बचाव में परीक्षित गवाहों के परिसाक्ष्यों पर अविश्वास करते हुए अपीलार्थी को दोषी पाया और, तद्द्वारा, पूर्वोक्तानुसार उसको दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया। उक्त निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर, यह अपील दाखिल की गयी है।

8. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नियाज निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से, चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ 1 एवं 4 सहित समस्त गवाह एक-दूसरे के साथ एवं मृतकाओं के साथ भी संबंधित हैं और चश्मदीद गवाहों में से एक अ॰ सा॰ 1 की आपराधिक पृष्ठभूमि है और इस दशा में चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्यों का मूल्यांकन सतर्कता एवं चौकसी से किया जाए क्योंकि एक भी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है और इसलिए '**'धारी एवं अन्य बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, AIR 2013 SC 308,** और **उ॰ प्र॰ राज्य बनाम फरीद खान, 2004 (3) Est. Crl. Cases 229 SC,** मामलों में अधिकथित निर्णयाधार की दृष्टि में अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक एवं सतर्कतापूर्वक संवीक्षण करने की आवश्यकता है।

अपने निवेदनों को अग्रसर करने में, यह इंगित किया गया था कि यदि चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्यों का कठोर संवीक्षण किया जाता है, यह प्रतीत होगा कि चार व्यक्तियों दो मृतकाएँ एवं दो चश्मदीद गवाहों के सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाने की कहानी जिसे अभियोजन की ओर से प्रतिपादित किया गया है बिल्कुल अनधिसंभाव्य है क्योंकि सामान्य स्थिति में यह उम्मीद नहीं की जाती है कि एक स्थान पर निवास करने वाला सूचक अ॰ सा॰ 4 और उसकी मृतका माता नजमा खातुन तथा दूसरे स्थानों पर निवास करने वाले अ॰ सा॰ 1 एवं अन्य मृतका शहनाज खातुन सब्जी, और वह भी छोटी मात्रा में जो चार परिवार की जरूरत पूरी नहीं करती नहीं करेगा, खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए एक साथ एकत्रित होंगे। केवल यही नहीं, महत्वपूर्ण विसंगति है जो चश्मदीद गवाह के परिसाक्ष्य की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करेगा। इस संबंध में, यह निवेदन किया गया था कि अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य के मुताबिक समस्त चारों व्यक्ति खरीदारी करने के लिए पुरानी बाजार जाने के लिए दोपहर 12.30 बजे घर से निकले जहाँ उन्होंने दोपहर 1 बजे तक खरीदारी की और तब घर की ओर चले जिसमें गवाहों के परिसाक्ष्य के अनुसार 4-5 मिनट लगा होगा और तद्द्वारा यदि हम उसके विवरण के अनुसार चलें घटना दोपहर 1 अथवा 1.05 बजे होनी चाहिए थी किंतु अ॰ सा॰ 4 के अनुसार घटना दोपहर 2.15 बजे हुई जिस अंतर को तथ्यों एवं परिस्थितियों में गंभीर अंतर कहा जा सकता है जहाँ पक्षों के बीच बैर है और गवाह एक-दूसरे से संबंधित हैं और एक भी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है। फर्दबयान के मुकाबले अ॰ सा॰ 4 के अभिसाक्ष्य में अंतर है क्योंकि अ॰ सा॰ 4 ने परिसाक्ष्य दिया कि ज्योंही वे पान पराग खाने के बाद पीछे मुड़े, उन्होंने अभियुक्तगण को अपनी माता एवं खाला (माता की बहन) को घेरते देखा जबकि फर्दबयान में बयान दिया गया था कि उसने अभियुक्तगण को डायमंड चौराहा भूली रोड की दिशा से आते देखा था। सामान्य परिस्थितियों में यह अंतर महत्वहीन प्रतीत हो सकता है किंतु उक्त कथित मामले के संदर्भ में यह बहुत गंभीर बन जाता है।

आगे, यह निवेदन किया गया था कि गवाहों ने परिसाक्ष्य दिया है कि गोली दागने के बाद अपीलार्थी सहित अभियुक्तगण मारुति वैन में चले गए किंतु अ॰ सा॰ 9 के साक्ष्य से प्रतीत होगा कि किसी को भी वाहन सब्जी बाजार में छोड़ना और तब घटना स्थल तक जाना होगा। अन्वेषण अधिकारी का साक्ष्य बाजार की ओर से घटनास्थल पर पहुँचने के संदर्भ में है जबकि कोई भूली छोर से भी घटनास्थल पर आ सकता है। किंतु अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य से, जैसा पैरा 62 में परिसाक्ष्य दिया गया है, यह प्रतीत होगा कि किसी को रेल पटरी के माध्यम से भूली मोड़ से सब्जी बाजार तक पैदल आना होगा। ऐसी स्थिति में अभियोजन का संपूर्ण मामला झूठा हो जाता है।

9. अभियोजन का मामला इस कारण से भी संदेहास्पद बन जाता है कि झोला जिसमें सब्जी ले जाया जा रहा था घटनास्थल पर नहीं पाया गया था और न ही अन्वेषण अधिकारी पान पराग दुकान को खोज पाया था जहाँ से अ॰ सा॰ 1 एवं 4 ने अभियुक्तगण को अपराध करते देखने का दावा किया है। चश्मदीद गवाहों का विवरण इस तथ्य के कारण संदेह से घिर जाता है कि गवाहों का मौखिक परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि नहीं पाता है क्योंकि मृतकाओं के शरीर पर बंदूक की गोली से हुई उपहति के अतिरिक्त अन्य उपहतियाँ भी पायी गयी हैं। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया था कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। किंतु, यदि न्यायालय किसी प्रकार यह पाता है कि अभियोजना अपना मामला स्थापित करने में सक्षम हुआ है, तब न्यायालय को विस्तारपूर्वक अन्यत्र होने के अभिवचन पर विचार करने की आवश्यकता है और अन्यत्र होने का अभिवचन

सिद्ध करने के लिए परीक्षित गवाह अभियोजन की ओर से दिए गए गवाहों के साक्ष्य के समान समान व्यवहार एवं समान सम्मान पाने के हकदार हैं।

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने **''हरियाणा राज्य बनाम राम सिंह, (2002)2 SCC 426,** में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया है किंतु विचारण न्यायालय ने तुच्छ आधार पर अन्यत्र होने का अभिवचन सिद्ध करने के लिए परीक्षित गवाहों के परिसाक्ष्य को त्यक्त कर दिया है और इस कारण भी विचारण न्यायालय को दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता करता कहा जा सकता है, अत: विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

10. इसके विरुद्ध, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी एवं अन्य को हत्या करते देखने का उसमें दावा करते हुए चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ 1 एवं 4 का साक्ष्य अक्षुण्ण बना रहा है। गवाहों के परिसाक्ष्यों को अविश्वसनीय साबित करने के लिए बचाव की ओर से कुछ भी नहीं निकाला गया है। इसके अतिरिक्त, चाक्षुक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्ण संपुष्टि पाता है और तद्द्वारा, उन चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्य संदेह से घिरे नहीं हैं भले ही गवाह एक-दूसरे के साथ एवं मृतकाओं के साथ संबंधित है। आगे यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी की ओर से किया गया इस प्रभाव का निवेदन कि घटनास्थल अर्थात् झरिया लाइन तक वाहन की पहुँच नहीं है, अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के संदर्भ में है जिसने स्पष्टत: अभिसाक्ष्य दिया है कि यदि कोई सब्जी बाजार से घटना स्थल तक आता है, तब उसे अपना वाहन बाजार के पहले छोड़ना होगा और पैदल घटनास्थल तक आना होगा, किंतु अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के साक्ष्य से प्रतीत होगा कि घटना स्थल तक वाहन की पहुँच है और घटना के समय के संबंध में एवं अन्य बिंदु पर चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्य में कुछ अंतर हो सकता है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण नहीं है और अभियोजन मामले की जड़ तक नहीं जाता है और, तद्द्वारा, इसका गवाहों के परिसाक्ष्यों की सत्यता पर प्रभाव नहीं होगा।

जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से इस प्रभाव के अभिवाक का संबंध है अन्यत्र होने से विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से अविश्वास किया गया है क्योंकि वह अभिवचन बचाव की ओर से विस्तारपूर्वक सिद्ध किया गया प्रतीत नहीं होता है और, इसलिए, अन्यत्र होने का अभिवचन अस्वीकार किए जाने का दायी है।

11. स्वीकृत रूप से, अभियोजन ने अ॰ सा॰ 1 इमदाद अहमद उर्फ गुड्डु एवं अ॰ सा॰ 4 शेर खान सूचक को एक-दूसरे से और मृतकाओं से भी संबंधित चश्मदीद गवाहों के रूप में प्रक्षेपित किया है क्योंकि अ॰ सा॰ 4 मृतका नजमा खातुन का पुत्र/सौतेला पुत्र है जबकि अ॰ सा॰ 1 अ॰ सा॰ 4 का साला/बहनोई है। मात्र इस कारण से कि गवाह मृतकाओं से संबंधित हैं, उन गवाहों के परिसाक्ष्यों को बिल्कुल त्यक्त करने की आवश्यकता कभी नहीं है, बल्कि सुनिश्चित सिद्धांत यह है कि न्यायालय को उनका परिसाक्ष्य स्वीकार करने के पहले उनके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक एवं सतर्कतापूर्वक संवीक्षण करना चाहिए। अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के साक्ष्य के मुताबिक वे नजमा खातुन एवं शहनाज खातुन (दोनों मृतकाओं) के साथ रिक्शा पर भूली मोड़ आया था और तत्पश्चात, रेलवे पटरी पार करने के बाद वे सब्जी बाजार गए थे। सब्जी खरीदने के बाद जब वे घर लौट रहे थे, अ॰ सा॰ 1 एवं 4 पान पराग खाने के लिए पान पराग दुकान पर रूके थे और मृतकाओं को आगे जाने के लिए कहा था। जब मृतकाएँ झरिया लाइन के पास पहुँची, अपीलार्थी एवं सात अन्य नामित अभियुक्तगण तथा कुछ अन्य ने उनको पकड़ा। अपीलार्थी ने नजमा खातुन की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि बाबू आलम ने शहनाज खातुन को गोली मार कर हत्या

कर दी जिसे गवाहों ने देखा ज्योंही वे पान पराग खाने के बाद पीछे मुड़े। बचाव की ओर से यह अभिवचन करके उनकी उपस्थिति पर संदेह किया गया है कि विभिन्न स्थानों पर रहने वाले समस्त चारों व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होना और सब्जी खरीदने के लिए सज्जी बाजार जाना संभव बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि यह बहुत कम मात्रा में थी जो परिवार के समस्त सदस्यों की जरूरत पूरी नहीं कर सकती थी। यह चीजों को देखने का एक तरीका है। चीजें भिन्न तरीके से भी हो सकती है जो परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं जो दूसरे को ज्ञात नहीं हो सकती हैं और, इसलिए, कोई यह कहने में सही नहीं होगा कि चीजें विशेष तरीके से ही होनी चाहिए। यहाँ वर्तमान मामले में, तथ्य जो अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य में आया है यह है कि मृतकाओं में से एक नजमा खातुन कमर मकदूमी रोड में रहती थी जबकि अन्य मृतका वासेपुर निशांत नगर में रह रही थी, जबकि अ॰ सा॰ 1 अपनी माता के साथ कमर मकदूमी में रह रहा था और अ॰ सा॰ 4 अली नगर में रह रहा था। अली नगर कमर मकदूमी से बहुत दूर नहीं है, बल्कि अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के मुताबिक यह केवल 200 गज दूर है। इसी प्रकार से, निशांत नगर जहाँ मृतकाओं में से एक शहनाज खातुन रह रही थी, अ॰ सा॰ 1 के घर से केवल 150 गज दूर है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि समस्त चारों व्यक्ति उसी क्षेत्र में रह रहे थे जो एक-दूसरे के निकट है। उस स्थिति में, यह अनधिसंभाव्य प्रतीत नहीं होता है कि वे साथ एकत्रित हुए और सब्जी खरीदने बाजार गए। इस प्रकार, सज्जी खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए चार लोगों को एकत्रित होने के अनधिसंभाव्यता की स्थिति कभी नहीं कहा जा सकता है।

12. आगे आलोचना यह है कि अ॰ सा॰ 1 का साक्ष्य घटना के समय के संबंध में अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के साथ संगत नहीं है। यह उजागर किया गया था कि घटना के समय के संबंध में अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य के मुताबिक घटना दोपहर 1 बजे हुई जबकि अ॰ सा॰ 4 के अनुसार यह दोपहर 2.15 बजे हुई जिसे मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, चूँकि गवाह मृतकाओं के साथ निकट रूप से संबंधित है, गंभीर अंतर के रूप में माना जा सकता है। यह सत्य है कि ऐसा अंतर विद्यमान है किंतु हमारे दृष्टिकोण में इसे शायद ही एक-दूसरे के साथ असंगत माना जा सकता है क्योंकि सामान्यत: जब कोई समय के बारे में कहता है, वह ऐसा कहने में इतना विस्तारपूर्वक नहीं हो सकता है जैसा सामान्यत: मामले में सामने आने वाली परिस्थितियों में कोई अनुमान से समय के बारे में कहेगा।

इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के साक्ष्य के अनुसार वे दोपहर 12.30 बजे मृतका नजमा खातुन के घर से चले गए। गवाहों के साक्ष्य के मुताबिक, वे रिक्शा लेने कुछ दूर गए थे और वहाँ से यदि कोई रिक्शा से भूली मोड़ आता है, रिक्शा चालक 6/- रुपया लेता है और दूरी आधा-चौथाई किलोमीटर के बीच है और अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के मुताबिक इसमें 8-10 मिनट लगता है। अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य के मुताबिक वह क्षेत्र काफी व्यस्त है। उस स्थिति में यदि रिक्शा ने 10 मिनट से अधिक समय लिया, किसी को आश्चर्य नहीं होगा। अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य के मुताबिक भूली मोड़ से सब्जी बाजार आने में 5 मिनट लगता है। सब्जी खरीदने में कुछ समय लगा होगा और वहाँ से यदि कोई भूली मोड़ आता है, तब पुन: 4-5 मिनट लगा होगा। इस तरीके से एक घंटा लगा होगा जो अ॰ सा॰ 4 द्वारा दिए गए समय के निकट होगा। भले ही समय में कुछ कम-बेश हो सकता है, यह किसी तरीके से अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि कोई अनुमान से समय बताता है।

13. मामले में आगे जाते हुए, यह कथन किया जाए कि दोनों गवाहों ने कथन किया है कि अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तगण हत्या करने के बाद मारुति वैन में चले गए जिसे झरिया लाइन के निकट

पार्क किया गया था। अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उस स्थान तक मोटर कार की पहुँच नहीं थी किंतु उन्होंने ऐसा अ॰ सा॰ 9 अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य के संबंध में कहा है जिसने ऐसा कथन किया है किंतु उसके अनुसार, स्थान तक पहुँच नहीं है जब कोई सब्जी बाजार से आता है। किंतु उस स्थान तक मोटरकार की पहुँच थी यदि कोई भूली मोड़ की ओर से आता है जो अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य से स्पष्ट है जैसा परिसाक्ष्य पैरा 135 में दिया गया है। उसने यह भी कहा है कि अभियुक्तगण वहाँ से भूली मोड़ की ओर भाग गए। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं बना रहता है कि घटनास्थल तक मोटरकार की पहुँच थी। अ॰ सा॰ 1 एवं 4 के साक्ष्य को निर्दिष्ट करके एक संकरी गली पर अधिक जोर दिया गया है जो रेलवे लाइन से सब्जी बाजार जाने के लिए कहीं मुड़ती है और उस स्थिति में अ॰ सा॰ 1 एवं 4 पान पराग दुकान से घटना देखने की अवस्था में नहीं होते। यह कहना बचाव की ओर से सरल कल्पना प्रतीत होती है कि घटना स्थल पान पराग दुकान से दृष्टव्य नहीं हो सकता है। हम यह कहने के इच्छुक हैं कि इस बिंदु पर प्रति परीक्षण नहीं किया गया है और न ही इस प्रभाव का कोई सुझाव है। उस स्थिति में, यदि गवाह अ॰ सा॰ 1 एवं 4 इतने विश्वासोत्पादक रूप से परिसाक्ष्य दे रहे हैं कि उन्होंने अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तगण को नजमा खातुन एवं शहनाज खातुन की हत्या करते देखा था, क्यों उनके परिसाक्ष्यों पर अविश्वास किया जाए विशेषत: जब अ॰ सा॰ 4 ने परिसाक्ष्य दिया है कि वे केवल एक डेढ़ मिनट के लिए पान पराग गुमटी पर रूके थे जो सुझाता है कि गुमटी घटनास्थल से बहुत दूर नहीं है।

14. यहाँ यह गौर करना उल्लेखनीय होगा कि अन्वेषण अधिकारी ने पान पराग दुकान से घटनास्थल की दूरी/दिशा दर्शाते हुए कोई नक्शा खाका नहीं खींचा है। अधिवक्ता के अनुसार यह अंतर गंभीर है जो अभियोजन मामले के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने **''गुजरात राज्य बनाम किशन भाई,'' (2014)5 SCC 108,** मामले में दिए गए निर्णय को उसमें यह संप्रेक्षित करते हुए निर्दिष्ट किया है कि क्या घटनाओं का उक्त क्रम उक्त निर्दिष्ट समय में हो सकता था या नहीं, को आसानी से समझा जा सकता था यदि अभियोजन ने विभिन्न स्थानों के बीच दूरी के संबंध में विवरण देते हुए स्केच मैप अभिलेख पर लाया होता।

मामले के तथ्य ऐसे प्रतीत होते हैं जिसने माननीय न्यायाधीशों को वैसा संप्रेक्षण करने के लिए प्रेरित किया हो मानो घटनाएँ एक साथ हुई हो।

15. किंतु, यहाँ वर्तमान मामले में जैसा हमने पहले ही संप्रेक्षित किया है कि एक ही स्थान से गवाहों ने घटना देखा था। यह दोहराया जाए कि दूर-दूर तक यह सुझाने के लिए चश्मदीद गवाहों से कुछ भी नहीं निकाला गया है कि घटना स्थल पान पराग गुमटी से द्रष्टव्य नहीं था और इन परिस्थितियों के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा स्केच मैप तैयार नहीं किया जाना शायद ही अभियोजन मामले को प्रभावित करता है।

16. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में लेने पर हम पाते हैं कि दोनों चश्मदीद गवाह अ॰ सा॰ 1 एवं 4 विश्वसनीय हैं। उनका परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी संपुष्टि पाता है जिसके द्वारा डॉक्टर ने मृतका नजमा खातुन के शरीर पर गोली की एक उपहति पाया था। उसी समय पर, बायीं आँख के बाहरी कोण के ऊपर एक खरोंच भी पाया गया है। चूँकि खरोंच भी पाया गया है, आलोचना की जा रही है कि चश्मदीद गवाहों के परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य के साथ संगत नहीं हैं किंतु यह प्राख्यान स्वीकार्य

कभी नहीं है क्योंकि जख्म के प्रवेश एवं जख्म के निकास की अवस्था ऐसी है जो सुझाती है कि यह शरीर से बाहर आते हुए बुलेट द्वारा अथवा जमीन पर गिरने के कारण कारित हो सकता था।

17. अन्यत्र होने के अभिवचन के संबंध में, जब कभी भी अभियुक्त द्वारा ऐसा अभिवचन किया जाता है, अभियुक्त का दोष सिद्ध करने में अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य और अन्यत्र होने के अपने बचाव को सिद्ध करने में अभियुक्त द्वारा दिए गए साक्ष्य एक तराजू में तौलने के लिए न्यायालय पर बाध्यता डाली जाती है। यदि अभियुक्त द्वारा दिया गया साक्ष्य ऐसी गुणवत्ता और ऐसे स्तर का है कि न्यायालय घटना के स्थान एवं समय पर उसकी उपस्थिति के संबंध में कुछ युक्तियुक्त संदेह ग्रहण कर सकता है, न्यायालय यह देखने के लिए अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करेगा कि क्या अभियोजन की ओर से दिया गया साक्ष्य उसमें अन्यत्र होने का बचाव समाने के लिए कोई उपलब्ध जगह छोड़ता है। अभियोजन मामला एवं बचाव मामला को तौलते हुए यदि संतुलन अभियुक्त के पक्ष में झुकता है, अभियोजन विफल होगा और अभियुक्त युक्तियुक्त संदेह के लाभ का हकदार होगा जो न्यायालय के विवेक में आएगा।

18. यह दोहराया जाए कि बचाव का मामला यह है कि घटना की तिथि अर्थात् दिनांक 18.10.2001 को अपीलार्थी धनबाद में उपस्थित नहीं था, बल्कि वह किसी मामले की सुनवाई के संबंध में अपने अंग रक्षक (ब॰ सा॰ 1) के साथ राँची उच्च न्यायालय आया था जहाँ उसे उल्टी के साथ पेट दर्द हुआ और इस दशा में वह इलाज के लिए सदर अस्पताल आया जहाँ उसे दिनांक 18.10.2001 को संध्या 4.45 बजे भरती किया गया था और दिनांक 19.10.2001 को प्रातः 10.45 बजे छोड़ा गया था।

19. मामला स्थापित करने के लिए अभियोजन ने ब॰ सा॰ 1 के रूप में अंगरक्षक का परीक्षण किया है। ब॰ सा॰ 1 के अनुसार, वह दिनांक 17.10.2001 को इंटरसिटी एक्सप्रेस से राँची आया। राँची पहुँचने के बाद वे अपीलार्थी के चाचा के घर गए। दोपहर लगभग 3.30 बजे वे हटिया रेलवे स्टेशन आए जहाँ रेलवे मंत्री द्वारा नयी ट्रेनों वैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस एवं राजधानी एक्सप्रेस को झंडी दिखाया जाना था। उक्त समारोह में भाग लेने के बाद वे संध्या लगभग 4.30 बजे बंदूक की दुकान पर आए जहाँ अपीलार्थी ने मरम्मती के लिए अपना बंदूक दिया। उसके बदले रसीद दिया गया था। दिनांक 18.10.2001 को वह अपीलार्थी के साथ उच्च न्यायालय आया जहाँ उन्होंने गेट पास जारी करवाया और वे भवन के प्रथम तल पर आए। अपीलार्थी इजलास में गया, जबकि वह उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करता रहा। अपीलार्थी 2.30 बजे इजलास से बाहर आया और खाना खाया। तत्पश्चात, अपीलार्थी पेट दर्द की शिकायत करने लगा। वहाँ एक वकील दिलीप कुमार आया और अपीलार्थी को अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया। उसने इस पर कृत्य किया और उसे सदर अस्पताल लाया, जहाँ सायं 4.45 बजे उसे भरती किया गया था। इलाज किया गया था। वह पूरी रात अपीलार्थी के साथ रुका। दिनांक 19.10.2001 को जब अपीलार्थी को छोड़ा गया था, उसे उसके चाचा के घर ले जाया गया था। अपीलार्थी ने बंदूक की दुकान के मालिक द्वारा प्रदान किए गए रसीद की छाया प्रतिलिपि पर छपे हस्ताक्षर को सिद्ध किया है और इसे पहचान के लिए प्रदर्श x/7 के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी प्रकार से, गेट पास पर किया गया हस्ताक्षर भी सिद्ध किया गया है और पहचान के लिए प्रदर्श x/8 के रूप में चिन्हित किया गया है। उसने पहचान के लिए प्रदर्श x/9 के रूप में डिस्चार्ज स्लिप को भी सिद्ध किया है।

पूर्वोक्त दस्तावेजों पर सामने आने वाले हस्ताक्षरों को पहचान के लिए प्रदर्शों के रूप में चिन्हित किया गया है, किंतु बचाव पक्ष ने उन दस्तावेजों पर सामने आने वाले हस्ताक्षर को अपीलार्थी के स्वीकृत

हस्ताक्षर से सत्यापित करवाने का कोई ख्याल नहीं किया है। यदि ऐसा किया गया होता, यह कुछ विश्वसनीय होता। फिर भी कुछ संदेह होगा कि क्या वस्तुत: अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित था अथवा कोई अन्य सबीर आलम के नाम में उसके स्थान पर न्यायालय में उपस्थित था। उस स्थिति में, ब॰ सा॰ 1 का परिसाक्ष्य स्वीकार करने योग्य नहीं है।

20. अन्य गवाह ब॰ सा॰ 2 अधिवक्ता पर आते हुए, जिसने परिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने अपीलार्थी को पेट दर्द से पीड़ित पाया, उसने उसके अंगरक्षक को उसे आपातकाल वार्ड में ले जाने का सुझाव दिया, वह अपीलार्थी के अनुरोध पर उसके साथ अस्पताल गया जहाँ डॉक्टर ने उसे भरती किया। इस गवाह और ब॰ सा॰ 1 के साक्ष्य के मुताबिक अपीलार्थी को केवल पेट दर्द था और जब उसने इसकी शिकायत की उसे अभिकथित रूप से अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था यद्यपि यह मामला कभी नहीं था कि बार–बार उल्टी के कारण ही वह डीहाइड्रेशन के चरण पर था और इसलिए, किसी डीहाईड्रेशन से अथवा किसी अन्य गंभीर बीमारी से अपीलार्थी के पीड़ित होने की अनुपस्थिति में इस विवरण को स्वीकार करने के लिए विश्वास करना मुश्किल है कि अपीलार्थी को इमरजेंसी वार्ड में भरती किया गया था। इसके अतिरिक्त, ब॰ सा॰ 1 के साक्ष्य के अनुसार, अपीलार्थी का चाचा हिंदपीड़ी में रह रहा था और, इसलिए, जब उसने शिकायत किया, परिचारक सामान्यत: उसे संबंधी के घर ले गया होता ताकि संबंधी इमरजेंसी में उसे अस्पताल ले जा सकें।

21. ब॰ सा॰ 2 का परिसाक्ष्य कि वह केवल अनुरोध किए जाने पर अपीलार्थी के साथ अस्पताल गया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलार्थी के साथ अंगरक्षक था। यदि अपीलार्थी अकेला होता, इस प्रभाव का गवाह का परिसाक्ष्य कि उसने उसे अस्पताल पहुँचाने में मदद किया, विश्वसनीय हो सकता था किंतु जहाँ व्यक्ति अंगरक्षक के साथ है और उस शहर में उसका स्थानीय अभिभावक है, यह अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है कि वकील उसके साथ अस्पताल गया होगा। इन परिस्थितियों के अधीन ब॰ सा॰ 2 का साक्ष्य भी विश्वास करने योग्य नहीं है।

22. ब॰ सा॰ 5 डॉ॰ संतोष कुमार श्रीवास्तव के साक्ष्य पर आते हुए, उसने एडमिशन रजिस्टर सिद्ध किया है कि जिसमें बीमारी का नाम डीहाइड्रेशन के रूप में लिखा गया है। डॉक्टर के अनुसार, यदि मरीज भरती किया जाता है, उसे वार्ड भेजा जाता है जहाँ सिस्टर द्वारा मरीज भरती किया जाता है। डॉक्टर के अनुसार, वार्ड रजिस्टर में क्रमांक 330 पर सबीर आलम का नाम है जिसके सामने इसे D+ छाती दर्द के रूप में लिखा गया है। किंतु डिस्चार्ज परची में न तो छाती दर्द और न ही डीहाड्रेशन लिखा गया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि एडमिशन रजिस्टर के क्रमांक 330 एवं 331 पर की गयी प्रविष्टि में भरती का समय अथवा तिथि नहीं दी गयी है किंतु क्रमांक 320 पर भरती की तिथि एवं समय दिया गया है जो सबीर आलम के रूप में नामित व्यक्ति से संबंधित है। डॉक्टर के अनुसार, उसने अपीलार्थी का इलाज कभी नहीं किया था।

इस प्रकार, हम पाते हैं कि अपीलार्थी जिस बीमारी से पीड़ित था उसके संबंध में अंतर है जैसा इंगित किया गया है। इसके अतिरिक्त, कोई भी आश्चर्य करेगा कि किस प्रकार डीहाइड्रोजन था जब अपीलार्थी को उच्च न्यायालय में केवल एक बार उल्टी हुई थी। डिस्चार्ज परची भी नहीं कहती है कि मरीज डीहाइड्रेजन से पीड़ित था। इसके अलावा, यह गवाह अथवा कोई अन्य गवाह यह कथन करने के लिए आगे नहीं आया है कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति था जिसे सबीर आलम के रूप में भरती किया गया था। इसकी अनुपस्थिति में, यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को ही अस्पताल में भरती किया गया था।

23. आगे, बचाव ने किसी मनमोहन नायक, उच्च न्यायालय के कर्मचारी, का ब॰ सा॰ 8 के रूप में परीक्षण किया है। उसके अनुसार, जब गेट पास जारी किया गया था, रजिस्टर में प्रविष्टि की गयी थी और अंतिम कॉलम उस व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जिसके नाम में गेट पास जारी किया जाता है। उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 18.10.2001 को सबीर आलम के नाम में गेट पास जारी किया गया था जिसका हस्ताक्षर रजिस्टर पर है, पर उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह रजिस्टर उसकी उपस्थिति में कभी नहीं भरा गया था। इस गवाह ने भी पहचान के लिए प्रदर्श x/10 के रूप में रजिस्टर पर सामने आने वाले हस्ताक्षर को सिद्ध किया है।

24. पुनः हम कहेंगे कि बचाव पक्ष ने अपीलार्थी के स्वीकृत हस्ताक्षर से हस्ताक्षर सत्यापित करवाने की सावधानी नहीं बरता था।

उस स्थिति में, और इस गवाह के परिसाक्ष्य की दृष्टि में भी कि उसकी उपस्थिति में रजिस्टर नहीं भरा गया था, इस प्रतिपादना को स्वीकार करना सुरक्षित कभी नहीं होगा कि सबीर आलम जिसके नाम में गेट पास जारी किया गया था अपीलार्थी था।

25. इन परिस्थितियों के अधीन, हम पाते हैं कि बचाव अन्यत्र होने का अभिवचन सिद्ध करने में बिल्कुल विफल रहा है, जबकि अभियोजन किसी युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम हुआ है।

26. तद्नुसार, हम अपीलार्थी सबीर आलम के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं बल्कि विचारण न्यायालय दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश दर्ज करने में बिल्कुल न्यायोचित प्रतीत होता है। जिसे एतद् द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है।

इस प्रकार, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड (1643 में)

टेल्को ट्रांस्पोर्ट कंपनीज एसोसिएशन (1967 में)

मेसर्स बी॰ एम॰ ट्रांस्पोर्ट एवं अन्य (2196 में)

cuke

क्षेत्रीय भविष्य निधि एवं अन्य (सभी में)

W.P.(C) Nos. 1643, 1967 with 2196 of 2014. Decided on 21st October, 2014.

(क) संविधि की व्याख्या–कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 समाज के कमजोर वर्गों के हित के संरक्षण के लिए आशयित सामाजिक कल्याण विधान है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेदों 38 एवं 43 के अधीन समाविष्ट राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए उसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों की प्रयोजनात्मक व्याख्या करना न्यायालयों के लिए अनिवार्य है। (पैरा 22)

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952—धारा 7A—क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को धारा 7A के अधीन जाँच संचालित करते हुए वही शक्ति है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय में वाद का विचारण करने के लिए निहित किया गया है–आयुक्त को समुचित निष्कर्ष पर आने के पहले समस्त साक्ष्य संग्रहित करने के लिए और

समस्त सामग्री का मिलान करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए–पक्षों द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों की प्रासंगिकता एवं पक्षों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की वास्तविकता विनिश्चित करना क्षेत्रीय भविष्य निधि उपायुक्त का काम है–मामला न्यायनिर्णीत किए जाने एवं अंतिम निर्णय लिए जाने के पहले कि क्या कॉनवॉय चालकों एवं अन्य पक्षों के बीच ''नियोक्ता-कर्मचारी संबंध'' है, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा पारित आदेश की प्रकृति पर अनुमान लगाना अटकलों के क्षेत्र में होगा–उच्चतर न्यायालय द्वारा विधि अथवा तथ्य की प्रत्येक गलती नहीं सुधारी जा सकती है–औपचारिक अथवा तकनीकी गलती मात्र, भले ही यह विधि की हो, उत्प्रेषण के उच्च न्यायालय की अधिकारिता आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है–क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पहले ''नियोक्ता-कर्मचारी संबंध'' विनिश्चित करने का और तब लंबित कार्यवाही को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने का निर्देश दिया गया–रिट याचिकाएँ खारिज। (पैराएँ 17 से 24)

निर्णयज विधि.–(2005)7 SCC 791—Referred; (1990) 1 SCC 68; AIR 1958 SC 398—Relied upon.

अधिवक्तागण.–M/s V.P. Singh, Arun Kumar Singh, A.K. Das (in 1643), Shashi Anugrah Narayan, Rashmi Kumari (in 1967), R.K. Singh, P.A.S. Pati (in 2196), For the Petitioners Mrs. Banani Verma, For the Respondent-RPFC; M/s Shashi, Anugrah Narayan, Ashok Kr. Sinha (in 1643), For the Respondent-TTCA; M/s V.P. Singh, Arun Kumar Singh, A.K. Das (in 1967), For the Respondent-Tata Motors.

आदेश

चूँकि समस्त रिट याचिकाओं में एक ही विवाद्यक अंतर्ग्रस्त हैं और समस्त रिट याचिकाओं में दिनांक 13.12.2013 एवं दिनांक 12.3.2014 के आदेशों को आक्षेपित किया गया है, पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की सहमति से समस्त रिट याचिकाएँ साथ सुनी गयी हैं और एक ही आदेश द्वारा समस्त रिट याचिकाओं को निपटाया जा रहा है। चूँकि समस्त रिट याचिकाओं में सदृश तथ्यों का कथन किया गया है, निर्देश के लिए डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1643 वर्ष 2014 के तथ्यों पर इस आदेश में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है।

तथ्य :

<u>डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1643 वर्ष 2014</u>

2. याची कंपनी अर्थात् मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड कंपनी है और यह अपने जमशेदपुर वर्क्स डिविजन (कारखानों) में वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है। याची कंपनी ने वर्ष 1954 से मोटर वाहनों के चेसिस का निर्माण करना आरंभ किया और जमशेदपुर में अपनी कार्यशाला से चेसिस संग्रहित करने में अपने डीलरों को कठिनाई एवं असुविधा से बचाने की दृष्टि से इसने विभिन्न क्षेत्रीय विक्रय कार्यालयों में वाहनों की डिलीवरी की प्रणाली पुर:स्थापित किया। इस प्रयोजन से, याची कंपनी विभिन्न गंतव्य स्थानों पर चेसिस के परिवहन के लिए ठेकेदारों को काम पर लगाया और विभिन्न गंतव्य स्थानों तक वाहन परिवहित करने के लिए रेलवे अथवा रोडवे अथवा अन्य ढंग चुनने का विकल्प ठेकेदारों के पसन्द पर छोड़ दिया। बदले में, परिवाहकों ने सिविल प्रशासन/उपायुक्त, जमशेदपुर द्वारा तैयार एवं रखे गए पूल/सूची से कॉनवॉय चालकों को नियोजित किया। ठेकेदारों जिन्होंने याची कंपनी एवं अन्य निर्माताओं के लिए काम किया ने टेलको ट्रांसपोर्ट कंपनी एसोसिएशन (टी॰ टी॰ सी॰ ए॰) नामक यूनियन निर्मित किया है। गंतव्य स्थान विशेष तक चेसिस के परिवहन के लिए विशेष कॉनवॉय चालक के चयन में याची कंपनी की भूमिका नहीं है। वर्ष 1981 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने इसे कॉनवॉय

चालकों के संबंध में अधिनियम के अधीन अंशदान करने के लिए कहते हुए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7A के अधीन याची कंपनी को नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस को सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1571 वर्ष 1981 में चुनौती दी गयी थी और रिट याचिका अनुज्ञात की गयी थी और दिनांक 25.9.1987 के आदेश के तहत उक्त नोटिस अभिखंडित कर दी गयी थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि टेलको एवं कॉनवॉय चालकों के बीच नियोक्ता–कर्मचारी संबंध नहीं है। दिनांक 25.9.1987 के आदेश को एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 53 वर्ष 1988 में चुनौती दी गयी थी जिसे अनुज्ञात किया गया था और मामला दिनांक 23.1.1992 के आदेश के तहत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास वापस भेजा गया था। अंतत:, दिनांक 23.6.1997 के आदेश द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने आदेश पारित किया कि टेलको, अब मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, कॉनवॉय चालकों के संबंध में अधिनियम के अधीन अंशदान करने का दायी है। उक्त आदेश को सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2356 वर्ष 1997 (R) में चुनौती दी गयी थी और उक्त कार्यवाही में भविष्य निधि आयुक्त को अंतिम आदेश पारित करने की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया गया था किंतु उच्च न्यायालय से आगे आदेश तक आदेश निष्पादित करने से अवरुद्ध किया गया था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 1 ने याची कंपनी द्वारा अंशदान की जानेवाली राशि की मात्रा निर्धारित करते हुए दिनांक 24.6.1999 का आदेश पारित किया और उक्त आदेश को याची द्वारा रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2356 वर्ष 1997 (R) को संशोधित करके चुनौती दी गयी थी। दिनांक 24.6.1999 के आदेश को चुनौती देते हुए एक अन्य रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3275 वर्ष 1997 (R) दाखिल की गयी थी और दोनों रिट याचिकाओं को साथ सुना गया था और दिनांक 20.5.2004 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निपटाया गया था।

3. इस बीच, टेलको कॉन्वॉय चालक मजदूर संघ ने टेलको के कर्मचारियों के रूप में कॉनवॉय चालकों को लाभ का दावा करते हुए औद्योगिक विवाद उठाना इप्सित किया किंतु समुचित सरकार अर्थात् तत्कालीन बिहार सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अधीन निर्देश करने से इनकार कर दिया और इसलिए संघ ने रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1852 वर्ष 1987 (R) दाखिल किया। रिट याचिका दिनांक 15.1.1988 के आदेश के तहत खारिज कर दी गयी थी और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टेलको कॉनवॉय चालक मजदूर संघ द्वारा दाखिल अपील अनुज्ञात किया और बिहार राज्य को निर्देश करने का निर्देश दिया। दिनांक 27.5.1989 की अधिसूचना के तहत बिहार सरकार ने औद्योगिक अधिकरण, राँची को निर्देश किया जिसने दिनांक 31.7.1991 के अधिनिर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए निर्देश का उत्तर दिया कि टेलको और कॉनवॉय चालकों के बीच नियोक्ता–कर्मचारी संबंध नहीं है। उक्त अधिनिर्णय को संघ द्वारा सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3392 वर्ष 1997 में चुनौती दी गयी थी जिसे खारिज किया गया था और सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3392 वर्ष 1997 में पारित आदेश को चुनौती देने वाला लेटर्स पेटेन्ट अपील एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 373 वर्ष 2001 भी दिनांक 6.7.2001 के आदेश के तहत खारिज कर दी गयी थी। संघ द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका एस॰ एल॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 19936 वर्ष 2001 भी दिनांक 10.12.2001 के आदेश के तहत खारिज कर दी गयी थी और इस प्रकार दिनांक 31.7.1991 का अधिनिर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया था।

4. दिनांक 20.5.2004 का आदेश पारित किए जाने और इस न्यायालय द्वारा मामला वापस भेजने के बाद क्षेत्रीय भविष्य निधि उपायुक्त ने मेसर्स टेलको लिमिटेड एवं मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ को और टेलको कॉनवॉय चालक मजदूर संघ को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7A के अधीन नया नोटिस जारी किया। पुन:, प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए अनेक रिट याचिकाएँ डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 2618 वर्ष 2006, डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 2773 वर्ष 2006, डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 3484 वर्ष 2006 और डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 3560 वर्ष 2006 दाखिल की गयी थी। समस्त रिट याचिकाओं को साथ सुना गया था और गवाहों, जिनका प्रति परीक्षण उसमें आक्षेपित आदेश द्वारा बंद कर दिया गया था, को प्रतिपरीक्षण की अनुमति देते हुए दिनांक 15.9.2011 के आदेश के तहत

निपटाया गया था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को दो सप्ताह के भीतर अथवा युक्तियुक्त अवधि के भीतर साक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था। संपूर्ण कार्यवाही को दिनांक 31.1.2012 तक अथवा इसके पहले समाप्त करने का निर्देश भी इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित किया गया था। वर्तमान कार्यवाही में याची ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों की प्रयोज्यता विनिश्चित करने के लिए दिनांक 25.2.2014 एवं दिनांक 12.3.2014 का आवेदन दाखिल किया किंतु दिनांक 12.3.2014 के आदेश के तहत उक्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया था और याची कंपनी के अधिकारियों को प्रत्यर्थी सं॰ 1 के समक्ष उपस्थित बने रहने का निर्देश दिया गया था। व्यथित होकर, मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

5. याची ने अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 2214 वर्ष 2014 भी दिनांक 13.12.2013, 1,21.1.2014, 25.2.2014, 25.3.2014 एवं 11.4.2014 के आदेशों को चुनौती देने के लिए दाखिल किया है।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा पारित आदेशों को स्वतंत्र रूप से एवं पृथक रूप से चुनौती देते हुए मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ एवं 10 परिवहन ठेकेदारों के प्रति अपवाद लेते हुए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। यह कथन किया गया है कि मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ एवं 10 परिवहन ठेकेदार एक-दूसरे के साथ और मेसर्स टाटा मोटर्स लि॰ के साथ दुरभिसंधि में है। दिनांक 3.9.2013 को गवाहों का परीक्षण समाप्त किया गया था और समस्त पक्षों द्वारा अभिलेख के परीक्षण के लिए मामला नियत किया गया था जब इंडेक्सड दस्तावेजों की दृष्टि में प्रत्यर्थी सं॰ 1 ने इसे आवश्यक महसूस किया कि मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ द्वारा कुछ और दस्तावेजों को दाखिल किए जाने की आवश्यकता अभी भी थी और इसलिए, दिनांक 13.12.2013 का आदेश पारित किया गया था। रिट याचीगण मामले में विलंब करने का प्रयास कर रहे हैं और तुच्छ याचिकाएँ दाखिल करके रिट याचीगण क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जमशेदपुर के समक्ष कार्यवाही में अंतिम निर्णय से बच रहे हैं।

7. आई॰ ए॰ सं॰ 2214 वर्ष 2014 के प्रति अपने उत्तर में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने दृष्टिकोण अपनाया है कि परिवहन ठेकेदारों को दिए गए व्यय विवरण जो मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में परिलक्षित हो गया जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। इसी प्रकार से, कॉनवॉय चालकों की समुचित पहचान के लिए और नियोक्ता कर्मचारी संबंध विनिश्चित करने के लिए टिकट नंबर एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेज भी आवश्यक है।

8. प्रत्यर्थी सं॰ 2 टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ की ओर से यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र भी दाखिल किया गया है कि रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1967 वर्ष 2014 जिसे दिनांक 13.12.2013 एवं दिनांक 12.3.2014 के आदेशों को चुनौती देने के लिए दाखिल किया गया है, में मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण वर्तमान रिट याचिका में मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण मानना चाहिए।

9. याची ने प्रतिशपथ पत्र में दिए गए बयान से इनकार करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 1 की ओर से दाखिल प्रति शपथ पत्र के प्रति प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल किया है।

<u>डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1967 वर्ष 2014</u>

10. मेसर्स टेलको ट्रांसपोर्ट कंपनी एसोसिएशन (टी॰ टी॰ सी॰ ए॰) स्वतंत्र ठेकेदारों का संघ है जो भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय दिल्ली में एवं इसका स्थानीय कार्यालय जमशेदपुर में है। मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ का स्थानीय कार्यालय बिहार दुकान एवं स्थापन अधिनियम, 1953 के अधीन रजिस्टर्ड है। यह आग्रह किया गया है कि याची मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ दिनांक

12.3.2014 के आदेश से व्यथित है क्योंकि दिनांक 13.12.2013 के आदेश के प्रत्युत्तर में मेसर्स टी० टी० सी० ए० द्वारा दिनांक 6.2.2014 का आवेदन यह कथन करते हुए दाखिल किया गया था कि किसी कॉनवॉय चालक का टिकट नंबर नहीं है और वे प्राईवेट फ्रीलांस चालक हैं किंतु, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दिनांक 6.2.2014 के आवेदन पर विचार नहीं किया गया है और दिनांक 12.3.2014 के आदेश के तहत, मेसर्स टी० टी० सी० ए० को पुनः अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है जैसा निर्देश दिनांक 13.12.2013 के आदेश के तहत दिया गया था।

<u>डब्ल्यू० पी० (सी०) सं० 2196 वर्ष 2014</u>

11. यह रिट याचिका परिवहन कंपनियों द्वारा दाखिल की गयी है और इस रिट याचिका में भी दिनांक 13.12.2013 और दिनांक 12.3.2014 के आदेशों को चुनौती दी गयी है और आगे इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के निबंधनानुसार पहले नियोक्ता–कर्मचारी संबंध विनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्देश देने की प्रार्थना की गयी है। रिट याची भी अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निर्देश से व्यथित है।

निवेदनः

12. मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी० पी० सिंह ने निवेदन किया है कि मामले में अग्रसर होने की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिकारिता को चुनौती देने वाले दिनांक 25.2.2014 एवं दिनांक 12.3.2014 के आवेदनों को दिनांक 12.3.2014 के आदेश के तहत रहस्यमय आदेश के साथ खारिज कर दिया गया है और, इसलिए, केवल उस आधार पर दिनांक 12.3.2014 का आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है। प्रत्यर्थी सं० 1 द्वारा पारित अनेक आदेशों के प्रति गंभीर आपत्ति करते हुए, जिसके द्वारा याची मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को बैलेंसशीट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और अधिकारियों को उपस्थित बने रहने का निर्देश दिया गया था, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पूर्व कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की दृष्टि में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पहले ''नियोक्ता–कर्मचारी संबंध'' विनिश्चित करने की आवश्यकता है और उस प्रयोजन से याची द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित दस्तावेज आवश्यक नहीं है। याची मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड की ओर से दाखिल लिखित नोट्स में याची ने निम्नलिखित निवेदन किया है:–

1. çR;Fkh l0 1 dk vfèkfu;e dh èkkjk 7A (1)(b) d vèkhu jkf'k lxf.kr@ekf=r dju d fy, vxlj gku l igy fnukd 25.3.2014 d vkn'k e of.kr vfèkdkfjrk d rF;k dk igy fofuf'pr dju dh vko';drk gA

2. bl ekuuh; U;k;ky; dk fun'k çR;Fkh l0 1 dk viu le{k mifLFkr i{kk }kjk çLrr lk{; ij fopkj dju d fy, Fkk vkj u fd vèkjh tkp d fy, viu le{k fdlh nLrkot dk çLrr dju d fy, fdlh dk etcj dju d fy,A

3. çR;Fkh l0 1 dk fu"i{kr% vkj u fd i{kikrh rjhd l ÑR; dju dk fun'k fn;k tk,A

13. प्रत्यर्थी सं० 2 टी० टी० सी० ए० के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री शशि अनुग्रह नारायण, जिसने भी पृथक रिट याचिका डब्ल्यू० पी० (सी०) सं० 1967 वर्ष 2014 दाखिल किया है, ने निवेदन किया कि एल० पी० ए० सं० 53 वर्ष 1988 (R) में दिनांक 23.1.1992 के आदेश के तहत इस न्यायालय की खंडपीठ ने संप्रेक्षित किया कि ''साक्ष्य, मौखिक अथवा दस्तावेजी के आधार पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त निष्कर्ष दर्ज करेंगे कि क्या कॉनवॉय चालक पी० एफ० अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत कंपनी के

कर्मचारी हैं अथवा क्या वे कंपनी के नहीं बल्कि टेलको परिवहन ठेकेदार एसोसिएशन के कर्मचारी हैं अथवा क्या वे किसी के कर्मचारी नहीं हैं।'' किंतु, उक्त विवाद्यक विनिश्चित किए बिना प्रत्यर्थी सं॰ 1 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अधूरी जाँच करना शुरू किया है जो विधि में अनुज्ञेय नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ की ओर से दिनांक 6.2.2014 का आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि किसी कॉनवॉय चालक का कोई टिकट नंबर नहीं है जो प्राइवेट फ्रीलांस चालक हैं और कॉनवॉय चालकों का अपना लाइसेंस नंबर है। उपायुक्त द्वारा कॉनवॉय चालकों की सूची तैयार की गयी है और मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ किसी चालक को काम पर नहीं लगाता है, फिर भी, इस पर विचार किए बिना, दिनांक 12.3.2014 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 2 ने कोई कारण दिए बिना मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ का आवेदन खारिज कर दिया और मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ के प्रबंध निदेशक को अपने समक्ष कार्यवाही के दौरान वैयक्तिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

14. प्रत्यर्थी सं॰ 1 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती बनानी वर्मा ने निवेदन किया है कि यद्यपि इस न्यायालय ने नए सिरे से विचार किए जाने के लिए मामला वापस भेजा और दिनांक 15.9.2011 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 1 को दो सप्ताह के भीतर साक्ष्य समाप्त करने का निर्देश दिया किंतु, मेसर्स टाटा मोटर्स, मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ एवं ठेकेदारों की विलंबकारी युक्ति के कारण प्रत्यर्थी सं॰ 1 " नियोक्ता–कर्मचारी संबंध'' का आरंभिक विवाद्यक विनिश्चित करने में सक्षम नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा मांगे गए दस्तावेज न्यायोचित निष्कर्ष पर आने के लिए आवश्यक हैं और यदि कार्यवाही के किसी पक्ष के कब्जा में दस्तावेज विशेष नहीं है, इसके शपथ पत्र को प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा विचार में लिया जाएगा। यह निवेदन किया गया है कि याची मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा अपने दिनांक 12.3.2014 के आवेदन में किया गया अधिकारिता का अभिवचन आन्वयिक न्याय निर्णीत द्वारा वर्जित है। केवल प्रत्यर्थी सं॰ 1 के समक्ष कार्यवाही विलंबित करने की दृष्टि से दिनांक 12.3.2014 का आवेदन दाखिल किया गया था। कार्यवाही काफी पहले वर्ष 1981 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा आरंभ की गयी थी और अनेक अवसरों पर मामला इस माननीय न्यायालय के समक्ष आया था किंतु याची टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा अधिकारिता का अभिवचन कभी नहीं किया गया था और जब मामला पक्षों द्वारा दस्तावेजों की दाखिली की प्रतीक्षा करते हुए अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है, मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने दिनांक 12.3.2014 का तुच्छ आवेदन दाखिल किया है जिसे सही प्रकार से प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

चर्चा :

15. मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री वी॰ पी॰ सिंह ने प्रतिवाद किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1(3) की दृष्टि में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पहले यह विनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 मेसर्स टाटा मोटर्स पर प्रयोज्य है या नहीं और केवल तब जब यह पाया जाता है कि अधिनियम के प्रावधान याची पर प्रयोज्य है, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को मामले में अग्रसर होने की आवश्यकता होगी। समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री शशि अनुग्रह नारायण ने निवेदन किया है कि अधिनियम की धारा 7A के अधीन प्रावधानों की दृष्टि में ऐसा विवाद क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा धारा 7A की कार्यवाही में विनिश्चित किया जा सकता है और वस्तुत: वर्तमान मामले में, ऐसा कोई विवाद उद्भूत नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी सं॰

1 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि ऐसा अभिवचन आन्वयिक न्यायनिर्णीत द्वारा वर्जित है।

16. इस मामले का पुराना इतिहास है। काफी पहले वर्ष 1981 में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जमशेदपुर ने मेसर्स टेलको लिमिटेड को नोटिस जारी किया और तत्पश्चात पक्षों के बीच वाद के अनेक चक्र चले हैं। वर्तमान कार्यवाही में मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा अभिलेख पर यह नहीं लाया गया है कि पूर्व कार्यवाही के किसी चरण पर यह अभिवचन किया जिसे दिनांक 12.3.2014 के आवेदन में किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 1 के विद्वान अधिवक्ता ने सही प्रकार से आन्वयिक न्याय निर्णीत का अभिवचन किया है। यद्यपि दिनांक 12.3.2014 का आदेश याची टाटा मोटर्स लिमिटेड के दिनांक 12.3.2014 के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए कोई कारण दर्ज नहीं करता है, मेरा मत है कि उक्त आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह सुनिश्चित है कि न्यायालय आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे यदि ऐसा हस्तक्षेप अवैधता को स्थायी बनाएगा। वर्तमान मामले में, याची टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा किया गया अभिवचन न केवल आन्वयिक न्याय निर्णीत द्वारा वर्जित है, दिनांक 12.3.2014 के आदेश में कोई हस्तक्षेप पूर्व कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उल्लंघन में होगा। इस न्यायालय ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पहले ''नियोक्ता-कर्मचारी संबंध'' का प्रश्न विनिश्चित करने का निर्देश विनिर्दिष्टत: दिया और इसलिए, याची टाटा मोटर्स लिमिटेड को विवाद्यक उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसे पहले किसी चरण पर नहीं उठाया गया था।

17. अधिकारिता का अभिवाक पहली बार में किया जाना चाहिए। **''हर्ष चिमन लाल मोदी बनाम डी॰ एल॰ एफ॰ यूनिवर्सल लि॰'' (2005)7 SCC 791,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ तक ''क्षेत्रीय एवं धनीय अधिकारिताओं का संबंध है, ऐसी अधिकारिता के प्रति आपत्ति शीघ्र संभव अवसर पर करनी होगी। यदि आरंभ में ही ऐसी आपत्ति नहीं की जाती है, पश्चातवर्ती चरण पर इसे करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।'' यद्यपि यह सत्य है कि विषय वस्तु के रूप में न्यायालय की अधिकारिता के प्रति किसी चरण पर की जा सकती है। जैसा ऊपर गौर किया गया है, यद्यपि यह मामला अनेक अवसरों पर इस न्यायालय के समक्ष आया, मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की इसके प्रति प्रयोज्यता के प्रति कोई आपत्ति कभी नहीं किया। पूर्व कार्यवाहियों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की दृष्टि में, ऐसी आपत्ति मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा अधित्यक्त की गयी समझी जानी होगी। इसके अतिरिक्त, यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को मामले में विषय वस्तु पर विचार करने की अधिकारिता है।

18. जहाँ तक दिनांक 21.1.2014, 25.2.2014 और 25.3.2014 के आदेशों को चुनौती का संबंध है, मैं याची मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा दी गयी चुनौती में गुणागुण नहीं पाता हूँ। दिनांक 21.1.2014 को जब मामला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, यह गौर किया गया था कि न तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने और न ही मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ ने सूचना दाखिल अथवा आपूर्ति किया था जैसा दिनांक 13.12.2013 के आदेश द्वारा आवश्यक बनाया गया था और इसलिए उन्हें आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था जिसमें विफल रहने पर उनके अधिकारियों को वैयक्तिक रूप से उपस्थित होने और स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 25.2.2014 को पक्षों को पुन: दिनांक 13.12.2013 एवं दिनांक 21.1.2014 के आदेशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था और मामला दिनांक 11.3.2014 के लिए स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 25.3.2014 को मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ के अधिकारी उपस्थित हुए और अपनी अवस्था को स्पष्ट किया और इसे अभिलेख पर लिया गया था और मामला दिनांक 11.4.2014

के लिए स्थगित कर दिया गया था। मैं दिनांक 21.1.2014, 25.2.2014 एवं 25.3.2014 के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ। जहाँ तक दिनांक 13.12.2013 के आदेश का संबंध है, मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ दोनों समरुप प्रतिवाद किया है जैसा मुख्य रिट याचिका में किया गया था और इसलिए, दिनांक 13.12.2013 एवं दिनांक 12.3.2014 के आदेश को चुनौती पर साथ-साथ विचार करना होगा। जहाँ तक मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन का संबंध है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जमशेदपुर ने बार-बार अनावश्यक रूप से मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के अधिकारियों को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया, मैं पाता हूँ कि दिनांक 25.3.2014 को मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ के अधिकारी उपस्थित हुए और अपनी अवस्था को स्पष्ट किया और इसे अभिलेख पर लिया गया है। चूँकि पक्षगण न तो अभिलेख प्रस्तुत कर रहे थे और न ही आवश्यक सूचना प्रस्तुत कर रहे थे, उनके अधिकारियों को अपनी अवस्था स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया था और इसलिए, मैं दिनांक 21.1.2014, 25.2.2014 एवं 25.3.2014 के आदेशों में कोई अनियमितता अथवा अवैधता नहीं पाता हूँ।

19. दिनांक 13.12.2013 के आदेश के तहत मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ एवं परिवहन ठेकेदारों को वर्ष 2006-07 से किए गए भुगतानों से संबंधित व्यय विवरणों के साथ बैलेंसशीट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ को निम्नलिखित विवरण प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया था:-

(i) pkydk dh fVdV l[;k@igpku l[;k(

(ii) pkydk dk dke ij yxk, tkus dh frfFk ,o vofèk(vkj

(iii) vçy] 2006 l pkydk dk Hkxrku dh nj@okLrfod Hkxrku

20. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 (A) (2) प्रावधानित करती है कि उपधारा (1) के अधीन जाँच संचालित करने वाले अधिकारी को निम्नलिखित शक्ति होगी जैसा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय में निहित की गयी है:-

(a) fdlh 0;fDr dh mifLFkfr çfyr djuk vFkok 'kiFk ij mldk ijh{k.k djuk(

(b) nLrkost dk [kkst ,o çLrfr vko';d cukuk(

(c) 'kiFk i= ij lk{; çkIr djuk(

(d) xokgk d ijh{k.k d fy, deh'ku tkjh djukA

21. ''एफ॰ सी॰ आई॰ बनाम भविष्य निधि आयुक्त एवं अन्य,'' (1990)1 SCC 68, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को धारा 7A के अधीन जाँच करते हुए वही शक्ति है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद का विचारण करने वाले न्यायालय में निहित की गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आयुक्त को समुचित निष्कर्ष पर आने के पहले समस्त साक्ष्य संग्रहित करने एवं समस्त सामग्री का मिलान करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:-

*"7. gekj er e ç'u ;g ugh g fd D;k dkb lk{; çLrr dju e foQy jgk gA ç'u ;g g fd D;k vk;Dr] tk lkfofèkd çkfèkdkjh g] u mDr vfèkfu;e d vèkhu Hkxr; jkf'k fofuf'pr dju d igy çkIfxd lk{; lxfgr dju d fy, viu e fufgr 'kfDr;k dk ç;kx fd;k gA***

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 समाज के कमजोर वर्गों के हित को संरक्षित करने के लिए आशयित

सामाजिक कल्याण विधान है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेदों 38 एवं 43 में समाविष्ट राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए उसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों की प्रयोजनात्मक व्याख्या करना न्यायालयों को लिए अनिवार्य है।

23. चूँकि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पहले यह न्यायनिर्णीत करने की आवश्यकता है कि क्या कॉनवॉय चालकों एवं अन्य पक्षों के बीच ''नियोक्ता-कर्मचारी संबंध'' है, मेसर्स टाटा मोटर्स की बैलेंसशीट सहित प्रस्तुत किए जाने के लिए निर्देशित दस्तावेज और मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक सूचनाएँ यह परीक्षण करने के लिए आवश्यक प्रतीत होती हैं कि क्या कॉनवॉय चालकों को प्रत्यक्षत: भुगतान किया गया था अथवा किसी एजेन्सी के माध्यम से और क्या भुगतान प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: स्थापन के काम के संबंध में अथवा इससे संबंधित है और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि कब और कैसे भुगतान किए गए थे और इसलिए, मैं मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ को व्यय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाले दिनांक 13.12.2013 एवं दिनांक 12.3.2014 के आदेशों में कोई अवैधता नहीं पाता हूँ। दिनांक 12.3.2014 के आदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने संप्रेक्षित किया है कि यदि मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, पक्षों द्वारा प्रस्तुत द्वितीयक साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है। मैं दिनांक 12.3.2014 के आदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किए गए संप्रेक्षण में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ। यदि मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ अभिलेख प्रस्तुत नहीं करते हैं, विधि प्रावधानित करती है कि पक्ष द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं और उस पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है जैसा न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ ने दृष्टिकोण अपनाया है कि इसने कॉनवॉय चालकों के काम पर कभी नहीं लगाया और टिकट नंबर अथवा पहचान नंबर, यदि हो, मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ द्वारा कॉनवॉय चालकों को कभी नहीं जारी किए गए थे। मैं पाता हूँ कि मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ ने पहले ही शपथ पत्र दाखिल किया है और इसका अधिकारी भी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष दिनांक 25.3.2014 को उपस्थित हुआ और इसके द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभिलेख पर लाया गया है। अब क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पक्षों द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों की प्रासंगिकता को पक्षों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की वास्तविकता विनिश्चित करना है। मामला न्याय निर्णीत करने एवं अंतिम निर्णय लिए जाने के पहले कि क्या कॉनवॉय चालकों एवं अन्य पक्षों के बीच ''नियोक्ता-कर्मचारी संबंध'' है, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा पारित आदेश की प्रकृति का अनुमान लगाना केवल अटकलों के क्षेत्र में होगा। मैं पाता हूँ कि मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ की आशंकाएँ अनाधारित हैं। **''नगेन्द्र नाथ बोरा एवं एक अन्य बनाम हिल्स डिविजन एन्ड अपील आयुक्त, असम एवं अन्य,'' AIR 1958 SC 398,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''उच्चतर न्यायालय द्वारा विधि अथवा तथ्य की प्रत्येक गलती सुधारी नहीं जा सकती है। मात्र औपचारिक अथवा तकनीकी गलती, भले ही यह विधि की हो, उत्प्रेषण के उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।'' इस न्यायालय द्वारा बार-बार पारित आदेशों की दृष्टि में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शीघ्रातिशीघ्र विवाद्यक विनिश्चित करने के कर्तव्य के अधीन है। वर्तमान कार्यवाही के प्रथम चरण में अर्थात् एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 53 वर्ष 1988 (R) में इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 23.1.1992 के आदेश के तहत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को चार माह के भीतर मामला निपटाने का निर्देश दिया। सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2356 वर्ष 1997 (R) एवं सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 3275 वर्ष 1999 (R) में पारित आदेशों के तहत इस न्यायालय की खंडपीठ ने पुन: क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को, मामले में शीघ्रातिशीघ्र नया निर्णय लेने का निर्देश दिया। दिनांक 15.9.2011 के आदेश के तहत इस न्यायालय की खंडपीठ ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को दिनांक 31.1.2012 तक कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया।

24. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में समस्त रिट याचिकाओं को खारिज किया जाता है किंतु, पूर्व कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की दृष्टि में मैं एतद् द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पहले ''नियोक्ता-कर्मचारी संबंध'' विनिश्चित करने और शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश देता हूँ। श्री वी॰ पी॰ सिंह एवं श्री शशि अनुग्रह नारायण, क्रमशः मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड एवं मेसर्स टी॰ टी॰ सी॰ ए॰ के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि उनके मुवक्किल मामले के शीघ्र निपटान के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ सहयोग करेंगे। पक्षों को दस्तावेज एवं सूचना प्रस्तुत करने की छूट होगी जैसा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है और यदि कोई पक्ष दस्तावेज अथवा सूचना प्रस्तुत नहीं करता है, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को विधि के अनुरुप मामले में अग्रसर होने का निर्देश दिया जाता है।

25. दिनांक 28.4.2014 के आदेश के स्पष्टीकरण के लिए दाखिल आई॰ ए॰ सं॰ 5130 वर्ष 2014 खारिज किया जाता है। याचीगण द्वारा उठाए गए विवाद की प्रकृति की दृष्टि में, आई॰ ए॰ सं॰ 5249 वर्ष 2014 को अनुज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है और वर्तमान में संघ को पक्ष के रूप में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा और रिट याचिका में पारित आदेश की दृष्टि में डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1643 वर्ष 2014 में आई॰ ए॰ सं॰ 2214 वर्ष 2014 भी खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

महाप्रबंधक, मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कुस्तोर क्षेत्र सं॰ VIII

cuke

देवनंदन ग्वाला एवं अन्य

W.P. (L) No. 1720 of 2011. Decided on 11th December, 2014.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 33C (2)—श्रम न्यायालय के आदेश का अभिखंडन–कर्मकार की बर्खास्तगी न्यायोचित नहीं पायी गयी, श्रम न्यायालय द्वारा सेवा में पुनर्बहाली का आदेश दिया गया–वर्तमान रिट याचिका में चुनौती केवल दिनांक 17.4.2009 के आदेश को दी गयी है और न कि दिनांक 1.9.2009 के आदेश को जिसके द्वारा रिट याचिका अंतिम रूप से खारिज कर दी गयी थी–दिनांक 17.4.2009 का आदेश सुतार्किक आदेश है, याची द्वारा कोई सारवान चुनौती नहीं दी गयी है–अभिनिर्धारित, दिनांक 17.4.2009 के आदेश में दुर्बलता नहीं है, रिट याचिका खारिज किए जाने की दायी है–याची का प्रतिवाद कि अधिनिर्णय के 30 दिन बाद श्रम न्यायालय पद कार्य-निवृत्त बन गया और याची के पास रिट याचिका दाखिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, खारिज किए जाने का दायी है–सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 772/1996 (R) जिसे अंतिम रूप से खारिज किया गया था श्रम न्यायालय के समक्ष नहीं था जब औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C (2) के अधीन आवेदन अनुज्ञात किया गया था–यह सुनिश्चित है कि सामग्री जो अवर न्यायालय के समक्ष नहीं थी के आधार पर आक्षेपित आदेश को चुनौती नहीं दिया जा सकता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 4 से 6)

निर्णयज विधि.–—AIR 1981 SC 606—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Mr. Amit Kr. Sinha, For the Petitioner.

आदेश

एल॰ सी॰ आवेदन सं॰ 16 वर्ष 1996 में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-C (2) के अधीन पारित दिनांक 17.4.2009 के आदेश से व्यथित होकर याची महाप्रबंधक, कुस्तोर क्षेत्र VIII, मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आए है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि चार कर्मकार जिन्हें वर्तमान कार्यवाही में प्रत्यर्थी बनाया गया है सहित छह कर्मकार मेसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के अधीन धानुडीह कोलियरी में कार्यरत थे। उन्हें वर्ष 1976 में सेवा से बर्खास्त किया गया था। इस प्रकार, औद्योगिक विवाद उठाया गया था और छह पृथक निर्देश किए गए थे। समस्त निर्देशों को एक साथ विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा सुना गया था और दिनांक 16.11.1994 के अधिनिर्णय के तहत कर्मकारों की बर्खास्तगी अन्यायोचित पायी गयी थी और तद्नुसार, सेवा में पुनर्बहाली का आदेश दिया गया था। इस बीच, दो कर्मकारों अर्थात् रामरुप चमार एवं सीता राम चमार की मृत्यु हो गयी और शेष चार कर्मकारों ने दिनांक 4.10.1996 को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C (2) के अधीन आवेदन दिया। कर्मकारों द्वारा रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 772 वर्ष 1996 (R) भी दाखिल किया गया था और दिनांक 1.3.2004 के आदेश के तहत उक्त रिट याचिका अनुज्ञात की गयी थी जिसके द्वारा इस न्यायालय द्वारा 50% पिछली मजदूरी का प्रदान भी आदेशित किया गया था। याची महाप्रबंधक, मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कुस्तोर क्षेत्र सं॰ VIII द्वारा पुनरीक्षण याचिका सिविल पुनरीक्षण सं॰ 93 वर्ष 2004 दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 3.1.2011 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था। इस बीच, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C(2) के अधीन दिनांक 4.10.1996 का आवेदन दिनांक 17.4.2009 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था। रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 772 वर्ष 1996 (R) पुनः सुनी गयी थी और दिनांक 1.9.2011 के आदेश के तहत अंतिम रूप से खारिज कर दी गयी थी जिसके द्वारा श्रम अधिकरण, धनबाद का दिनांक 16.11.1994 का अधिनिर्णय अभिपुष्ट किया गया था। दिनांक 17.4.2009 के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

3. न्यायालय द्वारा यह विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि याची दिनांक 17.4.2009 के आदेश का उपांतरण इप्सित करते हुए श्रम न्यायालय के पास क्यों नहीं जा सकता है, याची के विद्वान अधिवक्ता ने **''ग्रिंडले बैंक लि॰ बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं अन्य, AIR 1981 SC 606,** में निर्णय पर विश्वास किया और निवेदन किया कि अधिनिर्णय प्रकाशित किए जाने के 30 दिन बाद श्रम न्यायालय पद कार्य निवृत्त हो गया और इसलिए, इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C (2) के अधीन पारित आदेश को उपांतरित अथवा परिवर्तित करने की अधिकारिता नहीं है।

4. अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का परिशीलन उपदर्शित करता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C (2) के अधीन दिनांक 4.10.1996 का आवेदन दिनांक 17.4.2009 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था और उस समय सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 772 वर्ष 1996 (R) में पारित दिनांक 1.3.2004 का आदेश प्रवर्तन में था। वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा दिनांक 31.3.2011 को दाखिल की गयी थी। याची के अधिवक्ता का प्रतिवाद यह है कि चूँकि रिट याचिका श्रम न्यायालय के दिनांक 16.11.1994 के अधिनिर्णय को अभिपुष्ट करते हुए दिनांक 1.9.2011 के आदेश के तहत अंतिम रूप से खारिज कर दी गयी थी, दिनांक 17.4.2009 का आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है। याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद अस्वीकार किए जाने का दायी है। जैसा यहाँ उपर गौर किया गया है, तिथि जिस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C (2) के अधीन आवेदन दिनांक 17.4.2009 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था, दिनांक 1.9.2011 का आदेश जिसके द्वारा रिट याचिका अंतिम रूप से खारिज की गयी थी, अस्तित्व में नहीं था। इसके अतिरिक्त, जब वर्तमान रिट याचिका दिनांक 31.3.2011 को दाखिल की गयी थी, उस दिन भी, रिट याचिका में पारित दिनांक 1.3.2004 का आदेश

प्रवर्तन में था। याची द्वारा दाखिल वर्तमान रिट याचिका में चुनौती केवल दिनांक 17.4.2009 के आदेश को दी गयी है और ऐसी चुनौती दिनांक 1.9.2011 के आदेश पर आधारित नहीं है जिसके द्वारा रिट याचिका अंतिम रूप से खारिज की गयी थी। यद्यपि, याची ने दिनांक 1.9.2011 के आदेश को अभिलेख पर लाते हुए पूरक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसके द्वारा सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 772 वर्ष 1996 (R) अंतिम रूप से खारिज किया गया था और प्रमाण पत्र केस सं॰ 11 (डब्ल्यू॰ सी॰)/10-11 में आगे कार्यवाही का स्थगन इप्सित करते हुए आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 6046 वर्ष 2014 अभिलेख पर लाया गया है, अतिरिक्त आधार उठाने की अनुमति इप्सित करने वाला आवेदन याची द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। जहाँ तक दिनांक 17.4.2009 के आदेश का संबंध है, यह सुतार्किक आदेश है। याची द्वारा आक्षेपित आदेश को कोई सारवान चुनौती नहीं दी गयी है। दिनांक 17.4.2009 के आदेश में दुर्बलता नहीं है। मैं रिट याचिका में कोई सार नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, यह खारिज किए जाने की दायी है।

5. याची के अधिवक्ता के प्रतिवाद को निर्दिष्ट करते हुए कि अधिनिर्णय प्रकाशित किए जाने के 30 दिन बाद श्रम न्यायालय पद कार्य निवृत्त हो गया और इसलिए, याची के पास वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आने के अलावा अन्य विकल्प नहीं था, मेरा मत है कि यह प्रतिवाद भी अस्वीकार किए जाने का दायी है। **''ग्रिंडलेज बैंक लि॰'' (ऊपर)** में, मामला जिस पर याची के अधिवक्ता ने भारी विश्वास किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि श्रम न्यायालय को गुणागुण पर मामला ग्रहण एवं विनिश्चित करने की अधिकारिता है। एक पक्षीय अधिनिर्णय को निर्दिष्ट करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि एकपक्षीय अधिनिर्णय के साथ कोई अंतिमता संबद्ध नहीं है क्योंकि यह पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर सदैव अपास्त किए जाने के अध्यधीन है। अधिकरण को एकपक्षीय अधिनिर्णय अपास्त करने के लिए और उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए अपने समक्ष समुचित रूप से दिए गए आवेदन पर विचार करने की शक्ति है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एकपक्षीय आदेश का अपास्त किया जाना इप्सित करने वाले आवेदन को विनिश्चित करते हुए परिसीमा अधिनियम के प्रावधान प्रयोज्य होंगे। इस कारण भी याची की ओर से किया गया प्रतिवाद अस्वीकार किए जाने का दायी है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 1.9.2011 का आदेश जिसके द्वारा सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 772 वर्ष 1996 (R) अंतिम रूप से खारिज कर दिया गया था, श्रम न्यायालय के समक्ष नहीं था जब औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C (2) के अधीन आवेदन श्रम न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया गया था। यह सुनिश्चित है कि सामग्री जो अवर न्यायालय के समक्ष नहीं थी के आधार पर आक्षेपित आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

6. पूर्वोक्त की दृष्टि में, मैं इस मामले में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। आई॰ ए॰ सं॰ 6046 वर्ष 2014 भी खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

राजेश कुमार सिन्हा

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 452 of 2014. Decided on 7th November, 2014.

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881–धाराएँ 138 एवं 147–चेक का अनादर–दोषसिद्धि–धारा 138 के अधीन अपराध शमनीय प्रकृति का होता है–पक्षकारों ने मामले का सौहार्द्रपूर्ण रूप से समाधान करके विवाद सुलझा लिया है–न्याय के उद्देश्यों के लिए पक्षकारों के बीच समझौता

स्वीकार किया जाता है तथा अपराध का समन किये जाने की अनुमति दी जाती है–आक्षेपित आदेश अपास्त तथा याची दोषमुक्त। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Das, Chandrajit Mukherjee, For the Petitioner; A.P.P., For the State; Mr. D.K. Karmakar, For the O.P. No.2.

आदेश

टी॰ आर॰ केस संख्या 198 वर्ष 2012 के तत्सम् C/1 केस सं॰ 802 वर्ष 2011 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 13.12.2012 की दोषसिद्धि के आदेश तथा दंडादेश के विरूद्ध याची द्वारा दाखिल दांडिक अपील सं॰ 14 वर्ष 2013 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–II, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 4.4.2014 के इस आदेश के विरूद्ध यह दांडिक पुनरीक्षण आवेदन निर्दिष्ट किया गया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन 15 दिनों का साधारण कारावास भुगतने एवं 45,000/– रुपये के प्रतिकर का भुगतान करने की सीमा तक दंडादेश के उपांतरण के साथ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन याची की दोषसिद्धि सम्पुष्ट की गयी थी।

2. परिवादी के मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याची के आग्रह पर, परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 राजेश कुमार सिन्हा ने 30.8.2010 को याची को 1,00,000/– रुपये के सम्तुल्य दोस्ताना कर्ज दिया था इस करार पर कि उक्त राशि का 20,000/– रुपये की पांच बराबर किस्तों में याची द्वारा परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 को भुगतान कर दिया जाएगा; कि दायित्व का उन्मोचन करने के लिए, याची ने सम्यक तिथि के उपरान्त इन्हें जमा करने के आग्रह के साथ परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 के पक्ष में 20,000–20,000 रुपये के दो पोस्ट डेटेड चेक–चेक संख्यायें 05761 तथा 05762, जो दोनों ही दिनांक 30.12.2010 के थे–जारी किये थे एवं 20,000–20,000 रुपये के और तीन चेक निर्गत करने का आश्वासन दिया था, परन्तु जब विपक्षी सं॰ 2 द्वारा भुनाने के लिए उक्त चेकों को बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेखीवाल के खाते में अपर्याप्त धन के कारण उक्त चेकों को बैंक द्वारा अनाद्रित कर दिया गया था, जिसके उपरान्त विपक्षी सं॰ 2 ने याची को 5.2.2011 को एक कानूनी नोटिस भेजी थी तथा याची द्वारा चेक की राशि के अभुगतान के कारण बाद में एक परिवाद मामला दाखिल किया गया था। जांच पड़ताल के उपरान्त, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन संज्ञान लिया गया था तथा विचारण एवं निस्तारण के लिए मामला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के न्यायालय भेज दिया गया था।

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर ने साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर याची को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध का दोषी पाया था एवं उसे 45 दिनों का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया था तथा मुआवजे के तौर पर परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 को 45,000/– रुपये का भुगतान करने का भी आदेश किया था, जिसके उपरांत याची ने दांडिक अपील सं॰ 14 वर्ष 2013 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–II, जमशेदपुर के समक्ष एक अपील दाखिल किया था जिन्होंने आक्षेपित आदेश पारित किया था। पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होकर, याची द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पक्षकारों को सद्बुद्धि आ गयी है तथा उन्होंने न्यायालय के बाहर अपने विवाद सुलझा लिये हैं तथा इस प्रभाव की एक संयुक्त समझौता याचिका–आई॰ ए॰ संख्या 5652/2014–दाखिल की गयी है। अब याची के विरूद्ध परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 को कोई व्यथा नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि दांडिक अपील सं॰ 14 वर्ष 2013 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–II, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 4.4.2014 के आदेश तथा टी॰ आर॰ केस सं॰ 198 वर्ष 2012 के तत्सम् C/1 केस सं॰ 802 वर्ष 2011 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित

दिनांक 13.12.2012 के आदेश इस तथ्य की दृष्टि में निरस्त किये जा सकते हैं कि पक्षकारों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा पर न्यायालय के बाहर मामले में समझौता कर लिया है। यह भी निवेदन किया गया है कि चूँकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध शमनीय प्रकृति का होता है, इस प्रकार, समझौते की दृष्टि में अपराध का शमन करने की अनुमति दी जाय।

4. विपक्षी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि दोनों पक्षकारों ने सौहार्द्रपूर्ण रूप से विवाद सुलझा लिया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 को याची के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं है तथा अपराध का शमन करने की अनुमति दी जाय।

5. स्वीकार्यत: विपक्षी सं॰ 2, परिवादी तथा याची ने मामले का सौहार्द्रपूर्ण रूप से समाधान करके विवाद सुलझा लिया है तथा इसपर विचार करके कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध शमनीय प्रकृति का है, इस प्रकार, पक्षकारों के बीच समझौता स्वीकार किया जाता है तथा अपराध का शमन करने की अनुमति दी जाती है। मामले से संलग्न तथ्यों तथा परिस्थितियों में एवं न्याय के उद्देश्यों के लिए, टी॰ आर॰ संख्या 198 वर्ष 2012 के तत्सम् C/1 केस सं॰ 802 वर्ष 2011 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 13.12.2012 के आक्षेपित आदेश तथा निर्णय, एवं दांडिक अपील सं॰ 14 वर्ष 2013 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-II, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 4.4.2014 के निर्णय भी पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर एतद्द्वारा अपास्त किये जाते हैं। परिणामस्वरूप, उपरोक्त नामजद याची आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। याची जमानत पर है तथा उसे उसके जमानत बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

6. परिणामत: दांडिक पुनरीक्षण आवेदन तथा पूर्वोक्त अंतर्वर्ती आवेदन भी अनुज्ञात किये जाते हैं तथा एतद् द्वारा निस्तारित किये जाते हैं।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

जोखन चौधरी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) 1782 of 2013. Decided on 15th December, 2014.

सेवा विधि–बर्खास्तगी–याची नशे की हालत में कार्यालय आया, परेड से अनुपस्थित रहा, गाली-गलौज की भाषा का उपयोग किया और जीप से भाग गया जब उसे कार्मिकों द्वारा उसके चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था–विभागीय जाँच–याची को प्राधिकारियों के समक्ष सुने जाने का प्रत्येक अवसर दिया गया था–न्यायिक पुनर्विलोकन–एक मात्र विचार यह करना है कि क्या निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर आधारित है और निष्कर्ष का समर्थन करता है अथवा क्या निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है–प्राधिकारियों का समवर्ती निष्कर्ष–अधिसंभाव्यता की बहुलता पर और गवाहों के साक्ष्य के आधार पर जाँच अधिकारी इस निष्कर्ष पर आया कि याची ने अवचार किया था–याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 6, 8 से 13)

निर्णयज विधि.–1997 (5) SCC 129; 2013(4) SCC 301—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s S.N. Pathak, Rishikesh Giri, For the Petitioner; J.C. to A.G., For the Respondents.

आदेश

याची ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना किया है:–

(a) vkj{kh vèkh{kd] ckdkjk }kjk ikfjr fnukd 29.2.2012 d vkn'k vkj ifyl miegkfujh{kd] dk;ykpy] ckdkjk }kjk ikfjr fnukd 3.10.2012 d vkn'k d vfHk[kMu d fy,A

(b) leLr ikfj.kkfed ykHkk d lkFk ;kph dk iucgky dju d fy, çR;Fkhx.k dk fun'k nu d fy,A

2. याची की ओर से निवेदन किया गया है कि सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद उसे वर्ष 2000 में जिला पुलिस, बोकारो में काँस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। अचानक उस पर आरोप ज्ञापन तामील किया गया था जिसमें अभिकथित किया गया था कि वह शराब के नशे में कार्यालय में उपस्थित हुआ और परेड से अनुपस्थित रहा और गाली–गलौज की भाषा का उपयोग किया। आगे आरोप यह है कि वह उस जीप से भाग गया जब उसे चिकित्सीय इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था।

3. याची ने अपने विरुद्ध किए गए संपूर्ण अभिकथनों से इनकार करते हुए कारण बताओ का विस्तृत उत्तर दिया है। याची द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर विभागीय कार्यवाही सं॰ 89 वर्ष 2011 आरंभ की गयी थी और याची को जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। जाँच अधिकारी ने दस्तावेजों के संवीक्षण एवं गवाहों के परीक्षण के आधार पर उसके विरुद्ध आरोपों को सिद्ध किया गया पाया है। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जाँच अधिकारी के रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद दिनांक 29.2.2012 को सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था। तत्पश्चात, याची ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल किया किंतु इसे भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना अस्वीकार कर दिया गया था। याची द्वारा दिए गए बचाव उत्तर का समर्थन करने वाले किसी गवाह को अथवा किसी दस्तावेज को जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि मदिरा सेवन के आरोप के समर्थन में जाँच अधिकारी के समक्ष कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य नहीं आया था क्योंकि विशेषज्ञ द्वारा इसके परीक्षण के लिए रक्त या मूत्र का नमूना नहीं लिया गया था और इस प्रकार जाँच अधिकारी ने अत्यन्त लापरवाह तरीके से आरोपों को सिद्ध किया था। अनुशासनिक प्राधिकारी ने इसे स्वीकार किया था और यद्यपि याची ने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया था किंतु इस पर विचार नहीं किया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने भी मामले के संपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया था और बर्खास्तगी का आदेश मान्य ठहराया था।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची के विरुद्ध किए अभिकथनों की प्रकृति अत्यन्त गंभीर है। अनुशासित बल के सदस्य से नशे की हालत में कार्यालय आने की उम्मीद नहीं की जाती है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची ने गाली–गलौज की भाषा का भी प्रयोग किया था और उस जीप से भाग गया था जब उसे उसके चिकित्सीय इलाज के लिए अन्य कार्मिकों द्वारा अस्पताल की ओर ले जाया जा रहा था और इस प्रकार उसने घोर अवचार किया है।

5. आगे यह निवेदन किया गया है कि याची को जाँच अधिकारी के समक्ष अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था किंतु, प्राधिकारी समवर्ती निष्कर्ष पर आए हैं कि याची का आचरण

अत्यन्त बुरा है और इस दशा में, उसे अनुशासित बल की सेवा जैसी सेवा में रखा नहीं जा सकता है। अत:, यह निवेदन किया गया है कि आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पक्षों को सुना गया।

6. याची के विरुद्ध अभिकथन की प्रकृति यह है कि वह नशे की हालत में कार्यालय आया था और जब उससे पूछा गया था, उसने गाली–गलौज की भाषा का प्रयोग किया और इसके अलावा जब उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, वह किसी चिकित्सीय परीक्षण से बचने के प्रयोजन से जीप से भाग गया था।

7. याची स्वीकृत रूप से पुलिस बल का सदस्य है। कर्तव्य पर मदिरा सेवन के संबंध में अभिकथन अत्यन्त गंभीर है।

8. याची की ओर से दिया गया तर्क कि रक्त या मूत्र का नमूना नहीं लिया गया था, उसकी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि प्राधिकारियों ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए कदम उठाया है किंतु याची ही जीप से भाग गया जो स्वयं सुझाता है कि अपने चिकित्सीय परीक्षण से बचने के लिए याची भाग गया था और इसलिए, जाँच अधिकारी इस निष्कर्ष पर आया था कि याची नशे की हालत में था। यह सुनिश्चित है कि अनुशासनिक जाँच में संदेह के परे प्रमाण होने की प्रयोज्यता नहीं है। अधिसंभाव्यताओं की बहुलता और अभिलेख पर मौजूद कुछ सामग्री इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए आवश्यक होगी कि क्या अपचारी ने अवचार किया है या नहीं। इस संबंध में, **बॉम्बे उच्च न्यायालय बनाम उदय सिंह एवं अन्य, 1997 (5) SCC 129;** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है जिसके पैरा 10 का पठन निम्नलिखित है:–

> *^^-----lng d ij çek.k d fl)kr dh ç;kT;rk ugh gA vfèklHkk0;rkvk dh cgyrk vkj vfHky[k ij ektn dN lkexh bl fu"d"k ij igpu d fy, vko';d gkxh fd D;k vipkjh u vopkj fd;k g --------**

9. उक्त की दृष्टि में, अधिसंभाव्यता की बहुलता के आधार पर जाँच अधिकारी इस निष्कर्ष पर आया था और गवाहों जिन्होंने आरोप सिद्ध करते हुए जाँच अधिकारी के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया है के साक्ष्य के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया था।

10. अन्य आरोप अर्थात् गाली–गलौज की भाषा का प्रयोग करना और जीप से भाग जाना भी जाँच अधिकारी द्वारा सिद्ध किया गया है। याची को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष सुनवाई का समस्त अवसर दिया गया था।

11. यह सुनिश्चित विधिक प्रतिपादना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन अपीलीय प्राधिकारी के रूप में साक्ष्यों का पुनर्विलोकन करके गुणावगुणों पर न्यायनिर्णयन करने के समतुल्य नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय/अधिकरण को केवल यह विचार करना है कि क्या निष्कर्ष अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर आधारित है और निष्कर्ष का समर्थन करता है अथवा क्या निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

12. वर्तमान मामले में, जाँच अधिकारी इस निष्कर्ष पर आया था कि याची नशे की हालत में था और उसके आचरण कि वह चिकित्सीय परीक्षण से बचने के लिए जीप से भाग गया था, से इसे संपुष्ट किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति संबंधित प्राधिकारियों के बाद के चरण पर सही एवं तार्किक निष्कर्ष पर आने के लिए प्रमाण देने से बच रहा है, उक्त अपचारी कर्मचारी लाभ नहीं ले सकता है। इस मामले में प्राधिकारियों ने याची को विशेषज्ञ के समक्ष प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम प्रयास किया है किंतु याची ही अपने चिकित्सीय परीक्षण से बचने के लिए जीप से भाग गया था।

13. अभिकथनों की प्रकृति पर विचार करते हुए और प्राधिकारियों के समवर्ती निष्कर्ष पर विचार करते हुए **निर्मला जे॰ झाला बनाम गुजरात राज्य एवं एक अन्य, 2013 (4) SCC 301,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैरा 22 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

*"22. ;g lfuf'pr fofèkd çfriknuk g fd U;kf;d iufoykdu vihyh; çkfèkdkjh d :i e lk{; dk iuvfèkeY;u djd x.kkx.k ij U;k; fu.k;.k d leku ugh gA viu U;kf;d iufoykdu e U;k;ky;@vfèkdj.k dk doy ;g fopkj djuk g fd D;k fu"d"k vfHky[k ij ektn lk{; ij vkèkkfjr g vkj fu"d"k dk leFku djrk g vFkok D;k fu"d"k lk{; ij vkèkkfjr ugh gA lk{; dh i;kIrrk vFkok fo'oluh;rk , lk ekeyk ugh g ftl fjV dk;okgh e U;k;ky; d le{k çpkfjr dju dh vuefr nh tk ldrh gA (n[kh rfeyukM jkT; cuke ,l0 lcef.k;e(vkj0 ,l0 luh cuke itkc jkT; ,o vkèk çn'k ljdkj cuke ek0 ul#YYkk [kku)***

14. मामले के उस दृष्टिकोण में, मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, रिट याचिका गुणागुणरहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

राघव प्रसाद शाही

cuke

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

C.W.J.C. No. 5111 of 2000(P). Decided on 12th December, 2014.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन के मामले में।

सेवा विधि–बर्खास्तगी–अभिखंडन–याची, भंडार सहायक, ने कर्तव्य की अवहेलना, बोर्ड की संपत्ति का दुर्विनियोग एवं घोर अवचार किया–याची का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया–विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी–याची के विरुद्ध निगरानी मामले में भी अग्रसर हुआ गया था और बोर्ड ने अभियोजन की मंजूरी दिया–याची को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद जाँच रिपोर्ट में सामग्रियों की कमी का दोषी अभिनिर्धारित–अभिनिर्धारित, बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्य की गलती से पीड़ित नहीं है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में नहीं है–याचिका खारिज। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(2013)3 SCC 73—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. K.K. Singh, For the Petitioner; M/s Manoj Tandon, Kumari Rashmi, For the Resp. (BSEB); Mr. Om Prakash Tiwari, For the Resp. (JSEB).

अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति.–पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी॰ एस॰ ई॰ बी॰) द्वारा पारित और बोर्ड के संयुक्त सचिव द्वारा संसूचित दिनांक 24.8.1999 का सेवा से बर्खास्तगी का आदेश (परिशिष्ट 1) याची जो भंडार सहायक था द्वारा चुनौती के अधीन है। दिनांक 18.3.2000 के मेमो सं॰ 383 में अंतर्विष्ट अध्यक्ष, बी॰ एस॰ ई॰ बी॰ द्वारा पारित दिनांक 7.3.2000 का अपीलाधीन आदेश भी चुनौती के अधीन है क्योंकि इसने दंड का आदेश

मान्य ठहराया है। याची ने दंड का आदेश अपास्त किए जाने पर सेवा में पुनर्बहाली और अपनी पुनर्बहाली पर निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और वेतन बकाया के भुगतान के लिए भी प्रार्थना किया है।

3. आरोप दिनांक 10.11.1994 के परिशिष्ट–14 पर है। यह अभिकथित करता है कि याची के पटना विद्युत आपूर्ति उपक्रम (पेसू), पश्चिम पटना में पदस्थापित रहते हुए उसके विरुद्ध कर्तव्य की अवहेलना, बोर्ड की संपत्ति के दुर्विनियोग और घोर अवचार के लिए कार्यवाही गया था। उसे संगणित परिदान आदेशों के विरुद्ध राजेन्द्र नगर, पटना में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के स्टॉक यार्ड से रेल खंभों का परिदान लेने के लिए और दिनांक 13.1.1990 के आवंटन आदेश सं॰ 5 में विद्युत आपूर्ति अभियन्ता द्वारा किए गए आवंटन के मुताबिक अनेक कार्यस्थलों पर उनको परिवहित करने के लिए तत्कालीन विद्युत आपूर्ति अभियन्ता द्वारा प्राधिकृत किया गया था। सेल के रसीद चालान के अनुसार उसने कुल 141.30 टन रेल प्राप्त किया जिनमें से उसने केवल 128.355 टन रेल को अनेक कार्यस्थलों पर परिवहित किया। इस प्रकार, वह सेल से प्राप्त समस्त रेलों का परिदान नहीं कर सका था और उसने 1,14,498.52/- रुपए मूल्य के 12.945 टन रेलों का दुर्विनियोग किया। साक्ष्य ज्ञापन अनेक दस्तावेजी साक्ष्यों को शामिल करता है जो पत्र, जाँच रिपोर्ट, याची को कारण बताओ आदि हैं और गवाहों श्री एस॰ एस॰ रेखी, तत्कालीन विद्युत आपूर्ति अभियन्ता, पेसू (पश्चिम);, श्री आर॰ पी॰ सिंह, मुख्य अभियन्ता, श्री लाल बच्चा सिंह, तत्कालीन सहायक विद्युत अभियन्ता, भंडार, श्री बी॰ पी॰ सिंह, कार्यपालक विद्युत अभियन्ता, निर्माण खंड, पेसू की सूची अंतर्विष्ट करता है। आरोपों पर याची का उत्तर असंतोषजनक पाया गया था। विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसमें याची ने भाग लिया था और तत्पश्चात याची को दोषी अभिनिर्धारित करते हुए जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जो याची द्वारा दाखिल पूरक शपथपत्र के परिशिष्ट–25 पर है। तत्पश्चात, द्वितीय कारण बताओ जारी करने पर और याची का उत्तर प्रस्तुत किए जाने पर दंड का आदेश पारित किया गया है। अध्यक्ष, बी॰ एस॰ ई॰ बी॰ के समक्ष अपील में दंड के आदेश को चुनौती दी गयी थी। अपील ज्ञापन परिशिष्ट–23 पर है। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 18.3.2000 के परिशिष्ट–2 के मुताबिक सेवा से बर्खास्तगी का दंड का आदेश संपुष्ट किया है।

4. याची की ओर से चुनौती के आधार ये हैं कि सेल के भंडारों से सामग्री सम्यक रूप से संग्रहित की गयी थी और विभिन्न स्थलों पर परिदान की गयी थी। इसके समर्थन में परिशिष्ट–12 पर विश्वास किया गया है जो भंडार रसीद एवं वाउचरों को प्राधिकृत करने वाले भुगतान हैं। परिशिष्ट–12 पर दस्तावेज दर्शाते हैं कि कुल 192 पोल के टुकड़ों के 110.560 मेट्रिक टन और उक्त पोल के 45 टुकड़ों के 30.740 मेट्रिक टन का परिदान किया गया बताया जाता है। उक्त दस्तावेज वर्ष 1991 में विभिन्न तिथियों पर भंडारक, सहायक अभियन्ता एवं कार्यपालक अभियन्ता का हस्ताक्षर शामिल करता है। यह निवेदन किया गया है कि उक्त दस्तावेज का परिशीलन दर्शाएगा कि सेल के भंडारों से परिदान लेने के बाद सामग्रियों का कार्यस्थलों पर प्रत्यक्षत: परिदान किया गया था और याची के विरुद्ध अन्यायोचित रूप से एवं काफी विलंब के बाद अग्रसर हुआ गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि बोर्ड के वित्तीय एवं लेखा संहिता के मुताबिक प्राप्त किया गया भंडार तीन दिनों के भीतर सत्यापित किया जाना चाहिए और भंडार के प्राप्ति पुस्तिका में लिया जाना चाहिए। इस सीमा के परे जाने वाले विलंब को संक्षिप्त रूप से भंडार के प्राप्ति पुस्तक में टिप्पणी कॉलम में स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस मामले में, यह कथन किया गया है कि वर्ष 1994 में याची के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे यद्यपि परिदान स्वयं वर्ष 1990 में किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान प्रस्तुत सामग्री पर विचार नहीं किया है और केवल अपचारी कर्मचारी के लिखित बयान के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि आपूर्त सामग्रियों

की कमी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि स्वयं जाँच अधिकारी ने संप्रेक्षित किया है कि सहायक विद्युत अभियंता, भंडार अंतर्ग्रस्त मामले में जिम्मेदार था और मत दिया था कि प्रबंधन बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के अनुरुप जिम्मेदारी के प्रति पृथक रूप से मूल्यांकन कर सकता है। यह निवेदन किया गया है कि गवाह के रूप में उक्त व्यक्ति का परीक्षण किया गया था और यदि अभिकथन अग्रसर हुए जाने योग्य माने गए हैं, अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा अग्रसर नहीं हुआ गया है। इस आधार पर समस्थित व्यक्तियों के बीच व्यवहार में अंतर है जो **राजेन्द्र यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2013)3 SCC 73,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरोध में है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश को निर्दिष्ट करते हुए यह निवेदन भी किया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने द्वितीय कारण बताओ के प्रति उसके उत्तर में याची द्वारा लिए गए बचाव को विचार में नहीं लिया था। अत: आदेश उस आधार पर विवेक के गैर इस्तेमाल से पीड़ित है। इस संबंध में याची के विद्वान अधिवक्ता ने **डिविजनल अधिकारी, कोठागुदेम एवं अन्य बनाम मधुसूदन राव, (2008)3 SCC 469** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। आगे यह तर्क किया गया है कि केवल याची का दोष विनिश्चित करने के लिए आशयित था और न कि मामले की सच्चाई तक पहुँचने के लिए जो अनुशासनिक जाँच का उद्देश्य है। पूर्वोक्त प्रतिपादना के समर्थन में याची ने **अनन्त आर॰ कुलकर्णी बनाम वाई॰ पी॰ शिक्षा सोसाइटी एवं अन्य, (2013)6 SCC 515,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्य का आरोप के साथ पर्याप्त संबंध होना चाहिए जैसा इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा **राजीव कुमार रंजन बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य,** (2013)3 JLJR 561, मामले में अभिनिर्धारित किया गया है जो मामला यहाँ नहीं है। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण ने स्वयं नियमावली द्वारा विहित समय के भीतर स्थल पर सामग्री सत्यापित नहीं करने का गलती किया है और बाद में स्वयं अपनी गलती का लाभ लेते हुए याची को दंड देने के लिए अग्रसर हुए जो विधि में अननुज्ञेय है जैसा **भारत संघ एवं अन्य बनाम शांति रंजन सरकार, (2009)3 SCC 90,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

5. प्रत्यर्थी बी॰ एस॰ ई॰ बी॰ के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र के विषय वस्तु को निर्दिष्ट किया है और निवेदन किया है। यह निवेदन किया गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा स्थल सत्यापन के क्रम में यह पाया गया था कि सेल के रसीद/चालान के अनुसार याची ने रेल खंभों का कुल 140.30 टन प्राप्त किया जिसमें से उसने अनेक कार्यस्थलों पर रेल खंभों के 128.355 टन परिवहित किया था। संबंधित अधिकारी द्वारा एस॰ आर॰ वी॰ जाँचा और सत्यापित किया गया था और अनुचित पाया गया था। बार-बार मामले का परीक्षण किया गया था और तत्पश्चात आरोप-पत्र जारी करने के बाद याची के विरुद्ध अग्रसर हुआ गया था। केवल उसको सम्यक अवसर देने के बाद याची का दोष स्थापित किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया था कि निगरानी विभाग द्वारा दुर्विनियोग के अभिकथन की जाँच की गयी थी और निगरानी केस सं॰ 14 वर्ष 1993 में याची की अंतर्ग्रस्तता पायी गयी थी। तद्नुसार दिनांक 17.12.1997 के बोर्ड के आदेश सं॰ 542 के तहत याची के अभियोजन की मंजूरी दी गयी थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया दुर्विनियोग का दोषी पाए जाने पर याची को दिनांक 20.10.1994 के कार्यालय आदेश के माध्यम से निलंबन के अधीन किया गया था। भंडार प्रभारी अधिकारी द्वारा पूरा

किए गए स्थल सत्यापन के क्रम में रेल खंभों की कमी का पता लगा था और याची के विरुद्ध आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि निगरानी विभाग द्वारा अन्वेषण के क्रम में याची द्वारा कूटरचना का कृत्य भी स्थापित किया गया है। कार्यस्थलों पर रेल खंभों का परिदान नहीं किया गया था और इसलिए, रेल खंभों का 12.945 टन कम पाया गया था। एस० आर० वी० सं० 19757 दिनांक 28.3.1990 में प्रविष्ट टिप्पणी अर्थात् ''आइटम सं० 2 सत्यापित किया जाए'' याची के विरुद्ध पाए गए घोर अवचार और उक्त दुर्विनियोग का स्पष्ट प्रमाण है। उक्त प्रतिशपथ पत्र के पैरा 36 पर आगे यह कथन किया गया है कि मामले की बार-बार जाँच करने पर उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए थे। अत: नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में, सम्यक अवसर देने के बाद जाँच कार्यवाही की गयी थी जो याची की बर्खास्तगी की ओर ले गयी। अत:, आक्षेपित आदेश किसी गलती से पीड़ित नहीं है और न ही कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण दूषित हो गयी है।

6. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना है और याची द्वारा विश्वास किए गए निर्णय सहित अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों का परिशीलन किया है। अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों और स्वयं रिट याचिका में किए गए प्रकथनों से यह प्रतीत होता है कि याची को दिनांक 13.3.1990 के आदेश के मुताबिक विभिन्न कार्य स्थलों पर परिदान किए जाने के लिए सेल के स्टॉक यार्ड से रेल खंभों को संग्रहित करने का काम दिया गया था। यद्यपि याची द्वारा यह दावा किया गया है कि परिदान किया गया था और दिनांक 20.3.1990 के एस० आर० वी० सं० 19757 के माध्यम से रसीद भी प्रस्तुत किया गया था, किंतु दिनांक 9.5.1990 को ही याची को यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्यों केवल कुल संग्रहित 141.30 टन रेल खंभों के विरुद्ध 127.896 टन रेल खंभे उपलब्ध थे। तत्पश्चात याची ने अपना स्पष्टीकरण दिया और आगे स्पष्टीकरण देने के लिए समय इप्सित किया। उसे दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपि की आपूर्ति भी की गयी थी और दिनांक 11.10.1990 के पत्र के तहत पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जो भंडार रसीदों एवं भुगतान प्राधिकृत करने वाले वाउचरों को सम्मिलित करता है, जिस पर पहले ही याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया है। वस्तुत:, 1,14,498.52/- रुपयों की राशि के 12.945 टन के रेल खंभों की अभिकथित कमी पाते हुए दिनांक 14.2.1991 के आदेश के तहत याची के निजी खाते से इसे वसूल करने का आदेश दिया गया था जो अभिलेख का भाग है और प्रत्यर्थी द्वारा परिशिष्ट-B श्रृंखला के रूप में प्रतिशपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है। किंतु यह जाँच के निष्कर्ष पर बोर्ड के निर्णय के अध्यधीन था। तत्पश्चात, प्रत्यर्थीगण ने याची का स्पष्टीकरण (परिशिष्ट-13) संतोषजनक नहीं पाया था और दिनांक 29.10.1994 को बोर्ड के मुख्य अभियंता, धनबाद क्षेत्र के कार्यालय में उसके मुख्यालय में निलंबन के अधीन किया गया था। तत्पश्चात, पूर्वोक्त आरोपों पर दिनांक 10.11.1994 को विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी। आगे यह प्रतीत होता है कि खंभों की उसी कमी के संबंध में निगरानी मामले में याची के विरुद्ध अग्रसर हुआ गया था और बोर्ड ने दिनांक 17.12.1997 के कार्यालय आदेश के माध्यम से प्रतिशपथ पत्र में दिए गए बयान के मुताबिक याची के विरुद्ध अभियोजन मंजूर किया था। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि दांडिक मामला विचारण के चरण पर है। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी ने जाँच किया और याची को भाग लेने की और अभियोजन गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी गयी थी। अभियोजन द्वारा और अपचारी याची द्वारा भी लिखित बयान प्रस्तुत किए गए थे जिसके बाद जाँच रिपोर्ट ने याची को दोषी अभिनिर्धारित किया। जाँच रिपोर्ट के परिशीलन से भी यह प्रतीत होता है कि याची ने अपने बचाव में केवल यह स्पष्ट करने का प्रयास

किया कि ऐसी कमी क्यों हो सकती थी। याची के दृष्टिकोण के मुताबिक भी कमी का तथ्य विवादित नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियोजन गवाह अपने अभिसाक्ष्य के क्रम में और अपने प्रति परीक्षण के दौरान याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। याची द्वारा अनेक अभिवचन किया जाता प्रतीत होता है कि आपूर्त खंभों की लंबाई ठेकेदार द्वारा कम कर दी गयी हो और शेष खंभों को कार्यस्थलों पर छोड़ दिया गया होगा। वह यह अभिवचन करता भी प्रतीत होता है कि जमीन में गाड़े गए लंबाई को विचार में लेते हुए खड़े किए गए खंभों को समुचित रूप से मापा नहीं गया हो। जाँच अधिकारी ने कार्यवाही के क्रम में दी गयी सामग्रियों एवं अभियोजन गवाहों अर्थात् श्री एस॰ एस॰ रेखी, तत्कालीन विद्युत आपूर्ति अभियन्ता, पेसू (पश्चिम), श्री आर॰ पी॰ सिंह, मुख्य अभियंता, श्री लाल बच्चा सिंह, तत्कालीन सहायक विद्युत अभियन्ता, भंडार, श्री बी॰ पी॰ सिंह, कार्यपालक विद्युत अभियन्ता, निर्माण खंड, पेसू के अभिसाक्ष्य पर विचार करने के बाद सामग्रियों की कमी से संबंधित याची का दोष पाया। किंतु उन्होंने संप्रेक्षण किया कि प्रबंधन को सहायक विद्युत अभियन्ता, भंडार की जिम्मेदारी के प्रति पृथक रूप से मामले का मूल्यांकन करना चाहिए। अत:, ऐसा नहीं है कि सामग्रियों की कमी से संबंधित याची के विरुद्ध आरोप स्थापित नहीं किया गया था। याची के विरुद्ध अभिकथन की परिदान के क्रम के दौरान सेल के स्टॉकयार्ड से जो परिदान किया गया है की तुलना में सामग्रियों की कमी थी, विभागीय जाँच के क्रम में पूर्णत: स्थापित किया गया प्रतीत होता है जिसमें याची ने पूर्णत: भाग लिया था। यद्यपि याची के विद्वान अधिवक्ता ने परिशिष्ट–12 दस्तावेज जो भंडार रसीद एवं भुगतान वाउचर हैं पर विश्वास किया किंतु याची के विद्वान अधिवक्ता यह दर्शाने में सक्षम नहीं हुए थे कि जाँच अधिकारी जाँच के क्रम में इन्हें प्रस्तुत किए जाने के बावजूद ऐसी सामग्री को विचार में लेने में विफल रहा था।

7. यह सुनिश्चित है कि घरेलू जाँच में इस न्यायालय से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के प्रयोग में साक्ष्य का मूल्यांकन करने और उसमें प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं की जाती है जबतक निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है अथवा अनुचित अभिनिर्धारित नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में, जाँच याची को सम्यक अवसर देने के बाद की गयी प्रतीत होती है और उसके विरुद्ध आरोप स्थापित किए गए थे। याची पर द्वितीय कारण बताओ नोटिस भी तामील किया गया था और उसके उत्तर पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात् बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है। अत: यह प्रतीत होता है कि बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश विधि और तथ्यों के निष्कर्षों पर गलती से पीड़ित नहीं है तथा यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में भी नहीं है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णय भी उसका समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि सामग्री, जिन्हें जाँच के क्रम में प्रस्तुत किया गया बताया जाता है, का आरोप के साथ निश्चित संबंध है जिन्हें उसके विरुद्ध अभिकथित एवं स्थापित किया गया है। आरोप स्थापित किए जाने पर अपचारी कर्मचारी दंड का सामना करने के लिए बाध्य है जो इस प्रकार स्थापित किए गए अवचार के अनुपातिक है। अत: आक्षेपित आदेश विवेक के गैर इस्तेमाल से पीड़ित प्रतीत नहीं होता है।

8. ऐसी परिस्थितियों में, संपूर्ण तथ्यों, कारणों एवं विधि के सिद्धांत के दिग्दर्शन पर यह नहीं कहा जा सकता है कि दंड का आक्षेपित आदेश विधि अथवा तथ्य में दूषित है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति के प्रयोग में इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है। किंतु, अंत में यह भी संप्रेक्षित किया गया है कि यदि प्रत्यर्थी बोर्ड किसी अन्य व्यक्ति की अंतर्ग्रस्तता के बारे में संतुष्ट है,

यह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध मामले में समुचित कार्रवाई करने का मत निर्मित कर सकता है। किंतु, जहाँ तक दंड के आदेश का संबंध है, वर्तमान रिट याचिका में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया गया है।

9. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

बीरेन्द्र कुमार एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 300 of 2005. Decided on 18th November, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 227–निर्मुक्ति के आवेदन का अस्वीकरण–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323, 341, 511 एवं 364 के अधीन अभियोजन–विचारण न्यायालय ने उपधारित किया था कि अगर गवाहों ने अभियुक्त का पीछा नहीं किया, तब परिवादी की हत्या कर दिये जाने की संभावना थी–परिवादी का मामला यह है कि उसे पुलिस गश्ती दल द्वारा बचाया गया था परन्तु उसने किसी पुलिस कर्मी को परीक्षित नहीं किया है–मामला दाखिल करने में हुए विलम्ब का कोई तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है–उद्भूत तथ्य तथा अभिलेख पर मौजूद सामग्रियां अभिकथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया एक मामला बनाने हेतु गंभीर संदेह उत्पन्न नहीं करती हैं–आक्षेपित आदेश अपास्त तथा अभियुक्त को रिहा किया गया। (पैराएँ 4 एवं 5)

निर्णयज विधि.–(2012)9 SCC 460; (2011) 4 Supreme Today 611; (2000) 5 Supreme Today 139—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. P.P.N. Roy, For the Petitioners; A.P.P., For the State.

आदेश

परिवाद केस सं॰ 162 वर्ष 1999 से उद्भूत एस॰ टी॰ केस सं॰ 407 वर्ष 2000 में विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त पंचम, रांची द्वारा पारित दिनांक 3.1.2005 के आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 227 के अधीन आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था।

2. याचीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री पी॰ पी॰ एन॰ राय ने आक्षेपित आदेश की आलोचना करते हुए निवेदन किया है कि याची सं॰ 1 के पिता की हत्या कारित करने के लिए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, जमशेदपुर के न्यायालय में लंबित भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 120B के अधीन साक्ची पुलिस थाना केस संख्या 62 वर्ष 1994 से उद्भूत एस॰ टी॰ संख्या 578 वर्ष 1995 में पूर्वोक्त मामले का परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 नामजद अभियुक्त था तथा परिवादी अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था जिसके उपरान्त न्यायालय ने दिनांक 4.5.1994 के आदेश द्वारा उसे एक फरार घोषित कर दिया था तथा उक्त मामले के अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा निष्पादित शपथ पत्र के आधार पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 82 एवं 83 के अधीन आदेशिकाएं निर्गत की थीं; कि वस्तुत: परिवादी को एक उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था तथा याची सं॰ 1 ने परिवादी के पता ठिकाना की जानकारी होने पर याची सं॰ 2 के साथ परिवादी को 16.5.1994 को महाराजा होटल के कमरा सं॰ 2 से गिरफ्तार किया था एवं उसे पुलिस के हवाले कर दिया था जिसके उपरान्त याची को सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जो दिनांक 24.5.1994 के आदेश पत्रक से स्पष्ट है। यह भी निवेदन किया गया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 43 विहित करती है कि कोई निजी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसने संज्ञेय अपराध कारित

किया है या एक उद्घोषित अपराधी है; कि परिवादी ने जमानत पर रिहा होने के उपरान्त 14.2.1996 को, अर्थात्, घटना के लगभग दो वर्ष के उपरान्त वर्तमान परिवाद दाखिल किया था ऐसा अभिकथित करते हुए कि याची ने उसे मार डालने के इरादे के साथ एक वाहन में पकड़ कर रखा हुआ था परन्तु गश्ती पुलिस द्वारा उसे बचा लिया गया था; कि उक्त परिवाद दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 156(3) के अधीन पुलिस के पास भेजा गया था जिसपर कोतवाली पुलिस थाना केस सं॰ 66 वर्ष 1996 (जी॰ आर॰ संख्या 426 वर्ष 1996 के तत्सम्) संस्थित किया गया था एवं अन्वेषण के उपरान्त पुलिस ने इन दोनों याचियों के विरूद्ध मामला झूठा पाते हुए अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया था तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 182 एवं 211 के अधीन परिवादी के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आग्रह किया था जिसके द्वारा न्यायालय ने दिनांक 7.8.1997 के आदेश द्वारा परिवादी के विरूद्ध धाराओं 182 तथा 211 के अधीन संज्ञान लिया था; कि परिवादी ने एक अभ्यापत्ति याचिका दाखिल की थी तथा न्यायालय ने उक्त मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 341, 511 एवं 364 के अधीन संज्ञान लिया था एवं मामला सत्र न्यायालय भेज दिया था। यह जिरह की गयी है कि विचारण न्यायालय ने तथ्यों का मूल्यांकन किये बिना केवल जांच के दौरान अभिलिखित ई॰ डब्ल्यू॰ संख्याओं 1, 2 एवं 3 के बयान के आधार पर निर्मुक्ति का आवेदन इस उपधारणा पर अस्वीकार कर दिया है कि अगर गवाहों ने अभियुक्त/याची का पीछा नहीं किया होता, ऐसी आशंका थी कि परिवादी की हत्या कर दी गयी होती। यह आग्रह किया गया है कि ऐसी उपधाणा अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक तथ्यों के तत्प्रतिकूल है तथा इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **(2012) 9 SCC 460** में रिपोर्ट किये गये **अमीत कपूर बनाम रमेश चन्द्र एवं एक अन्य, (2011) 4 सुप्रीम टूडे 611** में रिपोर्ट किये गये **नुरूल होदा मौबुल अहमद बनाम राम देव त्यागी एवं अन्य** तथा **(2000) 5 सुप्रीम टूडे 139** में रिपोर्ट किये गये **मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहन लाल सोनी** के मामले में निर्णयों पर भरोसा किया है एवं निवेदन किया है कि उक्त मामलों में अधिकथित निर्णयाधार की दृष्टि में तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करके आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

3. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने जांच गवाहों, अर्थात, अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 के साक्ष्य पर चर्चा किया है तथा अपना समाधान अभिलिखित किया है कि मामले में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री है तथा याचीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया एक मामला बनता है।

4. सुना। आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त व्यक्ति दिलीप कुमार को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत नहीं थे तथा उपधारित किया था कि उन्होंने परिवादी का अपहरण किया था तथा यह भी उपधारित किया था कि अगर गवाहों ने अभियुक्त का पीछा नहीं किया होता, तब परिवादी की हत्या की संभावना नकारी नहीं जा सकती थी। नि:संदेह, आरोप विरचित करने के समय, विचारण न्यायालय के लिए एक गहन जांच करना या साक्ष्य को छंटनी करना या उसका मूल्यांकन करना अपेक्षित नहीं होता है इन उद्देश्यों के लिए कि जैसे विचारण का एक पूर्वाभ्यास किया जाना हो, बल्कि न्यायालय के लिए इस संबंध में देखना अपेक्षित होता है कि प्रथम दृष्टया एक मामला बनता है या नहीं तथा यह स्थापित सिद्धांत है कि एक ऐसे मामले में जहां प्रबल संदेह है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, आरोप विरचित किया जा सकता है। **2002 (1) JCR 490 (SC)** में रिपोर्ट किये गये **दिलावर बालु कुराने बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 227 के अधीन आरोप के बिन्दु पर सुनवाई के समय, यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए न्यायालय को साक्ष्य की छंटनी करने या उसका मूल्यांकन करने की अंतर्निहित शक्ति होती है कि यह प्रथम दृष्टया एक मामला बनता है या नहीं। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अगर सामग्री अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर संदेह प्रकट करती है तथा यह अस्पष्टीकृत रह जाता है, न्यायालय आरोप विरचित करने में तथा विचारण की कार्यवाही करने में पूर्णत:

औचित्य पर होगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अगर दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं तथा न्यायाधीश को समाधान है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध कुछ संदेह उद्भूत करते हैं परन्तु गंभीर संदेह नहीं, वह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 227 के अधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अभियुक्त को निर्मुक्त कर सकते हैं। यह स्थापित विधि है कि न्यायाधीश के लिए केवल एक डाकघर के तौर पर कार्य करना अपेक्षित नहीं होता है, बल्कि उसे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा सामग्रियों का मूल्यांकन करके मामले की व्यापक संभावना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा दस्तावेजों के पूर्ण प्रभाव एवं सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलूओं पर विचार करना होता है। वर्तमान मामले में अभिकथित घटना 16.5.1994 को घटित हुई थी जबकि परिवाद 14.2.1996 को दाखिल किया गया था तथा इस संबंध में कोई तर्कपूर्ण कारण नहीं है कि परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 ने घटना के अगले दिन परिवाद दाखिल क्यों नहीं किया था क्योंकि यह स्पष्ट है कि उसे जी॰ आर॰ संख्या 657 वर्ष 1997 के तत्सम् एस॰ टी॰ केस संख्या 578 वर्ष 1994 के संबंध में 17.5.1994 को कारागार अस्पताल में भर्त्ती कराया गया था, इसके बजाय उसने परिवाद दाखिल करने के लिए लगभग 2 वर्ष की प्रतीक्षा की थी। स्वीकार्यत: अन्वेषण के लिए यह परिवाद पुलिस के पास भेजा गया था एवं पुलिस ने अंतिम प्रपत्र दाखिल किया था तथा परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 182 तथा 211 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए एक याचिका दाखिल की थी जिसपर न्यायालय ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 182 तथा 211 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया था। स्वीकार्यत: परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 को याची सं॰ 1 के पिता की हत्या कारित करने के लिए साक्ची पुलिस थाना केस सं॰ 62 वर्ष 1994 से उद्भूत सत्र विचारण सं॰ 62 वर्ष 1994 में 4.5.1994 को एक उद्घोषित फरार घोषित कर दिया गया था।

दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 43 निजी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार करने में सशक्त बनाती है। परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 ने परिवाद मामले में कथित किया है कि याचीगण पुलिस के तौर पर प्रस्तुत हुए थे तथा उसे बताया था कि उनके पास गिरफ्तारी वारंट है तथा उसे टाटा सुमो में ले गये थे। परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 का मामला है कि उसे पुलिस गश्ती दल द्वारा बचा लिया गया था परन्तु उसने किसी पुलिस कर्मी की परीक्षा नहीं की है। प्रकटत: परिवाद लगभग दो वर्ष के उपरान्त दाखिल किया गया था। यह संभावना है कि उक्त मामला परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 द्वारा एक बचाव तैयार करने के इरादे के साथ संस्थित किया गया है क्योंकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धाराओं 182 तथा 211 के अधीन उसके विरूद्ध संज्ञान लिया गया है तथा मामला दाखिल करने में हुए विलम्ब का कोई तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। विचारण न्यायालय ने उपधारित किया है कि अगर गवाहों ने अभियुक्त का पीछा नहीं किया होता, परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 की हत्या कारित किये जाने की संभावना थी, इस तथ्य का मूल्यांकन किये बिना कि परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 का मामला है कि उसे पुलिस गश्ती दल द्वारा बचाया गया था। अभिकथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया एक मामला बनाने हेतु अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियां तथा उद्भूत तथ्य गंभीर संदेह उत्पन्न नहीं करते हैं।

5. तद्नुसार, एस॰ टी॰ केस संख्या 407 वर्ष 2000 में अपर न्यायिक आयुक्त पंचम, रांची द्वारा पारित दिनांक 3.1.2005 का आक्षेपित आदेश समर्थनीय नहीं है तथा एतद्द्वारा, अपास्त किया जाता है। अभियुक्तों को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323, 341, 511 एवं 364 के अधीन अपराधों से निर्मुक्त किया जाता है।

परिणामत:, पुनरीक्षण एतद्द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

माना बिरुआ

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P.(L) No. 4347 of 2013. Decided on 12th December, 2014.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 33-2 (b)—अभिखंडन–इस आरोप पर याची के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की गयी कि उसने सेवा पुस्तिका में अपनी जन्मतिथि गलत रूप से दर्ज करवाया था और सेवा से उसका उन्मोचन औद्योगिक अधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था–याची का प्रतिवाद कि सेना में उसकी नियुक्ति के समय पर उसकी जन्म तिथि केवल निर्धारण पर दर्ज की गयी थी जबकि उसने दिनांक 1.7.1942 के रूप में अपनी जन्म तिथि प्रकट करते हुए प्रबंधन को दस्तावेज प्रस्तुत किया है–याची को स्वयं प्रबंधन द्वारा कम से कम तीन प्रोन्नति प्रदान की गयी थी–प्रबंधन को भिन्न दृष्टिकोण अपनाने एवं सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि अनदेखा करने की छूट नहीं थी–दिनांक 28.7.2006 के आदेश में किए गए संप्रेक्षण जिसके द्वारा औद्योगिक अधिकरण ने प्रबंधन को याची की जन्मतिथि दिनांक 1.7.1938 के रूप में मानने की अनुमति दी, पर प्रबंधन का विश्वास अनुमोदित नहीं किया जा सकता है–दिनांक 25.4.1998 (एम॰ 7) के पत्र की सत्यता की परीक्षा औद्योगिक अधिकरण द्वारा कार्यवाही में नहीं की गयी थी–सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि के बजाए कर्मचारी की जन्मतिथि को दिनांक 1.7.1938 के रूप में मानने के अपने आशय को प्रकट करते हुए याची को प्रबंधन द्वारा कारण बताओ जारी नहीं किया गया था–अभिनिर्धारित, आक्षेपित आदेश में गंभीर दुर्बलता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैरा 8)

अधिवक्तागण.–M/s Suman Kr. Ghosh, Manoj Kumar Choubey, For the Petitioners; Mr. G.M. Mishra, T. Kabiraj, For the Resp. No. 2.

आदेश

एम॰ जे॰ केस सं॰ 32 वर्ष 2007 में दिनांक 30.10.2012 के आदेश से व्यथित होकर याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. संक्षिप्त रूप से कथित इस मामले के तथ्य ये हैं कि याची को दिनांक 15.5.1969 को सुरक्षा प्रहरी के पद पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 24.7.1997 को याची को आरोप ज्ञापन जारी किया गया था और सुरक्षा प्रमुख द्वारा जाँच की गयी थी जो सक्षम प्राधिकारी था। दिनांक 20.8.1997 के कार्यालय आदेश के तहत किसी श्री ए॰ के॰ शर्मा, उप-प्रबंधक (पी॰) को जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 28.1.1998 को जाँच समाप्त की गयी थी और सुरक्षा प्रमुख जाँच रिपोर्ट में निष्कर्ष के साथ सहमत हुआ कि याची के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध पाया गया था। याची को जाँच रिपोर्ट में निष्कर्ष के विरुद्ध अभ्यावेदन दाखिल करने का अवसर दिया गया था और तत्पश्चात कंपनी के प्रमाणपत्रित स्थायी आदेश के निबंधनानुसार सक्षम प्राधिकारी ने याची को सेवा से उन्मोचित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, याची को दिनांक 15.5.1998 के प्रभाव से सेवा से उन्मोचित किया गया था और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (2) (b) के अनुपालन में याची के स्थानीय पता पर एक माह की मजदूरी भेजी गयी थी। प्रबंधन ने उन्मोचन आदेश का अनुमोदन इप्सित करते हुए विविध केस सं॰ 5 वर्ष 1998 में औद्योगिक अधिकरण के पास गया जिसे दिनांक 22.1.2005 के आदेश के तहत यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया था कि घरेलू जाँच निष्पक्ष एवं समुचित नहीं थी। साक्ष्य देने के लिए प्रबंधन को स्वतंत्रता दी गयी थी और तत्पश्चात दिनांक 28.7.2006 के आदेश के तहत विविध केस सं॰ 5 वर्ष 1998 खारिज कर दिया गया था जिसके द्वारा याची के उन्मोचन का आदेश अनुमोदित नहीं किया गया था। तत्पश्चात, याची ने उसको देय राशि की उस पर 12% की दर पर ब्याज के साथ संगणना के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-C(2) के अधीन आवेदन दिया। धारा 33-C(2) के अधीन आवेदन में याची ने प्रकथन किया कि चूँकि औद्योगिक अधिकरण द्वारा सेवा से उन्मोचन का आदेश

अननुमोदित किया गया था, याची को सेवा से अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने तक सेवा में बना हुआ समझा जाएगा और इसलिए वह दिनांक 17.12.2001 के त्रिपक्षीय समझौता के निबंधनानुसार मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता के कारण देयों के भुगतान का और दिनांक 17.12.2001 के समझौता ज्ञापन के निबंधनानुसार वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभों के कारण उद्भूत होने वाले लाभों का भी हकदार था। दिनांक 17.12.2007 के आवेदन के पैराग्राफ सं॰ 12 में आवेदक/याची ने देय राशि का विवरण दिया है।

3. प्रबंधन ने यह अभिवचन करते हुए अपना कारण बताओ दाखिल किया कि चूँकि कर्मकार सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, वह अधिनियम की धारा 33-C (2) के अधीन लाभ का हकदार नहीं था। याची को दिनांक 15.5.1998 के प्रभाव से उन्मोचित किया गया था क्योंकि उसने स्वयं यह कहते हुए दिनांक 25.4.1998 का आवेदन दाखिल किया था कि उसकी जन्मतिथि दिनांक 1.7.1938 के रूप में मानी जा सकती है जैसा भूतपूर्व सेवा प्रमाण पत्र में दर्ज किया गया है। तद्नुसार, प्रबंधन ने उसको देय राशि का संगणना किया और दिनांक 15.5.1998 से दिनांक 1.7.1998 के बीच 47 दिन के लिए पिछली मजदूरी के रूप में राशि की संगणना की गयी है। विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जमशेदपुर ने एम॰ जे॰ केस सं॰ 32 वर्ष 2007 में दिनांक 30.10.2012 के आदेश के तहत अभिनिर्धारित किया कि याची विरोधी पक्षकार टिस्को द्वारा किए सेटलमेंट देयों में कोई अपगणना इंगित करने में विफल रहा है और इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आवेदक सेटलमेंट राशि पाने का हकदार था जिसकी संगणना प्रबंधन द्वारा की गयी थी।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुमन कुमार घोष निवेदन करते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (2) (b) के अधीन कार्यवाही में औद्योगिक अधिकरण के समक्ष एकमात्र विवाद्यक यह था कि याची के उन्मोचन के आदेश को अनुमोदित किया जाए या नहीं और औद्योगिक अधिकरण के पास, प्रबंधन को याची की जन्मतिथि दिनांक 1.7.1938 के रूप में मानने की स्वतंत्रता देने का प्राधिकार नहीं है। प्रदर्श (एम॰ 7) अर्थात् दिनांक 25.4.1998 के आवेदन पर याची द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया था और याची द्वारा इसे विवादित किया गया था और इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के अनुसार उक्त दस्तावेज केवल घरेलू जाँच के समापन के बाद याची द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

6. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि भूतपूर्व सैन्य सेवा प्रमाणपत्र जिसमें याची की जन्मतिथि दिनांक 1.7.1938 के रूप में दर्ज की गयी है का अस्तित्व याची द्वारा विवादित नहीं किया गया है। याची ने अपने पुनर्नियोजन के समय पर अपनी जन्म तिथि दिनांक 1.7.1942 के रूप में घोषित किया जो स्वीकृत दस्तावेज अर्थात् भूतपूर्व सैन्य सेवा प्रमाण पत्र के विरोध में है। प्रबंधन स्वीकृत दस्तावेज की दृष्टि में और दिनांक 25.4.1998 के आवेदन की दृष्टि में याची की जन्मतिथि जैसा भूतपूर्व सैन्य सेवा प्रमाण पत्र में दर्ज किया गया है के आधार पर याची के सेवानिवृत्ति लाभों एवं पिछली मजदूरी की संगणना करने के लिए अग्रसर हुआ और इसलिए दिनांक 30.10.2012 के आक्षेपित आदेश में कोई गलती नहीं पाया जा सकता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि स्वयं याची द्वारा दाखिल दस्तावेज से प्रकट दो विरोधाभासी जन्मतिथि की दृष्टि में प्रबंधन ने याची की जन्मतिथि दिनांक 1.7.1938 के रूप में मानने का सचेत निर्णय किया जो उचित निर्णय है और मामले के उस दृष्टिकोण में, प्रबंधन द्वारा देयों का सेटलमेंट श्रम न्यायालय द्वारा सही प्रकार से स्वीकार किया गया है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से यह स्पष्ट है कि इस आरोप पर कि उसने सेवा पुस्तिका में अपनी जन्मतिथि गलत रूप से दर्ज करवाया था, याची के विरुद्ध आरंभ की गयी कार्यवाही और सेवा से उसका पारिणामिक उन्मोचन न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट नहीं किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (2)(b) के अधीन आवेदन औद्योगिक अधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस तथ्य की दृष्टि में कि सेवा पुस्तिका में गलत जन्मतिथि दर्ज करने के लिए याची के विरुद्ध आरोप वस्तुतः विफल रहा है, प्रबंधन को यह प्रतिवाद करने की छूट नहीं थी कि जन्मतिथि जैसा भूतपूर्व सैन्य सेवा प्रमाण पत्र में दर्ज किया गया है, याची की निर्विवादित जन्म तिथि है। याची ने प्रतिवाद किया है कि सेना में उसकी नियुक्ति के समय पर उसकी जन्मतिथि केवल निर्धारण पर दर्ज की गयी थी जबकि उसने अपनी जन्मतिथि दिनांक 1.7.1942 के रूप में प्रकट करते हुए प्रबंधन को दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, याची को स्वयं प्रबंधन द्वारा कम से कम तीन प्रोन्नति दी गयी थी और इस प्रकार प्रबंधन को भिन्न दृष्टिकोण अपनाने और सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि अनदेखा करने की छूट नहीं थी। दिनांक 28.7.2006 के आदेश में संप्रेक्षण पर प्रबंधन का विश्वास जिसके द्वारा औद्योगिक अधिकरण ने प्रबंधन को याची की जन्मतिथि दिनांक 1.7.1938 के रूप में मानने की अनुमति दी, अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। जैसा याची के अधिवक्ता द्वारा सही प्रकार से प्रतिवाद किया गया है, विविध केस सं॰ 5 वर्ष 1998 में उन्मोचन आदेश की संपोषणीयता का न्याय निर्णयण करते हुए औद्योगिक अधिकरण के पास ऐसा संप्रेक्षण करने का अवसर नहीं था। दिनांक 25.4.1998 के पत्र (एम॰ 7) की सत्यता की परीक्षा धारा 33 (2) (b) के अधीन आवेदन की कार्यवाही में औद्योगिक अधिकरण द्वारा नहीं की गयी थी। अधिकरण का संप्रेक्षण केवल यह उपदर्शित करता है कि प्रबंधन ''दिनांक 1.7.1938 के रूप में आवेदक की सेवानिवृत्ति तिथि पर विचार कर सकता है।'' मामले के उस दृष्टिकोण में भी, प्रबंधन के लिए सेवा अभिलेख में दर्ज जन्मतिथि के बजाए दिनांक 1.7.1938 के रूप में कर्मचारी की जन्मतिथि मानने के अपने आशय को प्रकट करते हुए कम से कम कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक था जिसे स्वीकृत रूप से वर्तमान मामले में नहीं किया गया है। अधिकार जो पहले ही याची को प्रोद्भूत हुआ है, प्रबंधन द्वारा दिनांक 28.7.2006 के आदेश में औद्योगिक अधिकरण द्वारा किए गए संप्रेक्षण की ओर से वापस नहीं लिया जा सकता था। मैं पाता हूँ कि श्रम न्यायालय द्वारा एम॰ जे॰ केस सं॰ 32 वर्ष 2007 में दिनांक 30.10.2012 के अपने आदेश में श्रम न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है और इसलिए, वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित आदेश गंभीर दुर्बलता से पीड़ित है और तद्नुसार, अभिखंडित किए जाने का दायी है।

9. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, दिनांक 30.10.2012 का आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है और रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है। मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला श्रम न्यायालय के पास वापस भेजा जाता है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

ए॰ गंगाधरण

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (S) No. 5371 of 2011. Decided on 27th November, 2014.

सेवा विधि–सेवा समाप्ति–अभिखंडन–नैतिक अधमता–याची ने उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपना दोष संस्वीकार किया–आरोप जो नैतिक अधमता से संबंधित है में अंतर्ग्रस्त व्यक्ति

को सरकारी सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है–याची द्वारा दी गयी 23 वर्ष की लंबी सेवा को विभागीय प्राधिकारी द्वारा विचार में लिया गया है और यही कारण है कि बर्खास्तगी का आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि सेवा से हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–न्यायालय अपने शक्ति/न्यायिक पुनर्विलोकन में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कृत्य नहीं करता है और साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं करता है और साक्ष्य पर स्वयं अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है–भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यरत न्यायालय साक्ष्य का अधिमूल्यन नहीं कर सकता है और अपीलीय न्यायालय की तरह काम नहीं कर सकता है–याचिका खारिज। (पैराएँ 9 से 15)

निर्णयज विधि.–(1995) 6 SCC 749; (1997) 3 SCC 72; (2006) 5 SCC 673—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Nilendu Kumar, A.K. Srivastava, For the Petitioner; Mr. Ashok Singh, For the Resp.-State.

आदेश

याची क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 9.5.2011 और दिनांक 1.8.2011 के आदेश, जिसके द्वारा सेवा से हटाए जाने के दंड का आदेश पारित किया गया है से व्यथित होकर इस न्यायालय के पास आया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है, ये हैं कि याची को अवैध परितोषण के अभिकथन के लिए झूठा आलिप्त किया गया है जब वह सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, धनबाद में कॉंस्टेबल के रूप में कार्यरत था। अवैध परितोषण संग्रहित करने के लिए उसके विरुद्ध आरोप ज्ञापन जारी किया गया था जब उसे बी॰ सी॰ डब्ल्यू॰, भोजुडीह में अपराध कर्तव्य पर लगाया गया था और उसमें अभिकथन किया गया था कि उसने भारतीय स्टेट बैंक, अलाकोद शाखा, कुन्नुर के खाता सं॰ 31465980273 में अननुपातिक राशि जमा किया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि किसी निश्चित निष्कर्ष के बिना केवल अनुमानों एवं उपधारणा के आधार पर जाँच अधिकारी ने उसके विरुद्ध आरोप को सिद्ध किया गया पाया है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि याची ने 1,50,000/- रुपयों का उक्त धन अपनी माता से पाया है जिसने स्वयं अपनी निजी आय से उक्त धन दिया जिसे उसने अपने पैतृक स्थान के वृक्षों को बेचने से पाया था। याची ने जाँच अधिकारी के समक्ष इस संबंध में विनिर्दिष्ट अभिवचन किया है किंतु इस संबंध में कोई निष्कर्ष दिए बिना इस पर अविश्वास किया है।

4. आगे यह निवेदन किया गया है कि याची ने 23 वर्ष की सेवा दिया है और इस दशा में उस पर सेवा से हटाए जाने का मुख्य दंड अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए था।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची ने स्वयं स्थानीय अपराधियों से अवैध पारितोषण संग्रहित करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपना दोष स्वीकार किया था और इस दशा में जाँच अधिकारी ने उसकी संस्वीकृति को विचार में लेने के बाद और इस तथ्य के आधार पर भी भारतीय स्टेट बैंक, अलाकोद शाखा, कुन्नुर, जो मूल शाखा नहीं है, के खाता में 1,50,000/- जैसी विपुल राशि जमा की गयी है, याची के विरूद्ध सिद्ध पाया है। याची ने समुचित रूप से स्पष्ट नहीं किया है कि उसने कहाँ से उक्त राशि पाया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता

द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि जाँच अधिकारी स्वीकरण जिसे याची द्वारा उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष दिया गया है पर विचार करते हुए निश्चित निष्कर्ष पर आया है। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष तत्पश्चात अवैध परितोषण लेने के अभिकथन की गंभीरता को विचार में लेते हुए विनिर्दिष्ट निष्कर्ष निकाला गया है जो नैतिक अधमता का है। अत: प्राधिकारी ने सेवा से याची को हटाने का समुचित निर्णय लिया है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में साक्ष्य का पुनर्आकलन नहीं कर सकता है और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए तथ्य एवं निष्कर्ष को अस्त-व्यस्त नहीं कर सकता है।

पक्षगण सुने गए।

6. याची को कॉंस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰, बी॰ सी॰ सी॰ एल॰, धनबाद में कर्त्तव्य पर रखा गया था।

7. विभागीय प्राधिकारियों द्वारा पता लगाया गया था कि याची ने स्थानीय अपराधियों से परितोषण के रूप में अवैध धन संग्रहित किया है जब उसे अपराध कर्तव्य पर लगाया गया था। जब यह संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में आया, याची के बैंक खाता का संवीक्षण किया गया था और यह पाया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक, अलकोद शाखा, कुन्नुर के खाता सं॰ 31465980273 मे 1,50,000/- रुपयों की राशि जमा की गयी है। जब याची से इसे स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि कहाँ से उसने उक्त धन पाया, उसने आय का स्रोत प्रकट करने के प्रयोजन से कथन किया कि उसकी माता द्वारा उक्त धन दिया गया था। इस प्रकार, याची इस संबंध में अपनी माता से कोई पत्र/स्पष्टीकरण के रूप में अपना दृष्टिकोण सिद्ध करने में विफल रहा। जाँच अधिकारी ने याची के बैंक खाता का परिशीलन करने के बाद पाया कि जब याची को अपराध कर्तव्य पर लगाया गया था, 1,50,000/- रुपयों की राशि शाखा में जमा की गयी थी जो मूल शाखा नहीं थी और अवैध परितोषण लेने से संबंधित अनियमितता की कारिता के संबंध में उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष याची द्वारा किए गए स्वीकरण का परिशीलन करते हुए निश्चित निष्कर्ष पर आया कि याची ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए घोर अनियमितता किया था जो नैतिक अधमता की ओर ले जाता है।

8. तथ्य जो जाँच अधिकारी की जानकारी में आए हैं के आधार पर, जाँच रिपोर्ट के आधार पर और इस संबंध में याची द्वारा किए गए स्वीकरण के आधार पर भी जाँच अधिकारी ने आरोप सिद्ध पाया है।

9. तत्पश्चात्, अनुशासनिक प्राधिकारी ने जाँच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष स्वीकार किया और सेवा से हटाए जाने का दंड अधिरोपित किया। अपीलीय प्राधिकारी ने भी मामले के संपूर्ण पहलू पर विचार किया और आचरण की प्रकृति पर विचार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश मान्य ठहराया था।

10. अभिकथन नैतिक अधमता से संबंधित है और याची ने उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपना दोष संस्वीकृत किया है। अत: लोक सेवक, जो आरोप में अंतर्ग्रस्त है जो नैतिक अधमता से संबंधित है, को सरकारी सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है।

11. जहाँ तक याची की ओर से दिए गए तर्क का संबंध है कि चूँकि याची 23 वर्षों की लंबी अवधि से सेवा का निर्वहन कर रहा था, इसे विभागीय प्राधिकारी द्वारा विचार में लिया गया है और यही कारण

है कि बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया है बल्कि सेवा से हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. चूँकि दो प्राधिकारियों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और स्वयं अपना स्वतंत्र निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। **बीः सीः चतुर्वेदी बनाम भारत संघ, (1995)6 SCC 749,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय अपने शक्ति/न्यायिक पुनर्विलोकन में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कृत्य नहीं करता है और साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं करता है और साक्ष्य पर स्वयं अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है। इस मामले के प्रासंगिक अंश अर्थात् पैराग्राफों 12 एवं 13 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता हैः–

> *"12. tc ykd lod }kjk vopkj d vkjki ij tkp fd;k tkrk g] U;k;ky;@vfèkdj.k ;g fofuf'pr dju l ljkdkj j[krk g fd D;k l{ke vfèkdkjh }kjk tkp fd;k x;k Fkk vFkok D;k ulfxd U;k; d fl)krk dk vuikyu fd;k x;k gA D;k fu"d"k fdlh lk{; ij vkèkkfjr g] D;k tkp dju dh 'kfDr l U;Lr çkfèkdkjh dk rF; d fu"d"k ij igpu dh vfèkdkfjrk] 'kfDr vFkok çkfèkdkj FkkA fdr ml fu"d"k dk dN lk{; ij vkèkkfjr gkuk gkxkA u rk lk{; vfèkfu;e d VfDudy fu;e vkj u gh rF; vFkok lk{; dk çek.k t lk mle ifjHkkf"kr fd;k x;k g] vu'kklfud dk;okgh ij ykx gkr gA tc çkfèkdkjh ml lk{; dk Lohdkj djrk g vkj fu"d"k ml l leFku ikrk g] vu'kklfud çkfèkdkjh ;g vfHkfuèkkfjr dju dk gdnkj g fd vipkjh vfèkdkjh vkjki dk nk"kh gA U;k;ky;@vfèkdj.k U;kf;d iufoykdu dh viuh 'kfDr e lk{; dk iuvfèkeY;u dju d fy, vkj lk{; ij Lo; viu Lor= fu"d"k ij vku d fy, vihyh; çkfèkdkjh d :i e NR; ugh djrk gA*

> *13. vu'kklfud çkfèkdkjh rF;k dk ,dek= U;k;kèkh'k gA tgk vihy çLrr dh tkrh g] vihyh; çkfèkdkjh dk lk{; vFkok nM dh çNfr dk iuvfèkeY;u dju dh lg foLrh.k 'kfDr gA vu'kklfud tkp e fofèkd lk{; dk dBkj çek.k vkj ml lk{; ij fu"d"k çklfxd ugh gA***

13. भारतीय तेल निगम लिः एवं एक अन्य बनाम अशोक कुमार अरोड़ा, (1997)3 SCC 72, में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की इसी सुनिश्चित प्रतिपादना को दोहराया है जिसमें पैरा 120 पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

> *^^20. vkjHk e gh] ;g mYy[k dju dh vko';drk g fd mPp U;k;ky; foHkkxh; tkpk d ,l ekeyk e vkj mle nt fd, x, fu"d"kk ij vihyh; U;k;ky;@çkfèkdkjh dh 'kfDr dk ç;kx ugh djrk gA***

14. आगे, **उः प्रः राज्य एवं अन्य बनाम राज किशोर यादव एवं एक अन्य, (2006)5 SCC 673,** के मामले में पैरा 4 निम्नलिखित हैः–

> *^^-----;g lfuf'pr fofèk g fd mPp U;k;ky; d ikl Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vlkèkkj.k vfèkdkfjrk d ç;kx e jkT; dh ç'kklfud dkjokb e gLr{ki dju dh lhfer xtkb'k g vkj] blfy,] tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"kk vkj lok l c[kkLrxh d nM d ikfj.kkfed vkn'k dk vLr&0;Lr ugh fd;k tkuk pkfg,A***

15. विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना की दृष्टि में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यरत यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं कर सकता है और अपीलीय न्यायालय की तरह काम नहीं कर सकता है। अतः आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह रिट याचिका एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

ekuuh; vferko dekj xIrk] U;k;efr

मो॰ सफाऊल हक उर्फ सजाऊल हक

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 130 of 2011. Decided on 26th November, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धाराएँ 125 तथा 127(3)–निर्वाहिका–विपक्षी पत्नी ने एकमुश्त समाधान के तौर पर 50,000/- रुपये के भुगतान पर याची के साथ तथाकथित रूप से समझौता किया है तथा तलाक द्वारा विवाह भंग कर दिया गया है–पत्नी द्वारा दाखिल याचिका दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 127 के अधीन ग्रहणीय है तथा न्यायालय को यह तथ्य अभिनिश्चित करना चाहिए कि पत्नी ने समूची राशि प्राप्त करने का कार्य स्वैच्छिक रूप से किया है या नहीं–दावेदार द्वारा या राशि का भुगतान करने का आदेश दिये जाने वाले व्यक्तियों द्वारा धारा 127(3) के प्रावधानों का अवलंब लिया जा सकता है–धारा 127 दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन यथा आदेश की गयी निर्वाहिका का भुगतान करने के पति के दायित्व से उसे मुक्त करने के लिए एक वर्जन के तौर पर कार्य नहीं करती है–आवश्यक आदेश के लिए मामला अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–Mr. (Dr.) H. Waris, For the Petitioner; A.P.P., For the State; None, For the O.P. No.2.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ उपस्थित हैं। विपक्षी सं॰ 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। कार्यालय टिप्पणीयों के परिशीलन पर, यह परिलक्षित होता है कि विपक्षी सं॰ 2 को नोटिस का विधिवत् तामिला कराया गया है।

2. टी॰ आर॰ संख्या 183 वर्ष 2008 के तत्सम् निर्वाहिका केस सं॰ 88 वर्ष 2007 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गिरीडीह द्वारा ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए पारित दिनांक 29.11.2008 के आदेश के विरूद्ध यह दांडिक पुनरीक्षण आवेदन निर्दिष्ट है कि विपक्षी सं॰ 2 जुबेदा बानो याची की पत्नी है तथा आवेदन के दाखिले की तिथि से, अर्थात्, 2.8.2007 से याची को प्रति महीना 1,000/- रुपये की निर्वाहिका राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

3. याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता डॉ॰ एच॰ वारिश ने निवेदन किया है कि याची को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि पक्षकारों ने मामले में समझौता कर लिया है तथा इस प्रभाव का समझौता आवेदन 11.9.2012 को दाखिल किया गया था एवं विद्वान अवर न्यायालय ने समझौते के तथ्य पर विचार किये बिना, परिवादी/विपक्षी सं॰ 2 को इस संबंध में कारण बताने का निर्देश दिया था कि किन परिस्थतियों के अधीन, उक्त समझौता याचिका दाखिल की गयी थी। याची के विद्वान अधिवक्ता ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 127(3)(c) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया है तथा निवेदन किया है कि जब पत्नी ने स्वैच्छिक रूप से अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया है, तब आदेश रद्द कर दिया जाना चाहिए था तथा विद्वान अवर न्यायालय ने विधि के प्रावधानों का मूल्यांकन किये बिना आदेश पारित कर दिया है।

यह भी निवेदन किया गया है कि याची ने समझौते के आधार पर विपक्षी सं॰ 2 को 9.9.2012 को एकमुश्त तथा अंतिम समाधान के तौर पर 50,000/- रुपये का भुगतान किया है। यह कि समझौते तथा एकमुश्त समाधान के तौर पर उक्त राशि के भुगतान के निबंधनों में विचारण न्यायालय को कार्यवाही बंद कर देना चाहिए था।

4. विद्वान एः पीः पीः ने याची के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनों का खंडन नहीं किया है।

5. अभिलेख के परिशीलन पर यह परिलक्षित होता है कि विपक्षी सं॰ 2 को नोटिस का वैध रूप से तामिला कराया गया है परन्तु नोटिस की प्राप्ति के बावजूद विपक्षी सं॰ 2 ने न अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, न कोई कदम उठाये हैं।

6. याची द्वारा दाखिल समझौता याचिका (परिशिष्ट 2) में विपक्षी सं॰ 2 द्वारा प्रकथन किया गया है कि उसने एकमुश्त समाधान के तौर पर 50,000/- रुपये के भुगतान पर याची के साथ समझौता किया है तथा तलाक के माध्यम से विवाह भंग कर दिया गया है। सम्पूरक शपथ पत्र (परिशिष्ट 3) में, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गिरीडीह के विविध केस सं॰ 85 वर्ष 2007 के दिनांक 12.9.2012 तथा 18.9.2012 का आदेश पत्रक दाखिल किया गया है जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी सं॰ 2 ने कार्यवाही बंद करने के लिए एक याचिका दाखिल की थी तथा अवर न्यायालय ने इस संबंध में एक स्पष्टीकरण दाखिल करने का विपक्षी सं॰ 2 को आदेश किया था कि कौन सी परिस्थितियों के अधीन आवेदन पोषणीय था। न्यायालय को धारा 127 के प्रावधानों पर विचार करना चाहिए था जिनमें ''परिस्थितियों में परिवर्तन'' तथा ''निर्वाहिका अनुज्ञात करने में परिवर्तन'' शब्दों को स्पष्टीकृत किया गया है। धारा 127 की उपधारा (3) खंड (a), (b) एवं (c) में प्रगणित तथा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में धारा 125 के अधीन पारित एक आदेश का रद्दकरण अनुबद्ध करती है। यह निर्दिष्ट करना आवश्यक है कि पत्नी द्वारा दाखिल ऐसा आवेदन दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 127 के अधीन ग्रहणीय होता है तथा न्यायालय को यह तथ्य अभिनिश्चित करना चाहिए कि पत्नी ने समूची राशि प्राप्त करने का स्वैच्छिक कार्य किया है या नहीं।

दावेदार या राशि का भुगतान करने के लिए आदेश किये गये व्यक्ति द्वारा धारा 127(3) के प्रावधानों का अवलम्ब लिया जा सकता है। परन्तु धारा 127 दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन यथा आदेश की गयी निर्वाहिका का भुगतान करने के लिए पति के उत्तरदायित्व से उसे मुक्त करने हेतु एक वर्जन के तौर पर कार्य नहीं करती है।

संलग्न तथ्यों तथा परिस्थितियों में, मामला अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा याची प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गिरीडीह के न्यायालय में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 127(3) के अधीन आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है तथा अवर न्यायालय कार्यवाही में शीघ्रता करेगा तथा पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करेगा।

7. पूर्वोक्त निर्देश तथा सम्परीक्षण के साथ, यह दांडिक पुनरीक्षण आवेदन एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

तिलोका देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 590 of 2014. Decided on 17th December, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973— धारा 482—भाः दं॰ सं॰ की धारा 506 के अधीन संज्ञान लेने वाले आदेश का अभिखंडन–परिवाद मामला को याची द्वारा संस्थित पूर्व मामले के विरोध में संस्थित किया गया था और यदि इसे जारी रहने की अनुमति दी जाती है, इसका परिणाम विधि

की प्रक्रिया के दुरुपयोग में होगा–यदि आरोप विरचित किए गए हैं जो विचारण आरंभ होने के पहले है, यह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग अपवर्जित नहीं करता है–परिवाद याचिका में किए गए प्राख्यान विश्वास उत्पन्न नहीं करते हैं ताकि दांडिक कार्यवाही जारी रखी जा सके–संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित किया गया, याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 6 से 12)

निर्णयज विधि.–2012(1) East Cr. C. 271 (SC); (2013) 3 SCC 330—Referred

अधिवक्तागण.–Mr. Shashikant, For the Petitioner; A.P.P., For the State; Mr. V.K. Tiwari, For O.P. No. 2.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री शशिकांत और विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री वी॰ के॰ तिवारी तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री शेखर सिन्हा भी सुने गए।

2. वर्तमान दांडिक विविध याचिका में, याची ने पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 79 वर्ष 2009 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राजमहल द्वारा पारित दिनांक 10.7.2009 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता (भा॰ दं॰ सं॰) की धारा 506 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है।

3. अभियोजन मामला, जैसा यह परिवाद याचिका से प्रतीत होता है जिसे विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा संस्थित किया गया है, यह है कि परिवादी विद्यालय गया था और विद्यालय भवन के निर्माण की प्रगति के बारे में पूछा था और लांछन भी लगाया कि अभियुक्तगण ने एक लाख रुपया दुर्विनियोजित कर लिया था। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को धमकाया गया था और अभियुक्त सं॰ 3 एवं 4 ने उसे मुक्का-थप्पड़ भी मारा था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वस्तुतः दिनांक 14.2.2009 को वर्तमान याची द्वारा विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विरुद्ध मामला संस्थित किया गया था कि वह जबरन विद्यालय कार्य में बाधा डाल रहा था और उद्यापन धन के रूप में दस हजार रुपया मांग रहा था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याची उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, पिलघुट्टू की प्राचार्य एवं ग्राम शिक्षा कमिटी की सचिव है और उसके विरुद्ध वर्तमान मामला पूर्व मामले के विरोध में संस्थित किया गया है जिसे याची द्वारा संस्थित किया गया है। इसके संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने **देव लखन पासवान बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य 2012 (1) East Cr. C. 271 (SC)** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट किया है।

5. विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री वी॰ के॰ तिवारी ने निवेदन किया है कि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा संस्थित परिवाद याचिका के परिशीलन से याची के विरुद्ध विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को गाली देने का विनिर्दिष्ट अभिकथन प्रतीत होता है और इस प्रकार याची के विरुद्ध दांडिक अभित्रास का अवयव बनाया गया है।

6. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद मैं पाता हूँ कि वर्तमान मामला विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विरूद्ध याची द्वारा मामला दर्ज किए जाने के ठीक तीन दिन बाद संस्थित किया गया है। विपक्षी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा संस्थित परिवाद याचिका के परिशीलन से अभिकथन, जिसे याची के विरुद्ध किया गया है। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा संस्थित परिवाद याचिका के परिशीलन से अभिकथन, जिसे याची के विरुद्ध किया गया है, विद्यालय भवन के निर्माण के संबंध में आंतरिक कलह का परिणाम प्रतीत होता है। इस संदर्भ में **2012 (1) East Cr. C 271 (SC)** में प्रकाशित निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा और उक्त निर्णय के पैरा 11 का पठन निम्नलिखित है:–

*"11. vihykFkh d fo#) nkfMd ekeyk d nt dj.k d fy, fn, x, lk{; ,o li.k vfHky[k dk ijh rjg ifj'khyu dju d ckn ge bl fu"d"k ij vk, g fd ;g vihykFkh] tk le; d çklfxd fcn ij dk;ikyd vfHk;Urk dk in èkkj.k dj jgk Fkk] dk ij'kku dju d vk'k; l ckn e lkpk x;k fopkj FkkA vrr%] blh vihykFkh u ifjoknh d fo#) çfroru vkn'k tkjh fd;k FkkA bl çdkj] vihykFkh d fo#) nkfMd dkjokb dk lgkjk yr g, ifjoknh dk ÑR; vihykFkh d fo#) }"ki.k çfr dkjokb FkhA bldk vkykpukRed ijh{k.k dju d ckn Hkh ge mld }kjk nt ifjokn e lR; dk dkb rRo ugh ikr gA**

7. अतः, पूर्व मामले में किए गए अभिकथन एवं वर्तमान मामले जिसे याची के विरुद्ध संस्थित किया गया है में अभिकथन के परिशीलन से यह याची द्वारा दाखिल मामला का विरोध करने के लिए विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा दाखिल मामला प्रतीत होता है और यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, यह विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग में परिणत होगा।

8. इस मोड़ पर, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी॰ के॰ तिवारी ने निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में आरोप भी विरचित किए गए हैं और इस दशा में दंड प्रक्रिया संहिता (दं॰ प्र॰ सं॰) की धारा 482 के अधीन हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

9. इस संदर्भ में, **राजीव थापर एवं अन्य बनाम मदन लाल कपूर, (2013)3 SCC 330,** मामले में निर्णय को निर्दिष्ट करना न्यायोचित एवं समुचित होगा जिसमें पैराग्राफ 29 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"29. oreku ekey e ijh{k.k fd;k tk jgk fookn d nO çO lO dh èkkjk 482 d vèkhu mPp U;k;ky; dh vfèkdkfjrk g ;fn ;g vknf'kdk tkjh fd, tku d pj.k ij vFkok linxh d pj.k ij vFkok vkjki fojfpr fd, tku d pj.k ij Hkh vfHk;Dr d fo#) vfHk;ktu vkjHk fd, tku dk vfHk[kMu djuk purk gA ; leLr pj.k okLrfod fopkj.k d vkjHk d igy d pj.k gA ;gh ekinM ckn d pj.kk d fy, Hkh lekU;r% miyCèk gkxA ;gk Åij fufn"V fd, x, pj.kk ij nO çO lO dh èkkjk 482 d vèkhu mPp U;k;ky; e fufgr 'kfDr dk njxkeh ifj.kke gkxk D;kfd ;g vfHk;ktu@ifjoknh dk lk{; nu dh vuefr fn, fcuk vfHk;ktu@ifjoknh dk ekeyk udkjxkA ,lk fofuf'p;u lno lrdrk] lkoèkkuh ,o pkdlh d lkFk fd;k tkuk pkfg,A nO çO lO dh èkkjk 482 d vèkhu viuh vrfufgr vfèkdkfjrk dk voyc yu d fy, mPp U;k;ky; dk i.kr% lr"V gkuk gkxk fd vfHk;Dr }kjk çLrr lkexh ,lh g tk bl fu"d"k dh vkj y tk,xh fd mldk@mudk cpko rdi.k] ;fDr;Dr] lngjfgr rF;k ij vkèkkfjr g(çLrr lkexh ,lh g tk vfHk;Dr d fo#) yxk, x, vkjkik e vrfo"V çk[;kuk dk [kfMr ,o foLFkkfir djxh_ vkj çLrr lkexh ,lh g tk vfHk;ktu@ifjoknh }kjk yxk, x, vfHk;kxk e vrfo"V vfHkdFkuk dh lR;rk dk Li"Vr% vLohdkj ,o [kfMr djxhA bl fdlh lk{; dk nt dju dh vko';drk d fcuk vfHk;ktu@ifjoknh }kjk yxk, x, vfHk;kxk dk [kfMr] vLohdkj ,o R;Dr dju d fy, i;kIr gkuk pkfg,A bld fy, cpko i{k }kjk fo'okl fd, x, lkexh dk [kfMr ugh fd;k tkuk pkfg, Fkk vFkok odfYid :i l bud lokÙke ,o mRÑ"V x.koÙkk dh lkexh gku d ukr U;k;kfpr :i l [kfMr ugh fd;k tk ldrk gA vfHk;Dr }kjk fo'okl dh x;h lkexh ,lh gkuh pkfg, tk fdlh ;fDr;Dr 0;fDr

*dk vfHk;kxk d okLrfod vkèkkj dk >B d :i e [kkfjt dju ,o funk dju d fy, vk'oLr djxkA ,Ih fLFkfr e] mPp U;k;ky; dh U;kf;d vrjkRek bldk ,Ih nkfMd dk;okgh dk vfHk[kMu dju d fy, n0 ç0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu viuh 'kfDr dk ç;kx dju d fy, vk'oLr djxh D;kfd ;g U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx jkdxk vkj U;k; dk mí'; ljf{kr djxkA***

10. अत:, मेरे सुविचारित मत में, भले ही आरोप विरचित किए गए हैं जो विचारण के आरंभ होने के पहले है, यह इस न्यायालय को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने से अपवर्जित नहीं करता है।

11. इसके अतिरिक्त, परिवाद याचिका में किए गए प्राख्यान विश्वास उत्पन्न नहीं करते हैं ताकि दांडिक कार्यवाही जारी रखी जाए।

12. मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार करते हुए मैं पाता हूँ कि यह सुयोग्य मामला है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तद्नुसार, पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 79 वर्ष 2009 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राजमहल द्वारा पारित दिनांक 10.7.2009 का आदेश जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता (भा॰ दं॰ सं॰) की धारा 506 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया गया है एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है। तद्नुसार, यह दांडिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

डॉ॰ देवी प्रसाद बंद्योपाध्याय

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 4996 of 2004. Decided on 11th December, 2014.

बिहार आयुर्विज्ञान शिक्षण सेवा कैडर नियमावली, 1997—नियम 5 (क), 5 (ख) एवं 5 (ग)—प्रोन्नति–प्रतिवर्तन आदेश का अभिखंडन–सहायक प्रोफेसर के रूप में याची की प्रोन्नति भूल सुधार द्वारा प्रतिसंहृत की गयी–समय के प्रासंगिक बिंदु पर जब उसे अनवधानता के कारण सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नत किया गया था, याची के पास शिक्षण अनुभव नहीं था–ऐसी गलती का पता चलने पर तुरन्त भुल सुधार जारी किया गया था–उस आधार पर प्रतिवर्तन आदेश को दोष नहीं दिया जा सकता है–याचिका खारिज। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–M/s. M.M. Pal, Mahua Palit, S.C. Roy, For the Petitioner; Mr. Vaibhav Kumar, For the State.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

यह विवादित नहीं है कि याची को राज्य सरकार के सामान्य स्वास्थ्य कैडर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर आरंभ में नियुक्त किया गया था और विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित किया गया था। एम॰ जी॰ एम॰ मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर स्थानांतरित किए जाने के पहले उसे बहरागोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित किया गया था।

2. याची द्वारा दाखिल डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 966 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 17.7.2003 के निर्णय से यह प्रतीत होता है कि उसे दिनांक 23.10.2001 की अधिसूचना के तहत उसे चिकित्सा अधिकारी के रूप में एम॰ जी॰ एम॰ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर स्थानांतरित किया गया था और

एनेस्थेटिस्ट के कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा गया था। उसकी शिकायत यह थी कि यद्यपि उसे दिनांक 6.8.2002 के पत्र के माध्यम से अधीक्षक, एम॰ जी॰ एम॰ मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर द्वारा एनेस्थेटिस्ट के पद पर कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा गया था किंतु वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है क्योंकि कॉलेज के लिए एनेस्थेटिस्ट का पद मंजूर नहीं किया गया था। रिट याचिका सचिव को याची का अभ्यावेदन विनिश्चित करने और स्वीकृत देयों, यदि भुगतेय पाए जाते हैं का भुगतान करने के निर्देश के साथ निपटायी गयी थी। वर्तमान रिट याचिका वर्ष 2004 में दाखिल की गयी थी क्योंकि दिनांक 1.4.2004 के प्रभाव से प्रत्यर्थी स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण, झारखंड सरकार, राँची द्वारा जारी दिनांक 31.5.2004 के ज्ञापन, परिशिष्ट–2, के तहत सहायक प्रोफेसर के रूप में याची की प्रोन्नति दिनांक 16.6.2004, के भूल सुधार, परिशिष्ट–4, के द्वारा प्रतिसंहृत कर दी गयी थी। परिशिष्ट–4 उपदर्शित करता है कि याची का अधिष्ठायी पद चिकित्सा अधिकारी (एनेस्थेटिस्ट) था जब उसे सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नति दिया गया था, किंतु जब उसे सहायक प्रोफेसर के पद से प्रतिवर्तित किया गया था, उसे वरिष्ठ रेजिडेन्ट/लेक्चरर के रूप में दर्शाया गया था। याची दिनांक 1.6.2004 को प्रोन्नति के नये पद पर पदग्रहण करने का दावा करता है। यह प्रतीत होता है कि प्रतिवर्तन आदेश के बाद याची ने रिट याचिका के पैरा 12 पर किए गए निवेदन के मुताबिक दिनांक 18.6.2004 को प्रतिवर्तित पद पर पद ग्रहण किया था।

3. याची वर्तमान रिट याचिका में प्रतिवर्तन आदेश के अभिखंडन के लिए इस न्यायालय के पास आया है। दिनांक 23.9.2004 के अंतरिम आदेश के तहत यह संप्रेक्षित किया गया था कि यदि याची ने दिनांक 1.6.2004 को प्रोन्नत पद पर पदग्रहण किया है, तब, जहाँ तक याची का संबंध है, आक्षेपित अधिसूचना स्थगित बनी रहेगी। याची ने अवमान याचिका दाखिल किया क्योंकि अंतरिम आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था और तत्पश्चात दिनांक 9.1.2008 के आदेश, दिनांक 18.5.2010 को दाखिल पूरक शपथपत्र का परिशिष्ट–16, के तहत सहायक प्रोफेसर के पद पर उसके बने रहने को मानते हुए प्रत्यर्थी राज्य द्वारा प्रतिवर्तन आदेश स्थगित कर दिया गया था। किंतु, ऐसा आदेश वर्तमान रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन अंतरिम व्यवस्था था। प्रतिवर्तन और इसके स्थगन की अवधि के दौरान प्रत्यर्थीगण ने एक अन्य अधिसूचना जारी किया था जिसके द्वारा उसे दिनांक 31.12.2006 की अधिसूचना के तहत उसे स्थानांतरित किया गया था और बुंदु में पदस्थापित किया गया था। अब प्रश्न जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है यह है कि क्या याची को सही प्रकार से दिनांक 16.6.2004 के आक्षेपित आदेश के तहत प्रतिवर्तित किया गया है अथवा वह सहायक प्रोफेसर के पद पर बने रहने का हकदार है जिस पर उसे दिनांक 31.5.2004 के ज्ञापन के तहत पहले प्रोन्नत किया गया था।

4. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने जोरदार तर्क किया है कि याची लंबे समय से शिक्षण पद पर बना रहा है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं विनियमन, जिन्हें परिशिष्ट–10 के रूप में संलग्न किया गया है, के अधीन यदि याची में किसी अध्यपेक्षित अर्हता एवं अनुभव की कमी थी, गुणागुण पर विचार किए जाने के लिए नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को निर्देश किया जा सकता था। यह निवेदन भी किया गया है कि कतिपय व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्हें मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सहायक एवं एसोशिएट प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत किया गया है यद्यपि उनके पास अध्यपेक्षित अर्हता एवं शिक्षण अनुभव नहीं था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह बिंदु भी उठाया है कि प्रतिवर्तन आदेश किसी नोटिस अथवा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन किए बिना पारित किया गया था, अत: यह विधि में दोषपूर्ण था।

6. प्रत्यर्थीगण दो व्यक्तियों के संबंध में प्रतिशपथ पत्र के पैरा 13 पर उत्तर देते प्रतीत होते हैं कि वे एनेस्थेटिस्ट थे और उनके पास शिक्षण अनुभव था, अत:, उन्हें प्रोन्नत किए जाने योग्य माना गया था।

7. किंतु, वर्तमान रिट याचिका में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए सांविधिक नियमों पर विचार करना आवश्यक है जो चिकित्सा अधिकारियों/शिक्षण कर्मचारियों जो मेडिकल कॉलेजों में सेवारत हैं के मामलों को शासित करते हैं। परिशिष्ट-जी॰ स्वास्थ्य, आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा उस संबंध में दिनांक 21.5.1997 को अधिसूचित नियम है। बिहार आयुर्विज्ञान शिक्षण सेवा कैडर नियमावली, 1997 उक्त नियमावली द्वारा शिक्षण कैडर के अनेक पदों पर भरती एवं प्रोन्नति तथा बिहार शिक्षण सेवा कैडर का सृजन प्रावधानित करता है। नियम 5 (के॰) के मुताबिक पद जो शिक्षण कैडर में आता है उसके अधीन दिनांक 1.4.1997 के प्रभाव से उपदर्शित किया गया है। ऐसे पद रेजिडेन्ट, ट्यूटर, रजिस्ट्रार, सहायक प्रोफेसर, एसोशिएट प्रोफेसर, प्राचार्य के पदों और उप निदेशक, संयुक्त निदेशक-सह-परीक्षा नियंत्रक और निदेशक अथवा अपर निदेशक जैसे पदों जिन्हें निदेशालय के आयुर्विज्ञान शिक्षण कैडर से भरे जाने वाले कतिपय पदों को सम्मिलित करता है। नियम 5 (ख) उपदर्शित करता है कि रेजिडेन्ट ट्यूटर एवं रजिस्ट्रार के पदों को लेक्चरर के पदों में संपरिवर्तित किया जाएगा। शेष पद वैसे ही बने रहेंगे जैसे ये हैं। नियम 5 (ग) प्रावधानित करता है कि पदधारीगण, जिन्हें उक्त उपदर्शित पदों पर पदस्थापित किया गया है, को शिक्षण सेवा कैडर में आने के लिए अथवा अपने मूल कैडर अर्थात् बिहार राज्य सामान्य स्वास्थ्य कैडर में प्रतिवर्तित होने के लिए विहित फॉर्मेट में विकल्प का प्रयोग करना होगा। वे पदधारीगण, जिन्होंने विहित समय के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं किया था, अपने मूल कैडर में प्रतिवर्तित कर दिए जाएँगे। यह आगे उपदर्शित करता है कि शिक्षण कैडर में आने के लिए अथवा उसमें आमेलित किए जाने के लिए उन्हें अध्यपेक्षित अर्हता एवं अनुभव, आदि परिपूर्ण करने की आवश्यकता है जिसमें विफल रहने पर उन्हें सामान्य स्वास्थ्य कैडर में प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा। नियम 8 लेक्चरर के पद पर भरती का ढंग और सहायक प्रोफेसर, एशोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर आदि के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान विहित करता है।

8. इस प्रकार, यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जो प्रत्यर्थी राज्य सरकार के अधीन किसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आयुर्विज्ञान शिक्षण कैडर ज्वायन करना इप्सित करता है, उसे शर्तों का अनुपालन करने की आवश्यकता थी जैसा नियमावली, 1997 में अधिरोपित किया गया है। पूर्व वर्णित तथ्यों से, जिन पर गौर किया गया है, यह निश्चित है कि याची प्रत्यर्थी स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2001 में एम॰ जी॰ एम॰ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर में पदस्थापित किए जाने तक सामान्य स्वास्थ्य कैडर का सदस्य था। नियमावली 1997 विहित करती है कि सहायक प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति के लिए व्यक्ति को लेक्चरर के रूप में न्यूनतम चार वर्षों के लिए बना रहना होगा और शिक्षण अनुभव सहित अन्य अर्हता को भी परिपूर्ण करना होगा। प्रत्यर्थी का यह निश्चित मामला है कि समय के प्रासंगिक बिंदु पर याची के पास शिक्षण अनुभव नहीं था जब उसे अनवधानता के कारण दिनांक 31.5.2004 के ज्ञापन के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नत किया गया था। यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती का पता चलने पर तुरन्त दिनांक 16.6.2004 के आदेश के तहत भूल सुधार जारी किया गया था जिसके द्वारा पूर्व प्रोन्नति प्रतिसंहृत की गयी थी और याची को चिकित्सा अधिकारी (एनेस्थेटिस्ट) के रूप में दर्शाए गए अधिष्ठायी पद, परिशिष्ट-4, के साथ वरिष्ठ रेजिडेन्ट/लेक्चरर के पद पर प्रतिवर्तित किया गया था। अत: यह प्रतीत होता है कि तिथि जिस पर प्रोन्नति आदेश जारी किया गया था, याची के पास सहायक प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत किए जाने के लिए अध्यपेक्षित शिक्षण अनुभव नही था। अत:, उस आधार पर प्रतिवर्तन आदेश में दोष नहीं निकाला जा सकता है।

9. अब यह परीक्षण करना प्रत्यर्थीगण का काम है कि क्या याची को सामान्य स्वास्थ्य कैडर से वर्ष 2001 में पदस्थापित किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज में शिक्षण कैडर में आमेलित किया गया है या नहीं? किंतु, वर्तमान विवाद विनिश्चित करने के प्रयोजन से यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि याची को सहायक प्रोफेसर के पद से प्रतिवर्तित करने वाला आक्षेपित आदेश किसी अवैधता अथवा किसी गलती से पीड़ित नहीं है। याची पद पर बना हुआ था क्योंकि दिनांक 9.1.2008 को प्रतिवर्तन आदेश स्थगित किए जाने के बाद अंतरिम आदेश प्रवर्तन में था। किंतु, यह न्यायालय आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का दावा सांविधिक नियमों के आधार पर न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है जो प्रत्यर्थी राज्य के अधीन आयुर्विज्ञान शिक्षण कैडर कर्मचारी पर लागू होते हैं। अत: प्रोन्नति के आदेश से लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिसे गलत रूप से जारी किया गया था।

तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

आई॰ ए॰ सं॰ 3330 वर्ष 2010 भी निपटाया जाता है।

---

ekuuh; vferko dekj xIrk] U;k;efr

नेमचंद यादव

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 90 of 2013. Decided on 11th November, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 376/511–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 228(i)(a)–बलात्संग कारित करने का प्रयास–निर्मुक्ति याचिका का अस्वीकरण–यद्यपि प्राथमिकी में बलात्संग कारित करने के संबंध में अभिकथन नहीं किये गये हैं, विचारण न्यायालय ने पीड़िता लड़की तथा एक अन्य लड़की के बयानों पर चर्चा किया है जिन्होंने कथन किया है कि याची ने उनके साथ बलात्संग कारित करने का प्रयास किया था–प्राथमिकी घटना के विवरण प्रगणित करने वाली एक संग्रहिका नहीं होती है–पीड़िता के बयान में बनावट तथा सुधार किये जाने के अभिवाक् का विचारण के दौरान ही मूल्यांकन किया जा सकता है–अगर प्रबल संदेह भी है, न्यायालय एकत्रित सामग्री के आधार पर आरोप विरचित कर सकता है–आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं–पुनरीक्षण आवेदन खारिज। (पैरा 4)

अधिवक्तागण.–M/s Rajesh Kr. Mahtha, D.K. Karmakar, For the Petitioner; Mr. Tapas Roy, For the State.

आदेश

एस॰ टी॰ केस संख्या 316 वर्ष 2012 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II, बेरमो, तेनुघाट द्वारा पारित दिनांक 8.1.2013 के आदेश के विरूद्ध यह दांडिक पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया गया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 228(i)(a) के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

2. याची की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्राथमिकी के परिशीलन पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त-याची ने केवल सूचनादाता की पुत्री का दुपट्टा पकड़ा था तथा

छेड़छाड़ किया था; कि सूचनादाता ने स्पष्टत: कथित किया है कि याची सोनी कुमारी नामक गांव की एक अन्य लड़की के साथ पहले छेड़खानी तथा यौन शोषण कर चुका था; कि अभिकथन से यह प्रकट है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन अपराध विरचित करने के लिए घटक नहीं बनता है तथा अधिक से अधिक अगर अभिकथनों को ज्यों का त्यों मान भी लिया जाता है, तब यह भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 354 के अधीन एक मामला है, जो दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय है तथा सत्र न्यायालय ने तात्विक तथ्यों का मूल्यांकन किये बिना पीड़िता लड़की के बनावट से भरे तथा सुधारे गये बयान पर भरोसा करते हुए पूर्वोक्त याचिका अस्वीकार कर दी है जिसे कभी भी प्राथमिकी में प्रकट नहीं किया गया था; कि याची को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 एवं 511 के अधीन आरोपों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि पूर्वोक्त धाराओं के अधीन मामला बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं है।

3. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री तपस राय ने याची के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनों को खंडित किया है ऐसा कथित करके कि पीड़िता लड़की तथा एक अन्य लड़की ने अपने बयान में पैराओं 5 एवं 6 में स्पष्टत: कथित किया है कि अभियुक्त–याची ने उनके साथ बलात्संग कारित करने का प्रयास किया था। यह भी निवेदन किया गया है कि प्राथमिकी एक ऐसा विश्वकोष नहीं होती है जिसमें घटना के सभी विवरणों को समाविष्ट किया जाना होता है तथा झूठ मूठ फंसाये जाने का कोई कारण नहीं है; कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 एवं 511 के अधीन आरोपपत्र दाखिल किया गया है तथा तद्नुसार संज्ञान लिया गया है, विचारण न्यायालय ने तथ्यों का मूल्यांकन किया है तथा केस डायरी में सामग्रियों पर चर्चा की है जो भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 376 तथा 511 के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं; कि विचारण न्यायालय ने उचित रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया है।

4. विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर तथा आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि यद्यपि प्राथमिकी में बलात्संग कारित किये जाने से संबंधित अभिकथन नहीं किये गये हैं, तथापि, विचारण न्यायालय ने पीड़िता लड़की तथा एक अन्य लड़की के बयानों पर चर्चा किया है जिन्होंने कथित किया है कि याची ने उनके साथ बलात्संग कारित करने का प्रयास किया था। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि प्राथमिकी घटना के विवरणों को प्रगणित करने वाली एक संग्रहिका नहीं होती है; कि पीड़िता के बयान में बनावटों तथा सुधारों के होने के अभिवाक् का विचारण के दौरान ही मूल्यांकन किया जा सकता है जब साक्ष्य सामने लाया जाता है तथा आरोप के चरण में नहीं; कि आरोप विरचित करने के चरण में, अवर न्यायालय को यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। अगर प्रबल संदेह है भी, न्यायालय एक अतिरिक्त सामग्री के आधार पर आरोपों को विरचित कर सकता है।

इस प्रकार, मैं इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को अपेक्षित बनाने वाली कोई अवैधानिकता आक्षेपित आदेश में नहीं पाता हूँ, तद्नुसार, यह दांडिक पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

बिरेन्द्र राम

cuke

बिहार राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5021 of 2002. Decided on 18th December, 2014.

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000—धारा 57A—बिहार महाविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा की दृष्टि में व्याख्याता के द्वितीय पद पर नियुक्ति–द्वितीय एवं तृतीय पदों

के विरुद्ध उसी विषय में नियुक्त प्रत्यर्थी सं॰ 7 एवं 8 की सेवा की समाप्ति यद्यपि याची को द्वितीय पद के लिए प्रथम उम्मीदवार के रूप में अनुशंसित किया गया था–शासी निकाय एवं विश्वविद्यालय का निर्णयों, जिसे लेने के लिए वे विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के निबंधनानुसार विधितः प्राधिकृत थे, को याची द्वारा चुनौती नहीं दी गयी थी–याची ने महाविद्यालय की सेवा ग्रहण किया किंतु अनियमित उपस्थिति के कारण याची का नाम काट दिया गया था–प्रतिशपथ पत्र में शासी निकाय द्वारा किए गए प्रकथनों को याची द्वारा चुनौती नहीं दी गयी थी–महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी नियुक्ति पत्र का समर्थन शासी निकाय द्वारा नहीं किया गया था, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन जारी किया गया था–यह नहीं कहा जा सकता है कि शासी निकाय ने समय के प्रासंगिक बिंदु पर व्याख्याता के पद के लिए याची को नियुक्त करने का निर्णय लिया था–याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 10 से 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Mahesh Tiwary, For the Petitioner; JC to SC-II, For the State of Jharkhand; Mr. Binit Chandra, For the State of Bihar; Mrs. I. Sen, Choudhary, For the Resp. No.6; Mr. A.K. Sahani, For the Resp. No.7; Mr. Suraj Kumar, For the Resp. No.8.

आदेश

याची द्वारा पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसके मुताबिक प्रत्यर्थी सं॰ 4 एवं 5 पर नोटिस का निजी तामील किया गया है। अतः, उक्त प्रत्यर्थीगण पर नोटिस का तामील पूर्ण है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची की शिकायत निम्नलिखित है:–

(i) बिहार महाविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा, दिनांक 2.5.1997 का परिशिष्ट-4, जिसके अधीन तीन पदों जिनके विरुद्ध अनुशंसाएँ की गयी थी में से द्वितीय पद के लिए उसे प्रथम उम्मीदवार के रूप में अनुशंसित किया गया है, की दृष्टि में के॰ एस॰ जी॰ एम॰ महाविद्यालय, निरसा, धनबाद में वाणिज्य विभाग में व्याख्याता के द्वितीय पद पर उसको तुरन्त नियुक्त करने के लिए।

(ii) याची को महाविद्यालय में अपना कर्तव्य पुनः ग्रहण करने की तुरन्त अनुमति देने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए।

(iii) प्रत्यर्थी सं॰ 7 एवं 8 की सेवा समाप्त करने के लिए जिन्हें वाणिज्य के उसी विषय में द्वितीय एवं तृतीय पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया है यद्यपि याची को द्वितीय पद के लिए प्रथम उम्मीदवार के रूप में अनुशंसित किया गया था जबकि प्रत्यर्थी सं॰ 7 को द्वितीय पद के लिए द्वितीय उम्मीदवार के रूप में और तृतीय पद के लिए प्रथम उम्मीदवार के रूप में अनुशंसित किया गया था जबकि प्रत्यर्थी सं॰ 8 को तृतीय पद के लिए द्वितीय उम्मीदवार के रूप में अनुशंसित किया गया था। प्रत्यर्थीगण के ऊपर व्यय अधिरोपित करने की प्रार्थना भी की गयी है क्योंकि उन्होंने आयोग की अनुशंसा पर कृत्य नहीं किया है।

3. याची को दिनांक 28.11.1997 के परिशिष्ट-5 के माध्यम से पहले कहे जाने पर समस्त प्रासंगिक कागजातों को प्रस्तुत करने के बाद आयोग की अनुशंसा पर उक्त महाविद्यालय में दिनांक 1.12.1997 को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी आदेश परिशिष्ट-6 द्वारा नियुक्त किया गया है।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आयोग की अनुशंसा पर याची वाणिज्य विषय में द्वितीय पद के विरुद्ध नियुक्त किए जाने के लिए बाध्य है जहाँ उसे प्रथम उम्मीदवार के रूप में

अनुशंसित किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि उसे परिशिष्ट 6 के तहत नियुक्त किया गया हैं किंतु प्रत्यर्थीगण ने मनमाने रूप से उसे वर्ष 2001 से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से उसे रोका जिसके बाद वह परिशिष्ट–8 के तहत अभ्यावेदन देने के बाद इस न्यायालय के पास आया है।

5. यह निवेदन किया गया है कि इस विषय पर विधि सुनिश्चित है कि शासी निकाय को नियुक्ति के मामले में स्वविवेक नहीं है जहाँ आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी है।

6. प्रत्यर्थी सं॰ 7 एवं 8 उपस्थित हुए हैं। प्रत्यर्थी सं॰ 7 एवं 8 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि महाविद्यालय के शासी निकाय ने उक्त महाविद्यालय में प्रत्यर्थी सं॰ 7 को नियुक्त करने का सचेत निर्णय लिया जो दिनांक 27.9.1997 के कार्यवृत्त के तहत द्वितीय पद के लिए अनुशंसित द्वितीय उम्मीदवार था। शासी निकाय ने पाया कि प्रत्यर्थी सं॰ 7 पहले से ही उक्त महाविद्यालय में कार्यरत है और महाविद्यालय की वित्तीय दशा अच्छी नहीं है। अत: महाविद्यालय के बाहर से शिक्षक की नियुक्ति और अधिक वित्तीय दायित्व डालेगी। शासी निकाय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी सं॰ 8 भी महाविद्यालय में कार्यरत है और उसे वाणिज्य विभाग में मंजूर पद के विरुद्ध नियुक्त किया जा रहा है। प्रत्यर्थी सं॰ 8 (प्रत्यर्थीगण को पुनर्संख्यांकित करने के बाद पूर्व प्रत्यर्थी सं॰ 9 अब प्रत्यर्थी सं॰ 8 बन गया है।) के प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–आर॰/9/ए॰ के रूप में यह निर्णय अभिलेख पर लाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं॰ 7 एवं 8 के नाम के साथ वाणिज्य विषय में शिक्षकों की सेवाओं की संपुष्टि इप्सित करने के लिए रजिस्ट्रार, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को दिनांक 20.10.1997 की महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव की संसूचना को भी निर्दिष्ट किया है। राजेन्द्र कुमार, जिसे उसी महाविद्यालय में वाणिज्य विषय में प्रथम पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया था, सहित प्रत्यर्थी सं॰ 7 एवं 8 की सेवा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी दिनांक 10.6.1998 के परिशिष्ट R/9/C के तहत अनुमोदित की गयी है।

7. प्रत्यर्थी सं॰ 7 ने नियुक्ति पत्र भी संलग्न किया है जो दर्शाता है कि वह उक्त महाविद्यालय में वर्ष 1984 से कार्यरत था। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि याची का प्रतिवाद सही नहीं है कि अनुशंसा किए जाने के बाद शासी निकाय की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने स्वयं याची के पक्ष में की गयी आयोग की दिनांक 2.5.1997 की संसूचना, परिशिष्ट–3, को भी निर्दिष्ट किया है जो स्पष्टत: अनुबंधित करती है कि महाविद्यालय का शासी निकाय अनुशंसित उम्मीदवार में से किसी को पद विशेष पर नियुक्त कर सकता है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना है। यह निवेदन किया गया है कि आदेशों में से किसी को अर्थात् इन प्रत्यर्थीगण को नियुक्त करने का शासी निकाय के निर्णय और ऐसी नियुक्ति अनुमोदित करने का विश्वविद्यालय के निर्णय को याची द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। अत:, रिट याचिका में इन प्रत्यर्थीगण की नियुक्ति चुनौती के अध्यधीन नहीं होने के नाते यहाँ इसमें की गयी प्रार्थना स्वयं में भ्रामक है।

8. प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 के प्रावधानों पर विश्वास किया है जो पूर्ववर्ती अधिनियम अर्थात् बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 का रूपांतर है जिसके अधीन पहले ऐसी नियुक्तियाँ की गयी थी। अधिनियम की धारा 57A के प्रति निर्देश किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं किए जा रहे संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार करता है जिसके मुताबिक झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर, जिसे पहले बिहार महाविद्यालय सेवा आयोग द्वारा किया गया था, शासी निकाय द्वारा ऐसी नियुक्तियाँ की जानी है।

यह निवेदन किया गया है कि धारा 57A के प्रावधान के मुताबिक, शासी निकाय के निर्णय को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना है। शासी निकाय के इन आदेशों/निर्णयों और विश्वविद्यालय के पश्चातवर्ती अनुमोदन को चुनौती नहीं दी गयी है। महाविद्यालय के शासी निकाय के प्रतिशपथ पत्र को निर्दिष्ट करते हुए प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाणिज्य विषय में व्याख्याता के रूप में याची को नियुक्त नहीं किए जाने का कारण भी उसमें उपदर्शित किया गया है। यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी शासी निकाय ने अपने शपथ पत्र के माध्यम से कथन किया है कि याची ने महाविद्यालय की सेवा ग्रहण किया था किंतु चूँकि वह अत्यधिक गैर जिम्मेदार, अनियमित और नियमित रूप से अनुपस्थित रहता था, शासी निकाय ने दिनांक 26.9.1997 को अपनी बैठक में व्याख्याता के पद के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 7 एवं 8 को नियुक्त करने का निर्णय लिया जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित भी किया गया है। यह निवेदन भी किया गया है कि उसके रुखे व्यवहार और अस्पष्टीकृत अनुपस्थिति और कभी-कभार अध्यापन करने की आदत के कारण महाविद्यालय के शासी निकाय के पास प्राईवेट प्रत्यर्थीगण को नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने प्रतिशपथपत्र के पैरा 12 पर निवेदन किया गया है कि याची को नियमित अध्यापन करने से कभी नहीं रोका गया था बल्कि वह अध्यापन में ईमानदार कभी नहीं था। आगे यह कथन किया गया है कि याची को इस शर्त पर पद ग्रहण करने की अनुमति दी गयी थी कि महाविद्यालय पर वित्तीय दायित्व नहीं होगा और कि वह मानदेय के आधार पर वेतन के बिना अध्यापन करेगा। किंतु, याची की अनियमित उपस्थिति के कारण उसका नाम काट दिया गया था। अतः, विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार याची प्रार्थना किए गए अनुतोष का हकदार नहीं है।

9. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया है। एक ओर, दिनांक 2.5.1997 की रिट याचिका के परिशिष्ट-4 के तहत बिहार महाविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा है जो उपदर्शित करती है कि याची को द्वितीय पद के लिए प्रथम उम्मीदवार के रूप में अनुशंसित किया गया था और इसी समय पर उसी तिथि के परिशिष्ट-3 पर याची के पक्ष में आयोग का पत्र है जो कथन करता है कि महाविद्यालय के शासी निकाय को अनुशंसित उम्मीदवार में से किसी को नियुक्त करने का निर्णय लेना है जो नियुक्ति विश्वविद्यालय के अनुमोदन के अध्यधीन की जानी है। याची ने तर्क किया है कि शासी निकाय को मामले में स्वविवेक नहीं है और इसे आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। अधिनियम की धारा 57A के प्रावधान पूर्वोक्त विवाद्यक पर निष्कर्ष पर आने के लिए सामग्री है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

> *"57A (1) jkT; ljdkj }kjk u pyk; tk jg lc) egkfo|ky;k e f'k{kd dh fu;fDr egkfo|ky; lok vk;kx dh vu'klk ij 'kklh fudk; }kjk dh tk,xhA ,l egkfo|ky;k d f'k{kd dh c[kkLrxh] lok lekfIr] gVk;k tkuk] lokfuofÙk vFkok J.kh e inkoufr lfofèk }kjk fofgr rjhd l egkfo|ky; lok vk;kx d lkFk ijke'k djd 'kklh fudk; }kjk fd;k tk,xk*
>
> *ijUr ;g fd èke ,o Hkk"kk ij vkèkkfjr lc) vYil[;d egkfo|ky;k d 'kklh fudk; egkfo|ky; lok vk;kx d vueknu l f'k{kd fu;Dr] c[kkLr] gVk;k tkuk vFkok lok lekIr djx vFkok mud fo#) vu'kkfud dkjokb djx*
>
> *ijUr vkx ;g fd egkfo|ky; lok vk;kx dh lykg vkjkik dk vUo"k.k*

ijk fd, tku rd funk] oru of) jkdk tkuk vFkok n{krk lhek ikj fd;k tkuk ,o fuycu vrxLr dju oky ekeyk e vko';d ugh gkxkA

[ijUr ;g fd èke ,o Hkk"kk ij vkèkkfjr lc) vYil[;d egkfo|ky; d 'kklh fudk; fo'ofo|ky; dh p;u dfeVh d vueknu l f'k{kd fu;Dr] c[kkLr] gVk;k tkuk vFkok lok lekIr djx vFkok mud fo#) vu'kklfud dkjokb djxA

(2) egkfo|ky;k d f'k{kdk dh fu;fDr dh vu'kIk fuEufyf[kr çkoèkkuk d vu#i dh tk,xh%

(a) mud ?kVd egkfo|ky; cuk, tku dh frfFk rd egkfo|ky; lok vk;kx lc) egkfo|ky;k d f'k{kd dh fu;fDr] c[kkLrxh vFkok lok lekfIr d fy, viuh lgefr@vu'kIk nxkA doy ml frfFk rd bldh lgefr@vu'kIk oèk le>h tk,xhA

(b) egkfo|ky; lok vk;kx dh vu'kIk çkIr fd, tku d le; rd ;fn lc) egkfo|ky; fo'ofo|ky; dk ?kVd egkfo|ky; cu tkrk g] flMhdV mDr vfèkfu;e dh èkkjk 57 dh mièkkjk (4) d vu#i dkjokb djxk ekuk vk;kx }kjk vu'kIk dh x;h gA

*(c) lc) egkfo|ky;k d f'k{kd dh lok vkefyr dju d ç;ktu l] ftUg egkfo|ky; lok vk;kx LFkkfir fd, tku d igy etj ink d fo#) egkfo|ky; d 'kklh fudk; }kjk fu;Dr fd;k x;k Fkk vkj ftudh lok fo'ofo|ky; }kjk vuekfnr dh x;h g vkj ,l f'k{kdk dh lok Hkh ftUg fo'ofo|ky; lok vk;kx (fo?kfVr egkfo|ky; lok vk;kx)] ;FkkfLFkfr] dh vu'kIk ij 'kklh fudk; }kjk fu;Dr fd;k x;k Fkk] fcgkj jkT; fo'ofo|ky; (?kVd egkfo|ky;) lok vk;kx dk vueknu vko';d gkxk vkj ,l f'k{kdk dk egkfo|ky; ?kVd cuk, tku dh frfFk l fo'ofo|ky; lok e vkefyr fd;k tk,xk vkj mudh ojh;rk lofèk;k e fofgr fu;ek d vulkj fofuf'pr dh tk,xhA***

10. पूर्वोक्त प्रावधान का परिशीलन मात्र दर्शाएगा कि राज्य सरकार द्वारा अपोषित संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग, जिसका पठन वर्तमान मामले के प्रयोजन से बिहार महाविद्यालय सेवा आयोग के रूप में किया जाना चाहिए, की अनुशंसा पर महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा की जाएगी। उसकी उपधारा (2) से आगे प्रतीत होता है कि शासी निकाय के निर्णय को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अत: याची का प्रतिवाद कि शासी निकाय की भूमिका नहीं है, न तो परिशिष्ट–2 पर आयोग के अनुशंसा पत्र द्वारा सिद्ध होता है और न ही धारा 57A के प्रावधान के पठन से प्रतीत होता है।

11. किंतु, याची को नियुक्त किए जाने के लिए विचार किए जाने का अधिकार था क्योंकि उसे द्वितीय पद के लिए प्रथम उम्मीदवार के रूप में अनुशंसित किया गया था। शासी निकाय जिसे उस पर निर्णय लेना था, प्राईवेट प्रत्यर्थीगण सहित उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करने पर इस निष्कर्ष पर आया कि प्रत्यर्थी सं॰ 7 लंबे समय से महाविद्यालय में कार्यरत था, अत: उसे नियुक्त किया जाना चाहिए। तृतीय पद के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 8 के संबंध में समरुप निर्णय था जिसके लिए द्वितीय उम्मीदवार के रूप में उसे

अनुशंसित किया गया था। शासी निकाय का ऐसा निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा भी अनुमोदित किया गया था जैसा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा महाविद्यालय के सचिव को संसूचित दिनांक 10.6.1998 के पत्र के माध्यम से परिशिष्ट R/9/C के पठन से प्रतीत होगा। इन निर्णयों जिन्होंने याची को पूरी तरह प्रभावित किया को प्रत्यर्थी सं॰ 8 द्वारा दिनांक 17.10.2003 को दाखिल अपने प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से अभिलेख पर लाया गया था किंतु रिट याचिका में इन्हें चुनौती नहीं दी गयी है। आगे प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी शासी निकाय ने अपने प्रतिशपथ पत्र में अभिवचन किया है कि याची अध्यापन कार्य में अनियमित था और व्याख्याता की जिम्मेदारी निभाने में आदतवश अनुपस्थित दर्शाया गया था। वाणिज्य विषय में द्वितीय एवं तृतीय पद के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं॰ 7 एवं 8 को नियुक्त करने का निर्णय लेने के लिए शासी निकाय के लिए यह कारण हो सकता था।

12. किंतु, शासी निकाय एवं विश्वविद्यालय के निर्णयों, जिन्हें लेने के लिए वे विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के निबंधनानुसार विधित: प्राधिकृत थे, को याची द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। अपने प्रतिशपथ पत्र में शासी निकाय द्वारा किए गए प्रकथनों को भी कोई प्रत्युत्तर दाखिल करके याची द्वारा चुनौती दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। आगे यह प्रतीत होता है कि दिनांक 1.12.1997 के परिशिष्ट-6 पर नियुक्ति पत्र महाविद्यालय के शासी निकाय अथवा इसके सचिव द्वारा जारी नहीं किया गया था और यह शासी निकाय के किसी निर्णय द्वारा असमर्थित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी किया गया प्रतीत होता है। अत:, यह नहीं कहा जा सकता है कि शासी निकाय ने परिशिष्टों R/9/A/B/C की पृष्ठभूमि में समय के प्रासंगिक बिन्दु पर व्याख्याता के पद के लिए याची को नियुक्त करने का कोई निर्णय लिया था।

13. मामले के इन समस्त पहलूओं पर विचार करते हुए, याची रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप का मामला बनाने में विफल हुआ है जिसे तद्नुसार खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

बिंदेश्वर महतो एवं एक अन्य

cuke

मोतीलाल गोप एवं अन्य

Cr. M.P. No. 306 of 2002. Decided on 12th December, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 145—अभिखंडन–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन याची द्वारा की गयी कार्यवाही उसके पक्ष में समाप्त हुई जिसे पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी अभिपुष्ट किया गया था–विरोधी पक्षकारों द्वारा धारा 145 के अधीन पश्चातवर्ती कार्यवाही आरंभ किए जाने को चुनौती दी गयी–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही आरंभ किए जाने की दहलीज पर दाखिल अभिखंडन आवेदन में पक्षगण केवल उपस्थित हुए हैं और आगे कोई कदम नहीं उठाया गया है–अभिनिर्धारित, इस चरण पर न्यायालय के ध्यान में लायी गयी किसी अवैधता की अनुपस्थिति में न्यायालय सामान्यत: ऐसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से संकोच करेगा–याचिका खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–Mr. N.K. Sahani, For the Petitioners; None, For the State; Mr. Ajit Kumari, For the O.P. No. 1 to 10.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। राज्य की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है किंतु, विरोधी पक्षकार सं॰ 1 से 10 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

2. इस आवेदन के माध्यम से याचीगण ने एम॰ पी॰ केस सं॰ 116 वर्ष 2001 में संपूर्ण कार्यवाही एवं विद्वान सबडिविजनल मजिस्ट्रेट, चास द्वारा पारित दिनांक 27.4.2001 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (दं॰ प्र॰ सं॰) की धारा 145 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसमें यह प्रतिवाद किया गया था कि मौजा पिन्द्रारोजा में खाता सं॰ 77 के अधीन भूखंड सं॰ 564 एवं 432 से संबंधित 13.75 एकड़ से गठित बड़ा बंध के रूप में ज्ञात उनके और उनके सह-अंशधारियों का तालाब, जिसका उपयोग मत्स्य पालन के लिए किया जा रहा था, दिनांक 25.5.1911 के रजिस्टर्ड पट्टा के तहत शिव राय पांडे के पक्ष में बंदोबस्त कर दिया गया था।

3. पहले भी एम॰ पी॰ केस सं॰ 99 वर्ष 1917 में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी जब सेटलर्स ने तालाब का कब्जा लेने का प्रयास किया था किंतु इसे दिनांक 3.8.1917 को वर्तमान विरोधी पक्षकारों के पक्ष में विनिश्चित किया गया था। आगे यह प्रतिवाद किया गया था कि विगत सर्वे के दौरान खतियान में गलत प्रविष्टि की गयी थी। याचीगण के पूर्वजों ने इस आवेदन में अभिधान वाद सं॰ 73 वर्ष 1973 दाखिल किया था जिसे व्यतिक्रम के लिए दिनांक 23.1.1978 को खारिज कर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही आरंभ किए जाने के लिए प्रार्थना की गयी थी।

4. आवेदन पर आधारित दिनांक 21.3.2001 के आदेश के तहत विद्वान सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, चास ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही के आरंभ के लिए निर्देश जारी किया और अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मंगवाया और अंतत: दिनांक 27.4.2001 के आदेश के तहत दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचीगण एवं अन्य द्वारा दिए गए आवेदन पर पहले एम॰ पी॰ केस सं॰ 317 वर्ष 1998 के तहत दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही की गयी थी और उक्त कार्यवाही दिनांक 18.9.1998 के आदेश के तहत याचीगण के पक्ष में समाप्त हुई जिसका विरोध वर्तमान विरोधी पक्षकारों द्वारा दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 79 वर्ष 1998 में किया गया था जिसे भी विद्वान सत्र न्यायाधीश, बोकारो द्वारा दिनांक 25.4.2000 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था।

6. विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि चूँकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही विद्वान सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, चास द्वारा दिनांक 18.9.1998 को याचीगण के पक्ष में विनिश्चित की गयी थी, जिसे पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी अभिपुष्ट किया गया था और चूँकि विरोधी पक्षकारों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी थी जब पुनरीक्षण कार्यवाही चल रही थी, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही का आरंभ, जिसे इस आवेदन में चुनौती दिया गया है, वर्तमान विरोधी पक्षकारों की ओर से निरर्थक कार्य है और इस प्रकार यह अभिखंडित किए जाने योग्य है।

7. यह प्रतीत होता है कि वर्तमान अभिखंडन आवेदन दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही के आरंभ की दहलीज पर दखिल किया गया था जिसके द्वारा दोनों पक्षों को विद्वान सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, चास के समक्ष उपस्थित होने और अपना परस्पर मामला रखने का निर्देश दिया गया था। इस चरण पर, न्यायालय के ध्यान में लाए गए किसी अवैधता की अनुपस्थिति में न्यायालय सामान्यत: दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन आरंभ की गयी ऐसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से संकोच करेगा। वर्तमान चरण पर, चूँकि पक्षगण केवल उपस्थित हुए हैं और उक्त कार्यवाही में कोई कदम नहीं उठाया गया है, अत: ऐसी परिस्थितियों में, मैं दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन निहित अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने का इच्छुक हूँ।

8. यहाँ ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, मैं एम॰ पी॰ केस सं॰ 116 वर्ष 2001 में विद्वान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, चास द्वारा पारित दिनांक 27.4.2001 के आदेश जिसके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 145 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी है में अवैधता नहीं पाता हूँ। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, वर्तमान दांडिक विविध याचिका एतद् द्वारा अस्वीकार की जाती है।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

चन्द्रकान्त गोपालका

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 628 of 2011. Decided on 21st November, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 384–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 245–उद्दापन–निर्मुक्ति आवेदन का अस्वीकरण–अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर चर्चा आवश्यक है जिससे कि यह प्रतिबिंबित हो कि विचारण न्यायालय द्वारा समाधान अभिलिखित करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के संबंध में बुद्धि का इस्तेमाल किया गया है मामले में इस आधार पर कार्यवाही करने के लिए कि आरोपों को विरचित करने हेतु अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है–आक्षेपित आदेश में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा कोई चर्चा नहीं किया गया है–यह एक गैर आख्यापक आदेश है–आक्षेपित आदेश अपास्त तथा एक आख्यापक आदेश पारित करने के लिए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित। (पैरा 4)

निर्णयज विधि.–AIR 2000 SC 665—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Sahani, For the Petitioner; A.P.P., For the State; Mr. Awnish Shankar, For the O.P. No.2.

आदेश

परिवाद केस सं॰ 1015 वर्ष 2006 (टी॰ संख्या 129 वर्ष 2011) में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 28.6.2011 के आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन निर्दिष्ट है जिसके द्वारा निर्मुक्ति के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 245 के अधीन याची का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था।

2. याची की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ साहनी ने निवेदन किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक साक्ष्य का मूल्यांकन किये बिना विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि परिवादी की बेतुके परिवाद दाखिल करने की आदत है तथा वस्तुतः उसने पहले भी परिवाद केस सं॰ 739 वर्ष 2004 (परिशिष्ट 2) दाखिल किया था। यह कि परिवादी ने याची से अवक्रय समझौते पर एक ट्रैक्टर लिया था तथा राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से बचने के लिए उसने पूर्व में एक परिवाद मामला दाखिल किया था तथा उक्त परिवाद मामले का संज्ञान का आदेश दांडिक विविध याचिका सं॰ 217 वर्ष 2006 में अभिखंडित कर दिया गया था; कि वर्तमान मामले में, घटना 25.8.2006 को घटित हुई थी जबकि चार दिनों के अस्पष्टीकृत विलम्ब के उपरान्त 29.8.2006 को परिवाद दाखिल किया गया था; कि भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के अधीन अपराध बनाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है।

3. विपक्षी सं॰ 2 की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश शंकर ने तर्क दिया है कि याची ने वर्तमान मामले के संज्ञान के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण दाखिल किया था तथा दांडिक पुनरीक्षण सं॰ 141 वर्ष 2007 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 21.4.2008 के आदेश के माध्यम से उक्त पुनरीक्षण खारिज कर दिया गया था; कि याची ने उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी थी तथा विचारण न्यायालय ने अपना समाधान अभिलिखित किया है कि याची के विरूद्ध आरोप का गठन करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है। विपक्षी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **AIR 2000 SC 665** में रिपोर्ट किये गये **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस॰ बी॰ जौहरी एवं अन्य** के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है तथा निवेदन किया है कि उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विचारण न्यायालय के लिए आरोप गठन करने के चरण में कार्यवाही करने हेतु अपना समाधान अभिलिखित करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक तथ्यों को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, यह परिलक्षित होता है कि विचारण न्यायालय ने अभिलिखित किया है ''सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया जिससे परिलक्षित होता है कि अभिलेख पर आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।'' यह स्थापित सिद्धांत है कि आरोप विरचित करने के समय, विचारण न्यायालय के लिए साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षा करने या जांचने तथा मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसके लिए एक गहन जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है अपने आप को यह समाधान कराने के लिए कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है या नहीं परन्तु अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर चर्चा आवश्यक है जिससे कि यह प्रतिबिंबित हो कि विचारण न्यायालय द्वारा एक समाधान अभिलिखित करने हेतू अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रति न्यायिक बुद्धि का इस्तेमाल किया गया है मामले में इस आधार पर कार्यवाही करने हेतु कि आरोप विरचित करने के लिए अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आक्षेपित आदेश से यह प्रकट है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य या सामग्री के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा कोई चर्चा नहीं किया गया है। वस्तुत: यह एक गैर आख्यापक आदेश है, तद्नुसार, परिवाद केस सं॰ 1015 वर्ष 2006 (टी॰ संख्या 129 वर्ष 2011 में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 28.6.2011 का आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है एवं पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरान्त अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर एक आख्यापक आदेश पारित करने के लिए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

5. पूर्वोक्त निर्देश तथा सम्परीक्षण के साथ, दांडिक पुनरीक्षण आवेदन एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

डॉ॰ (श्रीमती) वायलेट करकत्ता एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 130 of 2006. Decided on 12th December, 2014.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन के मामलों में।

सेवा विधि–नियुक्ति–नियुक्ति के मामले में आरक्षण का लाभ–याची सं॰ 1 अधिवर्षित हो गया–केवल याची सं॰ 2 अपना वाद हेतुक आगे ले गया–प्रत्यर्थी सं॰ 9 एवं 10 की नियुक्ति को चुनौती दी गयी जिनके क्रमश: निदेशक, एक्सटेंशन एडुकेशन और मुख्य वैज्ञानिक ड्राइलैंड के रूप में विज्ञापन के अधीन नियुक्त किया गया था–याची की मुख्य शिकायत यह है कि वह

विश्वविद्यालय की संविधि के प्रावधानों की दृष्टि में नियुक्ति के मामलों में आरक्षण के लाभ का हकदार था जिससे उसे इनकार किया गया है–तथ्य बना रहा कि विश्वविद्यालय में निदेशक, एक्सटेंशन एडुकेशन का केवल एक पद और मुख्य वैज्ञानिक, ड्राइलैंड का केवल एक पद है–अभिनिर्धारित, यदि निदेशक, एक्सटेंशन एडुकेशन और मुख्य वैज्ञानिक, ड्राइलैंड का उक्त विज्ञापन के अधीन विज्ञापित प्रश्नगत पद केवल एकल पद है, तब याची की ओर से आरक्षण का कोई दावा विधितः असंपोषणीय है–याचिका खारिज। (पैराएँ 6 से 9)

निर्णयज विधि.–AIR 1998 1767; (1998) 4 SCC 1—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s M. Sohail Anwar, Afaque Ahmad, Shadab Bin Haque, For the Petitioners; Ms. Saket Upadhyay, For the Resp. No.1; M/s A. Allam, Sharwan Kr., Priya Shreshtha, For the BAU.

न्यायालय द्वारा.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

यद्यपि इन दोनों याचियों ने वर्तमान रिट याचिका में अपनी शिकायत दाखिल किया था, किंतु चूँकि याची सं 1 पहले ही वर्ष 2009 में अधिवर्षित हो गया है, केवल याची सं॰ 2 अपना वाद हेतुक अभियोजित कर रहा है।

2. सारतः याचीगण की शिकायत प्रत्यर्थी सं॰ 9 एवं 10 की नियुक्ति के संबंध में है जिन्हें क्रमशः विज्ञापन सं॰ 1/2005 के अधीन निदेशक विस्तारण शिक्षा एवं मुख्य वैज्ञानिक ड्राइलैंड के रूप में नियुक्त किया गया था। याची सं॰ 2 के व्यथित होने का मुख्य आधार यह है कि वह विश्वविद्यालय की संविधि के प्रावधानों विनिर्दिष्टतः नियम 14.8, जो विश्वविद्यालय में समस्त नियुक्तियों में ऐसे आरक्षण की अनुमति देता है, की दृष्टि में नियुक्ति के मामलों में अनुसूचित जाति का होने के नाते आरक्षण के लाभ का हकदार था जिससे उसे इनकार किया गया है। इसे इस निवेदन द्वारा आगे समर्थित किया गया है कि विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के कार्यवृत्त के मुताबिक भी विश्वविद्यालय में वरीय पदों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना है। प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के अधीन अनेक पदों पर नियुक्ति के लिए पूर्व विज्ञापन सं॰ 1/97 एवं 1/98 के संबंध में सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2505 वर्ष 1998 (R) में दिए गए निर्णय के प्रति आगे निर्देश किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 16.12.1999 के निर्णय के तहत वरीय वैज्ञानिक–सह–एशोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन अभिखंडित कर दिया था क्योंकि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वरीय वैज्ञानिक–सह–एसोसिएट प्रोफेसर के कैडर की बहुलता है और इस आधार पर आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केवल एकमात्र पद है। वर्तमान प्रथम याची के मामले में सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2688 वर्ष 1998 (R) में उक्त निर्णय का अनुसरण करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 10.4.2000 के निर्णय के तहत विज्ञापन अभिखंडित किया था जहाँ तक यह निदेशक, विस्तारण शिक्षा और निदेशक, छात्र कल्याण से संबंधित था। यह प्रतीत होता है कि तत्पश्चात याची सं॰ 1 द्वारा अवमान याचिका दाखिल किया गया था और विश्वविद्यालय ने भी विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल किया था। एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 20 वर्ष 2000 में दिनांक 12.12.2002 को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय परिशिष्ट–B पर है और निर्णय का अंतिम प्रभावी भाग यहाँ नीचे उद्धृत किए जाने योग्य है:–

^^vihy okil y yh x;h d :i e fuiVk;h tkrh gA vihykFkhx.k dk] ;fn o ink dk Hkjuk vuè;kr djr g] vk{kfir fu.k; e vrfo"V fdlh lç{k.k@fun'k l vfu"kfèkr fofèk ,o fu;ek tlk oreku e ç;kT; g d vu#i u;k foKkiu tkjh dju dh Lor=rk nh tkrh gA fdr ;g Li"V fd;k tkrk g fd vc tkjh fd;k

*tkuokyk dkb foKkiu fofèk] fu;ek ,o fofu;euk tk oreku e ç;kT; g d lkFk lxr gkxkA***

3. विद्वान खंड पीठ द्वारा किए गए संप्रेक्षण के परिशीलन से यह पूरी तरह से स्पष्ट बन जाता है कि अपीलार्थी विश्वविद्यालय को आक्षेपित निर्णय में अंतर्विष्ट किसी संप्रेक्षण/निर्देश द्वारा अनिषेधित विधि एवं नियमों, जो वर्तमान में प्रयोज्य हैं, के अनुरुप नया विज्ञापन जारी करके पद को भरने की स्वतंत्रता दी गयी थी। वर्तमान विज्ञापन जो वर्ष 2005 का है के अधीन अनेक पदों को विज्ञापित किया गया था और खंड 12 पर निबंधन एवं शर्त उपदर्शित करते हैं कि आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से जारी अनुप्रमाणित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किंतु, याची जिस पद में दिलचस्पी रखता था उस पद अर्थात् निदेशक, विस्तारण शिक्षा और मुख्य वैज्ञानिक, ड्राइलैंड का पद, के विरुद्ध केवल एक पद विज्ञापित किया गया था। अन्य पद जैसे सहायक प्रोफेसर-सह-कनीय वैज्ञानिक की संख्या 10 थी।

4. किंतु, याची का प्रतिवाद यह है कि विश्वविद्यालय में पद अंतर्परिवर्तनीय है और निदेशक, विस्तारण शिक्षा एवं मुख्य वैज्ञानिक ड्राइलैंड के पदों को कैडर की बहुलता के पद के रूप में माना जाना चाहिए जहाँ आरक्षण अनुज्ञेय है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 4 के प्रतिशपथ पत्र के प्रति प्रत्युत्तर के परिशिष्ट 8 पर निदेशक बोर्ड के कार्यवृत्त को भी निर्दिष्ट किया है। बोर्ड के उक्त निर्णय के मुताबिक डीन अथवा निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति को समतुल्य माने गए अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है परन्तु यह कि पद धारण करने वाले व्यक्ति की शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य मापदंड भी समरुप हैं।

5. किंतु, बोर्ड का यह निर्णय याची के मामले की मदद नहीं करता प्रतीत होता है क्योंकि यह दी गयी परिस्थितियों में डीन का पद धारण करने वाले पदधारी का निदेशक के पद पर अथवा इसके विपरीत पर स्थानांतरण के संबंध में है और प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं, जैसे जब पद रिक्त हैं, में आवश्यक हो सकता है। किंतु वर्तमान रिट याचिका में अंतर्ग्रस्त मुख्य विवाद्यक यह है कि क्या पद जिन्हें विज्ञापित किया गया था एकल पद है और क्या विश्वविद्यालय में ऐसे एकल पद के प्रति आरक्षण का प्रावधान लागू होता अभिनिर्धारित किया जा सकता है।

6. यद्यपि याची के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क किया है कि चूँकि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय एक संकाय से दूसरे संकाय में ऐसे पदों को धारण कर रहे अधिकारियों को पदस्थापित कर रहा है, तद्द्वारा जिसका अर्थ है कि कैडर की बहुलता है, किंतु तथ्य बना रहता है कि विश्वविद्यालय में निदेशक, विस्तारण शिक्षा का केवल एक अधिष्ठायी पद है और मुख्य वैज्ञानिक ड्राइलैंड का भी एक ही पद है जैसा प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय का निश्चित मामला है।

7. इस संबंध में विधि सुनिश्चित है जैसा **आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं शोध स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ बनाम संकाय संघ एवं अन्य, AIR 1998 SC 1767 एवं (1998)4 SCC 1,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा अधिकथित किया गया है। एकल पद कैडर में, रोस्टर के रोटेशन के कारण समय के किसी बिंदु पर आरक्षण ऐसी स्थिति लाने के लिए बाध्य है जहाँ कैडर में ऐसा एकल पद अनन्य रूप से पिछड़ी जाति के सदस्यों के लिए और कैडर के सामान्य सदस्य के पूर्ण अपवर्जन में आरक्षित रखा जाएगा, आम लोगों के सामान्य सदस्यों का ऐसा अपवर्जन और पिछड़े वर्गों के लिए शत-प्रतिशत आरक्षण संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं है। जब तक कैडर में पदों की बहुलता

नहीं है, आरक्षण का प्रश्न उद्भूत नहीं होगा। **आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं शोध स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ (ऊपर)** मामले में निर्णय के पैरा 35 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मत यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"35. vr%] tc rd dMj e ink dh cgyrk ugh g] vkj{k.k dk ç'u mnHkr ugh gkxk D;kfd fdlh Hkh lkèku }kjk vkj ,dy in dMj e jkLVj d jkV'ku dh ;fDr d lkFk Hkh vkj{k.k dk dkb ç;kl ,l in dk 100% vkj{k.k lftr dju d fy, ckè; g tc dHkh Hkh ,lk vkj{k.k fØ;kfUor fd;k tkrk gA ,dy in dMj d lcèk e jkLVj d jkV'ku dh ;fDr dk vFk doy ;g gkxk fd dN volj ij i.k vkj{k.k gkxk vkj ,l in ij fu;fDr lenk; d fo'kky [kM d lnL;k dk bldh lhek l ckgj j[kk tk,xk tk fdlh vkjf{kr ox l ugh vkr g fdr dN volj ij in [kyh çfr;kfxrk d fy, miyCèk jgxk tc oLrr% ,l leLr volj ij ,dy in dMj dk lekt d leLr [kMk d chp e l [kyh çfr;kfxrk }kjk Hkjk tkuk pkfg, FkkA**

8. याची द्वारा विश्वास किए गए संविधि का प्रावधान अर्थात् नियम 14.8 पूर्वोक्त विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के अल्पीकरण में नहीं हो सकता है।

9. ऐसी परिस्थितियों में, यदि उक्त विज्ञापन के अधीन निदेशक, विस्तारण शिक्षा और मुख्य वैज्ञानिक ड्राइलैंड का प्रश्नगत पद केवल एकल पद है, तब याची की ओर से आरक्षण का कोई दावा विधित: असंपोषणीय है। अत:, उस आधार पर याची द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 9 एवं 10 की नियुक्ति को दी गयी चुनौती सफल नहीं हो सकती है।

तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

आई॰ ए॰ सं॰ 1416 वर्ष 2006 एवं 2686 वर्ष 2012 बंद किया जाता है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

पीटर बारला

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) 2486 of 2013. Decided on 17th December, 2014.

बिहार/झारखंड सेवक आचरण नियमावली, 1976—नियम 3 एवं 4—अभिखंडन–सेवा से बर्खास्तगी–अनुशासित बल का सदस्य याची हर समय शराब के नशे में कार्यालय आया करता था और सहयोगियों एवं लोगों के प्रति गाली-गलौज की भाषा एवं असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करता था जिस कारण आम लोगों में पुलिस की छवि खराब हो गयी थी–याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी और जाँच अधिकारी के समक्ष आरोपों का खंडन करने का सम्यक अवसर दिया गया–याची ने अनेक नोटिसों के बावजूद जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना नहीं चुना–अनुशासनिक प्राधिकारी याची के पूर्ववृत्त तथा जाँच के क्रम में दर्ज किए गए बयानों के आधार पर जाँच अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए

इस निष्कर्ष पर आया कि याची सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मान्य ठहराया गया था–याची का आचरण सरकारी सेवक के योग्य नहीं है–उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण अधिकारिता के प्रयोग में राज्य की प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की सीमित गुंजाइश है–याचिका खारिज।

(पैराएँ 9 से 14)

निर्णयज विधि.–(2006) 5 SCC 673—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Vaibhav Kumar, For the Petitioner; J.C. to A.G, For the Respondents.

आदेश

याची पुलिस उप–महानिरीक्षक, कोल रेंज, बोकारो एवं आरक्षी अधीक्षक, धनबाद द्वारा पारित क्रमश: दिनांक 3.8.2010 एवं दिनांक 9.4.2010 के आदेशों जिनके द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है से व्यथित होकर इस न्यायालय के पास आया है।

2. याची की ओर से निवेदन किया गया है कि उसे दिनांक 10.7.1999 को गुमला जिला पुलिस बल में कॉंस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। जब वह जिला धनबाद में चिरकुंडा पी॰ एस॰ में पदस्थापित था, उसके विरुद्ध उसमें यह अभिकथन करते हुए आरोप ज्ञापन जारी किया गया था कि याची ने नशे की हालत में चिरकुंडा पी॰ एस॰ में अपना पदग्रहण किया था और कर्तव्य पर भी वह सदैव नशे की हालत में रहता था और गाली–गलौज की भाषा का प्रयोग करता था जिस कारण आम जनता में पुलिस की छवि अत्यन्त खराब हो गयी थी। नियमित विभागीय जाँच की गयी थी और याची को जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। जाँच अधिकारी ने आरोप सिद्ध किए जाने के संबंध में निष्कर्ष दिया था। तत्पश्चात, अनुशासनिक प्राधिकारी ने इसे स्वीकार किया था और याची के विरुद्ध बर्खास्तगी का आदेश पारित किया था। याची ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल किया था जिन्होंने भी बर्खास्तगी का आदेश मान्य ठहराया था।

3. याची द्वारा आक्षेपित आदेशों का विरोध करने का आधार यह है कि याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची की नशे की हालत से संबंधित आरोप सिद्ध करने के संबंध में उसके चिकित्सीय परीक्षण के लिए याची को डॉक्टर के समक्ष नहीं लाया गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि अभिलेख पर मौजूद किसी सामग्री की अनुपस्थिति में आरोप सिद्ध करने से संबंधित जाँच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष अनुचित है और केवल लापरवाह जाँच रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी की सेवा वापस नहीं ली जा सकती है और वह भी बर्खास्तगी का आदेश पारित करके जो कठोर दंड है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची के विरुद्ध अभिकथन की प्रकृति अत्यन्त गंभीर है। याची के अनुशासनिक बल का सदस्य होने के नाते चौबीस घंटे नशे की हालत में बने रहने की उम्मीद नहीं की जाती है और उससे सार्वजनिक अथवा खुले स्थान में गाली गलौज की भाषा का उपयोग करने की उम्मीद भी नहीं की जाती है। आगे यह निवेदन किया गया है कि जाँच अधिकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शों एवं साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद निष्कर्ष पर आया था कि याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध किए गए हैं।

5. प्रत्यर्थीगण राज्य की ओर से आगे यह निवेदन किया गया है कि याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था क्योंकि उसके विरुद्ध द्वितीय कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था किंतु याची को बार–बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद याची ने कोई उत्तर देना नहीं चुना था। तत्पश्चात, जाँच अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्षों के आधार पर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी अभिपुष्ट किया गया था।

पक्षों को सुना गया।

6. याची अनुशासित बल का सदस्य है। याची के विरुद्ध अभिकथन यह है कि वह नशे की हालत में कार्यालय आता था और हर समय नशे में रहता था और सहयोगियों एवं आम लोगों के प्रति गाली–गलौज एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग करता था जिस कारण आम जनता में पुलिस की छवि खराब हो गयी थी। विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के बाद याची को जाँच अधिकारी के समक्ष आरोपों का खंडन करने का समस्त सम्यक अवसर दिया गया था। जाँच अधिकारी ने किसी एस॰ आई॰ राजेन्द्र कुमार, प्रभारी अधिकारी, चिरकुंडा पी॰ एस॰ का बयान लिया था जिसने कथन किया था कि याची सदैव नशे की हालत में रहता था और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहने के बावजूद वह गाली–गलौज की भाषा का प्रयोग करता था। नशे की हालत में याची सड़क पर जाता था और सदैव वाहनों के आवागमन में रूकावट डालता था और आम जनता को अपमानित करता था। चिरकुंडा पी॰ एस॰ का प्रभारी अधिकारी सब–इंस्पेक्टर राजेन्द्र कुमार दास उसके ठीक उपर का नियंत्रक प्राधिकारी था जिसने विनिर्दिष्टत: कथन किया था कि इस स्थिति में उससे काम लेना संभव नहीं था। उसने इस संबंध में रिपोर्ट भी दिया था। अन्य गवाह अर्थात् अशोक कुमार ने भी अभिसाक्ष्य दिया था और याची के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को अभिपुष्ट किया था।

7. प्रतिशपथ पत्र के परिशीलन से यह प्रकट है कि याची को अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था किंतु बार–बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उसने स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया था और कारण बताओ नोटिस का उत्तर भी नहीं दिया था।

8. आगे यह प्रतीत होता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी जाँच रिपोर्ट एवं गवाहों के अभिसाक्ष्यों का अधिमूल्यन करने के बाद इस निष्कर्ष पर आया था कि याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप सत्य हैं। जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद याची को द्वितीय कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था जिसका तद्नुसार दिनांक 4.4.2010 को उत्तर दिया गया था किंतु इसे असंतोषजनक पाते हुए और याची के पूर्व सेवा अभिलेख का परिशीलन करने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

याची का पूर्व सेवा अभिलेख दर्शाता है कि:–

1. जब याची आरक्षित प्रहरी के रूप में जोकटा पी॰ एस॰ में पदस्थापित था, वह नशे की हालत में कर्तव्य से अनुपस्थित था जिसके लिए उसके विरुद्ध दंड का आदेश एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोकते हुए आदेश सं॰ 2804 वर्ष 2006 पारित किया गया था।

2. जब याची सरायधेला पी॰ एस॰ में पदस्थापित था, वह सूचना के बिना कार्यालय से अनुपस्थित था जिसके लिए दंड का आदेश याची की दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकते हुए आदेश सं॰ 1177 वर्ष 2004 पारित किया गया था।

3. जाँच सं॰ 1 वर्ष 09 के क्रम में धनबाद जिला पुलिस द्वारा याची पर एक और दंड अधिरोपित किया गया था क्योंकि याची ने प्रतिनियुक्ति के नए स्थान पर अपना पदग्रहण नहीं किया था जिसके लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकते हुए आदेश सं॰ 1239 वर्ष 2010 पारित किया गया था।

4. गाली–गलौज की भाषा का प्रयोग करने के लिए दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकते हुए याची के विरुद्ध एक अन्य दंड आदेश–आदेश सं॰ 1240 पारित किया गया था जब वह धनबाद पी॰ एस॰ में पदस्थापित था।

9. अनुशासनिक प्राधिकारी याची के पूर्व पृववृत्त और जाँच के क्रम में दर्ज बयानों के आधार पर

जाँच अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष के परिशीलन पर इस निष्कर्ष पर आया था कि याची सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है। अतः, आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

10. इस संदर्भ में, बिहार झारखंड सेवक आचरण नियमावली, 1976 को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जिसे बिहार के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अधीन सम्मिलित किया गया है जिसमें नियम 3 में यह प्रावधानित किया गया है कि:–

*3. **lkekU;**-&(1) çR;d ljdkjh lod lc le;&*

(i) li.k v[kMrk cuk, j[kxk(

(ii) dr0; d çfr fu"Bk cuk, j[kxk(,o

*(iii) **,Ik dN ugh djxk tk ljdkjh lod dk 'kkHkk ugh nrk gA***

fu;e 4 vkx çkoèkkfur djrk g fd%&

*4. **u'kk dju oky i; ,o vk"kfèk dk miHkkx-&**dkb ljdkjh lod*

(i) dr0; ij u'kk dju oky i; vFkok vk"kfèk d çHkko e bl lhek rd ugh jgxk tk lefpr :i l ,o n{krkiod viu dr0;k dk fuogu dju e mldk v;kX; cuk n(

(ii) vknro'k vR;fèkd u'kk dju oky i; ,o vk"kfèk dk mi;kx ugh djxk(

(iii) u'k dh gkyr e lkotfud LFkku ij mifLFkr ugh gkxk(vkj

(iv) lkotfud LFkku ij fdlh u'khy i; vFkok vk"kfèk dk miHkkx ugh djxkA

11. अभिकथन की प्रकृति पर विचार करते हुए सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि याची का आचरण सरकारी सेवक होने योग्य नहीं है।

12. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था किंतु स्वयं याची ने उसको दी गयी अनेक नोटिसों के बावजूद जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना नहीं चुना था जो उसके ढीठ रवैया को परिलक्षित करता है। अनुशासनिक प्राधिकारी ने याची के विगत अभिलेख का परिशीलन करने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया था जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी मान्य ठहराया गया था।

13. चूँकि अनुशासनिक प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट निष्कर्ष दिया है जिस पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भी विचार किया गया है और, इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन विचार करते हुए यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्आकलन नहीं कर सकता है और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए तथ्यों एवं निष्कर्षों को अस्त–व्यस्त नहीं कर सकता है जैसा **उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य बनाम राजकिशोर यादव एवं एक अन्य, (2006)5 SCC 673,** में पैरा 4 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप से विचार किया गया है:–

*^^---------;g lfuf'pr fofèk g fd mPp U;k;ky; d ikl Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu v lkèkkj.k vfèkdkfjrk d ç;kx e jkT; dh ç'kklfud dkjokb e gLr{ki dju dh lhfer xtkb'k g vkj] blfy,] tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k vkj lok l c[kkLrxh d nM dk ikfj.kkfed vkn'k vLr&0;Lr ugh fd;k tkuk pkfg,A***

14. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं है।

अतः वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मीरा बौरी

cuke

इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

W.P. (S) No. 3245 of 2011. Decided on 28th August, 2014.

सेवा विधि–मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ–भुगतान–पुत्र को अनुकंपा पर नियुक्ति–याची ने स्वयं को स्व॰ मिलन बौरी की विधिवत व्याहता पत्नी होने का दावा किया–मृतक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में मीरा बौरी का नाम कहीं नहीं आता है बल्कि सेवा पुस्तिका में कमला बौरी नाम निर्देशिती है–मृतक कर्मचारी के साथ याची के विवाह की घोषणा नहीं है और न ही स्वर्गीय कर्मचारी के साथ याची के विवाह के विघटन का प्रमाण पत्र है–याची निर्देश के लिए मामला बनाने में विफल रही–याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Sanjay Prasad, For the Petitioner; Mr. Rajesh Lala & Mr. Arpit Kumar, For the ECL.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी इस्टर्न कोल फील्ड्स लि॰ के अधिवक्ता सुने गए।

2. याची जो स्वयं को स्वर्गीय मिलन बौरी की विधिवत् ब्याहता पत्नी होने का दावा करती है ने उक्त कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवारत रहते हुए दिनांक 29 मई, 2010 को हो गयी बतायी जाती है के मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश इप्सित किया है।

3. याची के अनुसार, उसका विवाह दिनांक 6 दिसंबर, 1984 को संपन्न किया गया था और इसे दिनांक 30 सितंबर, 1999 को परिशिष्ट-1 पर प्रमाण पत्र के मुताबिक विवाह अधिकारी, धनबाद के समक्ष रजिस्टर्ड किया गया था। उसने परिशिष्ट-3 के तहत प्रत्यर्थी ई॰ सी॰ एल॰ के अधीन एजेन्ट, राजपुर कोलीयरी के समक्ष उक्त कर्मचारी के साथ हुए विवाह से जन्मे दो पुत्रों एवं दो पुत्रियों के नामों को उपदर्शित करते हुए अभ्यावेदन किया है। उसमें पिंटू बौरी का नाम पुत्र के रूप में उपदर्शित किया गया है। किंतु याची का दावा सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर दस्तावेज मौजूद नहीं है कि इन आश्रितों में से कोई मृतक कर्मचारी के आधिकारिक अभिलेख में हैं।

4. प्रत्यर्थी ई॰ सी॰ एल॰ का मामला यह है कि मृतक कर्मचारी के सेवा अभिलेख में मीरा बौरी का नाम कहीं नहीं आता है बल्कि कमला बौरी पत्नी के रूप में सेवा अभिलेख में नाम निर्देशिती है। मृतक कर्मचारी के साथ याची के विवाह की कोई न्यायिक घोषणा नहीं है, और न ही स्वर्गीय कर्मचारी के साथ कमला बौरी के विवाह के विघटन का प्रमाणपत्र है अत:, याची के दावा का मजबूती से प्रतिरोध किया गया है।

5. पूर्वोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में याची ने मृतक कर्मचारी के किसी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति देयों के भुगतान के लिए अथवा उसके पुत्र जिसका नाम कंचन बौरी के रूप में दर्शाया गया है जबकि रिट याचिका में संलग्न अन्य दस्तावेज जैसे परिशिष्ट-3 में उसका नाम पिंटू बौरी के रूप में दर्शाया गया है, की अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए मामला नहीं बनाया है। अत:, तथ्यों की विवादित अवस्था में, रिट अधिकारिता के प्रयोग में, याची को अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। आई॰ ए॰ बंद किया जाता है।

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

नुरुल होदा

cuke

मेकॉन लिमिटेड एवं अन्य

W.P.(S) No. 6387 of 2009. Decided on 9th January, 2015.

सेवा विधि–सेवा निवृत्ति बकाया–सेवा निवृत्ति देयों तथा वेतन बकाया, अवकाश नगदकरण का अंतर, भविष्यनिधि पर ब्याज, एल॰ टी॰ सी॰ के भुगतान, टी॰ ए॰ के भुगतान के लिए–मांग नोटिस का अभिखंडन जिसके द्वारा गृह किराया वसूला गया–याची द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027/2003 में की गयी शिकायत दूर की गयी थी–चूँकि प्राधिकारी ने याची को एल॰ टी॰ सी॰ अथवा तत्पश्चात् अवकाश नगदकरण की किसी राशि को पाने का हकदार नहीं पाते हुए आदेश पारित किया था, अवमान आवेदन खारिज किया गया–याची को नया वाद हेतुक प्रोद्भूत नहीं हुआ है–याची ने किसी आदेश को चुनौती नहीं दिया है जिसे डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027/2003 में पारित आदेश के निबंधनानुसार पारित किया गया है–रिट याचिका ग्रहण नहीं की जा सकती है क्योंकि इसे उसी शिकायत के लिए दाखिल किया गया है, रिट याचिका में याची द्वारा किसी आदेश को चुनौती नहीं दी गयी है–पूर्वोक्त मामले में की गयी प्रार्थना की दृष्टि में प्रार्थना C तथा E ग्रहण नहीं किया जा सकता है–याची को टुकड़े में अपनी व्यथा के प्रतितोष के लिए याची को आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है–याचिका खारिज। (पैराएँ 8 से 11)

अधिवक्तागण.–M/s Rajesh Kumar, For the Petitioner; M/s Amitabh, For the Respondents.

आदेश

याची ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना किया है:–

(a) fnukd 1.1.1997 l etnjh iujh{k.k d dkj.k lokfuofÙk n;k rFkk oru cdk;k vkj etnjh iujh{k.k d dkj.k çknHkr fnukd 1.1.1997 l fnukd 5.2.2002 rd d çHkko l vodk'k uxndj.k d vrj vkj fnukd 1.1.1992 l fnukd 31.12.1996 rd d çHkko l 18% okf"kd nj ij C;kt d lkFk vodk'k uxndj.k d vrj ,o 0;; d Hkxrku d fy, çR;Fkhx.k dk fun'k nu d fy,A

(b) fnukd 7.2.2004 d ekx ukfVl l0 11.79K-10 (1500 stf) d Hkkx d vfHk[kMu d fy, ftld }kjk fnukd 6.5.2002 l fnukd 31.1.2004 dh vofèk d fy, 3/#i;k çfr oxQhV çfrekg dh nj ij xg fdjk;k olyk x;k FkkA

(c) fnukd 1.1.1997 l 5.2.2002 rd d etnjh cdk;k ij iknHkr Hkfo"; fufèk ij C;kt d Hkxrku d fy,A

(d) o"k 2000–2001 rFkk 2002–2003 d fy, ,y0 Vh0 lh0 d Hkxrku d fy,A

(e) 10.7.1992 l fnukd 8.12.1995 rd d Vh0 ,0 d Hkxrku d fy,A

2. याची की ओर से निवेदन किया गया है कि उसने वर्ष 1963 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड में अपनी सेवा ग्रहण किया था और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्संरचना पर याची की सेवा वर्ष 1977 में मेकॉन को स्थानांतरित की गयी थी। याची वरीय प्रबंधक (कार्मिक) के रूप में मुख्यालय, राँची में पदस्थापित था और 58 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर दिनांक 5.2.2002 को सेवानिवृत हुआ।

आगे यह निवेदन किया गया है कि इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के परिणामस्वरुप प्रबंधन ने दिनांक 27 अगस्त, 2002 के आदेश के तहत (रिट याचिका का परिशिष्ट-2) दिनांक 1.1.1997 के प्रभाव से मेकॉन के कार्यपालकों के वेतनमान एवं महंगाई भत्ता का पुनरीक्षण क्रियान्वित किया। यद्यपि याची दिनांक 5.2.2002 को अपने सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था किंतु उसने सेवानिवृत्ति लाभों की पूर्ण राशि नहीं पाया था ओर न ही पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ पाया था जैसा मेकॉन लिमिटेड के अन्य समस्थित कर्मचारियों को प्रदान, निर्मुक्त एवं भुगतान किया गया था।

3. आगे यह निवेदन किया गया है कि कंपनी ने दिनांक 21.10.2008 को नियमित कर्मचारियों को दिनांक 1.1.1997 से दिनांक 31.12.2002 तक की अवधि के लिए पुनरीक्षित वेतन का बकाया का भुगतान किया था जबकि याची को यद्यपि तदर्थ आधार पर कुछ राशि का भुगतान किया गया था, किंतु राशि का इसकी संपूर्णता में भुगतान नहीं किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची ने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 6723 वर्ष 2003 में इस न्यायालय को वचन देकर दिनांक 31.1.2004 को क्वार्टर खाली किया था कि 6/- रुपया प्रति फीट प्रतिमाह की दर पर दंड किराया प्रभारित नहीं किया जा सकता है बल्कि केवल मानक किराया प्रभारित करने का अनुरोध किया था किंतु उक्त वचन के विपरीत मानक गृह किराया और मीटर किराया भी लिया गया था।

4. याची पहले डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 के तहत इस न्यायालय के पास आया था जिसे दिनांक 18.2.2009 के आदेश के तहत निपटाया गया था और जब डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था, याची ने अवमान आवेदन अर्थात् अवमान (सिविल) सं॰ 429 वर्ष 2009 दाखिल किया था जिसे दिनांक 16.11.2009 के आदेश के तहत छोड़ दिया गया था। अब, याची की शिकायत यह है कि दावा, जिसे डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 में याची द्वारा इप्सित किया जा रहा है, प्रतितोषित नहीं किया गया है, अत: वह वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है।

5. प्रत्यर्थीगण प्रबंधन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची की शिकायत पहले ही दूर कर दी गयी थी। याची ने अवमान आवेदन दाखिल किया था, किंतु इस न्यायालय ने अपनी अवमान अधिकारिता के अधीन इस आधार पर कि याची को एल॰ टी॰ सी॰ अथवा अवकाश नगदकरण की किसी राशि का हकदार नहीं पाया गया था, अवमान याचिका खारिज करते हूए आदेश पारित किया गया था।

6. इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि याची के पास नया वाद हेतुक नहीं है। शिकायत जिसे वर्तमान रिट याचिका में किया गया है, पूर्व रिट याचिका की विषय वस्तु भी थी।

7. चूँकि शिकायत पहले ही दूर कर दी गयी थी अर्थात यही कारण है कि इस न्यायालय द्वारा इससे संतुष्ट होने पर कि डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 में पारित आदेश का पहले ही अनुपालन किया गया था, अवमान आदेश खारिज कर दिया गया था। प्रबंधन की ओर से आगे यह निवेदन किया गया है कि याची के पास नया वाद हेतुक नहीं है और ऐसी दशा में वर्तमान रिट याचिका ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है।

8. पक्षों की ओर से किए गए परस्पर विरोधी निवेदन सुने गए। सामने आने वाले तथ्य निम्नलिखित हैं:–

1. ;kph bl h f'kdk;r dk djr g, MCY;0 ih0 (, l0) l0 5027 o"k 2003 e bl U;k;ky; d ikl vk;k Fkk tl k MCY;0 ih0 (, l0) l0 5027 o"k 2003, e ikfjr fnukd 18.2.2009 d vkn'k l Li"V gkxk ft l ;gk uhp m) r fd;k tk jgk g%&

"(A) lokfuofÙk n;k@ykHkk rFkk fnukd 1.1.1997 d çHkko l etnjh iujh{k.k d dkj.k oru cdk;k] Hkxrku ugh fd, x, lokfuofÙk ykHkk vkj ,l iujhf{kr orueku d cny mud lokfuofÙk ykHkk ij 18% çfr o"k dh nj ij C;kt d lkFk jkf'k vrj dk Hkxrku dju d fy, çR;FkhX.k dk fun'k nu d fy, vkj 0;;A

(B) fnukd 25.8.2003 d ifji= l0 11.73 d vfHk[kMu d fy, ftld }kjk ,o ftld vèkhu çR;Fkhx.k u lokfuofÙk ,o vU; n;k d foyfcr Hkxrku d fy, 'kkfLrd C;kt ,o 0;; dk Hkxrku fd, fcuk fnukd 15.9.2003 rd DokVj dk fdjk;k 3/-#i;k ox QhV@çfrekg dh nj ij vkj dher eY; ij fo|r vkj rRi'pkr 6/-#i;k çfrox QhV çfrekg dh nj ij oly dju dk fu.k; fd;k gA

(C) 18% okf"kd nj ij nM C;kt d lkFk fdlh vU; xkâ; n;k ,o 0;; d Hkxrku d fy,A**

2. ;kph u MCY;0 ih0 (,l0) l0 5027 o"k 2003 e ikfjr fnukd 18.2.2009 d vkn'k d vuuikyu d fy, voeku vkn'k l0 429 o"k 2009 Hkh nkf[ky fd;k FkkA voeku vkonu e ikfjr vkn'k dk ;gk uhp m)r fd;k tk jgk g%&

^^çR;Fkh voekudrkvk d vfèkoDrk }kjk dFku fd;k x;k g fd ;kph dk xkg; n;k dk Hkxrku dj fn;k x;k g] fdr ml ,y0 Vh0 lh0 rFkk vodk'k uxndj.k dh fdlh jkf'k dk gdnkj ugh ik;k x;k gA

vr% voeku ekeyk ugh curk gA ;g voeku ;kfpdk [kkfjt dh tkrh gA**

9. यह प्रतीत होता है कि यदि वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा की गयी प्रार्थना की तुलना डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 में पक्षों द्वारा की गयी प्रार्थना के साथ की जाती है, दोनों में तात्विक भिन्नता नहीं है।

10. चूँकि इस न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 18.2.2009 के आदेश के तहत याची को एल॰ टी॰ सी॰ एवं अवकाश नगदकरण के भुगतान के संबंध में अपनी शिकायत करने का निर्देश दिया जिस पर प्रत्यर्थीगण प्रबंधन को तीन सप्ताह के भीतर इस पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। अवमान (सिविल) मामला सं॰ 429 वर्ष 2009 में पारित दिनांक 16.11.2009 के आदेश, जिसे यहाँ ऊपर उद्धृत किया गया है, से आगे प्रतीत होता है कि डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 में याची द्वारा की गयी शिकायत दूर कर दी गयी थी। चूँकि प्राधिकारी ने याची को एल॰ टी॰ सी॰ अथवा अवकाश नगदकरण की किसी राशि पाने का हकदार नहीं पाते हुए आदेश पारित किया था, तत्पश्चात अवमान आवेदन खारिज कर दिया गया है।

11. इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि याची को नया वाद हेतुक प्रोद्भूत नहीं हुआ है क्योंकि याची ने किसी आदेश जिसे डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 18.2.2009 के आदेश के निबंधनानुसार पारित किया गया है को चुनौती नहीं दिया है। अत:, रिट याचिका ग्रहण नहीं की जा सकती है चूँकि इसे उसी शिकायत के लिए दाखिल किया गया है और इसके अतिरिक्त, रिट याचिका में याची द्वारा किसी आदेश को चुनौती नहीं दी गयी है।

12. जहाँ तक प्रार्थना सं॰ सी॰ एवं ई॰ का संबंध है, इसे भी डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 की प्रार्थना सं॰ सी॰ की दृष्टि में ग्रहण नहीं किया जा सकता है जो दंड ब्याज के साथ किसी अन्य ग्राह्य देयों के भुगतान के लिए है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 में प्रार्थना सं॰ सी॰ एवं ई॰ की विनिर्दिष्टत: प्रार्थना नहीं की गयी है, इसे पश्चातवर्ती रिट याचिका में नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5027 वर्ष 2003 की दाखिली की तिथि पर यह शिकायत याची के साथ थी और याची को टुकड़ों में अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए इस न्यायालय के पास आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

13. इस प्रकार, तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता में, मैं वर्तमान रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ। अत: इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

सुधीर कुमार साधु खान एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 5945 of 2012. Decided on 11th December, 2014.

बिहार भूमि-सुधार (महत्तम सीमा क्षेत्र का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961—अभिखंडित किया जाना–याचीगण को उपसमाहर्त्ता, भूमि एवं महत्तम सीमा के आदेश द्वारा 3 इकाईयाँ अनुज्ञात की गयी थी, उनके नामों के नामांतरण के लिए याचिकाएँ अंचलाधिकारी के समक्ष दाखिल की गयी थीं जिनमें नोटिस जारी किए गए थे–प्रत्यर्थी सं॰ 7 ने उपसमाहर्ता, भू-सुधार के समक्ष आवेदन दाखिल किया जिस पर याचीगण द्वारा आपत्ति की गयी थी–दिनांक 11.7.1997 को डी॰ सी॰ एल॰ आर॰ ने प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा दाखिल आवेदन अनुज्ञात किया–याचीगण द्वारा दाखिल अपील खारिज की गयी, दाखिल किया गया पुनरीक्षण भी अपोषणीय के रूप में खारिज किया गया–याचीगण की माता द्वारा दाखिल डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4040/2002 यह संप्रेक्षित करते हुए निपटायी गयी थी कि पक्षों के बीच विवाद सिविल न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा–प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने वाद वापस लेने की अनुमति इप्सित करते हुए लंबित वाद में आवेदन दिया, इसे वापस लेने की अनुमति दी गयी थी–याचीगण रजिस्टर II से प्रत्यर्थी सं॰ 6 के नाम को हटाने के लिए और राजस्व अभिलेख में अपना नाम प्रविष्ट करवाने के लिए आवेदन दाखिल करके उप-समाहर्ता भू-सुधार के पास गए, उक्त याचिका खारिज की गयी थी–अभिनिर्धारित डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4040/2002 में न्यायालय द्वारा मत अभिव्यक्त नहीं किया गया था–रजिस्टर II से प्रत्यर्थी सं॰ 6 के नाम का हटाया जाना इप्सित करते हुए याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय था–पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास जाने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका निपटायी गयी। (पैरा 8)

अधिवक्तागण.–M/s Rajeev Ranjan Tiwari, Amit Kr. Tiwari, For the Petitioner; M/s V.K. Prasad, Vineet Prakash, For the Resp.-State; Mr. Md. Shamim Akhtar, For the Resp. No.6.

आदेश

राजस्व विविध मामला सं॰ 3 वर्ष 2011-12 में दिनांक 26.6.2012 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए याचीगण वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आए हैं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि बिहार भू-सुधार (महत्तम सीमा क्षेत्र का नियतिकरण एवं अधिशेष भूमि का अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन कार्यवाही में याचीगण को उप-समाहर्ता, भूमि एवं महत्तम सीमा, के दिनांक 14.4.1978 के आदेश के तहत तीन इकाईयाँ अनुज्ञात की गयी थी। याचीगण ने अपने नामों के नामांतरण के लिए अंचलाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया जिसमें नोटिस जारी किए गए थे। बाद में यह पता चला कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम के नामांतरण

के लिए उप–समाहर्ता, भू सुधार, के समक्ष आवेदन दाखिल किया। याचीगण ने भी प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा दाखिल आवेदन में उप–समाहर्ता, भू–सुधार के समक्ष आपत्ति दाखिल किया किंतु दिनांक 11.7.1997 के आदेश के तहत विद्वान उप–समाहर्ता, भू–सुधार, ने प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा दाखिल आवेदन अनुज्ञात किया। याचीगण ने अपील दाखिल किया जिसे अपर समाहर्ता द्वारा दिनांक 2.12.1997 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और याचीगण द्वारा दाखिल पुनरीक्षण भी दिनांक 10.4.2002 के आदेश के तहत अपोषणीय के रूप में खारिज कर दिया गया था। व्यथित होकर याचीगण की माता डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4040 वर्ष 2002 में इस न्यायालय के पास आयी जिसे दिनांक 12.2.2007 के आदेश के तहत यह संप्रेक्षित करते हुए निपटाया गया था कि पक्षों के बीच विवाद सिविल न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा। एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 134 वर्ष 2007 में दिनांक 10.9.2007 के आदेश के तहत रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभिपुष्ट किया गया था और एल॰ पी॰ ए॰ निपटाया गया था। यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने लंबित वाद टी॰ एस॰ सं॰ 7 वर्ष 1997 में वाद वापस लेने के लिए न्यायालय की अनुमति इप्सित करते हुए आवेदन दिया और दिनांक 17.11.2011 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी सं॰ 6 को वाद वापस लेने की अनुमति दी गयी थी। तत्पश्चात्, याचीगण रजिस्टर II से प्रत्यर्थी सं॰ 6 का नाम हटाने और राजस्व अभिलेख में अपना नाम प्रविष्ट करवाने की प्रार्थना के साथ आवेदन दिया। याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 26.6.2012 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है, अत: यह याचीगण इस न्यायालय के पास आए है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

4. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण की याचिका को अपोषणीय अभिनिर्धारित करते हुए पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 10.4.2002 का आदेश प्रकटत: गलत है। इस न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4040 वर्ष 2002 और एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 134 वर्ष 2007 में मामले के गुणागुण का न्याय निर्णयन नहीं किया है और कि रिट याचिका तथा एल॰ पी॰ ए॰ संक्षिप्त रूप से खारिज कर दी गयी थी और इस प्रकार, विद्वान उप–समाहर्ता, भू–सुधार द्वारा पारित दिनांक 11.7.1997 का आदेश एकमात्र आदेश है जिसके द्वारा पक्षों के अधिकारों को गुणागुण पर न्यायनिर्णीत किया गया है और इसलिए, याचीगण ने रजिस्टर II से प्रत्यर्थी सं॰ 6 का नाम हटवाने के लिए उक्त प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दिया। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4040 वर्ष 2002 में इस न्यायालय द्वारा गुणागुण पर न्याय निर्णयन नहीं किया गया है जिसे एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 134 वर्ष 2007 में दिनांक 10.9.2007 के आदेश द्वारा अभिपुष्ट किया गया था, वर्तमान रिट याचिका न्यायनिर्णीत द्वारा वार्जित नहीं है।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मो॰ शमीम अख्तर याचीगण को वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता के प्रति आरंभिक आपत्ति करते हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि मूल प्राधिकारी के समक्ष कोई भी आदेश आक्षेपित नहीं किया गया था, उप–समाहर्ता, भू–सुधार ने दिनांक 26.6.2012 के आदेश के तहत सही प्रकार से आवेदन खारिज कर दिया।

6. झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी॰ के॰ प्रसाद ने भी याचीगण की प्रार्थना का विरोध किया और निवेदन किया कि चूँकि रिट याचिका में उठाए गए विवाद्यक तथ्य के विवादित प्रश्न अंतर्ग्रस्त करते हैं, इसे रिट कार्यवाही में विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से यह प्रकट है कि उप-समाहर्ता, भू-सुधार द्वारा पारित दिनांक 11.7.1997 के आदेश की संपोषणीयता पर निर्णय नहीं है। पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 10.4.2002 का आदेश भी गलत प्रतीत होता है। यह भी स्वीकृत अवस्था है कि इस न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4040 वर्ष 2002 में मामले के गुणागुण पर अपना मत अभिव्यक्त नहीं किया है। डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 4040 वर्ष 2002 में पारित आदेश लेट्र्स पेटेन्ट न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया गया है और इस प्रकार मेरा मत है कि रजिस्टर II से प्रत्यर्थी सं॰ 6 के नाम को हटवाने की मांग करते हुए याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय था। यह अलग बात है कि याचीगण अपने आवेदन पर दिनांक 11.7.1997 के आदेश की वापसी इप्सित करने वाले आवेदन के रूप में लेबल नहीं लगा सके थे किंतु, मेरा मत है कि याचिका का सार देखा जाना चाहिए था और न कि लेबल। किंतु, जैसा प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही प्रकार से प्रतिवाद किया गया है कि चूँकि याचीगण के पास पुनरीक्षण का उपचार है, यह न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा यदि याचीगण को पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी जाती है। तद्नुसार, याचीगण को चार सप्ताह की अवधि के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास जाने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका निपटायी जाती है। यह उम्मीद की जाती है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों के आधार पर याचीगण द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका, यदि हो, विनिश्चित करेंगे। तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 130 वर्ष 2014 निपटायी जाती है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

राज बंश पांडे

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 387 of 2010. Decided on 8th December, 2014.

सेवा विधि–पेंशन–सेवा निवृत्ति पश्चात देयों का भुगतान अस्वीकार किया गया–याची काम में लगा हुआ है और 58 वर्ष की सेवा के बाद अधिवर्षित हुआ है–याची ने सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई डिविजन, सेनहा, लोहरदग्गा के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 6.10.1986 के पत्र पर विश्वास किया जिसमें यह दर्शाया गया है कि याची का पद ग्रहण अनंतिम रूप से निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन स्वीकार किया गया है–यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि पेंशन ऐसे कर्मचारियों को प्रदान किया जा सकता है जिन्हें सेवा में स्थायी स्थापन में लिया गया है, दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारी के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है–याची को नियमित स्थापन में आमेलित नहीं किया गया है बल्कि वह दैनिक मजदूर की हैसियत में सेवानिवृत्त हुआ, याची राम प्रसाद सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा सदृश मामले में दिए गए निर्णय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है–याची को निर्धारित कर्मस्थापन के अधीन कभी नहीं लिया गया था–याचिका खारिज। (पैराएँ 5, 7 से 9)

निर्णयज विधि.–2005(3) JCR 9 (Jhr.) (F.B)—Relied upon.

अधिवक्तागण.–Mr. Rajiv Anand, For the Petitioner; M/s G.P.-II, For the Respondents.

आदेश

याची ने सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा पारित दिनांक 19.3.2009 के आदेश

को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के पास आया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन सेवानिवृत्ति पश्चात देयों के भुगतान की याची की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गयी है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची को दिनांक 15.1.1980 को 'गोदाम चौकीदार' के रूप में निर्धारित कर्मस्थापन में नियुक्त किया गया था जिसके पहले उसे दिनांक 10.3.1973 एवं दिनांक 31.3.1975 के बीच निर्धारित कर्मस्थापन में दैनिक मजदूरी पर काम में लगाया गया था। यह निवेदन किया गया है कि सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, सेनहा लोहरदग्गा द्वारा जारी दिनांक 6.10.1986 के मेमो सं॰ 208 के पत्र द्वारा निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन याची को काम पर लगाया गया था और तब से उसने निर्धारित कर्मस्थापन के अधीन अपने कर्तव्य का पालन किया है और अंततः 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवा निवृत्त हुआ।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याची पहले इस आधार पर कि उसका मामला **''राम प्रसाद सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा सदृश मामलों'', (2005)3 JCR 9 (Jhr.) (F.B.),** मामले में पारित पूर्ण पीठ के निर्णय के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है, सेवानिवृत्ति पश्चात देयों के भुगतान के संबंध में अपनी शिकायत के लिए डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3132 वर्ष 2007 के तहत इस न्यायालय के पास आया था। यह निवेदन किया गया है कि प्राधिकारियों ने याची के मामले पर विचार नहीं किया है और दिनांक 19.3.2009 के आदेश के तहत उसका दावा अस्वीकार कर दिया है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि याची ने निर्धारित कर्मस्थापन के अधीन कार्यपालन किया है और इस दशा में उसे **राम प्रसाद सिंह (ऊपर)** मामले में इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित निर्णयाधार की दृष्टि में सेवानिवृत्ति पश्चात देयों को दिया जाना चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि याची ने 'चौकीदार' के पद के विरुद्ध जिसे मंजूर किया गया था, काम किया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची को निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन आमेलित कभी नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी राज्य द्वारा विवादित किया गया है कि चूँकि याची दैनिक मजदूरी हैसियत के अधीन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सेवा से अधिवर्षित हुआ है, वह पेंशन के लाभ, आदि का हकदार नहीं है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

5. याची को काम पर लगाया गया है और वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अधिवर्षित हुआ है। याची ने सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई डिविजन, सेनहा, लोहरदग्गा के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 6.10.1986 के पत्र पर विश्वास किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि याची का पदग्रहण अनंतिम रूप से निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन स्वीकार किया गया है। निर्धारित कर्म स्थापन के नियमितिकरण से संबंधित मामले पर **''राम प्रसाद सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, तथा सदृश मामलों'' (ऊपर)** में इस माननीय न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा विचार किया गया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है:–

"17. vr% e vfHkfuèkkfjr djrk g fd

(i) fuèkkfjr de depkfj;k] ftUgku fuèkkfjr de LFkkiu e ,d in d fo#) fujUrj lok dk ikp o"k l vfèkd ijk fd;k g vkj vU;Fkk ik= g] dk fu;fDr dh viuh frfFk;k dk è;ku e fy, fcuk mudh lok xg.k fd, tku d fy, viu ekeyk ij fopkj fd, tku dk vfèkdkj gA

fdr fuèkkfjr de depkjh] tk fdlh in dk èkkj.k fd, fcuk nfud etnjh ij dk;jr g] bld gdnkj ugh gA

(ii) fuèkkfjr de depkfj;k d vkfJr vudik d vkèkkj ij fu;fDr dk nkok dju d gdnkj ugh g(vkj

*(iii) fu;fer orueku e in d fo#) dk;jr fuèkkfjr de depkjh viuh lokfuofÙk ij] vkj mudh eR; d ckn mud mÙkjkfèkdkjh@vkfJr] i'ku@ikfjokfjd i'ku] minku] vodk'k uxndj.k d vfrfjDr th0 ih0 ,Q0 ,o lkefgd chek jkf'k tl eR;&lg&lokfuofÙk ykHkk dk nkok dju d gdnkj g ;fn o vU;Fkk i'ku] minku ,o vodk'k uxndj.k vftr dju d fy, vè;if{kr vgd vofèk ifji.k dju gA***

6. शर्त दी गयी है कि यदि किसी कर्मचारी ने निर्धारित कर्म स्थापन में काम किया हो और पाँच वर्षों से अधिक की निरंतर सेवा पूरा किया हो, केवल तब उसकी सेवा नियमित किए जाने के लिए उसके मामले पर विचार किया जा सकता है।

7. संपूर्ण अभिवचन से, यह कहीं नहीं उल्लेख किया गया है अथवा इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए, उक्त निर्दिष्ट पूर्णपीठ के निर्णय के पैरा 17 के समर्थन में दस्तावेज नहीं है कि याची ने निर्धारित कर्म स्थापन में काम किया था।

8. यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि ऐसे कर्मचारियों को पेंशन प्रदान किया जा सकता है जिन्हें सेवा के स्थायी स्थापन में लिया गया है, दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारी के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है। इस न्यायालय ने डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3132 वर्ष 2007 में दिनांक 22.7.2008 का आदेश पारित करते हुए संबंधित प्राधिकारी को उक्त निर्णय लागू करके आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। प्राधिकारी ने इसे विचार में लेने के बाद कि याची को नियमित स्थापन में आमेलित नहीं किया गया है बल्कि वह दैनिक मजदूर हैसियत में सेवानिवृत्त हुआ है, निष्कर्ष पर आया कि याची का मामला **''राम प्रसाद सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा सदृश मामलों (ऊपर)** में दिए गए निर्णय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

9. याची द्वारा किए गए निवेदन के संबंध में उसे निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन मंजूर पद के विरुद्ध काम पर लगाया गया था, तथ्य यह है कि उसे निर्धारित कर्म स्थापन के अधीन कभी नहीं लिया गया था।

10. अत:, मैं दिनांक 19.3.2009 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ। तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

अमृता देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 3883 of 2013. Decided on 6th January, 2015.

बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973—धारा 14—अभिखंडन–अपने पक्ष में नामांतरण के लिए याची का आवेदन नामंजूर–याची का नाम राजस्व अभिलेख में नहीं आ रहा है–अंचल निरीक्षक का रिपोर्ट प्रकट करता है कि प्रश्नगत भूमि पुनरीक्षण सर्वे अभिलेख में ''गैरमजरुआ मालिक'' के रूप में दर्ज की गयी–याचिका खारिज। (पैराएँ 8 से 10)

निर्णयज विधि.–2005 (1) JLJR 1—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Sunil Kumar, For the Petitioner; Mr. Raunak Sahay, For the Respondent.

आदेश

नामांतरण केस सं॰ 625R/27/2012-13 में दिनांक 23.5.2012 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए याची वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आयी है।

2. याची ने 12 डिसमिल माप वाले खाता सं॰ 194, भूखंड सं॰ 3714, उप-भूखंड सं॰ 3714/A में गठित भूमि के संबंध में दिनांक 13.11.2009 के रजिस्टर्ड विक्रय-विलेख के माध्यम से स्वयं का खरीदार होने का दावा करते हुए अपने पक्ष में नामांतरण के लिए आवेदन दिया, किंतु इसे दिनांक 23.5.2012 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। पहले याची डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 5140 वर्ष 2011 में इस न्यायालय के पास आयी थी जिसे अंचलाधिकारी, प्रत्यर्थी सं॰ 3 को प्राथमिकत: तीन माह के भीतर याची का आवेदन निपटाने का निर्देश देते हुए दिनांक 17.2.2012 के आदेश के तहत निपटाया गया था। याची पुन: डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 7282 वर्ष 2012 में इस न्यायालय के पास आयी किंतु इसे व्यतिक्रम में खारिज कर दिया गया था। एक अन्य खरीदार अर्थात् सलिल कुमार ने भी नामांतरण के लिए आवेदन दिया और उसका नामांतरण आवेदन अनुज्ञात किया गया था और किराया स्वीकार किया गया था। इसी प्रकार से एक अन्य खरीदार अर्थात् श्रीमती विद्या सिन्हा का नामांतरण आवेदन भी अनुज्ञात किया गया है किंतु याची द्वारा दाखिल नामांतरण आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. आरंभ में ही, प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) का अधिनियम, 1973 के प्रावधान के अधीन वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता के प्रति आपत्ति किया है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि याची ने उच्च न्यायालय का आदेश एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करते हुए दिनांक 19.5.2012 को नया अभ्यावेदन दिया, याची का नामांतरण आवेदन अस्वीकार करने वाला आक्षेपित आदेश यांत्रिक तरीके से पारित किया है। आक्षेपित आदेश फॉर्मेटेड आदेश है जैसा स्वयं परिशिष्ट-5 से प्रतीत होगा। आगे यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि दिनांक 19.5.2012 के आदेश के तहत अंचलाधिकारी द्वारा हल्का कर्मचारी से रिपोर्ट इप्सित की गयी थी, बिहार अभिधारी धृति (अभिलेखों का रख-रखाव) अधिनियम, 1973 के आज्ञापक प्रावधान को अनदेखा करते हुए दिनांक 5.6.2012 को अंचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है। याची को नोटिस जारी नहीं किया गया था और दिनांक 5.6.2012 के आदेश से यह प्रकट है कि अंचलाधिकारी इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भी ध्यान में लेने में विफल रहा है आगे यह निवेदन किया गया है कि अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पष्टत: अवैध है क्योंकि याची को वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद याची रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आने की हकदार है।

6. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 5.6.2012 के आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि पुनरीक्षण सर्वे खतियान में ''गैर मजरुआ मालिक'' के रूप में दर्ज की गयी है और इसलिए, हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने जाँच करने के बाद अनुशंसा किया कि नामांतरण आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. याची के अधिवक्ता के प्रतिवाद को निर्दिष्ट करते हुए कि सदृश रूप से समस्थित मामलों में जिनमें उसी विक्रेता से खरीदार ने नामांतरण आवेदन दिया और परिशिष्ट–7 के तहत उनके आवेदनों को अनुज्ञात किया गया है, मेरा मत है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के रिपोर्ट की दृष्टि में, जिसे दिनांक 5.6.2012 के आक्षेपित आदेश में निर्दिष्ट किया गया है, याची प्रतिवाद नहीं कर सकती है कि नामांतरण के लिए उसका आवेदन मनमाने रूप से अस्वीकार किया गया है। मात्र इसलिए कि नामांतरण प्रदान करते हुए अन्य खरीदारों के पक्ष में पूर्व आदेश पारित किए गए हैं, इस मामले में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की रिपोर्ट को अंचलाधिकारी द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यद्यपि, अन्य मामलों में रिपोर्टों को अभिलेख पर नहीं लाया गया है, भले ही यह माना जाता है कि इन मामलों में भूमि की प्रकृति प्रश्नगत भूमि अर्थात् ''गैर मजरुआ मालिक'' की प्रकृति के सदृश है, याची जोर नहीं दे सकती है कि उसका नामांतरण आवेदन भी अनुज्ञात किया जाना चाहिए था क्योंकि यदि अन्य मामलों में भूमि भी ''गैरमजरुआ मालिक'' है, वे आदेश अवैध होंगे। याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि याची को व्यक्तिगत नोटिस जारी नहीं किया गया था और अधिनियम के अधीन प्रावधान के विपरीत दिनांक 5.6.2012 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। मैं इस प्रतिवाद में सार नहीं पाता हूँ। धारा 14 प्रावधानित करती है कि 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए और ऐसे नोटिस का प्रयोजन नामांतरण इप्सित करने वाले आवेदन के प्रति आपत्ति आमंत्रित करना है। चूँकि याची स्वयं आवेदक है, याची को नोटिस जारी करने का प्रश्न ही नहीं है। वर्तमान मामले में नोटिस दिनांक 19.5.2012 को जारी किया गया था और आक्षेपित आदेश दिनांक 5.6.2012 को पारित किया गया था, अतः, आक्षेपित आदेश नोटिस प्रकाशित किए जाने के 15 दिन बाद पारित किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने **''झारखंड राज्य एवं अन्य बनाम अर्जुन दास''**, 2005 (1) JLJR 1, में निर्णय पर विश्वास किया है। मैं पाता हूँ कि उक्त मामले में माननीय खंडपीठ ने निम्नलिखित संप्रेक्षण किया है:–

> *"17. iokDr çkoèkkuk d dkj ifj'kkyu l ;g Li"V g fd ukekrj.k vkn'k ikfjr dju d igy vpykfèkdkjh dk mI 0;fDr dk ukfVl nu dh vko';drk g ft ldk uke jktLo vfHky[k e cuk gvk g vkj vkifÙk;k vkef=r dju okyh vke ukfVl Hkh nu dh t#jr gA vkifÙk dh çkfIr ij vpy vfèkdkjh ;g vfHkfuf'pr dju d ç;ktu l fd lifÙk d vfèkHkkx d fy, fdl nkonkj dk jktLo olyh 0;ogkfjd cuk, tku ij ij fo'okl d lkFk vfèkHkkx fn;k tk ldrk gA gekj lfopkfjr er e] vpykfèkdkjh l lgh Lokeh tk vkfnokIh lenk; dk lnL; g d fo#) 'kU; ,o voèk foØ; foy[k d vkèkkj ij 0;fDr d dCtk dk ekU; rk nu dh mEehn ugh dh tkrh gA , lk lHkh ekeyk e ugh fdr , l ekeyk e tgk fdlh 0;fDr u fofèk d çkoèkku d mYy?ku e vkfnokIh 0;fDr l igyh ckj lifÙk [kjhnk] rc vkfnokIh 0;fDr dk uke dkVdj jktLo vfHky[k e [kjhnkj dk uke çfo"V djuk vU;k;kfpr ,o vufpr gkxk--------***

9. स्वीकृत रूप से, याची का नाम राजस्व अभिलेख में नहीं है। अंचल निरीक्षक का रिपोर्ट प्रकट करता है कि प्रश्नगत भूमि पुनरीक्षण सर्वे अभिलेख में ''गैर मजरुआ मालिक'' के रूप में दर्ज की गयी है। याची के अधिवक्ता द्वारा विश्वास किया गया मामला प्रत्यर्थीगण के मामले का समर्थन करता है।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं उसके अधीन की गयी संसूचना के माध्यम से इप्सित अनेक सूचनाओं को निर्दिष्ट किया है। मेरे मत में, दिनांक 5.6.2012 के आक्षेपित आदेश की शुद्धता की परीक्षा करने के प्रयोजन से वे संसूचनाएँ अप्रासंगिक हैं।

11. उक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं रिट याचिका में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ,pñ lhñ feJk] U;k;efr

हरे कांत झा

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 5113 of 2001. Decided on 14th August, 2014.

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957—धारा 75—कुछ व्यक्ति इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के खानों में चोरी कर रहे थे जिस क्रम में दुर्घटना हुई थी जिसमें अनेक व्यक्ति खानों में दफन हो गए थे–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 304, 114 एवं 120B और एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धाराओं 21 एवं 23 के अधीन ऊपर से नीचे तक समस्त प्रबंधन स्टाफ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 के अधीन प्राथमिकी का अभिखंडन–अभिनिर्धारित, केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में दाखिल लिखित परिवाद पर अभियोजन आरंभ किया जा सकता था–पुलिस केस के आधार पर दांडिक कार्यवाही पूर्णतः दूषित है और उसके विरुद्ध जारी नहीं रखी जा सकती है–याची के विरुद्ध प्राथमिकी एवं संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–M/s Rajesh Lala, Arpit Kumar, For the Petitioner; M/s Amitabh Kr. Sinha, Vikash Kishore, For the State.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304, 114 एवं 120B तथा खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (इसमें इसके बाद 'एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धाराओं 21 एवं 23 के अधीन अपराधों के लिए संस्थित बोआरी जोर (लालमटिया) पी॰ एस॰ केस सं॰ 93 वर्ष 2001 में प्राथमिकी में अपने विरुद्ध चल रही संपूर्ण दांडिक कार्यवाही को चुनौती दिया है।

3. लालमटिया पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी, जिसे दिनांक 26.9.2001 को सूचित किया गया था कि इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के खानों में कुछ व्यक्ति कोयला की चोरी कर रहे थे जिस क्रम में दुर्घटना हुई थी जिसमें अनेक व्यक्ति खानों में दफन हो गए थे, के स्व बयान के आधार पर इस इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के समस्त सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ स्टाफ एवं सुरक्षा स्टाफ तथा इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के ऊपर से नीचे तक के समस्त प्रबंधन स्टाफ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। सूचना पर, प्रभारी अधिकारी घटना स्थल और चूँकि मिट्टी के ढेर को हटाना संभव नहीं था, इस्टर्न कोलफील्ड्स

प्रबंधन से पे लोडर मंगाया गया था और पे लोडर की मदद से मिट्टी का ढेर हटाया गया था जिसमें बारह मृत शरीरों को बरामद किया गया था। यह अभिकथित करते हुए कि उनको पहले से अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किए जाने के बारे में पता था किंतु तब भी संबंधित प्राधिकारियों को सूचना नहीं दी गयी थी, अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला संस्थित किया गया था। तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304, 114 एवं 120B तथा एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धाराओं 21 एवं 23 के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्तगण के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। याची को परियोजना का मुख्य महाप्रबंधक होने के नाते इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

4. यह आवेदन सुनवाई के लिए दिनांक 30.9.2002 के आदेश द्वारा ग्रहण किया गया था और याची के विरुद्ध आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी थी।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची को परियोजना का मुख्य महाप्रबंधक होने के नाते इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि दुर्घटना खानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कोयला की चोरी के कारण हुई थी और याची के विरुद्ध अपराध, यदि हो, केवल खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अधीन बनता है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले को शासित करने वाला विशेष अधिनियम होने के कारण याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के सामान्य प्रावधान के अधीन अपराध नहीं बनाया जा सकता है। आगे निवेदन किया गया है कि खान अधिनियम की धारा 75 स्पष्टत: प्रावधानित करती है कि मुख्य निरीक्षक अथवा जिला दंडाधिकारी अथवा मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत निरीक्षण के सिवाए इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी स्वामी, एजेन्ट अथवा प्रबंधक के विरुद्ध अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि वर्तमान प्राथमिकी इन प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा दर्ज नहीं की गयी है। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया कि खान अधिनियम की धारा 79 स्पष्टत: अधिकथित करती है कि कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक इसका परिवाद नहीं किया जाता है। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान स्वरुप में 'प्राथमिकी याची के विरुद्ध संस्थित नहीं की जा सकती थी और याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही दूषित है।

6. एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में, यह निवेदन किया गया है कि एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित में किए गए परिवाद के सिवाए संज्ञान लेने पर पूर्ण निषेध है और इस दशा में प्राथमिकी दर्ज किया जाना विधि की योजना के विरुद्ध है जिसे विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं किया जा सकता है। तद्नुसार, यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम के अधीन अभिकथित अपराध के लिए भी सूचक द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती थी और तद्नुसार, याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही दूषित है और इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

7. राज्य के विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि वर्तमान घटना में बारह लोग जीवन गवाँए थे और तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता के अधीन भी याची के विरुद्ध अपराध स्पष्टत: बनता है।

8. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर एवं प्राथमिकी का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि प्राथमिकी में अभिकथन है कि खानों में दुर्घटना हुई थी क्योंकि अप्राधिकृत व्यक्ति खानों में कोयला की चोरी कर रहे थे। तद्नुसार, भले ही प्राथमिकी में अभिकथनों को संपूर्णता में स्वीकार किया जाता है, याची

के विरुद्ध बनाया गया अपराध, यदि हो, खान अधिनियम के प्रावधानों, विशेषत: खान अधिनियम की धाराओं 23, 70, 72, 72C के उल्लंघन से संबंधित है, जो खानों में जीवन को हानि कारित करने वाले दुर्घटना से संबंधित है। खान अधिनियम की धारा 79 स्पष्टत: अधिकथित करती है कि कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। जब तक विहित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका परिवाद नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 75 स्पष्टत: उन व्यक्तियों को अधिकथित करती है जो अधिनियम के अधीन अपराध के लिए परिवाद करने के लिए प्राधिकृत है।

9. पूर्वोल्लिखित चर्चा की दृष्टि में मेरा सुविचारित मत है कि दुर्घटना जो खान में हुई थी के लिए याची के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती थी और केवल खान अधिनियम की धारा 75 के अधीन उल्लिखित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जा सकता था। याची के विरुद्ध एम॰ एम॰ डी॰ आर॰ अधिनियम के अधीन अपराध यदि हो, के लिए भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में दाखिल लिखित परिवाद पर ही अभियोजन आरंभ किया जा सकता था। मेरा सुविचारित मत है कि अभिकथित अपराध के लिए याची के विरुद्ध प्राथमिकी वर्तमान स्वरुप में दर्ज नहीं की जा सकती थी और पुलिस केस के आधार पर दांडिक कार्यवाही पूर्णत: दूषित है और उसके विरुद्ध जारी नहीं रखी जा सकती है।

10. तद्नुसार, बोआरीजोर (लालमटिया) पी॰ एस॰ केस सं॰ 93 वर्ष 2001 में प्राथमिकी जहाँ तक यह याची से संबंधित है, और उक्त मामले में याची के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है। तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

महली ओराँव

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 5123 of 2010. Decided on 12th December, 2014.

सेवा विधि–बर्खास्तगी–अनुशासित बल के सदस्य याची ने नशे की हालत में एक पुलिस कॉस्टेबल की ओर सरकारी रिवाल्वर ताना–याची के पूर्वोक्त आचरण के कारण पुलिस की छवि खराब हो गयी है–याची की शारीरिक अवस्था चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण द्वारा संपुष्ट की गयी थी–याची को सुनवाई का समस्त अवसर दिया गया–जाँच अधिकारी ने साक्ष्य एवं गवाहों के साक्ष्य पर विचार करने पर याची के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया, अनुशासनिक प्राधिकारी ने इसे स्वीकार करते हुए बर्खास्तगी आदेश पारित किया–अपीलीय प्राधिकारी ने याची को सुनवाई का अवसर देने पर बर्खास्तगी का आदेश मान्य ठहराया–दो प्राधिकारियों के समवर्ती निष्कर्ष–न्यायालय अपनी शक्ति/न्यायिक पुनर्विलोकन में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कृत्य नहीं करता है और साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं करता है और निष्कर्षों पर स्वयं अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है–न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन कार्य करते हुए साक्ष्य का पुनर्आकलन नहीं कर सकता है–याचिका खारिज।

(पैराएँ 4 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Krishna Shankar, For the Petitioner; J.C. to Sr. S.C-I, For the State.

आदेश

याची अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 31.3.2010 के आदेश, जिसके द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, और बर्खास्तगी का आदेश मान्य ठहराने वाले दिनांक 5.7.2010 के अपीलीय आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के पास आया है।

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि याची को कॉंस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया है और जिला धनबाद में टाइगर मोबाइल में पदस्थापित किया गया है। अनियमितता की कारिता अर्थात् नशे की हालत में एक पुलिस कॉंस्टेबल पर सरकारी रिवाल्वर तानने के संबंध में उसके विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया है, इस प्रकार उसने घोर अनुशासनहीनता किया है। याची की ओर से निवेदन किया गया है कि स्वयं आरोप अवैध है क्योंकि कर्तव्य पर रहते हुए याची के नशा करने के संबंध में आरोप लगाया गया है किंतु रक्त एवं मूत्र नमूना लेकर चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया है और आरोप विरचित किया गया है।

2. आगे यह निवेदन किया गया है कि याची को किसी कारण के बिना और इस तथ्य कि वह नशे की हालत में था या नहीं, को अभिनिश्चित किए बिना सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची ने नशे की हालत में कार्यालय आकर घोर अनियमितता किया है। याची अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते नशे की हालत में कार्यालय नहीं आ सकता है। आगे यह इंगित किया गया है कि नशे की हालत में उसने एक पुलिस कॉंस्टेबल पर सरकारी रिवाल्वर ताना है। इस प्रकार, याची के आचरण के कारण पुलिस की छवि बिगड़ गयी है। यह निवेदन किया गया है कि पूर्णरुपेण विभागीय जाँच के बाद जाँच अधिकारी निष्कर्ष पर आया कि याची नशे की हालत में था और उसने पुलिस कॉंस्टेबल की ओर सरकारी रिवाल्वर ताना था। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची के नशे की हालत के संबंध में तथ्य याची के चिकित्सीय परीक्षण द्वारा संपुष्ट किया गया है और इस दशा में, प्राधिकारी याची को सेवा में बर्खास्त करने के निष्कर्ष पर सही प्रकार से आए हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी ने मामले के समस्त पहलूओं पर विचार किया है और तत्पश्चात अपीलीय आदेश पारित किया गया है। चूँकि याची को सुनवाई का समस्त अवसर दिया गया है, अतः आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पक्षों को सुना गया।

4. स्वीकृत रूप से याची अनुशासित बल का सदस्य है। याची के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों के परिशीलन से यह प्रकट है कि याची को सेवा से बर्खास्त किया गया है क्योंकि वह नशे की हालत में कार्यालय आया था। याची की शारीरिक अवस्था चिकित्सीय परीक्षण द्वारा संपुष्ट की गयी थी जिसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया था। जाँच अधिकारी साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद निष्कर्ष पर आया है कि याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप को सिद्ध किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकारी ने इसे स्वीकार करके बर्खास्तगी आदेश पारित किया है। अपीलीय प्राधिकारी ने याची को सुनवाई का समस्त अवसर भी दिया है और तत्पश्चात बर्खास्तगी आदेश मान्य ठहराया है।

चूँकि दो प्राधिकारियों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, यह न्यायालय हस्तक्षेप और स्वयं अपना स्वतंत्र निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बी॰ सी॰ चतुर्वेदी बनाम भारत संघ, (1995)6 SCC 749,** में अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय अपनी शक्ति/न्यायिक पुनर्विलोकन में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कृत्य नहीं करता है और साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं कर सकता है और साक्ष्य पर स्वयं अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है। इस मामले के प्रासंगिक अंश पैराग्राफ 12 एवं 13 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"12. ....tc ykd lod }kjk vopkj d vkjki ij tkp dh tkrh g] U;k;ky;@vfèkdj.k ;g fofuf'pr dju l ljkdkj j[krk g fd D;k tkp l{ke vfèkdkjh }kjk dh x;h Fkh vkj ulfxd U;k; d fl)kr dk vuikyu fd;k x;k gA D;k fu"d"k fdlh lk{; ij vkèkkfjr g] tkp dju dh 'kfDr l U;Lr çkfèkdkjh d ikl rF; d fu"d"k ij vku d fy, vfèkdkfjrk] 'kfDr ,o çkfèkdkj gA fdr bl fu"d"k dk lk{; ij vkèkkfjr gkuk gkxkA lk{; vfèkfu;e d rduhdh fu;e vFkok rF; ;k lk{; dk çek.k tlk mle ifjHkkf"kr fd;k x;k g] vu'kklfud dk;okgh ij ykx ugh gkr gA tc çkfèkdkjh ml lk{; dk Lohdkj djrk g vkj fu"d"k mll leFku ikrk g] vu'kklfud çkfèkdkjh ;g vfHkfuèkkfjr dju dk gdnkj g fd vipkjh vfèkdkjh vkjki dk nk"kh gA U;k;ky;@vfèkdj.k U;kf;d iufoykdu dh viuh 'kfDr e lk{; dk iuvfèkeY;u dju vkj lk{; ij Lo; viu Lor= fu"d"k ij vku d fy, vihyh; çkfèkdkjh d rkj ij dk; ugh djrk gA

*13. vu'kklfud ikfèkdkjh rF;k dk ,dy U;k;kèkh'k gkrk gA tgk vihy iLrr dh tkrh g] vihyh; ikfèkdkjh dk lk{; dk vFkok nM dh çÑfr dk iuvfèkeY;u dju dh lg foLrh.k 'kfDr gA vu'kklfud tkp e] fofèkd lk{; dk dBkj çek.k vkj ml lk{; ij fu"d"k çklfxd ugh gA**

5. भारतीय तेल निगम लि॰ एवं एक अन्य बनाम अशोक कुमार अरोड़ा (1997)3 SCC 72, में इसी सुनिश्चित प्रतिपादना को दोहराया गया है जिसमें पैरा 20 पर अभिनिर्धारित किया गया है:–

*"20. vkjHk e gh ;g mYy[k dju dh vko';drk g fd mPp U;k;ky; foHkkxh; tkp d ,l ekeyk e vkj mle nt fu"d"kk ij vihyh; U;k;ky;@çkfèkdkjh dh 'kfDr dk ç;kx ugh djrk gA**

6. उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य बनाम राजकिशोर यादव एवं एक अन्य (2006)5 SCC 673, में पैरा 4 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^------;g lfuf'pr fofèk g fd mPp U;k;ky; dk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vlkèkkj.k vfèkdkfjrk d ç;kx e jkT; dh ç'kklfud dkjokb e gLr{ki dju dh lhfer xtkb'k g vkj] vr%] tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k ,o lok l c[kkLrxh d ikfj.kkfed vkn'k dk NMk ugh tkuk pkfg,A**

7. विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना की दृष्टि में यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्य करते हुए साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं कर सकता है और अपीलीय न्यायालय की तरह कृत्य नहीं कर सकता है। अतः आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इस रिट याचिका को एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

हेम बहादुर लिम्बू

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 1184 of 2011. Decided on 12th December, 2014.

सेवा विधि–सेवा से बर्खास्तगी–अनुशासित बल के सदस्य याची को दिनांक 17.6.2008 से दिनांक 7.7.2008 तक मंजूर अवकाश दिया गया–याची अनधिकृत तौर पर मंजूर किए गए अवकाश के बाद कर्तव्य से अनुपस्थित बना रहा–संबंधित प्राधिकारियों को सूचना देने के लिए याची द्वारा ईमानदार प्रयास नहीं किया गया–पुलिस निर्देशिका के मुताबिक अप्राधिकृत अनुपस्थिति अवचार है–दो प्राधिकारियों द्वारा याची के विरुद्ध अवचार के समवर्ती निष्कर्ष–न्यायालय अपनी शक्ति/न्यायिक पुनर्विलोकन में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कृत्य नहीं करता है और साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं करता है और साक्ष्य पर स्वयं अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर नहीं आता है–अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यरत न्यायालय साक्ष्य का पुनर्आकलन नहीं कर सकता है–याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 4 से 10)

नर्णयज विधि.–(1995) 6 SCC 749; (1997) 3 SCC 72; (2006) 5 SCC 673—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Saurav Arun, For the Petitioner; J.C. to Sr. S.C.-II, For the State.

आदेश

याची अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 24.1.2009 के आदेश जिसके द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और याची की सेवा की बर्खास्तगी संपुष्ट करने वाले दिनांक 3.7.2010 के आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के पास आया है।

2. याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि याची को झारखंड सशस्त्र पुलिस के अधीन कॉंस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया है। वह दिनांक 17.6.2008 से दिनांक 7.7.2008 तक मंजूर अवकाश पर गया किंतु मंजूर अवकाश बीतने के बाद वह पदग्रहण नहीं कर सका था, अत: विभागीय कार्यवाही के अनुध्यान में 13.8.2008 तक उसे निलंबन के अधीन रखा गया था। तत्पश्चात याची को दिनांक 24.1.2009 के आदेश के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है जिसके विरुद्ध उसने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल किया है किंतु इसे दिनांक 3.7.2010 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। याची की ओर से निवेदन किया गया है कि याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। विभाग याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना निष्कर्ष पर आया है क्योंकि याची को गवाहों का प्रति परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। याची को प्रासंगिक दस्तावेज की आपूर्ति भी नहीं की गयी थी। आगे यह निवेदन किया गया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने जाँच अधिकारी के निष्कर्ष को स्वीकार किया है और बर्खास्तगी का आदेश पारित किया है।

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्राधिकारियों ने याची को सुनवाई का समस्त अवसर प्रदान किया है, किंतु याची ने ही इसका लाभ नहीं लिया है और इस दशा में विभागीय कार्यवाही करने के अलावा विकल्प नहीं था। आगे यह निवेदन किया गया है कि

चूँकि याची अनुमति के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित बना रहा है, यह घोर अवचार है। अत: याची को अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते सही प्रकार से सेवा से बर्खास्त किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी ने भी मामले के समस्त पहलूओं पर विचार किया है और निष्कर्ष पर आया है कि याची ने संबंधित प्राधिकारियों को सूचना नहीं दिया है जबकि याची का विनिर्दिष्ट आधार यह था कि वह जौंडिस से पीड़ित था जो ऐसी बीमारी नहीं है कि याची का परिवार याची की अनुपस्थिति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को कोई सूचना नहीं दे सकता था। अत: निवेदन किया गया है कि आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पक्षों को सुना गया।

4. याची को अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते दिनांक 17.6.2008 से दिनांक 7.7.2008 की अवधि के लिए आरंभ में मंजूर अवकाश दिया गया है। मंजूर अवकाश के अवसान के बाद, याची ने संबंधित प्राधिकारियों को कोई सूचना नहीं दिया है। याची को दिनांक 13.8.2008 के आदेश के तहत निलंबनाधीन किया गया है। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को समाचार पत्र में प्रकाशन सहित समस्त तरीकों को अपना कर याची की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार है ताकि वह कार्यवाही में उपस्थित होने में सक्षम हो सके। राष्ट्रीय समाचार पत्र में भी नोटिस प्रकाशित की गयी है किंतु याची ने उपस्थित होने का परवाह नहीं किया।

5. याची का मामला यह है कि याची जौंडिस से पीड़ित था, अत: कार्यालय में उपस्थित होने की अपनी अक्षमता के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों के कम से कम सूचना देना याची का कर्तव्य था। किंतु अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि याची ने अत्यन्त लापरवाही से मामला लिया है। संबंधित प्राधिकारियों को सूचना देने का ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है चूँकि संपूर्ण अभिवचन के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट आदि जैसे वैध दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए है।

6. प्राधिकारी समस्त तथ्यों का अधिमूल्यन करने के बाद अवचार की कारिता के संबंध में निष्कर्ष पर आए हैं क्योंकि याची अप्राधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित बना रहा। पुलिस निर्देशिका के मुताबिक अप्राधिकृत अनुपस्थिति घोर अवचार है।

7. चूँकि दो प्राधिकारियों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, यह न्यायालय हस्तक्षेप और स्वयं अपना स्वतंत्र निष्कर्ष प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बी॰ सी॰ चतुर्वेदी बनाम भारत संघ, (1995)6 SCC 749,** में अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय अपनी शक्ति/न्यायिक पुनर्विलोकन में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कृत्य नहीं करता है और साक्ष्य का पुनर्अधिमूल्यन नहीं कर सकता है और साक्ष्य पर स्वयं अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर नहीं आ सकता है। इस मामले के प्रासंगिक अंश पैराग्राफ 12 एवं 13 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"12. .....tc ykd lod }kjk vopkj d vkjki ij tkp dh tkrh g] U;k;ky;@vfèkdj.k ;g fofuf'pr dju l ljkdkj j[krk g fd D;k tkp l{ke vfèkdkjh }kjk dh x;h Fkh vkj ulfxd U;k; d fl)kr dk vuikyu fd;k x;k gA D;k fu"d"k fdlh lk{; ij vkèkkfjr g] tkp dju dh 'kfDr l U;Lr çkfèkdkjh d ikl rF; d fu"d"k ij vku d fy, vfèkdkfjrk] 'kfDr ,o çkfèkdkj gA fdr bl fu"d"k dk lk{; ij vkèkkfjr gkuk gkxkA lk{; vfèkfu;e d rduhdh fu;e vFkok rF; ;k lk{; dk çek.k tlk mle ifjHkkf"kr fd;k x;k g] vu'kklfud dk;okgh ij ykx ugh gkr gA tc çkfèkdkjh ml lk{; dk Lohdkj djrk g vkj fu"d"k ml l leFku ikrk g] vu'kklfud çkfèkdkjh ;g vfHkfuèkkfjr dju dk*

gdnkj g fd vipkjh vfèkdkjh vkjki dk nk"kh gA U;k;ky;@vfèkdj.k U;kf;d iufoykdu dh viuh 'kfDr e lk{; dk iuvfèkeY;u dju vkj lk{; ij Lo; viu Lor= fu"d"k ij vku d fy, vihyh; çkfèkdkjh d rkj ij dk; ugh djrk gA

13. vu'kkIfud ikfèkdkjh rF;k dk ,dy U;k;kèkh'k gkrk gA tgk vihy iLrr dh tkrh g] vihyh; ikfèkdkjh dk lk{; dk vFkok nM dh çNfr dk iuvfèkeY;u dju dh lg foLrh.k 'kfDr gA vu'kkIfud tkp e] fofèkd lk{; dk dBkj çek.k vkj ml lk{; ij fu"d"k çkIfxd ugh gA**

8. भारतीय तेल निगम लि॰ एवं एक अन्य बनाम अशोक कुमार अरोड़ा (1997)3 SCC 72, में इसी सुनिश्चित प्रतिपादना को दोहराया गया है जिसमें पैरा 20 पर अभिनिर्धारित किया गया है:–

"20. vkjHk e gh ;g mYy[k dju dh vko';drk g fd mPp U;k;ky; foHkkxh; tkp d ,l ekeyk e vkj mlent fu"d"kk ij vihyh; U;k;ky;@çkfèkdkjh dh 'kfDr dk ç;kx ugh djrk gA**

9. उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य बनाम राजकिशोर यादव एवं एक अन्य (2006)5 SCC 673, में पैरा 4 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

^^------;g lfuf'pr fofèk g fd mPp U;k;ky; dk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vlkèkkj.k vfèkdkfjrk d ç;kx e jkT; dh ç'kkIfud dkjokb e gLr{ki dju dh lhfer xtkb'k g vkj] vr%] tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k ,o lok l c[kkLrxh d ikfj.kkfed vkn'k dk NMk ugh tkuk pkfg,A**

10. विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना, जैसा यहाँ ऊपर उपदर्शित किया गया है, की दृष्टि में, मेरे दृष्टिकोण में, चूँकि याची के विरुद्ध अवचार के समवर्ती निष्कर्ष हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यरत यह न्यायालय साक्ष्य का पुनर्आकलन नहीं कर सकता है।

11. यहाँ ऊपर कथित तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता में, मैं पाता हूँ कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अत: यह रिट याचिका एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vferko dekj xIrk] U;k;efr

कुरबान अंसारी उर्फ खुर्बान अंसारी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Criminal Revision No. 432 of 2013. Decided on 19th December, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—याची को विपक्षी सं॰ 2, (अपने पिता) जिसे चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था और जिसने बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰) के अधीन अपना काम छोड़ा था और याची को उसके स्थान पर नियुक्त किया गया था, को 5000/- रुपया की दर से भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश देते हुए धारा 125 के अधीन कुटुंब न्यायालय के विद्वान प्रमुख न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दाखिल की गयी–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 का उद्देश्य उस व्यक्ति को दंडित करना नहीं है जो अपने माता-पिता के भरण-पोषण के लिए नैतिक/सामाजिक

बाध्यता द्वारा बाध्य है बल्कि प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि आश्रित, चाहे वह पिता, माता, पत्नी अथवा कोई अन्य आश्रित हो, को प्रावधान के अधीन भिक्षुक अथवा दरिद्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए–याची नवंबर, 2007 तक विपक्षी सं॰ 2 को भरण-पोषण प्रदान कर रहा था–अनेक तिथियों पर सुलह/मध्यस्थता नियत की गयी थी किंतु यह विफल रही, विद्वान न्यायालय ने याची को उक्त मामले में भरण-पोषण के लिए अपना उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया–याची को लिखित कथन दाखिल करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किंतु उसने इसे दाखिल नहीं किया था–विपक्षी सं॰ 2 द्वारा गवाहों का परीक्षण किया गया था किंतु याची ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया था–आनुषंगिक तथ्यों में यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि याची को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया गया है–याची का कुल वेतन 25,000/- रुपया है, भरण-पोषण के रूप में 5,000/- रुपयों के भुगतान अर्थात् वेतन के 1/5वें के भुगतान का आदेश अत्यधिक अथवा उच्चतर पक्ष पर नहीं है–पुनरीक्षण याचिका खारिज। (पैराएँ 6 से 9)

निर्णयज विधि.–2008(1) East Cr C523 (Jhr)—Distinguished; 2010 (2) East Cr. C 321 (Jhr)—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Mr. Ashutosh Anand, For the Petitioner; A.P.P., For the State; Mr. Shailesh, For the O.P. No. 2.

आदेश

यह पुनरीक्षण आवेदन एम॰ पी॰ केस सं॰ 93 वर्ष 2008 में विद्वान प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 17.1.2013 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन विपक्षी सं॰ 2 का आवेदन याची को 5000/- रुपया प्रतिमाह की दर पर भरण-पोषण का भुगतान विपक्षी सं॰ 2 को करने के निर्देश के साथ अनुज्ञात किया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष आनन्द ने आक्षेपित आदेश का विरोध अन्य बातों के साथ इस आधार पर किया है कि प्रथमत: विचारण न्यायालय धारा 125(1)(d) के प्रावधानों का अधिमूल्यन करने में विफल रहा जो अनुबंधित करता है माता-पिता को भरण-पोषण अधिनिर्णीत किया जा सकता है यदि वे स्वयं का भरण-पोषण करने में अक्षम हैं। यह तर्क किया गया है कि विपक्षी सं॰ 2 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी॰ सी॰ सी॰ एल॰) का सेवानिवृत्त कर्मचारी है और वह पेंशन पा रहा है किंतु अवर न्यायालय द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है; द्वितीयत:, विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का अधिमूल्यन किए बिना 5000/- रुपयों की दर पर भरण-पोषण की मात्रा नियत किया है कि याची पर अपने परिवार के भरण-पोषण का दायित्व है और उसे अपने चार अवयस्क संतानों के लिए शिक्षण फीस का भुगतान करना है और अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, कि उसने कर्ज लिया है और उसे कर्ज के लिए मासिक किश्त का भुगतान करना है; कि उसकी पुत्रियों के विवाह के लिए भी धन की आवश्यकता है जब वे विवाह योग्य आयु की होंगी। यह आग्रह किया गया है कि विपक्षी सं॰ 2 अपने छोटे पुत्र के साथ रह रहा है जिसकी पत्नी सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में नियोजित है और छोटा पुत्र भी वहाँ नियोजित है और वे दोनों अच्छा वेतन पा रहे हैं; कि विपक्षी सं॰ 2 ने उपदान, भविष्यनिधि की संपूर्ण राशि प्राप्त किया था जो उसके पास है। तृतीयत:, यह प्रतिवाद किया गया है कि अवर न्यायालय ने आवेदन की तिथि से भरण-पोषण प्रदान करने वाला आदेश पारित किया है जबकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 का खंड 2 आदेश की तिथि से भरण-पोषण का प्रदान अनुध्यात करता है और यदि आवेदन की तिथि से भरण-पोषण प्रदान किया जाता है, तब इसके लिए तर्कपूर्ण कारण देना होगा

कि आवेदन दाखिल करने की तिथि से भरण–पोषण के भुगतान का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा कारण नहीं दिया गया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि याची एवं विपक्षी सं॰ 2 ने मामले में सुलह कर लिया था जो परिशिष्ट 1 से स्पष्ट होगा जिसके द्वारा विपक्षी सं॰ 2 दिनांक 23.3.2010 की सुलह याचिका में संगणित सुलह के निबंधनों पर भरण–पोषण याचिका सं॰ 93 वर्ष 2008 वापस लेने के लिए सहमत हुआ था; कि यद्यपि विपक्षी सं॰ 2 ने सुलह से इनकार किया है किंतु दिनांक 23.4.2010 से दिनांक 19.1.2011 का ऑर्डरशीट (प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट–B के रूप में दाखिल) यह तथ्य प्रकट करता है कि सुलह याचिका के बाद दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। विपक्षी सं॰ 2 की अनुपस्थिति विपक्षी का आचरण दर्शाती है और यह इस तथ्य का उपदर्शक है कि विपक्षी न्यायालय के बाहर पक्षों के बीच हुए उक्त सुलह का हस्ताक्षरी एवं सहमतिपूर्ण पक्ष था और उक्त करार के कारण याची ने याची का दावा खंडित करने के लिए साक्ष्य देने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया था और न ही उसने कारण बताओ दाखिल किया था। उक्त आधारों पर, यह आग्रह किया गया है कि आक्षेपित आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है और अपास्त किए जाने योग्य है। यह तर्क किया गया है कि याची को अपना साक्ष्य देने का अवसर देने के बाद इसे नए सिरे से विनिश्चित करने के लिए मामला अवर न्यायालय के पास वापस भेजा जाए।

4. विपक्षी सं॰ 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश ने याची द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध करते हुए प्रतिवाद किया कि यह स्वीकृत मामला है कि विपक्षी सं॰ 2, याची के पिता को चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था और उसने बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ के राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एन॰ सी॰ डब्ल्यू॰ ए॰) की योजना के अधीन अपना काम छोड़ा था और याची को उसके स्थान पर नियुक्त किया गया था। याची ने अपने माता–पिता अर्थात् विपक्षी सं॰ 2 का भरण–पोषण करने का वचन दिया था। यह निवेदन किया गया है कि याची द्वारा विश्वास किया गया सुलह (परिशिष्ट–1) कूटरचित एवं मनगढ़ंत दस्तावेज है और जैसा ऑर्डरशीट (परिशिष्ट–B) से स्पष्ट होगा, जिसमें दिनांक 23.2.2010 के आदेश में यह कथन किया गया है कि सुलह/मध्यस्थता पश्चातवर्ती तिथियों अर्थात् दिनांक 23.4.2010 एवं दिनांक 15.6.2010 को की गयी थी, विवाद के मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए मामला नियत किया गया था। यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अधिवक्ता का निवेदन कि विपक्षी सं॰ 2 उक्त अवधि के दौरान उपस्थित नहीं हुआ था, गलत है और यह दिनांक 13.8.2010 के ऑर्डरशीट से स्पष्ट होगा कि अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी सं॰ 2 का प्रतिनिधित्व किया गया था। कि पश्चातवर्ती तिथि पर अर्थात् दिनांक 30.9.2010 को न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि सुलह विफल हो गया है और याची को अपना उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। कि दिनांक 4.1.2012 एवं दिनांक 15.2.2012 का ऑर्डरशीट दर्शाता है कि विपक्षी को अपना लिखित कथन दाखिल करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था किंतु उसने इसे दाखिल नहीं किया था। तत्पश्चात् विपक्षी सं॰ 2 द्वारा गवाहों का परीक्षण किया गया था और यह जानकारी होने के बावजूद कि विपक्षी सं॰ 2 ने गवाहों का परीक्षण किया था, याची ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। कि कोई कारण नहीं दिया गया है कि क्यों याची ने अवर न्यायालय में उक्त सुलह याचिका (परिशिष्ट–1) दाखिल नहीं किया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि भरण–पोषण आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रकथन है कि याची नवंबर, 2007 तक नियमित रूप से भरण–पोषण राशि का भुगतान कर रहा था किंतु तत्पश्चात याची ने भरण–पोषण का भुगतान करना रोक दिया था जिस पर विपक्षी सं॰ 2 ने उसे भरण–पोषण राशि प्रदान करने के लिए कहा किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में, दिनांक 11.7.2008 को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी। यह इंगित किया गया है कि विपक्षी सं॰ 2 द्वारा न्यायालय को यह सूचित करते हुए कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को न्यायालय के बाहर अपना विवाद सुलझाने का अवसर दिया था, दिनांक 28.1.2009 का आवेदन भी

दाखिल किया गया था। कि विपक्षी सं॰ 2 अपनी पत्नी के साथ याची के साथ बात करने गया था ताकि न्यायालय के निर्देश का सम्मान किया जा सके किंतु याची ने विपक्षी सं॰ 2 और उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया था और कथन किया था कि वह एक पैसा भी नहीं देगा। यह इस तथ्य को सिद्ध करता है कि सुलह याचिका कूटरचित एवं मनगढ़ंत है जो याची के गैरईमानदार आशय का द्योतक है ताकि अपनी जिम्मेदारी से भागने और अपने वृद्ध पिता को भरण-पोषण का भुगतान करने के दायित्व से बचने के लिए न्यायालय को गुमराह किया जा सके।

यह आग्रह किया गया है कि विपक्षी सं॰ 2 ने विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि उसे चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया था, अत: याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि वह पेंशन पा रहा है, कुस्थापित है क्योंकि उसने न तो लिखित कथन दाखिल किया है और न ही वर्तमान पुनरीक्षण में इस तथ्य का खंडन किया है। कि आक्षेपित आदेश विधि के प्रावधानों के अनुरुप पारित किया गया है। कि याची ने आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के बाद एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया है। अत: पुनरीक्षण आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

5. सुना गया। **अनिल बेसरा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, (2008)1 East. Cr.C. 523 (Jhr.)** और **आमना खातुन बनाम गफूर अंसारी, 2010 (2) East Cr.C. 321 (Jhr.)** में निर्णयों पर विश्वास करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि कोई कारण दिए बिना आवेदन की तिथि से भरण-पोषण प्रदान करने वाला आक्षेपित आदेश दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 (2) के प्रावधानों के विरुद्ध है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त निर्णय उस मामला विशेष पर प्रयोज्य ताथ्यिक मैट्रिक्स में दिए गए हैं, प्रकटत: उक्त तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों पर प्रयोज्य नहीं है।

6. दिए गए तर्कों एवं दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन आवेदन में किए गए प्रकथनों से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि याची ने नवंबर, 2007 तक भरण-पोषण का भुगतान किया था जिसके बाद उसने भुगतान करना बंद कर दिया था जिस पर विपक्षी सं॰ 2 एवं उसकी पत्नी ने याची को भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के लिए कहा था, किंतु याची ने इस तथ्य के बावजूद कि याची को बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ में विपक्षी सं॰ 2, जिसने काम छोड़ दिया था क्योंकि उसे चिकित्सीय रूप से अयोग्य पाया गया था, के बदले में नियोजन दिया गया था, भरण-पोषण का भुगतान करने से इनकार कर दिया। याची द्वारा इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। याची नवंबर, 2007 तक विपक्षी सं॰ 2 को भरण-पोषण प्रदान कर रहा था। अधिसंभाव्य है कि उसने अपने पिता/विपक्षी सं॰ 2 के स्थान पर नियोजन पाते हुए वचन दिया था कि वह अपने पिता/विपक्षी सं॰ 2 को भरण-पोषण प्रदान करेगा।

मामले में सामने आने वाले तथ्यों में अवर न्यायालय ने सही प्रकार से दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 (2) के निबंधनानुसार आवेदन की तिथि से भरण पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया है।

7. याची की ओर से दिया गया तर्क कि चूँकि विपक्षी सं॰ 2 उन तिथियों, जैसा इंगित किया गया है, को न्यायालय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं था। इस तथ्य का उपदर्शक है कि सुलह हुआ था। ऐसा तर्क भी मान्य नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के निबंधनानुसार न्यायालय के बाहर अपने विवाद को मैत्रीपूर्वक सुलझाने के लिए पक्षों को अवसर दिया था। कुटुंब न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य विवाद का मैत्रीपूर्ण समाधान करना है। वर्णित किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यदि ऐसा सुलह, जैसा याची द्वारा प्राख्यापित किया गया है, हुआ था, तब याची की ओर से कोई 'तर्कसंगत' स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है कि क्या कारण था जिसने उसे

या उसके अधिवक्ता को न्यायालय के ध्यान में ऐसा सुलह नहीं लाने से रोका। स्वीकृत रूप से याची का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया गया था और वह अभिवचन नहीं कर सकता है कि वह विधि से अवगत नहीं था।

याची का प्रतिवाद इस तथ्य की दृष्टि में भी स्वीकार्य नहीं है कि न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद याची ने अपना कारण बताओ दाखिल नहीं किया था जिसके बाद विपक्षी सं॰ 2 ने स्वयं का और अन्य गवाहों का परीक्षण कराया था। प्रकटतः, याची को उक्त कार्यवाही की जानकारी थी क्योंकि दिनांक 27.3.2012 को गवाहों के परीक्षण के बाद याची का प्रतिनिधित्व उसके अधिवक्ता द्वारा किया गया था, फिर भी उसने अपने प्रतिवाद के समर्थन में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। आनुषंगिक तथ्यों में यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश एक पक्षीय रूप से पारित नहीं किया गया है अथवा याची को समुचित अवसर दिए बिना पारित किया गया है।

8. जहाँ तक भरण–पोषण की मात्रा का संबंध है, याची द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसका शुद्ध वेतन 25,000/- है। भरण–पोषण के रूप में वेतन का 1/5 वाँ हिस्सा अर्थात् 5000/- रुपयों के भुगतान का आदेश अत्यधिक अथवा उच्चतर पक्ष पर नहीं है। अवर न्यायालय के पास मामला वापस भेजने का अभिवचन चर्चा एवं तात्विक तथ्यों की दृष्टि में अनावश्यक है जो अवर न्यायालय में कार्यवाही में याची की जानबूझकर अनुपस्थिति का द्योतक है।

9. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 का उद्देश्य उस व्यक्ति को दंडित करना नहीं है जो अपने माता–पिता का भरण–पोषण करने की नैतिक/सामाजिक बाध्यता द्वारा बाध्य है बल्कि प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आश्रित, चाहे वे माता–पिता हों या पत्नी अथवा कोई अन्य आश्रित, को प्रावधान के अधीन भिक्षुक एवं दरिद्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

ऊपर की गयी चर्चा एवं मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में अवर न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.1.2013 के आदेश में हस्तक्षेप करने का तर्कपूर्ण कारण नहीं है, तद्नुसार, पुनरीक्षण एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

परिस्थितियों में किसी परिवर्तन की स्थिति में याची को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन पारित आदेश के परिवर्तन, उपांतरण के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 127 के प्रावधान का अवलंब लेने की स्वतंत्रता दी जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

देवेन्द्र सिंह एवं अन्य (5660 में)

शरत कुमार माजी एवं अन्य (6497 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (दोनों में)

W.P.(S) Nos. 5660, 6497 of 2003. Decided on 11th December, 2014.

सेवा विधि–हटाया जाना–याचीगण वर्ष 1979 से 1985 के बीच दैनिक मजदूरी आधार पर काम पर लगाए गए थे, वर्ष 1994 में उन्हें हटा दिया गया–याचीगण ने पटना उच्च न्यायालय में सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2286/1999 (Patna) दाखिल किया–डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 5660/2003 में दिनांक 8.4.2002 के आदेश द्वारा याचीगण को मामले को तथा बिहार राज्य बनाम लघु सिंचाई कर्मचारी संघ एवं अन्य, एस॰ एल॰ पी॰ (सिविल) सं॰ 18164/1999, में पारित माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के ध्यान में लाने की स्वतंत्रता दी गयी थी जिस पर सचिव उनके मामलों पर विचार करेंगे और विनिश्चित करेंगे कि क्या उनके मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं दिनांक 18.6.1993 के संकल्प द्वारा शासित होते हैं–पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आरंभ की गयी कार्यवाही में पहले याचीगण के सेवा से हटाए जाने में हस्तक्षेप नहीं किया गया था–प्रत्यर्थी द्वारा याचीगण की प्रार्थना इस आधार पर अस्वीकार कर दी गयी थी कि वे वर्ष 1993 की योजना के अधीन आच्छादित नहीं हैं और वे लघु सिंचाई कर्मचारी संघ एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विस्तार के अंतर्गत नहीं आते हैं–पूर्वोक्त आधारों पर वर्ष 2003 में आक्षेपित निर्णय पारित किए जाने के समय से सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में नियमितिकरण के विषय पर विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं–याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 4 से 6)

निर्णयज विधि.–(2006) 4 SCC 1.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Mehta, A.K. Das, Arbind Kumar (in 5660); M/s Indrajit Sinha, Arpan Mishra (in 6497), For the Petitioner; Mr. Chanchal Jain (in 5660); Mr. M. Jalisur Rahman (in 6497), For the Respondents.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

दोनों रिट याचिकाओं में याचीगण को बिहार राज्य के अधीन जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग में वर्ष 1979 तथा 1985 के बीच दैनिक मजदूरी आधार पर काम पर लगाया गया था। उनके मामले के मुताबिक, उन्हें वर्ष 1994 में हटा दिया गया था। वे सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2286 वर्ष 1999 (Patna) में उनको पुनर्बहाल करने की प्रार्थना के साथ पटना उच्च न्यायालय गए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 8.4.2002 के निर्णय (डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 5660 वर्ष 2003 का परिशिष्ट–13), के तहत याचीगण को मामले को और **बिहार राज्य बनाम लघु सिंचाई कर्मचारी संघ एवं अन्य, एस॰ एल॰ पी॰ (सिविल) सं॰ 18164 वर्ष 1999** (परिशिष्ट–12) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, के ध्यान में लाने की स्वतंत्रता देते हुए संप्रेक्षण किया कि इस पर सचिव, जल संसाधन विभाग, याचीगण के मामलों पर विचार करेंगे एवं विनिश्चित करेंगे कि क्या उनके मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा दिनांक 18.6.1993 के संकल्प (परिशिष्ट–4) द्वारा शासित होते हैं और क्या उनके मामलों पर छह माह की अवधि के भीतर नामित लोगों के साथ विचार किए जाने की आवश्यकता है जिन्हें दिनांक 9.10.2001 के पत्र सं॰ 10/01 के तहत बुलाया गया है। यह प्रतीत होता है कि याचीगण को सेवा से हटाए जाने में पहले पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आरंभ की गयी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया गया था जैसा दिनांक 8.4.2002 के निर्णय के पठन से प्रतीत होगा। पटना उच्च न्यायालय सिविल पुनर्विलोकन सं॰ 272 वर्ष 1997 में यह संप्रेक्षित करता प्रतीत होता है कि याचीगण की सेवाओं के नियमितिकरण के मामले में हटाया जाना प्रभावित नहीं करेगा। पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 8.4.2002 के निर्णय की दृष्टि में सचिव, जल संसाधन विभाग, ने दिनांक 11.7.2003 के पत्र सं॰ 3262 में अंतर्विष्ट आदेश पारित किया जो दोनों रिट याचिकाओं में आक्षेपित है जिसके द्वारा याचीगण का नियमितिकरण के लिए दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि वे **लघु सिंचाई कर्मचारी संघ एवं अन्य (ऊपर)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से आच्छादित नहीं हैं क्योंकि याचीगण की सेवा काफी पहले समाप्त की गयी थी। प्रत्यर्थी सचिव,

जल संसाधन विभाग ने अभिनिर्धारित किया कि याचीगण के मामले पर उन नामों के साथ विचार नहीं किया जाएगा जो फिलहाल दैनिक मजदूरी आधार पर काम पर बने हुए हैं।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 18.6.1993 के संकल्प सं॰ 5940 के अधीन नियमितिकरण की योजना एवं **लघु सिंचाई कर्मचारी संघ एवं अन्य (ऊपर)** मामले में दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट करने के बाद निवेदन किया कि याचीगण का मामला गलत रूप से अस्वीकार किया गया है। वे भी दैनिक मजदूर की कोटि में आते हैं जिन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के निबंधनानुसार नियमितिकरण के लिए विचार किया जाना चाहिए था। ये याचीगण दिनांक 1.8.1985 की कट-ऑफ तिथि के पहले से वर्ष 1994 में हटाए जाने के पहले तक दैनिक मजदूरी में लगे हुए हैं।

3. किंतु प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा याचीगण के प्रतिवाद का विरोध इस अभिवचन पर किया गया है कि दिनांक 18.6.1993 की नियमितिकरण योजना उनके मामलों को आच्छादित नहीं करती है। इन याचीगण को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (F) के प्रावधान के अनुपालन के बाद सेवा से छँटनी किया गया था। अत:, वे **लघु सिंचाई कर्मचारी संघ एवं अन्य (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के विस्तार के अंतर्गत नहीं आते हैं। अत:, आक्षेपित आदेश किसी गलती अथवा अवैधता से पीड़ित नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि वर्ष 1994 में याचीगण की छँटनी की ऐसी लंबी अवधि के बाद नियमितिकरण नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में, प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उप सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा जारी मेमो सं॰ 341 वाले दिनांक 12.3.2014 के आदेश को भी निर्दिष्ट किया है जो पुन: इस प्रभाव का है कि **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य, (2006)4 SCC Page 1,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित संवैधानिक पीठ के निर्णय के कारण भी नियमितिकरण के लिए इन याचीगण के मामलों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

4. मैंने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन किया है। मामले के ताथ्यिक संदर्भ की पृष्ठभूमि में, जैसा विरोधी पक्षों द्वारा निवेदन किया गया है, यह प्रतीत होता है कि वर्ष 1994 में इन याचीगण को हटाए जाने/छाँटे जाने में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पहले भी हस्तक्षेप नहीं किया गया था, यद्यपि यह खुला रखा गया था कि नियमितिकरण के लिए याचीगण के दावा पर विचार किया जा सकता है। उस संदर्भ में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2286 वर्ष 1999 (पटना) में वाद के आरंभिक चक्र में दिनांक 8.4.2002 के निर्णय (परिशिष्ट-13) के तहत संप्रेक्षण किया कि याचीगण **लघु सिंचाई कर्मचारी संघ एवं अन्य (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और दिनांक 18.6.1993 के संकल्प जो तत्कालीन बिहार राज्य में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिए योजना थी, पर विश्वास करते हुए मामले को सचिव, जल संसाधन विभाग के ध्यान में ला सकते हैं। किंतु नियमितिकरण के लिए याचीगण का दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि वे वर्ष 1993 की योजना के अधीन आच्छादित नहीं हैं और वे **लघु सिंचाई कर्मचारी संघ एवं अन्य (ऊपर)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विस्तार के अंतर्गत नहीं आते हैं।

5. किंतु, पूर्वोक्त आधारों पर वर्ष 2003 में आक्षेपित आदेश पारित किए जाने के समय से **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य, (2006)4 SCC Page 1,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए संवैधानिक पीठ निर्णय की दृष्टि में नियमितिकरण के विषय पर विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। उक्त निर्णय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन समस्त निर्णयों को

उलट दिया जो उक्त निर्णय में सुनिश्चित सिद्धांतों के विपरीत थे अथवा जिनमें दिए गए निर्देश उसके विपरीत थे जो उसमें अभिनिर्धारित किया गया है। यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे निर्णय पूर्व निर्णय के अपने दर्जे से मुक्त हो जाएँगे। किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उक्त निर्णय के पैरा 53 में इस प्रभाव का संप्रेक्षण भी किया कि ऐसे कर्मचारियों, जो न्यायालय अथवा अधिकरण के आदेशों के मध्यक्षेप के बिना 10 वर्ष अथवा अधिक से सेवा में बने हुए हैं की सेवाओं के नियमितिकरण के प्रश्न पर भारत संघ, राज्य सरकार अथवा इसके अभिकरण द्वारा एक समय उपाय के रूप में विचार किया जा सकता है। पूर्वोक्त पैरा के पठन से यह प्रतीत होता है कि ऐसा संप्रेक्षण ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में किया गया था जो दस वर्ष अथवा अधिक से अनियमित नियुक्ति में बना हुआ है। वर्तमान मामले के तथ्य किसी प्रकार का संदेह नहीं छोड़ते हैं कि **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य (ऊपर)** के मामले में पैरा 53 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया संप्रेक्षण याचीगण के मामलों पर लागू नहीं होता है क्योंकि उन्हें पहले ही वर्ष 1994 में ही हटा/छाँट दिया गया है।

6. अत:, इस चरण पर, **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य (ऊपर)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत की दृष्टि में याचीगण के नियमितिकरण प्रार्थना अनुज्ञात नहीं की जा सकती है। अत: यह न्यायालय पूर्वोक्त तथ्यों एवं कारणों पर विचार करने पर आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है जिसके द्वारा याचीगण का नियमितिकरण दावा अस्वीकार कर दिया गया है।

तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

सुधीर कुमार वर्मा उर्फ सुधीर कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 3686 of 2013. Decided on 6th January, 2015.

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894—धाराएँ 18 एवं 30—अभिखंडन–याची ने मौजा हेथु, राँची में खाता सं॰ 68 के अंतर्गत भूखंड सं॰ 1294 के अधीन 62.5 डिसमिल मापवाली भूमि के संबंध में मुआवजा के भुगतान का दावा किया, याची की आपत्ति भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अस्वीकार की गयी और प्रत्यर्थी सं॰ 4 को मुआवजा की राशि दिए जाने के लिए निर्देश दिया गया–अधिनिर्णय तैयार होने के पहले याची अथवा गणेश राम के किसी अन्य विधिक उत्तराधिकारी और उत्तरजीवी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी थी अथवा मुआवजा का दावा नहीं किया गया था–नोटिस के बावजूद जब एक बार याची अधिनिर्णय तैयार होने के पहले कोई आपत्ति करने में विफल रहा, याची के पास समुचित रास्ता सिविल न्यायालय जाना था–अभिनिर्धारित, याची द्वारा दाखिल धारा 30 के अधीन आवेदन सही प्रकार से भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा खारिज किया गया–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Ashok Kr. Yadav, For the Petitioner; Mr. Atanu Banerjee, For the Resp.-State.

आदेश

भूमि अर्जन मामला सं॰ 9/2008-09 में दिनांक 27.11.2002 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए और प्रत्यर्थी सं॰ 4 को मुआवजा निर्मुक्त नहीं करने के लिए उप-समाहर्त्ता, राँची को निर्देश देने के लिए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. संक्षिप्त रूप से कथित मामले के तथ्य निम्नलिखित हैं:

भारतीय विमान पत्तन, प्राधिकरण द्वारा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 125 डिसमिल भूमि का अर्जन इप्सित किया गया था और तद्नुसार, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गयी थी। उप-समाहर्त्ता, राँची के कार्यालय से दिनांक 25.7.2011 का नोटिस जारी किया गया था जिसके द्वारा एवार्डियों को दस्तावेजी साक्ष्य, यदि मूल एवार्डी की मृत्यु हो गयी है, प्रस्तुत करके मुआवजा राशि प्राप्त करने का निर्देश दिनांक 10.8.2011 को दिया गया था। याची और अन्य ने किसी रामावतार वर्मा का पुत्र होने के नाते मौजा हेथु, थाना सं॰ 298, जिला राँची में आर॰ एस॰ भूखंड सं॰ 1294, खाता सं॰ 68 से गठित भूमि के संबंध में मुआवजा का भुगतान इप्सित करते हुए अपनी आपत्ति दाखिल किया। अधिकार अभिलेख के पुनरीक्षण सर्वे में मौजा हेथु में खाता सं॰ 68 के अंतर्गत भूखंड सं॰ 1294, कुल क्षेत्र 125 डिसमिल, रघुनाथ राम, कोल्हाराम, सहदेव राम एवं बोधोराम, समस्त रामदीन राम के पुत्र, के नाम में दर्ज किया गया है और उनका संयुक्त रूप से एक हिस्सा और खेतु राम के पुत्र नंदकेश्वर राम का एक हिस्सा है। सह अंशधारियों के बीच मौखिक बँटवारा हुआ था और वे अपने-अपने हिस्से पर काबिज बने रहे। उक्त नंदकेश्वर राम की अपने पीछे दो पुत्रों अर्थात् जानकी राम एवं गणेश राम को छोड़कर मृत्यु हो गयी। याची उसका पौत्र होने के नाते गणेश राम के विधिक प्रतिनिधियों एवं उत्तराधिकारियों में से एक है जबकि प्रत्यर्थी सं॰ 4 जानकी राम की शाखा से आता है। याची ने मौजा हेथु, राँची में खाता सं॰ 68 के अंतर्गत भूखंड सं॰ 1294 के अधीन 62.5 डिसमिल मापवाली भूमि के संबंध में मुआवजा के भुगतान का दावा किया। दिनांक 27.11.2012 के आदेश के तहत याची की आपत्ति अस्वीकार कर दी गयी है और प्रत्यर्थी सं॰ 4 अर्थात् लक्ष्मीराम को मुआवजा राशि दिए जाने का निर्देश दिया गया है।

3. जिला भूमि अर्जन अधिकारी, राँची की ओर से यह अभिपुष्ट करते हुए प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि थाना सं॰ 298, खाता सं॰ 68, भूखंड सं॰ 1294, मौजा हेथु, राँची में गठित 8.88 एकड़ भूमि एल॰ ए॰ केस सं॰ 9/2008-09 के तहत अर्जित की गयी है। प्रत्यर्थी सं॰ 4 के नाम में अधिनिर्णय सं॰ 13 तैयार किया गया था। आरंभ में किसी सुशीला देवी एवं शालिनी देवी ने स्वयं का गणेश राम के विधिक उत्तराधिकारियों एवं उत्तरजीवियों द्वारा निष्पादित दिनांक 28.7.2011 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के फलस्वरुप प्रश्नगत भूमि का स्वामी होने का दावा करते हुए आपत्ति याचिका दाखिल किया। चूँकि संव्यवहार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने के काफी बाद किया गया था, जिला भूमि अर्जन अधिकारी, राँची ने दिनांक 27.11.2012 के आदेश के तहत मुआवजा का दावा करने वाली उनकी आपत्ति याचिका को अस्वीकार कर दिया। याची ने दिनांक 8.12.2012 को भी आपत्ति याचिका दाखिल किया था और इस संबंध में रामावतार वर्मा के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा आपत्ति दाखिल की गयी थी। उपायुक्त, राँची ने सब-डिविजनल अधिकारी को मामले की जाँच करने का निर्देश दिया जिसने दिनांक 5.2.2012 का रिपोर्ट प्रस्तुत किया। सब-डिविजनल अधिकारी, राँची द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रकट करती है कि स्वयं वर्ष 1934 में नंदकेश्वर राम की भूमि उसके पुत्रों अर्थात् जानकी राम एवं गणेश राम के बीच बाँटी गयी थी और तद्नुसार भूखंड सं॰ 1294 के अधीन प्रश्नगत भूमि जानकी राम के पक्ष में आवंटित की गयी थी। उक्त गणेश राम के विधिक उत्तराधिकारियों एवं उत्तरजीवियों द्वारा वर्ष 1970-

2007 के बीच निष्पादित विभिन्न विक्रय विलेख उपदर्शित करते हैं कि उन्होंने गणेश राम एवं जानकी राम के बीच बँटवारा स्वीकार कर लिया। प्रश्नगत भूमि के अर्जन के लिए 74,00,199.00/- रुपयों की अधिनिर्णीत राशि का भुगतान जिला भूमि अर्जन अधिकारी, राँची द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 4 को किया गया है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि यह अभिलेख का मामला है कि याची उसका पौत्र होने के नाते किसी गणेश राम का विधिक उत्तराधिकारी एवं उत्तरजीवी है जिसका नंदकेश्वर राम की संपत्तियों में आधा हिस्सा था और यह तथ्य भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है, किंतु प्रत्यर्थी सं॰ 4 को मुआवजा का आदेश गलत रूप से पारित किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 30 के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन इस प्रकार इस आधार पर गलत रूप से अस्वीकार कर दिया गया है कि याची एवं अन्य लोग संपत्ति की संयुक्तता का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

6. उक्त के विरुद्ध, विद्वान जी॰ ए॰ श्री अतानु बनर्जी निवेदन करते हैं कि दिनांक 27.11.2012 के आदेश के तहत याची की आपत्ति अस्वीकार की गयी है किंतु, याची की दिनांक 8.12.2012 की आपत्ति याचिका पर उपायुक्त, राँची ने सब डिविजनल अधिकारी ने सब-डिविजनल अधिकारी से जाँच रिपोर्ट इप्सित किया और रिपोर्ट में भी यह पाया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 प्रश्नगत भूमि का मूल दावेदार है और इसलिए, प्रत्यर्थी सं॰ 4 को मुआवजा राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. अभिलेख पर लाए गए सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि अधिनिर्णय तैयार होने के पहले याची अथवा गणेश राम के किसी अन्य विधिक उत्तराधिकारी एवं उत्तरजीवी ने कोई आपत्ति नहीं किया था अथवा मुआवजा का दावा नहीं किया था। केवल मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए दिनांक 25.7.2011 का नोटिस जारी किए जाने के बाद किसी सुशीला देवी और शालिनी देवी ने मुआवजा का दावा करते हुए आपत्ति दाखिल किया। याची ने भी दिनांक 8.12.2012 को आपत्ति दाखिल किया और तत्पश्चात उक्त गणेश राम के विधिक उत्तराधिकारियों एवं उत्तरजीवियों ने आपत्ति दाखिल किया। विद्वान जिला भूमि अर्जन अधिकारी, राँची ने पाया है कि सोची विचारी योजना के अधीन भूमि अर्जित किए जाने के बाद सुशीला देवी एवं शालिनी देवी के पक्ष में भूमि कपटपूर्वक अंतरित की गयी थी। भूमि अर्जन अधिकारी के समक्ष याची मुआवजा के लिए अपने दावा के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा और भूमि अर्जन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों से यह पाया गया है कि 0.88 एकड़ भूमि के संबंध में मुआवजा प्रत्यर्थी सं॰ 4 को अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए और न कि उक्त गणेश राम के किसी अन्य विधिक उत्तराधिकारी अथवा याची को। सब-डिविजनल अधिकारी, राँची द्वारा की गयी आगे की जाँच भी इसे अभिपुष्ट करती है। सब-डिविजनल अधिकारी, राँची द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परिशीलन अभिपुष्ट करता है कि गणेश राम के विधिक उत्तराधिकारी भूखंड सं॰ 1261 एवं भूखंड सं॰ 1205 पर काबिज थे और उन्होंने उसमें गठित भूमि बेच दिया है और यह तथ्य अभिपुष्ट करता है कि वर्ष 1934 में मौखिक बँटवारा हुआ था जिसके निबंधनानुसार पक्षगण अपने-अपने हिस्सों पर काबिज हुए। आगे यह पाया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ने भूखंड सं॰ 1260 अथवा 1261 अथवा भूखंड सं॰ 1205 के संबंध में मुआवजा का दावा नहीं किया है। मेरा मत है कि नोटिस के बावजूद जब एक बार याची अधिनिर्णय तैयार होने के पहले कोई आपत्ति करने में विफल रहा, याची के पास समुचित रास्ता सिविल न्यायालय के पास जाना था। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 30 लागू होती है जब परस्पर विरोधी दावों के कारण भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा कोई भी प्रभाजन नहीं किया गया है। याची द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 30 के अधीन

तात्पर्यित रूप से दाखिल आवेदन भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है जो अधिनियम की धारा 30 के अधीन स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है जबकि अधिनियम की धारा 18 के अधीन आवेदन को अधिनियम की धारा 18 में उल्लिखित शर्तों को परिपूर्ण करने के अध्यधीन सिविल न्यायालय को निर्दिष्ट करना ही होगा। याची अधिनिर्णय की जानकारी के बावजूद भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन निर्देश इप्सित करते हुए जिला भूमि अर्जन अधिकारी के पास जाने में विफल रहा है। याची द्वारा अधिनियम की धारा 30 के अधीन दाखिल आवेदन सही प्रकार से भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है।

9. उक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

पुतुल कुमारी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. No. 434 of 2013. Decided on 5th January, 2015.

लेटर्स पेटेन्ट अपील–गोड्डा ग्रामीण बाल विकास परियोजना के अधीन मोलनाकित्ता केंद्र के लिए आम सभा द्वारा चयन पर आंगनबाड़ी सेविका के रूप में उसकी नियुक्ति अनुमोदित करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश के लिए रिट में याची की प्रार्थना खारिज की गयी–याची निशा देवी के चयन में कोई अनियमितता उपदर्शित करने में अक्षम रही–याची का नाम साकेतपुरी की मतदाता सूची में पाया गया जबकि निशा देवी का नाम ग्राम मोलनाकित्ता, हरिजन टोला की मतदाता सूची में पाया गया–आंगनबाड़ी केंद्रों को राजस्व ग्रामों के आधार पर गठित नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें समाज के कमजोर वर्गों जो केंद्र कमांड क्षेत्र के अधीन निवास करते हैं की गरीबी एवं पिछड़ेपन को दृष्टि में रखते हुए कठोरतापूर्वक राज्य सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर निर्मित किया गया है–अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अत्यन्त पिछड़े लोगों की जनसंख्या को सदैव ध्यान में रखना है–याची की नियुक्ति रद्द की गयी थी और निशा देवी की नयी नियुक्ति की गयी थी जो मोलनाकित्ता हरिजन टोला केंद्र से आती है जो 'मुसहर' एवं 'पासवान' समुदाय से आने वाले बहुसंख्यक लोगों और शेष अन्य पिछड़ी कोटि से आने वाले व्यक्तियों से गठित है–अभिनिर्धारित, अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष किसी गलती से पीड़ित नहीं प्रतीत होता है जिसमें एल॰ पी॰ ए॰ में हस्तक्षेप की आवश्यकता है–अपील खारिज। (पैराएँ 2 से 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Kumar Choubey, For the Petitioner; Mr. Prashant Kr. Singh, For the Respondents.

अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति.–पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. रिट याची डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 427 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 27.11.2013 के निर्णय जिसने उसकी रिट याचिका खारिज कर दिया के विरुद्ध अपील में है। रिट याचिका आरंभ में जिला गोड्डा में

गोड्डा ग्रामीण बाल विकास परियोजना के अधीन मोलनाकित्ता केंद्र के लिए आम सभा द्वारा दिनांक 1.9.2012 को उसके चयन पर आंगनबाड़ी सेविका के रूप में उसकी नियुक्ति अनुमोदित करने के लिए प्रत्यर्थीगण को आदेश देने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गयी थी। किंतु, रिट याचिका लंबित रहने के दौरान जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, गोड्डा द्वारा आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए नयी चयन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए दिनांक 22.1.2013 के पत्र को आई॰ ए॰ सं॰ 548 वर्ष 2013 के माध्यम से चुनौती देने के लिए याची की प्रार्थना यह संप्रेक्षित करते हुए अनुज्ञात की गयी थी कि ''इस बीच, प्रश्नगत केंद्र के लिए आंगनबाड़ी सेविका का कोई चयन रिट याचिका के परिणाम के अध्यधीन होगा।'' तत्पश्चात, दिनांक 8.4.2013 को नयी चयन प्रक्रिया सेविका के रूप में किसी निशा देवी की नियुक्ति में समाप्त हुई थी। आई॰ ए॰ सं॰ 3869 वर्ष 2013 के माध्यम से दिनांक 8.4.2013 के उक्त नियुक्ति पत्र को चुनौती देने वाली याची की प्रार्थना भी बाद में अनुज्ञात की गयी थी जैसा आक्षेपित निर्णय से प्रतीत होगा। किंतु, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय में कोई सारवान अनियमितता नहीं पाया था जिसके द्वारा पूर्व आम सभा की कार्यवाही रद्द कर दी गयी थी। साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि याची उक्त निशा देवी की नियुक्ति में कोई अनियमितता उपदर्शित करने में अक्षम रही थी। प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल पूरक प्रतिशपथ पत्र का विषय वस्तु भी आक्षेपित निर्णय में उद्धृत किया गया था जहाँ यह उपदर्शित किया गया था कि याची मोलनाकित्ता की निवासी नहीं है बल्कि मोहल्ला साकेतपुरी, गोड्डा की निवासी है जहाँ उसका नाम मतदाता सूची में आता है। निशा देवी का नाम ग्राम मोलनाकित्ता हरिजन टोला की मतदाता सूची में उल्लिखित किया गया था जिसके संबंध में उसने आवासीय प्रमाणपत्र भी दाखिल किया है।

3. अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ इन आधारों पर आक्षेपित निर्णय का विरोध किया है कि उपायुक्त, गोड्डा द्वारा जारी दिनांक 11.8.2012 की आम नोटिस के माध्यम से पहले सेविका की चयन प्रक्रिया आरंभ करने के बाद याची का चयन आम सभा द्वारा दिनांक 1.9.2012 को उसी तिथि को बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोड्डा ग्रामीण, द्वारा जारी अनंतिम नियुक्ति पत्र, परिशिष्ट-5, के तहत किया गया था। किंतु, उसको कोई नोटिस अथवा कारण बताओ जारी किए बिना दिनांक 22.1.2013 की आम नोटिस द्वारा आंगनबाड़ी सेविका के चयन का नया कार्य किया गया है और केंद्र मौलनाकित्ता को मनमाने रूप से मौलनाकित्ता हरिजन टोला में परिवर्तित कर दिया गया। अत:, याची की नियुक्ति रद्द किए बिना केंद्र मौलनाकित्ता हरिजन टोला के लिए निशा देवी का पश्चातवर्ती चयन एवं नियुक्ति विधि में दोषपूर्ण है। अपीलार्थी ने आगे प्रतिवाद किया कि केंद्र मोलनाकित्ता के लिए सेविका के चयन के कार्य के बाद आंगनबाड़ी केंद्र का नाम मनमाने रूप से बदला नहीं जा सकता था जब उक्त गोड्डा ग्रामीण बाल विकास परियोजना के अधीन सुन्दरमारा हरिजन टोला के लिए भी आंगनबाड़ी सेविका की चयन प्रक्रिया शुरू की गयी थी। उसका आगे प्रतिवाद यह है कि यद्यपि आई॰ ए॰ सं॰ 3869 वर्ष 2013 के माध्यम से निशा देवी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली प्रार्थना उसी आक्षेपित निर्णय द्वारा अनुज्ञात की गयी थी किंतु विद्वान एकल न्यायाधीश गुणागुण पर रिट याचिका का विनिश्चित करने के पहले प्राईवेट प्रत्यर्थी पर नोटिस जारी करने में विफल रहे। अत:, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने का दायी है और नवनियुक्त आंगनबाड़ी सेविका सहित पक्षों को सुनने के बाद पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजे जाने का दायी है।

4. हमने याची-अपीलार्थी और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन किया है। रिट याचिका में अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों एवं सामग्रियों

से यह प्रकट है कि आम नोटिस, रिट याचिका का परिशिष्ट–1, के अनुसरण में याची गोड्डा ग्रामीण बाल विकास परियोजना के अधीन मोलनाकित्ता केंद्र के लिए आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयनित की गयी थी किंतु उसकी नियुक्ति केवल अनंतिम प्रकृति की थी जैसा रिट याचिका के परिशिष्ट–5, बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोड्डा ग्रामीण द्वारा जारी मेमो सं॰ 275 वाला दिनांक 1.9.2012 का अनंतिम नियुक्ति पत्र, से प्रतीत होगा। उक्त दस्तावेज का परिशीलन मात्र दर्शाता है कि यदि सेविका की नियुक्ति अनुमोदित नहीं की जाती है, चयन रद्द कर दिया गया समझा जाएगा क्योंकि नियुक्ति शुद्धत: अस्थायी प्रकृति की थी। आई॰ ए॰ सं॰ 548 वर्ष 2013, जिसे दिनांक 19.2.2013 को अनुज्ञात किया गया था, के परिशिष्ट 1 पर दस्तावेज के परिशीलन से यह प्रतीत होगा कि जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी, गोड्डा ने मेमो सं॰ 144 वाले दिनांक 17.1.2013 के पत्र के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोड्डा ग्रामीण को सूचित किया था कि दिनांक 1.9.2012 के पत्र के माध्यम से आमसभा द्वारा सेविका का चयन रद्द कर दिया गया था। इसने यह भी उपदर्शित किया कि आंगनबाड़ी केंद्र, मोलनाकित्ता को मोलनाकित्ता, हरिजन टोला के रूप में उपायुक्त द्वारा अनुमोदन दिया गया है जो लाभार्थियों के रूप में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संतानों जो संख्या में कुल 35 हैं और पिछड़े समुदायों की पाँच संतानों से गठित है और केंद्र मोलनाकित्ता हरिजन टोला के रूप में चलेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोड्डा ग्रामीण को केंद्र मोलनाकित्ता हरिजन टोला के लिए सेविका के चयन के लिए नयी आम सभा बुलाने का निर्देश दिया गया था जिसके लिए उपायुक्त, गोड्डा द्वारा दिनांक 22.1.2013 की आम सूचना भी जारी की गयी थी। अत:, यह प्रतीत होता है कि यद्यपि याची ने उक्त आई॰ ए॰ सं॰ 548 वर्ष 2013 में दिनांक 1.9.2012 को आम सभा के माध्यम से की गयी अपने चयन के रद्दकरण को चुनौती दिया था, किंतु विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त आई॰ ए॰ में की गयी प्रार्थना अनुज्ञात करते हुए नयी चयन प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया था बल्कि केवल यही संप्रेक्षण किया था कि प्रश्नगत केंद्र के लिए आंगनबाड़ी सेविका का कोई चयन रिट याचिका के परिणाम के अध्यधीन होगा। अनंतिम नियुक्ति पत्र सहपठित बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोड्डा का दिनांक 17.1.2013 के पत्र के निबंधनों से यह प्रकट है कि केंद्र मोलनाकित्ता के लिए याची का चयन अंतत: सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कभी नहीं किया गया था और ऐसी दशा में इसे स्वयं अनंतिम नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट शर्तों के निबंधनानुसार रद्द किया गया समझा जाना था। अत: याची–अपीलार्थी ऐसे अनंतिम चयन के आधार पर सेविका के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी विधिक अधिकार का दावा नहीं कर सकती है।

5. प्रत्यर्थीगण का दृष्टिकोण, जैसा पूरक प्रतिशपथ पत्र में अभिलेख पर लाया गया है, आक्षेपित निर्णय में भी उद्धृत किया गया है। उससे प्रतीत होता है कि याची का नाम साकेतपुरी की मतदाता सूची में पाया गया था जबकि निशा देवी का नाम ग्राम मोलनाकित्ता, हरिजन टोला की मतदाता सूची में पाया गया था। प्रत्यर्थीगण ने भी रिट याचिका में दिनांक 18.7.2013 को दाखिल अपने पूरक प्रतिशपथ पत्र में स्पष्टत: उपदर्शित किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को राजस्व ग्रामों के आधार पर गठित नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हें समाज के कमजोर वर्गों, जो केंद्र कमांड क्षेत्र के अधीन निवास करते हैं, की गरीबी एवं पिछड़ेपन को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर कठोरतापूर्वक निर्मित किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के चयन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्ग के सदस्यों की जनसंख्या को सदैव ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने यह भी उपदर्शित किया है कि आंगनबाड़ी केंद्र कमजोर वर्गों के 1000 लोगों की जनसंख्या पर निर्मित किए जाते हैं और राजस्व ग्राम

में एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। अत:, यह प्रतिवाद किया गया है कि याची की नियुक्ति रद्द की गयी थी और नयी चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी जो निशा देवी की नियुक्ति की ओर ले गयी, जो केंद्र मोलनाकित्ता हरिजन टोला से आती है जो मुख्यत: 'मुसहर' एवं 'पासवान' जाति से आने वाले व्यक्तियों से गठित है और शेष अन्य पिछड़ी कोटि से आते हैं।

6. अत: विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर आते प्रतीत होते हैं कि पूर्व आम सभा की कार्यवाही के रद्दकरण में अनियमितता नहीं थी और न ही उक्त निशा देवी के चयन में कोई अनियमितता थी। अभिलेख पर उपलब्ध पूर्वोक्त आनुषंगिक सामग्रियों पर विचार करने पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज निष्कर्ष किसी गलती से पीड़ित नहीं हैं जिसमें अपील में इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो। अत:, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

भीम मोदी

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 582 of 2011. Decided on 7th November, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 311–गवाह की परीक्षा–धारा 311 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने का मूल तत्व सत्य अभिनिश्चित करना है या अभिलेख पर वैसा तात्विक साक्ष्य लाना है जो मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए अनिवार्य है–एक ऐसे मामले में भी जहां साक्ष्य पूरा हो चुका है, न्यायालय एक गवाह को परीक्षित करने के विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है–परन्तु न्यायालय की आदेशिका का दुरूपयोग करने या विचारण को लंबा करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग नहीं किया जाना है। (पैरा 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Shailesh, For the Petitioner; A.P.P., For the State.

आदेश

यह पुनरीक्षण दिनांक 20.7.2011 के आदेश के विरूद्ध निर्दिष्ट है जिसके द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद के न्यायालय में लंबित सी॰ पी॰ केस सं॰ 1295 वर्ष 2005 में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन परिवादी द्वारा दाखिल आवेदन अनुज्ञात कर दिया गया था।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि पूर्व में विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.9.2010 के अपने आदेश से गवाह प्रस्तुत करने के विपक्षी सं॰ 2 के आग्रह को अस्वीकार कर दिया था जिसके बाद 30.2.2010 को मामला बंद कर दिया गया था; कि विपक्षी सं॰ 2, अर्थात, परिवादी ने अस्वीकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध कोई पुनरीक्षण या अपील दाखिल नहीं किया था; कि 2.12.2010 को बचाव पक्ष द्वारा तर्क पूरा हो जाने के उपरान्त जब मामला परिवादी की बहस के लिए निर्धारित किया गया था, एक गवाह की परीक्षा हेतु परिवादी द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया गया था तथा ऐसा आदेश पिछले आदेश के पुनर्विलोकन के समतुल्य है जो विधि में अननुज्ञेय है। यह भी निवेदन किया गया है कि परिवादी ने याची-अभियुक्त को तंग करने के इरादे से तथा विचारण को लंबा खींचने एवं उसमें विलम्ब कराने को दृष्टिगत रखते हुए विचारण के दौरान गवाहों को पेश करने के उसे कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद ऐसे विलम्ब के उपरान्त आवेदन दाखिल किया था परन्तु वह साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही थी। तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने परिशिष्ट 2 पर मौजूद विचारण न्यायालय के आदेश पत्रकों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियों को निर्दिष्ट किया है।

3. विपक्षी सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उसने कोई अभ्यापत्ति नहीं की है तथा विपक्षी सं॰ 2 ने उससे संचिका लिया है।

4. सुना।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि दिनांक 20.7.2011 का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.9.2010 के पिछले आदेश का पुनर्विलोकन करने के तुल्य है, इस कारण स्वीकारणीय नहीं है कि 18.9.2010 को गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए समय का आग्रह करते हुए याचिका दाखिल की गयी थी तथा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन कोई आवेदन नहीं था जबकि आक्षेपित आदेश दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन याचिका पर पारित किया गया है तथा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन न्यायालय की परिधि तथा अधिकारिता एवं शक्ति पूर्णत: भिन्न है, तद्नुसार, आक्षेपित आदेश को दिनांक 18.9.2010 के आदेश का पुनर्विलोकन नहीं कहा जा सकता है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 एक हितकारी प्रावधान है जो न्यायालय को किसी व्यक्ति को परीक्षित करने के लिए उपस्थित कराने या किसी गवाह को समन करने, पुन: परीक्षित करने या पुन: बुलाने में सशक्त बनाता है। प्रावधान का पहला हिस्सा न्यायालय के वैवेकिक प्राधिकार से संबंधित है तथा दूसरा हिस्सा आज्ञापक है एवं किसी गवाह को पुन: बुलाने या पुन: परीक्षित करने की एक बाध्यता न्यायालय पर अधिरोपित करता है अगर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए गवाह का साक्ष्य अनिवार्य है।

6. वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय के आदेश पत्रकों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि आरोप का मूल तत्व 30.9.2008 को स्पष्टीकृत कर दिया गया था तथा परिवादी द्वारा साक्ष्य दिये जाने हेतु मामला निर्धारित कर दिया गया था एवं परिवादी ने कई तिथियों को समय की ईप्सा करते हुए आवेदन दाखिल किये थे; कि 30.6.2009 को परिवादी ने समय का आग्रह करते हुए याचिका दाखिल की थी जिसपर न्यायालय ने परिवादी को स्वयं उपस्थित रहने के लिए कहा था; कि अगले दिन पुन: एक समय याचिका दाखिल की गयी थी जिसपर न्यायालय ने परिवादी को 100/– रुपये का एक व्यय जमा करने का तथा स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। कि 4.9.2009 को परिवादी ने पुन: एक समय याचिका दाखिल की थी तथा न्यायालय ने अंतिम छूट के तौर पर इसे अनुज्ञात कर दिया था एवं सभी अभियुक्तों को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। 24.11.2009 को सभी तीनों अभियुक्त व्यक्ति मौजूद थे एवं परिवादी द्वारा गवाह को पेश करने के लिए पुन: समय याचिका दाखिल की गयी थी तथा न्यायालय ने 100/– रुपये का एक व्यय अधिरोपित करके याचिका अनुज्ञात कर दिया था। आदेश पत्रकों से यह स्पष्ट है कि परिवादी ने न तो न्यायालय द्वारा किये गये आदेशानुसार व्यय जमा किया था, न ही परिवादी तथा गवाह को अगली तिथि को स्वयं उपस्थित रहने के न्यायालय के निर्देश के बावजूद गवाह को पेश किया था; ऐसे विनिर्दिष्ट निर्देश के बावजूद पुन: परिवादी द्वारा 15.6.2010 को समय याचिका दाखिल की गयी थी। कि दिनांक 30.8.2010 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने गवाहों को पेश करने के लिए समय मांगने का आवेदन अस्वीकार कर दिया था क्योंकि परिवादी ने न्यायालय द्वारा यथा किये गये आदेशानुसार व्यय जमा नहीं किया था एवं परिवादी का साक्ष्य बंद कर दिया था; कि 18.9.2010 को गवाहों को पेश करने के लिए समय का आग्रह करते हुए परिवादी की याचिका अस्वीकार कर दी गयी थी तथा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान अभिलिखित किया गया था। 13.12.2010 को एक गवाह को परीक्षित करने के लिए परिवादी द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन एक आवेदन दाखिल किया गया था तथा पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरान्त विचारण न्यायालय ने लगभग छह महीनों के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया है।

7. नि:संदेह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन शक्ति का जांच, विचारण या कार्यवाही के किसी भी चरण में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा यह स्थापित सिद्धांत है कि निर्णय के सुनाये जाने या आदेश पारित होने तक विचारण या जांच पूरी नहीं होती है। तथापि, वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, गवाह को पेश करने के लिए परिवादी को कई अवसर दिये गये थे परन्तु परिवादी ने विचारण

में विलंब कराने, उसे लंबा खिंचने के इरादे से गवाह पेश करने के लिए समय की ईप्सा करते हुए याचिका दाखिल करना जारी रखा था। गवाह को पेश करने का भार परिवादी पर था तथा आदेश पत्रकों से यह प्रकट है कि न्यायालय ने दो अवसरों पर परिवादी को गवाह के साथ स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया था परन्तु गवाह को पेश करने के लिए स्थगन की बार-बार ईप्सा करके परिवादी ने विलंब कराने वाली युक्ति अपनायी थी। इसे उल्लिखित किया गया है कि मामला सम्मन के द्वारा विचारण योग्य है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 258 मामले के त्वरित विचारण तथा निस्तारण को विहित करती है, तथापि, आरोप का मूल तत्व स्पष्टीकृत किये जाने के दो वर्ष गुजर जाने पर भी तथा परिवादी को कई अवसर प्रदान किये जाने पर भी उसके द्वारा गवाहों को पेश नहीं किया गया था।

8. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने का मूल तत्व सत्य को अभिनिश्चित करना है या अभिलेख पर ऐसा तात्विक साक्ष्य लाना है जो मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए अनिवार्य प्रतीत हो। यह सही है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन किसी भी चरण में शक्ति का इस्तेमाल करने का व्यापक विवेकाधिकार न्यायालय में निहित है परन्तु संलग्न तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी शक्ति का एक उपयुक्त मामले में यदा कदा इस्तेमाल किया जाना है। एक ऐसे मामले में भी जहां साक्ष्य बंद हो चुका है, न्यायालय किसी गवाह को परीक्षित करने के विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है परन्तु इस धारा का प्रावधान अभियोजन या बचाव पक्ष द्वारा न्यायालय की आदेशिका का दुरूपयोग करने या विचारण में विलंब कराने या उसे लंबा करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला एक बहाना या एक मार्ग नहीं है।

9. प्रस्तुत मामले के तथ्यपरक परिदृष्य में यह प्रकट है कि परिवादी का आचरण संदेह से परे नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण अवसर तथा छूट प्रदान किये जाने के बावजूद उसने न तो स्वयं को परीक्षित कराया था, न गवाहों को पेश किया था और न ही न्यायालय के अनुदेशों का अनुपालन किया था। वस्तुतः उसने लापरवाही बरती है तथा विचारण में विलंब कराने या उसे लंबा खींचने के इरादे से न्यायालय के आदेश का अनुपालन किये बिना अनावश्यक स्थगनों की ईप्सा करके विलंबकारी युक्ति अपनायी है।

10. इस प्रकार, परिवादी के आचरण पर विचार करते हुए तथा संलग्न तथ्यों एवं परिस्थितियों में विचारण न्यायालय का दिनांक 20.7.2011 का आदेश समर्थनीय नहीं है तथा तद्नुसार अपास्त किया जाता है।

11. परिणामतः, पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

प्रवीण मित्तल उर्फ परवीन मित्तल एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 1754 of 2013. Decided on 13th November, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 482–प्राथमिकी का निरस्त किया जाना–समझौता याचिका के निबंधनों में पक्षकारों के बीच मामला सौहार्दपूर्ण रूप से सुलझाया जा चुका है–कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा अगर दांडिक अभियोजन को जारी रहने की अनुमति दी जाती है–प्राथमिकी अभिखंडित। (पैराएँ 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.–2008 (3) JLJR (SC) 304; (2014) 3 SCC (Cr.) 54; (2008) 4 SCC 582; (2011) 10 SCC 705—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s L.C.N. Shahdeo, Shailesh, For the Petitioners; Mrs. Niki Sinha, For the Opp. Party-State; Mr. Pratiush Lala, For the Opp. Party No. 2.

आदेश

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता इस मामले में परिवादी को विपक्षी सं॰ 2 के रूप में जोड़ने के लिए अनुमति की ईप्सा करते हैं।

2. यथा ईप्सा की गयी अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

3. दिन के अनुक्रम के दौरान मुख्य याचिका के वाद शीर्षक में तद्नुसार आवश्यक संशोधन किया जाय।

4. नोटिस का अधित्यजन करके, विपक्षी सं॰ 2 इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है।

(आई॰ ए॰ संख्या 5709 वर्ष 2014)

5. याचीगण तथा विपक्षी सं॰ 2 द्वारा भी संयुक्त समझौता याचिका के रूप में वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल किया गया है अन्य के साथ-साथ यह कथित करते हुए कि मित्रों, शुभचिन्तकों एवं संबंधियों के हस्तक्षेप के कारण, पक्षकारों के बीच मामले में समझौता हो गया है तथा समझौते के निबंधनों में बकाये का निपटारा कर दिया गया है।

6. यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष भी समझौते के लिए याचिका प्रस्तुत की गयी थी इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि पक्षकारों के बीच सौहार्द्रपूर्ण समझौता हो चुका है। बी॰ पी॰ संख्या 2085 वर्ष 2013 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-VII, धनबाद द्वारा पारित आदेशानुसार याची सं॰ 2 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। यह निवेदन किया गया है कि मित्रों, शुभचिन्तकों एवं संबंधियों के हस्तक्षेप के कारण पक्षकारों के बीच सामान्य एवं सौहार्द्रपूर्ण संबंध बहाल हो गया है।

7. पूर्वोक्त घटनाक्रम की दृष्टि में, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दांडिक अभियोजन को जारी रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा तथा यह एक निरर्थक कार्य होगा एवं अतएव, याचीगण तथा विपक्षी सं॰ 2 ने भी पक्षकारों के बीच हुए सौहार्द्रपूर्ण समाधान/समझौते को विचार में लेकर वर्तमान दांडिक विविध याचिका अनुज्ञात करने के लिए वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल करके संयुक्त रूप से आग्रह किया है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया है कि याचीगण तथा विपक्षी सं॰ 2 भी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं तथा उन्होंने आवेदन में किये गये प्रकथनों की सत्यता अभिनिश्चित की है तथा उन दोनों के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उक्त समझौता ईच्छापूर्वक तथा किसी गैर मुनासिब दवाब के बिना हुआ है। दोनों पक्षकारों ने उक्त अंतर्वर्ती आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र भी दाखिल किये हैं।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है तथा उनके सुसंगत पैराएं इसमें नीचे प्रत्युत्पादित किये गये हैं:-

(i) 2008 (3) JLJR 304 (SC) में रिपोर्ट किये गये **जगदीश चनाना एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं एक अन्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:-

> *^^2. Hkk0 n0 l0 dh èkkjkvk 419] 420] 465] 468] 469] 471] 472] 474 lg&ifBr èkkjk 34 d vèkhu nt flVh lkuir ifyl Fkkuk dh fnukd 12 ekp] 2005 dh ikFkfedh l0 83 dk vfHk[kfMr dju d vkxg dk vLohdkj dju oky fnukd 24 tykb] 2006 d vkn'k d fo:) ;g vihy fufn"V gA bl U;k;ky; e bu dk;okfg;k d yfcr jgu d nkjku] fnukd 30 vihy] 2007 d ,d le>krk foy[k dk vfHky[k ij j[kr g, nkfMd fofoèk ;kfpdk l0 42@2008 nkf[ky dh*

x;h gA ;g rF; fd okLro e ,d le>krk vfHkfyf[kr fd;k x;k g] lHkh i{kk }kjk Lohdkj fd;k x;k g rFkk le>kr d fucèkuk e fookn] tk 'k) r¼ o;fDrd iÑfr d g ,o okf.kfT;d l0;ogkjk l mnHkr g] le>kr d fucèkuk e ly>k fy; x; g ft le le>kr d fucèkuk e l ,d ;g g fd U;k;ky; e yfcr dk;okfg;k oki l y yh tk; ;k mue le>krk dj fy;k tk, ;k mUg vfHk[kfMr dj fn;k tk;] tk Hkh fLFkfr gkA le>kr d vkykd e] bldh lHkkouk ugh g fd vfHk;ktu ekey e lQy gkxkA ge ;g Hkh n[kr g fd fookn 'k) r¼ ,d o;fDrd fookn g rFkk mu l0;ogkjk e dkb lkotfud uhfr vrxLr ugh g tk i{kdkjk d chp g, gA vr,o] dk;okfg;k dk tkjh j[kuk ,d vui;kxh dk; gkxkA ge] rnulkj] vihy vuKkr djr g ,o ikFkfedh l0 83 fnukd 12 ekp] 2005 ifyl Fkkuk flVh lkuir rFkk lHkh ikfj.kkfed dk;okfg;k dk vfHk[kfMr djr gA**

(ii) **(2014) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज (दांडिक) 54** में रिपोर्ट किये गये **नरिन्दर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं एक अन्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:–

^^31. oreku ekey e] HkkO n0 l0 dh èkkjkvk 307@324@323@34 d vèkhu ikFkfedh l0 121 fnukd 14.7.2010 nt dh x;h FkhA vUo"k.k ijk fd;k x;k Fkk] ft ld mijkUr ble d ;kph d fo:) U;k;ky; e pkyku iLrr fd;k x;k FkkA vkjki Hkh fojfpr dj fn; x; g(ekeyk lk{; d vfHky[ku d pj.k e gA bl pj.k e] i{kdkjk u le>krk fd;k Fkk ft ld vkèkkj ij mDr ikFkfedh d vèkhu nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr dju d fy, ;kphx.k] vFkkr] vfHk;Dr 0;fDr;k }kjk lfgrk dh èkkjk 482 d vèkhu ;kfpdk nkf[ky dh x;h FkhA le>kr dh ifrfyfi d vulkj tk ;kfpdk d lkFk lyXu fd;k x;k Fkk] i{kdkjk d chp 12.7.2013 dk le>krk gvk Fkk tc xke ipk;r d lEekfur lnL;k u ljip dh vè;{krk d vèkhu ,d cBd vk;kftr dh FkhA ;g dfFkr fd;k x;k g fd mDr 0;fDr;k@ipk;r d gLr{ki ij] nkuk i{kdkj le>kr ij lger g, Fk rFkk Hkfo"; e ,d nlj d lkFk 'kkfriod jgu dk Hkh fu.k; fy;k gA ;g rd fn;k x;k Fkk fd pfd i{kdkjk u i{kdkjk d chp lkgkn cuk; j[ku dk fu.k; fy;k g rkfd Hkfo"; e og 'kkfr ,o ie d lkFk jgu e l{ke gk ld rFkk pfd og ,d gh xko d fuokl h g] mPp U;k;ky; dk mDr le>krk Lohdkj djuk rFkk dk;okfg;k dk vfHk[kfMr dj nuk pkfg, FkkA

32. vk{kfir vkn'k l ge ikr g fd i{kdkjk d chp le>kr dk Lohdkj dju l budkj dju e tk ,dek= dkj.k mPp U;k;ky; d fy, iHkkoh jgk Fkk og migfr;k dh iÑfr FkhA ge vxj doy ml dkjd d vulkj pyr g] lkekU; r¼ ge mPp U;k;ky; d jo; d lkFk lger gku dh iofr j[kxA rFkkfi] tl fd ble bld i'pkr fufn"V fd;k x;k g] dN vU; lyXu rFkk viFkDdj.kh; ifjfLFkfr;k dk Hkh è;ku e j[k tku dh vko';drk g tk ge ,d fHkUu nf"Vdk.k yu d fy, foo'k djrh gA

33. geu ikFkfedh rFkk ml c;ku dk Hkh voykdu fd;k g tk ifjoknh@ihfMr d c;ku d vkèkkj ij vfHkfyf[kr fd;k x;k FkkA ;g ,d ldr nrk g fd i{kdkjk d chp dkb fiNy fookn d dkj.k vfHk;Dr 0;fDr;k }kjk vfHkdfFkr :i l ifjoknh ij geyk fd;k x;k Fkk] ;|fi fookn dh iÑfr bR;kfn foLrkj l dfFkr ugh dh x;h gA rFkkfi] ,d vfrlehphu dFku vfHky[k ij irhr gkrk g] vFkkr] ^^lEekfur 0;fDr vcrd ,d le>kr d fy, i;kl djr jg g] ft l vfre :i ugh fn;k tk ldk Fkk**A ;g ,d egRoi.k igy cu tkrk gA ;g irhr gkrk g fd ,l dN fookn jg g ftud ifj.kker¼ vfHk;DRkk }kjk ifjoknh ij iokDr

*rkRif;r geyk gvk FkkA bl lnHk e tc ge ikr g fd ljip ler xko d cM c<k u ekey e gLr{ki fd;k Fkk rFkk i{kdkjk u u doy viu erHkn Hkyk fn; g cfYd Hkfo"; e 'kkfriod jgu dk fu.k; fd;k g] ;g ,d egRoi.k dkjd cu tkrk gA ;g lk{; vHkh Hkh U;k;ky; e i'k fd;k tkuk 'k"k gA ;g vHkh ikjHk rd ugh gvk gA i{kdkjk d chp le>kr dh nf"V e] vfHk;ktu ekey d leFku e xokgk d lkeu vku dh U;ure lHkkouk gA ;fi xokg d rkj ij ml fpfdRld dk i'k djd migfr;k dh iÑfr vHkh Hkh fl) dh tk ldrh g] bl lcèk e fl) djuk dfBu gk ldrk g fd fdlu bu migfr;k dk dkfjr fd;k FkkA vr,o] nk"kflf) dh lHkkouk, vfrnjLFk irhr gkrh gA vr,o] bu dk;okfg;k dk vkx ?klhVuk vuko';d gkxkA bu dkjdk dk lp;h :i l fopkj e yr g, gekjh jk; g fd i{kdkjk d le>kr dk Lohdkj fd;k tk; rFkk ifyl Fkkuk ykikd] ftyk verlj xkeh.k e nt ikFkfedh lO 121 fnukd 14.7.2010 l mnHkr nkfMd dk;okgh vfHk[kfMr dh tk;A ge rnul kj vkn'k djr gA***

(iii) **(2008) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 582** में रिपोर्ट किये गये **मदन मोहन एवट बनाम पंजाब राज्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:–

*^^6. ge blij cy nu dh vko';drk g fd ;g dnkfpr cgrj g fd ,l fooknk e tgk vrxLr i'u 'k) rh o;fDrd iÑfr dk g] U;k;ky; dk nkfMd dk;okfg;k e Hkh lkekU; rh le>kr d fucèkuk dk Lohdkj dj yuk pkfg, D;kfd vfHk;ktu d i{k e fdlh ifj.kke dh fdlh lHkkouk d fcuk ekey dk thfor j[kuk ,d ,lh foykflrk g ftudk U;k;ky;] tk fd vR;fèkd Hkkj l yn g, g] ogu ugh dj ldr g rFkk ;g fd bl idkj cpk, x, le; dk vfèkd iHkkoi.k rFkk vFki.k edne dk fu.k; dju e bLreky fd;k tk ldrk gA ;g okLrfodrkvk d vkèkkj ij rFkk fofèk dh rduhdh iphnfx;k l jfgr jgr g, ekey d ifr ,d lkekU; le> dk jo;k gA***

(iv) **(2011) 10 सुप्रीम कोर्ट केसेज 705** में रिपोर्ट किये गये **शीजी उर्फ पप्पु एवं अन्य बनाम राधिका एवं एक अन्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:–

^^17. ;g Li"V g fd ek= bl dkj.k fd dkb vijkèk n0 i0 lO dh èkkjk 320 d vèkhu 'keuh; ugh g] viu vki e n0 i0 lO dh èkkjk 482 d vèkhu mPp U;k;ky; d fy, viuh 'kfDr dk bLreky dju l budkj dju dk dkj.k ugh gk ldrk gA gekjh jk; e ml 'kfDr dk mu ekeyk e bLreky fd;k tk ldrk g tgk vfHk;Dr d fo:) ,d nk"kflf) vfHkfyf[kr dju dh dkb lHkkouk ugh g rFkk fdlh fopkj.k d ij dk; dk fujFkdrk e fd;k tkuokyk ,d dk; gkuk r; gA ,d vkj fopkj.k U;k;ky; d le{k ;g vihy e i{kdkjk }kjk vijkèkk dk leu fd; tku rFkk nlh vkj n0 i0 lO dh èkkjk 482 d vèkhu vfHk;ktu dk vfHk[kfMr dju d fy, mPp U;k;ky; }kjk 'kfDr d bLreky dju d chp ,d l{e vrj gA tcfd ,d vfHk;Dr dk fopkj.k dj jgk ;k nk"kflf) d fo:) vihy dh luokb dj jgk dkb U;k;ky; i{kdkjk d chp g, ,d le>kr d vkèkkj ij fdlh vijkèk dk leu dju dh vuefr nu e l{ke ugh gk ldrk g mu ekeyk e tgk vijkèk èkkjk 320 d vèkhu 'keuh; ugh g] mPp U;k;ky; mu ekeyk e Hkh vfHk;ktu vfHk[kfMr dj ldrk g tgk vijkèk] ftudk vfHk;Drk ij vkjki yxk;k x;k g] v'keuh; gA n0 i0 lO dh èkkjk 482 d vèkhu mPp U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr;k n0 i0 lO dh èkkjk 320 }kjk fu;f=r ml mí'; d fy, ugh gA

*18. ,Ik dgdj ge vko';d :i l ;g tkMx fd n0 i0 l0 dh èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr dh 0;kidrk gh mPp U;k;ky; d fy, bldk vfrlrdrk ,o lkoèkkuh l bLreky djuk ckè;dj cuk nrh gA 'kfDr dh 0;kidrk rFkk iÑfr gh ekx djrh g fd bldk bLreky ;nk dnk gk rFkk doy mUgh ekeyk e tgk mPp U;k;ky; dk vfHkfyf[kr fd; tku oky dkj.kk l Li"V er gk fd vfHk;ktu dk tkjh jguk dN vkj ugh cfYd U;k;ky; d vknf'kdk dk n:i;kx gkxkA mu ifjfLFkfr;k dk fxukuk gekj fy; u rk vko';d g vkj u gh mi;Dr g ftue èkkjk 482 d vèkhu 'kfDr dk bLreky U;k; lxr gk ldrk gA ge tk dgu dh vko';drk g og bruh g fd 'kfDr d bLreky vko';d :i l U;k; d mí';k dk ikIr dju d fy, rFkk doy mu ekeyk e gkuk g tgk bl 'kfDr dk bLreky dju l budkj dju d dkj.k fofèk dh vknf'kdk dk n:i;kx gk ldrk gA mPp U;k;ky; gLr{ki l budkj dju e vkfpR; ij gk ldrk g vxj ml Ik{; dk eY;kdu dju d fy, dgk tkrk g D;kfd ;g nM ifØ;k lfgrk dh èkkjk 482 d vèkhu ,d ;kfpdk l fuiVr g, ,d vihyh; U;k;ky; dh Hkfedk xg.k ugh dj ldrk gA mijkDr d vè;èkhu] mPp U;k;ky; dk iR;d ekey d rF;k rFkk ifjfLFkfr;k ij fopkj djuk gkxk ;g vfHkfuèkkfjr dju d fy, fd ;g ,d mi;Dr ekeyk g ;k ugh ft le vrfufgr 'kfDr;k dk voyc fy;k tk ldrk gA***

10. राज्य की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निवेदन किया कि चूँकि याचीगण के बीच मामले का सौहार्द्रपूर्ण रूप से समाधान किया जा चुका है तथा विपक्षी सं॰ 2, राज्य को कोई आपत्ति नहीं है, वर्तमान दांडिक विविध याचिका को समुचित आदेश पारित करके निस्तारित किये जाने का आदेश किया जाय।

11. वर्तमान मामले के पूर्वोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखने पर, यह प्रतीत होता है कि याची तथा विपक्षी सं॰ 2 के बीच एक सौहार्द्रपूर्ण समाधान हो चुका है तथा तद्नुसार, विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष समझौता याचिका दाखिल की गयी है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अपने अपने मुवक्किलों से उक्त तथ्य का सत्यापन किया जा चुका है। चूँकि समझौता याचिका के निबंधनों में मामले का पक्षकारों के बीच सौहार्द्रपूर्ण रूप से समाधान किया जा चुका है, पक्षकारों को एक दूसरे के विरूद्ध कोई व्यथा नहीं है तथा इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा अगर दांडिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति दी जाती है। पक्षकारों के बीच हुए समझौते की दृष्टि में, अभियोजन साक्षीगण मामले का समर्थन संभवतः नहीं करेंगे तथा यह एक अर्थहीन कार्य होगा एवं अतएव, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय को ध्यान में रखने पर, यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन न्यायालय में निहित अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। तद्नुसार, वर्तमान दांडिक विविध याचिका को अनुज्ञात करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार, जी॰ आर॰ केस सं॰ 1128 वर्ष 2013 के तत्सम् पुटकी (मुनीडीह) पुलिस थाना केस सं॰ 33 वर्ष 2013 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी), जो अभी विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद के न्यायालय में लंबित है, को अभिखंडित तथा अपास्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

12. तद्नुसार, आई॰ ए॰ संख्या 5709 वर्ष 2014 एवं दांडिक विविध याचिका संख्या 1754 वर्ष 2013 निस्तारित किये जाते हैं।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

बिरंची राऊत

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

WP(S) No. 5709 of 2009. Decided on 23rd July, 2014.

झारखंड पेंशन नियमावली, 2000–नियम 43(b)–पेंशन एवं उपदान का रोका जाना–केवल राज्य सरकार द्वारा ही एक सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशन भोगी के पेंशन को रोक रखने की प्रकृति का दंड अधिरोपित किया जा सकता है–उपायुक्त को नियम 43(b) के अधीन दंड अधिरोपित करने का आदेश पारित करने की कोई अधिकारिता नहीं है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 10 से 15)

निर्णयज विधि.–2007 (4) JCR 1 (Jhr)—Discussed; 2002 (3) JCR 344 (Jhr); 2002 (2) JCR 89 (Jhr)—Relied; 2013 (3) JLJR (SC) 537—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Saurav Arun, D.K. Dubey, For the Petitioner; Mr. A. Allam, For the Respondents.

आदेश

याची तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याची पर उपायुक्त, दुमका द्वारा निर्गत परिशिष्ट 3 में यथा निर्दिष्ट आक्षेपित आदेश–आदेश सं॰ 166/2010, ज्ञाप सं॰ 957 दिनांक 15.7.2010–द्वारा पेंशन तथा उपदान की समूची राशि रोके जाने का एक दंड अधिरोपित किया गया है। याची के विरूद्ध 28.7.1998 को प्रारंभ की गई एक विभागीय जांच के निष्कर्षों पर तथा उसे दूसरी कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करने के उपरान्त उक्त आदेश पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश के अनुसार, 24.2.1997 से 25.5.1997 के बीच अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की अवधि के दौरान, याची जिला कल्याण कार्यालय, दुमका की नकद तथा लेखा शाखा का प्रभारी था। उक्त अवधि के अंकेक्षण के दौरान, खातों के संधारण में अनियमितताओं का पता चला था तथा उपायुक्त, दुमका ने दिनांक 23.7.1997 के पत्र द्वारा परियोजना पदाधिकारी, प्रक्षेत्र दुमका तथा जिला लेखा पदाधिकारी के माध्यम से मामले की जांच पड़ताल कराई थी जो याची द्वारा 3,97,956.77/- रुपये की एक राशि के गबन को प्रकट करता है। याची को 28.8.1997 को एक कारण पृच्छा नोटिस का तामिला कराया गया था, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया था। तत्पश्चात्, अभिकथित अपराध के लिए उसके विरूद्ध दुमका पुलिस थाना में 29.9.1997 को एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दिनांक 2.10.1997 के आदेश के माध्यम से उसे निलंबित कर दिया गया था। इस दौरान टी॰ आर॰ केस सं॰ 94/2006 में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी द्वारा 15.9.2006 को याची की दोषसिद्धि की थी एवं 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ दो वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने तथा व्यतिक्रम में छह महीनों का साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुमका के समक्ष याची द्वारा दाखिल अपील में, इसे दांडिक अपील सं॰ 96/2006 में पारित दिनांक 8.8.2008 के निर्णय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। राजकीय प्लीडर की राय प्राप्त करके, उपायुक्त ने दिनांक 13 मई, 2010 तथा 23 जून, 2010 के ज्ञापन के माध्यम से उसे दूसरी कारण-पृच्छा नोटिस निर्गत की थी जिसका उसने 25.6.2010 को उत्तर दिया था। याची का उत्तर असंतोषजनक पाकर, उसपर पेंशन तथा उपदान की समूची राशि रोके जाने का दंड अधिरोपित किया गया है। याची आनुषंगिक रूप से आक्षेपित आदेश के निर्गत होने के पहले 31.1.2008 को सेवानिवृत्त हो गया था।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने अन्य के साथ-साथ निम्नांकित आधारों पर आक्षेपित आदेश की आलोचना की है:–

(i) कि उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त उसके पेंशनीय लाभों को रोकने के लिए झारखंड पेंशन नियमावली के निबंधनों में एक विभागीय कार्यवाही को जारी रखने या प्रारंभ करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट आदेश प्रारंभ नहीं किया गया था।

(ii) कि दांडिक मामले में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उसकी दोषमुक्ति की गयी है जिसका सदृश आरोप, जिसके लिए उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है, पर अभियोजन किया गया था। अतएव, विभागीय कार्यवाही में ऐसा दंड उचित नहीं था जब विद्वान सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से सम्परीक्षित किया था कि अपीलार्थी पर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 के अधीन दांडिक दायिता निर्धारित करने के लिए लेश मात्र दस्तावेजी साक्ष्य भी नहीं है।

(iii) उपायुक्त, दुमका द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अधिकारिता रहित है क्योंकि झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43(b) के अधीन, यह केवल राज्य सरकार है जो उक्त नियमावली के परंतुक के अधीन अधिकथित शर्त्तों के अध्यधीन एक सेवा निवृत्त कर्मचारी के विरूद्ध प्रारंभ की गयी एक विभागीय कार्यवाही में पहुंचे गये दोष के निष्कर्ष पर पेंशन या इसके किसी हिस्से को रोक सकती है। अतएव, यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने का दायी है।

4. प्रत्यर्थीगण ने याची को किसी कारण पृच्छा या नोटिस के बिना 1.1.1996 तथा 1.1.2006 के प्रभाव से पांचवें वेतन पुनरीक्षण तथा छठे वेतन पुनरीक्षण के लाभों एवं उनपर देय वेतन वृद्धियों को भी रोक रखा है। वेतन पुनरीक्षण के लाभों का इस प्रकार रोका जाना विधि में पूर्णतः अनुचित है जो आक्षेपित आदेश में भी आच्छादित नहीं है। याची ने अपनी सेवानिवृत्ति तक अपने निलंबन की अवधि के कतिपय असंगत वेतन का भी दावा किया है। याची के अधिवक्ता ने **2007 (4) JCR 1 (Jhar.) (F.B.)** में रिपोर्ट किये गये **डॉ॰ दूध नाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य** के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिये गये निर्णय पर भरोसा किया है, जिसे 2013 (3) JLJR (SC) 537 में रिपोर्ट किये गये **झारखंड राज्य बनाम जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सम्पुष्ट किया गया है।

5. इन आधारों पर याची ने अपने मामले के समर्थन में तर्क दिया है।

6. राज्य के विद्वान वरीय स्थायी अधिवक्ता श्री ए॰ आलम ने निवेदन किया है कि याची के विरूद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के थे तथा उसके सेवा कैरियर के दौरान इनकी जांच पड़ताल की गयी थी जिनमें उसे जांच पदाधिकारी द्वारा दोषी पाया गया है। प्रथम प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A के तौर पर आरोप पत्र संलग्न किया गया है। जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट C के तौर पर भी संलग्न की गयी है जिसमें सरकारी धन के गबन के आरोपों को सिद्ध किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि याची ने प्रारंभ में इस आधार पर आरोप पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि वह हिरासत में है। उसके कारागार से बाहर आने के उपरान्त उसे उक्त आरोपपत्र का तामिला कराया गया था तथा उसके इस आग्रह पर कि विचारण न्यायालय में एक दांडिक कार्यवाही लंबित है, विभागीय कार्यवाही को प्रास्थगन में रखा गया था। तथापि, उसने वर्ष 2006 में विचारण न्यायालय द्वारा अपनी दोषसिद्धि किये जाने की सूचना प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों को नहीं दी थी। जनवरी, 2008 में उसकी सेवानिवृत्ति के बाद अगस्त, 2008 में उसकी दोषमुक्ति पर जब यह प्रत्यर्थीगण-प्राधिकारीगण के ध्यान में आया था, तब इसके बाद उपायुक्त, दुमका ने कारण-पृच्छा नोटिस तथा उसके उत्तर के उपरान्त आक्षेपित आदेश पारित किया है। यह निवेदन किया गया है कि 2000(1) PLJR 665 में रिपोर्ट किये गये **शम्भु शरण बनाम बिहार राज्य** के मामले में एक नयी विभागीय जांच प्रारंभ करने या लंबित विभागीय कार्यवाही को बनाये रखने के लिए नये आदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी।

7. वह यह भी निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थीगण ने उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशनी बकायों को रोक रखने का दंड अधिरोपित किया है, क्योंकि लोक सेवा अनुशासनिक नियमावली के अधीन, कोई अन्य

दंड अनुध्यात नहीं हो सकता है क्योंकि याची अब सेवा में नहीं था। यह भी निवेदन किया गया है कि उपायुक्त, दुमका ने राजकीय प्लीडर की ऐसी राय प्राप्त करने के उपरान्त याची की पेंशन तथा उपदान को रोक रखने का आक्षेपित दंड निर्गत किया है कि दांडिक मामले में दोषमुक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि विभागीय कार्यवाही में याची के विरूद्ध आरोप स्पष्ट रूप से सिद्ध किये गये हैं। यह निवेदन किया गया कि **डॉ॰ दूध नाथ पांडे के मामले (ऊपर)** में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया निर्णय याची के मामले पर लागू नहीं हो सकता था क्योंकि उक्त मामले में उक्त कर्मचारी के विरूद्ध दांडिक कार्यवाही लंबित थी जबकि वर्तमान मामले में उसकी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति कर दी गयी है।

8. मामले को सुना गया है तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र समेत रिट याचिका के सुसंगत अभिलेखों का भी परिशीलन किया गया है। याची द्वारा उठाया गया यह वैधानिक मुद्दा कि ऐसा दंड अधिरोपित करने के लिए उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त कोई नयी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी थी, **डॉ॰ दूध नाथ पांडे के मामले (ऊपर)** में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये पूर्ण पीठ के निर्णय की दृष्टि में प्रयोज्य नहीं है। उसमें यह स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी के सेवा कैरियर के दौरान कोई विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी है तथा इस दौरान उसकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, विभागीय कार्यवाही जारी रह सकती है तथा ऐसी कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए किसी नये आदेश के निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतएव, उक्त बिन्दु का याची के विरूद्ध निर्णय किया जाता है। परन्तु, जहां तक उपायुक्त, दुमका द्वारा आक्षेपित आदेश के निर्गमन से संबंधित याची द्वारा उठाये गये इस दूसरे बिन्दु का संबंध है कि यह अधिकारिता रहित है, नियम 43(b) के प्रावधान के पठन पर निम्नांकित वैधानिक स्थिति उद्भूत होती है। झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43(b) के प्रावधान, जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्कथित भी किया गया है, इंगित करते हैं कि यह राज्य सरकार है जो एक विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में याची के गंभीर कदाचार का दोषी पाये जाने या अपने कदाचार या लापरवाही द्वारा सरकार को मौद्रिक क्षति कारित करने वाला पाये जाने के उपरान्त सरकार को कारित किसी मौद्रिक क्षति के कारण पेंशन या इसके किसी हिस्से को रोक रखने या वापस लेने या इसकी वसूली का आदेश करने का भी अधिकार अपने आप के लिए सुरक्षित रखती है। उक्त नियम का परंतुक अनुबद्ध करता है कि राज्य सरकार की स्वीकृति से उसकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त विभागीय कार्यवाही संस्थित की जानी है, जो एक ऐसी घटना के संबंध में नहीं हो सकती है, जो ऐसी कार्यवाही के संस्थित किये जाने के चार वर्ष से अधिक पहले घटित हुई है।

9. नियम 43(a) तथा 43(b) निम्नवत् पठित है:–

^^43(a) Hkkoh lnkpkj i'ku d iR;d ifjnk; d fy, ,d vrfufgr 'kÙk gA ikrh; ljdkj i'ku ;k bld fdlh fgLl dk jkd j[ku ;k okil yu dk vfèkdkj viu fy, ljf{kr j[krh g] vxj ;kph dh xHkhj vijkèk d fy, nk"kf lf) dh tkrh g ;k xHkhj dnkpkj dk nk"kh gkrk gA bl fu;e d vèkhu i'ku ;k i'ku d fdlh fgLl dk jkd j[ku ;k okil yu d i'u ij ikrh; ljdkj dk fu.k; vfre rFkk fu'pk;h gkxkA

(b) jkT; ljdkj viu ikl i'ku ;k bld fdlh fgLl dk jkd j[ku ;k okil yu d vfèkdkj dk Hkh ljf{kr j[krh g] pkg LFkk;h :i l ;k ,d fofufn"V vofèk d fy,] rFkk ljdkj dk dkfjr fdlh vkfFkd {kfr d dkj.k leph i'ku ;k mld fdlh fgLl l olyh dju dk vkn'k dju dk vfèkdkj ljf{kr j[krh g vxj ;kph dk foHkkxh; ;k U;kf;d dk;okgh e xHkhj dnkpkj dk nk"kh ik;k tkrk g(;k dnkpkj ;k ykijokgh d dkj.k lokfuofÙk d mijkUr iufu;ktu ij inÙk

lok ler mldh lok d nkjku ljdkj dk vkfFkd {kfr dkfjr dju okyk ik;k tkrk gA

ijUr ;g fd

(a) ,lh foHkkxh; dk;okgh] vxj ljdkjh lod d lokfuofÙk d igy lokjr jgr ;k iufu;ktu d }kjk lfLFkr ugh dh x;h gk(

(i) jkT; ljdkj dh etjh d fcuk lfLFkr ugh dh tk;xh(

(ii) ,d ,lh ?kVuk d lcèk e gkxh tk ,lh dk;okgh d lfLFkr fd; tku d pkj o"k l vfèkd le; igy ?kfVr ugh gb Fkh(rFkk

(iii) ,l ikfèkdkj }kjk ,o ,l LFkku ;k LFkkuk ij] tlk fd jkT; ljdkj fun'k dj rFkk mu dk;okfg;k ij ykx ifØ;k d vulkj lpkfyr dh tk;xh ftuij lok l c[kkLrxh dk dkb vkn'k fd;k tk ldrk g(

(b) U;kf;d dk;okgh] vxj lokfuofÙk d igy ljdkjh lod d lokjr jgr ;k iufu;ktu d nkjku lfLFkr ugh dh x;h gk] [kM (a) d mi[kM (ii) d vulkj lfLFkr dh tk;xh(rFkk

(c) vfre vkn'kk d ikfjr fd; tku d igy fcgkj ykd lok vk;kx l e=.kk fd;k tk;xkA

Li"Vhdj.k-&fu;e d i;ktuk d fy,&

(a) foHkkxh; dk;okgh lfLFkr ekuh tk;xh tc i'ku iku oky d fo:) fojfpr vkjki ml fuxr fd; tkr g] ;k] vxj ljdkjh lod dk ,d fiNyh frFk l] ,lh frFk ij fuycu d vèkhu dj fn;k x;k g(rFkk

(b) U;kf;d dk;okgh lfLFkr ekuh tk,xh(

(i) nkfMd dk;okgh d ekey e] ml frFk dk tc ,d nkfMd U;k;ky; e ,d ifjokn fd;k tkrk g ;k ,d vkjki i= nkf[ky fd;k tkrk g(rFkk

(ii) flfoy dk;okfg;k d ekey e] ml frFk dk tc ,d flfoy U;k;ky; d le{k ,d ifjokn iLrr fd;k tkrk g] ;k ,d vkonu fd;k tkrk g] tk Hkh fLFkfr gk**

10. पूर्वोक्त प्रावधान के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशन भोगी पर पेंशन रोक रखने की प्रकृति का दंड राज्य सरकार द्वारा ही अधिरोपित किया जा सकता है।

11. 2002(3) JCR 344 (Jhar.) में रिपोर्ट किये गये **लाल बिहारी प्रसाद बनाम बिहार राज्य** के मामले में, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि निदेशक प्रधान, स्वास्थ्य सेवाओं को याची के विरूद्ध पेंशन या उपदान रोकने का दंड अधिरोपित करते हुए एक आदेश पारित करने की कोई अधिकारिता नहीं थी क्योंकि यह केवल राज्य सरकार थी जो उक्त आदेश पारित कर सकती थी।

12. 2002(2) JCR 89 (Jhar.) में रिपोर्ट किये गये **छोटे लाल प्रसाद सिन्हा बनाम झारखंड राज्य** के मामले में, निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार ने भी बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(b) के अधीन याची की समूची पेंशन एवं उपदान, अवकास नकदीकरण तथा सामान्य भविष्य निधि रोक दी थी। उक्त मामले में भी यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उन्हें कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के उपरान्त उसकी पेंशन रोक रखने की कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि यह राज्य सरकार थी जो उक्त आदेश पारित कर सकती

थी। तत्पश्चात्, मामला प्रत्यर्थीगण को प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। अतएव, आक्षेपित आदेश उपायुक्त, दुमका द्वारा अधिकारिता के बिना पारित किया हुआ प्रतीत होता है।

13. याची ने रिट याचिका के पैरा 27 में एक स्पष्ट कथन किया है कि उपायुक्त राज्य सरकार के अर्थ के भीतर नहीं आते हैं जो झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43(b) के अधीन दंड अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत है।

14. प्रत्यर्थीगण ने पहली प्रति शपथ पत्र के पैरा 18 तथा 19 तथा दूसरे प्रतिशपथ पत्र के पैरा 25 में पूर्वोक्त कथनों का खंडन नहीं किया है, अपितु सरकार के प्लीडर से अभिमत प्राप्त करने के उपरान्त कथित रूप से उपायुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के निष्कर्षों का समर्थन किया है।

15. अतएव, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश अधिकारिता के बगैर पारित किया गया है तथा, अतएव, विधि की दृष्टि में यह टिक नहीं सकता है। प्रत्यर्थीगण पांचवें वेतन पुनरीक्षण तथा छठे वेतन पुनरीक्षण के वेतन के पुनरीक्षण लाभों को भी रोकते हुए प्रतीत होते हैं परन्तु ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, न ही दंड का आक्षेपित आदेश इस प्रभाव का है। अतएव, प्रत्यर्थीगण की ओर से ऐसे कार्य का विधि की दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है। विद्वान सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा याची की सेवानिवृत्ति के उपरान्त उसकी दोषमुक्ति की गयी है, जिन्होंने अभिनिर्धारित किया है कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 के अधीन अपीलार्थी से दायिता संबद्ध करने के लिए लेश मात्र दस्तावेजी साक्ष्य भी नहीं है। यह भी सम्परीक्षित किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने अनुश्रुत गवाहों के परिसाक्ष्य पर भरोसा करके गंभीर अवैधानिकता कारित की है यह तथ्य जानते हुए कि अभिलेख पर कोई अकाट्य तथा विश्वसनीय साक्ष्य नहीं लाया गया है जो भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 409 के अधीन आरोप सिद्ध करने के लिए अनिवार्य था।

16. पूर्वोक्त परिस्थितियों में, प्रत्यर्थीगण सम्यक् तिथि के प्रभाव से पांचवें वेतन पुनरीक्षण तथा छठे वेतन पुनरीक्षण के अधीन याची के संशोधित वेतन के लाभों को विमुक्त करने के लिए बाध्य हैं। तथापि, प्रत्यर्थीगण को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के सम्यक् अनुपालन के उपरान्त उसी विभागीय कार्यवाही के संबंध में विधि के अनुसार मामले में एक नया निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

17. पूर्वोक्त ढंग से यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है तथा परिशिष्ट 3 में यथा अंतर्विष्ट दिनांक 15.7.2010 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

उर्मिला देवी (72 में)

पुष्पा देवी एवं एक अन्य (74 में)

cuke

बिहार राज्य एवं अन्य (दोनों में)

C.W.J.C Nos. 72, 74 of 1999 (R). Decided on 31st October, 2014.

बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अतिरेक भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961–धारा 16(3)–अग्रक्रय का अधिकार–अग्रक्रय का अधिकार एक दुर्बल अधिकार है–एक सह-अंशधारी या पार्श्व रैयत होने के अग्रक्रय अधिकारी के दावे पर याची द्वारा विनिर्दिष्टतः प्रश्न उठाया गया है–अग्रक्रय अधिकारी ने यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया था कि वह एक सह-अंशधारी है–आक्षेपित आदेश अपास्त। (पैराएँ 10 से 14)

निर्णयज विधि.–AIR 1971 Patna 302; 1985 PLJR 662; (1990)4 SCC 668—Relied; AIR 1973 Patna 199; 1997 BBCJ 93 (SC); (2001)8 SCC 24—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s. Rajiv Ranjan Tiwari, Amit Kumar Tiwari, Prasant Kumar Singh, For the Petitioners; G.P. II, For the State; Mr. Pratyush Kumar, For the Resp. No. 5; Mr. C.S. Pandey, For the Resp. No. 6.

आदेश

अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड द्वारा केस सं॰ 321 एवं 322 वर्ष 1995 में पारित दिनांक 6.10.1998 के आदेश, जिसके द्वारा एल॰ सी॰ अपील सं॰ 01 एवं 02 वर्ष 1995-96 में अपर समाहर्त्ता, पलामू द्वारा पारित दिनांक 23.11.1995 के आदेश तथा एल॰ सी॰ केस सं॰ 11-12 वर्ष 1994-95 में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 3.5.1995 के आदेश सम्पुष्ट किये गये हैं, से व्यथित होकर याचीगण वर्तमान रिट याचिकाएं दाखिल करके इस न्यायालय के पास आये हैं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 6 ने दो विक्रय विलेख निष्पादित किये थे जो याची-उर्मिला देवी [CWJC सं॰ 72 वर्ष 1999 (R)] के पक्ष में 25.5.1994 को निर्बंधित दिनांक 24.3.1992 के विक्रय विलेख सं॰ 2392 तथा याचीगण-पुष्पा देवी एवं उर्मिला देवी [CWJC सं॰ 74 वर्ष 1999 (R)] के पक्ष में 25.5.1994 को निर्बंधित दिनांक 24.3.1992 के विक्रय विलेख सं॰ 2393 हैं। प्रत्यर्थीगण ने अग्रक्रय के अधिकार का दावा करते हुए बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अतिरेक भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन दिनांक 22.8.1994 का एक आवेदन दाखिल किया था तथा इसे एल॰ सी॰ केस सं॰ 11-12 वर्ष 1994-95 के तौर पर दर्ज किया गया था। दिनांक 3.5.1995 के आदेश से प्रत्यर्थी सं॰ 5 के पक्ष में एल॰ सी॰ केस सं॰ 11-12 वर्ष 1994-95 अनुज्ञात किया गया था तथा दिनांक 23.11.1995 के आदेश से उक्त आदेश के विरूद्ध याचीगण द्वारा दाखिल अपील खारिज की गयी है। यह तर्क देते हुए कि दस्तावेज से यह स्पष्ट होगा कि एक सह-अंशधारी होने तथा एक पार्श्व रैयत होने का प्रत्यर्थी सं॰ 5 का दावा सिद्ध नहीं है तथा अग्रक्रय अधिकारी-प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने अग्रक्रय का आंशिक दावा किया था जो विधि में पोषणीय नहीं है तथा उसने, वस्तुतः, बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अतिरेक भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन एक कार्यवाही में याचीगण के विक्रेता के अभिधान पर प्रश्न किया है और यह भी अनुमान्य नहीं है, दिनांक 23.11.1995 के आदेश को चुनौती दी गयी थी, तथापि, केस सं॰ 321 एवं 322 वर्ष 1995 भी दोषपूर्ण रूप से खारिज कर दिये गये थे।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 5 की ओर से एक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है यह कथित करते हुए कि उसका दावा दो विक्रय विलेखों-1.4.1994 को निर्बंधित दिनांक 24.2.1992 के विक्रय विलेख सं॰ 940 तथा 6.2.1989 को निर्बंधित दिनांक 6.5.1988 के विक्रय विलेख सं॰ 5018-पर आधारित है। प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने दावा किया था कि दोनों विक्रय विलेखों में सम्मिलित अधिकांश भू-खंडों में वह एक सह-अंशधारी तथा एक पार्श्व रैयत है। याचीगण सह-अंशधारी/पार्श्व रैयत नहीं हैं। गांव का मानचित्र तथा एक खाका रेखाचित्र पेश किया गया है यह इंगित करने के लिए कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 बेचे गये सभी भूखंडों का एक पार्श्व रैयत है। अग्रक्रय अधिकारी-प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने उस जमीन के संबंध में अपने आप के एक समीपस्थ रैयत होने का दावा नहीं किया है जिसे प्लॉट सं॰ 470 तथा प्लॉट सं॰ 469 के लिए विक्रय विलेख के माध्यम से प्रत्यर्थी सं॰ 6 द्वारा याची उर्मिला देवी के पक्ष में बेचा गया है। 22.7.1994 को अभिकथित रूप से निष्पादित दान विलेख अग्रक्रय अधिकारी-प्रत्यर्थी सं॰ 5 के अग्रक्रयाधिकार को निष्फल करने के उद्देश्य के साथ निष्पादित किया गया है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

5. 1985 PLJR 662 में रिपोर्ट किये गये **''श्रीमती प्रियंबदा देवी एवं एक अन्य बनाम अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार, पटना एवं अन्य''** में एक निर्णय पर भरोसा करते हुए, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दान विलेख के एक फर्जी संव्यवहार होने के संबंध में निष्कर्ष विधि में समर्थनीय नहीं है। अग्रक्रय अधिकारी ने दिनांक 22.8.1994 का एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें दान विलेख के एक छद्म तथा कूटरचित दस्तावेज होने का कोई अभिकथन नहीं था, तथापि, विद्वान अपर समाहर्त्ता एवं विद्वान उप-समाहर्त्ता ने भी यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि दान विलेख एक मिथ्या तथा फर्जी दस्तावेज है एवं पुनरीक्षण प्राधिकार द्वारा उक्त निष्कर्ष दोषपूर्ण रूप से सम्पुष्ट कर दिया गया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि विक्रय विलेख में सम्मिलित समूची संपत्ति के लिए अग्रक्रय के अधिकार का दावा किया जा सकता है तथा विक्रय विलेख में संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में नहीं। दिनांक 22.8.1994 के आवेदन से यह प्रतीत होगा कि अग्रक्रयाधिकारी ने केवल संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में अग्रक्रय के अधिकार का दावा किया है तथा इस प्रकार, बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अतिरेक भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन आवेदन पोषणीय नहीं था एवं उपसमाहर्त्ता ने दोषपूर्ण रूप से अग्रक्रयाधिकारी-प्रत्यर्थी सं॰ 5 का आवेदन ग्रहण किया था एवं उपसमाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश अपील में तथा पुनरीक्षण में भी दोषपूर्ण रूप से सम्पुष्ट कर दिया गया है। चूँकि यह मामले के तथ्यों से उद्भूत विधि का एक प्रश्न है, जिसका प्राधिकारियों द्वारा दोषपूर्ण रूप से निर्णय किया गया है, इस न्यायालय के पास वर्तमान रिट याचिकाओं को ग्रहण करने तथा विधि के प्रश्न पर दोषपूर्ण निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप करने की कोई अधिकारिता नहीं है। वह **AIR 1971 Patna 302** में रिपोर्ट किये गये **''राम चन्द्र श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम प्रसिद्ध नारायण सिंह एवं अन्य''** तथा **AIR 1973 Patna 199** में रिपोर्ट किये गये **''श्रीमती सुदामा देवी एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह एवं अन्य''** में हुए निर्णय पर भरोसा करते हैं यह तर्क देने के लिए कि अग्रक्रय के लिए कोई आवेदन केवल संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में ग्रहण तथा अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी सं॰ 5 के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अतिरेक भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन प्रदत्त अधिकार एक सांविधिक अधिकार है तथा अगर उक्त प्रावधान के अधीन विहित शर्त्तें पूरी की जाती है, अग्रक्रयाधिकारी अग्रक्रय के एक आदेश का हकदार होता है। वर्तमान मामले में इसपर विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा विहित सांविधिक कालावधि के भीतर आवेदन दाखिल किया गया था तथा प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा अन्य सभी शर्त्तें पूरी की गयी हैं एवं अतएव, **1997 BBCJ 93(SC)** में रिपोर्ट किये गये **''शिवजी महतो एवं अन्य बनाम अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड एवं अन्य''** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में, उप-समाहर्त्ता ने बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अतिरेक भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन अग्रक्रय के अधिकार का दावा करनेवाले दिनांक 22.8.1994 का आवेदन उचित रूप से अनुज्ञात कर दिया है। उन्होंने **(2001) 8 SCC 24** में रिपोर्ट किये गये **''श्याम सुन्दर एवं एक अन्य बनाम राम कुमार एवं एक अन्य''** में हुए निर्णय पर भी भरोसा किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि जमीन के एक हिस्से के संबंध में याचीगण के विक्रेता का कोई अभिधान नहीं था तथा चूँकि एक अग्रक्रय की कार्यवाही में, प्रत्यर्थी सं॰ 5 न्यायालय को याचीगण के विक्रेता का अभिधान निर्णीत करने के लिए नहीं कह सकता था, दोनों विक्रय विलेखों में सम्मिलित जमीन के संबंध में ही अग्रक्रय का दावा उचित रूप से किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने अधिकार, अभिधान तथा हित अर्जित किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अतिरेक भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन प्रावधान

एक तकनीकी प्रावधान है तथा अग्रक्रय अधिकारी के लिए विक्रय विलेख के निष्पादन के 90 दिनों के भीतर एक आवेदन दाखिल करना आवश्यक है। मामले के तथ्यों से यह प्रकट है कि 90 दिनों की सांविधिक अवधि के ठीक एक महीना पहले दान विलेख का निष्पादन एक मिथ्या संव्यवहार था। तथ्य के सहवर्ती निष्कर्ष द्वारा मामले का समापन किया गया है तथा अतएव, यह न्यायालय तथ्य के निष्कर्ष के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा एवं वर्तमान रिट याचिकाएं खारिज किये जाने योग्य हैं।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. पक्षकारों की ओर से उठाये गये प्रतिद्वंद्वी तर्कों को निर्दिष्ट करने के पहले, अग्रक्रय के अधिकार के स्वरूप की परीक्षा करना उपयोगी होगा। न्यायिक निर्णयों द्वारा यह लगातार रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रक्रय का अधिकार एक दुर्बल अधिकार है। **1990(4) SCC 668** में रिपोर्ट किये गये ''**इंद्रा बाई बनाम नन्द किशोर**'' में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:–

5. ^^---- bl U;k;ky; u fc'ku flg cuke [ktku flg e xkfoUn n;ky cuke buk;rYykg e U;k;efr egen d vkn'k fu.k; dk vueknu djr g, fd vxØ; dk vfèkdkj ek= ifrLFkkiu dk ,d vfèkdkj Fkk] lEijhf{kr fd;k Fkk fd U;k;ky;k u bl vfèkdkj dk vfr ldkjkRed :i l ugh n[kk g mièkkfjr :i l bl dkj.k fd ;g Lokeh d viu lifÙk dk vU; lØke.k dju d vfèkdkj ij ,d vMpu d rkj ij dk; djrk gA jkèkk fd'ku y{ehukjk;.k rkluhoky cuke Jhèkj jke pUn vy'kh e] bl U;k;ky; u iu% bl nko dk [kMu djr g, fd foØrk rFkk Ørk u foØ; foy[k d fucèku d fcuk eY; Lohdkj djd rFkk dCt dk vrj.k djd vxØ; d vfèkdkj dk fu"Qy dju d fy, Vky eVky dk rjhdk viuk;k Fkk] lEijhf{kr fd;k Fkk fd] ^^,d vxØ; vfèkdkjh d i{k e dkb lkE;rk, ugh Fkh] ftldk ,dek= mí'; lfofèk }kjk mle lftr vfèkdkjk d ekè;e l ,d oèk l0;ogkj e foèu mRiUu djuk gA fdlh oèkkfud mik; }kjk vxØ; dh fofèk dk fu"Qy djuk foØrk ;k Ørk dh vkj l dkb diV ugh g rFkk dkb O;fDr lHkh fofèki.k mik;k }kjk vxØ; d fofèk l cp fudyu dk gdnkj g -----------**

9. मामले के अभिलेख प्रकट करेंगे कि दिनांक 22.8.1994 के आवेदन में, अग्रक्रय अधिकारी ने अभिकथित नहीं किया है कि दिनांक 22.7.1994 का दान विलेख मिथ्या तथा फर्जी दस्तावेज था। अग्रक्रय अधिकारी ने निम्नवत् कथन करते हुए अग्रक्रय के अधिकार का दावा किया है:–

^^vxØ; dk ;g nkok doy mu tehuk rd lhfer g tk okLro e vrjd dh g] ;kph bl ekey d ekè;e l ,l lykV d lcèk e vxØ; d vfèkdkj dk nkok ugh djrk g ftl vxØ; d nko d ifj.kke l cpu d fy, foØ; foy[k e dN voèkkfud i;ktuk d fy, vr%LFkkfir fd;k x;k g] ftll vrjd dk dN yuk nuk ugh g rFkk ftl vulph e ifo"V fd;k x;k gA**

10. याचीगण की ओर से दाखिल लिखित कथन से यह भी प्रतीत होगा कि एक सह–अंशधारी या पार्श्वस्थ रैयत होने के अग्रक्रय अधिकारी के दावे पर याचीगण द्वारा विनिर्दिष्टत: विवाद किया गया है। मामले के अभिलेख से यह प्रतीत नहीं होता है कि अवर न्यायालयों में कार्यवाही में अग्रक्रय अधिकारी ने अपने आप को एक सह–अंशधारी सिद्ध करते हुए कोई दस्तावेज दाखिल किया था। यह प्रतीत होता है कि दिनांक 22.7.1994 के दानविलेख की विशुद्धता के संबंध में एक तर्क उठाया गया था, तथापि,

इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेशों से, मैं ऐसे तर्क को सिद्ध करने के लिए अग्रक्रय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में कोई चर्चा नहीं पाता हूँ। दिनांक 3.5.1995, 23.11.1995 के आदेश तथा दिनांक 6.10.1998 के आदेश ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए कोई आधार प्रकट नहीं करते हैं कि दिनांक 22.7.1994 का दान विलेख मिथ्या तथा फर्जी दस्तावेज है। 1985 PLJR 662 में रिपोर्ट किये गये **''श्रीमती प्रियंबदा देवी एवं एक अन्य बनाम अपर सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार, पटना एवं अन्य''** में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक ऐसे मामले में जहां दान विलेख की विशुद्धता के संबंध में एक विनिर्दिष्ट अभिवाक् लिया गया है, न्यायालय द्वारा एक निष्कर्ष अभिलिखित किया जा सकता है कि दान विलेख एक कूटरचित दस्तावेज था। तथापि, वर्तमान मामले में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अग्रक्रय के अधिकार को निष्फल करने को ध्यान में रखकर दान विलेख निष्पादित किया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, वर्तमान मामले में दिनांक 22.8.1994 के आवेदन में अग्रक्रय अधिकारी द्वारा एक विनिर्दिष्ट अभिवाक् नहीं लिया गया था तथा वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित आदेश ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई अकाट्य कारण भी प्रकट नहीं करते हैं। इन तथ्यों में, मेरी राय है कि अवर न्यायालयों ने ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करने में विधि में गंभीर रूप से त्रुटि कारित की है कि दान विलेख एक फर्जी दस्तावेज था तथा अतएव, अवर न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष हस्तक्षेप किये जाने योग्य है।

11. याचीगण के अधिवक्ता के इस तर्क पर आते हुए कि विक्रय विलेख में संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में अग्रक्रय के किसी दावे का पोषण नहीं किया जा सकता है, मैं पाता हूँ कि **AIR 1971 Patna 302 में रिपोर्ट किये गये ''राम चन्द्र श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम प्रसिद्ध नारायण सिंह एवं अन्य''** में, यह अभिनिर्धारित किया गया है :–

> *^^18. --------- vxØ; dk lkeku; fofèk rFkk èkkjk 16(3) d ikoèkku nkuk d gh vèkhu] vrj.k d nLrkot e ;Fkk vrfo"V fucèkuk ,o 'kÙkk ij gh gLrkrj.k fd;k tkuk gkrk gA iR;Fkh lO 3 d foØ; foy[k }kjk vkPNkfnr lykV lO 738 e doy .03 ,dM d lcèk e ,d iu%vrj.k ikIr dju dh ;kphx.k dk vuefr nuk iR;Fkh lO 3 d foØ; foy[k e vrfo"V fucèkuk ,o 'kÙkk dk fo[kfMr djd i{kdkjk d fy, ,d u;k lknk dju d rY; gkxkA ;g fuf'pr :i l vfèkfu;e dh èkkjk 16 dh mi&èkkjk (3) }kjk vfHkdfYir ugh gA ;g idV g fd iR;Fkh lO 3 d foØ; foy[k }kjk vkPNkfnr Hkfe d lcèk e ;kphx.k d fy, leph lifÙk d lcèk e iu% gLrkrj.k d vfèkdkj dk nkok djuk vko';d g ftll ;g lcfèkr g ;k fdlh d Hkh lcèk e ughA***

12. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 6.11.2000 के आदेश की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है जिसके द्वारा दिनांक 3.5.1995, 23.11.1995 तथा 6.10.1998 के आदेशों का परिचालन इस न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। यद्यपि, प्रत्यर्थी सं॰ 5 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उनके पास ऐसा कहने के अनुदेश हैं कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 का प्रश्नाधीन संपत्ति पर कब्जा है, यह सिद्ध करने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की गयी है कि किसी भी समय प्रत्यर्थी सं॰ 5 को कब्जा प्रदान किया गया था। इसपर विवाद नहीं है कि विक्रय विलेखों के निष्पादन के उपरान्त, याचीगण को कब्जा प्रदान कर दिया गया था।

13. प्रत्यर्थी सं॰ 5 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अतिरेक भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन एक बार एक आवेदन दाखिल कर दिये जाने पर जो सभी पूर्व शर्त्तों को पूरा करता है, आवेदन आवश्यक रूप से अनुज्ञात किया जाना है। यह तर्क अस्वीकार किये जाने योग्य है। बिहार भूमि सुधार (हदबंदी क्षेत्र नियतिकरण एवं अतिरेक भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 की धारा 16(3) के अधीन एक कार्यवाही में, पहले यह पता लगाया जाना है कि अग्रक्रय अधिकारी ने अपने सह–अंशधारी या एक पार्श्वस्थ रैयत होने के आधार पर

अग्रक्रय का अधिकार सिद्ध कर दिया है। वर्तमान कार्यवाही में, याचीगण ने अग्रक्रय अधिकारी द्वारा किये गये इस दावे का विनिर्दिष्टत: प्रत्याख्यान किया है कि वह एक सह-अंशधारी है। इससे भी बढ़कर, अग्रक्रय अधिकारी-प्रत्यर्थी सं॰ 5 ने स्वयं दावा किया है कि वह अधिकांश प्लॉटों के संबंध में एक सह-अंशधारी तथा एक पार्श्वस्थ रैयत है। अग्रक्रय अधिकारी का यह दावा नहीं है कि वह प्रश्नाधीन समूची संपत्ति के संबंध में एक सह-अंशधारी या एक पार्श्वस्थ रैयत है। इससे भी बढ़कर, यह अभिलेख का एक मामला है कि अग्रक्रय अधिकारी ने यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया था कि वह एक सह-अंशधारी है तथा अतएव, अवर न्यायालय द्वारा अभिलिखित यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी सं॰ 5 एक सह-अंशधारी है, अनुचित है।

14. मैं पाता हूँ कि विद्वान अवर न्यायालयों ने निष्कर्षों को अभिलिखित करने में गंभीर त्रुटि कारित की है जो साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, पर आधारित नहीं है। अवर न्यायालय अग्रक्रय के अधिकारी की प्रकृति को भी ध्यान में लेने में विफल रहे हैं। परिणामत:, दिनांक 3.5.1995, 23.11.1995 तथा 6.10.1998 के आदेश अपास्त किये जाते हैं। रिट याचिकाएं अनुज्ञात की जाती हैं।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मो॰ शाहीन खान

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 1053 of 2013. Decided on 1st December, 2014.

बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914—धाराएँ 5, 60 एवं 62—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 51—कर्ज राशि की वसूली–गिरफ्तारी वारन्ट–याची कर्ज राशि का कर्जदार है और उसके पिता ने कर्ज के लिए गारंटी दिया–याची के विरुद्ध आरंभ की गयी कार्यवाही को उसके द्वारा इस अभिवचन पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद बैंक केवल उसके विरुद्ध अग्रसर नहीं हो सकता है क्योंकि कर्ज पारिवारिक व्यवसाय के लिए लिया गया था–किंतु, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि याची के फरार होने की संभावना है–प्रमाणपत्र कार्यवाही में समस्त आपत्तियों को उठाने की स्वतंत्रता के साथ आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Kumar Sah, For the Petitioner; Mr. Atanu Banerjee, For the State; M/s. Rajesh Kumar, Amit Kumar, Manindra Kumar Sinha, For the S.B.I.

आदेश

प्रमाण पत्र अधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में लंबित प्रमाण पत्र मामला सं॰ सी॰ सी॰ III 196/ 2011-12 का अभिखंडन एवं प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 30.7.2012 के आदेश, जिसके द्वारा याची के विरुद्ध जमानती वारन्ट जारी किया गया है, का अभिखंडन इप्सित करते हुए याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची के पिता अर्थात् स्वर्गीय मो॰ मंजूर आलम उर्फ खान ने मेसर्स यूनाइटेड वाच कंपनी अब मेसर्स न्यू बॉम्बे वाच, गोड्डा के नाम एवं शैली में घड़ी की दुकान का पारिवारिक व्यवसाय शुरू किया। याची के पिता ने याची के नाम में कर्ज लिया जिसमें उसका पिता गारन्ट बना। दिनांक 1.3.2008 को अपने पिता की मृत्यु के बाद याची के भाई एवं उसकी माता अर्थात् मोसमात जरीना बेगम ने पैतृक संपत्ति विरासत में पाया। बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम,

1914 की धारा 5 के अधीन तलब पर 9,67,538/- रुपयों की राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र अधिकारी, गोड्डा के समक्ष प्रमाण पत्र केस सं॰ 196 वर्ष 2011-12 के तहत कार्यवाही आरंभ की गयी थी। याची को तत्पश्चात, 9,39,640/- रुपयों की न्यूनतर राशि के लिए दिनांक 9.5.2011 का नोटिस जारी किया गया था और उक्त कार्यवाही में दिनांक 30.7.2012 के आदेश के तहत याची के विरुद्ध जमानती वारन्ट जारी किया गया था।

3. रिट याचिका में किए गए प्रकथनों से इनकार करते हुए प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। यह कथन किया गया है कि याची कर्जदार है, अत: वह कर्ज राशि का भुगतान करने का दायी है।

4. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार साह ने **''हरि प्रसाद अग्रवाल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 1976 PLJR 265, में प्रकाशित निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया कि प्रमाणपत्र के लिए अधियाचना, अधियाचना अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, अत: प्रमाण पत्र कार्यवाही अधिकारिता विहीन है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची से वसूल किए जाने के लिए इप्सित राशि स्पष्टत: अभिनिश्चित नहीं की गयी है क्योंकि याची को दो विभिन्न राशि के लिए नोटिस जारी किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद प्रत्यर्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केवल याची के विरुद्ध अग्रसर नहीं हो सकता था।

6. उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ने **''शिव प्रसाद ठाकुर उर्फ शिवजी ठाकुर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य'', एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 451 वर्ष 2012,** में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन करते हैं कि मात्र इसलिए कि प्रमाणपत्र के लिए अधियाचना, अधियाचना अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है, प्रमाण पत्र के लिए अधियाचना अवैध नहीं बन जाता है। याची को प्रमाण पत्र कार्यवाही में समस्त आपत्ति करने का अवसर है। विद्वान अधिवक्ता **''सावर मल चौधरी बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य,** 1986 PLJR 660, में प्रकाशित निर्णय को निर्दिष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन अधिनियम की धाराओं 60 एवं 62 के अधीन पर्याप्त एवं प्रभावकारी उपचार प्रावधानित किया गया है और इसलिए, रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

7. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि याची कर्ज राशि का कर्जदार है और उसके स्वर्गीय पिता उक्त कर्ज के लिए गारन्टर बना। याची के विरुद्ध आरंभ की गयी कार्यवाही को याची द्वारा इस अभिवचन पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद प्रत्यर्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केवल उसके विरुद्ध अग्रसर नहीं हो सकता है क्योंकि कर्ज पारिवारिक व्यवसाय के लिए लिया गया था। अधियाचना प्रमाण पत्र में अधियाचना अधिकारी के सत्यापन के संबंध में प्रतिवाद को निर्दिष्ट करते हुए मैं पाता हूँ कि यद्यपि स्वयं प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है किंतु, सत्यापन के स्थान पर अधियाचना अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। याची द्वारा किया गया अभिवचन कि यह परिलक्षित करेगा कि अधियाचना अधिकारी अपनी संतुष्टि दर्ज करने में विफल रहा, याची द्वारा प्रमाण पत्र कार्यवाही में किया जा सकता है। जैसा प्रत्यर्थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिवक्ता द्वारा सही प्रकार से इंगित किया गया है, याची के पास बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धाराओं 60 एवं 62 के अधीन अपील एवं पुनरीक्षण का पर्याप्त उपचार है। तद्नुसार, प्रमाण पत्र मामला सं॰ सी॰ पी॰ III 196/ 2011-12 में कार्यवाही को चुनौती विफल होती है।

8. जहाँ तक दिनांक 30.7.2012 के आदेश को चुनौती का संबंध है, मैं पाता हूँ कि प्रमाण पत्र कार्यवाही में याची उपस्थित हुआ है और अपना लिखित कथन दाखिल किया है। प्रमाण पत्र अधिकारी ने दर्ज किया है कि याची की ओर से दाखिल कारण बताओ का उत्तर तार्किक प्रतीत नहीं होता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, याची का उत्तर अस्वीकार किया गया था और जमानती वारन्ट जारी किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 निष्पादन प्रवर्तित करने के लिए न्यायालय की शक्ति प्रावधानित करती है। धारा का सहारा तब तक नहीं लिया जा सकता है जब तक निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है कि निर्णीत ऋणी के फरार होने की अथवा न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा छोड़ने की संभावना है अथवा निर्णीत ऋणी ने गैरईमानदार रूप से अपनी संपत्ति के किसी भाग को अंतरित किया है, छुपाया है या हटाया है। दिनांक 30.7.2012 के आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और इस प्रकार, यह अभिखंडित किए जाने का दायी है।

9. परिणामस्वरुप, यह रिट याचिका अंशत: अनुज्ञात की जाती है। याची को प्रमाण पत्र कार्यवाही ने उन समस्त आपत्तियों जिसे उसने न्यायालय के समक्ष किया है को करने की अनुमति दी जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

मो॰ मिस्टर आजाद

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 1908 of 2007. Decided on 28th November, 2014.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन आवेदन।

सेवा विधि–बर्खास्तगी–पुलिस सेवा से–कर्त्तव्य की उपेक्षा–दांडिक मामले में दोषमुक्ति–विधि के शासन की आवश्यक आवश्यकता है कि न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प आदेश में कुछ कारणों को प्रकट करना ही होगा भले ही यह अभिपुष्टिकरण का आदेश है–याची की दोषमुक्ति के बाद, याची द्वारा दाखिल अपील मेमोरियल डी॰ जी॰-सह-आई॰ जी॰ पी॰ द्वारा विवेक का इस्तेमाल किए बिना संक्षिप्त आदेश द्वारा अस्वीकार कर दी गयी थी–आक्षेपित आदेश विवेक के गैर इस्तेमाल से पीड़ित है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया और नए निर्णय के लिए मामला डी॰ जी॰ पी॰ को वापस भेजा। (पैराएँ 11 से 13)

निर्णयज विधि.–(2009) 4 SCC 240—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s Anjani Kumar, Azeemuddin, For the Petitioner; Ms. Priya Shreshta, For the Respondents.

न्यायालय द्वारा.–पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची को वरीय आरक्षी अधीक्षक, राँची द्वारा पारित दिनांक 13 अगस्त, 2005 के आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट-5, द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया है। याची की अपील भी प्रत्यर्थी सं॰ 2 पुलिस उपमहानिरीक्षक, दक्षिण छोटानागपुर रेंज द्वारा पारित दिनांक 29 अक्टूबर, 2005 के आदेश, परिशिष्ट 8, के तहत अस्वीकार कर दी गयी है। तत्पश्चात, पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक के समक्ष याची द्वारा

दाखिल अपील मेमोरियल भी दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 के आदेश, रिट आवेदन का परिशिष्ट-6, के तहत अस्वीकार कर दी गयी है जो भी इसमें आक्षेपित है।

3. दिनांक 10 जुलाई, 2004 के परिशिष्ट 2 के तहत याची के विरुद्ध दाखिल आरोप-पत्र के मुताबिक यह प्रतीत होता है कि दिनांक 15 जून, 2004 को याची को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के समक्ष प्रातः 11.30 बजे दो कुख्यात अपराधियों अर्थात् राजीव रंजन सिंह एवं जीवन कच्छप को पेश करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। यह अभिकथित किया गया है कि याची को अपराधियों को हाजत ले जाना था, किंतु वह उन्हें उत्तर दिशा में ले गया, जिसके बाद उक्त राजीव रंजन सिंह भागने में कामयाब रहा। अतः याची को कर्त्तव्य में उपेक्षावान पाया गया था और उसे दिनांक 16 जून, 2004 को निलंबनाधीन किया गया था। उसके गैर जिम्मेदार आचरण, उपेक्षा तथा कर्त्तव्य में तत्परता दर्शाने में विफलता एवं संदेहास्पद व्यवहार के लिए उसके विरुद्ध अग्रसर हुआ गया था।

4. जाँच अधिकारी ने जाँच के बाद दिनांक 25 जून, 2005 को परिशिष्ट-4 के तहत अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और तत्पश्चात द्वितीय कारण बताओ के प्रति अपना उत्तर दाखिल करने का अवसर उसे देने के बाद सेवा से बर्खास्तगी का दंड पारित किया गया था। बर्खास्तगी का पूर्वोक्त आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2005 के परिशिष्ट 5 पर है। याची को अभियुक्त राजीव रंजन सिंह के साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 224 एवं 225 के अधीन अपराध के लिए कोतवाली पी॰ एस॰ केस सं॰ 319 वर्ष 2004 में भी आरोप-पत्रित किया गया था। किंतु, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि दांडिक विचारण, जो आरोपों के समरुप संवर्ग पर अग्रसर हुआ, में कोई निर्णय दिए जाने के पहले अनुशासनिक प्राधिकारी ने सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किया और अपीलीय प्राधिकारी ने भी इसे संपुष्ट किया है। यह निवेदन किया गया है कि दांडिक मामले में याची को सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी, राँची के न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2006 के तहत दोषमुक्त किया गया है जबकि अभियुक्त राजीव रंजन सिंह को उक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है और कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। यह निवेदन किया गया है कि गवाहों, जो विभागीय कार्यवाही में उपस्थित हुए हैं, ने और अधिक विनिर्दिष्टतः सूचक राम प्रसाद मेहता जो उक्त विचारण में अ॰ सा॰ 5 था ने भी अभिसाक्ष्य दिया है।

5. याची ने अपनी दोषमुक्ति के बाद पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक, झारखंड के समक्ष अपील मेमोरियल दाखिल किया था, किंतु याची द्वारा उठाए गए दोषमुक्ति के विनिर्दिष्ट आधारों पर विचार किए बिना उक्त प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के आदेशों को संपुष्ट किया गया है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जहाँ आरोपों के समरुप संवर्ग विभागीय कार्यवाही एवं दांडिक विचारण के विषय वस्तु थे, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को विभागीय कार्यवाही में दंड अधिरोपित करने के लिए अग्रसर नहीं होना चाहिए था और दांडिक विचारण के परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहिए था।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम जावेद शौकत,** 2002 (3) JLJR 299, में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है। यह निवेदन किया गया है कि विद्वान खंडपीठ ने **कैप्टेन एम॰ पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लि॰, (1999)3 SCC 679,** में विभागीय जाँच जारी रखने के ऐसे विवाद्यक पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित निर्णयाधार को भी विचार में लिया है। किसी भी स्थिति में, याची के विद्वान अधिवक्ता के

अनुसार, गुणागुण पर भी, उसके पास अच्छा मामला है क्योंकि यह विवादित नहीं है कि पुलिस निर्देशिका नियमावली के मुताबिक संबंधित न्यायालय के समक्ष कुख्यात अपराधियों की पेशी के मामले में पर्याप्त पुलिस बल देने की आवश्यकता है और वह भी शस्त्र के साथ। यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में इन दोनों अपराधियों को केवल याची जिसके पास कोई शस्त्र नहीं था द्वारा पेश किया जाना था। उन्होंने अपराधियों की पेशी के लिए पर्याप्त पुलिस कॉंस्टेबलों की आवश्यकता पर वरीय आरक्षी अधीक्षक, राँची, प्रत्यर्थी सं॰ 3 को सी॰ जे॰ एम॰ राँची के दिनांक 16.1.2004 के पत्र (परिशिष्ट 3) को भी निर्दिष्ट किया है। तब भी याची ने दूसरे अपराधी जीवन कच्छप को भागने नहीं दिया था किंतु अन्य अपराधी को भागने से रोकने में कामयाब नहीं हो सका था। यह निवेदन भी किया गया है कि विभागीय कार्यवाही में उसको समुचित अवसर नहीं दिया गया था। किंतु, अंत में यह निवेदन किया गया है कि पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक ने सेवा से बर्खास्तगी का दंड मान्य ठहराते हुए विचारण न्यायालय द्वारा याची की दोषमुक्ति पर सम्यक विचार नहीं किया है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची वर्ष 1981 से सेवा में था और घटना होने तक उसका अकलंकित सेवा अभिलेख था और उसकी ओर से जानबूझ कर कृत्य नहीं किया गया था जैसा अभिकथित किया गया है।

8. प्रत्यर्थीगण उपस्थित हुए हैं और अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। उनका स्पष्ट मामला है कि अवचार अर्थात् कर्तव्य में उपेक्षा, गैर जिम्मेदार व्यवहार, कर्तव्य पूरा करने में तत्परता की गंभीर कमी और संदेहास्पद आचरण दर्शाने के लिए विभागीय रूप से याची के विरुद्ध अग्रसर हुआ गया है। यह निवेदन किया गया है कि विधि के अनुरुप और लगाए गए आरोपों के विरुद्ध अपना स्पष्टीकरण देने के लिए जो उसने दिया था, याची को सम्यक अवसर देने के बाद कार्यवाही की गयी थी। किंतु, जाँच संचालन अधिकारी द्वारा उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया था जिसने उसके विरुद्ध आरोप स्थापित किया गया पाया। जाँच रिपोर्ट एवं याची को जारी द्वितीय कारण बताओ के उत्तर पर विचार करने के बाद उसके विरुद्ध आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, क्योंकि आरोप गंभीर प्रकृति का है जिसे स्थापित किया गया पाया गया है। आगे यह कथन किया गया है कि याची को विभागीय कार्यवाही में दोषी अभिनिर्धारित किया गया है, क्योंकि अपराधियों को हाजत ले जाने के बजाए, जो संबंधित न्यायालय से 100 मीटर दूर था, वह उनको न्यायालय परिसर की उत्तर दिशा में ले गया। आगे यह कथन किया गया है कि गर्मी के मौसम के दौरान भी उसने यह नहीं देखा था कि अपराधी शाल/चादर ओढ़े हुए हैं जो याची के आशय एवं उसकी ओर से उपेक्षा के कृत्य के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। यह निवेदन किया गया है कि उसको संदेह का लाभ देकर याची को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। अतः, दोषमुक्ति के उसके मामले पर विचार करने के बाद भी पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक ने दंड के आदेशों में कोई दुर्बलता नहीं पाया है और इसलिए उसके अपील मेमोरियल को अस्वीकार कर दिया। अतः प्रत्यर्थीगण के अनुसार, दंड के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित आदेशों, आरोप पत्र तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय तथा याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णय सहित अभिलेख पर मौजूद प्रासंगिक सामग्रियों का परिशीलन किया है। यह संप्रेक्षित किया जाना है कि इस आधार पर कि उसकी अभिरक्षा से कुख्यात अपराधियों में से एक राजीव रंजन सिंह भाग गया था, पूर्वोक्त आरोपों के लिए विभागीय रूप से याची के विरुद्ध अग्रसर हुआ गया था। वही उक्त अभियुक्त के साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 224 एवं 225 के अधीन उसके विरुद्ध संस्थित दांडिक मामले का आधार भी था।

किंतु प्रत्यर्थीगण विभागीय कार्यवाही के साथ अग्रसर होते प्रतीत हुए जहाँ अनेक आधिकारिक गवाहों जैसे कोई राम प्रसाद मेहता जो सदर न्यायालय हाजत, राँची का प्रभारी था और आरक्षी उप अधीक्षक, राँची एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय की गोपनीय शाखा का रीडर, ने संचालन करने वाले अधिकारी के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया।

10. दांडिक मामले में दिए गए निर्णय के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि अभियोजन ने छह गवाहों को प्रस्तुत किया था, जिनमें से सब-इंस्पेक्टर राम प्रसाद मेहता, सदर न्यायालय हाजत प्रभारी अभियोजन गवाह सं॰ 5 था। अन्य गवाह जैसे अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 6 काँस्टेबल प्रतीत होते हैं। संचालन अधिकारी जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों के आधार पर जाँच के दौरान प्रस्तुत गवाहों जैसे राम प्रसाद मेहता, सब-इंस्पेक्टर के बयान के आधार पर याची को अभिकथित आरोपों का दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए अग्रसर हुआ। जाँच अधिकारी ने याची को कुख्यात अपराधी राजीव रंजन सिंह का भागना कारित करने के लिए जिम्मेदार अभिनिर्धारित किया। किंतु, यह प्रतीत होता है कि अभियोजन गवाह सं॰ 5 राम प्रसाद मेहता, जो मामले का सूचक था और विभागीय कार्यवाही में गवाह भी था, ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य, जिसे विचारण न्यायालय के निर्णय में पैरा 7 पर निर्दिष्ट भी किया गया है, में बयान दिया था कि उसने घटना नहीं देखा था। उसने आगे कथन किया कि हाजत पर पहरा देने के लिए पर्याप्त काँस्टेबलों की कमी के लिए वरीय अधिकारियों को अनेक पत्र भी लिखे गए थे। उसने पुलिस निर्देशिका के प्रावधान को भी निर्दिष्ट किया है जिसके मुताबिक 1-3 बंदियों की पेशी के लिए दो काँस्टेबलों को प्रतिनियुक्त किया जाना है जबकि कुख्यात अपराधियों के लिए विशेष बल जो, हवीलदार एवं 4 काँस्टेबल सहित 4 अथवा 1-5 और कभी-कभार 1-6 की प्रकृति में होते हैं, प्रतिनियुक्त किया जाना है। वह आगे कथन करता प्रतीत होता है कि दो कुख्यात अभियुक्तों को याची जो एकमात्र काँस्टेबल था द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यद्यपि पुलिस निर्देशिका नियमावली के मुताबिक सशस्त्र अनुरक्षक प्रदान किया जाना था। विद्वान विचारण न्यायालय ने पेश किए गए अभियोजन गवाहों पर विचार करने के बाद याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 224 एवं 225 के अपराधों के अवयवों को स्थापित नहीं पाया था।

11. याची अपने अपील मेमोरियल में पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक, झारखंड के समक्ष अपनी दोषमुक्ति का अभिवचन करता प्रतीत होता है। किंतु, याची का अपील मेमोरियल आरोपों के समरुप संवर्ग पर, जहाँ गवाहों में से एक वही व्यक्ति था जो सूचक था और विभागीय कार्यवाही में गवाह भी था, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों के प्रति विवेक का इस्तेमाल किए बिना संक्षिप्त तरीके से अस्वीकार कर दिया गया प्रतीत होता है। पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष के साथ गए हैं कि याची इन कुख्यात अपराधियों को हाजत के सुरक्षित स्थान पर ले जाने में अपने कर्तव्य में उपेक्षावान था और उसने उनमें से एक को भाग जाने दिया। अत: यह प्रतीत होता है कि याची की दोषमुक्ति तथा उसके द्वारा दाखिल अपील मेमोरियल के बाद पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक, झारखंड ने प्रासंगिक सामग्रियों एवं उसके द्वारा दिए गए आधारों के प्रति विवेक का समुचित इस्तेमाल किए बिना संक्षिप्त तरीके से इसे खारिज कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अध्यक्ष, अनुशासनिक प्राधिकारी, रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाम जगदीश शरण वार्ष्णेय एवं अन्य, (2009)4 SCC 240,** में अभिनिर्धारित किया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश को अभिपुष्ट करते हुए भी अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को कम

से कम संक्षेप में कुछ कारणों को यह दर्शाने के लिए अंतर्विष्ट करना होगा कि क्या अपीलीय प्राधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। विधि के शासन की यह आवश्यक आवश्यकता है कि न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प आदेश में कुछ कारणों को प्रकट करना होगा, भले ही यह अभिपुष्टिकरण का आदेश है। अतः, दिनांक 13 अगस्त, 2006 का आक्षेपित आदेश विधि में और तथ्यों पर संपोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विवेक के समुचित इस्तेमाल की कमी से पीड़ित है।

12. तद्नुसार, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 का आक्षेपित आदेश, परिशिष्ट-6, अभिखंडित किया जाता है। याची के अपील मेमोरियल के मामले में विधि के अनुरुप नया निर्णय लेने के लिए मामला पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक के पास वापस भेजा जाता है।

13. यह रिट याचिका यहाँ ऊपर उपदर्शित तरीके से एवं सीमा तक अंशतः अनुज्ञात की जाती है।

14. विभागीय कार्यवाही के अभिलेखों, जिन्हें दिनांक 22.6.2009 के आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय के समक्ष पहले प्रस्तुत किया गया था, को वरीय आरक्षी अधीक्षक, राँची के कार्यालय को वापस भेजा जाएगा।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

महेश्वर मारिक

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड) एवं अन्य

C.W.J.C. No. 2213 of 1991 (P). Decided on 1st November, 2014.

(क) संथाल परगना अभिधृति (पूरक) नियमावली, 1950—नियम 13 (3) (b)—अंचलाधिकारी द्वारा तैयार की गयी दिनांक 12.3.1980 की रिपोर्ट पर याची द्वारा आपत्ति की गयी–सब-डिविजनल अधिकारी द्वारा आपत्ति अस्वीकार की गयी–एस॰ डी॰ ओ॰ के उक्त आदेश के विरुद्ध उपायुक्त के समक्ष विविध अपील दाखिल की गयी–उपायुक्त ने गुणागुण पर कोई मत अभिव्यक्त किए बिना एस॰ डी॰ ओ॰ को भूमि की माप करवाने के लिए कानूनगो एवं अमीन के साथ भू-सुधार उप-समाहर्ता को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया–प्रभारी भूसुधार उपसमाहर्ता की उपस्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा माप लिया गया–भूसुधार उपसमाहर्ता, दुमका ने दर्ज किया कि नया माप लिए जाने की दृष्टि में उसने अंचलाधिकारी द्वारा तैयार की गयी दिनांक 12.3.1980 की पूर्व रिपोर्ट को सही पाया–अमीन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी याची द्वारा भूखंड सं॰ 200 एवं गोचर भूखंड सं॰ 254 पर अतिक्रमण दर्ज करती है–एस॰ डी॰ ओ॰ का निष्कर्ष दिनांक 12.3.1980, दिनांक 4.12.1980 एवं दिनांक 19.6.1982 के रिपोर्टों पर आधारित है–एस॰ डी॰ ओ॰ द्वारा दर्ज निष्कर्ष शुद्धतः ''तथ्य का प्रश्न'' है–अभिनिर्धारित, मूल याची द्वारा किए गए अवचार के संबंध में अवर न्यायालयों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष हैं।

(पैराएँ 11 से 13, 17, 19)

(ख) भारत का संविधान–अनुच्छेद 226 एवं 227—भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को अपीलीय प्राधिकारी के रूप

में गठित नहीं किया गया है और यह निम्नतर अधिकरण के निर्णयों पर अपील नहीं सुनता है–संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कृत्य नहीं करता है–विधि अथवा तथ्य की प्रत्येक गलती उच्चतर न्यायालय द्वारा सही नहीं की जा सकती है–औपचारिक अथवा तकनीकी गलती मात्र, भले ही यह विधि की हो, उत्प्रेषण के उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी–तथ्य के प्रश्न न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकित किए जाने के लिए खुले नहीं है जब तक वे किसी साक्ष्य द्वारा असमर्थित नहीं हैं अथवा विकृत नहीं हैं–अभिनिर्धारित, आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं है–तद्नुसार रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 13 से 16, 18 से 22)

निर्णयज विधि.–(1949)17 ITR 269; AIR 1957 SC 852; (2014) 8 SCC 470; AIR 2008 SC 1749; AIR 1957 SC 49—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Rajeeva Sharma, Mithilesh Singh, For the Petitioner; Mrs. Sweta Singh, For the Resp.-State; Mr. Ranjan Kumar Singh, For the Respondents.

आदेश

मृत रिट याची के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में महेश्वर मारिक का प्रतिस्थापन इप्सित करते हुए आई॰ ए॰ सं॰ 1320 वर्ष 2011 दाखिल की गयी थी और दिनांक 29.1.2013 के आदेश के तहत उक्त महेश्वर मारिक को अपने पिता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

2. पी॰ डी॰ केस सं॰ 93 वर्ष 1979-90 में एस॰ डी॰ ओ॰, सदर द्वारा पारित दिनांक 5.9.1983 के आदेश, विविध अपील सं॰ 237 वर्ष 1983-84 में उपायुक्त, दुमका द्वारा पारित दिनांक 11.11.1985 के आदेश और पुनरीक्षण विविध अपील सं॰ 420 वर्ष 1985-86 में कमिश्नर, एस॰ पी॰ डिविजन, दुमका द्वारा पारित दिनांक 20.8.1990 के आदेश जिसके द्वारा मूल रिट याची (मृत) को ''प्रधान'' के पद से हटाया गया था को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

3. रिट याचिका में प्रकट किए गए संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि वसुबुटिया ग्राम के सोलह आना रैयत, चतुर्भुज मारिक एवं 27 अन्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए आवेदन पर प्रधान के पद से उसको हटाने के लिए याची के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की गयी थी। यह अभिकथित किया गया था कि याची ने गोचर सं॰ 200 को अपने भूखंड सं॰ 105 में मिला लिया था और गोचर सं॰ 254 को अपने भूखंड सं॰ 252 में मिला लिया था। इसी प्रकार से, उसने परती भूमि सं॰ 202 का अतिक्रमण किया और इसे भूखंड सं॰ 248 में मिला लिया। याची ने पट्टा के रूप में किसी गोपाल राय के पक्ष में गोचर सं॰ 94 एवं 110 का बंदोबस्त किया और उसने 200/- रुपयों के लिए किसी दुखन महतो के पक्ष में गोचर भूमि सं॰ 167 का बंदोबस्त किया। याची के विरुद्ध अनियमितता के अन्य कथन भी किए गए थे। याची का मामला यह है कि कोई विभूति राय, पूर्व प्रधान, जिसे कतिपय अभिकथनों के लिए पद से बर्खास्त कर दिया गया था, उसके विरुद्ध परिवाद दाखिल करवाने में सहायक था। याची को प्रधान नियुक्त किए जाने के बाद उसने विभूति राय को उसके द्वारा अप्राधिकृत रूप से कब्जा की गयी गोचर भूमि खाली करने के लिए कहा किंतु जब उसने कतिपय गोचर भूमि खाली नहीं किया, उक्त विभूति राय के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 426 के अधीन दांडिक मामला दाखिल किया गया था। एक अन्य व्यक्ति अर्थात् सचिन मेहरा को विभूति राय द्वारा स्थापित किया गया था। उसने भी एस॰ डी॰ ओ॰ के समक्ष याची के विरुद्ध आवेदन दाखिल किया किंतु दिनांक 14.2.1952 को उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया था। याची ने गोचर भूमि के अतिक्रमण के लिए अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दाखिल किया और अंततः उनको गोचर भूमि से बेदखल किया गया था और सह-ग्रामीणों के विरुद्ध याची द्वारा की गयी कार्रवाई के कारण वे उसके विरुद्ध इकट्ठा हुए और झूठा अभिकथन किया। गोचर भूमि सं॰ 200 में अतिक्रमण का अभिकथन सही नहीं है। याची की भूखंड

सं० 252 का क्षेत्रफल 3.56 था जिसका अतिक्रमण उसके बड़े भाई हरि मारिक द्वारा किया गया था जिसके लिए याची ने अंचलाधिकारी, जारमुंडी के समक्ष मामला दाखिल किया। इसी प्रकार से, भूखंड सं० 202 परती भूमि थी और याची के पिता द्वारा इसका अतिक्रमण किया गया था। याची द्वारा अन्य अभिकथनों से इनकार किया गया था।

4. अंचलाधिकारी द्वारा जाँच करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद याची ने रिपोर्ट पर आपत्ति किया और नया माप किया जाना इप्सित किया जिससे सब-डिविजनल अधिकारी द्वारा इनकार किया गया था और इसलिए याची ने पुनरीक्षण विविध अपील सं० 155 वर्ष 1980-81 दाखिल किया। दिनांक 5.8.1980 के आदेश के तहत उपायुक्त, दुमका ने सब-डिविजनल अधिकारी को प्रश्नगत भूमि का माप करवाने के लिए अंचलाधिकारी एवं कानूनगो के साथ उपसमाहर्ता भूसुधार को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। तद्नुसार, रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी जिस पर भी याची ने आपत्ति किया किंतु दिनांक 5.9.1983 के आदेश के तहत सबडिविजनल अधिकारी, सदर ने याची को प्रधान के पद से हटाने का आदेश दिया। दिनांक 5.9.1983 के आदेश के विरुद्ध दाखिल अपील दिनांक 11.11.1985 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गयी थी और पुनरीक्षण विविध अपील भी दिनांक 20.8.1990 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गयी थी।

5. प्राइवेट प्रत्यर्थीगण की ओर से यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि संथाल परगना अभिधृति अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन विरचित नियमावली की अनुसूची 5 की दृष्टि में प्रधान का पद निर्वाचित पद है। प्रधान का पद गाँव के सोलह आना जमाबंदी रैयतों के बहुमत द्वारा चुनाव द्वारा भरा जाता है। नियमावली के निबंधनानुसार गाँव का प्रधान बर्खास्त किया जा सकता है जिसका वर्तमान मामले में सम्यक अनुपालन किया गया है। याची को हटाने के लिए 16 आना रैयत के परिवाद पर सबडिविजनल अधिकारी ने जाँच किया और अमीन तथा अंचलाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, जिसने प्रकट किया कि प्रधान (मूल रिट याची) ने अधिनियम के प्रावधान के अननुकूल गोचर भूमि का अतिक्रमण किया था एवं कतिपय बंदोबस्ती किया था, विद्वान सब डिविजनल अधिकारी ने दिनांक 5.9.1983 के आदेश के तहत प्रधान के विरुद्ध अभिकथन सही पाया और पद से प्रधान को हटाने का आदेश दिया। ग्राम प्रधान गाँव के 16 आना रैयत के हित का अभिरक्षक एवं संरक्षक है और यदि वह रैयत के हित के विरुद्ध कृत्य करता है, उक्त प्रधान को बर्खास्त किया जा सकता है जैसा अनुसूची 5 के अधीन प्रावधानित किया गया है।

6. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

7. रिट याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा ने निवेदन किया है कि संथाल परगना अभिधृति (पूरक) नियमावली, 1950 के नियम 13 (3) (b) के निबंधनानुसार स्थल सत्यापन के मामले में ज्ञापन तैयार करने की आवश्यकता है जिसे स्वीकृत रूप से वर्तमान मामले में नहीं किया गया है। भू-सुधार उपसमाहर्ता (एल० आर० डी० सी०) द्वारा तैयार किया गया दिनांक 4.12.1980 का रिपोर्ट उपायुक्त, जिनके समक्ष पूर्व रिपोर्ट को चुनौती दी गयी थी, द्वारा पारित दिनांक 5.8.1980 के आदेश के विपरीत था। दिनांक 8.11.1980 को किए गए माप के अनुसरण में तैयार किए गए रिपोर्ट पर विश्वास पूर्णत: अवैध था और उपायुक्त द्वारा पारित दिनांक 5.8.1980 के आदेश के विरोध में था। यह निवेदन किया गया है कि यह अभिलेख पर आया है कि याची ने विगत प्रधान एवं अन्य ग्रामीण के विरुद्ध अतिक्रमण का अनेक मामला आरंभ किया था और याची के विरुद्ध वर्तमान परिवाद उसके द्वारा ग्रामीणों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई का परिणाम था। अंत में विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि

भूसुधार उपसमाहर्ता द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट कहीं पर भी याची द्वारा किए गए अतिक्रमण का कोई विनिर्दिष्ट वर्णन नहीं करती है और इसलिए, यह पूर्णत: अस्पष्ट है। भूसुधार उपसमाहर्ता के रिपोर्ट में कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और अतिक्रमण के ''विनिर्दिष्ट रिपोर्ट'' के बिना याची के विरुद्ध अभिकथन को सिद्ध किया गया नहीं पाया जा सकता था।

8. समानांतर स्तंभ में, प्राइवेट प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष द्वारा विवाद्यक निष्कर्षित किया गया है। समस्त प्राधिकारियों ने समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया है कि याची के विरुद्ध अवचार सिद्ध किया गया था। याची के आवेदन पर नया माप लिया गया था जिस पर याची द्वारा इस आधार पर पुन: आपत्ति की गयी थी कि उसे अंचलाधिकारी में विश्वास नहीं है और भूसुधार उपसमाहर्ता (प्रभारी) जिनकी उपस्थिति में माप लिया गया था द्वारा सही प्रकार से आपत्ति को अनदेखा किया गया था। गोचर भूमि का अतिक्रमण एवं याची द्वारा अतिक्रमण की सीमा प्रकट करने वाला एक से अधिक रिपोर्ट है।

9. झारखंड राज्य के लिए उपस्थित जी० पी० V के विद्वान जे० सी० श्रीमती श्वेता सिंह ने निवेदन किया है कि अधिनियम एवं उसके अधीन विरचित नियमावली के अधीन प्रावधानों के निबंधनानुसार जाँच की गयी थी। आक्षेपित आदेशों में अवैधता नहीं है, अत: मामले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. मैंने सावधानीपूर्वक पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

11. प्रतिवाद को निर्दिष्ट करते हुए कि संथाल परगना अभिधृति (पूरक) नियमावली, 1950 के नियम 13 (3) (b) का अनुपालन नहीं किया गया था क्योंकि स्थानीय निरीक्षण का ज्ञापन तैयार नहीं किया गया था जब भूसुधार उपसमाहर्ता माप लेने के लिए स्थल पर आए थे। मेरा मत है कि प्रतिवाद गुणागुण रहित है। नियम 13 अधिनियम के अधीन आवेदन एवं अन्य कार्यवाही पर विचार करने में न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया विहित करता है। नियम 13 (3) (b) ऐसी स्थिति पर विचार करता है जिसमें उपायुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्थानीय जाँच करने के लिए अग्रसर होता है। दिनांक 4.12.1980 की रिपोर्ट उपायुक्त के निर्देश के अनुसरण में दिनांक 8.11.1980 को किए गए माप के बाद तैयार की गयी थी और उक्त रिपोर्ट उपायुक्त द्वारा अपने द्वारा किए गए स्थानीय निरीक्षण के बाद तैयार नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, दिनांक 4.12.1980 के रिपोर्ट में प्रभारी भूसुधार उपसमाहर्ता ने दर्ज किया है कि प्रधान के परिवार के सदस्यों के सिवाए अन्य समस्त ग्रामीणों, जो स्थल पर उपस्थित थे, ने प्रधान के विरुद्ध परिवाद किया था।

12. विद्वान वरीय अधिवक्ता के प्रतिवाद को निर्दिष्ट करते हुए कि दिनांक 4.12.1980 की जाँच रिपोर्ट याची द्वारा अतिक्रमण के संबंध में विनिर्दिष्ट निष्कर्ष नहीं देता है क्योंकि यह भूखंड सं० 200 एवं 254 में याची द्वारा किए गए अतिक्रमण के संबंध में विनिर्दिष्ट निष्कर्ष नहीं देता है क्योंकि यह भूखंड सं० 200 एवं 245 में याची द्वारा किए गए अतिक्रमण का क्षेत्रफल एवं प्रकृति प्रकट नहीं करती है, मैं पाता हूँ कि सबडिविजनल अधिकारी ने पाया है कि याची ने भूखंड सं० 200 में 3.50 डिसमिल, भूखंड सं० 200B में 0.5 डिसमिल, भूखंड सं० 254A में 3 डिसमिल, भूखंड सं० 254B में 2.50 डिसमिल, भूखंड सं० 254C में 0.02 डिसमिल, भूखंड सं० 25A में 3.50 डिसमिल एवं 25B में 3 डिसमिल अतिक्रमण किया था। सबडिविजनल अधिकारी ने अंचलाधिकारी, जारमुंडी की रिपोर्ट, प्रभारी भूसुधार उप समाहर्ता, दुमका की रिपोर्ट और अमीन की रिपोर्ट पर विचार किया। उसने आगे दर्ज किया कि प्रभारी उपसमाहर्ता, दुमका ने ग्रामीणों को प्रधान के आचरण से असंतुष्ट पाया। दिनांक 5.9.1983 का आदेश

उपदर्शित करता है कि सबडिविजनल अधिकारी ने पूर्ववर्ती सबडिविजनल अधिकारी के आदेश पर तैयार किए गए अमीन की दिनांक 19.6.1982 की रिपोर्ट को भी ध्यान में लिया है। अमीन, जरमुंडी की दिनांक 19.6.1982 की रिपोर्ट याची द्वारा किए गए अतिक्रमण का विस्तृत वर्णन करती है और वस्तुत:, दिनांक 19.6.1982 की रिपोर्ट में पायी गयी अतिक्रमण की सीमा याची द्वारा किए गए अतिक्रमण के संबंध में सबडिविजनल अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष के तत्सम है। अमीन की रिपोर्ट के साथ याची द्वारा अतिक्रमण उपदर्शित करने वाला स्केच नक्शा भी संलग्न है। दिनांक 19.6.1982 की रिपोर्ट में बयान को निर्दिष्ट करते हुए कि ''वर्तमान में अतिक्रमण की सीमा कम या अधिक हो सकती है', विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 19.6.1982 की रिपोर्ट को देखते ही यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने अन्य भूमि का अतिक्रमण किया। मैं पाता हूँ कि विद्वान वरीय अधिवक्ता का निवेदन भ्रामक है। इस तथ्य की दृष्टि में कि पहले भी वर्ष 1979 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, दिनांक 19.6.1982 की रिपोर्ट में उक्त संप्रेक्षण किया गया था और उस संदर्भ में, अमीन, जरमुंडी ने संप्रेक्षित किया कि स्थल माप के दौरान पायी गयी अतिक्रमण की सीमा पूर्विक रिपोर्ट से भिन्न हो सकती है। पुनरीक्षण विविध अपील सं॰ 420 वर्ष 1985-86 में दिनांक 20.8.1990 के आदेश से मैं पाता हूँ कि रिट याची की ओर से प्रतिवाद किया गया था कि अतिक्रमण की सीमा अल्प थी और इसलिए, अतिक्रमण के आधार पर प्रधान के पद से मूल रिट याची की बर्खास्तगी आवश्यक नहीं थी। इस प्रकार, प्रधान द्वारा अतिक्रमण तथ्य के रूप में याची द्वारा स्वीकार किया गया है।

13. यह निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षण विविध अपील सं॰ 155 वर्ष 1980-81 में भूमि की नयी माप के लिए सब-डिविजनल अधिकारी को निर्देश देने वाले दिनांक 5.8.1980 के आदेश के बावजूद भूसुधार उप समाहर्ता की दिनांक 4.12.1980 की रिपोर्ट ने मात्र अंचलाधिकारी की दिनांक 12.3.1980 की रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों को दोहराया। दिनांक 4.12.1980 की रिपोर्ट में अतिक्रमण की सीमा के प्रति विनिर्दिष्टकरण नहीं है और यह भी विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि याची द्वारा भूखंड/गोचर भूमि का कौन सा भाग अतिक्रमित किया गया है और ''विनिर्दिष्ट रिपोर्ट'' की अनुपस्थिति में, अतिक्रमण का अभिकथन सिद्ध किया गया पाया नहीं जा सकता है। चूँकि प्राधिकारियों ने ''विनिर्दिष्ट रिपोर्ट'' के बिना याची द्वारा अतिक्रमण का निष्कर्ष दर्ज करने में गलती किया, मामले में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। न्यायालय द्वारा स्पष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि किस प्रकार वर्तमान मामले के तथ्यों में किए जाने के लिए इप्सित ''विनिर्दिष्ट रिपोर्ट'' का अभिवचन इस न्यायालय द्वारा अधिकारिता का प्रयोग आवश्यक बनाने वाला ''विधि का प्रश्न'' हो सकता है, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने असामान्य आक्रामकता एवं प्रचंडता से प्रत्युत्तर दिया और कहा ''न्यायालय में दशकों से पेशा करने के बाद वह यह समझने में अक्षम हैं कि किस प्रकार ''विनिर्दिष्ट रिपोर्ट'' के बिना अतिक्रमण पर निष्कर्ष दिया जा सकता है।'' विद्वान वरीय अधिवक्ता ने तर्क नहीं किया था कि उनके द्वारा किया गया ''विनिर्दिष्ट रिपोर्ट'' का अभिवचन ''विधि का प्रश्न'' होगा, निश्चय ही, उन्होंने पुन: अस्वीकार्य प्रचंडता के साथ प्राख्यान किया कि ''यह मामले में अंतर्ग्रस्त विधि का एकमात्र प्रश्न है।'' न्यायालय की सहायता करना और न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देना और न कि भाषण बाजी का सहारा लेना अधिवक्ता का कर्तव्य है। मात्र इसलिए कि अधिवक्ता सोचता है कि उसके द्वारा आग्रहित अभिवचन ''विधि का प्रश्न'' है, ''तथ्य के प्रश्न'' को ''विधि के प्रश्न'' में संपरिवर्तित नहीं करेगा। मुझे **''सुब्रत राय सहारा बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2014)8 SCC 470,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का संप्रेक्षण याद दिलाया गया है; ''वकालत की नयी अवस्था शुरू होती प्रतीत होती है।''

14. ''सी॰ आई॰ टी॰ बनाम लक्ष्मी नारायण बदरीदास,'' 1937 (5) ITR 170, में प्रिवी काउन्सिल ने संप्रेक्षित किया, ''विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं था; न ही यह पूछ कर कि क्या विधि के मामले के रूप में अधिकारी तथ्य के मामले पर सही निष्कर्ष पर आया था, तथ्य के प्रश्न मात्र को विधि के प्रश्न में बदलना संभव नहीं है।''

15. ''**कश्मीर सिंह बनाम हरनाम सिंह**'', **AIR 2008 SC 1749,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''मामले में अंतर्ग्रस्त होने वाले' विधि का प्रश्न होने के लिए सबसे पहले अभिवचनों में इसकी नींव डालनी होगी और तथ्य के न्यायालय द्वारा पहुँचे गए संपोषणीय निष्कर्ष से प्रश्न सामने आना चाहिए और मामले के न्यायोचित एवं समुचित निर्णय के लिए विधि के उस प्रश्न को विनिश्चित करना आवश्यक होगा।''

16. ''**श्री मीनाक्षी मिल्स लि० बनाम सी० आई० टी०**'', **AIR 1957 SC 49,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ''तथ्य के प्रश्न'' तथा ''विधि के प्रश्न'' के विवाद्यक पर चर्चा किया:–

*"8. ....tc foèkkueMy 'kCnk e fofèk d ç'u ij vfèkdj.kk d fu.k;k dk iu%foyksdr dju dh U;k;ky; dh 'kfDr fucfèkr djrk g] ;g Li"Vr% bl dh vfèkdkfjrk l rF; dk ç'u cfg"Ñr dju dk vk'k; j[krk gA ;fn vihykFkh dk çfrokn lgh g] rc rF; dk fu"d"k] tc ;g vU; rF;k l fu"d"k g] u doy bl vkèkkj ij fopkj fd, tku d fy, [kyk gkxk fd ;g lk{; }kjk lefFkr ugh g vFkok foÑr g cfYd bl vkèkkj ij Hkh fd ;g rF;k ij vku okyk lefpr fu"d"k ugh gA nlj 'kCnk e] ,l ekeyk e vfèkdkfjrk fu"d"k dh 'k)rk ij fu;fer vihy dh çÑfr dh gkrh gA vkj çfrokfnr fuèkkj.k d :i e vkj doy bl :i e ;g vfèkfu;e dh èkkjk 33 d vèkhu vfèkdj.k d le{k vk,xk bl rF; dk fookfnr ç'u vrxLr djuk gkxk ftl dk fofu'p;dj.k vrr% vud vkjfHkd vFkok lk{;h; rF;k ij fu"d"kk ij fuHkj djxk] bl dk ifj.kke ;g gkuk gkxk fd 0;ogk;r% vfèkdj.k d fuèkkj.k d leLr vkn'kk dk U;k;ky;k d le{k iufoyksdu d fy, yk;k tk ldrk FkkA çHkko e] ;g fofèk d ç'uk ,o rF;k d ç'uk d chp lfHkUurk feVk nxk vkj èkkjkvk 66 (1) ,o 66 (2) dk j[kfdr dju okyh uhfr foQy djxk--------**

*9. ^^fl)kr ij ç'u ij fopkj djr g, tc fofuf'pr fd;k tku okyk rF; dk ç'u g] lkekU;r% lgkf;dh vFkok lk{;h; pfj= d fookfnr rF;k dk çFker% fofuf'pr djuk vko';d gkxk] vkj vfre fu"d"k bu rF;k d vfèkeY;u ij fuHkj djxkA D;k ;g dgk tk ldrk g fd rF;] 'k) ,o ljy] dk fu"d"k rF; dk fu"d"k ugh jgrk g tc cny e bl vU; rF;k l fudkyk tkrk g\ og fl)kr D;k gk ldrk g ftl ij rF; dk ç'u fofèk d ç'u e ifjofrr gk tkrk g tc ;g ey rF;k l fu"d"k vrxLr djrk g\ mnkgj.kLo#i] ge ;g eku fd çkfeljh ukV ij okn e fd;k x;k cpko fu"iknu l budkj dk gA U;k;ky; ikrk g fd fookfnr gLrk{kj çfroknh d LohÑr gLrk{kj d vleku gA ;g ; Hkh ikrk g fd vuçek.kd lk{kh tk fu"iknu d fy, dgr g oLrr% vfHkdfFkr fu"iknu d le; ij mifLFkr ugh FkA bu rF;k ij fopkj dju ij U;k;ky; bl fu"d"k ij vkrk g fd çkfeljh ukV okLrfod ugh gA ;gk] dfri; rF; g ftUg vfHkfuf'pr fd;k x;k g] vkj bu rF;k ij fuf'pr fu"d"k fd çkfelj h ukV okLrfod ugh g] fofèk dk fu"d"k g D;kfd ;g ik, x, çkFkfed rF;k l fu"d"k g fu'p; gh ugh--------------**

17. अंचलाधिकारी, जरमुंडी द्वारा तैयार किया गया दिनांक 12.3.1980 का रिपोर्ट विस्तृत रिपोर्ट है जिसकी प्रति याची की ओर से दाखिल दिनांक 10.10.2014 के पूरक शपथ पत्र में संलग्न है। याची

ने उक्त रिपोर्ट के प्रति आपत्ति दाखिल किया किंतु, सबडिविजनल अधिकारी द्वारा दिनांक 5.7.1980 के आदेश के तहत उसकी आपत्ति अस्वीकार कर दी गयी थी। याची ने दिनांक 5.7.1980 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण विविध अपील सं॰ 155/1980-81 दाखिल किया और उपायुक्त ने गुणागुण पर कोई मत अभिव्यक्त किए बिना सब डिविजनल अधिकारी को भूमि की माप करवाने के लिए कानूनगो एवं अमीन के साथ भूसुधार उपसमाहर्ता को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। दिनांक 8.11.1980 को प्रभारी भूसुधार उपसमाहर्ता, दुमका की उपस्थिति में अंचल निरीक्षक द्वारा माप लिया गया था। किंतु, दिनांक 11.11.1980 को याची ने दिनांक 8.11.1980 को लिए गए माप के प्रति यह कथन करते हुए आपत्ति किया कि उसे अंचलाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक में विश्वास नहीं है। भूसुधार उपसमाहर्ता, दुमका ने दर्ज किया कि चूँकि उसकी उपस्थिति में भूमि मापी गयी थी, उन्होंने दिनांक 8.11.1980 को लिए गए माप को त्यक्त करने का कारण नहीं पाया। आगे यह प्रतीत होता है कि दिनांक 6.11.1980 को जब प्रभारी भूसुधार उपसमाहर्ता ने अंचलाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक के साथ स्थल का दौरा किया, याची ने कथन किया कि वह केवल भूखंड सं॰ 200 एवं 254 का माप चाहता है और दोनों पक्षों की उपस्थिति में दोनों भूखंडों का माप लिया गया था और पुनः यह पाया गया था कि याची ने गोचर भूखंड सं॰ 200 एवं गोचर भूखंड सं॰ 254 का अतिक्रमण किया था। भूसुधार उपसमाहर्ता ने दर्ज किया है कि नया माप किए जाने की दृष्टि में, उन्होंने अंचलाधिकारी, जरमुंडी द्वारा तैयार की गयी दिनांक 12.3.1980 की रिपोर्ट को सही पाया। अमीन, जरमुंडी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 19.6.1982 की रिपोर्ट भी दर्ज करती है कि याची ने गोचर भूखंड सं॰ 200 एवं गोचर भूखंड सं॰ 254 का अतिक्रमण किया है। याची द्वारा की गयी अतिक्रमण की सीमा दिनांक 12.3.1980 की रिपोर्ट और दिनांक 19.6.1982 की रिपोर्ट में दी गयी है। सब डिविजनल अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष दिनांक 12.3.1980, दिनांक 4.12.1980 एवं दिनांक 19.6.1982 की रिपोर्टों पर आधारित है। **''सेठ सुवालाल छोगालाल बनाम सी॰ आई॰ टी॰'', (1949)17 ITR 269,** में ''विधि के प्रश्न'' को अभिनिश्चित करने के संबंध में कथित की गयी परीक्षा निम्नलिखित है:–

> *^^rF; ml lk{; ftld }kjk bl fl) fd;k x;k g d fuji{k rF; gA ,dek= le; tc ,l ekey e fofèk dk ç'u mnHkr gk ldrk g] og le; g tc ;g vfHkdfFkr fd;k x;k g fd ,lh lkexh ugh g ftl ij fu"d"k vkèkkfjr fd;k tk ldrk g vFkok i;kIr lkexh ugh gA***

18. अनेक इंगलिश निर्णयों का पुनर्विलोकन करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **''ओरियेन्टल इंश्योरेंस कं॰ लि॰ बनाम सी॰ आई॰ टी॰'', AIR 1957 SC 852,** में संप्रेक्षित किया कि अंततः हाऊस ऑफ लार्ड्स ने पाया कि ''डिग्री का मामला'' तथ्य का प्रश्न है। उक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं निष्कर्षित करता हूँ कि सब डिविजनल अधिकारी, दुमका द्वारा दर्ज निष्कर्ष शुद्ध ''तथ्य का प्रश्न'' है।

19. मैं पाता हूँ कि मूल याची द्वारा किए गए अवचार के संबंध में अवर न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में गठित नहीं किया गया है और यह निम्नतर अधिकरणों के निर्णयों पर अपील नहीं सुनता है। **''आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चित्रा वेंकट राव, (1975)2 SCC 557,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पर्यवेक्षीय अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कृत्य नहीं करता है। यह दोहराया गया है कि;–

> *"23. vuPNn 226 d vèkhu mRç"k.k fjV tkjh dju dh vfèkdkfjrk i;o{kh; vfèkdkfjrk gA U;k;ky; vihyh; U;k;ky; d :i e bldk ç;kx ugh djrk gA*

*lk{; d vfèkeY;u d ifj.kkeLo#i fuEurj U;k;ky; }kjk igp x, rF; d fu"d"k dk fjV dk;okgh e pukrh ugh nh tkrh gA fofèk dh xyrh tk vfHky[k n[kr gh çdV g] fjV }kjk lgh dh tk ldrh g fdr rF; dh xyrh ugh pkg ;g fdruh Hkh xHkhj çrhr D;k u gkA--------fcUn ij fn, x, lk{; dh i;kIrrk vkj mDr fu"d"k l fudky tku d fy, rF; dk fu"d"k vfèkdj.k dh vuU; vfèkdkfjrk d vrxr gA***

20. विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा किया गया प्रतिवाद न्यायिक पुनर्विलोकन के सुनिश्चित सिद्धांतों की अनभिज्ञता में है। **नागेन्द्र नाथ बोरा एवं एक अन्य बनाम हिल्स डिविजन एवं अपील आयुक्त, असम एवं अन्य'', AIR 1858 SC 398,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''प्रत्येक गलती, चाहे यह विधि की हो या तथ्य की, उच्चतर न्यायालय द्वारा सही नहीं की जा सकती है। मात्र औपचारिक अथवा तकनीकी गलती भले ही यह विधि की हो, उत्प्रेषण के उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।'' '' **श्री मीनाक्षी मिल्स लि॰, मदुराई बनाम सी॰ आई॰ टी॰,'' AIR 1957 SC 49**, में यह इंगित किया गया है कि ''तथ्य के प्रश्न न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकित किए जाने के लिए खुले नहीं हैं जब तक वे किसी साक्ष्य द्वारा असमर्थित नहीं है अथवा विकृत है।'' ''**सैयद याकूब बनाम के॰ एस॰ राधाकृष्णण, AIR 1964 SC 477,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"7. ..... fdr] ble dkb Ing ugh g fd mRç"k.k fjV tkjh dju dh vfèkdkfjrk i;o{kh; vfèkdkfjrk g vkj bldk ç;kx dju okyk U;k;ky; vihyh; U;k;ky; d :i e ÑR; dju dk gdnkj ugh gA bl lhferrk l vko';drh vfHkçr g fd lk{; d vfèkeY;u d ifj.kkeLo#i fuEurj U;k;ky; vFkok vfèkdj.k }kjk igp x, rF; d fu"d"kk dk fjV dk;okgh e iuh pukrh ugh nh tk ldrh gA fofèk dh xyrh tk vfHky[k dk n[kr gh çdV g fjV }kjk lgh dh tk ldrh g] fdr rF; dh xyrh ugh] pkg ;g fdruh Hkh xHkhj D;k u gkA vfèkdj.k }kjk vfHkfyf[kr rF; d ,d fu"d"k d lcèk e] mRi"k.k dk ,d fjV fuxr fd;k tk ldrk g vxj ;g n'kk;k tkrk g fd mDr fu"d"k vfHkfyf[kr dju e] vfèkdj.k u xyr :i l] xkg; ,o rkfRod lk{; xg.k dju l budkj dj fn;k Fkk vFkok xyr :i l vxkg; lk{; xg.k fd;k Fkk ftlu vk{kfir fu"d"k dk çHkkfor fd;k FkkA blh çdkj l] ;fn rF; dk fu"d"k lk{; ij vkèkkfjr ugh g] og fofèk dh xyrh d :i e ekuh tk,xh ftl mRç"k.k fjV }kjk lgh fd;k tk ldrk gA fdr ekeyk dh bl dkfV ij fopkj dju e ge lno è;ku e j[kuk gkxk fd vfèkdj.k }kjk nt rF; d fu"d"k dk mRç"k.k fjV e dk;okgh e bl vkèkkj ij pukrh ugh fn;k tk ldrk g fd vfèkdj.k d le{k çLrr çkIfxd ,o rkfRod lk{; vk{kfir fu"d"k dk lkf"kr dju d fy, vi;kIr FkA fdlh fcn ij fn, x, lk{; dh i;kIrrk vkj mDr fu"d"k l fudkyk tku okyk rF; dk fu"d"k vfèkdj.k dh vuU; vfèkdkfjrk d vrxr g vkj mDr fcnvk dk fjV U;k;ky; d le{k mBk;k ugh tk ldrk gA bu lhekvk d vrxr mRç"k.k fjV tkjh dju d fy, vuPNn 226 d vèkhu mPp U;k;ky;k ij çnÙk vfèkdkfjrk dk oèk :i l ç;kx fd;k tk ldrk gA***

21. अभिलेख पर लाए गए सामग्रियों से मैं आक्षेपित आदेशों में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

22. न्यायालय में कथन किया गया है कि दिनांक 5.9.1983 के आदेश के तहत प्रधान को हटाने के बाद विगत 30 वर्षों में नया प्रधान नियुक्त नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित

विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि मामला विचाराधीन था, प्रधान की नियुक्ति के लिए कदम नहीं उठाया गया था। मैं एतद् द्वारा सबडिविजनल अधिकारी को प्रधान की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता हूँ।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मो॰ एजाज उर्फ राजा बाबू

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 5787 of 2014. Decided on 12th December, 2014.

झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम—धाराएँ 6 एवं 9—प्रश्नगत संपत्ति से याची को बेदखल करने के लिए प्रपीड़क कदम उठाने से प्रत्यर्थीगण को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश इप्सित करने वाली याचिका–रिट याचिका में भवन एवं निर्माण वर्ष के संबंध में विवरण प्रकट नहीं किया गया है–याची के अभिकथित विक्रेताओं के हितपूर्वाधिकारी अथवा अभिधान वाद सं॰ 192/2001-02 के प्रतिवादीगण में से किसने भवन निर्मित किया के अतिरिक्त किराएदारों के नाम, अभिधृति की प्रकृति, किराएदारों को प्रवेश देने की तिथि और तिथि जिस पर किराएदारों को अभिकथित रूप से विभिन्न दुकानों में प्रवेश दिया गया था, याची ने प्रकट नहीं किया–रिट याचिका में समस्त आवश्यक विवरणों की कमी है–दोनों पक्षों के बीच विलेख के निष्पादन एवं विक्रेता द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति के संबंध में दिनांक 14.2.2011 का विक्रय विलेख एकमात्र साक्ष्य है–रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा भी विक्रेता संपत्ति अंतरित नहीं कर सकता है जिसमें उसका स्वयं अभिधान नहीं है याची के विरुद्ध आरंभ की गयी झारखंड भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अधीन कार्यवाही जिसमें उसको नोटिस जारी किया गया था जिससे उसने इनकार किया, याची ने स्वयं प्रकट किया कि दिनांक 6.11.2014 को उसे उपायुक्त द्वारा पारित आदेश की जानकारी हुई–प्रत्यर्थी राज्य ने प्रश्नगत भूमि में याची के विक्रेताओं के अधिकार से विनिर्दिष्टतः इनकार किया-अभिनिर्धारित, रिट याचिका तथ्य के विवादित प्रश्न अंतर्ग्रस्त करती है–रिट याचिका खारिज। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–AIR 1989 SC 997; (1997) 3 SCC 169—Relied upon.

अधिवक्तागण.–Mr. Indrajit Sinha, For the Petitioner; Mr. Atanu Banerjee, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान रिट याचिका गोविन्दपुर, धनबाद में मौजा सं॰ 166, खाता सं॰ 19, भूखंड सं॰ 1692 में अवस्थित भूमि के संबंध में याची के कब्जा में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने से प्रत्यर्थीगण को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश तथा याची को प्रश्नगत संपत्ति से बेदखल करने के लिए प्रपीड़क कदम उठाने से प्रत्यर्थीगण को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश इप्सित करते हुए दाखिल की गयी है।

2. संक्षिप्त रूप से कथित रिट याचिका में प्रकट किए गए तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:–

याची में मोतीलाल प्रामाणिक, सुबोधचंद्र भंडारी, श्रीमती मोनिका देवी, कार्तिक प्रामाणिक, श्रीमती रेणुका देवी एवं कोनिका देवी से दिनांक 14.2.2011 के विक्रय विलेख सं॰ 2174/1908 के तहत भूमि

का टुकड़ा खरीदने का दावा करता है। गोविन्दपुर, धनबाद में 4.3 डिसमिल मापवाले मौजा सं॰ 166, खाता सं॰ 19 भूखंड सं॰ 1692 में अवस्थित भूमि कैडस्ट्रल सर्वे अधिकार अभिलेख में किसी शारदा नापित एवं धीरु नापित के नाम में दर्ज की गयी थी और वर्ष 2011 तक धीरु नापित के नाम में किराया रसीद जारी की गयी थी। उक्त धीरु नापित एवं शारदा नापित ने भूखंड सं॰ 1537, 1538 एवं 1691 से संबंधित भूमि के संबंध में दिनांक 21.9.1934 के समर्पण विलेख सं॰ 3253 के माध्यम से अपना हित राजा ठाकुर चंद्रमोहत्री सिंह के पक्ष में समर्पित कर दिया जिसने दिनांक 24.9.1934 के विलेख सं॰ 3273 के माध्यम से बंगलूचरण दत्ता के पक्ष में अधिकार, अभिधान एवं हित अंतरित कर दिया। याची के विक्रेताओं ने प्रश्नगत संपत्ति जो दिनांक 14.2.2011 के विक्रय विलेख में अनुसूची संपति है, संबंध में अभिधान की घोषणा एवं कब्जा की वापसी के लिए मामला दाखिल किया। मामला अभिधान वाद सं॰ 192/2001-02 के रूप में दर्ज किया गया था जिसे उपन्यायाधीश IV, धनबाद द्वारा दिनांक 24.8.2004 के आदेश के तहत डिक्री किया गया था। तत्पश्चात डिक्रीत भूमि के कब्जा का परिदाय रिट जारी करने के लिए याची के विक्रेताओं द्वारा निष्पादन केस सं॰ 3/19/2006-07 दाखिल किया गया था। निष्पादन मामले में नाजिर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रकट करता है कि दिनांक 23.1.2011 को डिक्रीत भूमि के कब्जा का परिदान डिक्री धारकों को सौंपा गया था और तत्पश्चात्, दिनांक 14.2.2011 के विक्रय विलेख के तहत प्रश्नगत भूमि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा याची को अंतरित की गयी थी। दिनांक 6.11.2014 को कोई राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी ने याची के परिसर का दौरा किया और याची को यह सूचित करते हुए कि उक्त भूमि पहले ही सरकार द्वारा अर्जित कर ली गयी थी; याची को परिसर खाली करने का निर्देश दिया। याची को सूचित किया गया था कि उपायुक्त, धनबाद ने आदेश पारित किया है और इसके अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी ने याची को परिसर खाली करने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी सं॰ 2 उपायुक्त, धनबाद ने कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना और विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना पुलिस बल की मदद से याची को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने का धमकी दिया। याची ने भूमि अर्जन मामला सं॰ 4/1954-55 का दस्तावेज प्राप्त किया जो प्रकट करता है कि भूखंड सं॰ 1692 अर्जन कार्यवाही में विषय वस्तु नहीं था और भूखंड सं॰ 1692 के स्वामी का नाम भी गलत रूप से उल्लिखित किया गया है। याची ने अभिलिखित अभिधारी के विधिक उत्तराधिकारियों से प्रश्नगत भूमि खरीदा है। प्रश्नगत भूमि कभी नहीं अर्जित की गयी थी और न ही अभिलिखित अभिधारी को कोई नोटिस जारी किया गया था और अभिलिखित अभिधारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा का भुगतान भी नहीं किया गया है।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 4 की ओर से यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि गोविन्दपुर, धनबाद में मौजा सं॰ 166, खाता सं॰ 19, भूखंड सं॰ 1692 में प्रश्नगत भूमि अर्जन मामला सं॰ 4/1954-55 के तहत धनबाद में बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय के निर्माण के प्रयोजन से अर्जित की गयी थी। अर्जन कार्यवाही बिहार राज्य द्वारा गजट में प्रकाशित की गयी थी। प्रश्नगत भूमि सहित कुल अर्जित क्षेत्र 7.04 एकड़ था जिसके लिए भूस्वामियों को मुआवजा का भुगतान किया गया था। दिनांक 1.2.1954 की गजट अधिसूचना सं॰ 654 के तहत दिनांक 10.2.1954 के बिहार गजट (भाग II) में पृष्ठ 21 पर अर्जन अधिसूचित किया गया था। भूखंड सं॰ 1692 का कुल क्षेत्रफल केवल 5 डिसमिल है। भूखंड सं॰ 1692 के संबंध में, दिनांक 31.1.1956 को किसी बंगलू चरण दत्ता को मुआवजा का भुगतान किया गया है। अभिधान वाद सं॰ 192 वर्ष 2001 में भूखंड सं॰ 1692 का स्वामी पक्षकार नहीं था और राज्य भी प्रतिवादी पक्ष नहीं था। राजस्व अभिलेख प्रकट करता है कि बंगलू चरण दत्ता का नाम खतियान में दर्ज किया गया है। इससे इनकार किया गया है कि कार्यवाही आरंभ नहीं की गयी थी, बल्कि उपायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी

ने याची की बेदखली के लिए अनेक नोटिस जारी किया था। दंडाधिकारी की उपस्थिति में एवं याची की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि का माप लिया गया था और विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद याची को बेदखल किया गया है। याची एवं अन्य व्यक्तियों ने अवैध रूप से विद्यालय की भूमि का अतिक्रमण किया और इसलिए, 60 वर्ष से अधिक बीतने के बाद भी विद्यालय को पूर्णत: निर्मित नहीं किया जा सका था। यह विवादित है कि मोतीलाल प्रामाणिक वास्तविक स्वामी था जिसने याची के पक्ष में भूखंड सं॰ 1692 के संबंध में अभिकथित रूप से विक्रय विलेख निष्पादित किया है। क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, गोविन्दपुर के दिनांक 24.5.2013 एवं दिनांक 25.6.2013 के पत्रों की दृष्टि में, जो उपदर्शित करता है कि समाज विरोधी तत्वों द्वारा विद्यालय की भूमि का अतिक्रमण किया गया था और दैनिक समाचार पत्र में समाचार भी प्रकाशित किया गया था। पूर्वोक्त तथ्यों में, उपायुक्त के निर्देश पर दिनांक 10.7.2013 की विस्तृत जाँच रिपोर्ट तैयार की गयी थी और भूमि अतिक्रमण मामला सं॰ 15/2013-14 के तहत सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम की कार्यवाही आरंभ की गयी थी। दिनांक 17.7.2013 को याची को नोटिस जारी किया गया था किंतु उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसलिए, इसे अतिक्रमित भूमि पर निर्मित भवन पर दिनांक 20.8.2013 को चिपकाया गया था और तत्पश्चात दिनांक 30.9.2014 को अंतिम आदेश पारित किया गया था और अतिक्रमण हटाने के लिए दंडाधिकारी तैनात किया गया था।

4. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से प्रश्नगत भूमि पर खड़ा भवन भंजित किया गया था, वह प्रत्यर्थी प्राधिकारियों की ओर से असद्भावपूर्ण कार्रवाई परिलक्षित करता है। दिनांक 20.11.2014 को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका उल्लिखित की गयी थी और दिनांक 21.11.2014 के पूरक कॉज सूची में रिट याचिका सूचीबद्ध की गयी थी किंतु प्रत्यर्थियों ने रिट याचिका निष्फल करने की दृष्टि से जानबूझकर एवं आशयपूर्वक भवन भंजित कर दिया। याची प्रश्नगत भूमि का अधिकारपूर्ण स्वामी है जो दिनांक 14.2.2011 के विक्रय विलेख के निष्पादन के बाद प्रश्नगत संपत्ति पर शांतिपूर्ण रूप से काबिज हुआ और इसलिए, याची के विरुद्ध कोई प्रपीड़क कार्रवाई करने के पहले प्रत्यर्थी प्राधिकारियों से कम से कम जो अपेक्षा थी, वह याची को कारण बताओ नोटिस जारी करना था जिसे याची को जारी नहीं किया गया है। याची को अभिकथित रूप से जारी पत्र एवं टेलीग्राम याची पर तामील कभी नहीं किए गए थे। याची को अतिक्रमण मामला सं॰ 15/2013-14 की जानकारी नहीं थी। **''उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य बनाम महाराजा धर्मेन्द्र प्रसाद सिंह आदि,'' AIR 1989 SC 997,** और **''अन्नामलाई क्लब बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य,'' (1997)3 SCC 169,** में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास करते हुए यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारीगण विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना भवन भंजित नहीं कर सकते थे।

6. समानांतर स्तंभ में, विद्वान जी॰ ए॰ श्री अतानु बनर्जी निवेदन करते हैं कि रिट याचिका कूटरचित एवं मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर दाखिल की गयी है। याची ने प्राख्यान किया है कि उसने दिनांक 14.2.2011 को प्रश्नगत संपत्ति खरीदा और तत्पश्चात, उसके नाम में किराया रसीद जारी की गयी थी किंतु, रिट याचिका के परिशिष्ट 2 के रूप में दाखिल दस्तावेज प्रकट करता है कि किराया रसीद दिनांक 7.2.2011 को जारी किया गया था अर्थात् अभिकथित विक्रय विलेख के रजिस्ट्रेशन के पहले। विद्वान जी॰ ए॰ आगे निवेदन करते हैं कि याची ने प्रश्नगत भूमि पर कोई वैध अधिकार, अभिधान अथवा हित अर्जित नहीं किया है जिसे पहले ही काफी पहले वर्ष 1954-55 में लोक प्रयोजन से अर्जित किया गया है। विधि

की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद अतिक्रमण हटाया गया है और याची के मूल अधिकार का अतिलंघन नहीं किया गया है। रिट याचिका में दिनांक 30.9.2014 के आदेश का स्थगन इप्सित करने वाली प्रार्थना भी नहीं थी, अत: यह प्रतिवाद करना गलत है कि रिट याचिका निष्फल करने के लिए प्राधिकारियों ने जल्दी से भवन भंजित कर दिया। रिट याचिका में प्रकथन दिनांक 14.2.2011 के विक्रय विलेख के तहत अभिकथित रूप से अर्जित याची के अभिधान के प्रति गंभीर विवाद प्रकट करता है जिसे वर्तमान कार्यवाही में न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है और इसलिए, केवल इस आधार पर रिट याचिका खारिज किए जाने की दायी है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. अपने दावा के समर्थन में, याची ने विक्रय विलेख और धीरु नापित के नाम में जारी दिनांक 7.2.2011 के किराया रसीद को प्रस्तुत किया है। याची ने कथन किया है कि धीरु नापित एवं शारदा नापित ने दिनांक 21.9.1934 को राजा ठाकुर चंद्रमोहत्री सिंह के पक्ष में अपना हित समर्पित कर दिया था। स्वयं याची के अनुसार, भूमि किसी बंगलू चरण दत्ता के कब्जा में आयी और मोहनलाल प्रामाणिक एवं अन्य द्वारा अभिधान वाद सं॰ 192/2001-02 संस्थित किया गया था। रिट याचिका में याची द्वारा कहीं प्रकथन नहीं किया गया है कि क्यों धीरु नापित के नाम में किराया रसीद जारी की गयी थी। याची ने केवल दिनांक 7.2.2011 का एक रसीद संलग्न किया है। केवल याची के कुछ विक्रेता अभिधान वाद में पक्ष हैं। अभिधान वाद वर्ष 2001 में दाखिल किया गया था, किंतु रिट याचिका में विगत 60 वर्षों में प्रश्नगत भूमि के ऊपर कब्जा के संबंध में विवरण प्रकट नहीं किया गया है। यह भी प्रकट नहीं किया गया है कि किस प्रकार प्रश्नगत भूमि अभिधान वाद सं॰ 192/2001-02 के प्रतिवादीगण के कब्जा में आयी। याची ने कहीं पर भी यह कथन नहीं किया है कि उसने भूमि खरीदा और उस पर भवन का निर्माण किया। रिट याचिका में भवन एवं निर्माण वर्ष के संबंध में कोई विवरण प्रकट नहीं किया गया है। याची ने किराएदारों का नाम, किराएदारी की प्रकृति, किराएदारों को प्रवेश देने की तिथि और तिथि जिस पर किराएदारों को अभिकथित रूप से विभिन्न दुकानों में प्रवेश दिया गया था और इसके अतिरिक्त याची के अभिकथित विक्रेताओं के हितपूर्वाधिकारी अथवा अभिधान वाद सं॰ 192/2001-02 के प्रतिवादीगण में से किसने भवन निर्मित किया, प्रकट नहीं किया है। रिट याचिका में आवश्यक विवरणों की कमी है। दिनांक 14.2.2001 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से अभिधान अर्जित करने के बहाना मात्र पर याची ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है। प्रत्यर्थीगण ने विनिर्दिष्टत: अभिवचन किया कि भूखंड सं॰ 1692 भूमि अर्जन मामला सं॰ 4/1954-55 के तहत अर्जित की गयी थी और अभिलिखित रैयत को मुआवजा का भुगतान किया गया है। रिट याचिका में याची ने केवल यह कथन किया है कि भूमि अर्जन मामले में, भूखंड सं॰ 1692 के स्वामी का नाम गलत रूप से उल्लिखित किया गया है। याची के विरुद्ध झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसमें याची को नोटिस जारी किए गए थे किंतु याची ने अपने ऊपर नोटिस के तामील से इनकार कर दिया है। याची ने स्वयं प्रकट किया है कि दिनांक 6.11.2014 को उसे उपायुक्त द्वारा पारित आदेश की जानकारी हुई। रिट याचिका दिनांक 12.11.2014 को दाखिल की गयी थी किंतु, इसे केवल दिनांक 20.11.2014 को अत्यावश्यक सुनवाई के लिए उल्लिखित किया गया था। दिनांक 14.2.2011 का विक्रय विलेख दो पक्षों के बीच विलेख के निष्पादन एवं विक्रेता द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति के संबंध में एकमात्र साक्ष्य है। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा भी विक्रेता संपत्ति अंतरित नहीं कर सकता है जिसमें उसका स्वयं अभिधान नहीं है। प्रत्यर्थी झारखंड राज्य ने विनिर्दिष्टत: प्रश्नगत भूमि में याची के विक्रेताओं के अधिकार से इनकार किया है। मैं आगे पाता हूँ कि रिट याचिका तथ्य के विवादित प्रश्नों को अंतर्ग्रस्त करती है।

9. मैं इस मामले में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

प्रमोद लकड़ा

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr.M.P. No. 858 of 2014. Decided on 11th December, 2014.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—संपूर्ण दांडिक कार्यवाही का अभिखंडन–परिवाद मामले के अनुसरण में संस्थित प्राथमिकी के कोरे परिशीलन से आशय अविद्यमान है क्योंकि सूचक की संपूर्ण शिकायत विक्रय विलेख के गैर-निष्पादन और विकल्प में अग्रिम के रूप में लिए गए 1,50,000/- रुपए वापस न किये जाने के संबंध में है–अभिकथन मामले को शुद्धतः सिविल प्रकृति वाला चित्रित करता है–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी–याचिका अनुज्ञात। (पैरा 5)

अधिवक्तागण.–Mr. R.A. Choubey, For the Petitioner; Mr. Anand Kumar Pandey, For the State; Mr. Birendra Kumar, For the O.P. No. 2.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा ओ॰ पी॰ संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. वर्तमान अभिखंडन आवेदन लालपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 51 वर्ष 2014, जी॰ आर॰ सं॰ 1313 वर्ष 2014 के तत्सम, जिसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन अपराध के लिए संस्थित किया गया था, के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए दाखिल की गयी है।

3. यह प्रतीत होता है कि पहले याची के विरुद्ध सूचक द्वारा परिवाद याचिका परिवाद मामला सं॰ 2239 वर्ष 2013 संस्थित किया गया था जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि याची सूचक के पास आया था और दिनांक 12.12.2009 के रजिस्टर्ड मुख्तारनामा के आधार पर क्रमशः 67 डिसमिल एवं 25 डिसमिल क्षेत्रफल वाले भूखंड सं॰ 260 एवं भूखंड सं॰ 259, खाता सं॰ 115, एवं 116 से संबंधित भूखंड बेचने का प्रस्ताव दिया था। उसमें अभिकथित किया गया था कि 60,000/- रुपया प्रति कट्ठा की दर पर 10 कट्ठा भूमि के विक्रय के लिए पक्षों के बीच विक्रय करार हुआ था और कुल 4,50,000/- रुपयों की प्रति फल राशि में से 1,50,000/- रुपया याची को अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था। चूँकि याची द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया था और अग्रिम के रूप में दिया गया 1,50,000/- रुपया लौटाया नहीं गया था, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 एवं 406 के अधीन अपराध के लिए परिवाद मामला संस्थित किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अधीन प्राथमिकी दर्ज करने के लिए उक्त परिवाद मामला पुलिस को भेजा गया था जिसके अनुसरण में लालपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 51 वर्ष 2014 रजिस्टर्ड किया गया था।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि परिवाद याचिका के कोरे परिशीलन से यह प्रकट होगा कि दोनों पक्षों के बीच विक्रय करार हुआ था, जिसके अनुसरण में याची द्वारा विरोधी पक्षकार सं॰ 2 से अग्रिम के रूप में 1,50,000/- रुपया लिया गया था। उसने आगे निवेदन किया है कि अगर अभिकथन अपनी संपूर्णता में सत्य माने भी जाते हैं, याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन मामला नहीं बनता है।

5. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करने तथा विकल्प में अग्रिम वापस जिसे वर्ष 2003 में लिया गया था, वापस नहीं करने में याची की ओर से दांडिक आशय था और यह प्राथमिकी में पैराग्राफों 7, 8 एवं 9 में किए गए प्रकथनों से स्पष्ट होगा।

6. प्राथमिकी पर विचार करने पर, जिसे परिवाद मामला के अनुसरण में संस्थित किया गया था, यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2003 में विक्रय करार किया गया था जिसके निबंधनानुसार 4,50,000/- रुपयों की कुल प्रतिफल राशि में से 1,50,000/- रुपया सूचक द्वारा दिया गया था। सूचक अभिकथित करता है कि बार-बार आश्वासन के बावजूद याची ने विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया था जैसी सहमति हुई थी जब याची को अग्रिम दिया गया था। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क किया, कि जहाँ तक दांडिक आशय का संबंध है, यह प्राथमिकी के कोरे परिशीलन से अविद्यमान है क्योंकि सूचक की संपूर्ण शिकायत विक्रय विलेख के गैर निष्पादन एवं विकल्प में 1,50,000/- रुपया जिसे वर्ष 2003 में अग्रिम के रूप में लिया गया था, वापस न करने के संबंध में है। अभिकथन मामले को शुद्धतः सिविल प्रकृति वाला चित्रित करता है यद्यपि विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क किया है कि अपराधिकता अथवा दांडिक आशय अपराध की सिविल प्रकृति की तुलना में काफी कम है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय के पास दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 482 में परिकल्पित अपनी अंतर्निहित शक्ति का अवलंब लेकर दांडिक कार्यवाही आरंभ किए जाने में हस्तक्षेप करने के अतिरिक्त विकल्प नहीं है।

7. परिस्थितियों की संपूर्णता और उसके परिणाम पर विचार करते हुए लालपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 51 वर्ष 2004, जी॰ आर॰ सं॰ 1313 वर्ष 2014 के तत्सम, के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद् द्वारा अभिखंडित की जाती है।

तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

प्रेम पाल सिंह

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (S) No. 4822 of 2011. Decided on 15th January, 2015.

सेवा विधि–हटाया जाना–अनुशासित बल के सदस्य याची से उच्चतर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने एवं उच्चतर प्राधिकारी की अनुमति के बिना एक दिन के लिए भी अनुपस्थित बने रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है–उच्चतर प्राधिकारियों एवं इंस्पेक्टर के कार्यालय के सदस्यों के विरुद्ध गाली-गलौज की भाषा का उपयोग करने का अन्य अभिकथन भी गंभीर है और गवाहों द्वारा अपने अभिसाक्ष्यों में संपुष्ट किया गया है–न्यायालय अधिरोपित दंड में हस्तक्षेप कर सकता है जब इसे पूर्णतः अतार्किक अथवा तर्क की घोर अवज्ञा पाया जाता है–अभिकथनों की गंभीरता एवं याची द्वारा किए गए अवचार की दृष्टि में, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति लागू नहीं की जा सकती है–अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर आधारित एक के बाद

एक तीन प्राधिकारियों द्वारा तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है–याचिका खारिज। (पैराएँ 13 से 18)

निर्णयज विधि.–(2009) 3 SCC 97—Followed; (2009) 8 SCC 310—Followed.

अधिवक्तागण.–Mr. Jitendra Tripathi, For the Petitioner; Mr. Ashok Singh, For the Respondents.

आदेश

याची ने दिनांक 21.10.2009 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा उसे सेवा से हटाया गया है और दिनांक 21.10.2009 के आदेश को मान्य ठहराते हुए पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 31.3.2010 के आदेश को भी चुनौती दिया है।

2. संक्षिप्त तथ्य, जैसा याची द्वारा तर्क किया गया है, ये हैं कि याची को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधीन वर्ष 2000 में कॉंस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद, याची संबंधित प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था। उसने अत्यधिक कर्तव्य के बाद विश्राम के लिए दिनांक 6.4.2009 को अवकाश इप्सित किया था क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वह इस धारणा के अधीन था कि उसे साप्ताहिक विश्राम दिया गया था, अत: वह बीमार दशा में छत पर सो रहा था। जब उसे हेड कॉंस्टेबल अर्थात बी॰ डी॰ शर्मा द्वारा सूचित किया गया था कि उसे दिनांक 6.4.2009 को रात्रि कर्तव्य पर तैनात किया गया था, उसे पता चला कि उसे साप्ताहिक विश्राम नहीं दिया गया था। दिनांक 6.4.2009 को रात्रि कर्तव्य पर तैनात किया गया था, उसे पता चला कि उसे साप्ताहिक विश्राम नहीं दिया गया था। दिनांक 6.4.2009 को याची की अनुपस्थिति अवचार के रूप में मानी गयी थी और तद्नुसार उस पर आरोप ज्ञापन तामील किया गया था और उसे सेवा से हटाया गया था। यह निवेदन किया गया है कि सेवा से हटाए जाने का दंड अत्यन्त कठोर है और आरोपों के अनुकूल नहीं है। याची ने समुचित आवेदन दाखिल करके इस तथ्य को पुनरीक्षण प्राधिकारी के ध्यान में लाया था किंतु पुनरीक्षण प्राधिकारी ने इस पर विचार नहीं किया था और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश मान्य ठहराया था।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सेवा से हटाए जाने का दंड अत्यन्त कठोर है और केवल एक दिन की अनुपस्थिति के लिए इसे नहीं दिया जा सकता है। यदि याची द्वारा अन्य अवचार किया गया था, आचरण एवं अनुशासन नियमावली के अधीन, अन्य दंड भी है जिन्हें याची पर अधिरोपित किया जाना चाहिए था। जाँच अधिकारी ने उक्त अनुपस्थिति को जानबूझकर अनुपस्थिति के रूप में नहीं पाया है और ऐसे निष्कर्ष की अनुपस्थिति में हटाए जाने का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है।

4. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची ने दिनांक 6.4.2009 को स्वयं को कर्तव्य से अनुपस्थित करके अवचार किया था। जब हेड कॉंस्टेबल द्वारा उसे उसके कर्तव्य के बारे में सूचित किया गया था, वह उच्चतर अधिकारियों एवं इंस्पेक्टर के कार्यालय में पदस्थापित बल के सदस्यों को गाली देने लगा। उसने उन्हें गोली मारने की धमकी भी दिया। याची पर इस घटना के पहले पाँच दंड अधिरोपित किया गया था, किंतु तत्पश्चात भी वह स्वयं को सुधारने में विफल रहा था और इस घटना को दोहराया था। अत:, याची के साथ सहानुभूति का प्रश्न नहीं है। चूँकि याची अनुशासित बल का सदस्य है, उससे उच्चतर प्राधिकारी की अनुमति के बिना एक दिन के लिए भी अनुपस्थित बने रहने तथा उच्चतर अधिकारियों को गाली देने की उम्मीद नहीं की जाती है।

5. पक्षों को सुना गया, अभिलेख का परिशीलन किया गया।

6. याची के विरुद्ध तीन आरोपों पर अग्रसर हुआ गया था: (i) उसे सक्षम प्राधिकारी को सूचना दिए बिना दिनांक 6.4.2009 से दिनांक 7.4.2009 तक कर्तव्य से अनुपस्थित पाया गया था जब वह

कोयला नगर के मेन गेट पर तैनात था। (ii) दिनांक 7.4.2009 को याची ने उच्चतर अधिकारियों एवं इंस्पेक्टर के कार्यालय में पदस्थापित बल के सदस्यों के साथ दुर्व्यहवार किया था। (iii) याची पर अनुशासनहीनता की विभिन्न गतिविधियों के लिए पहले ही पाँच दंड अधिरोपित किया गया था।

आरोप ज्ञापन की प्रति तामील करने के बाद, याची को जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था और स्वयं का बचाव करने का अवसर दिया गया था। याची ने उच्चतर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में आरोप से इनकार किया था।

7. जाँच अधिकारी ने गवाहों का बयान दर्ज किया। प्रदर्श 1 दिनांक 6.4.2009 को अ॰ सा॰ 1 द्वारा याची को दिया गया कर्त्तव्य है किंतु याची ने इसके निबंधनानुसार स्वयं को कर्तव्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया था। अ॰ सा॰ 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि तलाश किए जाने पर यह पाया गया था कि याची बैरक की छत पर सो रहा था। जब अ॰ सा॰ 2 ने याची को उसके कर्तव्य के बारे में सूचित किया, याची ने उससे कहा कि यह उसका विश्राम दिन है और वह दिए गए कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अ॰ सा॰ 3 ने कथन किया है कि जब याची ने स्वयं को दिनांक 6.4.2009 को कर्तव्य पर प्रस्तुत नहीं किया था, एक अन्य कॉंस्टेबल अर्थात् जय प्रकाश को डायरी में प्रविष्टि करने के बाद तैनात किया गया था। आरोप सं॰ 2 के संबंध में अ॰ सा॰ 3 ने कथन किया है कि दिनांक 7.4.2009 को प्रात: लगभग 8.45 बजे उसने याची को उच्चतर अधिकारियों तथा इंस्पेक्टर के कार्यालय में पदस्थापित बल के सदस्यों को गाली देते देखा और उनको गोली मारने की धमकी देते हुए भी देखा। अ॰ सा॰ 1, 4, 6 एवं 7 ने अ॰ सा॰ 3 के बयान को संपुष्ट किया है।

8. अ॰ सा॰ 1, 2, 3, 4, 6 एवं 7 के साक्ष्य एवं प्रदर्शों 1, 2 एवं 3 के आधार पर जाँच अधिकारी इस निष्कर्ष पर आया कि याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप को सिद्ध पाया गया है।

9. जाँच के समापन के बाद, जाँच अधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी को जाँच रिपोर्ट अग्रसारित किया। जाँच अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्षों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने पाया कि याची के विरुद्ध लगाए गए आरोप अत्यन्त गंभीर हैं क्योंकि याची से अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते उच्चतर प्राधिकारी को किसी सूचना के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित बने रहने तथा उच्चतर अधिकारियों को गाली देने की उम्मीद नहीं की जाती है और दंड के पूर्व उदाहरणों को विचार में लेते हुए सी॰ आई॰ एस॰ एफ॰ नियमावली, 2001 की अनुसूची (1) नियम 32 (1) तथा नियम 34 के अधीन शक्ति के प्रयोग में सेवा से हटाने का दंड अधिरोपित किया।

10. अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध याची ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपनी बीमारी, जिस कारण वह स्वयं को कर्तव्य पर प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सका था, का अभिवचन करते हुए अपील दाखिल किया। किंतु इस तथ्य कि यदि याची किसी बीमारी से पीड़ित था, उसे नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना देना चाहिए था और छत पर सोने के बजाए उसे छात्रावास अथवा इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए था किंतु याची ने ऐसा नहीं किया था बल्कि केवल प्राधिकारियों को भ्रमित करने के लिए बीमारी का अभिवचन किया गया था, दृष्टि में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा याची का यह अभिकथन स्वीकार नहीं किया गया था। आरोप सं॰ 2 के संबंध में, याची ने अभिवचन किया था कि उसने उच्चतर प्राधिकारियों के विरुद्ध किसी गाली-गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं किया था, किंतु अपीलीय प्राधिकारी ने अ॰ सा॰ 1, 2, 3, 4 एवं 6 के साक्ष्य की दृष्टि में उक्त अभिवचन स्वीकार नहीं किया था। मामले के समस्त पहलू पर और याची पर अधिरोपित दंडों के पाँच उदाहरणों पर विचार करते हुए अपीलीय प्राधिकारी ने याची की अपील अस्वीकार कर दिया।

11. याची ने पुनरीक्षण दाखिल किया था। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने भी मामले के समस्त पहलूओं और अभिकथन की प्रकृति पर विचार करते हुए और इस तथ्य कि समय के छोटे अंतराल के भीतर सात दंडों को अधिरोपित किया गया था, को विचार में लेते हुए पुनरीक्षण अस्वीकार कर दिया।

12. याची ने हटाए जाने के आदेश को मुख्यत: इस आधार पर चुनौती दिया है कि केवल एक दिन की अनुपस्थिति के लिए हटाए जाने का दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

13. याची से अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते पूरी ईमानदारी के साथ एवं संबंधित प्राधिकारियों की संतुष्टि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की उम्मीद की जाती है। याची को दिनांक 6.4.2009 को रात्रि कर्तव्य दिया गया था जो अच्छी तरह से उसकी जानकारी के भीतर था। यदि वह बीमार हो गया था, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अपनी अक्षमता के संबंध में नियंत्रण कक्ष के उच्चतर प्राधिकारी को सूचित करना उसका कर्तव्य था ताकि किसी अन्य कॉंस्टेबल को कर्तव्य दिया जा सके, किंतु याची अत्यन्त लापरवाह तरीके से नियंत्रण कक्ष के उच्चतर प्राधिकारियों को कोई सूचना दिए बिना छत पर चला गया और सो गया। याची के इस आचरण को सही नहीं माना जा सकता है भले ही अनुपस्थिति केवल एक दिन की है, क्योंकि याची ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में अपना प्रतिरोध दर्शाया था। अत:, न्यूनतर दंड अधिरोपित करके याची के साथ सहानुभूति दर्शाने का प्रश्न नहीं है।

14. उच्चतर प्राधिकारियों एवं इंस्पेक्टर के कार्यालय के सदस्यों के विरुद्ध गाली-गलौज की भाषा का उपयोग करने का अन्य अभिकथन भी गंभीर है। गवाहों ने अपने अभिसाक्ष्य में उक्त अभिकथन को संपुष्ट किया है।

15. यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति के प्रयोग में प्राधिकारियों के समवर्ती निष्कर्षों को अस्त व्यस्त नहीं कर सकता है। यद्यपि इस न्यायालय को दंड के आदेश का न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, किंतु अभिकथनों की प्रकृति एवं याची द्वारा किए गए अवचार की दृष्टि में याची दंड की मात्रा के संबंध में सहानुभूति योग्य नहीं है।

16. बिल्कुल समरुप स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एक्स-कॉंस्टेबल रामवीर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2009)3 SCC 97,** में अभिनिर्धारित किया है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी पर अधिरोपित दंड अननुपातिक नहीं है क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग में मामले का न्यायिक पुनर्विलोकन करते हुए साक्ष्य के पुनर्आकलन पर स्वयं अपना मत प्रति स्थापित करने की उम्मीद न्यायालय से नहीं की जा सकती है। किंतु, न्यायालय अधिरोपित दंड में हस्तक्षेप कर सकता है जब इसे पूर्णत: अतार्किक अथवा तर्क की घोर अवज्ञा करता पाया जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की यह सीमित गुंजाइश अस्थायी है और हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल तब होती है जब दंड घोर रूप से अननुपातिक है।

17. वर्तमान मामले में, अभिकथनों की प्रकृति एवं याची द्वारा किए गए अवचार की दृष्टि में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति लागू नहीं की जा सकती है और इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर आधारित एक के बाद एक तीन प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उ॰ प्र॰ राज्य बनाम मनमोहन नाथ सिन्हा, (2009)8 SC 310,** में पैराग्राफ 15 पर अभिनिर्धारित किया गया है:-

"15. fofèkd voLFkk lfuf'pr g fd U;kf;d iufoykdu dh 'kfDr fu.k; d fo#) funf'kr ugh g cfYd fu.k; yu dh çfØ;k rd lhfer gA U;k;ky; fu.k; d x.kkx.k ij fopkj ugh djrk gA mPp U;k;ky; dk vihyh; U;k;ky; d :i e tkp vfèkdkjh d le{k fn, x, lk{; dk iuvfèkeY;u ,o iuvkdyu dju

*vkj tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k dk ijh{k.k dju vkj viu fu"d"k ij vku dh NV ugh gA***

18. मामले के उस दृष्टिकोण में, मैं आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

19. तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

जस्टिना ओराँव

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 7048 of 2011. Decided on 2nd December, 2014.

बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973—धारा 14—याची के पूर्वजों द्वारा भूमि अर्जित किए जाने का दावा किया गया, विक्रय का गैर-रजिस्टर्ड करार निष्पादित किया गया था–विक्रय करार के आधार पर याची प्रश्नगत भूमि पर किसी अभिधान का दावा नहीं कर सकता है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा याची के पक्ष में घोषणा नहीं की जाती है–गैर रजिस्टर्ड विक्रय करार के आधार पर याची के पक्ष में जारी किराया रसीद अवैध है–विवाद्यक यह है कि क्या विक्रय के गैर रजिस्टर्ड करार के फलस्वरुप पुनरीक्षण याचिका में, यदि याची ने किसी याचिका को दाखिल किया हो, याची के नाम में मांग पर विचार किया जा सकता है–मामला अभिधान के संबंध में गंभीर विवाद अंतर्ग्रस्त करता है–रिट याचिका पोषणीय नहीं है–समुचित आवेदन/याचिका दाखिल करके पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास जाने की छूट याची को होगी–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 8 से 10)

निर्णयज विधि.–2001(1) JLJR 75; 2003 (1) JLJR 95—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Parwez A. Khan, For the Petitioner; M/s Debolina Sen, Yogesh Modi, For the State; Mr. P.K. Pathak, For the Resp. Nos. 3-7.

आदेश

विविध केस सं॰ 2 वर्ष 2010-11 में पारित दिनांक 2.6.2011 के आदेश से व्यथित होकर याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि दिनांक 11.2.1955 को 2.30 एकड़ मापवाली भूमि किसी साइमन ओरावँ द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 के हितपूर्वाधिकारी अर्थात् बसीरुद्दीन खान से गैररजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत 350/- रुपयों के प्रतिफल के लिए खरीदी गयी थी। वर्ष 1981 में, प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 के पिता अर्थात् बसीरुद्दीन खान ने विविध मामला सं॰ 2 वर्ष 1981-82 के तहत याची के नाम में चल रहे मांग के रद्दकरण के लिए मामला दाखिल किया जिसे दिनांक 21.4.1981 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। उक्त बसीरुद्दीन खान उर्फ बसीर खान ने सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 83 के अधीन आपत्ति याचिका दाखिल किया जिसे भी दिनांक 5.3.1981 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। मामला सं॰ 2 के तहत (सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 83 के अधीन) आपत्ति (बद्र) याचिका में दिनांक 5.3.1981 के आदेश से व्यथित होकर, सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 89 के अधीन (पुनरीक्षण मामला सं॰ 66 वर्ष 1981) दाखिल किया गया था किंतु, उक्त पुनरीक्षण याचिका भी

दिनांक 1.10.1982 के आदेश के तहत खारिज कर दी गयी थी। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 ने सी॰ ओ॰ महुआदांड़ के समक्ष ''जमा'' के लिए याचिका मामला सं॰ 2 वर्ष 2010-11 दाखिल किया जिसमें अंचलाधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस बीच, प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 द्वारा विविध मामला सं॰ 2 वर्ष 2010-11 भी दाखिल किया गया था और उक्त मामले में उपसमाहर्ता भूसुधार, लातेहार ने दिनांक 12.8.2010 का आदेश पारित किया और अपर समाहर्ता को रिपोर्ट अग्रसारित किया जिन्होंने दिनांक 21.6.2010 का आदेश पारित किया। दिनांक 21.6.2011 के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

3. प्रत्यर्थीगण की ओर से यह कथन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि प्रश्नगत भूमि अंतिम अधिकार अभिलेख सर्वे में मोसाहल खान के नाम में दर्ज है। किंतु, प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी रजिस्टर II में पृष्ठ 33/3 में श्रीमती जस्टिना ओराँव के नाम में दर्ज है। मौजा अंबा टोली, खाता सं॰ 40, भूखंड सं॰ 116 में 2.30 एकड़ भूमि के कुल क्षेत्रफल में से 0.60 एकड़ पहले ही किसी एंटनी बारा, पुत्र पॉलुस बारा, निवासी ग्राम अंबा टोली को अंतरित की जा चुकी है जिसके नाम में जमाबंदी सृजित की गयी थी और इसे रजिस्टर II में पृष्ठ 122/3 में दर्ज किया गया है। याची ने दावा किया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 के हितपूर्वाधिकारी द्वारा याची के हितपूर्वाधिकारी के पक्ष में भूमि के विक्रय का करार निष्पादित किया गया था किंतु प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 के पूर्वजों ने रिट याची के पूर्वज के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया था। अंचलाधिकारी का रिपोर्ट उपदर्शित करता है कि पुराने भूखंड सं॰ 116 में 0.60 एकड़ क्षेत्र के ऊपर और भूखंड सं॰ 118 में 0.11 एकड़ क्षेत्रफल के ऊपर निर्मित घर विद्यमान हैं। अंचलाधिकारी ने मौजा अंबा टोली, पी॰ एस॰ सं॰ 137, खाता सं॰ 40, भूखंड सं॰ 74 में 0.43 एकड़ और भूखंड सं॰ 118, क्षेत्र 1.16 एकड़ में अभिलिखित किराएदार के उत्तराधिकारी अर्थात् हैदर अली खान, रजाक खान, सरवर आलम खान, जाबिर खान एवं मोफीद खान के नाम में भूमि की जमाबंदी की अनुशंसा अंचलाधिकारी ने की।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची के नाम में लंबे समय से चल रही जमाबंदी उपसमाहर्ता, भूसुधार द्वारा रद्द नहीं की जा सकती थी। याची विक्रय करार के फलस्वरुप भूमि पर काबिज है और इस प्रकार, उसने प्रश्नगत भूमि में वैध अधिकार, अभिधान एवं हित अर्जित किया है। उन्होंने ''**दिलीप कुमार महतो बनाम बिहार राज्य,**'' 2001 (1) JLJR 75 और ''**चंद्रशेखर बनर्जी बनाम बिहार राज्य,**'' 2003 (1) JLJR 95, में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है।

6. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विक्रय करार के फलस्वरुप याची प्रश्नगत भूमि के ऊपर अभिधान अर्जित करने का दावा नहीं कर सकता है। अंचलाधिकारी की रिपोर्ट ने उपस्थित किया है कि भूखंड के एक भाग के ऊपर निर्मित घर हैं और अभिलिखित किराएदारों के उत्तराधिकारियों के नामों को राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट किया गया है। विद्वान भूसुधार उप समाहर्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध याची के पास पुनरीक्षण का उपचार है।

7. मैंने पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ता की ओर से किए गए परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से, मैं पाता हूँ कि भूमि जिसे याची के पूर्वजों द्वारा अर्जित करने का दावा किया गया है के संबंध में विक्रय का गैर-रजिस्टर्ड करार निष्पादित किया गया था। विक्रय करार

के आधार पर याची प्रश्नगत भूमि के ऊपर किसी अभिधान का दावा नहीं कर सकता है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा याची के पक्ष में घोषणा नहीं की जाती है। गैर रजिस्टर्ड विक्रय करार के आधार पर याची के पक्ष में जारी किराया रसीद अवैध है।

9. विविध मामला सं॰ 2 वर्ष 2010-11 में कार्यवाही का परिशीलन प्रकट करता है कि हैदर अली खान एवं अन्य द्वारा दाखिल आवेदन पर, जो अपने नाम में ''मांग'' खोलने के लिए दाखिल रिट याचिका में प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 हैं, अंचलाधिकारी, महुआटांड़ ने राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। लोक नोटिस जारी किए जाने एवं हल्का कर्मचारी-सह-राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए थे। दिनांक 25.5.2010 को, अंचलाधिकारी ने प्रथम दृष्टया मत निर्मित किया कि विरोधी पक्षकार/रिट याची के पक्ष में मांग अवैध थी और इस प्रकार, स्थानीय निरीक्षण का आदेश दिया। दिनांक 21.6.2010 का आदेश दर्ज करता है कि अंचलाधिकारी ने स्वयं द्वारा स्थानीय निरीक्षण के बाद पाया कि भूखंड सं॰ 118 पर 0.11 एकड़ क्षेत्रफल के ऊपर जस्टिन ओराँव का घर आंगन के साथ अवस्थित है। तद्नुसार, उसने शेष भूमि के ऊपर प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 के पक्ष में जमाबदी के सृजन की अनुशंसा किया। अभिलेख भूसुधार उपसमाहर्ता को अग्रसारित किया गया था जिन्होंने भी अभिलेख का परीक्षण किया और खतियानी रैयत के विधिक उत्तराधिकारियों अर्थात् प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 के पक्ष में 1.59 एकड़ भूमि के संबंध में जमाबंदी के सृजन की अनुशंसा की। अपर समाहर्ता, लातेहार का दिनांक 2.6.2011 का आदेश प्रकट करता है कि खाता सं॰ 40, भूखंड सं॰ 74, 116 एवं 118 में 2.35 एकड़ का क्षेत्रफल सर्वे खतियान में मुसाहेब खान के नाम में दर्ज किया गया है जो प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 का हित पूर्वाधिकारी है। किंतु, भूखंड सं॰ 116 में 0.60 एकड़ क्षेत्र जस्टिना ओराँव द्वारा एंटनी बारा को बेच दिया गया था और विविध केस सं॰ 32 वर्ष 1993-94 के तहत शेष भूमि के संबंध में मांग जस्टिना ओराँव के नाम मेँ दर्ज की गयी है। किंतु, विरोधी पक्षकार द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि किस प्रकार मांग उसके नाम में सृजित किया गया था। उसने प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 के हितपूर्वाधिकारी द्वारा निष्पादित गैर रजिस्टर्ड विक्रय करार प्रस्तुत किया है। अपर समाहर्ता ने संप्रेक्षित किया कि राजस्व अभिलेख में नाम अवैध रूप से अंतरित किया गया है और विरोधी पक्षकार ने अवैध रूप से भूमि का 0.60 एकड़ भूमि बेचा है। अपर समाहर्ता, लातेहार ने खाता सं॰ 40, भूखंड सं॰ 74 एवं 118 में 1.59 एकड़ भूमि के संबंध में प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 के पक्ष में जमाबंदी के सृजन के लिए अनुशंसा अनुमोदित किया। याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपर समाहर्ता अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते प्रत्यर्थी सं॰ 3 से 7 के पक्ष में जमाबंदी के सृजन के लिए आदेश पारित नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त, विविध केस सं॰ 2 वर्ष 2010-11 में दिनांक 2.6.2011 का आदेश पूर्व न्याय द्वारा वर्जित है क्योंकि विविध केस सं॰ 2 वर्ष 1981-82 के तहत मांग के रद्दकरण के लिए दाखिल आवेदन दिनांक 21.4.1981 को खारिज कर दिया गया था और सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 83 के अधीन आपत्ति (बद्र) याचिका केस सं॰ 2 भी दिनांक 5.3.1981 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। मेरा दृष्टिकोण है कि क्या विविध केस सं॰ 2 वर्ष 2010-11 में दिनांक 2.6.2011 का आदेश पूर्व न्याय द्वारा वर्जित है या नहीं, इसे केवल दोनो मामलों में अभिवचनों के परीक्षण पर विनिश्चित किया जा सकता है। वर्तमान कार्यवाही में, दोनों मामलों में पारित आदेश के सिवाए, याची ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, बिहार अभिधारी धृति (अभिलेख का रख-रखाव) अधिनियम, 1973 के अधीन याची के पास आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण का वैकल्पिक उपचार है। अधिनियम वर्ष 1973 की योजना प्रकट करती है कि अपील एवं पुनरीक्षण का उपचार प्रभावकारी उपचार है। अभिवचन, जिसे याची द्वारा

किया गया है, याची द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकता है और पुनरीक्षण प्राधिकारी हलका कर्मचारी तथा राजस्व निरीक्षक के रिपोर्ट सहित अभिलेख पर मौजूद सामग्री के परीक्षण पर समुचित आदेश पारित कर सकता है। यह विवाद्यक कि क्या विक्रय के गैर-रजिस्टर्ड करार के फलस्वरुप याची के नाम में मांग खोला जा सकता था या नहीं; पर पुनरीक्षण याचिका, यदि याची द्वारा इसे दाखिल किया गया है, में भी विचार किया जा सकता है। मामला अभिधान के संबंध में गंभीर विवाद अंतर्ग्रस्त करता है और मामले के इस दृष्टिकोण में भी, मैं वर्तमान याचिका ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हूँ। किंतु, प्रश्नगत भूमि के ऊपर याची एवं उसके हितपूर्वाधिकारी के कब्जा की दृष्टि में पुनरीक्षण याचिका, यदि याची द्वारा इसे दाखिल किया जाता है, विनिश्चित किए जाने तक याची को दिनांक 11.2.1955 के विक्रय के गैर रजिस्टर्ड करार के माध्यम से अंतरित संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा।

10. तद्नुसार, वर्तमान रिट याचिका अपोषणीय के रूप में खारिज की जाती है। किंतु, याची को समुचित आवेदन/याचिका दाखिल करके पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास जाने की छूट होगी।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ mikè;k;] U;k;efr

कृष्ण कुमार शर्मा

cuke

सज्जन पोद्दार

S.A. No. 4 of 1999P. Decided on 10th September, 2014.

झारखंड मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2000—धाराएँ 11 (1) (d) एवं 9—बेदखली वाद–किराया के भुगतान में व्यतिक्रम–किराया नियंत्रक के आदेश के अनुपालन में खजाने में जमा किराया वैध निविदा होगी–गृह नियंत्रक ने वादी को किराया प्राप्त करने का निर्देश दिया था जिसे प्रतिवादीगण द्वारा डाक मनीआर्डर से दिया गया था किंतु इसका अनुपालन नहीं किया गया था–विचारण न्यायालय द्वारा पारित बेदखली याचिका की खारिजी का आदेश पुनर्स्थापित किया गया–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 10 से 13)

निर्णयज विधि.–1963 BLJR 370; 1986 BLJ 691(SC)—Distinguished.

अधिवक्तागण.–M/s Ranjan Kumar Singh, Swami Nath Prasad Roy, S.N.P. Roy, For the Appellant; Mr. S.K. Dwivedi, For the Respondent.

आदेश

यह अपील अभिधान (बेदखली) अपील सं॰ 12 वर्ष 1991 में अपर जिला न्यायाधीश, साहेबगंज द्वारा पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 17.11.1998 के निर्णय एवं दिनांक 27.11.1998 की डिक्री के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अभिधान वाद सं॰ 47 वर्ष 1987 के संबंध में पारित एवं हस्ताक्षरित निर्णय एवं डिक्री अपास्त कर दी गयी है तथा अपील अनुज्ञात की गयी है और अपीलार्थी/प्रतिवादी को निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर वादी को वाद परिसर का कब्जा परिदान करने का निर्देश दिया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिधान (बेदखली) अपील में पारित दिनांक 17.11.1998 के निर्णय की प्रमाणित प्रति में कुछ गलती के कारण अपील का वर्ष गलत रूप से अभिधान (बेदखली) अपील

सं॰ 12 वर्ष 1991 के बजाए अभिधान (बेदखली) अपील सं॰ 12 वर्ष 1998 के रूप में उल्लिखित किया गया था। अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा की गयी यह गलती अभिधान (बेदखली) अपील सं॰ 12 वर्ष 1991 के अभिलेख के परिशीलन से प्रकट एवं स्पष्ट है। इन परिस्थितियों में, द्वितीय अपील में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभिधान (बेदखली) अपील सं॰ 12 वर्ष 1991 एवं अभिधान वाद सं॰ 47 वर्ष 1987 को शासित करेगा।

2. अपीलार्थी प्रतिवादी था जबकि वर्तमान अपील में प्रत्यर्थी मूल वाद में वादी था।

वाद परिसर से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के लिए वादी द्वारा इस आधार पर वाद दाखिल किया गया था कि प्रतिवादीगण जुलाई, 1981 से दो लगातार माहों के लिए किराया का भुगतान करने में जानबूझकर विफल हुए थे और इसलिए उन पर किराया बकाया हो गया था और वे झारखंड मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2000 (संक्षेप में 'जे॰ बी॰ सी॰ अधिनियम') की धारा 11 (1) (d) के अधीन वाद परिसर से बेदखल किए जाने के दायी थे।

वाद लंबित रहने के दौरान, वादी ने प्रतिवादी सं॰ 1 नागरमल शर्मा का नाम विलोपित करने के लिए आवेदन दाखिल किया और इसे तद्नुसार दिनांक 14.2.1991 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था और तत्पश्चात अपीलार्थी एकमात्र प्रतिवादी बना रहा और वाद का प्रतिवाद किया।

3. वादपत्र के अनुसार, प्रतिवादी को वादपत्र की अनुसूची में पूर्णत: वर्णित चौक बाजार, सोहबगंज अवस्थित अग्रवाल माहेश्वरी खंडेलवाल पंचायत भवन के भूतल में स्थित दुकान सं॰ 12 में किराएदार के रूप में प्रवेश दिया गया था। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक उत्तरवर्ती माह के प्रथम सप्ताह में भुगतेय मासिक किराया 20/- रुपया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि प्रतिवादी ने वाद परिसर के किराया का भुगतान करने में उपेक्षा किया और वाद दाखिल किए जाने की तिथि तक जुलाई, 1981 के माह से किराया का भुगतान करने में जानबूझकर व्यतिक्रमी बन गया और इसलिए, प्रतिवादी जे॰ बी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 11 (1) (d) के अधीन वाद परिसर से बेदखल किए जाने का दायी बन गया। वाद दाखिल करने का वाद हेतुक दिनांक 1.10.1981 को उद्भूत हुआ जब दो लगातार माह के लिए विधित: किराया नहीं दिया गया था। वाद 960/- रुपयों पर मूल्यांकित किया गया था और किराया बकाया की वसूली के प्रयोजन से 720/- रुपए और प्रतिवादी की बेदखली के प्रयोजन से 20/- रुपया प्रतिमाह की दर से एक वर्ष के किराया के समतुल्य 240/- रुपए पर मूल्यांकित किया गया था और तद्नुसार न्यायालय फीस का भुगतान किया गया था और वाद परिसर से प्रतिवादी की बेदखली के लिए डिक्री, किराया बकाया एवं भावी किराया के लिए डिक्री और वाद दाखिल करने की तिथि से कब्जा पाने की तिथि तक अंत:कालीन लाभ के लिए डिक्री तथा वाद व्यय के लिए प्रार्थना की गयी थी।

4. प्रतिवादी ने उसमें यह कथन करते हुए लिखित बयान दाखिल किया है कि बेदखली वाद दाखिल करने के लिए वाद हेतुक कभी उद्भूत नही हुआ। वह व्यतिक्रमी कभी नहीं बना। वह वादी को नियमित रूप से किराया का भुगतान कर रहा था, जब वादी ने किराया लेने से इनकार किया, जुलाई, 1981 माह से मनी आर्डर द्वारा प्रतिवादी द्वारा इसे दिया गया था। वाद परिसर का किराया नियमित रूप से मनीआर्डर द्वारा दिया जाता था जिसे लेने से वादी नियमित रूप से इनकार करता था। तत्पश्चात, प्रतिवादी ने गृह नियंत्रक के समक्ष एच॰ आर॰ केस सं॰ 12 वर्ष 1983 दाखिल किया और अनुरोध किया कि वादी को किराया प्राप्त करने का निर्देश दिया जाए। उसी मामले में, दिनांक 6.2.1984 के आदेश द्वारा वादी को किराया प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था, किंतु इसका अनुपालन नहीं किया गया था और तत्पश्चात, प्रतिवादी को खजाना चालान द्वारा मासिक किराया जमा करने का निर्देश दिया गया था और तद्नुसार प्रतिवादी द्वारा इसका अनुसरण किया गया था और वह चालान द्वारा खजाना में किराया जमा कर रहा था।

5. दोनों पक्षों ने अपना साक्ष्य दिया और अपने अभिवचन के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किया। विद्वान उप न्यायाधीश, साहेबगंज ने वाद खारिज कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी व्यतिक्रमी नहीं था क्योंकि वह नियमित रूप से किराया दे रहा था। चूँकि वादी द्वारा दाखिल वाद दिनांक 27.7.1991 के निर्णय और अभिधान वाद सं॰ 47 वर्ष 1987 के संबंध में पारित एवं हस्ताक्षरित दिनांक 15.3.1991 की डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया था, वादी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अवर अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल किया। यह प्रतिवाद किया गया था कि जे॰ बी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 19 के अनुसार यदि मकानमालिक किराया प्राप्त करने से इनकार करता है, किराया देने का ढंग केवल मनीआर्डर है। चालान द्वारा खजाना में किराया जमा करने का प्रावधान नहीं है। भले ही गृह नियंत्रक के आदेश की दृष्टि में खजाना चालान द्वारा किराया जमा किया गया था, यह व्यतिक्रमी बनने से किराएदार को संरक्षित नहीं करेगा और वह जे॰ बी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 11 (1) (d) के अधीन बेदखल किए जाने का दायी होगा। विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने **''सदानंद दास बनाम मो॰ हुसैन'' मामले, 1986 BLJ 691 (SC)** और **''आर॰ मोदी बनाम हरिहर भगत'', 1963 BLJR 370** में निर्णय पर विश्वास किया।

6. चूँकि वादी अपील में सफल हुआ और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करवाया, प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल किया है जिसे विधि का सारवान प्रश्न विनिश्चित करने के लिए दिनांक 5.11.2004 को ग्रहण किया गया है:–

*^^D;k xg fu;=d d vkn'k d vu#i [ktkuk e fdjk,nkj vihykFkh }kjk tek fd, x, fdjk;k dk fdjk,nkj dk tkuc>dj 0;frØeh ugh vfHkfufèkkfjr dju d fy, oèk fufonku vfHkfuèkkfjr fd;k tk ldrk g vkj D;k vk{kfir fu.k; }kjk fopkj.k U;k;ky; d fu.k; ,o fMØh dk myVk tkuk fofèk e nf"kr gk x;k gA***

7. यह तर्क किया गया है कि विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने गलत रूप से विचारण न्यायालय का निर्णय उलट दिया है। विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि जुलाई, 1981 से प्रतिवादी मनीआर्डर द्वारा किराया दे रहा था और यह मई, 1984 तक जारी रहा और मनीआर्डर रसीदों को प्रदर्श D श्रृंखला के रूप में चिन्हित किया गया है। यदि ऐसा है, प्रतिवादी व्यतिक्रमी कभी नहीं बना और वह वाद परिसर से बेदखल किए जाने का दायी नहीं है और दिनांक 1.10.1981 के वाद के लिए वाद हेतुक उद्भूत नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने किराया देने के लिए कदम उठाया था और अपनी इच्छा दर्शाने के लिए उसने एच॰ आर॰ केस सं॰ 12 वर्ष 1983 के तहत गृह नियंत्रक के समक्ष याचिका दाखिल किया है। गृह नियंत्रक में दिनांक 6.2.1984 के आदेश के तहत वादी को किराया प्राप्त करने का निर्देश दिया था, किंतु इसका अनुपालन नहीं किया गया था, अत: प्रतिवादी को वैकल्पिक उपचार दिया गया था और उसे खजाना में चालान द्वारा किराया जमा करने का निर्देश दिया गया था और तद्नुसार वह खजाना में चालान के माध्यम से किराया जमा कर रहा था। अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि में संपोषणीय नहीं है और अपास्त किए जाने का दायी है।

8. दूसरी ओर, वादी जो इस अपील में प्रत्यर्थी है, के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि जे॰ बी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 19 (1) अत्यन्त स्पष्ट है जो किराएदार को पोस्टल मनीआर्डर द्वारा किराया प्रेषित करने का सुझाव देती है। वादी के विद्वान अधिवक्ता ने **''आर॰ मोदी बनाम हरिहर भगत'', 1963 BLJR 370,** में निर्णय के पैराग्राफ 2 एवं 3 पर तथा **''सदानंद दास बनाम मो॰ हुसैन'' 1986 BLJ 691 (SC),** में निर्णय के पैरा 6 पर विश्वास किया है।

9. दिनांक 5.11.2004 के आदेश से प्रतीत होता है कि विधि का निम्नलिखित सारवान प्रश्न विरचित किया गया है:–

*^^D;k fdjk;nkj&vihykFkh }kjk xg fu;=d d vkn'k d vu:i fdjk; dk [ktku e fd;k x;k fu{ki fdjk;nkj dk tkuc>dj 0;fDrØe dju okyk vfHkfuèkkfjr u dju d fy, oèk inku vfHkfuèkkfjr fd;k tk ldrk g rFkk D;k vk{kfir fu.k; }kjk fopkj.k U;k;ky; dk fu.k; rFkk fMØh dk myVko fofèk e nf"kr g**

उक्त के अतिरिक्त, नीचे उल्लिखित विधि का सारवान प्रश्न विरचित किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है:–

*^^D;k okn ifjlj l çfroknh dk cn[ky dju d fy, okn nkf[ky dju d fy, dkb okn grd fnukd 1.10.1981 dk tykb] 1981 ekg l yxkrkj nk ekg d fy, fdjk;k dk Hkxrku dju e tkuc>dj fd, x, 0;frØe d vkèkkj ij mnHkr gvk**

10. मैंने विचारण न्यायालय के अभिलेख और अवर अपीलीय न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया है। विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने प्रदर्श D श्रृंखला पर विचार नहीं किया था जो डाक मनी आर्डर रसीद हैं, जो उपदर्शित करते हैं कि जुलाई, 1981 माह से किराया डाक मनी आर्डर के रूप में नियमित रूप से दिया जा रहा था, किंतु वादी इसे प्राप्त करने से इनकार कर रहा था। इस प्रकार, प्रदर्श D श्रृंखला के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वाद दाखिल करने के लिए दिनांक 1.10.1981 को कोई वाद हेतुक उद्भूत नहीं हुआ और डाक मनी आर्डर के रूप में वाद परिसर के लिए नियमित रूप से किराया दिया जा रहा था जैसा जे॰ बी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 19 में प्रावधानित किया गया है। अत:, यह प्रकट है कि प्रतिवादी जानबूझकर व्यतिक्रमी नहीं था क्योंकि वह डाक मनी आर्डर द्वारा नियमित रूप से किराया दे रहा था। यह भी प्रतीत होता है कि जब डाक मनी आर्डर द्वारा किराया दिए जाने की प्रक्रिया लंबी अवधि तक जारी रही, प्रतिवादी ने एक अन्य कदम उठाया और गृह नियंत्रक के समक्ष आवेदन दाखिल किया और किराया का भुगतान करने में अपनी दिलचस्पी दिखायी। गृह नियंत्रक ने वादी को किराया प्राप्त करने का निर्देश दिया जिसे प्रतिवादी द्वारा डाक मनी आर्डर द्वारा दिया जा रहा था, किंतु इसका अनुपालन नहीं किया गया था। तत्पश्चात्, गृह नियंत्रक द्वारा दिनांक 6.2.1984 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को वैकल्पिक उपचार दिया गया था, और उसे खजाना में चालान द्वारा किराया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और तद्नुसार इसका अनुपालन किया गया था।

11. झारखंड मकान (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अधीन किराया नियंत्रक के समक्ष लायी गयी जाँच एवं कार्यवाही निश्चय ही न्यायिक कल्प कार्यवाही है और कार्यवाही के पक्षों से ऐसी कार्यवाही में नियंत्रक द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने की उम्मीद की जाती है।

12. अत:, वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों में किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में खजाना में प्रतिवादी/किराएदार द्वारा किराया जमा किए जाने को वैध निविदान के रूप में अभिनिर्धारित किया जा सकता है और उसे जानबूझकर व्यतिक्रमी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। मामला यह नहीं है कि मकानमालिक द्वारा किराया प्राप्त करने से इनकार करने के बाद किराएदार ने तुरन्त चालान द्वारा खजाना में किराया जमा करना शुरू किया अथवा व्यतिक्रमी बनने के बाद उसने गृह नियंत्रक से अनुमति इप्सित किया और खजाना में किराया जमा करने लगा बल्कि मामला यह है कि प्रतिवादी–किराएदार जे॰ बी॰ सी॰ अधिनियम की धारा 19 (1) के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान का अनुपालन कर रहा था और वह डाक मनी आर्डर के रूप में किराया दे रहा था, विशेषत: उस अवधि के लिए जिसके

लिए वाद पत्र में वाद हेतुक उपदर्शित किया गया है। तथ्य जो वर्तमान मामले में उपलब्ध हैं, उन मामलों में उपलब्ध नहीं थे जिन्हें प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया है।

13. तथ्यों एवं ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में अभिधान (बेदखली) अपील सं॰ 12 वर्ष 1991 में अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री संपोषित नहीं किया जा सकता है और इसे एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एतद् द्वारा अभिपुष्ट की जाती है और तदनुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o vferko dekj xlrk] U;k;efrx.k

ठाकुर ओराँव

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 894 of 2002. Decided on 26th March, 2014.

सत्र विचारण सं॰ 675/1997 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोहरदग्गा द्वारा पारित दिनांक 10.10.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 134—गवाहों की संख्या–गवाहों की बहुलता एवं विविधता नहीं बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता अर्थपूर्ण है–यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना है न कि गिना जाना और दोषसिद्धि एकमात्र चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर आधारित हो सकती है यदि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति स्वाभाविक है और उसका परिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है। (पैरा 10)

(ख) दांडिक विधि–साक्ष्य का अधिमूल्यन–चिकित्सीय साक्ष्य–डॉक्टर जिसने शव परीक्षण किया ने अभिसाक्ष्य दिया कि उपहतियाँ मृत्यु पूर्व थी, मृत्यु के समय से बीता समय 24 घंटे के भीतर था और मृत्यु का कारण तेज धारदार एवं भारी हथियार टांगी द्वारा ब्रेन को कारित उपहति के कारण आघात एवं हेमरेज था–मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित उपहति शव परीक्षण रिपोर्ट द्वारा संपुष्ट। (पैरा 11)

(ग) दांडिक विधि–साक्ष्य का अधिमूल्यन–हितबद्ध गवाह–अपीलार्थी का अभिवचन कि समस्त अभियोजन गवाह हितबद्ध थे क्योंकि वे इसाई धर्म के अनुयायी थे और अभियोजन के मामले का समर्थन करने के लिए स्थानीय क्षेत्र के स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया था–अभिनिर्धारित, अ॰ सा॰ 7 एवं 8 घटना के समकालीन गवाह थे और उन्हें सूचक द्वारा बताया गया था कि इस अपीलार्थी ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ उस पर प्रहार किया था–इस बिंदु पर सूचक का परिसाक्ष्य अधिक्षेपित नहीं किया गया कि अपीलार्थी टांगी से लैस था और टांगी से मृतक के सिर पर प्रहार किया था और चिकित्सीय साक्ष्य तेज धारवाले हथियार द्वारा प्रहार का तथ्य संपुष्ट करता है और उक्त उपहति के कारण मृत्यु हुई थी–अभिनिर्धारित, अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप स्थापित करने में सक्षम हुआ है–अपील खारिज। (पैराएँ 12 से 15)

अधिवक्तागण.–Mr. Ajay Kr. Pathak, For the Appellant; Mr. V.S. Sahay, For the State.

अमिताव कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति.–यह अपील सत्र विचारण सं॰ 675/1997 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोहरदग्गा द्वारा पारित दिनांक 10.10.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा॰ दं॰ सं॰) की धारा 302 सह–पठित धारा 149 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था और 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

2. सूचक भैरो बारा (अ॰ सा॰ 13) के फर्दबयान में वर्णित अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 3.6.1997 को संध्या 6 से 8 बजे के बीच मंगल पन्ना (मृतक), अनूप पन्ना, हलन पन्ना (अ॰ सा॰ 1) परिवार के सदस्यों के साथ चेंगई सभा में भाग लेने आए थे। सभा के समापन के बाद सूचक भैंरो बारा (अ॰ सा॰ 13), मंगल पन्ना (मृतक) अनूप पन्ना एवं विसेंट कुजूर (अ॰ सा॰ 7) घर के बाहरी बरामदे में सो रहे थे और पीटर कुमार (अ॰ सा॰ 12), फादर कॉर्लेनियस, जेम्स, सूचक की पत्नी मंगरी बारा, सूचक की बहु पचोला बारा (अ॰ सा॰ 2), साटिन टोप्पो (अ॰ सा॰ 8), जुंगा कुजूर, स्वर्गीय मंगल पन्ना (मृतक) की पत्नी सुशीला पन्ना (अ॰ सा॰ 5) घर के अंदर सो रहे थे। यह अभिकथित किया गया है कि मध्य रात्रि अर्थात् 12 बजे ठाकुर ओराँव टांगी से लैस होकर धारू ओराँव, बसुआ ओराँव, तिवारी ओराँव, छोट्या ओराँव, बिरसू ओराँव एवं त्रिपुरारी साव, समस्त लाठी से लैस, और लाठी, डंडा, टांगी से लैस 150-200 व्यक्तियों की भीड़ के साथ नारा लगाते आए। यह कथन किया गया है कि ठाकुर ओराँव ने मंगल पन्ना के विरुद्ध अभिकथन किया कि वह इसाई धर्म का प्रचारक था और टांगी से मंगल पन्ना के मस्तक पर प्रहार किया जिस कारण मंगल पन्ना गिर गया और भीड़ के अन्य सदस्यों ने लाठी से मंगल पन्ना पर प्रहार किया कि ठाकुर ओराँव ने टांगी से उसके (सूचक) मस्तक पर प्रहार किया और उसकी हत्या करने की धमकी दी; कि धारु ओराँव ने उसकी पीठ पर लाठी से प्रहार किया और अन्य व्यक्तियों ने विन्सेन्ट कुजूर (अ॰ सा॰ 7) एवं अनूप पन्ना पर प्रहार किया। यह कथन किया गया है कि सूचक प्रहार के कारण मूर्छित हो गया और जब उसे होश आया, उसने विन्सेन्ट कुजूर, अनूप पन्ना एवं मंगल पन्ना को गंभीर रूप से घायल पाया और मंगल पन्ना बेहोश पड़ा था। कि मंगल पन्ना को घर के अंदर लाया गया था जहाँ प्रातः उसकी मृत्यु हो गयी; कि अनूप पन्ना एवं अन्य रात ही में इलाज के लिए लोहरदग्गा चले गए।

3. उक्त फर्दबयान के आधार पर दिनांक 5.6.1997 को किस्को पी॰ एस॰ केस सं॰ 29/1997 कर्ज किया गया था। एस॰ आई॰ श्री सतानंद सिंह द्वारा अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के दौरान मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 5) तैयार की गयी थी। मंगल पन्ना का मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा गया था और गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे जिसके बाद भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा॰ दं॰ सं॰) की धाराओं 148, 149, 324, 307 एवं 302 के अधीन आरोप–पत्र दाखिल किया गया था और तद्नुसार संज्ञान लिया गया था और विचारण के लिए मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था।

सात अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे जिसके प्रति उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण का दावा किया।

4. अभियोजन ने कुल 15 गवाहों अर्थात् हलन पन्ना (अ॰ सा॰ 1), पचोला बारा (अ॰ सा॰ 2), जासमीन कुजूर (अ॰ सा॰ 3), सरिता टोप्पो, (अ॰ सा॰ 4), सुशीला पन्ना (अ॰ सा॰ 5), आभा कुजूर (अ॰ सा॰ 6), विन्सेन्ट कुजूर (अ॰ सा॰ 7), सारिन टोप्पो (अ॰ सा॰ 8), बालेश्वर कुजुर (अ॰ सा॰ 9), मिस्सी टोप्पो (अ॰ सा॰ 10), बेला कच्छप (अ॰ सा॰ 11), पास्टर पीटर कुमार (अ॰ सा॰ 12), भैरो बारा (अ॰ सा॰ 13), डॉ॰ बी॰ के॰ पांडे (अ॰ सा॰ 14), सतानंद सिंह (अ॰ सा॰ 15) का परीक्षण किया।

अभियोजन साक्ष्य बंद करने पर, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण के बयान दर्ज किए गए थे और बचाव पूरे इनकार का है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सत्र न्यायाधीश लोहरदग्गा ने सात अभियुक्तगण में से छह को दोषमुक्त किया और अपीलार्थी ठाकुर ओराँव को पूर्वोक्त आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा दोषसिद्ध किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का अन्य बातों के साथ इस आधार पर विरोध किया है कि विचारण न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा कि अभियोजन आपराधिक मन: स्थिति अथवा हत्या के हेतु सिद्ध नहीं कर सका था; कि यह एकल वार के कारण आपराधिक मानव वध का मामला है और भले ही अभियोजन मामले को सत्य मानकर विश्वास किया जाता है, तब भी अधिकाधिक अपीलार्थी भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध का दोषी है और न कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए। आगे यह निवेदन किया गया है कि अवर न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा कि अ॰ सा॰ 13 अर्थात् सूचक की उपहति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी थी और घायल उदय अनूप पन्ना का परीक्षण भी नहीं किया गया था और अभियोजन ने तात्विक साक्ष्य का दमन किया है जो अभियोजन मामले पर संदेह उत्पन्न करता है; कि अ॰ सा॰ 13 का परिसाक्ष्य अन्य गवाहों द्वारा समर्थित नहीं है; कि फर्दबयान के मुकाबले अ॰ सा॰ 13 के अभिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है जो इस तथ्य का उपदर्शक है कि अ॰ सा॰ 13 घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने अपने प्रति परीक्षण के पैरा 17 में स्वीकार किया है कि उदय अनूप पन्ना का फर्दबयान लोहरदग्गा पुलिस द्वारा उसको सौंपा गया था। इस प्रकार, अ॰ सा॰ 13 के बयान को प्राथमिकी के रूप में नहीं माना जा सकता है बल्कि उसका बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 162 के प्रावधानों द्वारा हिट होता है और अभियोजन ने वास्तविक प्राथमिकी का दमन किया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 2004 (4) JLJR 144 में प्रकाशित निर्णय पर विश्वास किया है। तर्क के क्रम में उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि 2011 (1) JLJR 231 में प्रकाशित निर्णय के निबंधनानुसार साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (g) के अधीन प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। यह निवेदन भी किया गया है कि समस्त गवाह हितबद्ध हैं क्योंकि वे इसाई धर्म के अनुयायी हैं और अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए स्थानीय क्षेत्र के किसी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है। उक्त आधारों पर यह प्रतिवाद किया गया है कि आक्षेपित निर्णय विधि में अथवा तथ्यों पर संपोषणीय नहीं है।

6. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने तर्क किया है कि अ॰ सा॰ 7 विंसेंट कुजूर और अ॰ सा॰ 13 सूचक घायल चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन किया है और स्वतंत्र गवाह अ॰ सा॰ 9 बालेश्वर कुजूर ने अ॰ सा॰ 7 एवं 13 के परिसाक्ष्य को संपुष्ट किया है। अन्वेषण अधिकारी ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उदय अनूप पन्ना का फर्दबयान प्रात: 9.15 बजे लोहरदग्गा पी॰ एस॰ के पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था जबकि आई॰ ओ॰ ने किस्को जहाँ घटना हुई थी में प्रात: 5 बजे अ॰ सा॰ 14 का फर्दबयान दर्ज किया। इस प्रकार, सूचक का फर्दबयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 162 के प्रावधानों द्वारा हिट नहीं होता है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अ॰ सा॰ 3 सूचक एवं अ॰ सा॰ 7 का चिकित्सीय रूप से परीक्षण किया गया था और उनकी उपहति रिपोर्ट तैयार की गयी थी जैसा अन्वेषण अधिकारी (अ॰ सा॰ 15) द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है। सूचक और स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है और विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सही प्रकार से साक्ष्य एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है; अत: अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का अधिमूल्यन करने के लिए अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का विश्लेषण करना प्रासंगिक है। स्वीकृत रूप से, अ॰ सा॰ 15 अन्वेषण अधिकारी ने उदय अनूप पन्ना

का बयान प्राप्त किया था जिसे लोहरदग्गा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। अ॰ सा॰ 15 ने परिसाक्ष्य दिया है कि उदय अनूप पन्ना का उक्त बयान उसके द्वारा सदर अस्पताल, लोहरदग्गा में प्रात: 9.15 बजे प्राप्त किया गया था। किंतु, अ॰ सा॰ 15 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 5.6.1997 को प्रात: 4.15 बजे दो समुदायों के बीच घातक झगड़े के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर उसने स्टेशन डायरी में प्रविष्टि किया और सूचना की सत्यता के सत्यापन के लिए अग्रसर हुआ। वह गाँव चरहू के निकट पहुँचा और उसने अ॰ सा॰ 13 एवं अन्य घायल गवाहों को मंगल पन्ना का मृत शरीर लोहरदग्गा ले जाते देखा। अ॰ सा॰ 15 ने परिसाक्ष्य दिया कि उसने ग्राम चरहू में प्रात: 5 बजे अ॰ सा॰ 13 भैरो बारा का बयान दर्ज किया और मामला दर्ज करने के लिए बयान को किस्को पी॰ एस॰ भेजा और अन्वेषण शुरू किया। यह स्पष्ट है कि अ॰ सा॰ 15 ने दिनांक 5.6.1997 को प्रात: 5 बजे अ॰ सा॰ 13 का बयान दर्ज किया था जबकि उसने प्रात: 9.15 बजे लोहरदग्गा पुलिस द्वारा दर्ज उदय अनूप पन्ना का बयान प्राप्त किया था। यह प्रकट है कि लोहरदग्गा पी॰ एस॰ के प्रभारी–अधिकारी द्वारा दर्ज उदय अनूप पन्ना के बयान की प्राप्ति के पहले अ॰ सा॰ 15 द्वारा अ॰ सा॰ 13 का बयान दर्ज किया गया था। यह स्पष्ट है कि अ॰ सा॰ 15 ने घटना का विवरण देने वाले अ॰ सा॰ 13 की सूचना के आधार पर पहले ही अन्वेषण शुरू कर दिया था। अ॰ सा॰ 15 ने परिसाक्ष्य दिया है कि उसने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन उदय अनूप पन्ना का बयान दर्ज किया था और उक्त बयान केस डायरी के पैरा 18 में सम्मिलित किया गया है। सामने आने वाले परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि लोहरदग्गा पुलिस द्वारा दर्ज उदय अनूप पन्ना का बयान अ॰ सा॰ 15 द्वारा अन्वेषण शुरू करने के बाद प्राप्त किया गया था। तद्नुसार, ऐसे बयान को प्राथमिकी नहीं कहा जा सकता है बल्कि ऐसा बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज बयान के रूप में माना जा सकता है। यह गौर करना उपयुक्त है कि घटना किस्को पी॰ एस॰ की अधिकारिता के अंतर्गत हुई थी और अ॰ सा॰ 15 किस्को पी॰ एस॰ का प्रभारी अधिकारी था। इसके अतिरिक्त, वह इस तथ्य को पहले से ही देख अथवा जान नहीं सकता था कि उदय अनूप पन्ना का बयान लोहरदग्गा पी॰ एस॰ के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। इस प्रकार, घटनाक्रम के मुताबिक, रिपोर्ट जिसे अ॰ सा॰ 15 के अन्वेषण शुरू करने के बाद प्राप्त किया गया था, प्राथमिकी के रूप में नहीं माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाया है कि किस प्रकार उदय अनूप पन्ना के बयान के दमन ने इस तथ्य की दृष्टि में कि अ॰ सा॰ 15 ने स्वीकार किया है, जैसा ऊपर गौर किया गया है, कि उसने केस डायरी के पैरा 18 में उदय अनूप पन्ना का बयान दर्ज किया था, अभियोजन को लाभ पहुँचाया था अथवा बचाव पर प्रतिकूलता कारित किया था। तद्नुसार, विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद विधि में अथवा तथ्यों पर संपोषणीय नहीं है।

8. विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का उत्तर **जहीरुद्दीन बनाम सम्राट, AIR 1947 Privy Council 75** में निर्णय को निर्दिष्ट करके एक अन्य कोण से भी दिया जा सकता है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गवाह, जिसने पुलिस को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर किया और जिसे लेखबद्ध किया गया था, का साक्ष्य दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 162 के अधीन हिट नहीं होता है अथवा स्वयं अग्राह्य नहीं बन जाता है जब तक गवाह अपनी याददाश्त ताजा नहीं करता है अथवा न्यायालय में मुख्य परीक्षण किए जाने पर अथवा परिसाक्ष्य देते हुए बयान का तात्विक उपयोग नहीं करता है। वर्तमान मामले में, यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि सूचक अर्थात् अ॰ सा॰ 13 ने अपनी याददाश्त ताजा किया था अथवा न्यायालय में परीक्षण किए जाते हुए बयान का तात्विक उपयोग किया था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद, भले ही इसे इस आधार पर स्वीकार किया जाता है, आधारहीन है और अ॰ सा॰ 13 का साक्ष्य अग्राह्य नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार तद्नुसार तर्क का उत्तर दिया जाता है। परिणामस्वरुप, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 154 के निबंधनानुसार

अ॰ सा॰ 13 का बयान दर्ज किया गया है और यह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 162 के प्रावधानों द्वारा हिट नहीं होता है, तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों का निर्णयाधार वर्तमान मामले के सामने आए मोटे लक्षणों पर विचार करते हुए प्रयोज्य नहीं है।

9. विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कि घायल उदय अनूप पन्ना का गैर परीक्षण अभियोजन मामले की विश्वसनीयता के प्रति संदेह उत्पन्न करता है, कुस्थापित है। वस्तुत:, उदय अनूप खन्ना के परीक्षण ने अभियोजन मामले को मजबूत किया होता। यह स्पष्ट है कि अभियोजन, अन्वेषण अधिकारी एवं विचारण न्यायालय घायल गवाह के गैर-प्रस्तुतीकरण के पहलू पर सतर्क नहीं थे। किंतु चूक अथवा अनियमितता किसी रूप में अभियोजन मामले को अविश्वसनीय नहीं बनाती है अथवा भंजित नहीं करती है।

10. विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि परीक्षण किए गए गवाह हितबद्ध गवाह हैं क्योंकि वे धर्म-विशेष के अनुयायी हैं, गलत है क्योंकि अभियोजन का मामला यह है कि सूचक सहित समस्त गवाह 'चेंगई सभा' में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे और बैठक के भागीदारों के रूप में घटनास्थल पर इन गवाहों की उपस्थिति स्वाभाविक थी। इसी प्रकार, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि सिवाए अ॰ सा॰ 13 के किसी गवाह ने अपीलार्थी को हमलावर के रूप में नामित नहीं किया है, भी कुस्थापित है क्योंकि हमारे विधिक प्रणाली में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के मुताबिक साक्ष्य अथवा गवाह की मात्रा अथवा संख्या तात्विक नहीं है बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता तात्विक है। यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना है और न कि गिना जाना है और एकमात्र चश्मदीद गवाह के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है यदि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति स्वाभाविक है और उसका परिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है और विश्वास उत्पन्न करता है।

11. चिकित्सीय साक्ष्य अर्थात् शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 3) के परीक्षण पर अ॰ सा॰ 14 डॉ॰ बी॰ के॰ पांडे जिन्होंने शव परीक्षण किया ने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने निम्नलिखित मृत्यु पूर्व उपहतियों को पाया:-

(i) 3" x 2" x vfLFk rd xgjk eki oky ck, dku d 4" Åij ck, ifj;Vy {k= ij dVu dh migfrA

(ii) ck, ifj;Vy vfLFk dk ÝDpj

(iii) nk, Ldiyj {k= ij 4" x 1" dk [kjkp

(iv) ck; Ldiyj {k= ij 4" × 1" dk [kjkpA

(v) dèk d tkM d 3" uhp ck, mijh ckg ij 3" x 1" dk [kjkpA

(vi) ck, fupyh iyd ij 1" x 1/4" x 1/4" dk [kjkpA

डॉक्टर के मत में, मृत्यु से बीता समय 24 घंटे के भीतर था और मृत्यु का कारण तेज एवं भारी काटने वाले हथियार टांगी द्वारा ब्रेन की उपहति के कारण आघात एवं हेमरेज था। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 5) में उल्लिखित उपहति शव परीक्षण रिपोर्ट द्वारा संपुष्ट की गयी है। यह स्पष्ट है कि मृतक की मानव वध मृत्यु हुई।

12. सूचक अ॰ सा॰ 13 के अनुसार यह कथन किया गया है कि घटना के दिन पर वह मंगल पन्ना (मृतक), अ॰ सा॰ 7 (विंसेंट कुजूर) एवं उदय अनूप पन्ना के साथ बाहर सो रहा था और अन्य अ॰ सा॰ जिन्होंने चेंगई सभा में भाग लिया था घर के अंदर सो रहे थे। कि नारा लगा रहे 250 लोगों की भीड़ आयी और अपीलार्थी टांगी से लैस था और अन्य सह-अभियुक्त ठाकुर ओराँव, छोटेया ओराँव, बिरसू ओराँव, धारु ओराँव एवं तिवारी ओराँव लाठी से लैस थे। इस अपीलार्थी ने मंगल पन्ना पर प्रहार किया जो गिर

गया और जब वह मंगल पन्ना की मदद करने गया, अपीलार्थी ने उस पर भी प्रहार किया। कि जब भीड़ चली गयी, तब वह मंगल पन्ना को घर के अंदर लाया और प्रात: 4 बजे मंगल पन्ना की मृत्यु हो गयी कि जब वे प्रात: अस्पताल जा रहे थे, वे प्रभारी अधिकारी से मिले और घटना बताया जिसे प्रभारी अधिकारी द्वारा लिखा गया था। उसका विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षण किया गया था किंतु अ॰ सा॰ 13 के पसिाक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए अभिलेख पर तात्विक विरोधाभास नहीं लाया गया है। अ॰ सा॰ 9 बालेश्वर कुजूर ने भी कथन किया है कि उस दिन वह चेंगई सभा में भाग लेने के लिए अ॰ सा॰ 13 के घर में था और उस दिन मंगल पन्ना की हत्या की गयी थी। पैरा 9 में उसने कथन किया है कि इस अपीलार्थी ने मंगल पन्ना पर प्रहार किया था और जब वे मृतक को अस्पताल ले जा रहे थे, वे पुलिस से मिले और पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था। कि उसने पंचनामा (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) पर हस्ताक्षर भी किया था। प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि अ॰ सा॰ 13 ने उसे बताया था कि अपीलार्थी ने मृतक के मस्तक पर प्रहार किया था।

13. अ॰ सा॰ 7 के अनुसार वह अ॰ सा॰ 13, अनूप पन्ना और मंगल पन्ना (मृतक) के साथ घर के बाहर सो रहा था जब 200-250 लोगों की भीड़ 'जय सरना' चिल्लाते हुए आए और वे टांगी तथा लाठी से लैस थे। मंगल पन्ना के मस्तक पर प्रहार किया गया था। कि अ॰ सा॰ 13 ने उसे अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तगण का नाम हमलावर के रूप में बताया था। उसका भी विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षण किया गया था किंतु उसके बयान पर अविश्वास करने के लिए अभिलेख पर तात्विक विरोधाभास नहीं लाया गया है।

इसी प्रकार से, अ॰ सा॰ 8 ने कथन किया है कि वह भी चेंगई सभा में भाग लेने के लिए अ॰ सा॰ 13 के घर आया था। उसका साक्ष्य अ॰ सा॰ 7 के परिसाक्ष्य के साथ संगत है।

14. ये गवाह घटना के समकालीन गवाह हैं और उन्हें सूचक द्वारा बताया गया था कि इस अपीलार्थी ने अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ उस पर अ॰ सा॰ 7 तथा मंगल पन्ना एवं अनूप पन्ना पर प्रहार किया था।

अ॰ सा॰ 15 अन्वेषण अधिकारी है और उसका विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षण किया गया है किंतु कोई तात्विक विरोधाभास सामने नहीं लाया गया है बल्कि उसने कथन किया है कि अ॰ सा॰ 13 ने उसे बताया था कि इस अपीलार्थी ने मंगल पन्ना (मृतक) के मस्तक पर प्रहार किया था। कि उसने घायल को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा था किंतु अन्वेषण अधिकारी, अभियोजक ने घायल सूचक एवं अन्य घायल की उपहति रिपोर्ट सामने नहीं लाया था। किंतु, सूचक का परिसाक्ष्य इस बिंदु पर अधिक्षेपित नहीं किया गया है कि यह अपीलार्थी टांगी से लैस था और टांगी से मृतक के मस्तक पर प्रहार किया था और चिकित्सीय साक्ष्य तेज धार वाले हथियार द्वारा प्रहार का तथ्य संपुष्ट करता है और मृत्यु उक्त उपहति के कारण हुई थी।

15. ऊपर की गयी चर्चा और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की दृष्टि में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियोजन ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन मृतक मंगल पन्ना की हत्या करने के लिए अपीलार्थी, ठाकुर ओराँव के विरुद्ध आरोप स्थापित करने में सक्षम हुआ है। किंतु भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन अवर न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि का आदेश समुचित नहीं है क्योंकि अन्य सह-अभियुक्तगण दोषमुक्त किए गए हैं, तद्नुसार अनियमितता एतद् द्वारा सही की जाती है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी/अभियुक्त की दोषसिद्धि संपुष्ट की जाती है।

16. परिणामस्वरुप, अपील खारिज की जाती है।

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

अजित सिंह उर्फ टोनी

cuke

बिहार राज्य अब झारखंड

Criminal Appeal (S.J.) No. 335 of 2000(R). Decided on 14th January, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 632 वर्ष 1991 के संबंध में विद्वान अष्टम अपर न्यायिक आयुक्त, राँची द्वारा पारित दिनांक 7.8.2000 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 14.8.2000 के दंडादेश के विरुद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 376(2)(g), 366, 323—सामूहिक बलात्कार–जुर्माना के साथ 10 वर्षों के लिए दोषसिद्धि एवं दंडादेश–पीड़िता ने उस चरण से सजीव चित्रण दिया जब वह प्रातः राँची जाने के लिए टाटा में बस पर चढ़ी थी और काँटाटोली पहुँचने पर बस से उतरने के बाद राँची विश्वविद्यालय जाने के लिए टेम्पो पर चढ़ी और राँची में विभिन्न गलियों में भटकने के बाद एक घर के सामने टेम्पो रूका जहाँ कोई सरदारजी रहते थे–टेम्पो चालक ने पीड़िता को कमरे में खींचा जहाँ एक के बाद एक उसका बलात्कार किया था–पीड़िता युवती ने अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्टतः कथन किया है कि उसे घर में ले जाया गया था और वहाँ निर्वस्त्र किया गया था और अपीलार्थी तथा अन्य सह अभियुक्तों द्वारा एक के बाद एक यौन संभोग के अध्यधीन किया था–पीड़िता ने न्यायालय में अभियुक्तों को पहचाना–कोई पीड़िता लंबे अंतराल के बाद भी उस व्यक्ति का चेहरा नहीं भूल सकती है जिसने उसका बलात्कार किया था–अपीलार्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि क्यों अभियोक्त्री ने उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्य दिया था और उसे ऐसे जघन्य अपराध में अंतर्ग्रस्त किया था–अभियुक्त की सदोषता की जाँच करते हुए जिसे जाँचने की आवश्यकता थी, वह अभियोक्त्री की विश्वसनीयता थी। (पैराएँ 12, 13, 16 एवं 18)

(ख) दांडिक विधि–चिकित्सीय साक्ष्य–अधिमूल्यन–अगर चिकित्सीय साक्ष्य अभियोक्त्री का विवरण संपुष्ट नहीं करता है, तब भी अभियोक्त्री का साक्ष्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता है यदि इसे कलंकों से मुक्त पाया गया था–अभियोक्त्री का विवरण समुचित सम्मान दिए जाने एवं स्वीकार किए जाने योग्य है जब तक इसे अत्यधिक अनधिसंभाव्य नहीं पाया जाता है–अभिनिर्धारित, अपील गुणागुण रहित होने के कारण तद्नुसार खारिज। (पैराएँ 14 से 17)

निर्णयज विधि.–AIR 1983 SC 753—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Awnish Shankar, Amicus Curiae, For the Appellant; Mr. K.K. Mishra, A.P.P., For the State.

निर्णय

अपीलार्थी अजित सिंह उर्फ टोनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (g) और धारा 366 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और प्रत्येक आधार पर दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया और आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और पीड़िता सूचक को भुगतान किए जाने के लिए 2000/- रुपए के जुर्माना के साथ एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया।

2. वर्तमान अपीलार्थी का दो अन्य अभियुक्तगण अर्थात् सोनी कुमार अजवानी उर्फ सोनी उर्फ गुरुचरण सिंह और जसवंत सिंह के साथ उक्त मामले में विचारण किया गया था और विचारण के बाद जसवंत सिंह को दोषमुक्त किया गया था किंतु सोनी कुमार अजवानी उर्फ सोनी उर्फ गुरुचरण सिंह एवं वर्तमान अपीलार्थी को पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्ध किया गया था। पूर्वोक्त सोनी कुमार अजवानी उर्फ सोनी उर्फ गुरुचरण सिंह ने पृथक रूप से अपील दाखिल किया था किंतु अपील लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी और इस प्रकार उसकी अपील उपशमनित हो गयी।

3. अभियोजन मामला जो दिनांक 25.6.1991 को सायं 6.30 बजे अभियुक्तों में से एक सोनी उर्फ गुरुचरण सिंह के घर में घटनास्थल अर्थात् उत्तरी समाज स्ट्रीट, थरपकना में लोअर बाजार पुलिस थाना के ए॰ एस॰ आई॰ द्वारा दर्ज सूचक पूनम कुमारी (देवी) के फर्दबयान पर आधारित है, संक्षेप में यह है कि दिनांक 25.6.1991 को सूचक राँची विश्वविद्यालय से अपना मूल बी॰ एस॰ सी॰ परीक्षा प्रमाण पत्र लेने के लिए जमशेदपुर से राँची आयी। वह प्रातः लगभग 10-11 बजे काँटा टोली, राँची में बस से उतरी और BIN 9506 नंबर वाले टेम्पो पर चढ़ी। उक्त टेम्पो चालक ने अन्य यात्रियों को उतारने के बाद उसे राँची विश्वविद्यालय ले जाने के बहाने विभिन्न गलियों में अपना टेम्पो चलाता रहा और पूछे जाने पर चालक ने सूचक से परेशान नहीं होने के लिए कहा क्योंकि राँची विश्वविद्यालय काफी दूर है। अनेक गलियों में घूमने के बाद टेम्पो चालक ने एक व्यक्ति जो साइकिल पर था को अपने साथ चलने के लिए कहा और उक्त व्यक्ति को सूचित किया कि महिला सवार अर्थात् सूचक राँची विश्वविद्यालय जाएगी। उक्त व्यक्ति ने निकट के दुकान में अपना साइकिल छोड़ दिया और टेम्पो चालक के बगल में बैठ गया और वह टेम्पो चालक को सोनी बुलाता था और वे पंजाबी में बात रह रहे थे। कुछ समय बाद टेम्पो चालक ने अपने दोस्त को छोड़ दिया। जब टेम्पो चालक ने एक घर के सामने अपना वाहन रोक दिया, उसे पता चला कि उक्त घर राँची विश्वविद्यालय नहीं था। पूछने पर टेम्पो चालक ने सूचित किया कि राँची विश्वविद्यालय का कर्मचारी जो अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करता है उसके घर में रहता है। यह भी अभिकथित किया गया है कि तत्पश्चात टेम्पो चालक ने उसको घर के कमरे में खींच लिया। जहाँ पगड़ी पहना एक सरदार जी पहले से ही वहाँ खड़ा था। जब सूचक ने शोर मचाने का प्रयास किया, टेम्पो चालक द्वारा छुरा मारने की धमकी उसे दी गयी थी और तत्पश्चात् टेम्पो चालक तथा सरदार जी जो पहले से वहाँ था, उसको जमीन पर पड़े तोशक पर गिरा दिया। यह भी अभिकथित किया गया है कि टेम्पो चालक ने उसका मुँह दबा दिया था और उसको निर्वस्त्र करने के बाद सरदार ने उसका बलात्कार किया और तत्पश्चात टेम्पो चालक ने भी चाकू एवं रिवाल्वर की नोंक पर उसका बलात्कार किया। उन्होंने उसकी साड़ी, साया एवं ब्लाउज को शौचालय के सामने फेंक दिया था और उसे कमरे में बंद कर दिया था और चले गए थे। सूचक रोने लगी और दरवाजा खोलने का प्रयास करने लगी और छिटकनी खुल गयी। सूचक ने वहाँ पड़े गद्दे में स्वयं को लपेटने के बाद घर की ऊपरी मंजिल पर गयी और रहने वालों को घटना बताया किंतु उन्होंने उसे अनदेखा किया। तत्पश्चात् वह रोड पर आने के लिए जब घर के गलियारे से गुजर रही थी, उसने शौचालय के सामने अपनी साड़ी, साया एवं ब्लाउज पाया जिसे उसने पहन लिया और सड़क पर आ गयी। गुजरने वालों ने उसका रोना सुनने के बाद पुलिस को सूचित किया और जब पुलिस आयी उसने पूरी घटना का विवरण दिया।

4. पुलिस ने अन्वेषण के दौरान गवाहों का बयान दर्ज किया, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज करवाया, उसके परीक्षण के लिए उसे डॉक्टर को निर्दिष्ट किया, अभिकथित तोशक, धब्बे के साथ एक चादर, कुछ धब्बों वाला नीला अंडरवियर और अभियुक्त

सोनी कुमार अजवानी उर्फ सोनी उर्फ गुरुचरण सिंह के घर के अभिकथित कमरे से एक चाकू जब्त किया और BIN 9506 नंबर वाला अभिकथित टेम्पो भी जब्त किया जो घटनास्थल के बाहर खड़ा था।

5. अन्वेषण पूरा करने के बाद, पुलिस ने वर्तमान अपीलार्थी एवं दो अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363, 366, 376, 342 एवं 307/34 के अधीन इस अपीलार्थी अजित सिंह उर्फ टोनी तथा एक अन्य अभियुक्त सोनी कुमार अजवानी उर्फ सोनी उर्फ गुरुचरण सिंह के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे। अपीलार्थी ने निर्दोषिता का अभिवचन किया और कथन किया कि उसे इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है।

6. विचारण जो अनुसरित हुआ में अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में पीड़िता युवती (अ॰ सा॰ 8) डॉ॰ (श्रीमती) रीता लाल अ॰ सा॰ 7 एवं आई॰ ओ॰ अजय कुमार वर्मा अ॰ सा॰ 9 सहित दस गवाहों का परीक्षण किया। यद्यपि अभियोजन ने अ॰ सा॰ 1 श्यामदेव प्रसाद, अ॰ सा॰ 2 बरुण रॉय, अ॰ सा॰ 3 मो॰ कालिम, अ॰ सा॰ 4 मो॰ नसीम खान, अ॰ सा॰ 5 मो॰ हलीमुद्दीन, अ॰ सा॰ 6 विजय कुमार ठाकुर और अ॰ सा॰ 10 जितेन्द्र पांडे का परीक्षण किया है किंतु उन सबों को पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

अभियोजन ने चाक्षुक साक्ष्य के अतिरिक्त प्रदर्श 1 के रूप में दिनांक 27.6.1991 का पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट, प्रदर्श 2 एवं 3 के रूप में क्रमशः एक्सरे प्लेट एवं एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श 4 के रूप में सूचक पूनम कुमारी का फर्द बयान और प्रदर्श 4/1 के रूप में फर्दबयान पर उसका हस्ताक्षर, प्रदर्श 5 के रूप में औपचारिक प्राथमिकी, वीर्य जैसे धब्बे के साथ एक तोशक, एक चादर, एक नीले अंडरवियर और वीर्य जैसे धब्बे के साथ एक सफेद चादर की जब्ती दर्शाते प्रदर्श 6 के रूप में दिनांक 25.5.1991 की अधिग्रहण सूची और हिंदी समाचार पत्र 'आज' के सब-एडिटर नरेन्द्र कुमार पांडे, गवाहों में से एक का हस्ताक्षर दर्शाने वाला प्रदर्श 6/1 सहित कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों को दाखिल किया।

अभिलेख से आगे यह प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष ने किसी मौखिक साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया था किंतु प्रदर्श A अर्थात् लोअर बाजार पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी का दिनांक 25.4.2000 का लिखित आदेश और प्रदर्श A/1 कमांड लाया था।

7. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की निर्दोषिता का अभिवचन नकारते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (g) के अधीन, धारा 366 के अधीन और धारा 323 के अधीन भी अपीलार्थी के दोष का निष्कर्ष दर्ज किया और निर्देश दिया कि विभिन्न आधारों के अधीन दिए गए दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे।

8. अपीलार्थी की ओर से तीन प्रतिवाद किए गए थे और उनमें से सबसे पहला मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार के संकेत की अनुपस्थिति थी और अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य को छोड़कर अपीलार्थी पर लगाये गए अभियोग को संपुष्ट करने वाला अन्य गवाहों का साक्ष्य नहीं है और इसके अतिरिक्त यदि उसके साक्ष्य पर विश्वास किया जाता है, वह घटना की तिथि के पहले अपीलार्थी को जानती तक नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी की पहचान करने के लिए टी॰ आई॰ परेड नहीं किया गया था बल्कि लगभग आठ वर्ष बाद पहली बार अभियोक्त्री ने अपने साक्ष्य के दौरान न्यायालय में अपीलार्थी को पहचाना था। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि अन्य समस्त गवाह पक्षद्रोही हो गए थे।

9. किए गए प्रतिवादों का अधिमूल्यन करने के लिए अभियोजन गवाहों द्वारा दिए गए विवरण का सार अभिलेख पर लाया जा सकता है।

अपने पूर्व विवरण को दोहराते हुए पीड़िता अ॰ सा॰ 8 पूनम कुमारी ने उस चरण से सजीव चित्रण दिया जब वह राँची जाने के लिए सुबह में टाटा में बस पर चढ़ी थी और प्रातः 10-11 बजे काँटाटोली बस अड्डा पहुँची थी और बस से उतरने के बाद राँची विश्वविद्यालय के लिए टेम्पो पर चढ़ी थी और

किस प्रकार टेम्पो चालक सोनी कुमार अजवानी उर्फ सोनी उर्फ गुरुचरण सिंह ने राँची की विभिन्न गलियों में घूमने के बाद एक घर के सामने टेम्पो रोका जहाँ एक सरदार जी पहले से वहाँ था और विचारण में आगे कथन किया कि टेम्पो चालक ने उसे कमरे में खींच लिया और उसने किसी सरदार जी के साथ कमरा अंदर से बंद कर दिया और तत्पश्चात पहले सरदार जी द्वारा और तत्पश्चात टेम्पो चालक द्वारा उसका बलात्कार किया गया था। इस गवाह को विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षण के अध्यधीन किया गया था किंतु वह प्रति परीक्षण परीक्षा पर खरी उतरी। गवाह ने प्रति परीक्षण के दौरान कथन किया है कि घटना की अभिकथित तिथि पर वह पहली बार राँची आयी थी और तत्पश्चात आज वह न्यायालय में अपना साक्ष्य देने आयी है। उसने आगे कथन किया कि बलात्कार के दौरान उसने प्रतिरोध किया था किंतु अपीलार्थी एवं अन्य सह-अभियुक्तगण ने उस पर प्रहार किया। उसे अपने गुप्तांग, गर्दन एवं छाती पर उपहति भी आयी थी। गवाह ने आगे कथन किया है कि उसे पुलिस थाना ले जाया गया था जहाँ पहचान परीक्षा परेड की गयी थी और उसने उनमें से एक की पहचान सरदार जी के तौर पर की थी। अपने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 15 में वह कथन करती है कि पुलिस थाना में अनेक सरदार जी थे किंतु वह उनकी संख्या नहीं बता सकी थी कि वो कितने थे। अपने साक्ष्य के दौरान उसने अपीलार्थी एवं टेम्पो चालक को न्यायालय में पहचाना।

यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि न्यायालय में टी॰ आई॰ पी॰ चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया था और मामला अभिलेख के ऑर्डर शीट से भी यह प्रतीत होता है कि कोई टी॰ आई॰ परेड करने के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिया गया था।

10. डॉक्टर (अ॰ सा॰ 7), जिसने दिनांक 26.6.1991 को अभियोक्त्री का क्लिनिकल परीक्षण किया, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि पीड़िता के दोनों गालों पर खरोंच का कुछ निशान था जो कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित किया जा सकता है और उपहति की आयु 24 घंटे के भीतर थी किंतु वीर्य नहीं पाया गया था और उसके गुप्तांग पर बाह्य बाल नहीं पाया गया था। गवाह ने बलात्कार का कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं पाया था। परीक्षण की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु लगभग 20 वर्ष निर्धारित की गयी थी।

11. मामले के आई॰ ओ॰ का अ॰ सा॰ 9 के रूप में परीक्षण किया गया था और उसने संपुष्ट किया है कि उसने अस्पताल में उसके इलाज के दौरान पीड़िता युवती का पुनर्बयान दर्ज किया था। गवाह ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि यद्यपि उसने वीर्य जैसे धब्बे के साथ तोशक, चादर और अन्य वस्तुओं को जब्त किया था किंतु इन्हें परीक्षण के लिए एफ॰ एस॰ एल॰ कभी नहीं भेजा गया था। आई॰ ओ॰ एवं सूचक के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष द्वारा गवाहों में से किसी को सुझाव नहीं दिया गया था कि फर्दबयान घटना स्थल पर दर्ज नहीं किया गया था जो सह-अभियुक्तगण में से एक सोनी का घर है बल्कि अपराध में प्रयुक्त टेम्पो की निर्मुक्ति के लिए सह-अभियुक्त सोनी द्वारा दाखिल क्षतिपूर्ति बंधपत्र में उसके द्वारा फर्दबयान में दिए गए पता के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

12. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी अभियुक्त के बयान में अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा केवल यह बयान दिया गया था कि वह निर्दोष था। अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि क्यों अभियोक्त्री ने उसके विरुद्ध अभिसाक्ष्य दिया था और उसे ऐसे जघन्य अपराध में अंतर्ग्रस्त किया था।

13. पीड़िता के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने अपने साथ किए गए बलात्कार का सजीव चित्रण दिया है जो सत्यपूर्ण एवं स्वाभाविक प्रतीत होता है। बचाव पक्ष ने भी अपीलार्थी को झूठा आलिप्त किए जाने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं लाया है। साक्ष्य में यह भी कहीं नहीं आया है कि पीड़िता किसी

भी अभियुक्त को पहले से जानती थी अथवा वर्तमान घटना के पहले पीड़िता एवं अभियुक्तगण के बीच कोई पूर्व दुश्मनी थी बल्कि उसके साक्ष्य में आया है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर वह पहली बार राँची आयी थी। जहाँ तक अपीलार्थी के पहचान का संबंध है, यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य नहीं है कि कोई टी॰ आई॰ पी॰ किया गया था किंतु अभियोक्त्री ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसने पुलिस थाना में अपीलार्थी को पहचाना था और अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य में पैरा 19 पर यह तथ्य संपुष्ट किया गया है जहाँ उसने कथन किया है कि पीड़िता ने पुलिस थाना में सरदार जी को पहचाना था। भले ही अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा समुचित टी॰ आई॰ पी॰ नहीं किया गया था, अभियुक्त को त्रुटिपूर्ण अन्वेषण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अ॰ सा॰ 8 पीड़िता ने न्यायालय में अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तों को पहचाना था। कोई पीड़िता लंबे अंतराल के बाद भी उस व्यक्ति का चेहरा नहीं भूल सकती है जिसने उसका बलात्कार किया था। अभियुक्त की सह-अपराधिता का निर्णय करते हुए अभियोक्त्री की विश्वसनीयता को जाँचने की आवश्यकता है।

14. जहाँ तक चिकित्सीय साक्ष्य का संबंध है, अगर चिकित्सीय साक्ष्य अभियोक्त्री के विवरण को संपुष्ट नहीं करता है, फिर भी अभियोक्त्री का विवरण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है यदि इसे कलंक रहित पाया गया है। ऐसे तथ्यों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोक्त्री का विवरण समुचित सम्मान दिए जाने एवं स्वीकार किए जाने का पात्र है जब तक इसे अत्यन्त अनधिसंभाव्य नहीं पाया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भरवाड़ा भोगिन भाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य, AIR 1983 SC 753,** में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *^^cykRdkj ekey e nk"kflf) d fy, lif"Vdj.k vfuok; ugh gA Hkkjrh; ifjn'; e] fu;e crkj lif"Vdj.k dh vuifLFkfr e ;ku çgkj d ihfMrk d ifjlk{; ij ÑR; dju l budkj t[e ij ued fNMduk gA D;k fdlh ;orh efgyk] tk cykRdkj vFkok ;kukpkj dk ifjokn djrh g] d lk{; dk lng vfo'okl d p'e dh enn l n[kk tk,\ ,lk djuk i#"k çèkku lekt e i#"k ièkkurk d vkjki dk U;k;kfpr Bgjkuk gA*

भारत के पारंपरिक रुढ़िवादी समाज में कोई युवती अथवा महिला ऐसी किसी घटना को स्वीकार करने में संकोच करेगी जिससे उसके मर्यादा का उल्लंघन होने की संभावना है। वह अपने परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों एवं पड़ोसियों सहित समाज द्वारा बहिष्कार किए जाने अथवा नीची नजर से देखे जाने के खतरे के प्रति जागरुक होगी। वह अपने पति एवं निकट संबंधियों के प्रेम एवं सम्मान को खोने के जोखिम का सामना करेगी और उसका दांपत्यगृह एवं प्रसन्नता छिन्न-भिन्न हो जाएगी। यदि वह अविवाहित है, उसे आशंका होगी कि किसी सम्मानित अथवा संभ्रांत परिवार से उपयुक्त वर पाना उसके लिए मुश्किल होगा। इन एवं समरुप कारकों की दृष्टि में, पीड़िता एवं उसके संबंधी दोषी को सजा दिलवाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते हैं। और जब इन कारकों के हाते हुए अपराध सामने लाया जाता है यह अंत:निर्मित आश्वासन है कि आरोप वास्तविक है और न कि मनगढ़ंत।''

15. वर्तमान अपील में, जैसा यहाँ पहले कथन किया गया है, पीड़िता युवती (अ॰ सा॰ 8) ने अपने साक्ष्य में विनिर्दिष्टत: कथन किया है कि उसे घर में ले जाया गया था और वहाँ उसे निर्वस्त्र किया गया था और वर्तमान अपीलार्थी तथा एक अन्य सह-अभियुक्त द्वारा उसके साथ एक के बाद एक जबरन यौन संभोग किया गया था।

16. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, संपुष्टिकारी साक्ष्य की अनुपस्थिति में भी, यदि अभियोक्त्री द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय है और अपीलार्थी अभियुक्त के साथ कोई बैर अथवा जान पहचान नहीं है,

अभियोक्त्री द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अभियोक्त्री के साथ किए गए बलात्कार के अपराध के लिए अपीलार्थी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया है।

17. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर एवं मामले की आनुषंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अवर न्यायालय द्वारा दर्ज दोष का निष्कर्ष एवं दंडादेश हस्तक्षेप के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है और जहाँ तक अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश का संबंध है, वह भी कठोर अथवा अत्यधिक प्रतीत नहीं होता है जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

18. तद्नुसार, यह अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

विजय मोहन प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

W.P.(C) No. 135 of 2014. Decided on 14th January, 2015.

(क) विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन, 2005–खंड 13.4—मीटर की जाँच एवं अनुरक्षण–वितरण अनुज्ञप्ति धारी सही मीटर के अनुरक्षण एवं इसकी सावधिक जाँच के लिए जिम्मेदार है, यह आगे प्रावधानित करती है कि उपभोक्ता के लिखित परिवाद पर अथवा अन्यथा यदि यह पाया जाता है कि मीटर बिल्कुल सही-सही काम नहीं कर रहा है, इसे आयोग द्वारा अनुमोदित तृतीय पक्ष सुविधा के लिए जाँच के लिए भेजा जाना चाहिए–जून 2012 में, अचानक से हाई वोल्टेज आया था जिस कारण याची के घर के अनेक विद्युत उपकरण खराब हो गए थे, याची ने इस संबंध में परिवाद किया था और तत्पश्चात प्रत्यर्थी निगम के अधिकारियों द्वारा परिसर का निरीक्षण किया गया था–निगम के स्वयं अपने विनियमन के मुताबिक, आयोग द्वारा अनुमोदित तृतीय पक्ष सुविधा पर मीटर की जाँच की जानी चाहिए थी किंतु याची के मीटर की जाँच राँची में प्रत्यर्थी बोर्ड के एम॰ आर॰ टी॰ डिविजन में की गयी थी–याची ने मीटर जाँच रिपोर्ट के प्रति आपत्ति किया जिस पर जे॰ यू॰ बी॰ एन॰ एल॰ द्वारा विचार नहीं किया गया था–प्रत्यर्थी द्वारा याची पर 1,99,317/- रुपयों की मांग नोटिस तामील की गयी थी, याची के अभ्यावेदन के बावजूद मीटर को जाँच के लिए नहीं भेजा गया था और न ही ऊर्जा बिल पुनरीक्षित किया गया था–दिनांक 30.11.2012 को याची का घरेलू विद्युत कनेक्शन बंद कर दिया गया था–याची वी॰ यू॰ एस॰ एन॰ एफ॰ के पास गया जिसने लोड फैक्टर फॉर्मूला का अभिवचन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि मीटर की शुद्धता अनुज्ञेय सीमा के अंतर्गत पायी गयी है–प्रत्यर्थीगण ने स्वयं मार्च, 2012 और जुलाई, 2012 के बीच उपभोग दर्शाने वाला विस्तृत चार्ट प्रस्तुत किया जो परिलक्षित करता है कि याची का औसत मासिक उपभोग 600 से 700 यूनिट प्रतिमाह था–प्रत्यर्थीगण जून, 2012 के माह के लिए मीटर पठन में बेतुकापन स्पष्ट करने में विफल रहे–याची ने नए मीटर लगाए जाने के पहले और नए मीटर लगाए जाने के बाद भी ऊर्जा बिलों को अभिलेख पर लाया है–ऊर्जा बिलों से सामने आने वाले ऊर्जा उपभोग पैटर्न की दृष्टि में

उपधारणा की जाएगी कि जून, 2012 माह के लिए भी उपभोगित ऊर्जा उसी रेंज के अंतर्गत होगी–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया, मामले का नए सिर से परीक्षण करने के लिए और जून, 2012 माह के लिए उपांतरित ऊर्जा बिल जारी करने के लिए मामला प्रत्यर्थी सं॰ 3 को भेजा। (पैराएँ 7 से 11)

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 114—उपधारणा–चीजों को किसी विशिष्ट स्थिति में विद्यमान होना एकबार प्रमाणित हो जाने पर इसे उसी स्थिति में जारी रहना समझा जाता है, किन्तु यह तार्किक सीमा के अध्यधीन एक खंडनीय उपधारणा है।(पैरा 10)

निर्णयज विधि.–AIR 1966 SC 605—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s D.K. Pathak, Sweta Rani, For the Petitioner; Mr. Rahul Kumar, For the Respondents.

आदेश

घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए जून, 2012 माह के लिए उर्जा बिल अभिखंडन इप्सित करते हुए और गलत ऊर्जा बिल पर उठाए गए डी॰ पी॰ एस॰ विलोपित करने के बाद विगत 12 माहों के औसत उपभोग के आधार पर पुनरीक्षित विद्युत बिलों को जारी करने के लिए प्रत्यर्थी झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को निर्देश देने के लिए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. संक्षिप्त रूप से कथन करते हुए, याची जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है को उसके घर में घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया गया है। यद्यपि, प्रत्यर्थी बोर्ड द्वारा विद्युत ऊर्जा बिल में कोई विवाद कभी नहीं था किंतु जून, 2012 माह के लिए याची को 1,95,090/- रुपयों का ऊर्जा बिल जारी किया गया था। याची ने दिनांक 31.7.2012 का ऊर्जा बिल प्राप्त करने के बाद मीटर पठन में स्पष्ट बेतुकापन इंगित करते हुए दिनांक 10.8.2012 को विरोध दर्ज किया। याची ने दिनांक 3.10.2012 को नया अभ्यावेदन दिया और विनिर्दिष्टत: प्राख्यान किया कि पूर्व ऊर्जा बिलों की दृष्टि में जून, 2012 माह के लिए उपभोगित ऊर्जा के लिए दिया गया बिल गलत है जिसके लिए उसने मीटर जाँच करने का अनुरोध किया। इस बीच याची पर 1,99,317/- रुपयों की राशि के लिए दिनांक 27.9.2012 का मांग नोटिस तामील किया गया था। जब याची प्रत्यर्थीगण के पास आया, उसे राशि का 50% जमा करने का वचन देते हुए अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया गया था। तद्नुसार, याची ने दिनांक 13.10.2012 को अभ्यावेदन दिया किंतु न तो मीटर जाँच के लिए भेजा गया था और न ही प्रत्यर्थीगण द्वारा ऊर्जा बिल पुनरीक्षित किया गया था और प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 30.11.2012 को अवैध रूप से घरेलू विद्युत कनेक्शन काट दिया। अत:, याची मामला सं॰ 29 वर्ष 2012 में वी॰ यू॰ एस॰ एन॰ एफ॰, राँची के पास आया। फोरम द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, याची के परिसर में विद्युत कनेक्शन पुनर्स्थापित किया गया था और नया मीटर लगाया गया था। मामला सं॰ 29 वर्ष 2012 की कार्यवाही में पूर्व मीटर जाँच के लिए एम॰ आर॰ टी॰ डिविजन राँची भेजा गया था जिसने दिनांक 17.8.2013 की रिपोर्ट के तहत अभिपुष्ट किया कि उक्त मीटर की यथार्थता बोर्ड के मानकों की अनुज्ञेय सीमा के अंतर्गत पायी गयी थी। याची ने फोरम के समक्ष दिनांक 17.8.2013 की टेस्ट रिपोर्ट के प्रति आपत्ति दाखिल किया। प्रत्यर्थीगण ने स्वयं मार्च, 2012 और जुलाई, 2012 के बीच उपभोग दर्शाते हुए विस्तृत चार्ट प्रस्तुत किया जो परिलक्षित करता है कि याची का औसत मासिक उपभोग 600-700 यूनिट प्रतिमाह के बीच था। यद्यपि प्रत्यर्थीगण जून 2012 के माह के लिए मीटर पठन में बेतुकापन स्पष्ट करने में विफल रहे, विद्वान फोरम ने दिनांक 23.11.2013 के आदेश के तहत मामला सं॰ 29 वर्ष 2012 इस आधार पर खारिज कर दिया कि मीटर की शुद्धता अनुज्ञेय सीमा

के अंतर्गत पायी गयी है। फोरम ने लोड फैक्टर फॉर्मूला का अभिवचन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह केवल विद्युत चोरी के मामले में प्रयोज्य है।

3. झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 (6) के अधीन अपील के सांविधिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर रिट याचिका की पोषणीयता के प्रति आरंभिक आपत्ति करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। यह कथन किया गया है कि दिनांक 10.9.2012 को याची के परिसर का निरीक्षण किया गया था जिसके दौरान यह पाया गया था कि मीटर चालू दशा में था और टर्मिनल सील को अक्षुण्ण पाया गया था किंतु परिसर का कुल कनेक्टेड लोड लगभग 9 किलो वाट था जो मंजूर लोड के 7 के॰ डब्ल्यू॰ आधिक्य में था। चूँकि याची के परिसर में लगाया गया मीटर न तो जला था और न ही इसमें छेड़छाड़ किया गया था, अंतिम 12 माह के औसत उपभोग के आधार पर ऊर्जा बिल जारी नहीं किया जा सकता है। याची ने मीटर जाँच के लिए सहमति दिया और इसे विद्वान फोरम, राँची के आदेश के अधीन किया गया था। चूँकि मीटर की शुद्धता अनुज्ञेय सीमा के अंतर्गत पायी गयी थी, विद्वान फोरम ने सही प्रकार से याची का दावा खारिज कर दिया है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डी॰ के॰ पाठक निवेदन करते हैं कि यह याची का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि जून, 2012 माह का उपभोग जैसा विद्युत बिल में परिलक्षित है उच्च हाई वोल्टेज आपूर्ति के कारण, जिसने याची के घर में अन्य विद्युत उपकरणों को नुकसान कारित किया, असामान्य मीटर पठन दर्शाता है। याची ने इसके बारे में प्रतिवाद किया जिसके अनुसरण में याची के परिसर का निरीक्षण किया गया था। यद्यपि याची ने मीटर जाँच के लिए सहमति दिया, स्वयं निगम के विनियमन के मुताबिक मीटर आयोग द्वारा अनुमोदित तृतीय पक्ष सुविधा पर जाँचा जाना चाहिए था किंतु याची के मीटर की जाँच प्रत्यर्थी बोर्ड, राँची के एम॰ आर॰ टी॰ डिविजन में की गयी थी। याची ने मीटर जाँच रिपोर्ट के प्रति आपत्ति किया किंतु, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी निगम को पूर्व मीटर पठन तथा याची के परिसर में ऊर्जा उपभोग को विचार में लेना चाहिए था किंतु, इस पर विचार किए बिना याची का अभिवचन अस्वीकार कर दिया गया है।

6. प्रत्यर्थी निगम के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार ने प्रतिशपथ पत्र में लिया गया दृष्टिकोण दोहराया और निवेदन किया कि मीटर पठन रिपोर्ट की दृष्टि में याची को जून, 2012 माह के बिल को विवादित करने की छूट नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि 12 माह के ऊर्जा उपभोग के आधार पर ऊर्जा बिल देने का प्रावधान नहीं है, अत:, याची का अभिवचन सही प्रकार से फोरम द्वारा अस्वीकार किया गया है।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. याची को वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर पोषणीयता के प्रति आपत्ति को निर्दिष्ट करते हुए मैं पाता हूँ कि दिनांक 7.5.2014 के आदेश के तहत इस न्यायालय ने याची को 50,000/- रुपया जमा करने का निर्देश दिया और दो दिनों के भीतर विद्युत कनेक्शन के पुनर्स्थापन का आदेश दिया। तत्पश्चात, प्रत्यर्थीगण ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया और याची ने पूरक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया

है। पक्षों द्वारा शपथ पत्रों के आदान-प्रदान के बाद और याची के परिसर में विद्युत आपूर्ति पुनर्स्थापित करने का निर्देश प्रत्यर्थीगण को देते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बाद रिट याचिका की पोषणीयता के प्रति प्रत्यर्थीगण द्वारा की गयी आपत्ति अस्वीकार किए जाने की दायी है।

9. मैं पाता हूँ कि आपूर्ति संहिता विनियमन का खंड 13.4 मीटर की जाँच एवं अनुरक्षण प्रावधानित करता है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी सही मीटर के अनुरक्षण के और इसकी सावधिक जाँच के लिए जिम्मेदार है। यह आगे प्रावधानित करता है कि उपभोक्ता के लिखित परिवाद पर अथवा अन्यथा यदि यह पाया जाता है कि मीटर ठीक काम नहीं कर रहा है, इसे आयोग द्वारा अनुमोदित तृतीय पक्ष सुविधा पर जाँच के लिए भेजा जाना चाहिए। प्रति शपथ पत्र में यह कथन किया गया है कि दिनांक 10.9.2012 को याची के परिसर का निरीक्षण किया गया था जब मीटर पठन 78711 Kwh. पाया गया था। यह विवादित नहीं है कि जून, 2012 माह के लिए 73207 यूनिट का उपभोग बिल्कुल असामान्य था और इस प्रकार दिनांक 10.9.2012 के निरीक्षण के बाद प्रत्यर्थी निगम जाँच के लिए विद्युत मीटर भेजने के लिए कर्त्तव्य के अधीन था किंतु समय के प्रासंगिक बिंदु पर इसे जाँच के लिए नहीं भेजा गया था। याची का विनिर्दिष्ट मामला यह है कि जून, 2012 माह में अचानक हाई वोल्टेज हुआ था जिस कारण याची के घर में अनेक विद्युत उपकरण खराब हो गए थे। याची ने इस संबंध में परिवाद किया और तत्पश्चात, प्रत्यर्थी निगम के अधिकारियों द्वारा याची के परिसर का निरीक्षण किया गया था। यद्यपि प्रत्यर्थीगण ने प्रतिशपथ पत्र में याची द्वारा किए गए परिवाद से इनकार किया है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि दिनांक 10.9.2012 को याची के परिसर का निरीक्षण किया गया था। प्रत्यर्थी निगम की ओर से दाखिल प्रति शपथ पत्र से, मैं पाता हूँ कि प्रत्यर्थीगण का मामला यह नहीं है कि दिनांक 10.9.2012 का निरीक्षण रुटीन निरीक्षण था। याची की ओर से प्रतिवाद किया गया है कि भले ही चोरी का मामला आरंभ किया गया था, महत्तम ऊर्जा उपभोग की गणना 2592 यूनिट पर की जाएगी जबकि प्रत्यर्थी निगम ने 73207 यूनिट के लिए बिल दिया है। आगे, प्रश्नगत मीटर फरवरी, 2011 माह में लगाया गया था और इस प्रकार 17 माह के लिए जून 2012 तक बिल 44064 यूनिट होना चाहिए था जबकि एक माह के उपभोग के लिए याची को 73207 यूनिट प्रभारित किया गया है जो बिल्कुल मनमाना है। मेरा मत है कि मात्र तकनीकी अभिवचन पर कि मीटर की शुद्धता अनुज्ञेय सीमा के अंतर्गत पायी गयी है, मीटर रिकार्डिंग में स्पष्ट बेतुकापन अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह स्वीकृत तथ्य है कि मीटर की जाँच प्रतिकूल दशा के अधीन अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित तृतीय पक्ष सुविधा पर नहीं की गयी थी। वर्तमान कार्यवाही में, याची ने 24 माह के लिए मीटर पठन का चार्ट प्रस्तुत किया है जो भी केवल 500-600 यूनिट प्रतिमाह का उपभोग परिलक्षित करता है। प्रत्यर्थीगण ने दावा किया है कि दिनांक 10.9.2012 के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि याची के परिसर में कुल लोड मंजूर कुल लोड की तुलना में 7Kw अधिक था किंतु यह भी स्वीकृत अवस्था है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दंड अधिरोपित नहीं किया गया है। नया मीटर लगाए जाने के पहले और नया मीटर लगाए जाने के 12 माह बाद पूर्व माहों का ऊर्जा बिल एक माह में किसी असामान्य उपभोग को उपदर्शिता नहीं करता है।

10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (d) उक्त अवस्था, जिसमें यह एकबार विद्यमान थी, में चीजों के जारी रहने की उपधारणा करती है। इस प्रकार, अवस्था विशेष में विद्यमान सिद्ध चीजों को उस अवस्था में जारी के रूप में समझा जाना है। किंतु, यह तार्किक सीमा के अध्यधीन खंडनीय उपधारणा है।

''अंबिका प्रसाद ठाकुर एवं अन्य बनाम राम इकबाल राय (मृत), अपने विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एवं अन्य'' AIR 1966 SC 605, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

*"15. .....vc] ;fn dkbZ pht vFkok phtk dh voLFkk fo|eku n'kk;h tkrh g] ;fDr;Dr :i l fudV le;] vkx ,o ihN nkuk] d Hkhrj bldh fujrjrk dk fu"d"k dHkh&dHkkj fudkyk tk ldrk gA Hkkoh fujrjrk dh miekkj.kk ij Hkkjrh; lk{; vfekfu;e dh ekkjk 114 d mnkgj.kk e xkj fd;k x;k gA lefpr ekeyk e] bl ekkjk d vekhu ihN dh vkj fdlh pht vFkok phtk dh voLFkk dh fujrjrk dk fu"d"k fudkyk tk ldrk g ;|fi bl fcn ij ekkjk iFkd mnkgj.k ugh nrh g-------***

11. वर्तमान कार्यवाही में याची ने नया मीटर लगाए जाने के पहले और नया मीटर लगाए जाने के बाद भी ऊर्जा बिलों को अभिलेख पर लाया है। ऊर्जा बिलों से सामने आने वाले ऊर्जा उपभोग पैटर्न की दृष्टि में, उपधारणा की जाएगी कि जून, 2012 माह के लिए भी उपभोगित ऊर्जा इसी रेंज के अंतर्गत होगी। जून, 2012 माह का मीटर पठन पूर्वोक्त उपधारणा द्वारा खंडित किया गया नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह तार्किक सीमा के अंतर्गत नहीं है। चूँकि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा मामले के उक्त पहलू पर विचार नहीं किया गया है, अत: दिनांक 23.11.2013 का आदेश अभिखंडित किए जाने का दायी है और एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए और जून, 2012 माह के लिए उपांतरित ऊर्जा बिल जारी करने के लिए मामला प्रत्यर्थी सं॰ 3, विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, राँची, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची को वापस भेजा जाता है।

12. तद्नुसार आई॰ ए॰ सं॰ 1357 वर्ष 2014 और आई॰ ए॰ सं॰ 1800 वर्ष 2014 निपटाया जाता है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

डॉ॰ ब्रजेश कुमार

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 3805 of 2010. Decided on 15th January, 2015.

झारखंड सेवा संहिता, 2000—नियम 74 (b)—स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–याची बी॰ आई॰ टी॰, सिंदरी में प्रोफेसर है, दिनांक 18.9.1995 को उसने पदस्थापना के स्थान पर पदग्रहण किया–निदेशक द्वारा एक या दूसरे बहाने वेतन रोक दिया गया जिसे रिट में पारित आदेश के अनुसरण में निर्मुक्त किया गया था और यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि उसके विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों के संबंध में उसके विरुद्ध जाँच की जाएगी–राज्य के विभाजन के बाद याची को झारखंड राज्य के लिए कैडर आवंटित किया गया था–जब बी॰ आई॰ टी॰, सिंदरी से किसी अन्य पोलिटेकनिक संस्थान में स्थानांतरण के लिए याची का मामला लंबित था–याची ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया, दिनांक 28.2.2004 को सेवानिवृत्त होने का अपना आशय बताया–जब याची का अनुरोध विचाराधीन था, ए॰ जी॰ ने दिनांक 16.2.2004 को दिनांक 1.2.1999 से उसके वेतन के भुगतान के लिए उसकी वेतन/अवकाश वेतन पर्ची जारी किया–याची ने भी दिनांक

28.2.2004 के प्रभाव से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों एवं वेतन के बकाया का दावा किया–प्रत्यर्थी ने आदेश पारित किया और अर्जित अवकाश/आधा वेतन बिना अवकाश, आदि से उक्त अवधि समायोजित करके दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 की अवधि नियमित की गयी है जो सुझाती है कि प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि याची अप्राधिकृत अवकाश पर नहीं था और इसे कर्तव्य पर नहीं माना गया था–प्राधिकारी को याची का पेंशन 21,900/- रुपए के वेतनमान के आधार पर नियत करने और तद्नुसार पेंशन लाभों के अंतर का बकाया निर्मुक्त करने के निर्देश के साथ याचिका अनुज्ञात की गयी–दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 तक की अवधि के लिए वेतन बकाया के भुगतान की प्रार्थना अनुज्ञात नहीं की गयी थी क्योंकि उक्त अवधि पहले ही अर्जित अवकाश नगदकरण, आधा वेतन, वेतन बिना अवकाश, आदि समायोजित करके नियमित की गयी है। (पैराएँ 25 से 27)

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj tandon, For the Petitioner; J.C. to S.C-I, For the State; Mr. Suresh Kumar, For the Accountant General (A&E); Mr. Mrinal K. Roy, For the BIT, Sindri.

आदेश

रिट याची ने अन्य बातों के साथ उसमें निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है:–

(i) ik, x, vfre oru vFkkr 21,900/-#i;k tk ;kph dk fnukd 28.2.2004 dk Hkxr; Fkk d vkèkkj ij i'ku ,o vU; lokfuofÙk ykHkk dk fu;r dju ,o Hkxrku dju d fy, çR;Fkhx.k dk fun'k d fy,A

(ii) fnukd 18.11.2000 l fnukd 28.2.2004 rd oru cdk;k dk Hkxrku dju dk fun'k nu d fy,A

(iii) fnukd 1.9.2004 l fnukd 31.1.2007 rd Hkfo"; fufèk jkf'k ij C;kt d Hkxrku d fy, vkj ifji= l0 PC-2-1-16/79/3155 fnukd 7.11.1981 d fucèkuku lkj] 5% dh nj ij vfrfjDr C;kt d Hkxrku d fy,A

(iv) fnukd 28.2.2004 l fnukd 7.6.2008 d fy, lkefgd chek tek ij C;kt d Hkxrku d fy,A

2. पक्षों को सुना गया एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए याची के मामले का संक्षिप्त रूप से कथन करना आवश्यक है। याची को दिनांक 30 मई, 1968 को सहायक प्रोफेसर, हयूमैनिटीज के रूप में नियुक्त किया गया था, उसने सरकारी पोलीटेक्निक, गुलजारबाग, पटना में पदग्रहण किया। उसे दिनांक 20 जनवरी, 1990 की अधिसूचना जैसा अधिसूचना सं॰ 178 में अंतर्विष्ट है के तहत दिनांक 7.6.1981 के भूतलक्षी प्रभाव से एशोसिएट प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत किया गया था। उसे आगे दिनांक 27 फरवरी, 1992 की अधिसूचना, जैसा अधिसूचना सं॰ 204 में अंतर्विष्ट है के तहत दिनांक 1.2.1985 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नत किया गया था।

3. याची को दिनांक 4 सितंबर, 1995 को इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान, सिंदरी में प्रोफेसर के रूप में स्थानांतरित किया गया था। तद्नुसार, याची ने दिनांक 18 सितंबर, 1995 को अपनी पदस्थापना के स्थान पर पदग्रहण किया।

4. निदेशक, बी॰ आई॰ टी॰, सिंदरी द्वारा एक या दूसरे बहाने याची का वेतन दिनांक 3 फरवरी, 1997 के प्रभाव से रोका गया था। जब दिनांक 11.7.1997 के आदेश के तहत याची का वेतन रोका गया था, याची ने रिट याचिका सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 68430/1997 दाखिल किया गया था जिसे आदेश में किए

गए संप्रेक्षणों के आलोक में विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता याची को देते हुए दिनांक 13.1.1998 के आदेश के तहत निपटाया गया था।

5. याची ने सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 68430/1997 में दिनांक 13.1.1998 को पारित आदेश के निबंधनानुसार सम्यक आवेदन दिया और दिनांक 3 अगस्त, 1998 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आदेश पारित किया गया था जो आदेश सं॰ 11 में अंतर्विष्ट है जिसके द्वारा याची के रोके गए वेतन को निर्मुक्त करने का आदेश दिया गया था। यह भी संप्रेक्षित किया गया था कि उसके विरुद्ध किए गए अभिकथन के संबंध में याची के विरुद्ध जाँच की जाएगी।

6. राज्य के विभाजन के बाद, याची को अंतत: झारखंड राज्य के लिए कैडर आवंटित किया गया था। याची ने बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 75 (b) के निबंधनानुसार सम्यक अभ्यावेदन दिया, जिसके द्वारा याची ने बी॰ आई॰ टी॰ सिंदरी से किसी अन्य पोलीटेक्निक संस्थान में अपने स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया था, जिसे निपटाने का निर्देश सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1842 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 25 फरवरी, 2003 के आदेश के तहत दिया गया था। जब याची का मामला लंबित था, याची ने सेवा संहिता की धारा 74 (b) के अधीन दिनांक 3 अप्रिल, 2003 के अपने पत्र के तहत अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया और दिनांक 28.2.2004 से सेवानिवृत्त होने का अपना आशय प्रकट किया।

7. जब याची का अनुरोध विचाराधीन था, महालेखाकार, बिहार ने दिनांक 1.2.1999 से उसके वेतन के भुगतान के लिए दिनांक 16 फरवरी, 2004 को उसका वेतन/अवकाश वेतन पर्ची जारी किया। याची ने दिनांक 28.2.2004 के प्रभाव से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण अपने संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों तथा वेतन बकाया का दावा भी किया है।

8. इस बीच, झारखंड राज्य के प्राधिकारियों ने दो आदेश जारी किया एक दिनांक 16 जुलाई, 2004 का आदेश जिसके द्वारा याची पर आरोप-पत्र तामील किया गया था और दूसरा याची को निलंबनाधीन करने वाला दिनांक 19 जुलाई, 2004 का आदेश।

9. याची ने एक अन्य रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3079 वर्ष 2004 दाखिल किया और उसमें दिनांक 1.3.2004 के प्रभाव से सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने तथा उपदान, जी॰ पी॰ एफ॰, सामूहिक बीमा, आदि सहित समस्त सेवानिवृत्ति देयों को निर्मुक्त करने का प्रार्थना किया। इस न्यायालय ने दिनांक 25.9.2006 को तार्किक आदेश पारित करने के बाद और मामले के समस्त पहलूओं पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर आया कि दिनांक 16 जुलाई, 2004 एवं दिनांक 19 जुलाई, 2004 का आदेश अनावश्यक था और अधिकारिता के बिना परिणामहीन था और विधि की दृष्टि में अविद्यमान था और, तदनुसार, याची को दिनांक 28 फरवरी, 2004 को सेवानिवृत्त समझने का निर्देश देते हुए रिट याचिका अनुज्ञात की गयी थी और प्राधिकारियों को दिनांक 28.2.2004 के प्रभाव से उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को विचार में लेते हुए याची के सेवानिवृत्ति लाभों सुलझाने और सांविधिक ब्याज के साथ तीन माह की अवधि के भीतर ऐसे समस्त बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

10. जब याची की शिकायत दूर नहीं की गयी थी, उसने इस न्यायालय के समक्ष अवमान याचिका अवमान मामला (सिविल) सं॰ 682/2007 दाखिल किया और सारवान भुगतान करने के बाद इसे खारिज कर दिया गया था किंतु सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन नियत नहीं किया गया था जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3079 वर्ष 2004 में दिनांक 28.2.2004 के प्रभाव से अभिनिर्धारित किया गया है बल्कि सेवानिवृत्ति देय उस वेतनमान के आधार पर नियत किया गया था जिसे याची ने दिनांक 17.11.2000 को पाया था अर्थात् 20,000/- रुपयों के मूल वेतन पर। अत:, याची की शिकायत यह है कि चूँकि सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 28.2.2004 के प्रभाव से अभिनिर्धारित की गयी

है और इस दशा में पेंशन उस वेतनमान के आधार नियत किया जाना चाहिए था जिसे पाने का हकदार याची दिनांक 28.2.2004 को था।

11. तद्नुसार, याची ने दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 तक वेतन एवं उसके अन्य पारिणामिक लाभ के भुगतान का भी प्रार्थना किया।

12. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य एवं महालेखाकार के भी विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र दाखिल करके याची के मामले का प्रतिवाद करते हुए सामान्य अभिवचन किया है और कथन किया है कि याची दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 तक अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित था और इस दशा में उस वेतनमान के आधार पर पेंशन नियत किया गया था जिसे याची ने दिनांक 17.11.2000 को पाया था अर्थात् 20,000/- रुपयों के मूल वेतन पर और उक्त वेतनमान के आधार पर समस्त सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है।

13. प्रत्यर्थीगण की ओर से आगे निवेदन किया गया है कि याची ने अवमान मामला दाखिल किया था जिसमें याची ने विनिर्दिष्ट अभिवचन किया था कि वह दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 तक की अवधि के लिए वेतन का दावा नहीं कर रहा है और यदि याची इस अवधि के दौरान कोई अवकाश अर्जित करता है, याची उसका भी दावा नहीं कर रहा है किंतु याची दिनाक 18.11.2000 के पहले अर्जित अवकाश के नगदकरण का हकदार है।

14. आगे याची वेतन पाने का हकदार भी नहीं है क्योंकि उसने स्वयं अवमान मामला (सिविल) सं॰ 682/2007 में अवमान न्यायालय के समक्ष बयान/वचन दिया है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

> *^^Jh egrk u vkx fuonu fd;k fd ;kph fnukd 18.11.2000 l fnukd 28.2.2004 rd dh vofèk d fy, oru dk nkok ugh dj jgk g vkj ;fn ;kph u ml vofèk d nkjku dkb vodk'k vftr fd;k gkxk] ;kph ml dk Hkh nkok ugh dj jgk g] fdr ;kph fnukd 18.11.2000 l igy vftr vodk'k d uxndj.k dk gdnkj g vkj blfy,] çR;Fkhx.k vuifLFkfr dh mDr vofèk d fo#) ml d vftr vodk'k@vkèkk oru vodk'k dk lek;kftr ugh dj ldr gA***

15. इस प्रकार, इस वचन के आधार पर प्राधिकारियों ने कृत्य किया और दिनांक 16.4.2009 का आदेश पारित किया। अत:, याची दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 तक की अवधि के लिए वेतन का दावा नहीं कर सकता है।

16. प्रत्यर्थीगण का प्रतिवाद है कि याची ने अवमान याचिका दाखिल किया है जिसे खारिज कर दिया गया है, अत: रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

17. प्रत्यर्थीगण का यह प्रतिवाद किसी अन्य उपचार जो विधि के अधीन उपलब्ध हो सकता है का सहारा लेने की स्वतंत्रता की दृष्टि में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस स्वतंत्रता के निबंधनानुसार, यह रिट याचिका दाखिल की गयी है और इस दशा में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

18. याची ने अनुपस्थिति की उक्त अवधि के दौरान सेवा संहिता के नियम 74 (b) के प्रावधान के अधीन सेवा से अपने पृथक्करण के लिए दिनांक 3.4.2003 को आवेदन दिया।

प्रत्यर्थीगण ने उसकी अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए एवं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने के लिए दिनांक 16.7.2004 के आदेश के तहत याची को आरोप ज्ञापन जारी किया। याची को उसकी अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए दिनांक 19.7.2004 के आदेश के तहत निलंबनाधीन किया गया था। जब प्राधिकारियों ने सेवा संहिता की धारा 74 (b) के अधीन याची द्वारा दाखिल पृथक्करण के आवेदन के निबंधनानुसार निर्णय नहीं लिया, याची ने दिनांक 28.2.2004 के प्रभाव से याची को सेवानिवृत्त मानने की घोषणा जारी करने के लिए रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3079/2004 दाखिल किया।

19. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान केवल दिनांक 16.7.2004 तथा दिनांक 19.7.2004 के आदेशों को जारी किया गया था जिसे डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3079/2004 में आई॰ ए॰ दाखिल करके याची द्वारा चुनौती दी गयी थी जिसे अनुज्ञात किया गया था।

20. इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3079/2004 विनिश्चित करते हुए याची की अप्राधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में निष्कर्ष पर आए जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

> *^^çR;Fkhx.k dk çfrokn ;g g fd ;kph o"k 1995 l vkx vuifLFkr cuk jgk] vr% ;kph dh dy lok dh lx.kuk djr g, vuifLFkfr dh vofèk vioftr dh tkuh gA LohÑr :i l] o"k 1995 l fnukd 16 tykb] 2004 rd ;kph d fo#) vu'kkLfud dk;okgh vkjHk ugh dh x;h FkhA fdlh l{ke çkfèkdkjh }kjk dr0; l vuifLFkfr dk fu"d"k ugh gA mDr d vfrfjDr] v0; d lkFk ;kph d lcèk e o"k 2000 e dMj foHkktu fooj.k r;kj fd;k x;k Fkk vkj bl l{ke çkfèkdkjh dk vxlkfjr fd;k x;k FkkA ,d fofufn"V dkye l0 12 Fkk ftld vèkhu ;g minf'kr fd, tku dh vko';drk Fkh fd D;k depkjh ^^fnukd 14 uocj] 2000 d ckn u [kkt tku ;kX;] Qjkj vFkok lokfuoÙk g vFkok mldh eR; gk x;h gA** ;g fooj.k fnukd 9 vxLr] 2002 dk r;kj fd;k x;k FkkA ;kph dk uke Øekd 35 ij vk;k (ifjf'k"V&9) vkj dkye 12 e dkb fVli.kh ugh dh x;h g rn }kjk ftldk vFk g fd og rc rd vuifLFkr vFkok Qjkj ugh FkkA**

> *^^mDr ifjfLFkfr;k dh nf"V e] çR;Fkhx.k dk vfHkopu fd ;kph o"k 1995 l vuifLFkr Fkk] ifj.kkeghu gA ej fu"d"k dh nf"V e fd fu;e 74B rhu ekg dh vofèk d volku ij vFkok ukfVl e fofufn"V frfFk ij LofPNd lokfuoÙk dk Lor%Lohdj.k ifjdfYir djrk g]* ***;kph dk fnukd 28 Qjojh] 2004 dk lokfuoÙk le>k x;k gA*** *rRi'pkr] fnukd 16 tykb] 2004 rFkk fnukd 18 tykb] 2014 d eek d rgr vkjHk dh x;h dkjokb vuko';d g vkj ifj.kkeghu gA**

> *^^Li"V fofèkd voLFkk dh nf"V e fnukd 16 tykb] 2004 rFkk fnukd 19 tykb] 2004 d vkn'k voèk] vfèkdkfjrkghu ,o fofèk dh nf"V e vfo|eku gA rnulkj] ;g fjV ;kfpdk lQy gkrh g vkj fnukd 28 Qjojh] 2004 d çHkko l mldh LofPNd lok fuoÙk dk fopkj e yr g, ;kph d lokfuoÙk ykHkkd nkok dk ly>ku rFkk tgk dgh ç;kT; gk lkfofèkd C;kt d lkFk rhu ekg dh vofèk d Hkhrj ,l leLr n;k dk Hkxrku dju dk fun'k çR;Fkhx.k dk fn;k tkrk gA**

21. इस प्रकार, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि याची दिनांक 28.2.2004 के प्रभाव से सेवा से निवृत्त होगा और तद्नुसार प्राधिकारियों को दिनांक 28.2.2004 के प्रभाव से उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को विचार में लेते हुए उसके दावा को सुलझाने का निर्देश दिया गया है।''

22. यद्यपि, महालेखाकार के कार्यालय ने 21,900/- रुपयों के वेतनमान जो दिनांक 28.2.2004 को याची को भुगतेय था के आधार पर याची का वेतनमान नियत करते हुए दिनांक 16.2.2004 का वेतन/अवकाश वेतन पर्ची जारी किया है किंतु चूँकि याची आहरण और संवितरण अधिकारी था और उस समय तक जब वेतनपर्ची कार्यालय पहुँचा, याची दिनांक 28.2.2004 के प्रभाव से सेवा से अधिवर्षित हो गया और इस दशा में उसने दिनांक 16.2.2004 को जारी वेतन पर्ची के निबंधनानुसार उक्त वेतन निकाला नहीं है किंतु 21,900/- रुपयों के वेतनमान के आधार पर याची का वेतनमान नियत करके वेतन पर्ची जारी की गयी है।

23. प्रत्यर्थीगण का प्रतिवाद कि याची का पेंशन जिसे दिनांक 17.11.2000 को उसके द्वारा पाए गए अंतिम वेतन अर्थात् 20,000/- रुपए के मूल वेतन के आधार पर नियत किया गया है, निम्नलिखित तथ्यों की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है:–

(i) LohÑr :i l] ;kph dk fnukd 28.2.2004 d çHkko l lokfuoÙk gku dk fun'k fn;k x;k g vkj bl n'kk e ;kph ml orueku dk iku dk gdnkj g ftl iku dk og fnukd 28.2.2004 dk gdnkj Fkk tk 21,900/-#i, FkkA

(ii) çR;Fkx.k }kjk fn;k x;k dkj.k fd og fnukd 18.11.2000 l fnukd 28.2.2004 rd vçkfèkÑr :i l vuifLFkr Fkk] MCY;O ihO (,lO) lO 3079/2004 e bl U;k;ky; d bl çHkko d Li"V fu"d"k dh nf"V e fd og mDr vofèk d fy, vuifLFkr vFkok Qjkj ugh Fkk] Lohdkj ugh fd;k tk ldrk g tlk Åij m)r fd;k x;k gA

(iii) fnukd 18.11.2000 l fnukd 28.2.2004 rd vçkfèkÑr vuifLFkfr d lcèk e çfr'kiFk i= e çR;Fkx.k }kjk fn;k x;k dkj.k MCY;O ihO (,lO) lO 3079/2004 e bl U;k;ky; d fo}ku ,dy U;k;kèkh'k }kjk fn, x, fu"d"k d fcYdy foijhr gA

(iv) egky[kkdkj d dk;ky; u Hkh ;kph dk orueku fu;r djr g, oru@vodk'k oru iph tkjh fd;k g ftl og fnukd 28.2.2004 dk iku dk gdnkj Fkk vFkkr 21,900/-#i;k dk orueku A LohÑr :i l] egky[kkdkj d dk;ky; u fnukd 16.2.2004 dk oru iph tkjh fd;k gA

24. प्रत्यर्थी राज्य ने दिनांक 16.4.2009 को आदेश पारित किया है जो प्रत्यर्थी सं॰ 2 की ओर से दाखिल पूरक प्रतिशपथ पत्र का परिशिष्ट–C है और दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 की अवधि अर्जित अवकाश/आधा वेतन/वेतन बिना अवकाश, आदि से उक्त अवधि समायोजित करके नियमित की गयी है। यह आदेश सुझाता है कि प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि याची अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं था और इसे कर्तव्य पर माना गया था।

25. यहाँ ऊपर कथित तथ्यों एवं कारणों के आधार पर दिनांक 28.2.2004 को पाए गए अंतिम वेतन के आधार पर अर्थात् 21,900/- रुपयों के वेतनमान के आधार पर अपने पेंशन के नियतकरण के संबंध में याची की प्रार्थना न्यायोचित और समुचित है, और इस दशा में इसे संबंधित प्राधिकारियों को 21,900/- रुपयों के वेतनमान के आधार पर याची का पेंशन नियत करने और तद्नुसार पेंशन लाभों के अंतर का बकाया निर्मुक्त करने के निर्देश के साथ अनुज्ञात किया गया है।

26. जहाँ तक दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 तक की अवधि के लिए वेतन के बकाया के भुगतान के संबंध में याची द्वारा इप्सित अनुतोष का संबंध है, इसे दिनांक 16.4.2009 के आदेश की दृष्टि में अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसके द्वारा दिनांक 18.11.2000 से दिनांक 28.2.2004 की अवधि पहले ही अर्जित अवकाश के नगदकरण, आधा वेतन, वेतन बिना अवकाश, आदि समायोजित करके नियमित की गयी है। याची ने दिनांक 16.4.2009 के उक्त आदेश को चुनौती नहीं दिया है जिसके निबंधनानुसार महालेखाकार के कार्यालय ने भी कृत्य किया और दिनांक 21.8.2009 के आदेश के तहत अर्जित अवकाश, आधा वेतन एवं वेतन बिना अवकाश से इसे समायोजित करके अवधि नियमित की गयी है जो प्रत्यर्थी सं॰ 2 की ओर से दाखिल पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट D पर है।

27. जी॰ पी॰ एफ॰ एवं सामूहिक बीमा के विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के संबंध में याची को इस संबंध में समुचित अभ्यावेदन दाखिल करके संबंधित प्राधिकारियों के पास जाने की स्वतंत्रता दी

जा रही है और यदि नियम अनुमति देता है, ब्याज की पारिणामिक राशि युक्तियुक्त अवधि के भीतर निर्मुक्त की जा सकती है।

28. उक्त निर्देशों के साथ यह रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; Mhî ,uî iVy ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

झारखंड राज्य एवं अन्य

cuke

किरण कुमार शर्मा एवं एक अन्य

I.A. Nos. 8008 of 2013 with L.P.A. No. 364 of 2013. Decided on 5th January, 2015.

सेवा विधि–नियुक्ति–प्रत्यर्थी सं॰ 1 मूल याची है जिसे राज्य सरकार की सेवा करने के लिए दिनांक 8.11.1978 के प्रभाव से 165-204/- रुपयों के वेतनमान में हेल्पर के रूप में नियुक्त किया गया था–समय समय पर वेतनमान पुनरीक्षित किया गया था–राज्य का प्रतिवाद स्वीकार नहीं किया गया कि झारखंड सरकार 2650-4000/- रुपए के वेतनमान को 2550-3200/- रुपए के वेतनमान में मुख्यतः इस आधार पर बदल रही है कि राज्य ने पदानुसार और न कि वेतनमान के अनुसार वेतनमान पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है–राज्य ने रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दृष्टिकोण कभी नहीं लिया कि याची को गलत रूप से 825-1200/- रुपयों का पूर्व वेतनमान दिया गया था यद्यपि वह 775-1025/- रुपयों के वेतनमान का हकदार था–अभिनिर्धारित, रिट याचिका अनुज्ञात करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलती नहीं की गयी–अपील खारिज। (पैराएँ 4 से 6)

अधिवक्तागण.–M/s A. Allam, Shravan Kr., For the Petitioner; M/s M.M. Pal, Mahua Palit, For the Respondents.

डी॰ एन॰ पटेल, न्यायमूर्ति.–यह लेटर्स पेटेन्ट अपील डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 6878/2005 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दिनांक 19 जुलाई, 2013 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 1 (मूल याची) द्वारा दाखिल याचिका अनुज्ञात की गयी है और इसलिए प्रत्यर्थी सं॰ 1 ने इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को दाखिल किया है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1 को दिनांक 8 नवंबर, 1978 के प्रभाव से 165-204/- रुपया के वेतनमान में, जिसे 180-242/- रुपया के वेतनमान में बढ़ाया गया था, हेल्पर के पद पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, इसे 375-480/- रुपयों के वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया था और इसे पुनः 800-1150/- रुपयों के वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया था। इसे पुनः थोड़ा उपांतरित किया गया था क्योंकि प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के कारण इसे 375-480/- रुपए के बजाए 400-500/- रुपया होना चाहिए था और इसलिए, इसे 800-1150/- रुपयों के बजाए इसे तत्सम रूप से 825-1200/- रुपया में पुनरीक्षित किया गया था और तत्पश्चात, इसे पुनः 2650-4000/- रुपया में पुनरीक्षित किया गया था। प्रत्यर्थी सं॰ 1 (मूल याची) को दिए गए वेतनमान के अधिक्रम में सरकार द्वारा इस प्रभाव की गलती की गयी थी कि 825-1200/- रुपयों के बजाए वेतनमान 775-1025/- रुपया पर नियत किया जाना चाहिए था और इसलिए, पश्चातवर्ती पुनरीक्षण 2550-3200/- रुपयों के वेतनमान में होना चाहिए था। यह राज्य सरकार का मुख्य प्रतिवाद है और अपीलार्थी राज्य (मूल प्रत्यर्थी सं॰ 1)

के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है। राज्य कैडर कर्मचारियों के पुनरीक्षित प्रतिस्थापित वेतनमान को पदानुसार और न कि वेतनमान के अनुसार मंजूर किया गया है, अत: विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और याची 2650-4000/- रुपयों के वेतनमान के बजाए 2550-3200/- रुपयों के वेतनमान का हकदार है।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 1 (मूल याची) के अधिवक्ता द्वारा जोरदार निवेदन किया गया है कि मूल याची द्वारा दाखिल याचिका अनुज्ञात करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई गलती नहीं की गयी है और 2650-4000/- रुपयों के वेतनमान का प्रदान वेतन आयोग/फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के बिल्कुल अनुकूल है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि राज्य सरकार ने मूल याची को दिया गया 825-1200/- रुपया का वेतनमान वापस कभी नहीं लिया है। इसी प्रकार से, सरकार द्वारा 800-1150/- रुपयों का पूर्व वेतनमान भी वापस नहीं लिया गया था। इस प्रकार, यदि ये दो वेतनमान, जैसा वे हैं, ज्यों का त्यों बने रहे, तब वेतन आयोग/फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा जो प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A1, (पृष्ठ 24) पर है के मुताबिक 2650-4000/- रुपयों का वेतनमान 825-1200/- रुपयों के पूर्व वेतनमान के तत्सम होगा। प्रत्यर्थी सं॰ 1 (मूल याची) के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि 2650-4000/- रुपयों के पूर्व वेतनमान के पुनरीक्षण में कोई गलती नहीं हो सकती है क्योंकि जब तक सरकार 800-1150/- रुपयों तथा 825-1200/- रुपयों (प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के कारण थोड़ा उपांतरित) को अपना पूर्व तत्सम वेतनमान, जिन्हें दिनांक 1.1.1986 से प्रभावकारी बनाया गया है, वापस नहीं लेती है, सरकार द्वारा पश्चातवर्ती 2650-4000/- रुपयों का वेतनमान वापस नहीं लिया जा सकता है क्योंकि 2650-4000/- रुपयों का अंतिम वेतनमान और कुछ नहीं बल्कि 825-1200/- रुपयों के पूर्व वेतनमान का प्रतिस्थापन है। रिट याचिका में झारखंड राज्य द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र में कोई प्रकथन नहीं किया गया है कि याची को गलत रूप से 825-1200/- रुपयों का पूर्व वेतनमान दिया गया था और इसलिए इस लेटर्स पेटेन्ट अपील में अपीलार्थी राज्य द्वारा नया तर्क नहीं दिया जा सकता है कि 825-1200/- रुपयों के वेतनमान के बजाए 775-1025/- रुपए का वेतनमान होना चाहिए था। लेटर्स पेटेन्ट अपील में यह तर्क नहीं किया जा सकता है क्योंकि रिट याचिका में दाखिल प्रतिशपथ पत्र में ऐसा ताथ्यिक प्रकथन नहीं है और न ही रिट याचिका की अंतिम सुनवाई के समय पर विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इस प्रकार का तर्क कभी नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, 825-1200/- रुपयों का वेतनमान जिसे वित्त विभाग के संकल्प सं॰ 10770 के मुताबिक प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के कारण पुनरीक्षित किया गया है, दिनांक 1.1.1986 से प्रभावकारी बनाया गया है और इसलिए, आज के दिन अर्थात् लगभग 25 वर्ष बाद इस वेतनमान को पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता है और वह भी सरकार के मौखिक तर्क पर। जब एक बार 825-1200/- रुपयों के पूर्व वेतनमान दिनांक 1.1.1986 से माना जाता है, तब वेतन आयोग। फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के मुताबिक 2650-4000/- रुपयों का तत्सम वेतनमान सही है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही प्रकार से इस तथ्य का अधिमूल्यन किया गया है और इसलिए इस न्यायालय द्वारा यह लेटर्स पेटेन्ट अपील ग्रहण नहीं की जा सकती है।

4. दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने पर और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम मुख्यत: निम्नलिखित तथ्यों एवं कारणों से इस लेटर्स पेटेन्ट अपील को ग्रहण करने का कारण नहीं देखते हैं:–

(i) वर्तमान प्रत्यर्थी सं॰ 1 मूल याची है जिसे राज्य सरकार की सेवा के लिए दिनांक 8 नवंबर, 1978 के प्रभाव से 165-204/- रुपए के वेतनमान में हेल्पर के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ii) तत्पश्चात, समय-समय पर यह वेतनमान पुनरीक्षित किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के पैरा सं॰ 7 में वेतनमान के संबंध में विवरण दिया गया है जिसका सार नीचे दिया जाता है:–

क्रमांक	वेतनमान	के प्रभाव से
1.	165-204/- रुपया	8.11.1978
2.	180-242/- रुपया	वित्त विभाग के दिनांक 24 मई, 1980 के संकल्प सं॰ 5207 के आलोक में
3.	375-480/- रुपया	1.4.1981
4.	800-1150/- रुपया	1.1.1986
5.	400-500/- रुपया (प्रथम समयबद्ध प्रोन्नति के कारण) और 375-480/- रुपयों के वेतनमान के बजाए यह वेतनमान दिया गया था।	1.4.1981
6.	825-1200/- रुपया	1.1.1986 (वित्त विभाग के दिनांक 30 दिसंबर, 1981 के संकल्प सं॰ 10770 के मुताबिक)
7.	2650-4000/- रुपया	1.1.1996

(iii) पूर्वोक्त तालिका की विषय वस्तु विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के पैरा 7 में दी गयी है जो अपीलार्थीगण (मूल प्रत्यर्थीगण) द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 7, 8 एवं 9 पर आधारित है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार 2650-4000/- रुपए के वेतनमान को 2550-3200/- रुपए के वेतनमान में मुख्यत: इस आधार पर बदल रही है कि राज्य सरकार ने पदानुसार, और न कि वेतनमान के अनुसार, वेतनमान पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है।

यह प्रतिवाद इस न्यायालय द्वारा मुख्यत: इस कारण से स्वीकार नहीं किया गया है कि झारखंड राज्य द्वारा 825-1200/- रुपए का वेतनमान और 800-1150/- रुपए का पूर्व वेतनमान कभी नहीं वापस लिया गया है। इन वेतनमानों को 775-1025/- रुपए के वेतनमान द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। आगे, रिट याचिका में राज्य द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में झारखंड राज्य द्वारा यह दृष्टिकोण कभी नहीं लिया गया है कि याची को गलत रूप से 825-1200/- रुपए का पूर्व वेतनमान दिया गया था यद्यपि वह 775-1025/- रुपए के वेतनमान का हकदार था। यह प्रतिवाद प्रतिशपथ पत्र में अथवा तर्क के समय पर विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कभी नहीं किया गया था तद्नुसार जिसका अर्थ है कि राज्य द्वारा शिकायत नहीं की गयी है कि याची को 825-1200/- रुपए का वेतनमान गलत रूप से दिया गया था। यदि अवस्था यह है तब केवल वेतन आयोग/फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा देखते हुए, यदि पूर्व वेतनमान

825-1200/- रुपया है, 2650-4000/- रुपया दिनांक 1.1.1996 के प्रभाव से अगला पुनरीक्षित वेतनमान है।

(iv) अपीलार्थी राज्य के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि 2550-3200/- रुपए का वेतनमान वस्तुत: 775-1025/- रुपए का पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान है को हेल्पर के पद के लिए था और इसलिए, हेल्पर को दिनांक 1.1.1996 के प्रभाव से 2550-3200/- रुपए का वेतनमान मिलना चाहिए।

यह तर्क भी इस न्यायालय द्वारा मुख्यत: इस कारण से स्वीकार नहीं किया गया है कि 775-1025/- रुपए के वेतनमान से संबंधित प्रतिवाद इस न्यायालय के समक्ष कभी नहीं किया गया था। इसके विपरीत, प्रतिशपथ पत्र, विशेषत: पैराग्राफ 7, 8 एवं 9 को देखते हुए, उसमें इस लेटर्स पेटेन्ट अपील के अपील अपीलार्थीगण द्वारा स्पष्टत: उल्लिखित किया गया है कि याची को 825-1200/- रुपए के वेतनमान में समयबद्ध प्रोन्नति दी गयी थी। यह वेतनमान ज्यों का त्यों बना रहा है। 825-1200/- रुपए का वेतनमान वापस कभी नहीं लिया गया है और न ही इसे 775-1025/- रुपए के वेतनमान से प्रतिस्थापित किया गया है। यदि अवस्था यह है, तब 2650-4000/- रुपयों का वेतनमान प्रदान करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलती नहीं की गयी है क्योंकि विवादित पूर्व वेतनमान 825-1200/- रुपया है।

5. अत:, पूर्वोक्त तथ्यों एवं कारणों के आलोक में लेटर्स पेटेन्ट अपील में सार नहीं है क्योंकि रिट याचिका अनुज्ञात करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलती नहीं की गयी है। अत:, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय, विशेषत: 2650-4000/- रुपयों के वेतनमान के प्रदान और दिनांक 16.11.2000 और जून, 2003 के बीच की अवधि के लिए याची के वेतन से पहले ही कमी जा चुकी राशि की वापसी के संबंध में आक्षेपित निर्णय के पैरा 11 में अंतर्विष्ट निर्देश, को मान्य ठहराते हैं। वापस की जाने वाली राशि आदेश की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर वापस की जाएगी।

6. तद्नुसार, लेटर्स पेटेन्ट अपील खारिज की जाती है।

7. आई॰ ए॰ सं॰ 8008 वर्ष 2013 अस्वीकार किया जाता है क्योंकि एल॰ पी॰ ए॰ खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

सरिता देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 3784 of 2010. Decided on 23rd December, 2014.

सेवा विधि–नियुक्ति–आंगनबाड़ी सेविका–दिनांक 2.6.2006 के सरकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का खंड सं॰ 7 (ख) 18 वर्ष की न्यूनतम आयु विहित करता है जो आंगनबाड़ी सेविका के लिए आज्ञापक है–याची ने विचार किए जाने की सम्यक तिथि पर 18 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरा नहीं किया था किंतु उसका चयन किया गया था और चयन की दृष्टि में वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगी–कारण बताओ तामील करने के बाद याची का चयन रद्द किया गया–नयी चयन प्रक्रिया आरंभ की गयी जिसमें प्रत्यर्थी सं॰ 6 को आम सभा के निर्णय द्वारा आंगनबाड़ी सेविका चयनित किया गया था–याची का प्रतिवाद कि उसके चयन को अभिपुष्ट करके उसे

प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, का अर्थ यह है कि उसके द्वारा दी गयी विगत सेवा, यदि इसकी गणना की जाएगी, तब यह याची को प्राथमिकता देने के तुल्य होगा और यह केवल पूर्व आदेश जिसके द्वारा उसका चयन रद्द किया गया है के पुनर्विलोकन के तुल्य होगा–याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 11 से 16)

अधिवक्तागण.–Mr. Sanjeev Thakur, For the Petitioner; M/s Rishikesh Giri, For the State; Mr. Arbind Kumar, For the Resp. No. 6.

आदेश

याची ने दिनांक 8.5.2010 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 6 को उसके स्थान पर केंडाडीह, पिंडराजोरा केंद्र के लिए आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त किया गया है। बाद में, उसने अंतर्वर्ती आवेदन दाखिल करके दिनांक 16.4.2010 एवं दिनांक 22.4.2010 के आदेशों को चुनौती दिया है जिसके द्वारा आंगनबाड़ी सेविका के रूप में उसका चयन रद्द किया गया है, जिसे दिनांक 18.11.2014 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया है।

2. पक्षों को सुना गया एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज का परिशीलन किया गया।

3. याची के अधिवक्ता द्वारा किया गया निवेदन यह है कि याची को दिनांक 2.9.2009 की आम सभा के निर्णय की दृष्टि में दिनांक 24.9.2009 के मेमो सं॰ 514 के तहत कैंडाडीह, पिंड्राजोरा केंद्र के लिए आंगनबाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात् वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगी। निवेदन किया गया है कि याची को इस तथ्य के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि उसे दिनांक 2.6.2006 के मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन विहित न्यूनतम आयु के विपरीत नियुक्त किया गया था जो विहित करती है कि उम्मीदवार नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा यदि वह 18 वर्ष की न्यूनतम आयु और 40 वर्ष की महत्तम आयु प्राप्त करती है। याची ने विचार किए जाने की तिथि पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया था और ऐसी दशा में इस आधार पर कि याची की नियुक्ति 18 वर्ष की न्यूनतम आयु के संबंध में दिनांक 2.6.2006 के मार्गदर्शक सिद्धांत में दी गयी शर्त के अनुकूल नहीं की गयी थी, चयन के रद्दकरण के लिए याची को कारण बताओ जारी करने का निर्णय किया गया था और याची ने विचार किए जाने की सम्यक तिथि पर 18 वर्ष का आयु प्राप्त नहीं किया था।

4. उक्त आधार पर, प्राधिकारियों ने याची का चयन रद्द करते हुए दिनांक 22.4.2010 का आदेश जारी किया है।

5. दिनांक 22.4.2010 के आदेश के तहत याची का चयन रद्द करने के बाद प्राधिकारियों ने आम सभा की नयी बैठक आहूत किया है जिसमें प्रत्यर्थी सं॰ 6 को दिनांक 8.5.2010 के आदेश के तहत नियुक्त किया गया था जो मेमो सं॰ 587 में अंतर्विष्ट है।

6. अब, याची की शिकायत यह है कि जब उसने अपनी पूर्व नियुक्ति के निबंधनानुसार आंगनबाड़ी सेविका के रूप में पहले ही अपनी सेवा दी है, ऐसी दशा में, उसने पश्चातवर्ती चयन के फलस्वरुप आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी जैसा नयी आमसभा बैठक द्वारा किया गया है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 2.6.2006 का मार्गदर्शक सिद्धांत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की सेवा को नियमित करने के प्रयोजन से किया गया था और यदि उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों एवं शर्तों के विपरीत कोई नियुक्ति की जाती है, इसे जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याची ने स्वीकृत रूप से विचार किए जाने की सम्यक तिथि पर 18 वर्ष की आयु पूरा नहीं किया था और प्राधिकारियों ने इसकी जानकारी होने के बाद कारण बताओ

नोटिस जारी करने का निर्णय लिया था और तत्पश्चात उस आधार पर याची का चयन रद्द किया गया है।

8. प्रत्यर्थी राज्य के अधिवक्ता द्वारा किया गया निवेदन आगे यह है कि नयी चयन प्रक्रिया में प्रत्यर्थी सं॰ 6 की उम्मीदवारी पर विचार किया गया था और तद्नुसार उक्त केंद्र के लिए आंगनबाड़ी सेविका के रूप में उसका चयन किया गया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे किया गया निवेदन यह है कि किसी भी सेविका द्वारा की गयी विगत सेवा के संबंध में कोई प्राथमिकता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

9. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि चूँकि याची की नियुक्ति दिनांक 2.6.2006 के मार्गदर्शक सिद्धांत के विपरीत पायी गयी है और ऐसी दशा में उसकी विगत सेवा समपहृत कर दी गयी समझी गयी है और यही कारण है कि उसके द्वारा दी गयी विगत सेवा पर पश्चातवर्ती चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता देने के लिए विचार नहीं किया गया है।

10. प्रत्यर्थी सं॰ 6 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती चयन प्रक्रिया में प्रत्यर्थी सं॰ 6 को अधिक उपयुक्त पाया गया था और इस प्रकार अंतिम रूप से आंगनबाड़ी सेविका के रूप में उसका चयन किया गया था।

11. पक्षों को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद मैं पाता हूँ कि दिनांक 2.6.2006 का सरकार मार्गदर्शक सिद्धांत है जो 18 वर्ष की न्यूनतम आयु और 40 वर्ष की महत्तम आयु विहित करते हुए खंड सं॰ 7 (ख) प्रावधानित करता है जो आंगनबाड़ी सेविका के लिए आज्ञापक है। सरकार ने स्वीकार किया है कि दिनांक 2.6.2006 का मार्गदर्शक सिद्धांत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की सेवा के नियमों, विनियमनों एंवं अन्य शर्तों को शासित करता है और इसी मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ति/चयन की जाती है।

12. याची ने विचार किए जाने की तिथि पर 18 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरा नहीं किया था किंतु, उसका चयन किया गया था और वह चयन की दृष्टि में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लगी थी। प्राधिकारियों ने इस तथ्य की जानकारी होने पर कि याची चयन के समय पर 18 वर्ष की न्यूनतम आयु की नहीं थी, और उसका चयन खंड 7 (ख) के अधीन दी गयी शर्तों के विपरीत किया गया था, उस पर कारण बताओ नोटिस तामील किया गया था और संतुष्ट होने के बाद कि याची ने विचार किए जाने की सम्यक तिथि पर 18 वर्ष पूरा नहीं किया था, प्राधिकारियों ने निर्णय लिया है और याची का चयन रद्द करते हुए दिनांक 22.4.2010 का आदेश पारित किया है।

13. आंगनबाड़ी सेविका के रूप में याची की नियुक्ति रद्द करने के बाद नयी चयन प्रक्रिया शुरू की गयी थी और प्रत्यर्थी सं॰ 6 को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चुना गया था और अनुशंसित किए जाने के बाद उसे दिनांक 8.5.2010 के आदेश के तहत आंगनबाड़ी सेविका के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया गया था।

14. याची के प्रतिवाद के संबंध में कि उसके चयन को अभिपुष्ट करके उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, मेरे दृष्टिकोण में चूँकि याची का चयन उसके चयन के लिए विचार किए जाने की सम्यक तिथि पर न्यूनतम आयु का नहीं होने के आधार पर रद्द किया गया है, इसका अर्थ है कि यदि उसके द्वारा विगत में दी गयी सेवा की गणना की जाएगी, यह याची को प्राथमिकता देने के तुल्य होगा और यह केवल दिनांक 22.4.2010 के पूर्व आदेश जिसके द्वारा उसका चयन दिनांक 2.6.2006 के मार्गदर्शक सिद्धांत में विहित न्यूनतम आयु से कम आयु रखने के आधार पर रद्द किया गया है, में पुनर्विलोकन के तुल्य होगा। आगे दिनांक 2.6.2006 के मार्गदर्शक सिद्धांत में पहले ही दी गयी सेवा के आधार पर प्राथमिकता

देने का प्रावधान नहीं है और इसलिए दिनांक 2.6.2006 के मार्ग दर्शक सिद्धांत में उपलब्ध किसी खंड की अनुपस्थिति में सहायिका जिसने अपने चयन के फलस्वरुप पहले ही सेवा दिया था को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

15. प्रत्यर्थी प्राधिकारियों ने द्वितीय चयन प्रक्रिया समाप्त किया है जिसमें आम सभा ने निर्णय लिया था और प्रत्यर्थी सं॰ 6 को उपयुक्त उम्मीदवार पाया था। उपयुक्तता कमिटी जो चयन प्रक्रिया संचालित कर रही है की संतुष्टि का विषय वस्तु है। याची ने चयन प्रक्रिया को चुनौती नहीं दिया है।

16. इस प्रकार, तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता में, मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

17. अत:, गुणागुण रहित होने के कारण रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

बालेश्वर यादव एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 1586 of 2014. Decided on 3rd November, 2014.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894—धारा 18—भूमि का अर्जन–मुआवजा की मात्रा में वृद्धि–याचीगण ने मुआवजा राशि प्राप्त किया है–याचीगण सरकारी भूमि के अवैध अधिभोगी हैं जिन्हें सरकार के निर्णय के मुताबिक मुआवजा का प्रस्ताव दिया गया है–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैरा 6)

अधिवक्तागण.–Mr. Sahadeo Choudhary, For the Petitioner; Mr. Atanu Benarjee, For the State; Mr. T. Kabiraj, For the Resp.-DVC.

आदेश

याचीगण को समुचित मुआवजा का भुगतान करने का प्रत्यर्थीगण को निर्देश इप्सित करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. यह कथन किया गया है कि मौजा कोसमडीह में खाता सं॰ 1, भूखंड सं॰ 2, रकबा 0.70 एकड़ से गठित याची सं॰ 1 एवं 2 की भूमि सुपर थर्मल पावर प्लान्ट के निर्माण के लिए अर्जित की गयी थी। इस प्रकार से, याची सं॰ 3, 4, 5 एवं 6 की भूमि भी सुपर थर्मल पावर प्लान्ट के लिए अर्जित की गयी थी। दिनांक 11.12.2009 के नोटिस के तहत याची सं॰ 1 से 5 को 24,156/- रुपयों की मुआवजा राशि प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था और याची सं॰ 6 को 69,016/- रुपयों की मुआवजा राशि प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। याची सं॰ 1 एवं 2 द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 2 मुख्य अभियन्ता, दामोदर घाटी निगम को 2,40,000/- रुपयों के मुआवजा का दावा करते हुए दिनांक 14.3.2013 का कानूनी नोटिस जारी किया गया था।

3. याची सं॰ 4 ने 2,50,000/- रुपयों का मुआवजा इप्सित करते हुए दिनांक 14.3.2013 का कानूनी नोटिस दिया और याची सं॰ 6 ने 4,00,000/- रुपयों का मुआवजा इप्सित करते हुए दिनांक 14.3.2013 का कानूनी नोटिस दिया। याची सं॰ 1 से 5 ने दिनांक 3.6.2013 को विरोध के अधीन 24,156/- रुपए का मुआवजा राशि प्राप्त किया और याची सं॰ 6 ने भी दिनांक 3.6.2013 को विरोध के अधीन 69,016/- रुपयों की राशि प्राप्त किया। यद्यपि, इसी परियोजना के लिए दिनांक 8.5.2013

के पत्र के तहत किसी बहादुर यादव के लिए 10,55,664/- रुपयों की राशि नियत की गयी थी और याचीगण ने भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्देश के लिए आवेदन दिया किंतु, प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। यद्यपि प्रत्यर्थी–प्राधिकारीगण एक ही परियोजना के लिए मुआवजा की समान दर नियत करने के लिए बाध्य हैं, याचीगण को समान दरों पर मुआवजा नहीं दिया गया है और इसलिए, प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई अवैध है।

4. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याचीगण को जारी दिनांक 11.12.2009 का नोटिस उपदर्शित करता है कि दिनांक 14.5.2009 के पत्र सं॰ 10/DLA Misc. (Law) 19/08-334/RA के निबंधनानुसार 24,156/- रुपयों का मुआवजा उन व्यक्तियों के लिए नियत किया गया है जो गैर मजरुआ खास सरकारी भूमि पर खेती कर रहे हैं। याचीगण ने दिनांक 3.6.2013 को मुआवजा राशि स्वीकार किया है यद्यपि विरोध के अधीन। याचीगण ने समुचित मुआवजा के भुगतान के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश इप्सित किया है। याचीगण ने दावा किया है कि उन्होंने भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 18 के अधीन निर्देश के लिए आवेदन दिया है किंतु, उनका आवेदन विनिश्चित नहीं किया गया है। भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 18 को नीचे उल्लिखित किया जाता है:–

> *"18. **U;k;ky; dk fun'k-**&(1) dkb Hkh fgrc) 0;fDr] ft lu vfèkfu.k; çfrxghr ugh fd;k g pkg 0;fDr dk vk{ki Hkfe d eki d] pkg çfrdj dh jde d] pkg mu 0;fDr;k d] ftudk og ln; g] pkg fgrc) 0;fDr;k e çfrdj d ckj e gk] dyDVj l fd; x; fyf[kr vkonu }kjk bl ckr dh vi{kk dj ldxk fd ml ekey dk dyDVj U;k;ky; d voèkkj.k d fy, funf'kr dj nA*
>
> *(2) vkonu mu vkèkkjk dk dFku djxk ftu ij fd vfèkfu.k; ij vk{ki fd;k x;k gA*
>
> *ijUr , lk gj vkonu&*
>
> *(a) ml n'kk e] ft le fd og 0;fDr] tk , lk vkonu djrk g] dyDVj d lkeu ml le; tc dyDVj u vfèkfu.k; fn;k Fkk mifLFkr Fkk ;k mldk çfrufèkRo fd;k x;k Fkk] dyDVj u vfèkfu.k; dh rkjh[k l Ng llrkg d Hkhrj(*
>
> *(b) vU; n'kkvk e èkkjk 12 dh mièkkjk (2) d vèkhu dyDVj l lpuk dh çkfIr d Ng llrkg vkj dyDVj d vfèkfu.k; dh rkjh[k l Ng ekl e l ft l dkykofèk dk igy volku gk mld Hkhrj fd;k tk,xkA***

6. यह प्रतीत होता है कि दिनांक 11.12.2009 को अधिनिर्णय पारित किया गया था और दिनांक 11.12.2009 की नोटिस के तहत याचीगण को मुआवजा की राशि प्राप्त करने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। अभिलेख पर लायी गयी सामग्री से मैं पाता हूँ कि याचीगण ने दिनांक 6.5.2013 को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन अभिकथित रूप से आवेदन दिया है, जो अधिनिर्णय की तिथि से छह माह की सांविधिक अवधि के परे है। याचीगण द्वारा स्वीकार किया गया है कि उन्होंने दिनांक 11.12.2009 का नोटिस प्राप्त किया है किंतु सांविधिक समय के भीतर भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन आवेदन दाखिल नहीं करने के लिए याचीगण द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आग्रहित एकमात्र अभिवचन यह है कि चूँकि याचीगण ने विरोध के अधीन मुआवजा प्राप्त किया है, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन उनका आवेदन निर्देश न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए था। याचीगण ने

आधारभूत तथ्यों जैसे धाराओं 4 एवं 6 के अधीन अधिसूचना की तिथि, धारा 5A के अधीन नोटिस, अपनी आपत्ति, आदि का भी अभिवचन नहीं किया है। दिनांक 8.5.2013 की नोटिस से यह प्रतीत होता है कि याचीगण सरकारी भूमि के अवैध अधिभोगी हैं जिन्हें सरकार के निर्णय के मुताबिक मुआवजा का प्रस्ताव दिया गया है। मैं गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

बिनय कुमार सिन्हा उर्फ बी॰ के॰ सिन्हा एवं अन्य

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (C) No. 147 of 2014. Decided on 10th November, 2014.

श्रम एवं औद्योगिक विधि–क्वार्टर–किराया में वृद्धि–मात्र इसलिए कि भंडारण प्रयोजन से याचीगण को क्वार्टर आवंटित किए गए थे, दस वर्ष से अधिक समय पहले नियत दर पर क्वार्टर अपने पास रखने के लिए स्वयं में किसी विधिक अधिकार का दावा याचीगण नहीं कर सकते हैं–पूर्व दरों पर क्वार्टर अपने पास बने रहने देने के लिए याचीगण को अनुमति देना एच॰ इ॰ सी॰ का विधिक कर्तव्य नहीं है–कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी–रिट याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Harballava Chandra Prasad, For the Petitioners; Mr. Shresth Gautam, For the Respondent.

आदेश

दिनांक 29.8.2013 एवं दिनांक 9.11.2013 की नोटिस का अभिखंडन इप्सित करते हुए याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याचीगण को भंडारण प्रयोजन से हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के क्वार्टर आवंटित किए गए थे। याची सं॰ 1, 2 एवं 4 को 55/- रुपया प्रतिमाह की दर पर क्वार्टर आवंटित किया गया था और याची सं॰ 3 को 85/- रुपया मासिक किराया पर क्वार्टर आवंटित किया गया था। याचीगण ठेकेदारों के रूप में हेवी इंजिनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची में कार्यरत थे और वे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची द्वारा नियत किराया का भुगतान कर रहे थे। किंतु, दस वर्ष से अधिक समय बाद याचीगण को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए नोटिस तामील किया गया था।

3. याचीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचीगण को जारी नोटिस मनमाना है। याचीगण को नोटिस जारी किए बिना एवं याचीगण को सुने बिना प्रत्यर्थीगण द्वारा किराया नहीं बढ़ाया जा सकता था। प्रत्यर्थीगण सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन प्रावधान का सहारा लेने के कर्तव्य के अधीन थे। दिनांक 27.5.2009 का परिपत्र जिसके अधीन किराया अभिकथित रूप से बढ़ाया गया है, याचीगण के ध्यान में कभी नहीं लाया गया था।

4. प्रत्यर्थी एच॰ ई॰ सी॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दिनांक 4.8.2001 के आवंटन पत्र को निर्दिष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि नियत किराया अनंतिम था और यह भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षण के लिए निगम के स्वविवेक के अध्यधीन था। इसके अतिरिक्त, 55/- रुपए एवं 85/- रुपये की दर पर दस वर्ष से अधिक पहले किराया नियत किया गया था, अतः, याचीगण अभिवचन नहीं कर सकते हैं कि प्रत्यर्थी एच॰ ई॰ सी॰ द्वारा किराया बढ़ाया नहीं जा सकता है।

5. मैंने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के परस्पर विरोधी निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. यह प्रतीत होता है कि दिनांक 4.8.2001, दिनांक 8.1.1999, दिनांक 28.8.2002 एवं दिनांक 12.3.2003 के आवंटन पत्रों के तहत याचीगण को अनंतिम रूप से छह माह के लिए क्वार्टर आवंटित किए गए थे। याचीगण ने स्वयं प्रतिवाद किया है कि वे एच॰ ई॰ सी॰ में ठेकेदारों के रूप में कार्यरत थे और भंडारण प्रयोजन से उन्हें आरंभ में छह माह की अवधि के लिए क्वार्टर आवंटित किए गए थे। याचीगण की एकमात्र आपत्ति दिनांक 29.8.2013 एवं दिनांक 9.11.2013 के नोटिसों के तहत किराया की वृद्धि के संबंध में है। प्रत्यर्थी एच॰ ई॰ सी॰ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्दिष्ट आवंटन पत्र इसे स्पष्ट करता है कि आरंभिक चरण पर नियत किराया अनंतिम था और यह पुनरीक्षण के अध्यधीन था। इसके अतिरिक्त, मैं पाता हूँ कि भंडारण प्रयोजन से याचीगण को क्वार्टर आवंटित किए गए थे जो स्पष्टत: एच॰ ई॰ सी॰ के साथ संविदा चालू रहने के दौरान की अवधि के लिए था। मात्र इसलिए कि याचीगण को भंडारण प्रयोजन से क्वार्टर आवंटित किए गए थे, दस वर्ष से अधिक पहले नियत किराया पर क्वार्टर अपने पास रखने के लिए याचीगण स्वयं में विधिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते है। पूर्व दरों पर क्वार्टर अपने पास बने रहने देने के लिए याचीगण को अनुमति देना एच॰ ई॰ सी॰ का विधिक कर्तव्य नहीं है। उक्त की दृष्टि में, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी।

7. मैं गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

दशरथ विश्वकर्मा उर्फ दशरथ शर्मा

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (C) No. 4903 of 2014. Decided on 21st January, 2015.

बिहार मोटर यान कराधान अधिनियम, 1994—धाराएँ 17 (1) (3), 19—वाहन के उपयोग को अस्थायी रूप से बीच में बंद करने की पूर्व सूचना–पथ कर से छूट–याची का ट्रक कोयला के साथ जब्त किया गया था–याची को अग्रिम जमानत प्रदान किया गया और वाहन निर्मुक्त किया गया–याची ने दिनांक 22.5.2013 और दिनांक 12.3.2014 के बीच पथ कर से छूट के लिए डी॰ टी॰ ओ॰ के समक्ष आवेदन दिया–स्वीकृत रूप से, विहित प्रोफोर्मा में धारा 17 (1) के अधीन पूर्व सूचना कराधान प्राधिकारी के समक्ष दाखिल नहीं की गयी थी जो स्वामी के लिए आज्ञापक है–याचिका खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

निर्णयज विधि.–1997(1) PLJR 44; 2009 (2) JCR 118 (Jhr)—Relied on.

अधिवक्तागण.–Mr. Praveen Kumar Rana, For the Petitioner; M/s Saket Upadhyay, Syed Ramiz Zafar, For the State.

आदेश

वाहन JH 10AA 4812 के संबंध में पथकर से छूट के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश इप्सित करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. याची स्वयं का वाणिज्यिक ट्रक का स्वामी होने का दावा करता है जिसे किसी दिनेश सिंह द्वारा दिनांक 22.5.2013 को भाड़ा पर लिया गया था। दिनांक 22.5.2013 को प्राथमिकी गोविन्दपुर पी॰ एस॰

केस सं॰ 213 वर्ष 2013 उक्त वाहन पर अवैध कोयला परिवहन करने के अभिकथन पर दर्ज की गयी थी और उस संबंध में उक्त ट्रक कोयला के साथ जब्त किया गया था। याची ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 3447 वर्ष 2013 में इस न्यायालय के पास आया और उसे दिनांक 9.3.2014 के आदेश के तहत अग्रिम जमानत प्रदान किया गया था। याची ने वाहन की निर्मुक्ति के लिए आवेदन भी दाखिल किया और दांडिक न्यायालय ने दिनांक 6.3.2014 के आदेश के तहत वाहन की निर्मुक्ति का निर्देश दिया। तत्पश्चात, याची ने दिनांक 22.5.2013 और दिनांक 12.3.2014 की अवधि के बीच पथ कर से छूट देने के लिए जिला परिवहन अधिकारी प्रत्यर्थी सं॰ 4 के समक्ष आवेदन दिया किंतु प्रत्यर्थी सं॰ 4 द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था, अत:, याची इस न्यायालय के पास आया है।

3. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि याची किसी भी तरीके से कोयला के अवैध परिवहन में अंतर्ग्रस्त नहीं है, उसका ट्रक पुलिस द्वारा अवैध रूप से जब्त किया गया था। दिनांक 12.3.2014 को उक्त ट्रक निर्मुक्त किया गया था और तत्पश्चात्, याची ने उक्त अवधि के दौरान पथकर से छूट देने के लिए आवेदन दिया था। बिहार मोटर यान कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 19 को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि चूँकि याची ने दिनांक 28.5.2014 को अभ्यावेदन दिया है, अत: यह अधिनियम वर्ष 1994 की धारा 19 के निबंधनानुसार पथ कर से छूट का हकदार है।

5. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री साकेत उपाध्याय निवेदन करते हैं कि चूँकि याची ने वाहन के उपयोग को अस्थायी रूप से बन्द करने की पूर्व सूचना नहीं दिया था, वर्तमान मामले में धारा 19 के अधीन प्रावधान प्रयोज्य नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि वचन की अनुपस्थिति में, जैसा धारा 17 (1) के अधीन अनुध्यात किया गया है, प्रत्येक मोटर यान कर लगाए जाने का दायी है। उन्होंने **''उपेन्द्र राय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,''** 1997 (1) PLJR 44, और **''महेन्द्र सिंह रेखराज बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2009 (2) JCR 118 (Jhr.)** में निर्णयों पर विश्वास किया है।

6. मैंने पक्षों के अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. बिहार मोटर यान कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 17 वाहन के उपयोग को अस्थायी रूप से बीच में बंद करने की पूर्व सूचना पर विचार करती है। यह प्रावधानित करती है कि जब कभी कोई मोटर यान नि:शक्तता के कारण उपयोग के लिए अक्षम बन जाता है, स्वामी अवधि जिस पर कर का भुगतान किया गया है के अवसान की तिथि पर अथवा इसके पहले कर लगाने वाले अधिकारी के समक्ष विहित प्रोफोर्मा में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित वचन प्रस्तुत करेगा। स्वीकृत रूप से, याची द्वारा विहित प्रोफोर्मा में पूर्व सूचना नहीं दी गयी है। याची केवल दिनांक 12.3.2014 को ट्रक की निर्मुक्ति के बाद प्रत्यर्थी सं॰ 4 के पास गया। उक्त अधिनियम की धारा 19 धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए वचन को निर्दिष्ट करती है और धारा 17 उन मामलों में केवल तब प्रयोज्य होगी जिसमें अधिनियम की धारा 17 (1) के अधीन अनुध्यात वचन प्रस्तुत किया गया है। जैसा प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है, धारा 17 (3) मोटर यान के स्वामी के लिए कर का भुगतान आज्ञापक बनाती है जिसमें कर लगाने वाले अधिकारी के समक्ष धारा 17 (1) के अधीन पूर्व सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है।

8. पूर्वोक्त की दृष्टि में, मैं कोई गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।